



# हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

CIN: L99999KL1960GOI082753



62 वीं वार्षिक रिपोर्ट  
62nd Annual Report  
2022-2023

कोच्चि में फिनोल कॉम्प्लेक्स

Phenol Complex at Kochi





**हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (सीआईएनएल L99999KL1960GOI082753)**
**लेखापरीक्षक**

कानूनी लेखापरीक्षक

मेसर्स बालन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार, कोची

**आंतरिक लेखापरीक्षक**

मेसर्स आईसक एंड सुरेश,

सनदी लेखाकार, कोची

**लागत लेखा परीक्षक**

मेसर्स आर एम बंसल एंड कंपनी

लागत लेखाकार, ट्रिवान्द्रम

**बैंकर्स**

भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

**रेजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट्स**

मेसर्स बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लिमिटेड

कार्यालय सं ए-6, 6वीं तल, पिनाक्कल बिज़नेस पार्क

अहुरा सेंटर के आगे, महाकाली कैवस रोड अंधेरी(पूर्व), मुंबई-400093

टेलीफोन: 022-62638200 फैक्स: 022 62638299

ई-मेल: investor@bigshareonline.com /

vinod.y@bigshareonline.com

**विषय सूची**

	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल और बोर्ड की समितियाँ	3-4
अध्यक्ष का भाषण	5-6
62वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	7-12
निदेशकों की रिपोर्ट एवं अनुबंध	13-37
<b>स्टैंडअलोन लेखा</b>	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - स्टैंडअलोन	39-46
सी एंड ए जी रिपोर्ट - स्टैंडअलोन	47
तुलन पत्र - स्टैंडअलोन	48
लाभ एवं हानि विवरण - स्टैंडअलोन	49-50
नकद प्रवाह विवरण - स्टैंडअलोन	51
वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ - स्टैंडअलोन	52-78
<b>समेकित लेखा</b>	
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - समेकित	79-84
सी एंड ए जी रिपोर्ट - समेकित	85
तुलनपत्र - समेकित	86
लाभ एवं हानि विवरण - समेकित	87-88
नकद प्रवाह विवरण - समेकित	89
वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ - समेकित	90-117

**हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (सीआईएनएल L99999KL1960GOI082753)**
**पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय एंड फैक्टरी**

अंबलमुगल पी ओ, कुन्नतुनाडु, एरणाकुलम, केरल - 682 302 भारत

टेली : 0484 -2727342 / 2720911 / 12

ई-मेल : cs@hoclindia.com, kochi@hoclindia.com

वेबसाइट : www.hoclindia.com

**अन्य स्थान :****मुंबई**

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

कार्यालय सं. 1003-1004, दसवां तल,

एनएमएस टाइटानियम प्रीमाइसेस को-ओप

सोसाइटी लिमिटेड प्लॉट सं.74, सेक्टर-15,

सीबीडी बेलापुर, नवीं मुंबई- 400614, महाराष्ट्र

दूरभाष : 022-27575268

**नई दिल्ली :**

कोर-6, प्रथम तल,

स्कोप कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003.

दूरभाष : (011) 24361610 / 24364690

फैक्स: (011) 24360698

**सहायक कंपनी :****हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड:**

303, 3वें तल, बाबूखान एस्टेट,

बशीरबाग, हैदराबाद - 500 001

राज्य तेलंगाना.

ई-मेल : hflshareholders@gmail.com

वेबसाइट : www.hfl.co.in

## निदेशक मंडल

श्री सजीव बी (डीआईएन: 09344438)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (06/09/2021 से प्रभावी)
श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला (डीआईएन: 09674122)	निदेशक (वित्त) (04/07/2022 से प्रभावी)
श्री सतेंद्र सिंह, ए एस एवं एफ ए (केमि) (डीआईएन: 05195060)	सरकार नामिती निदेशक (21/12/2021से 14/10/2022 तक)
श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव (डीआईएन: 09699641),	सरकार नामिती निदेशक (30/03/2022 से प्रभावी)
डॉ भरत जे कनाबर (डीआईएन: 9466694)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (24/12/2021 से प्रभावी)
श्री प्रत्युष मंडल (डीआईएन: 09461918)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (24/12/2021से प्रभावी)
श्री संजय रस्तोगी (डीआईएन: 07722405)	सरकार नामिती निदेशक (13/12/2022 से प्रभावी)

## मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री सजीव बी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला	निदेशक (वित्त एवं सीएफओ)
श्री सुब्रामणियन एच	कंपनी सचिव

## लेखा परीक्षा समिति

डॉ भरत जे कनाबर	श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	गैर-कार्यकारी/सरकार नामिती निदेशक
अध्यक्ष	सदस्य
श्री प्रत्युष मंडल	श्री सुब्रामणियन एच
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सचिव
सदस्य	

## नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

डॉ भरत जे कनाबर	श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
अध्यक्ष	सदस्य
श्री प्रत्युष मंडल	श्री सुब्रामणियन एच
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सचिव
सदस्य	

## हितधारक संबंध समिति

श्री प्रत्युष मंडल	डॉ भरत जे कनाबर
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
अध्यक्ष	सदस्य
श्री सजीव बी	श्री सुब्रामणियन एच
कार्यकारी निदेशक	सचिव
सदस्य	

## निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

श्री प्रत्युष मंडल	डॉ भरत जे कनाबर
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
अध्यक्ष	सदस्य
श्री सजीव बी	श्री सुब्रामणियन एच
कार्यकारी निदेशक	सचिव
सदस्य	

## शेयर अंतरण समिति

श्री सजीव बी,	श्री सुब्रामणियन एच
कार्यकारी निदेशक, सदस्य	समिति के सदस्य एवं सचिव

## निदेशक मंडल



### श्री सजीव बी

(डीआईएन: 09344438)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
(06/09/2021 से प्रभावी)



### श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला

(डीआईएन: 09674122)  
निदेशक (वित्त)  
(04/07/2022 से प्रभावी)



### श्री सतेन्द्र सिंह

ए एस एवं एफ ए (केमि) (डीआईएन: 05195060)  
सरकार नामिती निदेशक  
(21/12/2021से 14/10/2022 तक)



### श्री संजय रस्तोगी

ए एस एवं एफ ए (डीआईएन: 07722405)  
सरकार नामिती निदेशक  
(13/12/2022 से प्रभावी)



### श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव

(डीआईएन: 09699641)  
सरकार नामिती निदेशक  
(30/03/2022 से प्रभावी)



### डॉ भरत जे कनाबर

(डीआईएन: 9466694)  
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक  
(24/12/2021 से प्रभावी)



### श्री प्रत्युष मंडल

(डीआईएन: 09461918)  
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक  
(24/12/2021से प्रभावी)

कंपनी सचिव



### श्री सुब्रामणियन एच

कंपनी सचिव (1/3/2022 से )





एचओसीएल को रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के तहत राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए तीसरा पुरस्कार मिला। 23 जून 2022 को, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से एचओसीएल के सीएमडी, श्री सजीव बी ने पुरस्कार प्राप्त किया।

HOCL bagged award for third Prize for Best Implementation of Official Language under Department of Chemicals & Petrochemicals. On 23rd June 2022, HOCL CMD, Shri Sajeev B received award from Dr.Mansukh Mandaviya, Hon'ble Union Minister for Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers.



एचओसीएल को वर्ष 2022 के लिए उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन के लिए सुरक्षा पुरस्कार मेसर्स राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद - केरल चैप्टर से मार्च, 2023 को प्राप्त हुआ। एचओसीएल को यह पुरस्कार लगातार चौथे वर्ष प्राप्त हो रहे हैं।

HOCL received Suraksha Puraskar award for outstanding safety performance from M/s. National Safety Council - Kerala Chapter for the year 2022 in March, 2023. This is the fourth consecutive year HOCL receiving this award.



विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर, एचओसीएल ने "रन फॉर नेचर" एक व्यापक दौड़ अभियान चलाया और टाउनशिप में पेड़ पौधे लगाए। एचओसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर रन अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

On World Environment Day 2023, HOCL conducted "Run for Nature" a mass run campaign and planted tree saplings in Township. HOCL senior officials and employees participated enthusiastically in the massive Run campaign.



वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एचओसीएल को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक), कोच्चि का प्रथम पुरस्कार 25 जुलाई 2023 को प्राप्त हुआ।

HOCL received first prize for the best performance in the implementation of the Official Language by the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Kochi for the year 2021-22 on 25th July, 2023.



एचओसीएल ने रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरा का समन्वयन कार्य 24 और 25 मई, 2023 को कोच्चि में किया।

HOCL co-ordinated study tour of the Parliamentary Standing Committee on Chemicals & Fertilizers held on 24th & 25th May, 2023 in Kochi.



एचओसीएल को फैक्ट्री एंड बॉयलर विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, केरल सरकार से श्रेणी II बड़े उद्योग में प्रथम पुरस्कार मार्च, 2023 को प्राप्त हुआ।

HOCL received first prize among category II Large Industry from Department of Factories & Boilers, National Safety Council, Govt. of Kerala in March, 2023.

## अध्यक्ष का भाषण

## प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल के मेरे साथियों की ओर से और अपनी तरफ से, मैं कंपनी के सभी शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और सच्चा आभार भी व्यक्त करता हूँ। आपकी कंपनी के वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मुझे खुशी हो रही है। आपकी कंपनी की इस 62वीं वार्षिक रिपोर्ट में लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों, निदेशकों की रिपोर्ट और वर्ष 2022-23 के लिए सी एंड एजी के गैर समीक्षा प्रमाणपत्र सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, शेयरधारकों को 62वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का नोटिस भी है जिसमें मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को आयोजित होने वाली 62वीं एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए विचार की जाने वाली व्यापार मदें शामिल हैं।

## कार्यनिष्पादन:

मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ आपको साझा करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त की गयी उपलब्धियों और पहलों के विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में प्रदान किए गए हैं।

वित्तीय मामलों की बात करें तो, वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की सकल आय 465.10 करोड़ रुपए की तुलना में 72.33% की वृद्धि दर्ज करते हुए 642.98 करोड़ रुपए की सकल आय हासिल की है।

एचओसीएल को केरल राज्य के अंबलमुगल, एरणाकुलम जिला में केवल एक कार्यगत इकाई है जिसे आमतौर पर कोची इकाई के रूप में जाना जाता है। कोची इकाई फिनोल, एसीटोन और हाइड्रोजन पेरॉक्साइड के विनिर्माण में लगी हुई है। कोची इकाई में फिनोल और हाइड्रोजन पेरॉक्साइड संयंत्र चालू हैं। वर्ष के दौरान कोची इकाई के मुख्य उत्पादों (फिनोल और एसीटोन) की क्षमता उपयोग में काफी सुधार हुआ है। वर्ष के दौरान फिनोल संयंत्र ने 93% क्षमता उपयोग और हाइड्रोजन पेरॉक्साइड संयंत्र ने 99% क्षमता उपयोग हासिल किया है।

## अगले वर्ष के लिए दृष्टिकोण :

यह उम्मीद की जाती है कि भूमि बिक्री प्रक्रिया में तेजी लाने से वित्तीय देनदारियां कम हो जाएंगी और इस प्रकार वित्तीय लागत में कमी आएगी। आपकी कंपनी मूल्यवर्धित उत्पादों में यथासंभव विविधता का भी पता लगाएगी ताकि बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के खिलाफ कुछ स्तर की सुरक्षा हासिल की जा सके।

आपकी कंपनी सतर्क रहेगी और उद्योग परिदृश्य में तेजी से बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाएगी।

## कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अपनी स्थापना से ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा रही है। पिछले पांच दशकों से सामाजिक रूप से जिम्मेदार और जागरूक कॉर्पोरेट के रूप में, आपकी कंपनी लगातार सामाजिक विचारों के लिए प्रतिबद्ध रही है और आस-पास के गाँवों को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ तथा विभिन्न रूप में सहायता प्रदान करते हुए सामाजिक सेवा करती है।



आपकी कंपनी को पिछले वर्षों के दौरान हुई घाटे के कारण किसी प्रकार की सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाज को लाभाञ्चित करने वाली गतिविधियों को अंजाम देने वाले अपने सामाजिक दायित्वों को मान्यता दी है। सीएसआर के तहत कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों के विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। आपकी कंपनी स्वच्छता पखवड़ा 2022 के सिलसिले में विविध गतिविधियां चलाई गयी हैं, जिसके विवरण निदेशक की रिपोर्ट में दिया गया है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आपकी कंपनी ने अपने परिसरों में विविध सफाई गतिविधियां चलायी, आज़ादी का अमृत महोत्सव का स्टिकर तैयार कर सभी सरकारी पत्राचारों में लगा दिया है।

21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर, सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल का व्यापक प्रचार एवं प्रसार हमारी पोर्टल और सोशियल माध्यम से किया गया है। कर्मचारियों ने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा योग की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ सुबह 7.00 बजे से 7.50 बजे तक योग के लाइव सत्र में भाग लिया।

## सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण:

स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्रों में कंपनी ने वर्ष 2022 के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा जांच के साथ-साथ फिटनेस चेक-अप की संवैधानिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया है। अन्य सांविधिक नियमित जांच के अतिरिक्त शब्दों से एक्सप्लोस किए गए कार्मिकों के लिए ऑडियोमेट्री जांच की गयी और बेन्जीन उपयोगकर्ताओं के लिए ऑटो टोक्सिटी की जांच की गयी। स्वच्छता, स्वस्थ जीवन, कोविड सावधानियों के संबंध में समय-समय पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए और दिशा-निर्देशों को जारी किए गए। पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की ओर हमने कारखाने और आसपास के वातावरण से प्रदूषकों का स्तर अनुमेय स्तर से काफी होना सुनिश्चित किया है।

पर्यावरण की रक्षा संबंधी कार्य में, जागरूकता सत्र, प्रतियोगिताएँ, स्वच्छ भारत गतिविधियां, “हरित मिशन” के तहत सब्जी की खेती के लिए कर्मचारियों को बढ़ावा देना, संगठन के पूरे कर्मचारियों को शामिल करते हुए संयंत्र परिसर का सौंदर्यीकरण कार्य किए गए।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का अनुपालन करने के लिए ऑन-लाइन एफ्लुएंट मॉनिटरिंग और स्टैक मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की गई है। निरंतर सुधार के रूप में अग्निशमन दल की दैनिक गश्त के अलावा सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण और सुरक्षा पदयात्रा की गई।

आपकी कंपनी ने फैक्ट्रीज एंड बोइलेर्स विभाग, केरल सरकार से केरल स्टेट इंडस्ट्रियल सेफ्टि अवार्ड 2022 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है और नेशनल सेफ्टी काउंसिल, कोची चैप्टर से लगातार चौथे वर्ष के लिए “सुरक्षा पुरस्कार” अवार्ड 2022 भी प्राप्त किया।

**आईएसओ प्रमाणन:**

सुरक्षा सुधारों के रूप में, संयंत्र और कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठन द्वारा अनेक सकारात्मक उपायों को लागू किए गए। गुणता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001) और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 45001) को समन्वित करके आईएमएस (समन्वित प्रबंधन प्रणाली) का कार्यान्वयन किया गया। कंपनी एनर्जि मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसओ 50001) के लिए भी प्रमाणित है। यह सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पहलुओं को अधिक महत्व देता है।

**औद्योगिक संबंध:**

आपकी कंपनी में मानव सबसे शक्तिशाली रही। वर्ष के दौरान समग्र औद्योगिक संबंध की स्थिति शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रही है। वर्ष के दौरान कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं थी।

**निगमित अभिशासन :**

कंपनी ने निगमित अभिशासन की विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन जारी रखा है। इस संबंध में विस्तृत विवरण निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक संगठनों के लिए निर्धारित निगमित अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों का मजबूती से अनुपालन किया है और सरकार को नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से सेबी (दायित्व सूचीकरण और आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के लागू विनियमों का अनुपालन किया जाता है।

**हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) - सहायक कंपनी :**

आपकी कंपनी को हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) नामक एक सहायक कंपनी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने दिनांक 29-01-2020 के पत्र सं पी. 51015/06/2019-सीएच. III के माध्यम से एचओसीएल की सहायक कंपनी, हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने का निर्देश देते हुए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय की जानकारी दी, जिसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस से संबंधित खर्चों को पूरा करने और बैंक और अन्य देनदारियों के बकाया का निपटान करने के लिए भारत सरकार से ऋण के रूप में 75.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मार्च 2023 के दौरान, सीसीईए द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित, प्लांट और मशीनरी और अन्य चल संपत्तियों की बिक्री एमएसटीसी ई-नीलामी के माध्यम से की गई थी। बिक्री से प्राप्त आय प्राप्त की गई और उसे भारतीय स्टेट बैंक के एक अलग बैंक खाते में जमा किया गया। भूमि की बिक्री तेलंगाना सरकार से एनओसी प्राप्त होने के अधीन है।

**आभार:**

मैं वर्ष के दौरान सभी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों द्वारा दी गयी सहायता और सहयोग के लिए सराहना करता हूँ और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने साथी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों, विशेष रूप से रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, सभी बैंकों, निदेशक मंडल के सदस्यों, संवैधानिक/सरकारी लेखापरीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और संबंधित सभी एजेंसियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। मैं शेयरधारकों और ग्राहकों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कंपनी के परिवर्तन के वर्तमान चरण में हमारे साथ कार्य किया है।

हम अपनी ओर से कंपनी के जल्द से जल्द समग्र परिवर्तन प्राप्त करने की दिशा में, अपने प्रयास में, जल्द ही पुनर्गठन योजना को पूरा करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। हम इस सतत प्रक्रिया में आपके निरंतर समर्थन की उम्मीद करते हैं।

हस्त/-

**सजीव वी****अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक****डीआईएन 09344438**



हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

(सीआईएन: L99999KL1960GOI082753)

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा  
हस्त/-

पंजीकृत कार्यालय: पोस्ट बैग सं. 18, अंबलमुगल पी ओ, एरणाकुलम जिला .

केरल - 682302, भारत, दूरभाष सं. 0484 - 2727342

**सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 62वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार दिनांक 26 सितंबर, 2023 को दोपहर 03.30 (समय) बजे निम्नलिखित कार्य निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य श्रव्य दृश्य साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से संपन्न होगी :-

**सामान्य कारोबार :**

- स्टैंडअलोन तथा समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2023 का तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण, अनुसूचियाँ और उसके साथ संलग्न लेखाओं पर टिप्पणियाँ शामिल हैं तथा निदेशकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना तथा स्वीकार करना।
- श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव, निदेशक, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार जो इस वार्षिक आम बैठक पर सेवानिवृत्त हो जाएगा और पात्र होने के फलस्वरूप पुनःनियुक्ति के लिए अपने आप को प्रस्ताव देना।
- श्री संजय रस्तोगी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार जो इस वार्षिक आम बैठक पर सेवानिवृत्त हो जाएगा और पात्र होने के फलस्वरूप पुनःनियुक्ति के लिए अपने आप को प्रस्ताव देना।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को जब कभी नियुक्त करने पर सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान किए जाने हेतु पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना और विचार करना और यदि उचित समझे तो निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।

**"संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा यथा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक निश्चित और नियत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

**विशेष कारोबार**

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुमोदन**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना, :

**"संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, जिसे समय समय पर संशोधित कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम, 2014 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स आर एम बनसल एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण सं 000022) को कंपनी के लागत लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए और तत्संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र (त्रों) को जारी करने और वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने और 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी के लिए कोची यूनिट के उत्पादों के संबंध में एक्सबीआरएल ई-फोर्म्स संबंधी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ई-फाइल कार्य में मदद के लिए कुल शुल्क 50,000/- रुपए और जीएसटी के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन कंपनी एतद्वारा करती है।

स्थान: कोची, केरल

दिनांक: 30/08/2023

(सुब्रमणियन एच)

कंपनी सचिव

(एसीएस 28380)

पंजीकृत कार्यालय:

पोस्टबैग सं.18, अंबलमुगल पी ओ, एरणाकुलम जिला, केरल -682302 भारत

दूरभाष सं 0484 -2727342, ई-मेल cs@hocindia.com

सीआईएन: L99999KL1960GOI082753

**टिप्पणियाँ :**

- कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांक 28 दिसंबर 2022 के अपने सामान्य परिपत्र सं 10/2022 जिसे विविध अन्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित है) के साथ पढ़ा जाए, द्वारा एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना 30 सितंबर 2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीकरण बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015, विविध एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के 62वीं एजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी द्वारा एनएसडीएल के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में उपस्थित होने और भाग लेने के संबंध में पालन करने की कार्यविधि के लिए अनुदेश इस नोटिस का हिस्सा है। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित करना माना जाएगा।
- कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए हकदार एक सदस्य को उसकी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के मुताबिक आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति अनावश्यक बना दी गयी है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा कंपनी की 62वीं एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।
- वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार एजीएम के कोरम के प्रयोजनार्थ की जाएगी।
- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रतिलिपि (पीडीएफ/जेपीजी फारमैट) भेजने की आवश्यकता है, इसके साथ अपने प्रतिनिधि को अपनी ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करने हेतु विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर भेजना है। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकरण ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को bhavya@legalcrew.co.in और कंपनी को cs@hocindia.com पर भेजा जाएगा।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में विशेष व्यापार के संबंध में एक व्याख्यात्मक विवरण इस सूचना के साथ जोड़ा गया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार, कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक कंपनी द्वारा एजीएम में या इस तरह से

- तय किया जाएगा जैसा कि कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित कर सकती है। वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी बाकी है। तदनुसार, सदस्य बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।
7. शेयरधारकों से अनुरोध है कि कंपनी में पंजीकृत अपने पते, अपने पैन, केवाईसी विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आरटीए को तत्काल उपलब्ध कराएँ। केवाईसी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए सदस्य <http://www.hocindia.com/form-download> में उपलब्ध संगत केवाईसी प्रपत्रों का उपयोग करें।
  8. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/परि/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 ने भौतिक रूप में शेयर धारण करनेवाले सदस्य द्वारा पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण 1 अक्टूबर, 2023 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया है। इस सूचना की प्रस्तुति के लिए सदस्य <https://www.hocindia.com/form-download> पर जाएं और केवाईसी प्रपत्रों प्राप्त कर सकते हैं।
  9. कंपनीके सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण बुक्स **बुधवार दिनांक 20 सितंबर, 2023 से मंगलवार 26 सितंबर, 2023 तक (दोनों दिन मिलाकर)** बंद रहेंगे।
  10. अधिनियम की धारा 170 के तहत अनुरक्षित निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता, और अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित ठेके का रजिस्टर या व्यवस्था जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगा। नोटिस में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज बिना किसी शुल्क के सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए इस सूचना के परिचालन की तारीख से 62वीं एजीएम की तारीख यानी 26-09-2023 तक भी उपलब्ध होंगे। सदस्य जो ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए [cs@hocindia.com](mailto:cs@hocindia.com) पर कंपनी को एक ईमेल भेज सकते हैं।
  11. अधिनियम की धारा 108 जिसे संबंधित नियमों और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूची विनियमन") के विनियमन 44 के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग") सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतदान की सुविधा प्रदान की है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग करके अपना मतदान किया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। डिमैटरियलाइज्ड, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका और जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उन्हें ई-वोटिंग सेक्शन के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं, जो इस नोटिस का हिस्सा है। निदेशक मंडल ने सर्वश्री एएसकेबीएनएंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग की जांच करने के लिए नियुक्त किया है।
  12. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, 23 सितंबर, 2023 को 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होती है और सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होती है।** इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ डेट के अनुसार, यानी **19-09-2023 (कट ऑफ तारीख)** को भौतिक या डिमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। किसी सदस्य को किसी भी प्रस्ताव पर फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिस पर पहले ही वोट डाला जा चुका है। सदस्यों के मतदान अधिकार निर्दिष्ट तारीख यानी **19-09-2023 (कट ऑफ तारीख)** को कंपनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर उनके शेयर के अनुपात में होंगे।
  13. एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं गया है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
  14. 62वीं एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने की कट ऑफ तारीख 25 अगस्त 2023 है। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों को प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख को शेयर रखता है, को अपना अनुरोध [vinod.y@bigshareonline.com](mailto:vinod.y@bigshareonline.com) को भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें। फिर, यदि उसने रिमोट ई वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले ही पंजीकृत किया है तो वह अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान करने के लिए किया जा सकता/सकती है।
  15. एमसीए/सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में, 62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, 62वीं एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग के निर्देश केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे जा रहे हैं जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यो) के साथ निर्दिष्ट तारीख 25-08-2023 के अनुसार पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना की भौतिक प्रति और वार्षिक प्रतिवेतन 2022-23 उन सदस्यों जो इसके लिए अनुरोध करते हैं, को भेज दी जाएगी।
  16. हम सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे ईमेल के माध्यम से कंपनी की सूचना प्राप्त करने का चयन करके पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी प्रतिबद्धता का समर्थन करें। डिमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत करें, और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की प्रतियां और कंपनी से अन्य सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्राप्त करने के लिए कंपनी के आरटीए, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ [vinod.y@bigshareonline.com](mailto:vinod.y@bigshareonline.com) पर अपने ई-मेल पते का अद्यतन करें।
  17. सदस्य यह भी नोट कर सकते हैं कि 62वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट, <https://www.hocindia.com/agm> पर, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
  18. सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियम 40 जो समय-समय पर संशोधित है, के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के लिए अनुरोध के मामले को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप में केवल डिमैटरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में सुगमता के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डिमैटरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रारों और ट्रांसफर एजेंटों, सर्वश्री बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।
  19. सेबी ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को अपना पैन प्रदान करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को आरटीए यानि सर्वश्री बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपना पैन विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  20. चूंकि एजीएम वीडियो कोन्फेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इस नोटिस में प्रॉक्सि फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।
  21. जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम डिमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए [cs@hocindia.com](mailto:cs@hocindia.com) पर या सोमवार, 18 सितंबर, 2023 से पहले अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इसका उत्तर कंपनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से उचित रूप से दिया जाएगा।
  22. जो शेयरधारक खुद को अध्यक्ष के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं, वे एजीएम से कम से कम 14 दिन पहले अपना नाम, डिमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए [cs@hocindia.com](mailto:cs@hocindia.com) पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

सदस्यों को रिमोट ई-मतदान करने और आम बैठक में शामिल होने के लिए अनुदेश नीचे दिए हैं:

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को सुबह 09:00 बजे शुरू होती है और सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे समाप्त होती है। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 19 सितंबर, 2023 को सदस्यों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, 19 सितंबर, 2023 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कैसे करूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर जाएं

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को लॉगिन तरीका नीचे दिए जाते हैं

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1) मौजूदा आयडियाज उपयोगकर्ता पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से एनएसडीएल के ई-सेवा वेबसाइट यथा <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर जाएं। ई सेवा पर होम पेज लॉच होने के बाद "लॉगिन आइकॉन" के तहत "बेनीफिशियल ओनर" पर क्लिक करें जो आइडीएस सेक्शन के तहत उपलब्ध है। यहाँ आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप वैल्यू एडेड सर्विसेस के अधीन ई वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे। आप ई वोटिंग सर्विसेस के तहत "एक्सस टुई वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई वोटिंग सेवा प्रदाता यथा एनएसडीएल पर क्लिक करें और आप को रिमोट ई वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए एनएसडीएल की ई वोटिंग वेबसाइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा।</p> <p>2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर उपलब्ध है। "आयडीईएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a> पर क्लिक करें।</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।</p> <p>4) शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <p style="text-align: center;"><b>NSDL Mobile App is available on</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">   </div>
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईसी/ईसीएस्ट फेसिलिटी का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ईवोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईसी/ईसीएस्ट में लॉगिन करने के लिए URL <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</a> या <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर जाएं और लॉग इन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम मई ईसी चुनें।</p> <p>2. सफल लॉगिन के बाद ईसी/ईसीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां इवोटिंग चल रही है। इवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी सीडीएसएल/ एनएसडीएल/ कार्बी/लिकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।</p> <p>3. यदि उपयोगकर्ता ईसी/ईसीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल की वेबसाइट <a href="https://cdslindia.com">https://cdslindia.com</a> पर उपलब्ध है और लॉगिन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम मई ईसी टैब और पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> होम पेज पर उपलब्ध ई वोटिंग लिंक पर डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे जा सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते से जुड़े पंजीकृत मोबाइल और ई मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग विकल्प देख सकता है जहां ई वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली भी प्राप्त कर सकते हैं।
व्यक्तिगत शेयरधारक (प्रतिभूतियाँ डीमैट रूप में रखते हैं) अपने डिपॉजिटारि प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करें।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आप को रिमोट ई वोटिंग अवधि के दौरान अपने वोट डालने के लिए या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

**महत्वपूर्ण नोट:** जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	सदस्य जो लॉगिन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, वे <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-48867000 और 022-24997000 पर संपर्क करें।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	सदस्य जो लॉगिन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, वे <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> पर अनुरोध भेजकर एनडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: <https://www.evoting.nsdl.com/>
2. ई-वोटिंग प्रणाली का मुख पृष्ठ लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक/सदस्य" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल की ई सेवा यानी IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

4. आपकी उपयोगकर्ता आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या फिजिकल	आपकी यूजर आईडी है:
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अक्षर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी DP ID IN300*** है और क्लाइंट ID 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता ID IN300***12***** है। उदाहरण के लिए यदि आपकी DP ID IN300*** है और क्लाइंट ID 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता ID IN300***12***** है।
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12***** है।
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?
  - (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। आपके मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी .pdf फ़ाइल खोलें। फ़ाइल खोलें. .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।
  - (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।
6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
  - क) [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध विकल्प "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" (यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर हैं) विकल्प पर क्लिक करें।
  - ख) भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट करें? (यदि आपके पास फिजिकल मोड में शेयर हैं) विकल्प [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।
  - ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

- अपना पासवर्ड डालने के बाद चेक बॉक्स पर सेलेक्ट करके "नियम एवं शर्तें" से सहमत पर टिक करें।
- अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
- "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

**चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और आम बैठक में शामिल हों।**

**एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और आम बैठक में कैसे शामिल हों?**

- चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
- उस कंपनी का "ईवीएन" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और सामान्य बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "मीटिंग में शामिल हों" के अंतर्गत दिए गए "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- उचित विकल्प यानी सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।
- पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
- आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
- एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजनी होगी। जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, वे संवीक्षक को bhavya@legalcrew.co.in पर ई-मेल करें और एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर अंकित करें। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित ठअपलोड बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र पर क्लिक करके अपने बोर्ड संकल्प / पावर ऑफ अटॉर्नी / प्राधिकरण पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।
- यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" पासवर्ड रीसेट करने के लिए विकल्प [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।
- किसी भी प्रश्न के मामले में, आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं। और 022 - 2499 7000 या सुश्री मेधा मालवीय को [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजें।

उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

- यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित

स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल [cs@hoclindia.com](mailto:cs@hoclindia.com) द्वारा प्रदान करें।

- यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया DPID-CLID (16-अंकीय DPID + CLID या 16-अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, PAN (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति) [cs@hoclindia.com](mailto:cs@hoclindia.com) द्वारा प्रदान करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि चरण 1 (क) यानी डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि - में बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें,
- वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

#### एजीएम के दिन सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के निर्देश इस प्रकार हैं:-

- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
- केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।
- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित वही व्यक्ति होगा।

#### वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

- सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "मीटिंग में शामिल हों" मेनू के अंतर्गत रखा गया "वीसी/ओएवीएम" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि मीटिंग में शामिल हों मेनू के अंतर्गत दिए गए VC/OAVM लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड में इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से कनेक्ट होने वाले या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।



- जो शेरधारक अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/आपके कोई प्रश्न हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए cs@hoclindia.com पर या सोमवार, 18 सितंबर, 2023 से पहले अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से उचित उत्तर दिया जाएगा।
- जो शेरधारक खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं, वे एजीएम से कम से कम 14 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए cs@hoclindia.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण मद सं 5 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति**

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 148 जिसे कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 ("नियम") के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को उपरोक्त धारा के अनुसरण में जारी नियमों के अधीन निर्धारित उत्पादों और सेवाओं के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए लागत लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा समिति की सिफारिश पर मेसेर्स आर एम बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं 000022) को कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्ति का अनुमोदन किया है। यह निम्न के लिए है : वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत अभिलेखों की लागत लेखापरीक्षा रु50,000/- और जीएसटी पर करने तथा उस संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट देने और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोची यूनिट के उत्पादों के संबंध में एक्सबीआरएल ई-फॉर्म से संबंधित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ई-फाइल कार्य में मदद करने के लिए है।

मेसेर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकर ने कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 148 जिसे कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 के साथ पढ़ा जाए के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन साधारण संकल्प के माध्यम से कंपनी के शेरधारकों द्वारा किया जाएगा। तदनुसार, उक्त प्रयोजन के लिए सदस्यों की सहमति मांगी जाती है।

निदेशक मंडल शेरधारकों के अनुमोदन के लिए सूचना के मद संख्या 5 में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करते हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, जिसमें उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, कंपनी में अपनी शेरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक अपेक्षित संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा  
हस्त/-

(सुब्रमणियन एच)

स्थान: कोची ,केरल  
दिनांक: 30/08/2023

कंपनी सचिव  
(एसीएस 28380)

पंजीकृत कार्यालय:

पोस्टबैग सं.18, अंबलमुगल पी ओ, एरणाकुलम जिला, केरल -682302 भारत  
दूरभाष सं 0484 -2727342, ई-मेल cs@hoclindia.com  
सीआईएन: L99999KL1960GOI082753

सूचना में उल्लिखित मदों के क्रम में सेबी (एलओडीआर) के विनियम 36 (3) के अधीन अपेक्षित वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक का अतिरिक्त विवरण

**श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव का संक्षिप्त विवरण**

डीआईएन	09699641
जन्म तिथि	14.11.1980
नियुक्ति की तारीख	30.03.2022
निदेशक/केएमपी के साथ संबंध	नहीं
कंपनी में शेरधारिता	नहीं
भुगतान के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक	कोई नहीं
विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता	आप सांख्यिकी में मास्टर डिग्री रखते हैं। आप नई दिल्ली के मूल निवासी हैं। आपको सरकारी सेवाओं का अनुभव है। वर्तमान में आप रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग में निदेशक (रसायन) हैं।
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक का पद	शून्य
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में समिति की सदस्यता	शून्य
सूचीबद्ध कंपनियों का विवरण जहां से निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है?	शून्य
नियुक्ति की शर्तें	रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने 30 मार्च 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं पी51011/6/2011- केमि III-सीपीसी के माध्यम से श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव, निदेशक, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के निदेशक मंडल में सरकार नामिती निदेशक के रूप में 30.03.2022 से प्रभावी होकर तीन वर्षों (3) की अवधि के लिए या अन्य आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

**श्री संजय रस्तोगी का संक्षिप्त विवरण**

डीआईएन	07722405
जन्म तिथि	24.01.1967
नियुक्ति की तारीख	13.12.2022
निदेशक/केएमपी के साथ संबंध	कोई नहीं
कंपनी में शेरधारिता	कोई नहीं
भुगतान के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक	कोई नहीं
विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री संजय रस्तोगी ओडिशा कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आप आईआईटी-दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटेशन में एम.टेक उपाधि हासिल की हैं। आप वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक का पद	एक (1) (मेसेर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड.)
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में समिति की सदस्यता	शून्य
सूचीबद्ध कंपनियों का विवरण जहां से निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है?	शून्य
नियुक्ति की शर्तें	रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने 13 दिसंबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं पी 51015/12/2014- केमि III-सीपीसी के माध्यम से श्री संजय रस्तोगी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एवं एफए), रसायन और उर्वरक मंत्रालय को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के निदेशक मंडल में सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति की सूचना दी है।

**निदेशकों की रिपोर्ट**

निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखों पर लेखापरीक्षित विवरण सहित आपकी कंपनी की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

**1. वित्तीय परिणाम**

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम पिछले वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ नीचे दिये जाते हैं:

(रुपए लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
परिचालन के राजस्व	63,143.56	43,367.39
अन्य आय	1,154.60	3,142.73
कुल	64,298.16	46,510.12
व्यय	69,320.57	49,128.94
असाधारण मदे एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	(5,022.41)	(2,618.82)
असाधारण मदे घटाएँ	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(5,022.41)	(2,618.82)
घटाएँ: कर के लिए प्रावधान	-	-
कर बाद लाभ/(हानि)	(5,022.41)	(2,618.82)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का निवल	782.78	1,602.93
वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय	(4,239.63)	(1,015.89)

**2. आरक्षित (धारा 134(3)(i))**

कंपनी ने आरक्षित में कोई राशि लगातार घाटे के कारण स्थानांतरित नहीं की है।

**3. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन**

कंपनी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर रही है, जो हर साल निष्पादन मापदंडों और लक्ष्यों को निर्धारित करती है। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए "अच्छी" रेटिंग हासिल की।

**4. समेकित वित्तीय विवरण**

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") और इंड एस 110 के प्रावधानों के अनुसार- 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

**5. लाभांश**

चालू वर्ष के दौरान हुई हानि को देखते हुए, निदेशक मंडल समीक्षाधीन वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

**6. कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो तो:**

सहायक कंपनी हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75.87 करोड़ रुपए की राशि सहायक कंपनी को जारी की गई है। यह कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस से संबंधित खर्चों को पूरा करने और बैंक और अन्य देनदारियों के बकाया का निपटान करने के लिए है।

**7. शेयर**

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 3700000000 रुपयें हैं और कंपनी की चुकता पूंजी 3371731000 रुपयें हैं। कंपनी के शेयर बीएसई (स्क्रिप आईडी:500449) में सूचीबद्ध हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने (i) अपनी कोई भी प्रतिभूति वापस नहीं खरीदी (ii) कोई स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किए (iii) कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए (iv) कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की।

**8. वित्तीय विशिष्टताएं**

वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष की सकल आय 465.10 करोड़ रुपये

की तुलना में 6.42% की वृद्धि दर्ज करते हुए 642.98 करोड़ रुपये की सकल आय हासिल की है।

**9. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या (निदेशक मंडल तथा समिति की बैठकों की तिथियों सहित जिसमें प्रत्येक निदेशक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपस्थिति दर्शाई गयी है।)**

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर की गईं :

26 मई 2022, 4 अगस्त 2022, 9 नवंबर 2022 और 31 जनवरी 2023

वर्ष के दौरान समिति की बैठकें निम्नलिखित तारीख पर की गईं

लेखापरीक्षा समिति की बैठक

26 मई 2022, 4 अगस्त 2022, 9 नवंबर 2022 और 31 जनवरी 2023

हितधारकों का संबंध समिति की बैठक

नवंबर 2022

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक

29 मार्च 2023

अन्य विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध I की निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

**10. वार्षिक विवरणी का सार**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप धारा 3(क) जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में 31.03.2023 को वार्षिक विवरणी का सार [www.hoclindia.com/annual-return](http://www.hoclindia.com/annual-return) उपलब्ध किया गया है।

**11. सहायक कंपनी**

आपकी कंपनी की एक (1) सहायक कंपनी है नामतः हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बनस लिमिटेड (एचएफएल) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दिनांक 29 जनवरी, 2020 की पत्र सं पी. 51015/06/2019-केमि-III के माध्यम से एचएफएल को बंद करने का निर्देश देते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय की जानकारी दी, जिसे शेयरधारकों द्वारा 30 मार्च, 2020 को अनुमोदित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाए, एक विवरण फॉर्म एओसी-1 में जिसमें सहायक कंपनी की वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध II में संलग्न किया गया है।

**12. संबंधित पार्टी लेन-देन**

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेङ्ग के आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ था जो कंपनी के हितों के विपरीत था। इंड एस-24 के तहत अपेक्षित उपयुक्त प्रकटीकरण को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की नोट संख्या 38 में किए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन का विवरण, निर्धारित प्रपत्र एओसी-2 में अनुबंध III के रूप में संलग्न है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

**13. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट**

इस संबंध में विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध (IV) के रूप में निगमित अभिशासन रिपोर्ट का हिस्सा है।

**14. निगमित अभिशासन**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अधिकांश अवधि में एक(1) स्वतंत्र महिला निदेशक की अनुपलब्धता के कारण कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम 2015 और इसके अधीन बनाए गए विभिन्न नियमों/ विनियम के तहत निगमित अभिशासन की विभिन्न आवश्यकताओं को उस सीमा तक गैर-अनुपालन किया गया है। इस संबंध में विवरण वार्षिक रिपोर्ट के निगमित अभिशासन का हिस्सा है। निगमित

- अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला पेशेवर कंपनी सचिवों से अपेक्षित प्रमाण पत्र निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
15. **सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित अभिभासन मार्गदर्शी तत्वों का अनुपालन।**  
सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार ने निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसई को ग्रेड करने के उद्देश्य से कुछ मापदंडों को निर्धारित किया है और यह रिपोर्ट रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को तिमाही/वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कंपनी डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए निर्धारित निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है और नियमित रूप से रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 31.03.2023 को समाप्त चौथी तिमाही/वर्ष के लिए लागू ग्रेड "उत्कृष्ट" है। निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला पेशेवर कंपनी सचिवों से अपेक्षित प्रमाण पत्र निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
16. **तरीका जिसके अंतर्गत निदेशक मंडल, उसकी समितियों तथा वैयक्तिक निदेशकों के कार्य निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किए गए हैं:**  
अधिनियम की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होंगे यदि निदेशक का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं, जो कि अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से कंपनी के प्रभारी है। एचओसीएल, सरकारी क्षेत्र की कंपनी होने के कारण, निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
17. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:**  
कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नानुसार हैं:  
क) श्री सजीव बी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डडीआईएन: 09344438,  
ख) श्री योगेन्द्र प्रसाद शुक्ला, सीएफओ और निदेशक (वित्त) डडीआईएन: 09674122,  
ग) श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (एसएस:28380)
18. **निदेशकों और/या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्यारे जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए हैं/ त्यागपत्र दिए गए हैं:**  
i) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दिनांक 22-06-2022 के आदेश सं पी. 51011/02/2020-केमि. III-सीपीसी के फलस्वरूप श्री योगेन्द्र प्रसाद शुक्ला को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या आगे के आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया। तदनुसार, निदेशक(वित्त) ने 4 जुलाई 2022 से कार्यभार ग्रहण किया।  
ii) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के 14-10-2022 के का ज्ञा संख्या 51015/12/2014-केमि-III-सीपीसी के अनुसार श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री सतेन्द्र सिंह जिन्हें मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर नियुक्त किया गया।  
iii) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के 13-12-2022 के का.ज्ञा संख्या 51015/12/2014-केमि-III-सीपीसी के अनुसार श्री संजय रस्तोगी को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री संजय पांडे के स्थान पर नामित किया गया।
19. **कर्मचारियों के विवरण**  
कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरण के बारे में जानकारी लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं लिया है।
20. **लेखापरीक्षा समिति (एसी) का संयोजन तथा इस समिति(एसी) की किसी भी सिफारिश को स्वीकार न करना (केवल सार्वजनिक एवं सूचीबद्ध कंपनियों के लिए)**  
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया।  
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 के अनुपालन में 31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षा समिति में केवल तीन सदस्य हैं। संरचना, लेखा परीक्षा समिति/उप-समिति की बैठकों का विवरण दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुबंध IV में निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।
21. **निदेशक मंडल की समितियाँ**  
कंपनी के निदेशक मंडल को निम्नलिखित समितियाँ हैं::  
i. लेखापरीक्षा समिति  
ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति  
iii. हितधारी संबंध समिति  
iv. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर)
22. **साचिविक मानक**  
कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।
23. **निदेशकों का जिम्मेदारी विवरण**  
वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एस), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। यह इंड एस कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधनों, नियमों के साथ पढ़ा जाए, के तहत निर्धारित हैं।  
आपके निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं -  
i. 31,मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, सामग्री के प्रस्थान संबंधी उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू मानकों का अनुसरण किया गया है।  
ii. जैसाकि लेखों पर टिप्पणियों में बताया गया है ऐसे लेखा नीतियों का लगातार प्रयोग किया गया है और निर्णय तथा अनुमान लगाया जाता है कि वे उचित तथा विवेकपूर्ण हैं ताकि वे 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कार्यों तथा उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ या हानि को सही तथा उचित ढंग से दर्शाते हैं।  
iii. जैसाकि इसका उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखते हैं कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की परिस्पष्टतियों की रक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम तथा पहचान करने के लिए पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखे गए हैं।  
iv. जैसा कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे कार्यशील संस्था (गोइंग कनसर्न) के आधार पर तैयार किए हैं  
v. जैसाकि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने उचित प्रणाली अपनायी है और प्रणाली पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है और

vi. यह है कि निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह की प्रणाली पर्याप्त रही और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

**24. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा -**

कंपनी को प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और लिस्टिंग नियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

**25. स्वतंत्र निदेशकों की पुनःनियुक्ति पर प्रकटीकरण**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान (वि व 2022-23) स्वतंत्र निदेशकों की पुनः नियुक्ति नहीं की गई।

**26. निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक जिसमें योग्यताओं की पहचान करने के मानदंड, सकारात्मक लक्षण, निदेशकों की स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है, पर कंपनी की नीति.**

कॉर्पोरेट मामलों मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक जिसमें योग्यताओं की पहचान करने के मानदंड, सकारात्मक लक्षण, निदेशकों की स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है, पर इसकी नीति के प्रकटन संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) का प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान किए गए अन्य मामले एक सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

कंपनी केंद्र सरकार का एक उद्यम है और कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार/भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेशों पर है तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के विहित निर्देशों का पालन किया जा रहा है। स्वतंत्र तथा अन्य निदेशकों की नियुक्ति की सेवा शर्तें सरकारी आदेशों के अनुसार है और इसको कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई है।

**27. मध्यम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के मुकाबले निदेशकों के पारिश्रमिक का अनुपात तथा अन्य निहित विस्तृत प्रकटीकरण तथा व्यौर:**

अधिनियम की धारा 134 (3) (ई) के प्रावधान एक सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं। नतीजतन, निदेशकों की नियुक्ति और अन्य मामलों पर कंपनी की नीति संबंधी विवरण अधिनियम की धारा 178 (3) के तहत प्रदान नहीं किया गया है। वैसे ही, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी। परिणामस्वरूप, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक के मध्यस्थ कर्मचारी के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन और इस तरह के अन्य विवरण जिसमें कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के नाम और अन्य विवरण दिखाते हैं, जो यदि वित्तीय वर्ष के पूरे समय/आंशिक समय में कार्यरत हैं, अधिनियम की धारा 197 (12) के संदर्भ में जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1) / (2) के साथ पढ़ा जाए, नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक की प्राप्ति प्रदान नहीं की गई। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्ण समय निदेशकों ने इसके किसी भी सहायक कंपनियों से कोई भी पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त नहीं किया है। एचओसीएल, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन सरकारी/डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें योग्यता और अन्य मामलों के लिए वेतन नियतन मानदंड भी शामिल होता है।

**28. लेखापरीक्षक**

**क) सांविधिक लेखापरीक्षक**

सर्वश्री बालन एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए निगमित कार्यालय और कोची इकाई के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सीएंडएजी द्वारा नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षकों ने उनकी स्वतंत्रता और कंपनी के साथ संबंध के स्वतंत्र व्यवहार पुष्टि की घोषणा प्रस्तुत की है। यह भी घोषणा करते हैं कि उन्होंने कंपनी के लिए कोई प्रतिबंधित गैर-लेखापरीक्षा समनुदेश नहीं लिया है। लेखा परीक्षा समिति स्वतंत्रता और लेखापरीक्षकों के उद्देश्य और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावता की

समीक्षा करती है। लेखापरीक्षक कंपनी की वार्षिक सभा बैठक में भाग लिया जाता है।

लेखापरीक्षकों ने वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के कोई दृष्टांत रिपोर्ट नहीं किया है।

**ख) लागत लेखापरीक्षक**

निदेशक मंडल ने मेसर्स आर एम बंसल एंड कं, लागत लेखाकार, कानपुर जिनको टीसी49/620(2) सफनममरवा 61-ए, मल्लिईडम, तिरुवनन्तापुरम को शाखा कार्यालय है, को वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए आपकी कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। 29 सितम्बर 2023 को सम्मन 61वीं एजीएम में सदस्यों ने लागत लेखापरीक्षकों के लिए भुगतानयोग्य पारिश्रमिक का अनुसमर्थन किया है।

**ग) आंतरिक लेखापरीक्षक**

सर्वश्री आइसक एंड सुरेश, सनदी लेखाकारों को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आपकी कंपनी के निगमित कार्यालय और कोची इकाई के आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

**घ) सीएजी लेखापरीक्षक**

अनुपूरक लेखापरीक्षा वाणिज्यिक लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक (शिपिंग), मुंबई द्वारा किया जाता है। सीएजी ने दिनांक 8 अगस्त 2023 के पत्र के माध्यम से 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए गैर समीक्षा रिपोर्ट जारी की है।

**ङ) साचिविक लेखापरीक्षक**

निदेशक मंडल ने डी एस मोमाया एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए साचिविक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है और कंपनी अधिनियम की धारा 204 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाओं) के विनियम 24ए के साथ अनुपालन किया है। कंपनी ने सेबी एलओडीडीआर के विनियम 24ए के अधीन वर्ष 2022-2023 के लिए पेशेवर कंपनी सचिव डी एस मोमाया से वार्षिक साचिविक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त किया है। साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निरीक्षण और प्रबंधन के उत्तर नीचे दिये जाते हैं।

क्रमांक	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी के निदेशक मंडल में एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक की रिक्ति के कारण, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया था।	एचओसीएल रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसा एवं उर्वर मंत्रालय), रसायन और पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसई (केंद्रीय पीएसयू / पीएसई) है। इसलिए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है और कंपनी के आर्टिक्लस ऑफ एसोसिएशन (एओए) के अनुसार, एचओसीएल कंपनी के निदेशक मंडल को नियुक्त करने की शक्तियां भारत सरकार/ प्रशासनिक मंत्रालय के पास निहित हैं। वर्तमान में, एचओसीएल में एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त है। रिक्ति को भरने के लिए, कंपनी ने दिनांक 16 जून, 2022 और 13 सितंबर, 2022 को पत्र और दिनांक 10 जनवरी, 2023 और फिर 15 जून, 2023 को ई-मेल द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया कि एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति किया जाए। कंपनी इस संबंध में मंत्रालय से आवश्यक आदेश का इंतजार कर रही है।

क्रमांक	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
2.	कंपनी ने, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संरचित डिजिटल डेटाबेस (यहाँ “एसडीडी” या “डेटाबेस” के रूप में संदर्भित किया गया है) को पीआईटी विनियम, 2015 के विनियमन 3(5) और 3(6) के तहत आवश्यक है, के अनुसार बनाए रखा है। जैसा कि टाइम स्टैमिंग, ऑडिट ट्रेल्स और डेटा की गैर-छेड़छाड़ के संबंध में स्थापित नहीं किया जा सका।	एचओसीएल में, वित्तीय परिणामों को यूपीएसआई के रूप में पहचाना जाता है। तदनुसार, संबंधित विभाग को सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार अनुपालन आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाता है। विनियम 3(5) के अनुपालन में, कंपनी एसडीडी का रखरखाव कर रही है और विनियम 3(5) में निर्धारित आवश्यक विवरण दर्ज किए हैं और कंपनी सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर समय टिकट रिकॉर्ड करने और डेटा के किसी भी गैर-छेड़छाड़ से बचने के लिए चिपकाए गए हैं। एक बार जब यूपीएसआई साझा किया जाता है, डेटाबेस में दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है, तो कंपनी सचिव द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर लगाया जाता है जिसमें सिस्टम द्वारा सृजित तिथि और समय शामिल होता है। एसडीडी में प्रविष्टि पूरा होने के बाद और डीएससी लगाये जाने पर डेटा को छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। डिजिटल हस्ताक्षर किसी भी अनधिकृत संशोधन को रोकने के लिए टाइम स्टैमिंग और ऑडिट ट्रेल दोनों के उद्देश्य को पूरा करता है। तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र मौजूद है कि डेटाबेस में डीएससी लगाने के बाद डेटाबेस में रिकॉर्ड संपादन योग्य नहीं है। ऐसे डेटाबेस तक पहुंच पूरी तरह से कंपनी सचिव के पास है और ऐसे डेटाबेस तक बहुत सीमित पहुंच की अनुमति है। इसके अलावा, सेबी पीआईटी विनियम इस प्रक्रिया के बारे में चुप है कि ऐसे डेटाबेस को कैसे बनाए रखा जाना चाहिए और ऐसे डेटाबेस को संभालने और रखरखाव करना कंपनी का विवेक है। तदनुसार, एसडीडी की रिकॉर्डिंग के लिए कंपनी द्वारा कोई सॉफ्टवेयर नहीं रखा जाता है।

29. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सतर्कता मामलों के विवरण

01.04.2022 को अथशेष	01.04.2022 से 31.03.2023 तक प्राप्त सतर्कता मामले	निपटाए	शेष
शून्य	0	0	शून्य

30. लंबित सीएजी पैरा की स्थिति और प्रबंधन का उत्तर

ऑडिट पैरा का नाम	पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्ट की स्थिति
सीएजी रिपोर्ट 2014 की 13 के पैरा 2.1	एचओसीएल स्कूल के स्वायत्त प्रबंधन को महात्मा एजुकेशन सोसाइटी को हस्तांतरित करने में अनियमितताएं और महात्मा एजुकेशन सोसाइटी को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए अनाधिकृत पक्षधरता और 6.54 करोड़ रुपये का पट्टा किराया वसूलने में भी विफल रहा।	एचओसीएल ने 16.10.2006 को महात्मा एजुकेशन सोसाइटी (एमईएस) को 30 साल की अवधि के लिए स्कूल के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं को पट्टे पर देने के लिए एक समझौता किया है। एमईएस के प्रबंधन ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए समझौते की शर्तों के उल्लंघन में परिसर में नए भवनों और सुविधाओं का निर्माण किया है। कंपनी ने एमईएस के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार समाप्ति के लिए नोटिस भेजा है। एमईएस ने जिला में टर्मिनेशन नोटिस को चुनौती देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट अलीबाग में एक याचिका दायर की है। एमईएस ने एचओसीएल और एमईएस के बीच विवाद में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिला न्यायालय ने एमईएस की मध्यस्थता याचिका के अंतिम निस्तारण पर रोक लगा दी है। कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे को खाली करने के लिए एक याचिका दायर की है। वर्तमान में, याचिकाएँ सुनवाई के लिए माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

31. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा जांच के साथ वर्ष 2022 के दौरान फिटनेस जांच की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया। उन लोगों के लिए ऑडियोमेट्री जांच किए गए जो शब्दों के संपर्क में हैं और अन्य वैधानिक नियमित जांच के अलावा बेंजीन हैंडलर के लिए ऑटोटॉक्सिसिटी परीक्षण किए गए थे।

स्वच्छता, स्वस्थ जीवन, कोविड सावधानियों और दिशा-निर्देशों पर समय-समय पर जागरूकता सत्र चलाया गया।

पर्यावरण के प्रति अपनी वचनबद्धता में कारखाने से और आसपास के वातावरण में प्रदूषकों का स्तर निर्धारित स्तर से काफी नीचे होना हमने सुनिश्चित किया है।

पर्यावरण की रक्षा संबंधी कार्य के रूप में, जागरूकता सत्र, प्रतियोगिताएं, स्वच्छ भारत गतिविधियां, “हरित मिशन” के तहत सब्जी की खेती के लिए कर्मचारियों को बढ़ावा देना, संगठन के पूरे कर्मचारियों को शामिल करते हुए संयंत्र परिसर का सौंदर्यकरण किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विनियमों के अनुपालन के लिए ऑन-लाइन एफ्लुएंट मॉनिटरिंग और स्टैक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। निरंतर सुधार के रूप में अग्निशमन दल की दैनिक गश्त के अलावा सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण और सुरक्षा दौरा की गई।

एचओसीएल आईएमएस (एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित संगठन है जिसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ-9001), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ-14001) और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ-45001) कंपनी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसओ 50001) के लिए भी प्रमाणित है।

कंपनी ने सामान्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अलावा सुरक्षा संस्कृति में सुधार के लिए कई नए उपाय लागू किए हैं

1. एचएसई सुझाव योजना

एक नई पहल जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को अपने रचनात्मक और संभावित विचारों को सामने रखने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे सुरक्षा, अपव्यय में कमी, कर्मचारियों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हो और परिचालन नियंत्रण और सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से वनस्पतियों और जीवों या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में सके। इसके अलावा, एचएसई पर इनपुट प्राप्त करने के लिए जहां अन्य लोग बुद्धिमानी से हमें प्राप्त नहीं करेंगे।



2. संयंत्र को पुनः प्रारम्भ करने पूर्व सुरक्षा समीक्षा (पीएसएसआर)

पीएसएसआर कार्यस्थल की घटनाओं और परिणामी उपकरण क्षति या कर्मचारी हानि से बचने के लिए बनाए गए हैं। यह एक सुरक्षा जांच सूची है जिसमें विद्युत, यांत्रिक, इन्स्ट्रुमेंटेशन, अग्नि एवं सुरक्षा, उत्पादन और उपयोगिता विभागों से संबंधित जांच बिंदुओं को शामिल किया गया है। पीएसएसआर निम्नलिखित प्रकार के स्टार्ट-अप के लिए किया जाता है

- क. नया उपकरण
- ख. संशोधित मौजूदा उपकरण
- ग. प्रक्रिया परिवर्तन
- घ. प्रमुख बदलाव (28 दिन और उससे अधिक)

3. वहनीय उपकरण परीक्षण (पीएटी)

पीएटी सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरणों की जांच करने की प्रक्रिया है जो दृश्य निरीक्षण और इलेक्ट्रॉनिक परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से किया जाता है। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उपकरण संचालित करने के लिए सुरक्षित हैं।

हमारे गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने अनेक विश्लेषण के लिए लेने से पहले विद्युत उपकरणों पर पीएटी प्रणाली शुरू की। विद्युत विभाग या शिफ्ट प्रभारी (क्यूसी) वहनीय उपकरण परीक्षण करेगा और उपकरण पर तारीख के साथ "परीक्षण ठीक है" अंकित करेगा।

4. व्यवहार आधारित सुरक्षा (बीबीएस)

मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, और स्वास्थ्य और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने में व्यक्तिगत व्यवहार मान्यता प्राप्त बाधा है। बहुत से लोग जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन फिर भी वे इसे करना ही चुनते हैं। अन्य लोग अनजाने में गलतियाँ करते हैं, और उन लोगों को व्यवहारिक सुरक्षा के बारे में निर्देश दिया जा सकता है। मानव व्यवहार को रोकने और नियंत्रित करने तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यवहार आधारित सुरक्षा कार्यक्रम को महत्व मिला है।

कंपनी की अपनी ऑनलाइन वर्क परमिट प्रणाली है जो 6 अलग-अलग वर्क परमिटों को एकीकृत करती है, जैसे, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, सीमित स्थान में प्रवेश, ऊंचाई पर काम, उत्खनन और रेडियोग्राफी। एचओसीएल ने 29-बिंदु दुर्घटना जांच चेकलिस्ट के माध्यम से दुर्घटना/घटना जांच में बेंचमार्क विकसित किया है। कंपनी ने नियर मिस रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की है जिसके तहत कर्मचारी किसी भी असुरक्षित कार्य/स्थिति की रिपोर्ट कर सकते हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समीक्षा के बाद सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कर्मचारियों को फायर एंड सेफ्टी पर पुनश्चर्चा प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए गए। ड्राइविंग में सुरक्षा संस्कृति बनाने के लिए ट्रक ड्राइवरों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया।

फैक्ट्रीज और बॉयलर्स विभाग, केरल सरकार के सहयोग से आसपास की जनता के लिए अग्नि और सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवा मन में सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए आस-पास के स्कूली छात्रों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही, स्कूल भवन के लिए अग्निशामक उपकरण भी प्रदान किए गए।

कर्मचारियों के बीच सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय अग्निशामन सेवा सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह आदि मनाया गया।

स्वस्थ भोजन की आदतों पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए और एफएसएसआई द्वारा हमारे परिसर को ईट राइट कैम्पस घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता मिशन और स्वच्छता कार्रवाई के हिस्से के रूप में खाद्य अपशिष्ट के उपचार के लिए कैंटीन में एक बायो गैस संयंत्र स्थापित किया गया है। प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से भोजन की बर्बादी, खाना पकाने के तेल कम करने, उपयोग किए गए तेल के सुरक्षित निपटान के लिए कई पहल की गई हैं।

एचओसीएल ने फैक्ट्रीज और बॉयलर्स विभाग, केरल सरकार से "केरला स्टेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी अवार्ड 2022" में प्रथम पुरस्कार जीत लिया है और मेसेर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, कोची चैप्टर से "सुरक्षा पुरस्कार अवार्ड 2022" लगातार चौथी बार प्राप्त किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर मेसेर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, कोची चैप्टर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हमारे कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए। कंपनी ने वर्ष 2022 के लिए 797392 सुरक्षित मानव घंटे हासिल किए हैं और संगठन में दुर्घटना से कोई समय नष्ट नहीं हुआ है।

32. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग और विभिन्न क्षमताओं से युक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण और अन्य कल्याणकारी उपाय

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण और अन्य कल्याणकारी उपायों के संबंध में सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। कार्य स्थल पर विभिन्न क्षमताओं के व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

03.2023 को रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व

संवर्ग	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं
क	76	8	5	6
ख	22	5	3	-
ग	75	13	2	8
घ	10	1	-	-
<b>कुल</b>	<b>183</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

33. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी दैनिक गतिविधियों/कार्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान 09 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें निगमित कार्यालय और कोच्चि के विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 पर एक विशेष सत्र भी शामिल था। निगमित कार्यालय और कोच्चि इकाइयों में क्रमशः 14-21 सितंबर और 14-29 सितंबर को हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हमारे अधिकारियों ने 14 और 15 सितंबर 2022 को सूत, गुजरात में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सेमिनार में भाग लिया। हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा समारोह के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। हमारी कंपनी को राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय का तीसरा पुरस्कार दिया गया था और माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री से प्रस्तुत पुरस्कार हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने ग्रहण किया। एचओसीएल, कोच्चि इकाई को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) द्वारा राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिला। माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा हमारी कॉर्पोरेट और कोच्चि इकाई का राजभाषा संबंधी निरीक्षण क्रमशः 11.07.2022 और 15.10.2022 को मुंबई और कोच्चि में किया गया। हमारे दोनों कार्यालयों ने टोलिक (पीएसयू) द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। कोच्चि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्र सरकार और पीएसयू) के हिंदी कर्मचारियों के लिए एक पूर्ण दिवसीय राजभाषा सेमिनार 15 नवंबर 2022 को हमारे प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। हमारे अधिकारियों ने ए. फ़ैसीटी, एचपीसीएल, कोचीन शिपयार्ड, कोच्चि टोलिक (पीएसयू) और कोच्चि टोलिक (बैंक) द्वारा विभिन्न विषयों पर आयोजित राजभाषा सेमिनारों में भाग लिया और तिरुवनंतपुरम में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया। कोच्चि टोलिक (पीएसयू) के संयुक्त हिंदी समारोह के दौरान हमारे कार्यालय में हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 10 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट गर्ल्स एचएसएस, त्रिपुनितुरा, एर्नाकुलम में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और छात्र-छात्राओं के लिए हिंदी के महत्व के बारे में

जागरूकता कक्ष चलायी गयी। इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा एक ई-पत्रिका "पहचान" प्रकाशित की गई। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत सभी दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए थे। कंपनी की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। हमारे संगठन द्वारा राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन सहित विभिन्न प्रचार योजनाएँ अपनाई गई हैं।

#### 34. नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण, ग्राहक सुरक्षा प्रणाली और सूचना का अधिकार

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप, हमारे संगठन ने मांगी गई सूचना के अधिकार को संभालने के लिए प्रयास किए हैं। कंपनी ने लोक सूचना अधिकारी/सीपीओ और अपील प्रार्थिकरण के माध्यम से जानकारी प्रदान करने के लिए कार्य प्रक्रिया निर्धारित की है।

आरटीआई आवेदन- संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या नीचे दी जाती है

वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या	48
वर्ष 2022-23 के दौरान खारिज किए गए आवेदनों की संख्या यदि कोई हो तो	0
वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत सूचना	45
31.03.2023 को लंबित उत्तर	3*

\*आरटीआई आवेदन का उत्तर बाद में प्रस्तुत किया गया है।

#### 35. सूक्ष्म और लघु उद्यम

एमएसएमई से अधिप्राप्ति के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए सरकारी निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। निविदाओं में भाग लेने के लिए एमएसएमई की पात्रता बताते हुए सभी निविदाओं में आवश्यक प्रक्रियाएँ की गई हैं। हमने निविदा शर्तों में प्रतिबंधित क्लॉज़ को हटा दिया है और इसे संशोधित किया है जो एमएसएमई और विशेष रूप से एससी/एसटी/एमएसएमई की खरीद प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक भागीदारी में मदद करेगा। कंपनी ने निर्देशों के अनुपालन के लिए खरीद नीति को भी संशोधित किया है।

एचओसीएल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करता है। हमारे खरीद के मूल्य के 95% पेट्रोलियम उत्पादों (एलपीजी, बेंजीन, फूर्नस ऑयल और हाइड्रोजन हैं-जो हमारे कच्चे माल हैं।) जो सर्वश्री बीपीसीएल से पाइपलाइन ट्रांसफर के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। ये मदें एमएसएमई द्वारा निर्मित नहीं हैं और जेम पोर्टल में उपलब्ध नहीं हैं।

#### 36. सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियाँ और व्यवसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के प्रकटीकरण के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 कंपनी के लिए लागू नहीं है। हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दैनिक गतिविधियों में प्रबंधन सिद्धांतों के लाभों को अपनाया और कार्यान्वित किया है। ये प्रबंधन सिद्धांत संगठन के प्रदर्शन पर लगातार सुधार करने के लिए आधार प्रदान करेंगे। संगठन व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ जुड़ने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को स्वीकार करता है।

1. ग्राहक केन्द्रित
2. नेतृत्व
3. संगठन के भीतर बेहतर सूचना प्रवाह सहित संसाधनों का उपयोग
4. प्रक्रिया दृष्टिकोण; और इसका निरंतर सुधार,
5. जोखिम और अवसर और वास्तविक समय पर निर्णय
6. कार्य स्थल पर आंतरिक संसाधनों का विकास करना और काम पर बेहतर मानवीय संबंधों को बनाए रखना.

हमने पीडीसीए साइकल सहित दैनिक कार्यों में "प्रक्रिया दृष्टिकोण" को अपनाया है। हमने अपने अधिकांश प्रबंधन प्रणाली में प्रभावशीलता को विकसित करने, कार्यान्वित

करने और सुधारने के लिए जोखिम-आधारित सोच के उपयोग पर विचार किया है। यह दृष्टिकोण हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को प्रक्रियाओं के बीच अंतर्संबंधों और अन्योन्याश्रितियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करके संगठन के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

ग्राहक विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के साथ समझ और स्थिरता;

- अतिरिक्त मूल्य के संदर्भ में हमारी प्रक्रियाओं का विचार;
- प्रभावी प्रक्रिया कार्य निष्पादन की उपलब्धि;
- वास्तविक समय पर डेटा और सूचना के आधार पर हमारी प्रक्रियाओं में सुधार.

हम कार्य परिणामों को अधिकतम करने के लिए जोखिमों और अवसरों का सामना करने के लिए विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से योजना और कार्यान्वित करते हैं, लेकिन यह बेहतर परिणाम प्राप्त करने और हमारे उत्पादों, संचालन, सेवाओं के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए सीमित नहीं है।

हमारे कारोबार ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करते हैं जो सुरक्षित हैं और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं और सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देते हैं, हितधारकों के हितों का सम्मान करती हैं, सभी हितधारकों विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं के प्रति उत्तरदायी भी हैं। हमारे कारोबार पर्यावरण से संबंधित प्रासंगिक वैधानिक नियमों का अनुपालन करते हुए सुरक्षित और बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए सम्मान, संरक्षण और प्रयास करते हैं। हमारे कारोबार जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं का समर्थन और मूल्य प्रदान करते हैं।

#### 37. वर्ष के दौरान सीएसआर नीति और इसके कार्यान्वयन का विवरण

कंपनी अपनी स्थापना से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बहुत जागरूक है। सामाजिक रूप से जिम्मेदार और संवेदनशील कॉर्पोरेट के रूप में पिछले पाँच दशकों में, आपकी कंपनी सामाजिक विचार के लिए प्रतिबद्ध है और पड़ोसी गाँवों को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ प्रदान कर, विविध माध्यम से सहायता प्रदान करते हुए समाज की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध भी है।

चूँकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध घाटा है, इसलिए आपकी कंपनी को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी सीएसआर गतिविधियाँ करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्वों को पहचाना है और वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए:

- स्थानीय निवासियों को पेयजल की आपूर्ति ज़ारी करना सुनिश्चित की गई।



- हमारे परिसर में उत्पन्न जैव-अपशिष्टों के उपचार के लिए हमारी कैटिन में एक बायोगैस संयंत्र चालू किया गया



- व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग/विज्ञान/प्रबंधन कॉलेजों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गयी।
- जिन छात्रों ने विभिन्न विषयों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है उन्हें उद्योगों में नौकरियां लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है।
- रसायन/पेट्रोकेमिकल उद्योग से संबंधित पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को उद्योग का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए कारखाने के दौरे की अनुमति है।
- इंटरमिडिएट स्तर पूरा किए आईसीएआई/आईसीएसआई के प्रॉफेशनल छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में किया गया।
- फैक्ट्री और टाउनशिप में 3 नैपकिन इंसीनरेटर स्थापित किए गए।

### अन्य गतिविधियां

#### स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छता पखवाड़ा 2022 के संबंध में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कंपनी के बाहर भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। एचओसीएल कर्मचारियों द्वारा पास के सरकारी स्कूल (गवर्नमेंट यूपी स्कूल, पुडुमनूर) में स्वच्छता अभियान चलाया गया। "छात्रों और अभिभावकों के लिए एक सुरक्षा जागरूकता कक्षा" भी आयोजित की गई और स्कूल को डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर दान किए गए।



एकल उपयोग के प्लास्टिक सामग्री छोड़ देने के लिए परिपत्र जारी किए गए और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र में घोषित।

विभिन्न विभागों द्वारा 01.09.2022 से स्वच्छता गतिविधियों का संचालन किया गया। पुराने अभिलेखों को अलग करना और निराई करना, सूचीबद्ध करना और बनाए रखने का कार्य अब भी चल रहा है।

*The best way to manage the waste and protect our environment...  
Reduce, Reuse, Recycle.  
Beautification of HOCL canteen premises done by adapting the above  
principle is a joyful visual and refreshment to the mind.*



कंपनी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हाउस कीपिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों आदि के लिए बेहतर स्वच्छता पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।

कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षणार्थियों और हाई स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं (अंग्रेजी/हिंदी/मलयालम में) आयोजित की गईं।

निवासियों, कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों की भागीदारी के साथ टाउनशिप में स्वच्छता सफाई गतिविधियाँ की गईं।





भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने भारत सरकार की ईट राइट पहल के हिस्से के रूप में एचओसीएल को "ईट राइट कैम्पस" के रूप में चुना है।



We are proud to receive EAT RIGHT CAMPUS title with Five Star Rating from Food Safety and Standards Authority of India for our Industrial Canteen for providing safe, healthy and sustainable food.

#### आज़ादी का अमृत महोत्सव

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे परिसर में विभिन्न सफाई गतिविधियाँ आयोजित की गयीं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तैयार किए गए स्टिकर सभी सरकारी पत्राचार में लगाए गए। अगस्त 2023 तक विविध गतिविधियों के साथ समारोह का आयोजन/योजना बनायी गयी।

प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी - पद्मश्री वीपी अप्पुकुट्टा पोटुवाल, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और केरल के गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता के निवास का दौरा किया और उनका सम्मान किया गया।



“हर घर तिरंगा” कार्यक्रम के तहत सभी कर्मचारियों, स्थानीय निवासियों, आसपास के रेजिडेंट्स एसोसिएशन आदि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज वितरित किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर एचओसी परिवार के सदस्यों के लिए प्लांट विजिट और सीएमडी के साथ एक आपसी चर्चा सत्र की व्यवस्था की गई।



#### अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

21 जून 2022 को योग दिवस मनाया गया। हमारे पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल ई-बुक व्यापक रूप से प्रसारित की गई। कर्मचारियों ने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा योग की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ सुबह 7.00 बजे से 7.50 बजे तक योग के लाइव सत्र में भाग लिया।



#### 38. औद्योगिक संपर्क:

वर्ष 2022-23 के दौरान औद्योगिक संपर्क स्थिति आमतौर पर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रही। वर्ष के दौरान कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं थी।

#### 39. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों या किए गए निवेश के व्यौरे

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण नहीं लिया है, गारंटी नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है। अतः कथित प्रावधान लागू नहीं है।

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बनस लिमिटेड को बंद करने के भारत सरकार के निर्णय के फलस्वरूप 75.87 करोड़ रुपए भारत सरकार के ऋण के रूप में जारी किया गया। इसका उपयोग कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस से जुड़े व्यय और बैंक और अन्य देयताओं के समायोजन के लिए किया गया।

#### 40. योग्यताओं, आरक्षणों पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ या लेखापरीक्षकों और पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा उनकी रिपोर्टों में किए गए प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ या अस्वीकरण

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उनकी लेखापरीक्षा

रिपोर्ट में योग्यताओं, आरक्षण पर या प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ कोई नहीं है।

कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। साचिवीय लेखापरीक्षकों के निरक्षणों पर उत्तर निदेशक की रिपोर्ट में दिया है।

41. वित्तीय वर्ष जिसको वित्तीय विवरणों का संबंध है, की समाप्ति के बीच पाए गए कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वस्तुगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं यदि कोई हो तो और रिपोर्ट की तारीख शून्य

42. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में ब्यौरे: कंपनी दस्तावेजीय नीति के माध्यम से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की उपस्थिति तथा मैन्युअल में निर्धारित पद्धतियों का पालन विभिन्न स्तरों पर कार्यकारियों द्वारा सुनिश्चित करती है। आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन समीक्षा द्वारा आंतरिक नियंत्रण को सहायता दी जाती है। प्रबंधन इन मामलों में गहरी दिलचस्पी रखती है और सूचना प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करना, आधार संरचना तथा मूल्यांकन और ईआरपी सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन, वेब पर आधारित आवेदन तथा प्रभावी और सकारात्मक सेवाओं तथा कारोबार के लाभ के लिए विनिर्माण इकाइयों और शाखा कार्यालयों के बीच संयोजन स्थापित करना।

निदेशक मंडल ने समय-समय पर वित्तीय परिणामों पर लेखा परीक्षकों की सिफारिशों और इन सिफारिशों आदि पर प्रबंधन के उत्तर के आंतरिक नियंत्रण लेखा परीक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा की है।

कंपनी ने अपने संचालन के आकार, पैमाने और संकीर्णता के अनुरूप पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखी है और संगठन की विकास गति और संचालन की बढ़ती संकीर्णता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतियों, प्रथाओं और विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

43. ऊर्जा संरक्षण/ प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा कमाई और खर्च

क. ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम और इसका प्रभाव:

वर्ष 2022-23 में लागू प्रमुख ऊर्जा संरक्षण गतिविधियां/परियोजनाएं

- परंपरागत लाइटस का एलईडी लाइटस से प्रतिस्थापन: प्रतिवर्ष 6.78 लाख रुपए/वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत।
- पुराने एसी का नए 5 स्टार रेटिंग एसी से प्रतिस्थापन : प्रतिवर्ष 0.11 लाख रुपए/वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत।
- परंपरागत फैन का ऊर्जा बचत बीएलडीसी फैन से प्रतिस्थापन: प्रतिवर्ष 0.33 लाख रुपए/वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत।
- परंपरागत मोटर का ऊर्जा सक्षम आईई3 मोटर से प्रतिस्थापन: प्रतिवर्ष 0.43 लाख रुपए/वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत।
- टाउनशिप में ठेके मांग में कटौती : वार्षिक बचत 1.31 लाख रुपए/वर्ष

कंपनी ओपन एक्सेस पावर ट्रेडिंग का लाभ उठा रही है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के लिए बिजली लागत पर 59 लाख रुपए की बचत हुई है।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन:

- प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास: शून्य
- उससे प्राप्त फायदे जैसे उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या निर्यात पर्याय: शून्य
- आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): शून्य

(क) आयात की गई प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

(ख) आयात का वर्ष

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्णतः समावेशित की गयी है।

(घ) यदि पूर्णतः समावेशित नहीं की गई है तो वे क्षेत्र जहाँ समावेशन नहीं किया गया है और उसका कारण

iv. अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: शून्य

ग. विदेश विनिमय अर्जन और व्यय - शून्य

44. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास तथा कार्यान्वयन से संबंधित विवरण मुख्य आशंकाओं में सम्मिलित है:

- भीतरी/आयात से प्रतिस्पर्धा और इनपुट कीमतों में उतार-चढ़ाव
- उच्च इनपुट लागत
- उच्च उपयोगिता लागत
- उच्च ओवरहेड
- मुख्य उत्पादों फिनोल और एसिटोन के लिए एंटी-डॉपिंग समर्थन की निरंतर उपलब्धता
- सतत प्रचालन को प्रभावित करने वाली कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी
- उच्च ब्याज लागत और कर्मचारी पारिश्रमिक।

कुछ जोखिम और चिंताएं:

- प्रति टन तैयार माल का उच्च जनशक्ति लागत
- ह्रासित संयंत्र जिसको उच्च अनुरक्षण लागत की आवश्यकता है।
- मुख्य उत्पादों फिनोल और एसिटोन का पाटन (डॉपिंग)
- मुख्य निवेश बेंजीन में अस्थिरता
- अनुबंध (डाउनस्ट्रीम) कंपनियों पर कोविड-19 का प्रभाव।

45. सहायक कंपनियाँ, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ और संबद्ध कंपनियाँ जो बंद हो गई हैं या होनेवाली हैं

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने दिनांक 29-01-2020 की पत्र सं प 51015/06/2019-केमि के माध्यम से एचओसीएल की सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने का निर्देश संबंधी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय की जानकारी दी, जिसको शेयरधारकों द्वारा 30-03-2020 को अनुमोदित किया गया था।

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस से संबंधित खर्चों को पूरा करने और बैंक और अन्य देनदारियों के बकाया का निपटान करने के लिए भारत सरकार से ऋण के रूप में 75.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

46. जमाएँ : शून्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने या तो निदेशकों से या कंपनी के शेयरधारकों से कोई जमा राशियाँ आमंत्रित या स्वीकार नहीं किया है।

47. नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेशों का विवरण जो चल रही चिंता की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करते हैं :

शून्य

48. कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के अधीन प्रकटीकरण (प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार आपकी कंपनी ने महिलाओं के लिए पूर्वधारणा, लिंगभेद और यौन उत्पीड़न और भय के बिना स्वस्थ कार्यालयीन माहौल के लिए एक यौन उत्पीड़न नीति अपनायी है। प्रस्तुत नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। अधिनियम के अनुसार एक शिकायत समिति अस्तित्व में है। बोर्ड का कथन है कि कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसरण में कोई मामले या शिकायत दर्ज नहीं किया है।



वर्ष 2022 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013-:

प्राप्त शिकायतों की संख्या: शून्य

निपटाई गयी शिकायतों की संख्या: शून्य

90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या: शून्य

#### 49. सतर्कता प्रणाली : (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के तहत)

सरकारी कंपनी होने के कारण, हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में सीबीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक सतर्कता विभाग पहले ही विद्यमान है। इसलिए, सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता प्रणाली का संचालन किया जा रहा है और कंपनी ने सीबीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पहले से ही सतर्कता मैनुअल अपनाया है। सतर्कता मैनुअल कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

#### 50. सत्यनिष्ठा संधि

सबसे नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त व्यावसायिक वातावरण को बनाए रखने, बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के दो (2) नंबरों के माध्यम से एचओसीएल में पहले से ही लागू सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया।

कंपनी द्वारा अपनाई गई सत्यनिष्ठा समझौता नीति पचास लाख रुपये (निर्यात को छोड़कर) से अधिक अनुमानित मूल्य वाली सभी निविदाओं के संबंध में लागू है। आपकी कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर की संरचित बैठकें भी आयोजित की हैं। इंटीग्रिटी पैक्ट पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

#### 51. व्हिसल ब्लोअर नीति

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 22 के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनियां वास्तविक चिंताएं रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करेंगी। आपकी कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार सभी स्थायी कर्मचारियों को संरक्षित प्रकटीकरण करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है। इस नीति कर्मचारियों जो इस प्रणाली का लाभ उठाते हैं, को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का भी प्रावधान करती है। यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है और इस संबंध में वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को कंपनी की वेबसाइट में दिया गया है।

#### 52. सामान्य

निम्नलिखित मामलों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन वस्तुओं पर कोई लेनदेन नहीं किया गया था:

- डिविडेंड, वॉटिंग या अन्यथा के रूप में विभेदक अधिकार सहित इक्विटी शेयर जारी करना।
- किसी स्कीम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वेद इक्विटी शेयर सहित)।
- कंपनी के पास कर्मचारियों द्वारा या कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए धन के प्रावधान की कोई योजना नहीं है।
- न तो कंपनी के प्रबंध निदेशक और न ही पूर्णकालीन निदेशक इसके किसी सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करते हैं।
- ऊपर पिछले वर्ष के दौरान उल्लिखित को छोड़कर, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए जो संस्था की स्थिति और कंपनी की संचालन की स्थिति को प्रभावित करते हैं।

- लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत कोई कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू नहीं हुई है।

#### 53. आभार:

निदेशक मंडल कंपनी के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने प्रबंधन में विश्वास रखकर निरंतर समर्थन किया है।

निदेशक कंपनी के कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों और अन्य हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक रसायन एवं उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और केरल सरकार और अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशकों को कोविड-19 महामारी के कारण जीवन के नुकसान पर खेद है और इस महामारी से लड़ने के लिए अपने जीवन और सुरक्षा को जोखिम में डालने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए गहरा आभार और बहुत सम्मान है। निदेशक हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए योगदान की सराहना करते हैं और उसका सम्मान करता है।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा

हस्त/-

(सजीव बी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 08.08.2023

स्थान: कोची, केरल

**अनुबंध 1**

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 की अनुसूची V के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट**

**“दूरदर्शिता (विज्ञान)”**: बुनियादी रसायनों का उत्पादन और विपणन निपुणता से और आर्थिक रूप से पर्यावरण अनुकूल तरीके में करना।”

**“लक्ष्य (मिशन)”**: संसाधनों के उपयोग में दक्षता और उत्पादकता के इष्टतम स्तर को बनाए रखना और निवेश पर इष्टतम प्रतिलाभ प्राप्त करना।”

**1. अभिशासन के कोड पर सूचीबद्ध कंपनी के दर्शन का संक्षिप्त विवरण**

भारत सरकार द्वारा स्थापित अभिशासन कोड के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन में कंपनी के प्रबंधन, उसके निदेशक मंडल, उसके शेरधारकों तथा अन्य शेरधारियों के बीच संबंधों का एक समूह सम्मिलित है। कार्पोरेट अभिशासन एक ऐसी सैद्धांतिक प्रक्रिया तथा संरचना प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्य, उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपाय तथा कार्यनिष्पादन की देख-रेख करने की प्रणाली तैयार है। कार्पोरेट अभिशासन, प्रबंधन द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों का समुच्चय है जो कार्पोरेशन के वास्तविक स्वामी के रूप में शेरधारियों के अहस्तांतरणीय अधिकार है और शेरधारियों की ओर से एक न्यासी के रूप में अपना शासन है। यह मूल्य, नैतिक व्यापार आचरण और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी के प्रबंधन में वैयक्तिक तथा कार्पोरेट निधि के बीच अंतर/प्रतिष्ठा बनाए रखता है।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) अपने व्यापार गतिविधियों के आचरण पर विश्वास रखती है और कंपनी से जुड़े हुए सभी शेरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, विभिन्न राज्य सरकारों, अन्य सरकारी एजेंसियाँ /विभाग तथा व्यापक तौर पर समाज के मूल्य को बढ़ावा देती है। अनिवार्य रूप से इसमें अच्छे कार्पोरेट अभिशासन अमल करना शामिल है। एचओसीएल पारदर्शिता, जवाबदेही और उद्यम की समृद्धि में उच्चतम स्तर प्राप्त करने में विश्वास रखता है। एचओसीएल अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अपनी उत्पाद प्रतिबद्धता में सत्यनिष्ठा और मूल्य वर्धन सुनिश्चित करते हुए वैश्विक मान्यता में मोल लगाता है।

**2. निदेशक मंडल:****क) निदेशक मंडल का संयोजन और संवर्ग**

ई.जी. प्रमॉटर, कार्यपालक, गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र गैर-कार्यपालक, नामिती निदेशक - संस्थान प्रतिनिधि और ऋणदाता या इक्विटी निवेशक के रूप में):-

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या न तो तीन से कम होनी चाहिए और न ही पंद्रह से अधिक होनी चाहिए। निदेशकों को किसी प्रकार के अर्हता शैर्ष रखना अपेक्षित नहीं है।

31-03-2023 को एचओसीएल के निदेशक मंडल में छह (6) निदेशक हैं जिनमें दो (2) कार्यकारी निदेशक (यानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)), दो (2) सरकारी नामित निदेशकों और दो (2) गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। सभी को अपने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी पेशेवरों के रूप में स्वीकार किया गया है।

एचओसीएल भारत सरकार का एक उपक्रम (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यानि सीपीएसयू) है जो भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत है।

तदनुसार, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार पर निहित है। दिनांक 31.03.2023 को एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो (2) स्वतंत्र निदेशक हैं, यथा डॉ भरत जे कनाबर और श्री प्रत्युष मंडल और एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति संबंधी सरकार के आदेश की प्रतीक्षा की जाती है।

निदेशक मंडल के संयोजन:-

31-03-2023 को कंपनी के निदेशक मंडल में 6 निदेशक हैं अर्थात् श्री सजीव बी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला, निदेशक (वित्त), श्री संजय रस्तोगी, एस एंड एफए, सरकारी नामिती निदेशक, श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव, सरकारी नामिती निदेशक, डॉ भरत जे कनाबर, गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक और श्री प्रत्युष मंडल, गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक।

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में केवल दो (2) स्वतंत्र निदेशक हैं, जबकि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की न्यूनतम आवश्यकता तीन (3) संख्या है। तदनुसार, एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की रिक्ति है।

एक स्वतंत्र महिला निदेशक की रिक्ति संबंधी मामले पर चर्चा एचओसीएल के निदेशक मंडल की बैठक में की गयी और कंपनी ने एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए डीसीपीसी/प्रशासनिक से अनुरोध किया गया था। कंपनी के निदेशक मंडल में एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति की प्रतीक्षा की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल/केएमपी में परिवर्तन:

एलओडीआरआर के विनियम 36(3) के अनुपालन में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत किया जाता है:-

- भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग के दिनांक 22-06-2022 के आदेश सं पी. 51011/02/2020 केमि-III सीपीसी के अनुसार श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला को हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच साल तक की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या आगे अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो नियुक्त किया।
  - भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग के 14/10/2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 51015/12/2014-केमि-III-सीपीसी के अनुसार श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, अतिरिक्त प्रभार जेएस एंड एफए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में श्री सतेन्द्र सिंह के स्थान पर सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
  - भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग के 13/12/2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 51015/12/2014-केमि-III-सीपीसी के अनुसार श्री संजय रस्तोगी को श्री संजय पांडे के स्थान पर हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- ख) निदेशक मंडल की बैठकों में और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति;

निदेशक	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति
श्री सजीव बी	4	हाँ
श्री सतेन्द्र सिंह (14-10-2022 तक)	1	नहीं
श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	4	हाँ
डॉ भरत जे कनाबर	4	नहीं
श्री प्रत्युष मंडल	4	हाँ
श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला (04-07-2022 से)	3	हाँ
श्री संजय रस्तोगी (13.12.2022 से )	1	लागू नहीं

ग) 31.03.2023 को अन्य निदेशक मंडलों या समितियों की संख्या जिनमें निदेशक एक सदस्य या अध्यक्ष है:

शीर्षक (श्री./सुश्री)	निदेशक के संवर्ग का नाम (अध्यक्ष / कार्यकारी / गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र / नामिती)	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्था में निदेशकता की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था (सेबी एलओडीआरआर के विनियम 26(1)(ख) देखें) सहित लेखपरीक्षा/हितधारक समिति (यों) सदस्यता की संख्या
श्री.	सजीव बी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	1
श्री	योगेंद्र प्रसाद शुक्ला निदेशक (वित्त)	2	0
श्री	संजय रस्तोगी सरकार नामिती निदेशक	2	0
श्री	कनिष्क कान्त श्रीवास्तव सरकार नामिती निदेशक	1	0
डॉ	भरत जे कनाबर गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	2	4
श्री	प्रत्युष मंडल गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	1	2

निदेशक का नाम (31-03-2023 को)	इस सूचीबद्ध संस्था के अलावा, सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशकता का संवर्ग
श्री सजीव बी	हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड-नामिती निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला	हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड-नामिती निदेशक
श्री संजय रस्तोगी	राष्ट्रीय केमिकल्स लिमिटेड एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
श्री. कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	कुछ नहीं
डॉ भरत जे कनाबर	हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक
श्री प्रत्युष मंडल	कुछ नहीं

घ) वर्ष 2022-23 के दौरान सम्पन्न निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या और बोर्ड बैठक सम्पन्न होने की तारीख :-

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 4 बैठकें की जो निम्नानुसार है:

26 मई 2022, 04 अगस्त 2022, 09 नवंबर 2022 और 31 जनवरी 2023

ड़) निदेशको के बीच परस्पर संबंध का प्रकटीकरण :- लागू नहीं.

च) गैर सरकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या और परिवर्तनीय लिखत;- शून्य;

छ) वेब लिंक जहां स्वतंत्र निदेशको को दिये गए आपसी परिचय कार्यक्रमों के विवरण प्रकट किया गया है. -<https://www.hoclindia.com/corporate-governance>

ज) निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता दर्शानेवाले चार्ट या मेट्रिक्स :

i. अपने व्यवसाय(यों) और क्षेत्र(त्रों) के संदर्भ में प्रभावी संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेशक मंडल द्वारा पहचान किए गए मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की सूची और ऐसे गुण जो बोर्ड के साथ वास्तव में उपलब्ध ऐसे गुण है ; -

ii. निदेशकों के नाम जिन्हें इस प्रकार के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता है :-

निदेशक का नाम एवं पदनाम	शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव
श्री सजीव बी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	बी ई केमिकल। श्री सजीव बी को क्रय और भंडार के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर एंड सेफ्टी और इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी अनुभाग से संबंधित उपकरणों और पुर्जों की खरीद के अलावा सभी प्रमुख कच्चे मालों और ईंधनों की खरीदी के प्रभारी भी थे। आप ने निम्नलिखित कार्यात्मक क्षेत्रों में महाप्रबंधक और उच्च पद पर कार्य किया। विपणन, तैयार उत्पाद, निगमित दीर्घकालीन योजना, तकनीकी सेवाएं, उत्पादन और सामग्री
श्री संजय रस्तोगी, सरकार नामिती निदेशक	श्री संजय रस्तोगी उड़ीसा कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1991 बैच का अधिकारी हैं। आपने आईआईटी दिल्ली से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स में एम टेक किया है। आप वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।
श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव सरकार नामिती निदेशक	श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव का जन्म 14.11.1980 को हुआ था। आपको सांख्यिकी में मास्टर डिग्री है। आप नई दिल्ली में रहने वाले हैं। आपको सरकारी सेवाओं का अनुभव है। वर्तमान में आप रसायन और पेट्रोसायन विभाग में निदेशक (रसायन) हैं।
श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला - निदेशक (वित्त)	श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला को विज्ञान में स्नातक डिग्री है और पेशेवर रूप से एक लागत लेखाकार हैं। इससे पहले, आप उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित एनटीपीसी लिमिटेड के 1,760 मेगावाट टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के वित्त विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। आपने प्रतिष्ठित संस्थानों से कई प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। आपको 22 वर्षों से अधिक का समृद्ध पेशेवर अनुभव है, जिसमें बीईएमएल और एनटीपीसी जैसे संगठनों में वित्त और लेखा कार्यों के संपूर्ण क्षेत्र का व्यापक अनुभव शामिल है।
डॉ भरत जे कनाबर स्वतंत्र निदेशक	डॉ भरत जे कनाबर गुजरात के मूल निवासी हैं। आपका जन्म 06.07.1955 में हुआ था। डॉ भरत जे कनाबर, परामर्शी सर्जन हैं, गुजरात के अमरेली में 37 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप 2006 से अमरेली रेड-क्रॉस ब्लड बैंक के अध्यक्ष हैं। आप कई गैर-सरकारी संगठनों में सक्रिय हैं। आपने कोविड की दोनों लहरों के दौरान जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए व्यापक रूप से काम किया है।
श्री प्रत्युष मंडल स्वतंत्र निदेशक	श्री प्रत्युष मंडल पश्चिम बंगाल के हावड़ा के मूल निवासी हैं। आप का जन्म 05.07.1979 में हुआ था। श्री प्रत्युष मंडल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री पूरी की है। शिक्षा पूरी करने के बाद आप ने शेयर बाजार क्षेत्र में नौकरी के साथ करियर की शुरुआत की। शेयर बाजार में पांच साल काम करने के बाद आप सामाजिक कार्यों में चले गए हैं। आपने फुलेश्वर अन्नपूर्णा ग्रामीण विकास केंद्र (सरकार पंजीकृत) नामक एनजीओ की स्थापना की है और इसके और अन्य संगठनों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्य कर रहे हैं। श्री प्रत्युष मंडल दस वर्षों से भी अधिक समय से कमजोर, युवा, महिलाओं और समाज के पिछड़ा वर्ग की बेहदारी और विकास के लिए समाज सेवा में समर्पित है।

ज) निदेशक मंडल पुष्टि करते हैं कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं-

झ) एक स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफे के विस्तृत कारण जो अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा दे देते हैं और ऐसे निदेशक द्वारा पुष्टि की जाती है कि प्रदान किए गए के अलावा कोई अन्य भौतिक कार्य कारण नहीं हैं।

लागू नहीं है

3) लेखा परीक्षा समिति :

(क) संयोजन, सदस्यों तथा अध्यक्ष का नाम;

लेखापरीक्षा समिति में तीन (3) सदस्य हैं यथा अध्यक्ष के रूप में डॉ भरत जे कनाबर, लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में श्री प्रत्युष मंडल और श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव।

(ख) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण:-

लेखापरीक्षा समिति का मुख्य उद्देश्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रणाली की चूक प्रदान करना और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 18 के अधीन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निर्धारित ऐसे अन्य कार्यों की समीक्षा करना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सूचीबद्ध विनियमों और अन्य लागू प्रावधानों के कॉर्पोरेट प्रशासन पर विनियमों में प्रदान किए गए सभी मामलों के अलावा, बोर्ड/समिति (जब मिले) ने आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की, सांविधिक लेखा परीक्षकों से समय-समय पर मुलाकात की और उनके निष्कर्षों पर चर्चा की, सुझाव, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा मानकों का अनुपालन, लेखापरीक्षा का दायरा, संशोधित राय, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा योग्यताओं का प्रभाव, लेखापरीक्षकों की योग्यताओं के प्रबंधन के उत्तर, लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों आदि और अन्य संबंधित मामले पर चर्चा की।

बोर्ड/समिति (जब मिले) ने कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमुख लेखा नीतियों की भी समीक्षा की। बैठकों के दौरान बोर्ड/समिति ने सीएमडी, अन्य निदेशकों, सीएफओ और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों जैसा कि वह अपनी बैठकों में उचित समझे, को भी आमंत्रित किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख विशेष आमंत्रित के रूप में बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। बैठक में भाग लेने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों/शाखा लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

(ग) बैठकें और उपस्थिति: वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की चार बैठक निम्नलिखित तारीखों में सम्पन्न हुईं:

26 मई 2022, 04 अगस्त 2022, 9 नवंबर 2022 और 31 जनवरी 2023 को।

सदस्य	उपस्थित लेखापरीक्षा समितियों की बैठक
1. डॉ भरत जे कनाबर	4
2. श्री प्रत्युष मंडल	4
3. श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	4

4) नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

(क) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 19 प्रावधानों के अनुसरण में नामांकन और पारिश्रमिक समिति (समिति) की भूमिका, विचारार्थ विषय और कर्तव्यों में अन्यो के साथ निम्नलिखित शामिल होगा :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत:

क. उन व्यक्तियों जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं या जिन्हें वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, की पहचान करना, निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना और प्रत्येक निदेशक के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा;

ख. निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना;

ग. निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 19 के अनुसार:

1. निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

2. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;

3. निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;

4. निर्धारित मानदंडों के अनुसार उन व्यक्तियों जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं या जिन्हें वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;

5. स्वतंत्र निदेशकों की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का कार्यकाल को क्या बढ़ाया जाना या जारी रखना है;”

इसके अलावा, शेयरधारकों के सवालों के उत्तर देने के लिए समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि, प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, यह निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर है। आगे, समिति की बैठकों में निर्दिष्ट संख्या (कोरम) 1/3 या 2 निदेशक जो भी अधिक हो, होंगे और समिति की बैठक कम से कम वर्ष में दो बार (अर्ध वार्षिक) या इस तरह के अंतराल पर जो सदस्य आपस में निर्णय लेने के बाद, की जाएगी। समिति की बैठकों से संबंधित अन्य प्रावधानों के संबंध में, कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के तहत दिए गए समान प्रावधान लागू होंगे।

हालांकि, एचओसीएल एक सीपीएसई कंपनी होने के कारण, नामांकन और पारिश्रमिक मामलों से संबंधित सभी मुद्दों के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों का भी पालन किया जा रहा है।

(ख) संयोजन, सदस्य तथा अध्यक्ष का नाम;

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	डॉ भरत जे कनाबर	अध्यक्ष
2	श्री प्रत्युष मंडल	सदस्य
3	श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	सदस्य

(ग) वर्ष के दौरान बैठक और उपस्थिति:

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति ने 29 मार्च 2023 को बैठक की।

सदस्य	उपस्थित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों की संख्या
डॉ भरत जे कनाबर	1
श्री प्रत्युष मंडल	1
श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	1

(घ) स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड - विवरण समिति के विचारार्थ विषय में दिए गए हैं।

लागू नहीं। एचओसीएल एक सरकारी पीएसयू है, सभी निदेशक मंडल की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन केंद्र सरकार या मंत्रालय के विभाग जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी होता है, द्वारा किया जाता है।

**5) हितधारकों के संबंध की समिति:**

- (क) समिति का नेतृत्व करने वाले गैर-कार्यकारी निदेशक का नाम - श्री प्रत्युष मंडल
  - (ख) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम - श्री सुब्रमण्यन एच, कंपनी सचिव
  - (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शेरधारकों की शिकायतों की संख्या - तीन (3)
  - (घ) शेरधारकों की संतुष्टि के अनुसार हल नहीं की गई शिकायतों की संख्या - शून्य
  - (ङ) लंबित शिकायतों की संख्या - शून्य
- 5 क. जोखिम प्रबंधन समिति: लागू नहीं

**5 ख. वरिष्ठ प्रबंधन:**

पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण नीचे दिया गया है

क्रमांक	नाम	पदनाम	परिवर्तन यदि कोई हो पिछले वि.व. समाप्ति
1.	श्री एल षानिल लाल	कार्यपालक निदेशक एवं इकाई प्रभारी	लागू नहीं
2.	श्री रविदेव एन वी	मुख्य महा प्रबन्धक (मानव संसाधन )	30.05.2023 को सेवानिवृत्त हुए
3.	श्री टी पी सच्चिदानंदन	मुख्य महा प्रबन्धक	30.05.2023 को सेवानिवृत्त हुए
4.	श्री पी रविकुमार	मुख्य महा प्रबन्धक (उत्पादन/टीएसएस/परियोजना )	लागू नहीं
5.	श्री एम जे जगदीश	मुख्य महा प्रबन्धक (इंजीनियरिंग/मानव संसाधन) फैक्टरी प्रबन्धक	लागू नहीं
6.	श्रीमती डी सिंधु	महा प्रबन्धक (एफ एंडएस/क्यूसी/एमएसएस)	लागू नहीं
7.	श्री मोहनूदीन शाइक	महा प्रबन्धक (कॉर्पोरेट)	लागू नहीं
8.	श्री टी के राजू	महा प्रबन्धक (इन्स्ट्रुमेंटेशन)	लागू नहीं
9.	श्री बी बालचन्द्रन	महा प्रबन्धक (सामग्री)	लागू नहीं
10.	श्री पी एच जुबैर	महा प्रबन्धक (विपणन /ए. फपीएस)	लागू नहीं
11.	श्री आर राजेश	महा प्रबन्धक (टीएसएस/उत्पादन /सिविल)	लागू नहीं
12.	श्री प्रकाश बी सिगाड़ी	महा प्रबन्धक (विद्युत)	लागू नहीं
13.	श्री मंगेश एम शाहसने	महा प्रबन्धक (यांत्रिक/यूटिलिटीस)	लागू नहीं
14.	श्री सुरेन्द्र के मिथरवाल	उप महा प्रबन्धक (वित्त)	लागू नहीं
15.	श्री सुब्रमण्यन	कंपनी सचिव	लागू नहीं

**6) निदेशकों के पारिश्रमिक:**

- (क) सूचीबद्ध इकाई की तुलना में गैर-कार्यकारी निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेन-देन वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किए जाएंगे; - गैर-कार्यकारी निदेशकों को

केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। बैठक शुल्क के भुगतान से संबंधित आवश्यक खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में किया जाता है।

- (ख) गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड। वैकल्पिक रूप से, यह सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट पर और उसके संबंध में संदर्भ वार्षिक रिपोर्ट में प्रसारित किया जा सकता है, - बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल बैठक शुल्क का भुगतान गैर- कार्यकारी निदेशकों को की जा रही है।
- (ग) पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे: - हाँ
  - i. प्रत्येक निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्वों को वेतन, लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन इत्यादि जैसे प्रमुख समूहों के तहत सारांश दिया गया.;

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:**

क्रम सं	निदेशक का नाम	परिलब्धियों सहित वेतन राशि रु. (लाख में)	बैठक शुल्क राशि रु. (लाख में)	कुल राशि रु. (लाख में)
1.	श्री सजीव , सीएमडी	41.36	--	41.36
2.	श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला, निदेशक (वित्त) (04.07.2022 से)			24.58
3.	श्री सतेन्द्र सिंह , एएस एवं ए. फए सरकार नामिती निदेशक(14-10-2022 तक)	लागू नहीं	--	शून्य
4.	श्री संजय रस्तोगी , एएस एवं एफए सरकार नामिती निदेशक(13-12-2022 से)	लागू नहीं	--	शून्य
5.	श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव सरकार नामिती निदेशक	लागू नहीं	--	शून्य
6.	डॉ भरत जे कनाबर, स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	1.10	1.10
7.	श्री प्रत्युष मंडल, स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	1.10	1.10

- ii नियत घटक और निष्पादन मानदंड सहित निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के विवरण - कुछ नहीं/शून्य
  - कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया है।
  - गैर-कार्यकारी निदेशक: कंपनी बोर्ड/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने गैर- कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।
- iii सेवा करार, सूचना अवधि और सर्वरिस शुल्क : -
  - कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु पूरा करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। इस अवधि के दौरान भी दोनों पदों की ओर से या तो तीन महीने का नोटिस देकर या उसके बदले तीन महीने का भुगतान करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।
- iv स्टॉक विकल्प संबंधी सूचना यदि कोई हो तो और क्या बट्टे दर पर जारी किए गए हैं साथ ही साथ अवधि जिस पर प्रोद्भूत है और जिस पर प्रयोग करने लायक



है- शून्य

7. वार्षिक आम बैठक:

क) आयोजित की गई कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के स्थान और समय;

विवरण	वि.वर्ष 2019-2020	वि.वर्ष 2020-2021	वि.वर्ष 2021-2022
दिनांक तथा	28-09-2020	29-09-2021	29-09-2022
समय	दोपहर 2.00	दोपहर 3.00	दोपहर 2.00
स्थान	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से

ख) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है - हाँ

ग) क्या पिछले वर्ष/वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था- नहीं

घ) वह व्यक्ति जिसने डाक मतपत्र का प्रयोग किया - लागू नहीं

ङ) क्या कोई विशेष प्रस्ताव डाक मतपत्र के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव है- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई नहीं

च) डाक मतपत्र की प्रक्रिया - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागू नहीं

8. संचार का साधन:

(क) तिमाही वित्तीय परिणाम;

तिमाही, छमाही तथा वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है और लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशक मंडल वित्तीय परिणामों का अनुमोदन करते हैं। उसके बाद इसको बीएसई पोर्टल के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज को नियतसमय पर भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ख) समाचार पत्रों जहाँ वित्तीय परिणाम साधारणतः प्रकाशित किया जाता है;

स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्ध विनियम की आवश्यकताओं के अनुसार ये परिणाम क्षेत्रीय भाषा (नवशक्ति/मुंबई लक्षद्वीप) तथा अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक (द फ़िनानशियल एक्सप्रेस) में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ग) वेबसाइट, कोई जहाँ प्रदर्शित किया जाता है;

कंपनी द्वारा तिमाही, छमाही और वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम नियमित रूप से अपनी वेबसाइट [www.hocindia.com](http://www.hocindia.com) प्रदर्शित किया जाता है

(घ) क्या सरकारी समाचार प्रकाशनों में भी इसको प्रकाशित किया जाता है? - नहीं

(ङ) संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को प्रस्तुति की जाती है - नहीं। -

9. सामान्य शेयरधारकों की सूचना:

(क) कंपनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) - तारीख, समय और स्थान;

स्थान एवं समय: 26 सितंबर, 2023 दोपहर 3.30 बजे

स्थान : वीडियो कॉन्फ्रेंस- वर्चुअल एजीएम- अध्यक्ष, कंपनी सचिव, वेबलिक के लिए मॉडरेटर आदि - एचओसीएल, कोची फ़ैक्टरी सम्मेलन कक्ष, अंबलमुगल डाक एरणाकुलम जिला, केरल - 682302

(ख) वित्तीय वर्ष;

कंपनी अप्रैल से मार्च अपना वित्तीय वर्ष मानती है।

(ग) लाभांश भुगतान तिथि - लागू नहीं है, पिछले वर्षों के दौरान लगातार हानि के कारण साथ ही पिछले वर्षों के संचित नुकसान आगे ले जाने को ध्यान में रखकर निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

(घ) प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता जिस पर सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क के भुगतान के बारे में पुष्टि की जाए :

कंपनी के शेयर बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड डब्ल्यूएसई में सूचीबद्ध है। वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क के लिए 3,44,500/- की राशि का भुगतान मई, 2023 में स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को आरटीजीएस के माध्यम से किया गया था और इसका विधिवत अनुपालन किया गया था।

(ङ) स्टॉक/ स्क्रिप्ट कूड: बीएसई पर स्टॉक कोड: 500449

एनएसडीएल एंड सीडीएसएल पर एचओसीएल इक्विटी शेयर का आईएसआईएन: INE048A01011

(च) बाजार मूल्य आंकड़े - पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) के प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न (बीएसई में)

माह	मासिक उच्चतम	मासिक निम्नतम
अप्रैल, 2022	33.75	27.95
मई, 2022	32.45	26.40
जून, 2022	33.30	25.00
जुलाई, 2022	31.30	27.10
अगस्त, 2022	32.50	29.05
सितम्बर, 2022	33.10	27.10
अक्तूबर, 2022	29.80	27.05
नवंबर, 2022	32.00	27.00
दिसंबर, 2022	34.80	28.40
जनवरी, 2023	33.85	27.85
फरवरी, 2023	30.90	25.75
मार्च, 2023	27.90	20.65

(छ) विविध सूचकांकों जैसे बीएसई सेसेक्स, क्रिसिल सूचकांक आदि की तुलना में निष्पादन;- शून्य

(ज) यदि व्यापार से प्रतिभूतियों को प्रतिबंधित किया गया है तो निदेशक रिपोर्ट इस संबंध में कारण बताएँगे - लागू नहीं

(झ) रजिस्ट्रार निर्गम के लिए तथा शेयर अंतरण एजेंट;

मेसेर्स बिगशेयर सेर्विसेस प्राइव् लिमिटेड

कार्यालय सं एस-6, छठा तल, पिनाक्वल बिज़नेस पार्क, अहुरा सेंटर के आगे, महाकाली कैवस रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400093

(झ) शेयर अंतरण प्रणाली;

कंपनी की शेयर अंतरण समिति को कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (जैसे आरआरटीए (वैध अंतरण इत्यादि दस्तावेज) से जब कभी प्राप्त होने पर प्रतिभूतियों को अंतरित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। डिमटेरियलाइज्ड शेयर सीधे जमाकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों को अंतरित कर दिए जाते हैं।

शेयरधारकों और निवेशकों के साथ सभी पत्राचार कंपनी की आरटीए द्वारा कंपनी की तरफ से किया जाता है।

कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी अंतरण निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए अनुमोदित हैं और इस तंत्र के लिए कंपनी सचिव (अनुपालन अधिकारी) और कंपनी के आरटीए को सभी आवश्यक शक्तियों और प्राधिकारियों के साथ सौंपा गया है, ताकि वे सभी शेयर/बॉन्ड से संबंधित कार्यों सभी गतिविधियों को पूरा कर सकें। अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के विचार से, समिति नियमित रूप से बैठकें करती है और आरटीए से मांगों के आधार पर शेयरों से संबंधित सभी मामलों को यथा हस्तांतरण, हटाने, संचरण, डिमटेरियलाइजेशन और रिमटेरियलाइजेशन का अनुमोदन करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डीमैट के लिए कोई शिकायतें और अनुरोध लंबित नहीं थे।

समिति को शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण को विशेष रूप से ध्यान में रखने के लिए आवश्यक शक्तियों और प्राधिकार प्राप्त है, जिन्हें कंपनी के आरटीए द्वारा उचित रूप से प्रबंधन और निपटाया जा रहा है।

निवेशकों से प्राप्त पत्रों का निवेशकों की संतुष्टि में उत्तर दिया गया या समाधान या गया। शेयरों का अंतरण निर्धारित समय के भीतर व्यवहार में लाया गया था।

(ट) दिनांक 31-03-2023 को शेयरधारिता का वितरण

नामिक शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर राशि	कुल का प्रतिशत	
₹	₹		₹		
1	5000	42904	88.50	59137660	8.80
5001	10000	2731	5.63	23332120	3.47
10001	20000	1393	2.87	21820490	3.24
20001	30000	476	0.98	12353120	1.83
30001	40000	219	0.45	8082720	1.20
40001	50000	225	0.46	10842710	1.61
50001	100000	301	0.62	22717460	3.38
100001	999999999999999	230	0.47	513444720	76.43
<b>कुल</b>		<b>48479</b>	<b>100.00</b>	<b>671731000</b>	<b>100</b>

(ठ) शेयरों का डिमटेरियलीकरण और चलनिधि:- एचओसीएल इक्विटी शेयर आईएसआईएन:

**आईएनई 048A01011**

कंपनी के शेयरों का व्यापार अनिवार्य रूप से डिमटेरियलीकृत मोड में किया जाता है। शेयरधारकों को शेयरों को डिमटेरियलीकृत करने में सुविधा देने के लिए, कंपनी ने दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 31 मार्च, 2023 को कंपनी की शेयर पूंजी का 97.09% डिमटेरियलीकरण किया गया है (एनएसडीएल-16.81%) और सीडीएसएल-80.27%) - डिमटेरियलीकृत कुल खाते 33,198 है जिसमें 6,52,16,166 शेयर शामिल हैं

(ड) बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या किसी भी परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव; - शून्य / कोई नहीं।

(ढ) कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियों; - शून्य / कोई नहीं

(ण) संयंत्र स्थान:-

क्रमांक	स्थान	मुख्य उत्पाद
1.	अंबलमुगल, कोची, केरल	फिनोल कॉम्प्लेक्स

(प) पत्राचार के लिए पता: -

i. पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय: अंबलमुगल पी ओ, एरणाकुलम जिला केरल -682302

\* एचओसीएल को कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के माननीय क्षेत्रीय निदेशक से दिनांक 12 मई, 2023 के आदेश संख्या आरडी/सेक्शन 13/एसआरएन एए1573411/705 प्राप्त हुआ है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को महाराष्ट्र राज्य से केरल राज्य में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है। तदनुसार, 12 मई, 2023 से कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अंबलमुगल पीओ, कोची, केरल में स्थित है।

ii. आर एंड टी एजेंट का पता:

मेसेर्स बिगशेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

कार्यालय सं एस-6, छठा तल, पिनाक्ल बिज़नेस पार्क, अहुरा केंद्र के आगे, महाकाली कैवस रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400093, महाराष्ट्र.

(फ) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संशोधन के साथ-साथ कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची, इस तरह की इकाई के सभी कर्ज़ लिखत या किसी भी मियादी जमा कार्यक्रम या किसी भी योजना या भारत में या विदेश में निधि जुटाने में शामिल सूचीबद्ध कंपनी के प्रस्ताव लागू नहीं।

10. अन्य प्रकटीकरण:

क) कोई सार्थक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी कारोबार पर प्रकटीकरण जिसमें कंपनी के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो : कोई नहीं

ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा गैर- अनुपालन के विवरण, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर सूचीबद्ध कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज (जो) या बोर्ड या किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड, कटुआलोचना के विवरण; - कोई नहीं। क्योंकि एक्सचेंजों (बीएसई) को समय समय पर उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।

ग) सतर्क तंत्र - सचेतक (व्हिसिल ब्लोअर) नीति:

कंपनी ने शिकायतों की प्राप्ति, प्रतिधारण और उसके निपटान के लिए कार्यप्रणाली स्थापित की है।

आपकी कंपनी ने धोखाधड़ी रोकथाम नीति स्थापित की है। नीति के अनुपालन की ओर, कंपनी ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। धोखाधड़ी की रोकथाम नीति को इसके लिए बनाई गयी है कि धोखाधड़ी पता लगाने और उसके रोकथाम करने, संदिग्ध और पायी गयी किसी भी धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग या धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में निपटने के लिए एक प्रणाली प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग नहीं मिली थी।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी में अधिक पारदर्शिता, अखंडता और दक्षता लाने के लिए सतर्कता विभाग (सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार) है। सतर्कता विभाग का ध्यान निवारक और सहभागिता सतर्कता पर केन्द्रित है।

सतर्क प्रणाली ब्लोअर पॉलिसी नीति की स्थापना के विवरण और पुष्टि कि किसी भी कर्मियों को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से इंकार कर दिया गया है; हाँ - सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट [www.hoclindia.com/corporate-governance](http://www.hoclindia.com/corporate-governance) पर भी विवरण दिए गए हैं। लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच से किसी का इनकार नहीं किया है।

घ) अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने संबंधी

विवरण;- कंपनी ने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार निदेशक मंडल में एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता को छोड़कर सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

ड) वेब लिंक जहाँ “महत्वपूर्ण” सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति प्रकट किया गया है; -

<https://www.hoclindia.com/corporate-governance>

च) वेब लिंक जहाँ संबंधित पार्टि लेनदेन से क्रय-विक्रय की नीति है;

<https://www.hoclindia.com/corporate-governance>

छ) कमोडिटी मूल्य जोखिमों और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का खुलासा: लागू नहीं

ज) विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग का विवरण - लागू नहीं

झ) पेशेवर कंपनी सचिव का एक प्रमाण पत्र कि बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय या किसी भी ऐसे वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है- प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

ञ) जहाँ बोर्ड ने प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की किसी भी समिति की कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की है, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है, उसी के कारणों के साथ उसका खुलासा किया जाना चाहिए: - कोई नहीं

निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

ट) सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म / नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं के लिए समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और इनकी सहायक कंपनियों द्वारा सभी सेवाओं के लिए भुगतान किए गए कुल शुल्क जिनमें से एक सांविधिक लेखापरीक्षक एक हिस्सा है- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षकों के भुगतान किए गए कुल शुल्क का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है।

ठ) कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासा:

क. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या- शून्य

ख. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या- शून्य

ग. वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या- शून्य

ड) सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा फर्मों/कंपनियों को दिए गए ऋण की

प्रकृति में ‘ऋण और अग्रिम’ का खुलासा, जिसमें निदेशक नाम और राशि के अनुसार रुचि रखते हैं,

सहायक कंपनी का नाम	ऋण की राशि रुपए लाख में (31.03.2023 को)
हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड	4214.87

ढ) सूचीबद्ध इकाई की भौतिक सहायक कंपनियों का विवरण; जिसमें निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का नाम और तारीख शामिल है

कंपनी की एक(1) सहायक कंपनी है; हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)। एचएफएल की स्थापना 14 जुलाई 1983 को हुई थी। एचएफएल का पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने दिनांक 26-08-2022 के पत्र द्वारा किया था। मेसेर्स निरंजन और नारायण को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एचएफएल के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है

11. उपरोक्त उप-पैरा (2) से (10) की निगमित अभिशासन रिपोर्ट की किसी भी अपेक्षा का गैर-अनुपालन को इसके कारणों के साथ प्रकट किया जाएगा।

31-03-2023 के अनुसार निदेशक मण्डल और कंपनी में स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर बोर्ड की संरचना, अन्य प्रासंगिक और लागू अनुपालनों इत्यादि के संबंध में सभी लागू अनुपालन पूरा किए गए। एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति है। केंद्र सरकार के पीएसयू होने के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति मंत्रालय द्वारा की जानी है। तदनुसार, कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय से एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध किया है और कंपनी एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक (1) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति संबंधी आवश्यक सरकारी आदेशों की प्रतीक्षा कर रही है।

12. निगमित अभिशासन रिपोर्ट भी उस सीमा तक प्रकट की जाएगी, जिस पर अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को अपनाया गया है -

अनुसूची II के भाग ई में निर्दिष्ट अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:

#### क. बोर्ड

एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के लिए हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति भी दे सकता है। - एचओसीएल के संबंध में सरकार ने कंपनी के अध्यक्ष/अध्यक्ष को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

#### (ख) शेयरधारकों का अधिकार.

पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों के घर भेजी जा सकती है। छ:माही वित्तीय निष्पादन एचओसीएल की वेबसाइट पर दिया गया है और उक्त को बीएसई भी प्रस्तुत किया है।

#### (ग) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय

सूचीबद्ध कंपनी वित्तीय विवरणों के एक नियम के लिए अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय के साथ आगे बढ़ सकती है.-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षकों ने अपने अपरिवर्तित राय दी है

#### (घ) अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए अलग-अलग पद

इस तथ्य को ध्यान में रखकर कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति करने का अधिकार भारत सरकार/भारत के राष्ट्रपति में निहित है, एचओसीएल के मामले में सरकार ने कार्यपालक व्यक्ति को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

#### (ङ) आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग

आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है.- हाँ।

13. विनियमन 17 से 27 तक और सूचीबद्ध विनियमन के विनियम 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (ख) से (झ) तक के अधीन निर्धारित निगमित अभिशासन अपेक्षाओं के अनुपालन का खुलासा।

यह एतद्वारा पुष्ट और घोषित की जाती है कि कंपनी ने विनियमन 17 से 27 तक और सूचीबद्ध विनियमन के विनियमन 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (ख) से (झ) तक के अधीन अपेक्षित पर्याप्त प्रकटीकरण किया है।

घ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा में कहा गया है कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कंपनी ने (2007 से) कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे) पर लागू आचार और नैतिकता संहिता को अपनाया है। संहिता में निदेशकों और कर्मचारियों से ईमानदारी, निष्कलता, नैतिक

रूप से और पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक को वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करना आवश्यक है। संहिता कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित है - <https://www.hocliindia.com/corporate-governance>. निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता का अनुपालन किया है और उनके द्वारा इस आशय की पुष्टि की गई है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा नीचे दी गई है:

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 26(3) की आवश्यकता के अनुरूप, बोर्ड के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने पुष्टि की है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 'निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए "आचार संहिता" के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हस्त/-

स्थान: कोची

सजीव बी

दिनांक : 01.04.2023

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ड. कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों या कार्यरत कंपनी सचिवों से अनुपालन प्रमाणपत्र निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा प्रदान किया गया अनुपालन प्रमाणपत्र निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा बनता है।

च. डीमैट निलंबित खाते/दावा न किए गए निलंबित खाते के संबंध में प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागू नहीं

छ. सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का खुलासा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागू नहीं।

14. अदावी शेरों के विवरण : शून्य

15. साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट :

निदेशक मंडल ने सर्वश्री डी एस मोमाया एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को वर्ष 2022-23 के लिए साचिविक लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न किया है और कंपनी अधिनियम की धारा 204 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के साथ अनुपालन किया है, लेखापरीक्षक की टिप्पणी (यदि कोई हो तो) इस निदेशक की रिपोर्ट के अनुबद्ध का हिस्सा बनता है। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्री डी एस मोमाया एंड कंपनी से वार्षिक साचिविक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त किया है।

16. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें कंपनी के समग्र प्रचालन और वित्तीय स्थिति शामिल है।

17. बही बंद तारीख:

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेर अंतरण बही 26 सितंबर 2023 को प्रस्तावित कंपनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के उद्देश्य हेतु 20 सितंबर 2023 से 26 सितंबर 2023 तक (दोनों दिन मिलाकर) को बंद रहेगी।

18. घटनाओं या सूचना के महत्व निर्धारित करने के लिए नीति

कंपनी ने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 की शर्तों में घटनाओं या सूचना के महत्व निर्धारित करने की नीति अपनायी है।

प्रस्तुत नीति कंपनी की वेबसाइट [www.hocliindia.in/corporate-governance](http://www.hocliindia.in/corporate-governance) में प्रदर्शित किया गया है।

19. सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन. सीपीएसई होने के कारण कंपनी (एचओसीएल) को डीपीई के निगमित अभिशासन संबंधी तैयार दिशानिर्देशों का अनुपालन अपेक्षित है।

त्रैमासिक और वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को आगे प्रस्तुत करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन पर एचओसीएल का कुल स्कोर 89/100 है और वित्त वर्ष 2022-23 का लागू ग्रेड "उत्कृष्ट" है।

20. व्यापक आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन:

अवधि	सेसेक्स	बीएसई-सीपीएसई इंडेक्स	एचओसीएल मूल्य रु.(बीएसई)
मार्च 2022	59,099.75	1,641.40	35.25
मार्च 2023	59,973.00	1,600.00	29.14

21. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 29 मार्च, 2023 को कार्यपालक निदेशकों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आयोजित की गई। स्वतंत्र निदेशकों ने प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता के संबंध में समग्र संतुष्टि व्यक्त की।

22. शेर अंतरण समिति (सूचीबद्ध विनियम के विनियम 40 के अधीन गठित):

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 40 के अधीन उल्लेखितानुसार शेरों का भौतिक अंतरण और अन्य लेन-देन को अनुमोदित करना।

(क) समिति का नेतृत्व करने वाले निदेशक का नाम - श्री सजीव बी, सीएमडी अध्यक्ष के रूप में (कार्यस्थल पर निदेशकों की आसन उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, सभी बॉण्ड/ शेरधारकों/ निवेशकों या तो हस्तांतरण/शिकायतों से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से देख-रेख करने के लिए प्रत्येक पखवाड़े में/ मासिक रूप से आवश्यक एसटीसी बैठकों को आयोजित करना। यह सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के निगमित अभिशासन के मानदंडों के अनुपालन में और एक्सचेंजों के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण के लिए है।)

(ख) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:-

श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और समिति के सदस्य और सचिव के रूप में कार्य करता है।

शेर/बॉन्ड्स अंतरण प्रणाली:

कंपनी की शेर अंतरण समिति को कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (जैसे आरआरटीए, वैध अंतरण इत्यादि दस्तावेज) से जब कभी प्राप्त होने पर प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। डिमटरीयलाइज्ड शेर सीधे जमाकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।

शेरधारकों और निवेशकों के साथ सभी पत्राचार कंपनी की आरटीए द्वारा कंपनी की तरफ से किया जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 40 के अनुसार कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी अंतरण निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए अनुमोदित हैं। इस तंत्र के लिए, कंपनी सचिव (अनुपालन अधिकारी) और कंपनी के आरटीए को सभी आवश्यक शक्तियों और प्राधिकारियों के साथ यह सौंपा गया है, ताकि वे सभी शेर/बॉन्ड से संबंधित कार्यों सभी गतिविधियों को पूरा कर सकें। अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के विचार से, समिति नियमित रूप से

बैठकें करती है और शेयरों से संबंधित सभी मामलों को यथा अंतरण, हटाने, संचरण और आरटीए से मांगों के आधार पर शेयरों का रिमटेरियलाइजेशन का अनुमोदन करती है। निवेशकों से प्राप्त पत्रों का निवेशकों की संतुष्टि में उत्तर दिया गया या समाधान किया गया। शेयरों का अंतरण निर्धारित समय के भीतर व्यवहार में लाया गया था।

31 मार्च 2023 को लंबित शेयर अंतरणों के मामले शून्य है (जैसाकि आरटीए ने पुष्टि की है)।

### 23. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं निरंतरता विकास समिति: (लागू नहीं)

सीएसआर और स्थिरता विकास समिति वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एचओसीएल के लिए लागू नहीं है। हालाँकि, बोर्ड ने सीएसआर समिति का गठन किया है जिसमें तीन (3) निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं; अध्यक्ष के रूप में, श्री प्रत्यूष मंडल, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में डॉ. भरत जे. कनाबर, स्वतंत्र निदेशक और श्री सजीव बी., सीएमडी एक अन्य सदस्य के रूप में साथ ही साथ कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। उक्त सीएसआर समिति के विचारार्थ विषय में, अन्य बातों के अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत नियम 2014 के साथ-साथ अनुसूची VII आदि के अनुसार है।

### 24. 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीईओ/सीएफओ का प्रमाणीकरण.

यह प्रमाणित किया जाता है:

क. वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार संशोधित किया है:

- 1) इन विवरणों में कोई खास असत्य विवरण नहीं है और कोई खास वस्तु स्थिति छुपाई नहीं गई है या ऐसे विवरण शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
- 2) यह विवरण कंपनी के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति दर्शाती है और वर्तमान लेखा मानकों, लागू कानूनों तथा नियमों के अनुरूप हैं.

ख. हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई कारोबार नहीं किया गया है जिसमें धोखाधड़ी हो, गैर कानूनी हो या कंपनी के आचरण नियमों का भंग होता है।

ग. वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह है कि उन्होंने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सूचीबद्ध कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावीकरण का मूल्यांकन किया है और उन्होंने लेखापरीक्षकों तथा लेखा समिति के आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन तथा परिचालन में अंतर यदि हो तो के बारे में प्रकटीकरण किया है जिसके बारे में उन्हें जानकारी है तथा उसे दूर करने के लिए उठाए गए कदम या इस अंतर के दूर करने के लिए दिये गए प्रस्ताव का प्रकटीकरण किया है.

घ. उन्होंने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को सूचित किया है: -

- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- (2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया गया।
- (3) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले जो उनके सामने आए हैं और उनमें सम्मिलित, यदि हो तो प्रबंधन या कर्मचारी जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

स्थान : कोची, केरल

दिनांक: 31.03.2023

हस्त/-

योगेंद्र प्रसाद शुक्ला  
निदेशक (वित्त) एवं  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्त/-

सजीव बी  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

### 25. भेदिया व्यापार की रोकथाम:

कंपनी ने कंपनी के निदेशकों और नामित कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इनसाइडर व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता अपनायी है। कोड में कंपनी के शेयरों में क्रय-विक्रय के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है और कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी रखने में और व्यापार विडो बंद होने की अवधि के दौरान निदेशकों और नामित कर्मचारियों द्वारा कंपनी के शेयरों की खरीद या बिक्री पर रोक लगाती है। कंपनी के कंपनी सचिव संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। सभी बोर्ड निदेशकों और नामित कर्मचारियों ने कोड के अनुपालन की पुष्टि की है।

### 26. लेखांकन उपचार का प्रकटीकरण:

वित्तीय विवरण निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में कोई वैकल्पिक उपाय नहीं किया गया है।

### 27. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाता है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनती है।

कृते हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड.,

हस्ता/-

(श्री सुब्रमणियन एच)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 08.08.2023

स्थान: कोची, केरल

**अनुबंध II**

**अनुबंध III**

**फॉर्म एओसी - I**

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ित धारा 129 की उपधारा(3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

**सहायक/अनुबंधी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण**

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में सूचना रूपए लाख में राशि के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

रूपए लाख में

1. क्रम सं	1
2. सहायक कंपनी का नाम	हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड.
3. संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो:	नहीं
4. विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर:	लागू नहीं
5. शेयर पूंजी :	1961.46
6. आरक्षित एवं अधिशेष (अन्य इक्विटी)	(10,353.79)
7. कुल परिसंपत्तियाँ:	6544.19
8. कुल देयताएं :	14936.52
9. निवेश:	शून्य
10. कुल बिक्री (जीएसटी छोड़कर)	0
11. कराधान पूर्व लाभ:	(511.31)
12. कराधान के लिए प्रावधान :	शून्य
13. कराधान पश्चात लाभ:	(511.31)
14. कुल समग्र आय	(511.31)
15. प्रस्तावित लाभांश:	शून्य
16. शेयरधारिता का %:	56.43

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्त/-

दिनांक: 08.08.2023

सजीव बी

स्थान: कोची, केरल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**प्रपत्र संख्या एओसी-2**

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ निश्चित लेन-देन शामिल हैं:

1. संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन का व्योरा जो स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर नहीं है:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन नहीं किया गया था जो स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर नहीं थे।

2. सामग्री संविदाओं या व्यवस्था या लेन-देन का स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर विवरण:

वर्ष के लिए सामग्री संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन का स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर विवरण

संबंधित पार्टि का नाम और संबंधिता का स्वरूप	अनुबंधों या व्यवस्था या लेन-देन का स्वरूप	अनुबंधों या व्यवस्था या लेन-देन की अवधि	मूल्य सहित विशेष शर्तें यदि कोई हो तो (रु लाख में)	बोर्ड अनुमोदन की तिथि यदि कोई हो तो	अग्रिम के रूप में दी गई राशि यदि कोई हो तो
हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड- सहायक कंपनी	ऋण पर व्याज	-	63.62	-	-
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी	कच्चे सामग्रियों की खरीदी	-	37,659.45	-	-
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी	तैयार सामग्रियों की बिक्री	-	43.00	-	-
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी	कच्चे सामग्रियों की खरीदी	-	6130.67	-	-
मंगलूर रिफ़ाइनरि एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	कच्चे सामग्रियों की खरीदी	-	5496.25	-	-

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्त/-

दिनांक: 08.08.2023

सजीव बी

स्थान: कोची, केरल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



## अनुबंध -IV

## प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड(एचओसीएल) का प्रबंधन कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा दृष्टिकोण से युक्त अपनी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट में वर्तमान माहौल पर आधारित व्यापार संभावनाएँ और परिदृश्य तथा अप्रत्याशित एवं अनियंत्रित बाह्य घटकों के दौरान कंपनी के परिचालन के लिए रणनीतिपरक विकल्प शामिल हैं।

एचओसीएल कोची यूनिट को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त है जिसमें आईएसओ 9001-2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001-2018 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 45001-2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) शामिल है। यह प्रमाणीकरण 19/11/2023 तक वैध है। एचओसीएल आईएसओ 50001 को लागू करने की प्रक्रिया में है। एचओसीएल के सभी उत्पाद बीआईएस द्वारा प्रमाणित हैं।

## 1. उद्योग संरचना और विकास

भारत सरकार रसायन उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और समग्र अर्थव्यवस्था में विनिर्माण हिस्सेदारी में सुधार पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2033-34 के लिए रसायनों और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए इसका विज्ञान धरेलू उत्पादन बढ़ाने, आयात निर्भरता कम करना और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर जोर देता है।

आगे चलकर, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी के साथ मजबूत वृद्धि की संभावना दोगुनी होने की संभावना है जो अगले दशक में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के है, जो भारतीय रासायनिक कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर पैदा करता है। कृषि, उपभोक्ता और खुदरा, अवसंरचना, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अंतिम-उपयोग के क्षेत्र और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में रसायनों में वृद्धिशील मांग का 50% बढ़ा सकते हैं।

कुल मिलाकर उद्योग के लिए भविष्य का दृष्टिकोण आशावादी दिखता है और कंपनी के संचालन में अधिक दक्षता के साथ सदस्यों के ओवरटाइम का मूल्य सृजन के लिए आपकी कंपनी प्रतिबद्ध है।

## 2. मुख्य अवसरें निम्न हैं :

मुख्य उत्पादों (फिनोल और एसीटोन) के क्षमता उपयोग में पुनर्गठन के बाद काफी सुधार हुआ है। यह मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी की बेहतर स्थिति के कारण था। पुनर्गठन प्रक्रिया की शुरुआत के बाद, कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार और ब्याज व्यय में कमी के कारण परिचालन हानि कम हो गई है।

## 3. मुख्य आशंकाएं निम्न हैं :

एचओसीएल की केवल एक इकाई केरल राज्य के एरणाकुलम जिले के अंबलमुगल में स्थित है, जो वर्तमान में कार्यरत है। कोची इकाई फिनोल, एसीटोन और हाइड्रोजन परोक्साइड के निर्माण में लगी हुई है। कोची में मुख्य उत्पादों के बाजार में उच्च स्तर की अस्थिरता थी और यह काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय कीमतों द्वारा निर्धारित किया गया था। कार्यशील पूंजी की गंभीर कमी के कारण, इकाई अक्सर अपनी क्षमता से कम काम करती थी। निजी क्षेत्र के व्यापारियों के साथ गंभीर प्रतिस्पर्धा है, जो यूनिट के 40,000 मीट्रिक टन के मुकाबले 2 लाख मीट्रिक टन फिनोल तक की क्षमता स्थापित की है। एंटी डम्पिंग शुल्क के बिना, आयात के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में एचओएल कोची इकाई असमर्थ रहेगी। कोची इकाई की अपनी अंतर्निहित कमियां हैं जैसे कि पुरानी तकनीक के कारण उत्पादकता हानि, उच्च स्तर की निश्चित लागत जो संचालन के निचले पैमाने, क्षमता विस्तार में बाधाएं, उत्पाद विविधीकरण की अनुपस्थिति, बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी, आदि के कारण अवशोषित नहीं हो रही है।

कंपनी के उत्पाद जैसे फिनोल, एसीटोन और हाइड्रोजन परोक्साइड जो कई उत्पाद खरीदने वाले प्रमुख ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। आपकी कंपनी के उत्पादक विभिन्न प्रकार के अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों जैसे ड्राई और पिगमेंट, एग्रोकैमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की जरूरतों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इससे संगठन को नए ग्राहक प्राप्त करने और उनकी विभिन्न मांगों को पूरा करने में सहायता मिलती है।

## 4. खंडवार (सिगमेंटवाइस) कार्य निष्पादन

कंपनी मुख्यतः रसायनों के विनिर्माण और बिक्री का व्यापार करती है।

उत्पाद खंड	31/03/2023 को समाप्त वर्ष			31/3/2022 को समाप्त वर्ष		
	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत
	मि.ट.	मि.ट.	प्राप्त	मि.ट.	मि.ट.	प्राप्त
रसायन	69308	70979	102.41%	60070	48866	81.35%

## 5. उत्पाद वार कार्यनिष्पादन (मुख्य उत्पादों के उत्पादन)

क्रमांक.	उत्पाद का नाम	वि.व. 2022-23		वि.व. 2021-22
		स्थापित क्षमता	वास्तविक	वास्तविक
1.	फिनोल	40000	24745	35825
2.	एसिटोन	24640	15560	22504
3.	एच2ओ2	10450	8561	3515
	कुल	75090	70979	48866

## 6. अगले वर्ष के लिए दृष्टिकोण

- वित्तीय देनदारियों को कम करने के लिए भूमि की बिक्री की प्रक्रिया को तेज करना ताकि वित्तीय लागत को कम किया जा सके।
- आपकी कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य से केरल राज्य में जहां इसकी एकमात्र इकाई स्थित है, अंतरित करने के लिए नियामक अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। इससे आपकी कंपनी की परिचालन लागत कम होने और आपकी कंपनी के मामलों और व्यवसाय संचालन पर शीर्ष प्रबंधन की प्रत्यक्ष निगरानी के कारण प्रदर्शन बढ़ने का अनुमान है।
- उत्पादकता में सुधार के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी में अपग्रेड करना।
- अधिकतम संभव सीमा तक मूल्य वर्धित उत्पादों में विविधीकरण का पता लगाना ताकि बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के खिलाफ कुछ स्तर की सुरक्षा हासिल की जा सके।
- आपकी कंपनी सतर्क रहेगी और उद्योग परिदृश्य में तीव्र परिवर्तन के परिणामस्वरूप आने वाले अवसरों का लाभ उठाएगी

## 7. कुछ जोखिम और चिंता.

- उत्पाद विविधीकरण या डाउन स्ट्रीम मूल्यवर्धन में कमी।
- मुख्य उत्पाद फिनोल और एसिटोन के सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा।
- कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के आधार पर कच्चे माल फीड स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव।
- कम मूल्य पर आयातित तैयार माल की उपलब्धता के कारण उपभोक्ताओं पर कच्चे माल की बढ़ती लागत लगाने की असमर्थता।
- पुराने संयंत्रों में सुधार / प्रतिस्थापन / आधुनिकीकरण के लिए भारी निवेश की आवश्यकता।
- महाराष्ट्र सरकार से एनओसी प्राप्त होने के बाद एनबीसीसी के माध्यम से रसायनी/पनवेल के ऋणभार मुक्त शेष भूमि की बिक्री।
- कोची में संयंत्रों के निरंतर प्रचालन के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी की उपलब्धता।

## 8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रणों को समर्थन आंतरिक लेखापरीक्षा तथा प्रबंधन समीक्षा से मिलता है। कंपनी विविध स्तर के कार्यपालकों द्वारा दस्तावेजी नीति तथा कार्यपद्धति अपनाने के माध्यम से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण रखना सुनिश्चित करती है। प्रबंधन इन मामलों में गहरी दिलचस्पी रखता है तथा आइटी संरचना को अद्यतन करने, टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन, वेब पर आधारित आवेदन तथा विनिर्माण इकाइयों और शाखा कार्यालयों के बीच प्रभावी और अनुकूल सेवाएँ तथा कारोबार फायदों के लिए संयोजकता स्थापित करने के विविध तरीके अपनाएँ हैं।

प्रणालियों में सुधार लाने और बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, सिस्टम की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रिया नियमावली में संशोधन किया जाता है। एचओसीएल कोची इकाई को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त है, जिसमें आईएसओ 9001-2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001-2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) शामिल हैं। आईएसओ 9001 का प्रमाणीकरण की वैधता 1 सितंबर, 2020 तक और आईएसओ 14001-2015 की 07 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गयी है। वैद्यता आगे बढ़ाने की लेखापरीक्षा प्रगति पर है।

आपकी कंपनी के पास कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना है जो इसके संचालन को नियंत्रित करती है और प्रबंधन टीम ठोस वित्तीय नीतियों के साथ-साथ प्रक्रियाओं और प्रणालियों का पालन करती है।

#### 9. वित्तीय कार्यनिष्पादन की समीक्षा:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखों के अनुसार, आपकी कंपनी ने चौथी तिमाही के दौरान 2.32 करोड़ रुपए का शुद्ध हानि अर्जित की और वर्ष 2022-23 के लिए 50.22 करोड़ रुपए (कर पूर्व) का शुद्ध हानि अर्जित की है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपागत शुद्ध घाटा 26.19 करोड़ रुपए है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2022-23 के लिए ईबीआईटी (ब्याज और कर पूर्व अर्जन) 16.06 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2022-23 के दौरान फिनोल संयंत्र की क्षमता उपयोगिता 93% है जो पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान 62% रही। वर्ष 2022-23 के दौरान हाइड्रोजन पेट्रोऑक्साइड संयंत्र का प्रचालन 99% क्षमता किया गया जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 82% रही थी।

#### 10. सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी के मुख्य कारोबार क्षेत्र में प्रभावी सूचना प्रणालियाँ हैं। हालांकि, कंपनी ने प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों तथा प्रत्येक कारोबार की आवश्यकता के अनुरूप अभिनव सेवाएँ प्रदान करने की सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की तरीका को ध्यान में रखते हुए बदलती मांग और चुनौतियों का सामना करने के लिए योजना की परिकल्पना की है। कंपनी ने एसएपी प्रणाली को लागत प्रभावी और कंपनी की आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए नया टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर लागू किया है।

प्रबंधन हमेशा परिवर्तित प्रौद्योगिकीय वातावरण में डाटा सुरक्षा, उपलब्ध सूचना, पारदर्शिता तथा परिशुद्धता जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास सुनिश्चित करते हैं। आईटी नीतियों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आईटी बुनियादी ढांचे का सीईआरटी-एन पैनलबद्ध ऑडिट प्राधिकरण द्वारा ऑडिट किया जाता है। कंपनी नैशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा प्रदान की जा रही खुली निविदा (ओपन टेंडरिंग)/ ई-निविदा उपाय (ई-टेंडरिंग सोलुशन) का प्रयोग करती है। कंपनी ने खरीद के लिए जेम सरकार प्लेटफॉर्म और एमएसएमई को भुगतान के लिए ट्रेड के साथ पंजीकृत किया है। कंपनी एमएसएमई के माध्यम से खरीद के विभिन्न दिशानिर्देशों का भी पालन कर रही है।

#### 11. सावधानी विवरण

इस प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण विवरण में वर्णित कंपनी के उद्देश्य, पूर्वानुमान, आकलन तथा अपेक्षाएँ लागू कानून तथा विनियमों के भीतर प्रगामी विवरण हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अभिव्यक्त या विवक्षित से काफी हद तक या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करनेवाली महत्वपूर्ण बातों में रसायन उद्योगों में झुकता हुआ रुख जो भूमंडलीय तथा स्वदेशी दोनों में, भारत में राजनैतिक तथा आर्थिक-पर्यावरण क्षेत्र में या विदेशों के मुख्य बाजारों में, कर नियमों, मुकदमेबाजी, जनशक्ति खर्च, विनियम दरों में उतार चढ़ाव, ब्याज या अन्य लागतों में महत्वपूर्ण बदलाव सम्मिलित है।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-

दिनांक : 08.08.2023

(सजीव बी)

स्थान : कोची, केरल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

#### निगमित अभिशासन के शर्तों का अनुपालन संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्य,

401,402,403, चौथा तल, वी टाइम स्क्वेयर प्लॉट नं. 3

सेक्टर 15, सीबीडी बेलपुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र 400614

1. हम डी.एस. मोमाया एंड कंपनी एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचिबद्ध विनियमन") के अधीन कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन प्रमाणन के उद्देश्य से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (CIN: L99999MH1960GOI011895) ("कंपनी") के संगत अभिलेखों की जांच की। हमने प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए सभी जानकारी और स्पष्टीकरण, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे प्राप्त किया।

2. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच केवल अपनाई गई प्रक्रिया और कार्यान्वयन प्रक्रिया तक ही सीमित थी। कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

3. कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रावधानों और अन्य इस संबंध अन्य लागू विनियमों का अनुपालन और साचिविक अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

3. साचिविक अभिलेखों की अंतर्वस्तुओं की सच्चाई के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। प्रस्तुत सत्यापन नमूना जांच के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करें।

4. हमारी परीक्षा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन प्रक्रिया की जांच करने तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों/अभिलेखों पर राय की अभिव्यक्ति।

#### राय

5. हमें उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान सूचिबद्ध विनियमों के विनियम 17 से 27 तक और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (I) और अनुसूची 3 के पैरा सी और डी में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

(I) कंपनी के निदेशक मंडल को सूचिबद्ध विनियमों की विनियम 17(1)(क) और विनियम 17(1)(ख) की आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत गठित नहीं किया गया है। कंपनी को कार्यपालक और गैर कार्यपालक निदेशकों जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक हो, का उपयुक्त संयोजन नहीं है। कंपनी में एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जानी है।

(II) कंपनी सूचिबद्ध विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(सी) का उचित अनुपालन नहीं कर रही है, क्योंकि लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं और कम से कम एक सदस्य को लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता होना है।

6. कंपनी, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय में निहित है और ऐसी नियुक्ति के बारे में निर्देशों की प्रतीक्षा है और कंपनी ने अपने बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध करते हुए संबंधित मंत्रालय को कई पत्र भेजे हैं।



7. यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

डी.एस.मोमाया एंड कंपनी के लिए  
कंपनी सचिव

सी एस दिव्या मोमाया

स्थान : नवी मुंबई

साझेदार

दिनांक 24/07/2023

डीपीआईएन : 00365757

यूडीआईएन : एफ007195ई000567315

एसीएस सं.: 7195, सीपी सं 7885

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाण पत्र।

सेवा में,

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्य

हमने भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2010 की दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (CIN: L99999MH1960GOI011895) के अनुपालन की जांच की है।

दशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2010 के दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन निम्न को छोड़कर किया है -

- खंड 1.1.1 - कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यात्मक, नामांकित और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन शामिल नहीं था क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में 1 (एक) स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त था;
- खंड 1.2.2 - कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अधिकतम संख्या शामिल नहीं थी क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में 1 (एक) स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त था;
- खंड 1.7.1 - कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई जोखिम प्रबंधन योजना नहीं है क्योंकि सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार विनियम 21 कंपनी पर लागू नहीं होता है;
- खंड 1.7.2 - कंपनी के निदेशक मंडल ने समय-समय पर किसी भी जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा नहीं की क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान वहां कोई अनुमोदित जोखिम प्रबंधन योजना नहीं थी और न ही सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार विनियम 21 कंपनी पर लागू नहीं है।
- खंड 2.1.4 - कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में वित्तीय रूप से साक्षर सदस्य शामिल नहीं थे। साथ ही, समिति के किसी भी सदस्य के पास लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता नहीं है;

जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति और शर्तों के संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी ने अपने बोर्ड में एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए संबंधित मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया था। हालांकि, ऐसी नियुक्ति का अभी भी इंतजार है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही इसकी दक्षता और प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

डी.एस.मोमाया एंड कंपनी के लिए  
कंपनी सचिव

सी एस दिव्या मोमाया

स्थान : नवी मुंबई

साझेदार

दिनांक 24/07/2023

डीपीआईएन : 00365757

यूडीआईएन : एफ007195ई000567315

एसीएस सं.: 7195, सीपी सं 7885

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,

निदेशक मंडल

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

401, 402, 403, चौथी मंजिल, वी-टाइम्स स्क्वायर प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 15, सीबीडी बेलपुर, नवी मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र 400614 भारत

हमने हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (CIN: L99999MH1960GOI011895) जिसका पंजीकृत कार्यालय 401,402,403, चौथी मंजिल, वी टाइम्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 15 सीबीडी बेलपुर, नवी मुंबई ठाणे महाराष्ट्र 400614 भारत (बाद में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) में है, से प्राप्त संगत रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन जो प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, की जांच की है। यह भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) जिसे अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10(i) के साथ पढ़ा जाए के अनुसार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सत्यापन (पोर्टल [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) के अनुसार जैसा कि आवश्यक समझा गया और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें स्पष्टीकरण दिया गया। हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड में नीचे बताए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय या ऐसा कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रमांक	डीआईएन	निदेशक का नाम	कंपनी में नियुक्ति की तारीख
1.	09344438	सजीव भास्करन	06/09/2021
2.	09461918	प्रत्युष मंडल	24/12/2021
3.	09466694	भरत कुमार जसवंतराय कनाबर	24/12/2021
4.	09699641	कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	30/03/2022
5.	09674122	योगेंद्र प्रसाद शुक्ला	04/07/2022
6.	07722405	संजय रस्तोगी	13/12/2022

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

डी.एस.मोमाया एंड कंपनी एलएलपी के लिए  
कंपनी सचिव  
एफआरएनएल2022एमएच012300

स्थान : नवी मुंबई  
दिनांक 30/05/2023  
यूडीआईएन: F007195E000427285

सी एस दिव्या मोमाया  
नामित साझेदार  
एफसीएस सं 7195/सीपी सं 7885

### फॉर्म नं.एमआर-3

### साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

#### 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 24ए के अनुसरण में )

सेवा में,

सदस्य,

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

सीआईएन : L99999MH1960GOI011895

401, 402 एवं 403, 4<sup>थी</sup> तल, वी-टाइम्स स्क्वायर,

प्लॉट सं.3,सेक्टर-15, सीबीडी, बेलपुर,

नवी मुंबई - ठाणे 400614

हमने हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (CIN: L99999MH1960GOI011895) (इसके पश्चात जिसे कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट पद्धति के अवलंबन की साचिविक लेखापरीक्षा की है। साचिविक लेखा परीक्षा इस तरीके से किया गया था कि कॉर्पोरेट आचरण/कानूनी अनुपालनों तथा उसपर हमारी राय व्यक्त करने के लिए मूल्यांकन के लिए उचित आधार प्रदान किया जा सके।

हम नोट करते हैं कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने 29 जनवरी, 2020 की पत्र सं 51015/06/2019/सीएच.III के माध्यम से कंपनी की सहायक कंपनी हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने का निर्देश दिया है।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तक, फॉर्म और फाइल किए गए रिटर्न और दस्तावेजों की स्कैन की गयी प्रतियाँ, प्रदान किए गए साक्ष्यों की प्रस्तुति और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड पर हमारी जाँच और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट्स तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा साचिविक लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी के अनुसार हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि कवर करते हुए लेखापरीक्षा के दौरान यहाँ नीचे दी गयी सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुसरण किया है और कंपनी के पास निदेशक मंडल की प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली उस हद तक उस ढंग से उपलब्ध है तथा इसके पश्चात् रिपोर्ट की गई है।

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड द्वारा रखे गए लेखा बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तक, प्रपत्र तथा फाइल किए गए रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड्स की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम:
- द डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 तथा विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपविधि:
- विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की हद तक उसके

अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम - समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं।

- सिक्विरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम तथा दिशा निर्देश
  - सिक्विरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सबस्टेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेक ओवर्स) विनियमन, 2011
  - द सिक्विरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (आंतरिक ट्रेडिंग की मनाई) विनियमन, 2015
  - द सिक्विरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (पूँजी जारी करना तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2009 (10 नवंबर 2018 तक) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम 2018 (पूँजी निर्गत और प्रकटन अपेक्षाएँ) (11 नवंबर 2018 से प्रभावी) - समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट योग्य कोई घटना नहीं है। इसलिए लागू नहीं हैं।
  - द सिक्विरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (शेयर पर आधारित कर्मचारी फायदा) विनियमन, 2014 - लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कथित को शेयर के किसी प्रकार के प्रस्ताव नहीं किया है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम तथा सूचीबद्ध) विनियमन 2008 - समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के ऋण प्रतिभूतियाँ जारी और सूचीबद्ध नहीं किया है इसलिए लागू नहीं है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियमन 1993 जो कंपनी अधिनियम और ग्राहक से लेन-देन संबंधी है- कंपनी के लिए लागू नहीं है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिंग) विनियमन 2009- समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिंग नहीं किया, और
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियमन 1998 (10 सितंबर 2018 तक) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) विनियमन, 2018 (11 सितंबर 2018 से प्रभावी) - समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद नहीं की है।
  - प्रबंधन ने सूचित किया है कि कानून जो खासकर कंपनी पर लागू है वे निम्न प्रकार हैं:
  - पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम 2002
  - खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण तथा आयात (संशोधन) नियम, 2000
  - खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रहस्तन तथा ट्रांस बाउंडरी) नियम 2008
  - ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952
  - खतरनाक मशीन (विनियम) अधिनियम, 1983
  - केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन दिशा-निर्देश 2010
  - फैक्टरिस अधिनियम 1948
  - कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम 2013
- हमने निम्नलिखित लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जाँच की है:
- इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साचिविक मानक
  - सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 और बीएसई लिमिटेड के साथ किया गया कंपनी द्वारा किए गए सूचीबद्ध करार।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त उल्लेखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय/ कंपनी रजिस्ट्रार या अन्य लागू नियमों के अधीन अन्य अधिकारियों के साथ निर्धारित समय पर प्रपत्र और विवरणी दाखिल की है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया था क्योंकि कंपनी के पास अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, क्योंकि रिक्ति के कारण मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 21 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गया है। यह देखा गया कि 01-04-2022 से 23-12-2023 तक की समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक के पद रिक्त था। कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में निदेशकों / स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जानी है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय से कंपनी द्वारा अनुरोध भी किया गया है हालांकि, मंत्रालय अभी तक अपेक्षित स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना की अन्य परिवर्तन जो छह (6) निदेशकों की आवश्यकता के अनुपालन के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान यह लिया गया है। क्योंकि कंपनी 2000 कंपनियों के भीतर है, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुपालन में किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने संरचित डिजिटल डेटाबेस (इसके बाद "एसडीडी" या "डेटाबेस" के रूप में संदर्भित) बनाए रखा है, लेकिन टाइम स्टैमिंग, ऑडिट ट्रेल्स और डेटा की गैर-छेड़छाड़ के संबंध में पीआईटी विनियम 2015 के विनियमन 3(5) और 3(6) के तहत आवश्यक है, स्थापित नहीं किया जा सका।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने पंजीकृत कार्यालय को महाराष्ट्र राज्य से केरल राज्य में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया है, जिसे कंपनी की 61वीं वार्षिक आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया था। पंजीकृत कार्यालय को महाराष्ट्र राज्य से केरल राज्य में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को कंपनी का प्रशासनिक मंत्रालय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है; यह आवेदन संबंधित अधिकारियों को दिया गया है और यह अभी भी प्रक्रियाधीन है। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत प्रासंगिक नियमों और विनियमों के तहत लागू सभी अनुपालनों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

आगे, बोर्ड की बैठकों के आयोजन के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजी जाती थी, और बैठक की कार्यसूची के मद्देन पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत से निर्णय लिया जाता है और असंतोषित व्यक्त करनेवाले सदस्यों के विचारों लेते हुए कार्यवृत्त में दर्ज किए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों का रखरखाव की समीक्षा इस लेखा परीक्षा में नहीं की गयी है क्योंकि जिसकी समीक्षा वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षकों, सीएजी लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों और नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी ने समिति की सभी बैठकों के अनुपालन का अनुपालन किया है और कानून के तहत वर्ष के दौरान समिति की सभी बैठकों विधिवत आयोजित की गईं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ लागू विभिन्न खुलासे दायर किए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर और कंपनी सचिव/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र (पत्रों) के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया है, हमारी राय ये हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और कार्यविधियाँ हैं जो कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं:

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान

- (i) ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें उपरोक्त निर्दिष्ट कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख मामले हैं,
- (ii) वर्ष के दौरान, निम्नलिखित कोई अन्य घटनाएँ नहीं थी:
- (क) शेरों/डिबेंचर/ स्वेट आदि के सार्वजनिक/ अधिकार/अधिमन्य जारी
- (ख) प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी खरीद-
- (ग) विलयन / समामेलन / पुनर्निर्माण, आदि।
- (घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

प्रस्तुत रिपोर्ट को हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए जो इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

डी.एस.मोमाया एंड कंपनी एलएलपी के लिए  
कंपनी सचिव  
एफआरएन सं एल2022एमएच012300

स्थान : नवी मुंबई  
दिनांक 30/05/2023  
यूडीआईएन: एफ007195ई000426812

सी एस दिव्या मोमाया  
साझेदार  
एफसीएस सं 7195/सीपी सं 7885

#### साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

सेवा में

सदस्य

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

#### प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय रिकॉर्ड बनाए रखे, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

#### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालन के संबंध में इन सचिवीय अभिलेखों, मानकों और कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना है।
3. हम विश्वास रखते हैं कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।
4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

#### अस्वीकरण

5. साचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

डी.एस.मोमाया एंड कंपनी एलएलपी के लिए  
कंपनी सचिव  
एफआरएन सं एल2022एमएच012300

स्थान : नवी मुंबई  
दिनांक 30/05/2023  
यूडीआईएन: एफ007195ई000426812

सी एस दिव्या मोमाया  
साझेदार  
एफसीएस सं 7195/सीपी सं 7885



वित्तीय विवरण  
और  
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट  
2022-23

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए,

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

## राय

1. हम ने हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (सीआईएन: L99999MH1960GOI011895) ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें

(क) 31 मार्च 2023 को स्टैंडअलोन तुलन-पत्र

(ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का स्टैंडअलोन विवरण (अन्य व्यापक आय सहित)

(ग) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के स्टैंडअलोन विवरण

(घ) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण और

(ङ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य स्पष्टीकरण जानकारीयों

2. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अधिनियम में आवश्यक सूचना यथा अपेक्षित रूप में देते हैं और 31 मार्च 2023 को कंपनी के मामले में भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च 2023 को अपने लाभ और कुल समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन और इनके नकदी प्रवाह का सच्चे और सही रूप दिए जाते हैं।

## राय का आधार

3. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियाँ को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे कहा गया है। हम इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप साथ ही साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं कंपनी का स्वतंत्र है और हमने इन आचार संहिताओं और आईसीएआई के आचार संहिताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

## वर्तमान चिन्ता

4. वर्ष के दौरान कंपनी ने 4239.63 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 1015.89 लाख) की अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध हानि और कंपनी को रु.1,07,078.48 लाख (पिछले वर्ष रु.1,02,056.08 लाख) का नुकसान की सूचना दी है। आगे, कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक है जो रु.95,512.95 लाख (पिछले वर्ष रु.90,490.55 लाख) है जिसमें "अन्य समग्र आय" शामिल नहीं है पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए घाटे के कारण पूंजी क्षरण का परिणाम है

हालाँकि, हमें सूचित किया गया है कि, कंपनी, भारत सरकार की मंजूरी के साथ, रसायनी, मुंबई में अपनी घाटे में चल रही इकाई को विनिवेश करने और बेचने की प्रक्रिया में है, जिसमें इकाई के स्वामित्व वाली 551.172 एकड़ भूमि सहित 99,219.74 लाख रुपए की वहन राशि वाली संपत्ति शामिल है। इस प्रक्रिया से कंपनी के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित करने की उम्मीद है। इसके

अलावा, जैसा कि कंपनी ने वित्तीय विवरण के नोट सं 45 में बताया है, हम कोची के विनिर्माण इकाई के हुई वृद्धि प्रदर्शन के संबंध में ध्यान आकर्षित करते हैं।

उपरोक्त के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

## मामले पर जोर

5. हम चालू वर्ष की तिमाही 2 के लिए कंपनी द्वारा प्रकाशित अंतरिम वित्तीय परिणामों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें पिछले वर्षों में बनाए गए 'वैधानिक दायित्व के लिए प्रावधान' का राइट-बैक शामिल है, जो कि रु 530.58 लाख, जिसे 'अन्य आय' के तहत रिपोर्ट किया गया था। हालाँकि, आगे की चर्चाओं के आधार पर, प्रबंधन ने तिमाही 4 में उक्त दायित्व को बहाल कर दिया और तदनुसार, इस तरह के पुनर्कथन के प्रभाव को उक्त तिमाही के लिए 'अन्य आय' के तहत रिपोर्ट किया गया। चूँकि राइट बैक के साथ-साथ इसकी बहाली चालू वर्ष में ही हुई, इसलिए चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है।

उपरोक्त के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

## मुख्य लेखापरीक्षा मामले

6. मुख्य लेखापरीक्षा मामले इसप्रकार के मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामले का समाधान समग्र रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में किए गए और उसपर हमारी राय निरूपण तैयार करती है और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रकट नहीं करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे संबोधित किया।

क्रम सं	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1	<p>सहायक कंपनी में निवेश</p> <p>हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड ("एचएफएल") कंपनी की एक सहायक कंपनी है, जिसमें कंपनी रु.1,106 लाख के निवेश के माध्यम से 56.43% इक्विटी शेयर रखता है, जिसे वित्तीय संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है</p> <p>प्रारंभिक मान्यता के बाद, एचएफएल में किए गए निवेश का मापन अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। इंड एस 107/9 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय संपत्ति का उचित मूल्य का निर्धारण हर साल किया जाना है और तदनुसार, वहन राशि पुनः बताई जानी चाहिए। तदनुसार उसी को मुख्य लेखापरीक्षा मामले माना गया है।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ निम्नलिखित के लिए शामिल थीं और सीमित नहीं थीं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बीएसई पर कारोबार किए जा रहे एचएफएल के उद्भूत शेयरों की मात्रा के संबंध में बाजार अनुसंधान किया।</li> <li>एचएफएल को बंद करने के लिए सीसीईए के दिनांकित 29.01.2020 के निर्णय के आलोक में एचएफएल के संचालन की भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन किया।</li> <li>एचएफएल के वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन यह सत्यापित करने के लिए किया कि वित्तीय विवरण में दिखाए गए संपत्ति बिक्री के लिए रखी गई है, क्या उसमें कंपनी का निवेश की सीमा तक इसका दायित्व से अधिक है</li> </ol>



क्रम सं	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
2	<p><b>वस्तुसूची का मूल्यांकन</b></p> <p>एलपीजी, बेंजीन और रसायन आधारित वस्तुसूची कंपनी की वस्तुसूची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है जिनमें से कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है और दूसरे देशों की कीमतों, निर्णयों और स्थितियों पर निर्भर करता है वस्तुसूची का मूल्य कच्चे माल, कार्य प्रगति पर एवं भंडार को छोड़कर कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर लगाया जाता है।</p> <p>लेखापरीक्षा मुख्य रूप से लागत के सत्यापन और उपरोक्त के निवल वसूली योग्य मूल्य पर केंद्रित थी।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ निम्नलिखित के लिए: शामिल थीं और सीमित नहीं थीं</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कंपनी द्वारा उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर से डेटा की समीक्षा करना जैसे संयंत्र संचालन के लिए वितरित नियंत्रण प्रणाली जैसी कंपनी, संयंत्र की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र पीएलसी, कच्चे माल, तैयार उत्पादों का स्टॉक और विभिन्न मध्यवर्ती उत्पादों के बारे में विस्तृत आंकड़ों के लिए साथ ही विविध अलार्म, चेतावनियाँ और टैंक संचालन का इतिहास आदि के लिए टैंक स्तर की निगरानी सिस्टम “एलएमएस”।</li> <li>2. मुख्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जिसमें वस्तुसूची के मूल्यांकन पर नियंत्रण भी शामिल है, डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना।</li> <li>3. वास्तविक खरीद लागत का सत्यापन कर वस्तुसूची के लिए लागत की सटीकता नमूने के आधार पर परीक्षण करना। नवीनतम बिक्री मूल्य सहित वास्तविक लागत की तुलना करके निवल वसूली योग्य मूल्य का परीक्षण</li> </ol>
3	<p><b>मान्यता, मापन और पीपीई का मूल्यहास</b></p> <p>कंपनी, एक परिसंपत्ति आधारित इकाई होने के नाते पहचान, मापन और पीपीई के मूल्यहास बहुत महत्वपूर्ण है।</p> <p>लेखापरीक्षा मुख्य रूप से इंड एस 16 के प्रावधानों के अनुपालन पर केंद्रित था- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा संपत्ति लेखांकन के अन्य पहलू।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ निम्नलिखित के लिए: शामिल थीं और सीमित नहीं थीं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पीपीई की पहचान, पूंजीकरण, वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन पर प्रबंधन की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन और नियंत्रण करना। हमने प्रारंभिक लागत निर्धारित करने, अनुवर्ती मापन और पीपीई का मूल्यहास जिसमें उचित मूल्यहास तरीके के अनुप्रयोग और उपयोगी जीवन शामिल है, के लिए कंपनी की नीतियां का आकलन किया।</li> <li>2. हमने पीपीई जोड़ के नमूने और निपटान का परीक्षण सटीकता और उनकी पहचान की पूर्णता और मापन सत्यापित करने के लिए किया।</li> <li>3. हमने मूल्यहास नीतियों की स्थिरता और लागू लेखांकन मानकों के साथ उनका अनुपालन और मूल्यहास की गणना की सटीकता का आकलन किया।</li> <li>4. हमने पुनर्मूल्यांकन मॉडल अपनाने और परिसंपत्ति प्रकटीकरण पर इसका प्रभाव के लिए इंड एस 16 के प्रावधानों के अनुपालन का सत्यापन किया।</li> </ol>

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अलावा अन्य जानकारी और उस पर

7. कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निहित सूचना भी शामिल है। लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उसपर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
  8. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उसपर किसी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।
  9. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना का पाठ करना है और ऐसा करने से विचार करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ क्या अन्य सूचना या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी क्या मूलतः परस्पर विरोधी है या अन्यथा मूलतः गलत बयान किया गया है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इस अन्य सूचना में गलत बयान किया है, हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है कि हमें अन्य सूचना की प्राप्ति नहीं है, इस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ**
10. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार है। ये विवरण, वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तित की सही और सच्ची स्थिति दर्शाते हैं।
  11. प्रस्तुत जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने और पता करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण शामिल है और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं विवेकी निर्णयों और अनुमानों की तैयारी और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रूपायन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण जो लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है भी शामिल है जिससे सच्ची और सही स्थिति ज्ञात हो और धोखाधड़ी या गलती के कारण वस्तुगत अर्थार्थ से मुक्त हो।
  12. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कार्यशील संस्था के रूप में चालू रहने की कंपनी की क्षमता के निर्धारण, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले यथा लागू प्रकट करने और जब तक निदेशक मंडल ने जो कंपनी का परिसमापन की इरादा रखते हो या प्रचालन बंद करने या कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं लेकिन करने के बाध्य हो तब तक लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करने के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार है।
  13. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देख-रेख के लिए भी जिम्मेदार है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ**
14. हमारा उद्देश्य क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप में धोखाधड़ी या गलती से, महत्वपूर्ण गलती से मुक्त है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारी राय से युक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन, आश्वासन का उच्च स्तर है, लेकिन गैरंटी नहीं है कि एस ए के अनुरूप आयोजित की गई लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलती जब विद्यमान होने पर, पाया जाता है। महत्वपूर्ण गलती धोखाधड़ी या गलती से हो सकता है और यदि व्यक्तिगत तौर पर या संकलित रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर जो उचित रूप से प्रभावित करना प्रत्याशित है।
  15. एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय और संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य में प्रोफेशनल संदेहवाद का प्रयोग करते हैं। हम यह भी करते हैं कि
    - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानों संबंधी जोखिम की पहचान एवं निर्धारण करना जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रणालियों का रूपायन एवं निष्पादन

और लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना है जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी से होनेवाले महत्वपूर्ण गलत बयान की पहचान का जोखिम गलती से होनेवाले से गंभीर/उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर लोप, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन करना भी शामिल है।

- परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रणालियों का रूपायन करने की दिशा में लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ताल-मेल प्राप्त करना है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन प्रभावितता पर हमारी राय प्रकट करने के लिए हम उत्तरदायी है।
- उपयोग में लायी गयी लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की उचितता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- लेखा के कार्यशील संस्था आधार संबंधी प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत के आधार पर ऐसी घटनों या स्थितियों जो कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका डाल देती है, से संबंधित क्या महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर या ऐसी प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त पायी जाती है, हमारी राय संशोधित करने की ओर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित है। फिर भी, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ कंपनी को कार्यशील संस्था के रूप में जारी करना रोकने का कारण बन सकती है।
- समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की विषयवस्तु जिसमें प्रकटीकरण शामिल है, क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को उसी तरीके में जिसमें उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है, का प्रतिनिधित्व करता है, का मूल्यांकन करना है।

- हम अन्य मामलों के साथ तैयार किए गए विषयक्षेत्र और लेखापरीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पायी गयी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल है, के संबंध में शासन का प्रभार दिए गए के साथ संवाद करते हैं।
- हम शासन के प्रभार दिए गए उन लोगों को यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उनके साथ अनुसूचित की जानी है सभी संपर्क और अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता वहन करने के लिए उपयुक्त विचार हो सकते हैं और जहाँ लागू हो संबंधी संरक्षा प्रदान करें।
- ऐसे प्रशासन प्रभारी को संसूचित मामलों से, हम उन मामलों पर निर्णय लेता हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण रहे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों के विवरण देते हैं जबतक मामले संबंधी सार्वजनिक प्रकटन नियम या विनियम शुरू करता है या जब सबसे अपूर्व परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे करने पर होनेवाले प्रतिकूल परिणाम इस तरह की संसूचना से प्राप्त सार्वजनिक हितलाभ से ऊपर होना प्रत्याशित है।

#### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण "अनुलग्नक क" में देते हैं।

- अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों द्वारा यथा आवश्यक, हम "अनुलग्नक ख" में उन निर्देशों में संदर्भित मामलों पर एक विवरण देते हैं

- जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

- हमने मांग की और सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- हमारी राय में, कंपनी की उन बहियों की हमारी जांच से देखता है, जहाँ तक कंपनी ने विधि के अनुसार आवश्यक उचित लेखा बहियाँ रखी है।
- इस रिपोर्ट द्वारा चर्चा किए गए स्टैंडअलोन तुलन-पत्र, अन्य समग्र आय सहित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के स्टैंडअलोन विवरण और नकदी प्रवाह स्टैंडअलोन विवरण सुसंगत लेखा बहियों के अनुरूप है।
- हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का पालन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 जिसे कमापनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखनांकन मानदंडों (इंडिएएस) के साथ किया है।
- दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), के अनुसार सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अधीन छूट दी गई है। तदनुसार, हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि कथित धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई निदेशक अयोग्य हैं या नहीं।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अनुसार अपेक्षित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट 'अनुबंध ग' के रूप में संलग्न है।
- कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी अच्छी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:-
  - कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 36 का संदर्भ लें)
  - कंपनी को व्युत्पन्न अनुबंधों जिसके लिए महत्वपूर्ण संभावित नुकसान, नहीं है, सहित दीर्घकालिक अनुबंधों नहीं है।
  - कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित कोई राशि नहीं थी।
  - (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों में नोट 47 में खुलासा किया गया है, कोई भी धन अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ
    - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से ("अंतिम लाभार्थी") की पहचान की गई है
    - या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान की गई है।

- (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों में नोट 48 में खुलासा किया गया है, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या
  - फंडिंग पार्टियों की ओर से या कोई गारंटी प्रदान करती है, सुरक्षा या परम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह की।
- (ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपधारा के अंतर्गत अभ्यावेदन (iv) (क) और (iv) (ख) में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।
- (v) वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन आवश्यक था।
- (vi) लेखांकन सॉफ्टवेयर जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, का उपयोग करके लेखा की बही बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, कंपनी को 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होकर लागू है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

## 22. सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर-अनुपालन-

कंपनी ने विनियम 17(1)(क) और 17(1)(ख) के अनुसार, कम से कम एक महिला निदेशक सहित कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों के इष्टतम संयोजन बनाए रखना और निदेशक मंडल के कम से कम आधे में स्वतंत्र निदेशक शामिल होना और निदेशक मंडल के कम से कम आधे में अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक होने के नाते स्वतंत्र निदेशक शामिल होने का पालन नहीं किया है।

### कृते बालन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार  
(फर्म की पंजीकरण संख्या 340एस)

जोयाल जॉर्ज एफसीए

भागीदार (सदस्यता सं 228702)

यूडीआईएन: 232287028GXDRK1444

दिनांक : 18/05/2023

स्थान: कोची-11

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अधीन पैरा 17 में संदर्भित)

- (i) कंपनी की परिसंपत्ति, संयंत्र और अमूर्त आस्तियों के संदर्भ में:
- (क) कंपनी मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड का रख-रखाव कर रही है
- (ख) कंपनी ने अमूर्त आस्तियों के पूर्ण विवरण दर्शानेवाले समुचित रिकार्ड का रख-रखाव कर रही है।
- (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें दिए गए संगत अभिलेखों की जांच के आधार पर कंपनी परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के सभी मदों के सत्यापन करने का चरणबद्ध कार्यक्रम का पालन करती है और कंपनी द्वारा जो अंतराल का पालन किया जाता है, हमारी राय में कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त है। उक्त नीति के अनुसार, कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी प्रकार के भौतिक सत्यापन आयोजित नहीं किया है।
- (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें दिए गए संगत अभिलेखों की जांच के आधार पर वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए सभी अचल सम्पत्तियों के स्वत्व विलेख को कंपनी के नाम पर रखे गए हैं। हालांकि, कोची में अचल परिसंपत्तियों के मूल स्वत्व विलेख सत्यापन के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं, और हमें सूचित किया गया है कि उक्त को बैंक की अभिरक्षा में रखी गयी है।
- इसके अलावा, हमें सूचित किया गया है कि, महाराष्ट्र के रसायनी में कंपनी के स्वामित्व वाली 22.717 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है और हमें सूचित किया गया है कि कंपनी उक्त भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठा रही है। इसके अलावा, रसायनी, महाराष्ट्र में 10.576 एकड़ भूमि और पनवेल, महाराष्ट्र में 0.91 एकड़ भूमि सार्वजनिक सड़क के लिए अधिग्रहित की गई है और इसलिए इसे कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के रसायनी में 32.547 एकड़ भूमि विविध अन्य संस्थाओं के विवादित कब्जे में है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में बताए गए भूमि के वहनीय मूल्य पर विचार करते समय भूमि की उपरोक्त सीमा पर विचार नहीं किया है।
- (ग) कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान अपनी एक संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया है। पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है। उक्त परिसंपत्ति के पुनःमूल्यांकन की राशि के वहनीय मूल्य में परिवर्तन 1978.45 लाख रुपए है।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन अधिनियम के तहत किसी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- (ii) (क) वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रबंधन द्वारा उपयुक्त अंतराल में किया गया। हालांकि, हमें सूचित किया गया है कि कंपनी "भंडार और पुर्जे" के अधीन वर्गीकृत मदों के भौतिक सत्यापन की प्रथा का पालन नहीं कर रही है। वर्ष के अंत में 'भंडार और पुर्जे' की वस्तुसूची कुल वस्तुसूचियों के वहनीय मूल्य का 48.41% (पिछले वर्ष 37.21%) है, और इसलिए हमारी राय में, वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन का कवरेज पर्याप्त और उचित नहीं है। वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन के अधीन वस्तुसूचियों की शेष श्रेणियों के संबंध में, हमें सूचित किया जाता है कि, वस्तुसूचियों की उक्त श्रेणी के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- (ख) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के पैरा 3 का खंड (ii) (ख) कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- (iii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या किसी अन्य पार्टियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैरा 3 के उप खंड (क) से खंड (iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर,

1. कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी को पिछले वर्षों के दौरान उक्त सहायक कंपनी की अचल संपत्तियों के बदले में ऋण दिया है, जो 3 साल से अधिक समय से 'अतिदेय' है और इसकी वहन राशि वर्ष के अंत में रु. 2744.06 लाख, जिसमें से रु.453.01 लाख 'गैर-ब्याज वहन' है;
2. कंपनी ने मेसर्स स्मिथ स्टैनितस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को पूर्व वर्षों के दौरान 65 लाख रुपये की असुरक्षित अग्रिम राशि दी है जो 3 साल से अधिक समय से बकाया है।
3. कंपनी ने पूर्व वर्षों में सहायक कंपनी में 1106 लाख रुपये का निवेश किया है और सहायक कंपनी का कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, उपरोक्त ऋण, अग्रिमों और निवेशों से चुकौती या प्रतिलाभ उचित नहीं है, और इसलिए उक्त की वसूली या उगाही सुरक्षित आस्तियों की उगाही यदि कोई हो, पर आश्रित है।

कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान कोई ऋण, अग्रिम नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है।

(ग) उपरोक्त (iii)(ख)(1) में निर्दिष्ट ऋण और अग्रिम के संबंध में, कंपनी के पास मूलधन और ब्याज की पुनर्भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है, जबकि, उपरोक्त (iii)(ख)(2) में निर्दिष्ट अग्रिम के मामले में ऊपर, मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान की कोई अनुसूची निर्दिष्ट नहीं की गई है। उपरोक्त का पुनर्भुगतान नियमित नहीं है।

(घ) उपरोक्त (iii)(ख)(1) में निर्दिष्ट ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय कुल राशि रु.3,197.08 लाख और कंपनी ने हमें सूचित किया है कि जब प्राप्तकर्ता कंपनी की उक्त ऋण के विरुद्ध सुरक्षित संपत्ति पूरी तरह से वसूल हो जाएगी तब इसकी वसूली की जाएगी।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक ऋण के एवज में सुरक्षित उक्त संपत्ति का कब्जा नहीं लिया है। उपरोक्त (iii)(ख)(2) में निर्दिष्ट अग्रिमों के संबंध में, 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय कुल राशि रु.65 लाख और कंपनी ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

(ङ) वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय का निपटान करने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण नहीं दिए हैं और इसलिए, आदेश के खंड 3 (iii)(ख) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(च) उपरोक्त (iii)(ख)(2) में निर्दिष्ट अग्रिम राशि के संबंध में रु.65 लाख, कंपनी ने पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट नहीं की है।

बकाया सकाल राशि (रु.)	रु. 65 लाख
कुल राशि का प्रतिशत (रु.)	1.97%
उपरोक्त में से, प्रोमोटेर्स और संबन्धित पार्टियों को दिये गए सकाल ऋण राशि	शून्य

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान इनके द्वारा किए गए ऋण, निवेश गैरंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हालांकि, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी को रु.2744.06 लाख का ब्याज मुक्त ऋण और किसी अन्य कंपनी को रु.65 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी है जिसके लिए कोई ब्याज नहीं लिया गया है। हमें बताया गया है कि, ये ऋण धारा 186(7) के प्रावधानों के शुरू होने से पहले दिए गए हैं और इसलिए उक्त धारा के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होते हैं।

(v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है और 31 मार्च, 2022 तक उसके पास कोई दावा नहीं की गयी जमा नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(vi) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 148 की उपधारा(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है और हमारे द्वारा किए गए परीक्षण जांच के आधार पर, हमारा मानना है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित लेखा और रिकॉर्ड तैयार किए हैं और बनाए रखे गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी सामान्यतः निर्विवाद सांविधिक देय की राशि जमा कर रही है। इनमें वस्तु एवं सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, मूल्यवर्धन कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक वर्ष के दौरान देय शामिल है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य बकाया सांविधिक देय के संबंध में जो 31 मार्च, 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वस्तु और

सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक देय से संबन्धित कोई सांविधिक देय नहीं है, जो 31 मार्च, 2023 तक विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं, इसमें नीचे दिए गए शामिल नहीं है:

क्र. सं.	सांविधि का नाम	देय का स्वरूप	अवधि जिससे राशि संबंधित है	विवाद की रकम (रु. लाख में)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	छूट नहीं दी गयी है	2006-07	104.63	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण
2	आयकर अधिनियम, 1961	दंडस्वरूप देय	2001-02	70.49	उच्च न्यायालय
3	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय नाम, जूर	2010-11	21.50	आयकर अपील अधिकरण

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी का कोई भी लेनदेन लेखे की बहियों में रिकॉर्ड नहीं किया गया है और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या खुलासा किया गया है

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए ऋणों और उस पर ब्याजों की चुकौती में चूक की है और जिसका विवरण निम्नप्रकार है:

ऋण प्रतिभूतियाँ सहित उधार की प्रकृति	उधारदाता का नाम	देय तिथि को अदत्त राशि (रु. लाख में)	यदि मूलधन या ब्याज	देरी वर्षों की संख्या या अदत्त	अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो तो
योजना उधार	भारत सरकार	537.79	ब्याज	21	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	250.83	ब्याज	20	
योजना उधार	भारत सरकार	540.67	ब्याज	20	
योजना उधार	भारत सरकार	326.31	ब्याज	20	

ऋण प्रतिभूतियाँ सहित उधार की प्रकृति	उधारदाता का नाम	देय तिथि को अदत्त राशि (रु. लाख में)	यदि मूलधन या ब्याज	देरी वर्षों की संख्या या अदत्त	अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो तो
रक्षित योजना उधार	भारत सरकार	652.62	ब्याज	20	
योजना उधार	भारत सरकार	652.62	ब्याज	20	
योजना उधार	भारत सरकार	328.61	ब्याज	19	
योजना उधार	भारत सरकार	462.20	ब्याज	19	
योजना उधार	भारत सरकार	770.34	ब्याज	18	
योजना उधार	भारत सरकार	566.68	ब्याज	18	
योजना उधार	भारत सरकार	423.24	ब्याज	17	
योजना उधार	भारत सरकार	654.81	ब्याज	17	
योजना उधार	भारत सरकार	452.14	ब्याज	16	
योजना उधार	भारत सरकार	147.36	ब्याज	15	
योजना उधार	भारत सरकार	727.81	ब्याज	14	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	554.48	ब्याज	14	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	68.77	ब्याज	13	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	1142.95	ब्याज	7	
		660.00	मूल धन	13	
योजना उधार	भारत सरकार	933.05	ब्याज		
		843.00	मूल धन	12	
योजना उधार	भारत सरकार	1181.67	ब्याज		
		1760.00	मूल धन	10	
योजना उधार	भारत सरकार	1929.73	ब्याज		
		1057.00	मूल धन	7	
योजना उधार	भारत सरकार	796.93	ब्याज		
		2461.00	मूल धन	6	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	1491.5	ब्याज		
		1057.00	मूल धन	5	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	540.58	ब्याज		
		10000.00	मूल धन	5	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	5093.00	ब्याज		
		16392.46	मूल धन	5	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	8171.08	ब्याज		
		11026.00	मूल धन	5	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	5462.85	ब्याज		

- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है और तदनुसार आदेश का खंड 3 (ix)(ग) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर उठाए गए किसी भी फंड का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

- (ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इसकी सहायक कंपनियों, एसोसिएट या कंपनी के संयुक्त उद्यम के किसी भी दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि नहीं लिया है।
- (च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, एसोसिएट या कंपनी के संयुक्त उद्यम में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।
- (x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या आगे की पब्लिक ऑफर के माध्यम से निधि का समाहरण नहीं की है, इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैरा 3(क) के अधीन कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई अधिमान्यता आबंटन या शेयरों का निजी आबंटन या परिवर्तनीय डिबेंचर में नहीं किया है। इसीलिए आदेश के खंड 3(ख) कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट किया गया है इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैरा 3(क) के अधीन कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ दर्ज नहीं की गई है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) हमारी राय में कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैरा 3 के खंड (xii)(क) से (ग) तक लागू नहीं है।
- (xiii) हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में जहाँ लागू है, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन और विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षितानुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट 38 में प्रकट किया गया है।
- (xiv) (क) हमारी राय में हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
- (ख) हमने लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है जिसके लिए, धारा 192 लागू है।
- (xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैरा 3 के खंड (xvi) (क) से (ग) तक कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- (xvii) कंपनी को चालू वर्ष में 4,903.41 लाख रुपए और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में 2502.45 लाख रुपए की नकद हानि हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। इसीलिए, कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैरा 3 के खंड (xviii) लागू नहीं होता है।
- (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की बसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल

के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी के तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा छुट्टी दे दी जाएगी। कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं।

(xx) कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर जिम्मेदारियों के मानदंड के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा 3 के खंड (xx) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

**कृते बालन एंड कंपनी**

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या.340एस)

**जोयल जॉर्ज, एफसीए**

**भागीदार (सदस्यता सं 228702)**

**यूडीआईएन: 23228702BGXDRK1444**

दिनांक : 18/05/2023

स्थान: कोची-11

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'**

(हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित अपनी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अधीन पैरा 18 में संदर्भित)

जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों और उप निर्देशों द्वारा अपेक्षित है, हम उसमें संदर्भित मामलों पर अपनी टिप्पणियाँ नीचे दे रहे हैं-

**क. निर्देश**

क्रसं	सी एंड एजी निर्देश	सांविधिक लेखापरीक्षक का विवरण
1	क्या कंपनी में सभी लेखा लेन-देन आईटी प्रणाली के माध्यम से संचालित करने का तंत्र उपलब्ध है। यदि हाँ, लेखाओं की ईमानदारी पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेन-देन के संसाधन का अनुमान साथ ही वित्तीय अनुमान यदि कोई हो तो दिया जाए।	हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और हमारे सत्यापन के आधार पर, हमने कंपनी के लेखा लेन-देन संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियों की पहचान की है: 1) लेखांकन लेनदेन का रख-रखाव टैली ईआरपी प्राइम, एक लेखांकन सॉफ्टवेयर, के माध्यम से किया जाता है। 2) नियत परिसंपत्तियों का रजिस्टर का रख-रखाव एमएस ऑफिस एक्सेल यूटिलिटी में किया जाता है। 3) वेतन पर्ची का प्रबंधन अलग एचआरएम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। 4) इकाई कच्चा-आंकड़े का समेकन एमएस ऑफिस एक्सेल से किया जाता है।  हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम उपर्युक्त उल्लेखित प्रणालियों के बाहर संसाधित होने वाले किसी भी लेखांकन लेनदेन में नहीं आए हैं।  इसके अलावा, हम प्रमुख लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ ऊपर उल्लेखित प्रणालियों के बीच उचित समन्वयन की सिफारिश करते हैं ताकि सिस्टम के बीच डेटा माइग्रेशन और अंतरण के दौरान सिस्टम डेटा हानि या भ्रष्टाचार के किसी संभावित जोखिम से बचा जा सके।
2	क्या विद्यमान ऋण के कोई पुनर्गठन या ऋण की चुकौती में कंपनी की अक्षमता के कारण उधारदाता द्वारा कंपनी को छूट/कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने के कोई मामले हैं। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव दिया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है।	कंपनी ने कर्ज चुकाने में और भारत सरकार से प्राप्त अधिमानी शेरों के भुगतान में चूक की है, जिसका मूलधन कुल मिलाकर रु.72,256.46 लाख है। हालाँकि, हमें दी गई जानकारी के आधार पर, ऐसे किसी भी ऋण का पुनर्गठन या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को अधित्याग/बट्टे खाते में डालने के मामलों का नहीं था।  इसलिए, हम वित्तीय प्रभाव और उक्त के लेखांकन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं
3	क्या केंद्र/राज्य सरकारों या इनके अधिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त की जा रही निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इनके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया/उपयोग किया है। विचलन के मामलों की सूची दी जाए।	हमें दी गयी सूचना के अनुसार, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकारों या इनके अधिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी प्रकार की निधि नहीं प्राप्त की है या प्राप्त की जा रही है।

**ख. उप निर्देश**

1.	अतिक्रमण के अधीन भूमि के क्षेत्र का ब्योरा दें और अतिक्रमण हटाने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम का संक्षिप्त विवरण दें.	<p>1) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी के आधार पर, कंपनी की रसायनी इकाई, महाराष्ट्र में 65.840 एकड़ भूमि 'अतिक्रमण के तहत' के रूप में पहचाना गया है</p> <p>अतिक्रमण को दूर करने हेतु प्रबंधन द्वारा उठाये गये कदम के संबंध में हमें सूचित किया जाता है कि -</p> <p>क) कंपनी रसायनी इकाई की भूमि पर किसानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संवाद कर रही है।</p> <p>ख) कंपनी उपरोक्त मामले के तुरंत समाधान के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, भारत सरकार के साथ भी समन्वय कर रही है।</p> <p>ग) उपरोक्त सिफारिशों में अतिक्रमणकारियों के साथ समझौता व्यवस्था सहित विभिन्न प्रस्ताव शामिल हैं।</p> <p>घ) कंपनी ने कुछ मामलों में मुकदमा भी दायर किया है।</p> <p>2) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार रसायनी इकाई में 32.547 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड और महात्मा एजुकेशन सोसाइटी को दी गई है।</p> <p>अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए आने कदम के बारे में हमें सूचित किया गया है कि</p> <p>क) कंपनी वसूली या ऐसी इकाइयां द्वारा कब्जे वाली उक्त भूमि के पंजीकरण के लिए लगातार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रही है।</p> <p>ख) एमईएस को पट्टे पर दी गई भूमि के मामले में, कंपनी ने पार्टी को पट्टा समाप्ति की सूचना जारी किया है, . हालाँकि, संपत्ति अभी भी पट्टेदार - एमईएस के कब्जे में है। मामला मध्यस्थता प्राधिकरण के समक्ष लंबित है और कार्यवाही प्रगति पर है।</p> <p>ग) रसायनी इकाई, महाराष्ट्र में 10.576 एकड़ भूमि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है सार्वजनिक सड़क का निर्माण किया है। इसलिए, कंपनी के पास कब्जा नहीं है साथ ही उक्त भूमि के संबंध में स्वामित्व भी नहीं है।</p>
----	--	---

2.	क्या विशेष रूप से तीन वर्ष से अधिक पुरानी संचित व्यापार प्राप्तियों के अनुवर्तन के लिए कोई प्रभावी प्रणाली है.	<p>कंपनी के पास रु.1,489.24 लाख राशि के व्यापार प्राय है, जो तीन साल से अधिक पुराना है। कंपनी ने मूल्यांकन किया है और खराब और संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान के रूप में रु.1,474.28 लाख रुपये की राशि प्रदान की है।</p> <p>हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन वसूली के लिए उपरोक्त देनदारों से संपर्क कर रहा है और ऐसे कुछ मामलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।</p>
3.	क्या कच्चे माल, मध्यवर्तियों और उपयोगिताओं के मामले में मानदंडों के विरुद्ध वास्तविक खपत को देखने के लिए पर्याप्त प्रणाली थी?	हमें सूचित किया गया है कि कंपनी प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट के रूप में स्थापित मानदंडों के विरुद्ध कच्चे माल, मध्यवर्तियों और उपयोगिताओं के वास्तविक उपभोग की तुलना कर मासिक विवरण तैयार कर रही है।

कृते बालन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या.340एस)

जोयल जॉर्ज, एफसीए

भागीदार (सदस्यता सं 228702)

यूडीआईएन: 23228702BGXDRK1444

दिनांक : 18/05/2023

स्थान: कोची-11



**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ग"**

(हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के खंड "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट" के अधीन पैरा 19(एफ) में संदर्भित)

**कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

**राय**

- हम ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ की गयी है।
- हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। यह कंपनी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर वित्तीय नियंत्रण के आधार पर किया गया है।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**  
कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देशन नोट में उल्लेखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा मानदंड द्वारा तैयार किया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जो अपने व्यापार के नियमित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार संबंधित नीतियाँ, अपनी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों की रोक एवं पहचान, लेखा अभिलेखों की यथार्थता एवं पूर्णता, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं का समय पर तैयारी शामिल है।

**लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**

- हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी तत्वों ("मार्गदर्शी नोट") और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं तथा योजनाओं का पालन करें और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है इसका उचित आश्वासन प्राप्त करें और ऐसे नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से सभी सामग्री के संबंध में स्थापित किए गए हैं और रखे गए हैं।
- हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उसका प्रभावी ढंग से परिचालन के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए पद्धति का अनुरक्षण करना सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए समझदारी प्राप्त करना, जोखिम की जाँच करना कि कमी मौजूद है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन की प्रभावता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई पद्धति लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखा या चूक के कारण गलत बयान की जोखिम के निर्धारण भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हम ने जो लेखा सबूत प्राप्त किए हैं, वित्तीय रिपोर्टों के ऊपर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा की राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मतलब**

- वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका डिजाइन वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए किया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में नीचे दी गई उन नीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ शामिल हैं कि (1) कंपनी के परिसंपत्तियों के लेन-देन और स्थिति के उपयुक्त विवरण, यथार्थ और उचित रूप से प्रतिबिंबित अभिलेखों का अनुरक्षण संबंधी हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) जिसे संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा

सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल प्रबंधन के प्राधिकरणों और कंपनी के निदेशक मंडल के अनुसार किए जा रहे हैं (3) इसका उपयुक्त आश्वासन भी प्रदान करते हैं कि कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर कटौती, जिसका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिसीमा**

- वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित परिसीमा जिसमें वित्तीय नियंत्रणों को पार करने की अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता शामिल है, के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से गलत बयान घटित हो सकते हैं और पहचान नहीं की जाती है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के शर्त पर है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर बिगड़ हो सकता है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरी की पहचान की गई है:

वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन करने के लिए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से संचालन नहीं करती है क्योंकि इसमें भंडार और पुर्जों का भौतिक सत्यापन शामिल नहीं है, जो वस्तुसूची की कुल वहन राशि का 48% (पीवाई 37%) से अधिक बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप सूची और अप्रचलन में संभावित रूप से नुकसान हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में "भौतिक कमजोरी" एक कमी या कमियों का एक संयोजन है, ऐसी कि वहाँ उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण त्रुटि विवरण दिया गया हो, को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण कमियों के संभावित प्रभाव को छोड़कर, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनायी रखी है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2023 को प्रभावी ढंग से प्रचालन में थे, इसका आधार "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड है।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरी पर विचार किया है, और भौतिक कमजोरी कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती है।

**कृते बालन एंड कंपनी**

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या. 340ए)

जोयल जॉर्ज, एफसीए

भागीदार (सदस्यता सं 228702)

यूडीआईएन: 23228702BGXDRK1444

दिनांक : 18/05/2023

स्थान: कोची-11

**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**

कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह कहा गया है कि इसको उनके द्वारा 18 मई 2023 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए  
और उनकी ओर से

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 अगस्त 2023

(गुलजारी लाल)

महा निदेशक लेखा परीक्षा (शिपिंग), मुंबई

31 मार्च 2023 को स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणियां	चालू वर्ष 31.03.2023 तक	पिछले वर्ष 31.03.2022 तक
<b>परिसंपत्तियाँ</b>			
<b>गैर चालू परिसंपत्तियाँ</b>			
क) परिसंपत्तियाँ, संयंत्र और उपकरण	3क	16,375.07	15,348.07
ख) निवेश परिसंपत्तियाँ	3ख	86.58	88.74
ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3ग	18.85	27.25
घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	4	990.45	1,063.44
च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	5	518.05	497.37
<b>कुल (अन्य चालू परिसंपत्तियाँ)</b>		<b>17,989.00</b>	<b>17,024.87</b>
<b>चालू परिसंपत्तियाँ</b>			
क) सूची	6	4,960.95	7,511.19
ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
(i) व्यापार प्राप्य	7	1,807.71	735.12
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	8	4,359.01	2,014.53
(iii) बैंक शेष उपरोक्त (ग) के अलावा	9	12,371.47	11,496.20
(iv) ऋण	10	3,219.43	3,218.09
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	1,433.34	1,334.04
ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	2,415.52	2,870.50
घ) बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3ख	99,219.74	99,219.74
<b>कुल (चालू परिसंपत्तियाँ)</b>		<b>1,29,787.17</b>	<b>1,28,399.41</b>
<b>कुल परिसंपत्तियाँ</b>		<b>1,47,776.17</b>	<b>1,45,424.28</b>
<b>इक्विटी और देयता</b>			
क) इक्विटी			
इक्विटी शेयर पंजी	13	6,726.96	6,726.96
ख) अन्य इक्विटी			
i) प्रतिभूति प्रीमियम	14क	4,838.57	4,838.57
ii) प्रतिधारित अर्जन	14ख	-1,07,078.48	-1,02,056.08
iii) अन्य व्यापक आय	14ग	96,302.40	95,519.62
<b>कुल अन्य इक्विटी</b>		<b>-5,937.51</b>	<b>-1,697.89</b>
<b>कुल इक्विटी</b>		<b>789.45</b>	<b>5,029.07</b>
<b>देयताएं</b>			
<b>गैर-चालू देयताएं:</b>			
<b>वित्तीय देयताएं:</b>			
i) उधार		-	-
ii) पट्टे की देयताएं		-	-
iii) प्रावधान	15	2,395.90	2,797.59
iv) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	16	16,683.52	16,402.52
<b>कुल (गैर-चालू देयताएं)</b>		<b>19,079.42</b>	<b>19,200.11</b>
<b>चालू देयताएं:</b>			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार	17	72,256.46	72,256.46
ii) पट्टे की देयताएं		-	-
iii) व्यापार देय:			
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	18	14.85	55.50
दूसरों को देय	18	4,052.02	4,096.34
iv) अन्य वित्तीय देयताएं	19	46,070.59	40,395.78
ख) प्रावधान	20	1,786.70	1,560.69
ग) अन्य चालू देयताएं	21	3,726.68	2,830.33
<b>कुल (चालू देयताएं)</b>		<b>1,27,907.30</b>	<b>1,21,195.10</b>
<b>कुल देयताएं</b>		<b>1,46,986.72</b>	<b>1,40,395.21</b>
<b>कुल इक्विटी और देयताएं</b>		<b>1,47,776.17</b>	<b>1,45,424.28</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ	1&3-64		

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

कृते बालन & कंपनी  
सनदी लेखाकर  
एफआरएन340एस

सजीव बी.  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन 09344438

योगेंद्र प्रसाद शुक्ला  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन 09674122

जोयल जॉर्ज, एफसीए  
सहयोगी  
सदस्यता सं.: 228702  
यूडीआईएन: 23228702BGXDRK1444

सुब्रमण्यन एच  
कंपनी सचिव  
एसीएस:28380

स्थान: एरणाकुलम  
दिनांक: 18.05.2023

स्थान: एरणाकुलम, केरल  
दिनांक: 18.05.2023

## 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
<b>आय:</b>			
प्रचालन-उत्पादों की बिक्री से राजस्व	22	63,143.56	43,367.39
अन्य आय	23	1,154.60	3,142.73
<b>कुल आय</b>		<b>64,298.16</b>	<b>46,510.12</b>
<b>व्यय:</b>			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	24	42,679.26	27,879.70
तैयार माल की सूची में परिवर्तन और प्रगतिरत कार्य	25	1,482.71	-1,430.78
कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	4,355.58	4,815.35
वित्तीय लागत	27	6,688.70	6,551.10
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	28	118.75	116.37
अन्य व्यय	29	13,995.57	11,197.20
<b>कुल व्यय</b>		<b>69,320.57</b>	<b>49,128.94</b>
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि)		<b>-5,022.41</b>	<b>-2,618.82</b>
घटाएँ: असाधारण मदों		-	-
<b>कर पूर्व लाभ/(हानि)</b>		<b>-5,022.41</b>	<b>-2,618.82</b>
(1) चालू कर		-	-
(2) आस्थगित कर		-	-
घटाएँ: कर व्यय :		-	-
<b>अवधि के लिए लाभ/(हानि)</b>		<b>-5,022.41</b>	<b>-2,618.82</b>
<b>अन्य व्यापक आय :</b>			
(i) लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत न करनेवाले मदें			
क) संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन, आस्थगित कर व्यय	14ग	1,035.38	1,978.42
ख) निवेश आस्थगित कर व्यय को कम करने का प्रावधान	14ग	-302.00	-576.00
ग) परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी) में परिवर्तन	14ग	-72.99	224.52
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का निवल		21.00	-65.00
<b>वर्ष के लिए कुल व्यापक आय</b>		<b>782.78</b>	<b>1,602.93</b>
प्रति इक्विटी शेयर में अर्जन (रुपए में)		<b>-4,239.63</b>	<b>-1,015.89</b>
मूल (प्रत्येक रुपए 10 के अंकित मूल्य)		-7.48	-3.90
मिश्रित (प्रत्येक रुपए 10 के अंकित मूल्य)		-7.48	-3.90
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ	1&3-64		

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

कृते बालन & कंपनी  
सनदी लेखाकर  
एफआरएन340एस

सजीव बी.  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन 09344438

योगेंद्र प्रसाद शुक्ला  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन 09674122

जोयल जॉर्ज, एफसीए  
सहयोगी  
सदस्यता सं.: 228702  
यूडीआईएन: 23228702BGXDRK1444

सुब्रमण्यन एच  
कंपनी सचिव  
एसीएस:28380

स्थान: एरणाकुलम  
दिनांक: 18.05.2023

स्थान: एरणाकुलम, केरल  
दिनांक: 18.05.2023



## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

## क. इक्विटी शेयर पूंजी

## 1. चालू रिपोर्टिंग अवधि (2022-23)

(₹ लाख में)

विवरण	चालू रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	चालू रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर	01.04.22 6726.96	01.04.22 6726.96	01.04.22 6726.96	2022-23 0	31.03.2023 6726.96

## 2. पिछली रिपोर्टिंग अवधि (2021-22)

(₹ लाख में)

विवरण	चालू रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	चालू रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर	01.04.2021 6726.96	01.04.2021 6726.96	01.04.2021 6726.96	2021-22 0	31.03.2022 6726.96

## ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित	मिश्रित वित्तीय साधन का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष		अन्य व्यापक आय की वस्तुएं (ओसीआई)				कुल				
			संपत्ति रिजर्व प्रीमियम	प्रतिभूति रिजर्व (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण साधन	अन्य व्यापक प्रवाह हेतु का प्रभावी भाग	नकदी पुनर्पूर्वकरण अधिशेष		विनियम अंतर किसी विदेशी विदेशी विदेशी विदेशी का अनुवाद करने पर	ओसीआई की अन्य वस्तुएं (कर्मचारी परिभाषित लाभ योजना में परिवर्तन)		
<b>1. चालू रिपोर्टिंग अवधि (2022-23)</b>													
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (01.04.2022)	0.00	0.00	4838.57	0.00	-101761.72	0.00	-32.56	0.00	95008.71	0.00	543.47	0.00	2022-23
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ (नोट क्रमांक 7)	0.00	0.00	0.00	0.00	-294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1403.53
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई	0.00	0.00	4838.57	0.00	-102056.08	0.00	-32.56	0.00	95008.71	0.00	543.47	0.00	-294.36
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	-5022.41	0.00	-72.99	0.00	1035.38	0.00	101.39	0.00	-1697.89
लाभार्थ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3958.63
बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	-302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (31.03.2023)	0.00	0.00	4838.57	0.00	-107078.49	0.00	-84.55	0.00	95742.09	0.00	644.86	0.00	-5937.52
<b>2. पिछली रिपोर्टिंग अवधि (2021-22)</b>													2021-22
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (01.04.2022)	0.00	0.00	4838.57	0.00	-99497.02	0.00	-192.08	0.00	93606.29	0.00	502.48	0.00	-741.76
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ (नोट क्रमांक 7)	0.00	0.00	0.00	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.76
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई	0.00	0.00	4838.57	0.00	-99437.26	0.00	-192.08	0.00	93606.29	0.00	502.48	0.00	-682.00
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	-2618.82	0.00	224.52	0.00	1978.42	0.00	40.99	0.00	-374.89
लाभार्थ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.00	0.00	-576.00	0.00	0.00	0.00	-641.00
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (31.03.2022)	0.00	0.00	4838.57	0.00	-102056.08	0.00	-32.56	0.00	95008.71	0.00	543.47	0.00	-1697.89

नोट: पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण को इंड एएस 8 के अनुसार त्रुटियों को ठीक करने के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया था। (नोट नं. 37)

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
कर पूर्व अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(5,022.41)	(2,618.82)
हेतु समायोजन :		
परिसंपत्तियों के क्षत पर मूल्यहास/हानि	118.75	116.37
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभा(-)/हानि	-	-
ब्याज आय	(795.79)	(672.82)
ब्याज एवं वित्त प्रभार	6,688.70	6,551.10
निवेश संपत्ति से आय	(150.27)	(255.49)
परिभाषित कर्मचारी लाभ योजना में परिवर्तन - अन्य व्यापक आय	101.39	40.99
<b>कार्यगत पूंजी परिवर्तन के पहले प्रचालन नकदी प्रवाह (क)</b>	<b>940.37</b>	<b>3,161.33</b>
हेतु समायोजन		
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	2,550.24	(2,430.47)
व्यापार और अन्य प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	(1,507.20)	(1,684.69)
व्यापार देनदारियों एवं अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	635.70	2,118.09
<b>प्रचालनों (कार्यगत पूंजी परिवर्तन) से सृजित नकद (ख)</b>	<b>1,678.74</b>	<b>(1,997.07)</b>
<b>चालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (1) (क+ख)</b>	<b>2,619.11</b>	<b>1,164.26</b>
<b>निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
अचल परिसंपत्तियों का क्रय	(99.80)	(44.25)
अचल संपत्तियों की बिक्री - बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां	-	-
ब्याज आय	753.75	750.00
निवेश संपत्ति से आय	86.65	191.87
<b>निवेश गतिविधियों से (उपयोग में) निवल नकद प्रवाह</b>	<b>740.60</b>	<b>897.62</b>
<b>निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी	-	(1,161.82)
गैर-ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी	(1.34)	(1,394.13)
प्रदत्त ब्याज	(1,013.89)	(778.37)
<b>वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद</b>	<b>(1,015.23)</b>	<b>(3,334.32)</b>
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	2,344.48	(1,272.44)
अवधि के प्रारम्भ में नकद और नकदी समतुल्य	2,014.53	3,286.97
<b>अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य</b>	<b>4,359.01</b>	<b>2,014.53</b>
<b>उपरोक्तानुसार नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है।</b>		
क) बैंक में शेष (नकद और नकदी समतुल्य के स्वरूप के अनुसार):		
चालू खाता	277.00	239.30
बचत खाता (संदर्भ नोट 7)	153.43	149.25
तीन माह से कम मूल परिपक्वता में जमा	3,928.11	1,624.50
ख) हाथ में नकद	0.47	1.48
<b>कुल</b>	<b>4,359.01</b>	<b>2,014.53</b>

जहां आवश्यक हो चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः एकत्रित या पुनः वर्गीकृत किया गया है।

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

कृते बालन & कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन340एस

सजीव बी.  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन 09344438

योगेंद्र प्रसाद शुक्ला  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन 09674122

जोयल जॉर्ज, एफसीए  
सहयोगी  
सदस्यता सं.: 228702  
यूडीआईएन: 23228702BGXDRK1444

सुब्रमण्यन एच  
कंपनी सचिव  
एसीएस:28380

स्थान: एरणाकुलम  
दिनांक: 18.05.2023

स्थान: एरणाकुलम, केरल  
दिनांक: 18.05.2023



## 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

### 1. निगमित सूचना

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (कंपनी) भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिनियमित है। कंपनी के शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 401,402 एवं 403, चौथा तल, "वी टाइम्स स्क्वेअर", सेक्टर-15, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई- 400614 में स्थित है। कंपनी मुख्य रूप से थोक औद्योगिक रसायनों और रासायनिक मध्यवर्तियों के कारोबार में नियोजित है।

### 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

#### 2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

इन वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार की जाती है सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों का कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") (अधिसूचित हद तक) के प्रावधानों में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इंड एएस को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार प्रयुक्त किया गया है, सिवाय जहाँ एक नए जारी लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया जाता है या अब तक उपयोग में रही लेखांकन नीति में बदलाव मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए आवश्यक होती है।

निम्नलिखित संपत्तियों और देयताओं जिनका मापन उचित मूल्य पर किया गया है को छोड़कर अलग वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर और ऐतिहासिक लागत आधार के तहत तैयार किया गया है, :

व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ- योजना परिसंपत्तियाँ

कुछ वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर (वित्तीय लिखत के संबंध में लेखांकन नीति देखें) किया जाता है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपया ('आईएनआर') या (₹) में प्रस्तुत किया जाता है, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है और जहाँ भी राशि '0' (शून्य) का प्रतिनिधित्व किया गया है, वहाँ मूल्य एक लाख रुपए से कम माना जाता है।

#### महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, पूर्वधारणाएं और निर्णय

कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमानों और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्तियाँ और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, साथ ही साथ संलग्न प्रकटीकरण और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन पूर्वधारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता का परिणाम हो सकते हैं जिसके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियाँ या देयताओं की वहनीय राशि के लिए भौतिक समायोजन की आवश्यकता होती है।

अनुमान और पूर्वधारणाएं

"इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। ये अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाएं लेखांकन नीतियों के प्रयोग और परिसंपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गयी राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक परिसंपत्ति और देयताओं के प्रकटीकरण और इस अवधि के दौरान आय और व्यय की रिपोर्ट की गयी राशियों को प्रभावित करते हैं। लेखांकन नीतियों के प्रयोग में जटिल और वस्तुनिष्ठ निर्णय शामिल महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता है और इन वित्तीय विवरणों में पूर्वधारणाओं के उपयोग को उपयुक्त स्थानों पर प्रकट किया गया है।

लेखांकन अनुमान समय समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन अनुमानों से जुड़े परिवेश में परिवर्तन से अवगत है, इसीलिए

अनुमानों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। अनुमानों में परिवर्तन उस अवधि की वित्तीय विवरणों जहाँ परिवर्तन किए गए हैं, में प्रतिबिंबित हैं, और यदि उनके प्रभाव महत्वपूर्ण है तो वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

### कर

इंड-एएस 12 के अनुसार कर व्यय (आयकर और आस्थगित कर): आय पर कर के लिए लेखांकन स्वीकार किया गया है। कारोबार की सामान्य गति के दौरान कई लेन-देन और परिकलनों को लिया जाता है जिसके लिए अंतिम कर निर्धारण अनिश्चित है। जहाँ इन मामलों का अंतिम कर परिणाम प्रारंभिक रूप से दर्ज की गई राशि से अलग है, ऐसे अंतर उस अवधि में वर्तमान और आस्थगित कर प्रावधानों को प्रभावित करेंगे, जिसमें कर निर्धारण किया गया है। आस्थगित कर संपत्ति को स्वीकार किया जाता है और केवल इतना हद तक आगे ले जाता है कि एक आभासी निश्चितता है कि संपत्ति की वसूली/उगाही भविष्य में की जाएगी।

### कर्मचारी हितलाभ

#### i. अल्पकालिक दायित्व

गैर-मौद्रिक हितलाभ सहित मजदूरी और वेतन के लिए देयताएं उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बाद 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित किया जाना प्रत्याशित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक संबंधित कर्मचारियों की सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है और जब देयताएं समायोजित किया जाता है उस समय भुगतान के लिए प्रत्याशित राशियों में मापा जाता है। देयताओं को तुलन पत्र में चालू कर्मचारी हितलाभ दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

#### ii. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देयताओं को उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, के अंत के 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित करने की प्रतीक्षा नहीं है। इसलिए उनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्रत्याशित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में किया जाता है। इसके लिए पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करता है। हितलाभ को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें होती हैं, के अंत में बाजार उपज का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। समायोजन के परिणामस्वरूप पुनः मापन और बीमाकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है। यदि संस्था को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान स्थगित करने शर्त रहित अधिकार नहीं है, दायित्वों को तुलनपत्र में वर्तमान देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस समय वास्तविक समायोजन होने की प्रत्याशा होने की उम्मीद पर ध्यान देते नहीं हैं।

#### iii) रोजगारोत्तर दायित्व

"कंपनी निम्नलिखित रोजगारोत्तर योजनाओं का संचालन करती है:

(क) उपदान, पेंशन, रोजगारोत्तर चिकित्सा योजना जैसी परिभाषित हितलाभ योजनाएं; तथा

(ख) भविष्य निधि जैसी परिभाषित योगदान योजनाएं।

#### iv) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कंपनी की उपदान योजना एक परिभाषित हितलाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजना रोजगार के बाद की लाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्व की गणना वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवाओं के बदले में अर्जित भविष्य के लाभों की राशियों का आकलन करते हुए की जाती है।

#### v) परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी की भविष्य निधि योजना एक परिभाषित योगदान योजना है। परिभाषित योगदान योजना रोजगार के बाद की लाभ योजना है जिसके तहत एक संस्था निश्चित योगदान देता है और आगे किसी राशि के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्व जब वे देय होते हैं, को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

## i) उपदान

उपदान रोजगार के बाद की परिभाषित हितलाभ योजना है। उपदान के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकार की गयी देयता तुलन पत्र की तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। कंपनी की देयता प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से निर्धारित होती है। पुनःमापन के माध्यम से बीमांकिक लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है।

## पेंशन और उपदान दायित्व

परिभाषित हितलाभ पेंशन और उपदान योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकार की गयी देयता या संपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना संपत्तियों के उचित मूल्य को कम करती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांककों द्वारा की जाती है।

भारतीय रूप में उल्लिखित परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य को सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है। इस बॉन्ड में संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें हैं। लाभ जो भारतीय रूप के अलावा अन्य मुद्रा में अंकित हैं, नकदी प्रवाह को उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के संदर्भ में निर्धारित बाजार उपज का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो मुद्रा में अंकित होते हैं, जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनके पास संबंधित दायित्व की शर्तों का अनुमानित शर्त है।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल बकाए और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल है।

समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुनः मापन लाभ और हानि और बीमांकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन को उस अवधि जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं, में स्वीकार किया जाता है। ये इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित अर्जन और तुलनपत्र में शामिल हैं। योजना संशोधन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में लाभ या हानि में तत्काल स्वीकार किया जाता है।

क) परिभाषित हितलाभ योजनाओं (उपदान लाभ), परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में देयता तुलना पत्र में स्वीकार किया जाता है और योजनाबद्ध परिभाषित हितलाभ दायित्व के उचित मूल्य को कम करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रत्याशित भविष्य के भुगतानों पर आधारित है जो रिपोर्टिंग तिथि पर निधि से प्राप्त होते हैं, जिसकी गणना सालाना बीमांककों द्वारा की जाती है। प्रत्याशित भावी वेतन स्तर और सेवा की अवधि आदि पर विचार किया जाता है।

ख) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान प्रोद्भूत आधार पर लेख बद्ध किया जाता है।

ग) अस्थायी कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में कटौती न की गयी राशि पर एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

घ) लाभप्रदता के आधार पर बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार बोनस प्रदान किया जाता है।

ङ) रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों को उस वर्ष जिसमें कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित राशि वर्तमान मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक हितलाभों से संबंधित बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में प्रभाषित की जाती है।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल समेत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट को जहां संभव हो, बाजार के अवलोकन से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापना में निर्णयों की कोटि की आवश्यकता होती है। निर्णयों में चलनिधि जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन संघटकों के बारे में पूर्वधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय लिखतों की रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुसूची के खिलाफ प्रावधान

कंपनी अपनी वस्तुसूची की स्थिति की समीक्षा करती है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुसूची के मदों के खिलाफ प्रावधान करती है क्योंकि जिनकी पहचान अब बिक्री या उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर वस्तुसूची समीक्षा करती है और अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुओं के खिलाफ प्रावधान करती है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करती है जिसमें धीमी गति की मालसूची 50% के लिए और अप्रचलित मदों के मामले में 100% के लिए प्रावधान है।

वित्तीय संपत्तियों की क्षति

सरकारी विभागों/कंपनियों से प्राप्य राशियों को छोड़कर 3 साल से अधिक के लिए बकाया विविध देनदारों से संबंधित बहियों में संदिग्ध कर्ज/ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है। अन्य देनदारों, ऋण और अग्रिमों के संबंध में, प्रावधान उस हद तक किए जाते हैं जिन्हें प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य नहीं माना जाता है।

गैर-वित्तीय संपत्तियों की क्षति

“कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति खराब हो सकती है। अगर कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होने पर निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य घटाएँ। यह व्यक्तिगत संपत्ति के लिए तब तक निर्धारित किया जाता है, जब तक कि संपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जहाँ एक परिसंपत्ति की ली जाने वाली राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, संपत्ति को क्षति के रूप में माना जाना चाहिए और इसे इसकी वसूली योग्य राशि में कम करके लिखा गया है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने के लिए, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है। उचित मूल्य निर्धारित करने में, निपटाने की लागत कम करने, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापारिक सहायक कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर मूल्य या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा संपुष्ट की जाती है।”

## 2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

## क) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

“कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक संपत्ति को चालू के रूप में तब माना जाता है जब निम्नानुसार होता है:

- उगाही के लिए प्रत्याशित या बेचने के लिए नियत या सामान्य प्रचालन चक्र में खपत करने की गयी है,

- व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से धारित,

- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली के लिए प्रत्याशित है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह महीनों के लिए आदान-प्रदान या प्रतिबंधित होने के लिए उपयोग किए जाने तक नकद या नकद समकक्ष

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियां जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर वसूल किया जाना प्रत्याशित है, को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 12 महीने से अधिक बकाया को केवल तब तक गैर-चालू के रूप में दिखाया जाएगा जब तक इसकी वसूली के प्रयास किए जाते हैं और यह संभावना है कि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में इकाइयों द्वारा एक न्यायिक निर्णय लिया जाएगा।

देयता चालू है जब:

- यह सामान्य परिचालन चक्र में समायोजित करने के लिए प्रत्याशित है,
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए धारित किया जाता है,
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर समायोजित करने के लिए देय है, या
- देय रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व के समायोजन को स्थगित करने का कोई अर्शत अधिकार नहीं है, यदि कारोबार के सामान्य गति में वह खरीदे गए सामानों या प्राप्त सेवाओं के कारण होने वाली राशि के संबंध में है, तो देय को व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

व्यापार देय जो रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर समायोजित करना प्रत्याशित है, चालू के रूप में दिखाया जाएगा।

कंपनी अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर संपत्तियां और देयताओं को गैर-चालू संपत्तियों और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

## ख) राजस्व मान्यकरण

कंपनी रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण से मुख्यतः राजस्व प्राप्त करती है।

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होकर, कंपनी ने इंडएएस 115 प्रयोग किया है, जो यह निर्धारित करने के लिए कि यदि, कितना और कब राजस्व स्वीकार किया जाना है संबंधी समग्र रूपरेखा स्थापित करते हैं। इंडएएस 18 राजस्व और इंडएएस 11 संविदा निर्माण को इंडएएस 115 को प्रतिस्थापित करता है। कंपनी ने इंडएएस 115 को संचित प्रभावी विधि का उपयोग करते हुए अपनाया है। इस मानक को पहली बार प्रयोग करने का प्रभाव प्रारंभिक प्रयुक्ति तारीख (1 अप्रैल, 2018) को स्वीकार किया जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मानक को अपनाने का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब ग्राहकों को वचन दिए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण उस राशि में स्वीकार किया जाता है जो प्रतिफल प्रतिबिंबित करता है जिसे उन उत्पादों या सेवाओं के लिए लेन-देन में कंपनी प्राप्त करना प्रत्याशित है।

राजस्व का मापन लेन-देन मूल्य के आधार पर किया जाता है, जो प्रतिफल है जिसका समायोजन ग्राहक के साथ किए गए करार में निर्धारितानुसार मात्रा बढ़ा, सेवा स्तरीय ऋण, निष्पादन बोणस, कीमत रियायत और प्रोत्साहन यदि कोई हो तो, पर किया जाता है। राजस्व में ग्राहकों से वसूल कर शामिल नहीं है।

जैसा कि कंपनी केवल रासायनिक विनिर्माण कारोबार करती है और केवल एक स्थान से प्रचालन करती है, इसलिए भौगोलिक स्थान पर राजस्व का स्वरूप अलग-अलग होता है और औद्योगिक वर्टिकल अपेक्षित नहीं है।

नीचे दिए गए विशिष्ट स्वीकार मानदंडों को राजस्व स्वीकार करने से पहले भी पूरा किया जाना चाहिए।

उत्पादों की बिक्री

उत्पाद की बिक्री से राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब माल के महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के प्रतिफल खरीदार को अंतरित किया जाता है। उत्पाद की बिक्री से राजस्व का मापन प्राप्त या प्रायः प्रतिफल के उचित मूल्य पर, प्रतिलाभ और भत्ते के निवल पर, व्यापार बढ़ा, मात्रा घटौती पर किया जाता है।

सेवाएं प्रदान करना

जब कभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाओं से आय को स्वीकार किया जाता है।

ब्याज आय

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर स्वीकार किया जाता है। ब्याज आय लाभ और हानि विवरण में अन्य आय में शामिल है।

किराया आय

निवेश आस्तियों पर प्रचालन पट्टे से सृजित किराया आय का पट्टे शर्तों पर सीधी रेखा आधार पर हिसाब में लिया जाता है जब तक प्रत्याशित मुद्रास्फीतिकारक लागत संवृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ संवृद्धि बढ़ाने के लिए नहीं है और अपने प्रचालन स्वरूप के कारण लाभ या हानि विवरण में शामिल है।

## ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मदों जिसमें पूंजीगत कार्य प्रगति पर शामिल है को लागत, संचित मूल्यहास और संचित क्षति हानि के निवल, यदि कोई हो, पर प्रतिपादित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को इनके लक्षित उपयोग के लिए अपनी कामकाजी स्थिति में लाने की कोई स्रोतजन्य लागत शामिल है। इस तरह की लागत में संयंत्रों और उपकरणों के घटक बदलने और यदि स्वीकार मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो लंबी अवधि की निर्माण परियोजनाओं के लिए उधार लागत भी शामिल है।

निश्चित आस्तियों के एक मद से संबंधित अनुवर्ती व्यय को इनकी बही मूल्य में केवल तब जोड़ा जाता है यदि मौजूदा संपत्ति से भविष्य के लाभ उसके पहले मूल्यांकन किए गए कार्य निष्पादन मानक से परे बढ़ जाता है। जब संयंत्र और उपकरणों के महत्वपूर्ण घटकों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारितानुसार कंपनी अपने विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उन्हें अलग मूल्यहास प्रदान किया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रख-रखाव लागत को लाभ या हानि के विवरण में जब कभी घटित होती है, स्वीकार किया जाता है। निश्चित आस्तियों में जोड़/से हटाने के संबंध में, परिसंपत्तियों के अतिरिक्त/जोड़/हटाने के संदर्भ में प्रो-रेटा आधार पर मूल्यहास आस्तियों की जोड़/हटाने माह के संदर्भ में प्रदान किया जाता है।

प्रबंधन का मानना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन काल यथार्थवादी है और उस अवधि के उचित अनुमान को दर्शाता है जिस पर परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है और इन पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यहास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता ताकि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर लागत कम अवशेष मूल्य का व्यय किया जा सके जो निम्नानुसार है:

- 1) भवन : 3/5/30/60 वर्ष
- 2) संयंत्र और उपकरण: 10/12/15/20 वर्ष
- 3) फर्नीचर और फिक्स्चर: 10 साल
- 4) वाहन: 8/10 वर्ष
- 5) कार्यालय उपकरण: 3/5/6/8 वर्ष
- 6) अमूर्त संपत्ति: 5 वर्ष

निश्चित परिसंपत्तियों के मदों जिन्हें सक्रिय उपयोग से मुक्त किए गए और निपटान के लिए रखी गयी है, का मूल्य उनके निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।”

#### निवेश परिसंपत्तियाँ

कंपनी रखाव लागत का उपयोग निवेश परिसंपत्तियों के मानित लागत के रूप में करता है। परिसंपत्ति में निवेश जिसका मूलतः कंपनी द्वारा उपयोग के लिए या प्रचालन में अधिकृत करने के लिए नियत नहीं है, को निवेश परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवेश परिसंपत्तियों का मापन प्रारंभ में लेन-देन लागत और जहाँ लागू हो, उधार लागत सहित इनके लागत पर किया जाता है। प्रारंभिक मान्यकरण के फलस्वरूप, निवेश परिसंपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यहास और संचित क्षति हानि यदि कोई हो तो, में प्रतिपादित है। अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति की वहनीय राशि या अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार जो भी उपयुक्त हो, में तब शामिल किया जाता है जब यह संभाव्य है कि मद के साथ संबद्ध भावी आर्थिक फायदाएँ कंपनी में आ जाएगी और मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें यह उपगत है, के दौरान लाभ या हानि में किया जाता है।

यद्यपि कंपनी निवेश परिसंपत्ति का मापन लागत आधारित मापन का उपयोग कर किया जाता है, निवेश परिसंपत्ति का उचित मूल्य टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण मान्यता प्राप्त बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

कंपनी अपनी निवेश परिसंपत्तियों के मूल्यहास इनके उपयोगी जीवन काल पर किया जाता है जो परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान है।

निवेश परिसंपत्तियों का अमान्यकरण या तो जब उनका निपटान किया गया है या जब उन्हें उपयोग से स्थायी रूप से वापस किया जाता है और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक फायदा प्रत्याशित नहीं है। परिसंपत्तियों के निवल निपटान प्राप्ति और वहनीय राशि के बीच अंतर को अमान्यकरण की अवधि में लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है।

#### घ) बिक्री के लिए रखी गयी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

बिक्री के लिए रखी गयी के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियों या निपटान समूहों का मापन वहनीय राशि से कम और बिक्री के लिए लागत घटा उचित मूल्य पर किया जाता है।

गैर-चालू परिसंपत्तियों या निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहनीय राशियों को मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेन-देन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को केवल तभी पूरा किया माना जाता है जब बिक्री अत्यधिक संभव हो और संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के अधीन कि ऐसी संपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में स्वीकार के लिए अर्हता प्राप्त करने की प्रतीक्षा की जानी चाहिए और बिक्री की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना वापस ले ली जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए रखी गयी रूप में वर्गीकृत करने के बाद मूल्यहास या परिशोधित नहीं किया जाता है।

पट्टे की अवधि में पट्टे में सुधार

पट्टेवाली भूमि:

पट्टेवाली भूमि पर भुगतान किए गए पट्टे प्रीमियम का परिशोधन पट्टे के जीवनकाल में किया जाता है।, परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन काल और मूल्यहास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो भविष्यलक्षी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

#### ड) अमूर्त परिसंपत्तियां

i) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एसएपी लाइसेंस लागत शामिल अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की तारीख से सीधी रेखा आधार (एसएलएम) पर 5 साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

ii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक स्वीकार पर मापा जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निश्चित जीवन सहित अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति नुकसान से कम लागत पर ले लिया जाता है। पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रूप से सृजित किए गए अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उस अवधि जिसमें व्यय उपगत किया गया है, की लाभ या हानि में संबंधित व्यय परिलक्षित होता है। एक निश्चित उपयोगी जीवन काल सहित अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल प्राप्त राशि और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और संपत्ति को जब आमाम्य किया जाता है तब लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है। अनुसंधान लागत को उपगत किए जाने पर व्यय किया जाता है। व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्यय को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब कंपनी उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन कर सकती है।

एक परिसंपत्ति के रूप में विकास व्यय की प्रारंभिक पहचान के बाद, परिसंपत्ति को लागत घटा किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति नुकसान पर ले लिया जाता है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब शुरू होता है जब विकास पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। यह भविष्य के प्रत्याशित लाभ की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में तब तक पहचाना जाता है जब तक इस तरह के व्यय किसी अन्य परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य का हिस्सा बनता है।”

#### च) उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो, इनके लक्षित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समयावधि अवश्य लेता है और बिक्री परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती है। सभी अन्य उधार लेने की लागत को उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे घटित होते हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागत शामिल होती है जो संस्था निधि के उधार के संबंध में उपगत करती है। उधार लागत में उधार लेने की लागत में समायोजन के रूप में माने जाने वाला हद तक विनिमय का अंतर भी शामिल है।

#### छ) विदेशी मुद्रा लेन-देन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर लागू करते हुए दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियां और लेन-देन को लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर लागू कर दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में समायोजन किए बिना शेष विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अंतिम दर पर परिवर्तित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मदों जिसे विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के अनुसार लिया जाता है, को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। मौद्रिक मदों के समायोजन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों, उस दर से जो वर्ष के दौरान प्रारम्भ में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई थी, को उस वर्ष में जहाँ वे उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। विदेशी मुद्रा उधार पर विदेशी मुद्रा अंतर, दिये गए ऋण, उधार संबंधी व्युत्पन्न अनुबंध पर समायोजन लाभ/हानि और उचित मूल्य लाभ/हानि का लेखा किया जाता है और वित्तीय लागत के अधीन प्रकट किया जाता है। इस तरह

के विनियम अंतर में विदेशी मुद्रा अंतर शामिल नहीं है जिसका संबंध उधार लागत के समायोजन और परिसंपत्तियों की लागत के साथ पूंजीकृत के रूप में माना जाता है।

#### ज) उचित मूल्य मापन

“कंपनी पोर्टफोलियो आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर डेरिवेटिव जैसे वित्तीय लिखतों का मापन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मापन की तारीख पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति बेचने के लिए लेन-देन या देयता का अंतरण के लिए परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में होता है, या किसी प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक फायदेमंद बाजार में होता है। प्रमुख या सबसे फायदेमंद बाजार पर कंपनी द्वारा पहुँच होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन पूर्वधारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है कि जब परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय बाजार प्रतिभागियों का उपयोग इस धारणा के साथ किया जाएगा कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य का मापन परिसंपत्ति का उपयोग अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग द्वारा आर्थिक लाभ सृजित करने में बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखता है या किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर करता है। वे इस परिसंपत्ति का उपयोग अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में किया जाएगा। कंपनी परिस्थितियों में उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा, प्रासंगिक अवलोकन इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अनावश्यक इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए उपलब्ध हैं। सभी परिसंपत्तियों और देयताओं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन या प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है। निम्नतम स्तर इनपुट जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, के आधार पर निम्नानुसार वर्णित है

स्तर 1 - “समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्भूत (असमायोजित) बाजार की कीमतें”

स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखने योग्य है

स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है देखने योग्य नहीं है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकार की गयी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए कंपनी निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर) का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच घटित हुआ है। उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उपरोक्त वर्णितानुसार उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्ग निर्धारित किए हैं।

यह नोट उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीति का सारांश देता है। अन्य उचित मूल्य से संबंधित प्रकटीकरण प्रासंगिक नोट्स में दिए गए हैं।

#### झ) पट्टे

“एक व्यवस्था (या निहित) क्या पट्टा है, का निर्धारण पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के पदार्थ पर आधारित है। एक व्यवस्था पट्टे है या निहित है, अगर व्यवस्था की पूर्ति विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर आश्रित है पट्टे की व्यवस्था पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार बताती है, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

1 अप्रैल 2015 से पहले की व्यवस्था के लिए, कंपनी ने यह निर्धारित किया है कि क्या व्यवस्था में परिवर्तन की तिथि पर विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पट्टा शामिल है।”

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

“एक पट्टे को शुरू होने की तारीख में वित्तीय पट्टे या एक प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टा जो सभी जोखिमों और आकस्मिक प्रतिफल को कंपनी के स्वामित्व के लिए आनुपातिक रूप से अंतरित करता है, को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टे को पट्टे संपत्ति के उचित मूल्य या यदि निम्न है तो न्यूनतम पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर आरंभिक तिथि पट्टे की शुरुआत में पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे भुगतानों को वित्त शुल्कों और पट्टे देयता में कटौती के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष बकाए पर ब्याज की निरंतर दर प्राप्त हो सके। वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत में स्वीकार किया जाता है, जब तक कि वे योग्यताप्राप्त परिसंपत्तियों के लिए सीधे लाभ नहीं दे रहे हैं, इस मामले में उन्हें उधार लेने की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराया उन अवधि में, जिनमें वे खर्च किए जाते हैं व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। पट्टे पर परिसंपत्ति का मूल्यहास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में किया जाता है। हालांकि, अगर कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टे अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, परिसंपत्ति का मूल्यहास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन काल पर कम और लीज अवधि पर किया जाता है।

परिचालित पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।”

पट्टेदार के रूप में कंपनी

“पट्टे जिसमें कंपनी परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से किराए आय संगत पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से कंपनी से पट्टेदार को हस्तांतरित करती है। वित्त पट्टे के तहत पट्टेदार से देय राशियों को पट्टे पर कंपनी के निवल निवेश पर प्रायः के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टे की आय लेखांकन अवधि के लिए आबंटित की जाती है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर निरंतर आवधिक दर को प्रतिबिंबित किया जा सके।”

#### ञ) माल सूची

(i) भंडार और पुर्जें, पैकिंग सामग्री और कच्चे सामग्रियों का मूल्यन लागत से कम या निवल प्रायः मूल्य पर किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, लागत का निर्धारण चल भारित औसत के आधार पर किया जाता है। हालांकि, उपर्युक्त वस्तुओं का मूल्यन लागत से कम नहीं किया जाता है यदि तैयार उत्पादों जिसमें उन्हें शामिल किया जाना है, को लागत पर या उससे ऊपर बिक्री करना प्रत्याशित है।

(ii) अर्द्ध तैयार उत्पादों, तैयार उत्पादों और उप-उत्पादों का मूल्यन लागत से कम या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, मानक लागत के आधार पर लागत निर्धारित की जाती है जो वास्तविक लागत का अनुमान लगाती है। तैयार माल की लागत में यथा लागू उत्पाद शुल्क शामिल है। भिन्नता, असामान्य रूप से कम मात्रा और प्रचालन निष्पादन के अनन्य, को माल सूची में समायोजित किया जाता है।

(iii) उपोत्पादों का मूल्य अनुमानित निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

(iv) ट्रेड किए गए सामान का मूल्यन लागत के कम और निवल प्रायः मूल्य पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत और माल सूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में उपगत अन्य लागत शामिल हैं। लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

निवल वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण व्यापार की सामान्य गति में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटाकर किया जाता है।”

**ट) गैर-वित्तीय संपत्तियों की क्षति**

“प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी किसी परिसंपत्ति खराब होने के संकेत का आकलन करती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीई) निपटान के उचित मूल्य घटा लागत और उपयोग में इसके मूल्य की तुलना में अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो उन अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षत के रूप माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि पर बट्टे खाते डाला जाता है।

उपयोग में मूल्य के निर्धारण के लिए, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार के आकलन को दर्शाती है। निष्पक्ष मूल्य को निपटाने की कम लागत निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार की गई कंपनियों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों के लिए उद्धृत शेरर मूल्यों द्वारा संपुष्टि की जाती है।”

साख को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पहले स्वीकृत क्षति नुकसान मौजूद नहीं है या कम हो गई है संबंधी संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। चूंकि पिछले क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया, परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की गई धारणाओं में कोई बदलाव आया हो तो तब पहले स्वीकृत क्षति नुकसान को उलट देता है। यह उलट सीमित है ताकि परिसंपत्ति की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित होने वाली वहनीय राशि से अधिक हो, मूल्यांकन के निवल, पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया है। इस तरह के उलट को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत है। जब सीजीयू की वसूली योग्य राशि इसकी वहनीय राशि से कम है, तो एक क्षति नुकसान स्वीकार किया जाता है।

**ठ) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां**

कंपनी को जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, तब प्रावधानों को स्वीकार किया जाता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का प्रवाह दायित्व समायोजित करने के लिए आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की प्रतीक्षा है, उदाहरण के लिए, बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति को अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित होती है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ और हानि विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल में प्रस्तुत किया जाता है। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, तो प्रतिबिम्बित मौजूदा कर-पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों को छूट दी जाती है जो उचित होने पर, उत्तरदायित्व के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

पिछली देयताओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ घटने या न घटने द्वारा की जाएगी। यह पूरी तरह से उद्यम के नियंत्रण में नहीं, या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि या तो यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का प्रवाह दायित्व को समायोजित करने के लिए आवश्यक होगा, या दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है।

**ड) वित्तीय लिखत**

“एक वित्तीय लिखत कोई अनुबंध है जो एक संस्था की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य संस्था की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को बढ़त देता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक स्वीकृति और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेन-देन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती है।

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

यदि ‘निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है तो एक’ ऋण लिखत ‘को अपनी परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के भीतर धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्तियों को धरना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों के लिए निर्दिष्ट तिथियों जो बकाया मूल राशि पर केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान पर वृद्धि देती है।

प्रारंभिक मापन के बाद, इस तरह की वित्तीय संपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) तरीके का उपयोग करते हुए लागत में मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल है। क्षति से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।”

एफवीटीओसीआई में कर्ज लिखत

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है तो एक कर्ज लिखत को एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत किया जाता है:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य अनुबंधित नकद प्रवाह एकत्र कर और वित्तीय संपत्तियों को बेचकर दोनों हासिल किया जाता है, और

ख) परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल कर्ज लिखतों का मापन प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है। उचित मूल्य उतार-चढ़ाव का अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। हालांकि, कंपनी लाभ और हानि में ब्याज आय, क्षति नुकसान और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्ति के अमान्यकरण पर, ओसीआई में पहले स्वीकृत संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई कर्ज लिखत धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर तरीके का उपयोग कर ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।”

एफवीटीपीएल पर कर्ज लिखत

एफवीटीपीएल कर्ज लिखतों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी कर्ज लिखत, जो परिशोधित लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी कर्ज लिखत को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के जैसे परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, इस तरह के चुनाव को केवल तभी अनुमति दी जाती है जब ऐसा करने से मापन या स्वीकृत असंगतता (जिसे ‘लेखांकन विसंगति’ कहा जाता है) को कम या समाप्त किया जाता है। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में कुछ कर्ज लिखत को नामित किया है। एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल कर्ज लिखत का मापन लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तन सहित किया जाता है।

इक्विटी निवेश

इंड एस 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों का उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार



के लिए रखी गयी इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी लिखतों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद के परिवर्तनों में शामिल होने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को लिखत-दर-लिखत आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है। अगर कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी लिखत वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांश को छोड़कर लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। निवेश की बिक्री होने पर भी ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण तक राशियों में पुनःचक्रण नहीं है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल इक्विटी लिखतों का मापन लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

#### अमान्यकरण

“एक वित्तीय संपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों का एक कंपनी का हिस्सा) मुख्य रूप से अमान्य किया जाता है (यानी कंपनी के तुलन पत्र से हटा जाता है) जब:

परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या

कंपनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या ‘प्रभाव अंतरण (पास-थ्रू)’ व्यवस्था के तहत किसी तीसरी पार्टी को भौतिक देरी के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकद प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व संभाला है; और या तो (क) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर दिया है, या

(ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति के नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या अंतरण प्रभाव व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि उसने कितनी हद तक स्वामित्व के जोखिम और प्रतिफल बनाए रखा है। जब उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का हस्तांतरण नियंत्रण किया है, कंपनी की निरंतर भागीदारी की हद तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को स्वीकार करना कंपनी जारी रहेगी। उस स्थिति में, कंपनी एक संबंधित देयता को स्वीकार करती है। अंतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी के अधिकारों और दायित्वों को प्रतिबिंबित करता है। निरंतर भागीदारी जो अंतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेती है, परिसंपत्ति की मूल वहनीय राशि से कम और विचार की अधिकतम राशि पर मापा जाता है जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।”

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

“इंड एस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर क्षति के मापन और स्वीकार के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कर्ज लिखत होते हैं, और परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जैसे ऋण, कर्ज प्रतिभूतियां, जमा राशियां, व्यापार प्राप्तियां और बैंक शेष।
  - ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कर्ज लिखत हैं और मापन एफवीटीओसीआई के रूप में किया जाता है
  - ग) इंड एस 17 के तहत पट्टे प्राप्तियां
  - घ) नकद प्राप्त करने के लिए व्यापार प्राप्तियां या किसी अनुबंधिक अधिकार या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां जो लेन-देन से होता है, इंड एस 18 के दायरे के भीतर हैं (जिसे इन वित्तीय विवरणों में ‘अनुबंध राजस्व प्राप्तियां’ कहा जाता है)
  - ङ) वित्तीय गारंटी अनुबंध जो एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है
- कंपनी क्षति नुकसान भत्ता को स्वीकार करने के लिए ‘सरलीकृत दृष्टिकोण’ का पालन करती है:

व्यापार प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों का पता लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, इनकी प्रारंभिक स्वीकार से, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ता को स्वीकार किया जाता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम एक्सपोजर पर क्षति स्वीकार करने के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 महीने के ईसीएल का उपयोग क्षति नुकसान के लिए किया जाता है।

फिर भी, अगर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो जीवनकाल ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, तो संस्था 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि नुकसान भत्ता को स्वीकार के लिए वापस करती है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवन पर सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान है। 12 महीने का ईसीएल आजीवन ईसीएल का हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर संभाव्य चूक घटनाओं से होता है।

ईसीएल वह अंतर है जो संविदा के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाहों और संस्था प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित सभी नकद प्रवाह (यानी, सभी नकद कमी) के बीच अंतर है, जो मूल ईआईआर पर छूट दी जाती है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय, संस्था को विचार करने की आवश्यकता होती है:

वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवनकाल पर वित्तीय लिखत (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प सहित) की सभी संविदात्मक शर्तें। हालांकि, दुर्लभ मामलों में जब एक वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवनकाल को विश्वसनीय रूप से अनुमानित नहीं किया जा सकता है, तो संस्था को वित्तीय लिखत की शेष संविदात्मक अवधि का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

धारित संपार्श्विक की बिक्री या अन्य क्रेडिट वृद्धि की बिक्री से जो नकद प्रवाह होता है वह संविदात्मक शर्तों के अभिन्न हिस्सा है। वित्तीय परिसंपत्तियां का मापन परिशोधित लागत, संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां और पट्टे प्राप्तियां के रूप में किया जाता है। ईसीएल को तुलन पत्र में उन संपत्तियों के मापन के एक अभिन्न हिस्से के रूप में भत्ता में प्रस्तुत किया जाता है। भत्ता निवल वहनीय राशि को कम कर देता है। जब तक परिसंपत्ति बट्टे खाते मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तब तक कंपनी सकल वहनीय राशि से क्षति भत्ता को कम नहीं करती है।”

#### ढ) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यकरण और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक स्वीकृति पर, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर, ऋण और उधार, या देय यथा उपयुक्त हो, वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है और ऋण एवं उधार और देय के मामले में, सीधे स्रोतजन्य लेन-देन लागतों के निवल पर किया जाता है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय राशियां, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें बैंक ओवरड्राफ्ट, वित्तीय गारंटी, संविदा और व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे वर्णितानुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है,:

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए धारित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए उपगत किए जाते हैं, तो व्यापार के लिए धारित के रूप में

वर्गीकृत किया जाता है। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी शामिल हैं जिन्हें इंड एएस 109 द्वारा परिभाषितानुसार हेडज संबंधों में हेडजिंग लिखत के रूप में नामित नहीं किया जाता है। व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

#### ऋण और उधार

यह ऐसी श्रेणी है जो कंपनी के लिए सबसे प्रासंगिक है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, ब्याज-युक्त ऋण और उधार को बाद में ईआईआर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत में मापा जाता है। लाभ और हानि को तब लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है जब देयताओं का अमान्यकरण ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार पर लागू होती है।

#### वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं उन संविदाओं के लिए हैं जिन्हें धारक को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार जब देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, गारंटी निर्माण के लिए सीधे संबंध लेन-देन लागतों के लिए समायोजित करते हैं। इसके बाद, देयता को इंड एएस 109 की क्षति आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ता की राशि से उच्चतम स्तर पर मापा जाता है और राशि का मापन संचयी परिशोधन घटाकर किया जाता है।

#### अमान्यकरण

वित्तीय देयता को अमान्य तब किया जाता है जब देयता के तहत दायित्व को मुक्त या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से दूसरे रूप में अलग-अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के एक विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अमान्यकरण और नयी देयता के मान्यकरण के रूप में माना जाता है। संबंधित वहीनय राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

#### वित्तीय लिखतों की बराबरी (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर (ऑफसेट) किया जाता है और स्टैंडअलोन तुलन पत्र में निवल राशि की रिपोर्ट दी जाती है यदि स्वीकार की गयी राशियों को बराबर (ऑफसेट) करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और एक साथ परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं के समायोजन के लिए निवल आधार पर समायोजित करने का उद्देश्य है।

#### ग) व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों

प्रारंभिक स्वीकृति और अनुवर्ती मापन, कंपनी वायदा मुद्रा संविदा, पूर्ण मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप संविदाओं का क्रमशः अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर के जोखिमों को संभालने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को शुरुआत में उचित मूल्य पर उस तिथि को स्वीकार किया जाता है जिसपर एक व्युत्पन्न संविदा में प्रवेश किया गया है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में ली जाती है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देयताओं के रूप में ली जाती है जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

#### त) नकद और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों और हाथों में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकद प्रवाह के विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकदी समतुल्य में ऊपर परिभाषितानुसार नकदी और अल्पकालिक

जमाराशियाँ, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल शामिल हैं क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

#### थ) नकद लाभांश

कंपनी इक्विटी धारकों को नकदी वितरण करने के लिए देयता को तब स्वीकार किया जाता है जब वितरण प्राधिकृत किया जाता है और वितरण अब कंपनी के विवेकाधिकार पर नहीं है। भारत के कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब प्राधिकृत किया जाता है जब शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार राशि सीधे इक्विटी में स्वीकार किया जाता है।

#### द) कर

##### वर्तमान आयकर

“वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कराधान प्राधिकरणों से वसूली के लिए प्रत्याशित राशि या भुगतान की जाने वाली राशि पर किया जाता है। राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित होते हैं या, विशेष अधिनियमित हैं।

लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किए गए मदों से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर स्वीकार किया जाता है। वर्तमान कर मदों को या तो ओसीआई या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेन-देन से सहसंबंध में स्वीकार किया जाता है। प्रबंधन परिस्थितियों के संबंध में टैक्स रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है, जिसमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहाँ उचित हो वहाँ प्रावधान स्थापित करते हैं।”

##### आस्थगित कर

परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए ली जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता विधि का उपयोग करते हुए आस्थगित कर प्रदान किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए स्वीकार किया जाता है, सिवाय जब आस्थगित कर देयता गुडविल की प्रारंभिक स्वीकृति या किसी लेन-देन में संपत्ति या देयता से उत्पन्न होती है जो व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय, न तो लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है और न ही कर योग्य लाभ या हानि को। सहायक कंपनियों, सहयोगियों में निवेश के साथ जुड़े कर योग्य अस्थायी विभिन्नता के संबंध में और अस्थायी विभिन्नता पर ब्याज को निकट भविष्य में वापिस नहीं किया जा सकेगा, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी विभिन्नताएं, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों आगे ले जाने के लिए स्वीकार किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ कटौती योग्य अस्थायी विभिन्नताओं के विरुद्ध उपलब्ध होगा और आगे ले जाने वाले अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है, सिवाय: जब परिसंपत्तियों की प्रारंभिक स्वीकृति या लेन-देन देयता जो व्यापार संयुक्त नहीं है, से उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य अस्थायी अंतर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति लेन-देन के समय, लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहीनय राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस सीमा तक सीमित की जाती है कि अब यह संभव नहीं है, यह है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग किए जाने हेतु अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। आस्थगित कर संपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर फिर से मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति को वसूल किए जाने हेतु अनुमति देगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है, जिन्हें वर्ष में लागू होना प्रत्याशित है जब परिसंपत्ति को वसूल किया जाता है या देयता का समायोजन किया जाता है। इसका आधार कर दर (और कर कानून) है जिसको रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किए गए मदों से संबंधित

आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किया जाता है (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में)। आस्थगित कर मदों को या तो ओसीआई या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेन-देन से सहसंबंध में स्वीकार किया जाता है।

#### ध) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार भुगतान की गयी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) अप्रयुक्त कर क्रेडिट की प्रकृति में है जिसे आगे ले जा सकता है और इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। इस तरह के कर क्रेडिट पर आस्थगित कर संपत्तियों इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग निर्दिष्ट भविष्य अवधि में किया जा सके। वसूल करने योग्य कर निवल राशि या कराधान प्राधिकारी को भुगतान योग्य कर को तुलन पत्र में प्रायः राशि या देय राशि के हिस्से के रूप में शामिल की जाती है।

#### न) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को स्वीकार किया जाता है जहाँ उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त करेगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित लागतों की अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति करने का लक्ष्य है, व्यय किया जाता है। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित है, तो संबंधित परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल पर समान राशियों में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

निर्यात लाभ:

“आयात और निर्यात नीति के अनुसार कथित आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात का मिलान कथित लाइसेंस के खिलाफ किए गए निर्यातों के लिए किया जाता है और निवल लाभ / दायित्व को कच्चे माल की खपत में उपयुक्त समायोजन करते हुए लेखांकन किया गया है।

कथित योजनाओं के अधीन शुल्क वापसी, पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना और किए गए निर्यात के संबंध में आयात और निर्यात नीति के अनुसार अन्य योजनाओं के तहत प्रोद्भूत लाभ को ‘अन्य प्रचालन राजस्व’ के तहत ‘निर्यात प्रोत्साहन’ के रूप में शामिल किया गया है।”

#### प) प्रति शेयर अर्जन:

प्रति शेयर मूल आधारभूत अर्जन की गणना उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत और संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोग्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि का भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकरण अर्जनों की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोग्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारत और संख्या सभी तनुकरणीय संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

#### फ) आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियां

एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने द्वारा पुष्टि की जाएगी, यह घटनाएँ पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों के समायोजन के लिए संसाधनों का प्रवाह आवश्यक होगा। एक आकस्मिक देयता भी बहुत ही दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होती है जहां एक देयता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। कंपनी आकस्मिक देयता को स्वीकार नहीं किया जाता है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व प्रकट करती है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक यह वास्तव में निश्चित न हो कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा। जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है, वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है।

#### ब) शेयर-आधारित भुगतान:

कर्मचारी शेयर आधारित भुगतान योजनाओं का मापन और प्रकटीकरण इंड एस 102, शेयर-आधारित भुगतान के अनुसार किया जाता है। कंपनी उचित मूल्य विधि का उपयोग करते हुए कर्मचारी स्टॉक विकल्पों से संबंधित क्षतिपूर्ति की लागत का आकलन करती है। क्षतिपूर्ति व्यय को सीधी रेखा आधार पर विकल्प की निहित अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

#### ख) पिछली अवधि की त्रुटियां और चूक:

पिछली अवधि से संबंधित आय और व्यय की अलग-अलग मदों में त्रुटियां और चूक, यदि संभव हो तो संबंधित अवधि में रु 1 लाख से अधिक का हिसाब लगाया जाता है, या प्रतिधारित कमाई को खोलने के खिलाफ समायोजित किया जाता है

xi) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (“मध्यस्थ”), सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) को या किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (यों) में कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा (“अंतिम लाभार्थी”) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

2) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (“फंडिंग पार्टियों”) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी सीधे या परोक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी (“अल्टीमेट बेंनिफिशरीज”) की ओर से किसी भी तरह से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करना

#### हाल ही का भारतीय लेखांकन मानक

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2020 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियम के माध्यम से इंड एस में निम्नलिखित नया और संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसे समूह ने प्रयुक्त नहीं किया है क्योंकि वे 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हैं।

#### इंड एस 103: कारोबार संयोजन (विजनेस कॉम्बिनेशन)

“कारोबार” शब्द की परिभाषा को “गतिविधियों और परिसंपत्तियों का एकीकृत सेट में प्रतिस्थापित किया गया है जो ग्राहकों को सामान या सेवाएँ प्रदान करने, निवेश आय (जैसे लाभांश या ब्याज) सृजित करने या अन्य उत्पन्न करने के उद्देश्य से संचालित और प्रबंधित करने में सक्षम है। सामान्य गतिविधियों से आय। तदनुसार, ग्राहकों को सामान या सेवाएँ प्रदान करना जोड़ा गया है। यह संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय में ग्राहकों को वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एस लागू नहीं है।

#### इंड एस 107 और इंड एस 109: वित्तीय लिखत

हेज लेखा लेखांकन की एक विधि है जहां प्रतिभूति के उचित मूल्य को समायोजित करने के लिए प्रविष्टियां और इसके प्रतिकूल हेज को एक माना जाता है। हेज लेखांकन एक वित्तीय लिखत के मूल्य में बार-बार समायोजन द्वारा बनाई गई अस्थिरता को कम करने का प्रयास करता है, जिसे उचित मूल्य लेखांकन या मार्क टू मार्केट के रूप में जाना जाता है। अस्थिरता में यह कमी लिखत और हेज को एक प्रविष्टि के रूप में जोड़कर किया जाता है, जो प्रतिकूल आंदोलनों को ऑफसेट करता है। उन हेजिंग संबंधों के लिए जिन पर एक इकाई लागू होती है, एक इकाई प्रकट करेगी (क) महत्वपूर्ण ब्याज दर बेंचमार्क जिससे इकाई के हेजिंग संबंधों को उजागर किया जाता है (ख) इकाई द्वारा प्रबंधित जोखिम जोखिम की सीमा जो सीधे ब्याज दर से प्रभावित होती है बेंचमार्क सुधार (ग) इकाई वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में संक्रमण के लिए प्रक्रिया का प्रबंधन कैसे कर रही है (घ) इन पैराग्राफों को लागू करने में इकाई द्वारा किए गए महत्वपूर्ण धारणाओं या निर्णयों का विवरण (उदाहरण के लिए, ब्याज दर से उत्पन्न होने

वाली अनिश्चितता के बारे में धारणाएं या निर्णय बेंचमार्क सुधार अब समय और ब्याज दर बेंचमार्क-आधारित नकदी प्रवाह की राशि के संबंध में मौजूद नहीं है); और (ड) उन हेजिंग संबंधों में हेजिंग लिखतों की नाममात्र राशि।

विशिष्ट हेज लेखांकन आवश्यकताओं को लागू करने से निम्नलिखित अस्थायी अपवाद भी प्रदान किए जा रहे हैं क) नकदी प्रवाह हेज के लिए अत्यधिक संभावित आवश्यकता का आकलन करने के लिए ख) नकदी प्रवाह हेज आरक्षित में संचित राशि को पुनर्वर्गीकृत करना ग) हेज की गई वस्तु और हेजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध का आकलन करना घ) किसी आइटम के घटक को हेज्ड आइटम के रूप में नामित करना। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एस लागू नहीं है।

इंड एस 116: पट्टे

कोविड-19 और उसके बाद भारत में लॉकडाउन के कारण, कई कारोबार बंद या आंशिक रूप से खुल गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तदनुसार, पट्टा भुगतान प्रभावित हुआ है और कारोबार अपने विक्रेताओं से किराए में रियायत की मांग कर रहे हैं। यदि नीचे दी गई शर्तों को पूरा किया जाता है, तो संस्था पट्टा संशोधन के बिना किराए में रियायत माना जाता है। (क) पट्टे के भुगतान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पट्टे के लिए संशोधित विचार होता है जो कि परिवर्तन से तुरंत पहले पट्टे के लिए आनुपातिक रूप से समान या उससे कम है; (ख) पट्टे के भुगतान में कोई कमी केवल 30 जून, 2021 को या उससे पहले मूल रूप से देय भुगतानों को प्रभावित करती है (उदाहरण के लिए, एक किराए की रियायत इस शर्त को पूरा करेगी यदि इसके परिणामस्वरूप 30 जून, 2021 को या उससे पहले पट्टे भुगतान कम हो जाता है और पट्टे भुगतान बढ़ जाती है जो 30 जून, 2021 से आगे बढ़ते हैं); और (ग) पट्टे के अन्य नियमों और शर्तों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं है। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एस लागू नहीं है।

**इंड एस 1 और 8: वित्तीय विवरणों और लेखांकन नीतियों की प्रस्तुति, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन**

इस संशोधन द्वारा सामग्री की एक नई परिभाषा पेश की गई है, यह अधिक परिष्कृत है और उद्योग द्वारा सबसे अधिक अपेक्षित है, परिस्थितियों के कुछ उदाहरण भी अधिक स्पष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं।

सामग्री: जानकारी महत्वपूर्ण है यदि इसे छोड़ना, गलत बताना या अस्पष्ट करना उन निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं, जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं। भौतिकता सूचना की प्रकृति या परिमाण, या दोनों पर निर्भर करती है। एक प्रतिष्ठान यह आकलन करता है कि क्या सूचना, व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के संयोजन में, समग्र रूप से लिए गए उसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

जानकारी अस्पष्ट है यदि इसे इस तरह से संप्रेषित किया जाता है जो वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के लिए उस जानकारी को छोड़ने या गलत करने के समान प्रभाव डालती है। निम्नलिखित परिस्थितियों के उदाहरण हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक जानकारी अस्पष्ट हो सकती है: -

- क) वित्तीय विवरणों में किसी भौतिक वस्तु, लेन-देन या अन्य घटना के बारे में जानकारी का खुलासा किया गया है लेकिन इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अस्पष्ट या अस्पष्ट है
- ख) एक भौतिक वस्तु, लेनदेन या अन्य घटना के बारे में जानकारी पूरे वित्तीय विवरणों में बिखरी हुई है
- ग) असमान मदों, लेन-देनों या अन्य घटनाओं को अनुपयुक्त रूप से एकत्रित किया जाता है;
- घ) समान आइटम, लेनदेन या अन्य घटनाएं अनुपयुक्त रूप से अलग-अलग हैं; तथा

ड) वित्तीय विवरणों की समझ कम हो जाती है क्योंकि भौतिक जानकारी को सारहीन जानकारी द्वारा छिपाया जाता है, इस हद तक कि प्राथमिक उपयोगकर्ता यह निर्धारित करने में असमर्थ है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है।

किसी विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सूचना की अपेक्षा की जा सकती है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए एक इकाई को उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जबकि इकाई की अपनी परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है।

प्राथमिक उपयोगकर्ता जिनके लिए सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरण निर्देशित किए जाते हैं। वित्तीय विवरण उन उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं जिन्हें व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों का उचित ज्ञान होता है और जो जानकारी की समीक्षा और विश्लेषण उपयुक्त रूप से करते हैं। कभी-कभी, अच्छी तरह से सूचित और मेहनती उपयोगकर्ताओं को भी जटिल आर्थिक घटनाओं संबंधी जानकारी को समझने के लिए सलाहकार की सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है।

कंपनी ने वित्तीय विवरणों और लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों की प्रस्तुति के लिए 'भौतिकता' की परिभाषा में परिवर्तन पर विधिवत विचार किया है।

**इंड एस 10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटनाएँ**

भारतीय लेखा मानक 10 के अनुच्छेद 21 को संशोधन में किसी भी गैर-समायोजन घटना से प्रतिस्थापित किया गया है, जो उन निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से अपेक्षित हो सकता है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में जोड़ा गया है के वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं।

तदनुसार, निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रदान किया जाना है:

क) घटना की प्रकृति; तथा

ख) इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान, या एक बयान कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

कंपनी ने वित्तीय विवरणों की तैयारी, प्रकटीकरण और प्रस्तुति के लिए उपरोक्त संशोधन पर विधिवत विचार किया।

**इंड एस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग**

परिणामी संशोधन और पुनर्गठन योजना का लेखांकन

**इंड एस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले लिया गया पुनर्गठन संबंधी प्रबंधन या बोर्ड का निर्णय तब तक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक रचनात्मक दायित्व को सृजित नहीं देता है जब तक कि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले नहीं होता है

क) पुनर्गठन योजना को लागू करना शुरू किया; या

ख) इससे प्रभावित लोगों के लिए पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताओं की घोषणा पर्याप्त रूप से विशिष्ट तरीके से की ताकि उनमें एक वैध उम्मीद पैदा की जा सके कि इकाई पुनर्गठन करेगी।

यह संशोधन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

**हाल के भारतीय लेखा मानक (इंड एस)**

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है ताकि कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन किया जा सके। इस संशोधन में निम्नलिखित नए और संशोधन लाए गए हैं। भारतीय लेखा मानक, जिसे समूह ने वर्ष के दौरान जहां भी लागू हो, विधिवत रूप से लागू किया है:

**इंड एएस - 103: बिजनेस कॉन्विनेशन**

पहला संशोधन अधिग्रहीत पहचान योग्य परिसंपत्तियों की मान्यता की स्थिति, ग्रहण की गई देनदारियों और अधिग्रहण में किसी भी गैर-नियंत्रित हित से संबंधित है। अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को अधिग्रहण की तारीख में भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस - 105: बिक्री और बंद संचालन के लिए धारित गैर-वर्तमान संपत्तियां**

संशोधन में वसूली योग्य राशि की परिभाषा में बदलाव का प्रावधान है - वसूली योग्य राशि का अर्थ है किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक से अधिक निपटान की लागत। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस - 107: वित्तीय लिखत - प्रकटीकरण**

संशोधन एक इकाई के वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन रणनीति पर ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करता है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस - 109: वित्तीय लिखत**

यह संशोधन वित्तीय लिखत की प्रारंभिक मान्यता में निर्दिष्ट संविदात्मक शर्तों में संशोधन के माध्यम से ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप संविदात्मक नकदी प्रवाह को निर्धारित करने के आधार में परिवर्तन प्रदान करता है, जिस तरह से विचार नहीं किया गया था या उस पर विचार नहीं किया गया था। अनुबंध की शर्तों में संशोधन किए बिना और/या मौजूदा संविदात्मक अवधि के सक्रिय होने के कारण वित्तीय साधन की प्रारंभिक मान्यता पर संविदात्मक शर्तें। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस - 114: नियामक आस्थगित खाता (रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स)**

यह संशोधन नियामक आस्थगित खाता शेष के संबंध में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। नियामक आस्थगित खाता शेष को पहचानना शुरू करने के लिए एक इकाई अपनी लेखा नीतियों को नहीं बदलेगी। एक प्रतिष्ठान केवल नियामक आस्थगित खाता शेष की मान्यता, माप, हानि और गैर-मान्यता के लिए अपनी लेखांकन नीतियों को बदल सकता है यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों को उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाता है और कोई कम विश्वसनीय, या अधिक विश्वसनीय नहीं है और नहीं उन जरूरतों के लिए कम प्रासंगिक। एक इकाई भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 10 में दिए गए मानदंडों का उपयोग करके प्रासंगिकता और विश्वसनीयता का न्याय करेगी। कंपनी इस संशोधन से किसी प्रभाव की अपेक्षा नहीं करती है।

**इंड एएस एएस - 116: पट्टा (लीज़)**

यह संशोधन ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप भविष्य के लीज भुगतानों के निर्धारण के लिए आधार बदलने का प्रावधान करता है। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के लिए एक पट्टा संशोधन आवश्यक है, यदि और केवल तभी, जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं: (क) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संशोधन आवश्यक है; और (ख) पट्टा भुगतान निर्धारित करने के लिए नया आधार आर्थिक रूप से पिछले आधार के बराबर है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए अधिसूचित किया है। कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम 2022 को लागू किया है।

**इंड एएस - 103: व्यापार संयोजन**

पहला संशोधन अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्तियों, ग्रहण की गई देनदारियों और अधिग्रहण में किसी भी गैर-नियंत्रित हित की मान्यता की स्थिति से संबंधित है। अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को अधिग्रहण तिथि पर भारत के चार्टर्ड लेखाकार इंस्टीट्यूट द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना होगा। अन्य संशोधन अमूर्त संपत्तियों को पहचानने पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, पहचान योग्य संपत्तियों और देनदारियों के प्रकार को निर्दिष्ट करते हैं जिनमें वे आइटम शामिल होते हैं जिनके लिए यह इंड एएस मान्यता सिद्धांत और शर्तों के लिए सीमित अपवाद प्रदान करता है, इसकी मान्यता और माप सिद्धांतों के लिए सीमित अपवाद प्रदान करता है और निर्दिष्ट करता है दोनों विशेष आइटम जिनके लिए अपवाद प्रदान किए गए हैं और उन अपवादों को प्रकृति। कंपनी को इन संशोधनों से कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस - 16: संपत्ति संयंत्र और उपकरण**

यह संशोधन परीक्षण की लागत के संबंध में सीधे जिम्मेदार लागत के लिए प्रदान करता है कि क्या परिसंपत्ति ठीक से काम कर रही है, संपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के दौरान उत्पादित किसी भी वस्तु को बेचने से शुद्ध आय में कटौती करने के बाद (जैसे परीक्षण उपकरण के दौरान उत्पादित नमूने)। परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली सीधे जिम्मेदार लागत से कटौती की जाएगी। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस - 37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां**

यह संशोधन भारी अनुबंध के संबंध में प्रावधान करता है, अनुबंध को पूरा करने की लागत में वे लागतें शामिल हैं जो सीधे अनुबंध से संबंधित हैं। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागतों में दोनों शामिल हैं- (क) उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत (ख) अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। यह भी प्रदान करता है, एक कठिन अनुबंध के लिए एक अलग प्रावधान स्थापित होने से पहले, एक इकाई किसी भी हानि हानि को पहचानती है जो अनुबंध को पूरा करने में उपयोग की गई संपत्ति पर हुई है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।



टिप्पणी-3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

क्रम सं	विवरण	सकल खंड				मूल्यहास / परिशोधन / क्षति				निवल खंड	
		01.04.2022	जोड़	लोप	31.03.2023	01.04.2022	लोप	वर्ष के दौरान प्रदान किए गए	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2022
		को			को	तक			तक	को	को
क)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
1क.	भूमि एवं भूमि विकास	578.25	0.00	0.00	578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	578.25	578.25
1ख.	भूमि-पुनर्मूल्यांकन	12406.00	1035.38	0.00	13441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13441.38	12406.00
2.	भवन	1282.52	0.00	0.00	1282.52	899.73	0.00	18.00	917.73	364.79	382.79
3.	संयंत्र और उपकरण	24942.37	90.49	0.00	25032.86	23044.05	0.00	78.74	23122.79	1910.07	1898.32
4	फर्नीचर,फिक्सचर और उपकरण	115.13	1.99	0.00	117.12	103.27	0.00	0.89	104.16	12.96	11.86
5.	वाहन	118.63	0.17	0.00	118.80	108.54	0.00	0.83	109.37	9.43	10.09
6.	कार्यालय उपकरण	683.03	7.15	0.00	690.18	622.31	0.00	9.72	632.03	58.15	60.72
7.	पुस्तकालय पुस्तकें	13.47	0.00	0.00	13.47	13.43	0.00	0.00	13.43	0.04	0.04
	<b>उप कुल</b>	<b>40139.40</b>	<b>1135.18</b>	<b>0.00</b>	<b>41274.58</b>	<b>24791.33</b>	<b>0.00</b>	<b>108.18</b>	<b>24899.51</b>	<b>16375.07</b>	<b>15348.07</b>
ख)	निवेश संपत्ति										
ख.	निवेश संपत्ति भूमि	16.71	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71	16.71
ख1.	निवेश संपत्ति भवन	136.89	0.00	0.00	136.89	64.86	0.00	2.16	67.02	69.87	72.03
	<b>उप कुल</b>	<b>153.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.60</b>	<b>64.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2.16</b>	<b>67.02</b>	<b>86.58</b>	<b>88.74</b>
ग)	अमूर्त संपत्ति - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	442.30	0.00	0.00	442.30	415.04	0.00	8.40	423.44	18.85	27.25
	<b>कुल योग</b>	<b>40735.30</b>	<b>1135.18</b>	<b>0.00</b>	<b>41870.48</b>	<b>25271.23</b>	<b>0.00</b>	<b>118.74</b>	<b>25389.97</b>	<b>16480.50</b>	<b>15464.06</b>

- वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त संपत्ति के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी जीवन के प्रबंधन अनुमानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- कंपनी ने कोची के अंबलमुगल में मेसर्स स्टर्लिंग गैस लिमिटेड को रद्द करने योग्य पट्टा समझौते के तहत परिचालन पट्टे के रूप में 1.03 एकड़ जमीन दी थी। निवेश संपत्तियों को पट्टा समझौते के तहत कवर किए गए क्षेत्र के आधार पर मालिक के कब्जे वाली संपत्ति से अलग किया जाता है और निवेश का मूल्य आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया गया है।
- कंपनी की कोची इकाई के अधीन में 184 फ्लैट्स हैं, जो 155104 वर्ग फुट के हैं। जिसमें से 46594 वर्ग फुट से मिलकर 55 फ्लैटों को निवेश की संपत्ति के रूप में दिया गया है।
- कोची में भूमि का पुनर्मूल्यांकन पेशेवर रूप से योग्य स्वतंत्र मूल्यांकक एर.एस.राजेंद्रप्रसाद, संपत्ति कर संख्या: कैटोगरी नंबर 1/3/जिल्द.त्/2009-10.सं:सीसी-कोची/तक/आरवी/3/2009-10) द्वारा 14.04.2023 को किया गया है। वहन राशि जिसे लागत मॉडल के तहत 578.25 लाख रुपये और पुनर्मूल्यांकन अधिशेष 1035 लाख रुपये के रूप में मान्यता दी गई होगी और शेष राशि के वितरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

निवेश परिसंपत्तियों के लिए लाभ या हानि में स्वीकृत राशि	31.03.2023	31.03.2022
आकस्मिक भाड़े सहित भाड़े आय	26.98	24.07
किराया आय सृजित परिसम्पत्तियों से सीधा प्रचालन व्यय	15.74	7.20
किराया आय नहीं सृजित परिसम्पत्तियों से सीधा प्रचालन व्यय	0.00	0.00
मूल्यहास के पहले निवेश परिसंपत्तियों से आय	<b>11.24</b>	<b>16.87</b>
मूल्यहास	2.16	2.16
निवेश परिसंपत्तियों से आय	<b>9.08</b>	<b>14.71</b>
निवेश संपत्ति के उचित मूल्य (भूमि)		
निवेश परिसंपत्ति - स्टर्लिंग गैस लिमिटेड	120.41	111.66
निवेश परिसंपत्ति - टाउनशिप	408.49	371.35
<b>कुल</b>	<b>528.90</b>	<b>483.01</b>

उचित मूल्य का अनुमान :

निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का नियतन प्रोफेशनल योग्यता वाले बाहरी स्वतंत्र संपत्ति मूल्यक द्वारा किया गया है।

3घ) बिक्री के लिए रखी गयी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि (₹ लाख में)

गैर चालू परिसंपत्तियों का विवरण	बिक्री के तथ्य और परिस्थितियाँ	निपटान का तरीका	निपटान का समय	निवल खंड	
				31.03.2023	31.03.2022
				को	को
भूमि	रसायनी इकाई को बंद करना और परिसंपत्तियों का निपटान।	152 एकड़ जमीन की सीधी बिक्री वीपीसीएल को और शेष एनबीसीसी के माध्यम से।	12 महीने के भीतर	99094.84	99094.84
भवन		एमएसटीसी के माध्यम से ई-नीलामी	-वही-	65.15	65.15
संयंत्र और उपकरण		-वही-	-वही-	58.81	58.81
फर्नीचर,फिक्सचर और उपकरण		-वही-	-वही-	0.94	0.94
<b>कुल</b>				<b>99219.74</b>	<b>99219.74</b>

नोट: कंपनी 22 मई, 2017 के आदेश के तहत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है, संयंत्र और स्क्रेप किए गए उपकरणों का निपटान कर दिया गया है। रसायनी में भार रहित भूमि की एनबीसीसी के माध्यम से और पनवेल की भूमि की ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री प्रगति पर है। कोची में फिनोल संयंत्र चालू है।

**वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

**4. निवेश (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
<b>गैर चालू</b>		
उल्लेखित लागत में निवेश		
<b>(क) इक्विटी लिखतों में निवेश</b>		
क. सहायक कंपनियों में निवेश (उद्धृत)		
11060000 (पिछला साल 11060000) इक्विटी शेयरों के रु. 10 प्रति हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड में पूरी तरह से प्रदत्त (56.43% शेयर धारण)	1,106.00	1,106.00
घटाएँ: निवेश की कमी के लिए प्रावधान (बाज़ार मूल्य 31.03.2023 को रु 8.91, पिछले वर्ष रु 9.57 प्रति शेयर) *	120.55	47.56
<b>उप कुल</b>	<b>985.45</b>	<b>1,058.44</b>
केरला एनवीरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अनुद्धत इक्विटी शेयरों में निवेश (प्रत्येक 10/- रूपए के 50000 अनुद्धत इक्विटी शेयर)	5.00	5.00
घटाएँ :- निवेश के मूल्य में हास के लिए प्रावधान	-	-
<b>कुल गैर-चालू निवेश</b>	<b>990.45</b>	<b>1,063.44</b>
उद्धृत निवेशों की संकलित राशि (बाज़ार मूल्य)	985.45	1,058.44
उद्धृत निवेशों की संकलित राशि (लागत)	1,106.00	1,106.00
अनुद्धृत निवेशों की संकलित राशि	5.00	5.00
क्षति के लिए प्रावधान की संकलित राशि	120.55	47.56
<b>कुल गैर-चालू निवेश</b>	<b>990.45</b>	<b>1,063.44</b>

\* निवेश के मूल्य में लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है जब से बाज़ार मूल्य 31.03.2023 पर प्रति शेयर केवल रु 8.91 और 31.03.2022 को रु 9.57 प्रति शेयर (अंकित मूल्य रु 10 प्रति शेयर).

**5. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
i) अधिकारियों और उच्च न्यायालय के पास अन्य जमाएँ	518.05	497.37
<b>कुल</b>	<b>518.05</b>	<b>497.37</b>

**6. माल सूची (लागत और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यन) (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. कच्ची सामग्रियाँ और संघटक	998.33	1,699.53
ख. प्रगत्यधीन कार्य (डबल्यूआईपी)	938.00	1,133.84
ग. तैयार वस्तुएं	978.47	2,265.34
घ. भंडार और पुर्जे	2,401.65	2,795.21
घटाएँ: दुकानों और पुर्जों के अप्रचलन के लिए भत्ता।	(355.50)	(382.73)
<b>कुल</b>	<b>4,960.95</b>	<b>7,511.19</b>

\* दुकानों के अप्रचलित होने पर पांच वर्ष से अधिक की धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं पर 50% और अप्रचलित वस्तुओं पर 100% लूट दी जाती है।

**7. व्यापार प्राप्य (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सही माने गए - रक्षित	-	-
सही माने गए - अरक्षित	1,807.23	732.03
जिससे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.48	3.09
साख खराब	1,474.52	1,489.46
घटाएँ: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	(1,474.52)	(1,489.46)
घटाएँ: प्राप्य बिल भुनाये गए	-	-
<b>कुल व्यापार प्राप्य</b>	<b>1,807.71</b>	<b>735.12</b>

भत्ता व्यापार प्राप्य के खातों में बनाया जाता है जिसे प्रबंधन की राय में क्रेडिट अक्षम माना जाता है। कंपनी उन व्यापार प्राप्यों के लिए भत्ता बनाने की प्रथा का लगातार पालन कर रही है जो तीन साल से अधिक समय से बकाया हैं या जिनकी वसूली संदिग्ध है। दो से तीन वर्षों के बीच महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम दिखाने वाले व्यापार प्राप्य को भत्ते के लिए प्रदान किया गया है।

**भारतीय लेखांकन मानक 37, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां के अधीन अपेक्षितानुसार चलन के लिए प्रकटन**

संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वर्ष के प्रारम्भ में प्रावधान	1,489.46	1,474.13
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान **	2.14	16.77
घटाएँ: वर्ष के दौरान निर्मुक्त*	17.08	1.44
<b>वर्ष के अंत में प्रावधान</b>	<b>1,474.52</b>	<b>1,489.46</b>

\* वर्ष के दौरान कंपनी ने 17.08 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1.44 लाख रुपये) की व्यापार प्राप्य राशि एकत्र/बट्टे खाते में डाल दी है, जिसके लिए भत्ता पहले ही बनाया जा चुका है।

\*\* व्यापार प्राप्य प्रावधान ईसीएल मैट्रिक्स के अनुसार किया जाता है।

लेनदार परिपक्वता	लेनदार	%	प्रावधान
अतिदेय नहीं	1790.94	0.00	0
90-180 दिन	0.90	12.29	0.11
180-366 दिन	0.18	5.85	0.01
360-730 दिन	0.49	8.45	0.04
731-1095 दिन	0.48	15.59	0.08
1095 दिनों से अधिक	1489.24	99.00	0.08
<b>कुल</b>	<b>3282.23</b>		<b>1474.52</b>

**व्यापार प्राप्य समयवृद्धि अनुसूची रूपए लाख में**

विवरण	देय नहीं(60 दिनों से कम)	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		छ: माह से कम	छ: माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
<b>चालू वर्ष 2022-23</b>							
(i) अविवादित व्यापार प्राप्त-सही माने गए	1791.84		0.19	0.49			1792.52
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य-जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।					0.48		0.48
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य-ऋण रस्ज़िंग						590.00	590.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- सही माने गए						0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य- जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।						899.22	899.22
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य-ऋण इंपैरेड	1791.84	0.00	0.19	0.49	0.48	1489.22	3282.23
घटाएँ: प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता	0.00	0.00	0.12	0.04	0.08	1474.28	1474.52
निवल राशि	1791.84	0.00	0.07	0.45	0.40	14.94	1807.71

**पिछले वर्ष 2021-22**

(i) अविवादित व्यापार प्राप्त-सही माने गए	291.20	431.89	3.11	5.83			732.03
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य-जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।					3.09		3.09
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य-ऋण इंपैरेड						598.64	598.64
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- सही माने गए						0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य- जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।						891.03	891.03
vi) विवादित व्यापार प्राप्य-ऋण इंपैरेड							
<b>कुल</b>	<b>291.20</b>	<b>431.89</b>	<b>3.11</b>	<b>5.83</b>	<b>3.09</b>	<b>1489.67</b>	<b>2224.79</b>
घटाएँ: प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1489.67	1489.67
<b>निवल राशि</b>	<b>291.20</b>	<b>431.89</b>	<b>3.11</b>	<b>5.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>732.03</b>

**8. नकद और नकदी समतुल्य (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
बैंकों के साथ शेष (नकद और नकदी समतुल्य श्रेणी के):		
चालू खाता	277.00	239.30
बचत खाता *	153.43	149.25
तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित निवेश	3928.11	1624.50
हाथ में नकद	0.47	1.48
<b>कुल</b>	<b>4359.01</b>	<b>2014.53</b>



## स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

\*स्माल कोसेस कोर्ट, मुंबई के निर्देशों के अनुसार हरचंद्राई हाउस की किराए देय राशि के लिए बचत खाते में शेष राशि पृथक रक्षित है।

## 9. अन्य बैंक शेष (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
एलसी/ बीजी के विरुद्ध मियादी जमा	6202.07	5592.19
तीन माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम परिपक्वता के लिए मियादी जमा	6169.40	5904.01
<b>कुल</b>	<b>12371.47</b>	<b>11496.20</b>

## 10. ऋण (चालू परिसंपत्तियां) (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
<b>क) संबन्धित पक्षों को चालू ऋण और अग्रिम।</b>		
अरक्षित, सही माने गए (सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड)	3197.08	3197.08
निवल राशि	<b>3197.08</b>	<b>3197.08</b>
<b>(ख) कर्मचारियों को ऋण</b>		
क) अरक्षित, सही माने गए	22.35	21.01
<b>(ग) विविध ऋण</b>		
संदिग्ध	65.00	65.00
घटाएँ: संदिग्ध विविध ऋण के लिए भत्ता	65.00	65.00
	0.00	0.00
<b>कुल ऋण - चालू</b>	<b>3219.43</b>	<b>3218.09</b>

ऋण और प्रायः गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं।

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड ने आरओसी, हैदराबाद में कंपनी के पक्ष में 2744.07 लाख रुपये के शून्य कूपन ऋण, 453.01 लाख रुपये के ब्याज वाले ऋण के लिए रुद्राम गांव, मेडक जिला, तेलंगाना राज्य में 84.31 एकड़ भूमि पर पहला प्रभार बनाया है और 31 मार्च 2023 तक उस पर मिलने वाला ब्याज 1075.05 रुपये (पिछले वर्ष 1017.79 लाख रुपये) 4272.13 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4214.87 लाख रुपये) है। पेशेवर योग्यता रखने वाले एक बाहरी पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति का मूल्य 10196.76 लाख रुपये है।

## 11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

चालू	31.03.2023 को	31.03.2022 को
<b>क) ब्याज प्रायः</b>		
अरक्षित, सही माने गए		
<b>जमा राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज</b>	<b>358.29</b>	<b>316.25</b>
अग्रिमों पर प्रोद्भूत ब्याज	106.08	106.08
घटाएँ: संदिग्ध चुकोती के लिए प्रावधान	106.08	106.08
निवल राशि	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
टाउनशिप से प्रोद्भूत आय	0.00	5.53
घटाएँ: भत्ते	0.00	5.53
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ख) संबन्धित पक्षों से प्राप्त ब्याज</b>		
(सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड)	1,075.05	1,017.79
<b>निवल राशि</b>	<b>1075.05</b>	<b>1017.79</b>
<b>कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां</b>	<b>1433.34</b>	<b>1334.04</b>

## 12. अन्य चालू परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्टर के पास जमा	7.37	7.37
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	2.90	2.90
उप-कुल	<b>4.47</b>	<b>4.47</b>
ii) वैधानिक प्रायः - शुल्क और कर, प्रीपेड कर	317.07	842.07
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	4.29	4.29
उप कुल	<b>312.78</b>	<b>837.78</b>
iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	146.10	277.26
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	4.31	4.31
	<b>141.79</b>	<b>272.95</b>

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
iv) जमाराशि - उपदान, ईएमडी भाड़ा	1781.19	1544.33
v) प्रीपेड व्यय	142.04	163.01
vi) वसूलीयोग्य अन्य अग्रिम	28.56	39.81
vii) कर्मचारियों को अग्रिमों पर उपचित आय	4.69	8.15
viii) कर्मचारियों से वसूलीयोग्य	60.41	60.41
उप कुल	<b>235.70</b>	<b>271.38</b>
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	60.41	60.41
उप कुल	<b>175.29</b>	<b>210.97</b>
<b>कुल</b>	<b>2415.52</b>	<b>2870.50</b>

एलआईसी में 1729.47 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1490.61 लाख रुपये) को ग्रेच्युटी जमा और आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रेच्युटी देनदारी के खिलाफ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट बनाया।

## 13. शेयर पूंजी (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	सं.	₹.	सं.	₹.
<b>प्राधिकृत शेयर पूंजी</b>				
प्रत्येक 10 रुपये का इक्विटी शेयर				
अथ शेयर	100000000	10000.00	100000000	10000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	0.00	-	0.00
<b>अंतिम शेयर</b>	<b>100000000</b>	<b>10000.00</b>	<b>100000000</b>	<b>10000.00</b>
10 रुपये प्रत्येक के वरीयता शेयर				
अथ शेयर	270000000	27000.00	270000000	27000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	0.00	-	0.00
<b>अंतिम शेयर</b>	<b>270000000</b>	<b>27000.00</b>	<b>270000000</b>	<b>27000.00</b>
<b>कुल अधिकृत पूंजी</b>	<b>370000000</b>	<b>37000.00</b>	<b>370000000</b>	<b>37000.00</b>
<b>जारी की गई इक्विटी पूंजी</b>				
10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान किए गए				
अथ शेयर	67173100	6717.31	67173100	6717.31
जोड़ें: जब्त किए गए शेयरों पर भुगतान की गई राशि	-	9.65	-	9.65
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	0.00	-	0.00
<b>कुल - इक्विटी शेयर पूंजी</b>	<b>67173100</b>	<b>6726.96</b>	<b>67173100</b>	<b>6726.96</b>

## इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसमें ₹10 प्रति शेयर का बराबर मूल्य है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

## कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण और प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	31.03.2023 को		31.03.2022 को		% वर्ष के दौरान परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	
10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर का पूर्ण भुगतान: भारत सरकार (प्रवर्तक)	3,94,81,500	58.78%	3,94,81,500	58.78%	शून्य

वर्ष 2010-11 के दौरान, कंपनी ने आवंटन और कॉल मनी के गैर भुगतान के लिए प्रत्येक 10 रूपए (5 रूपए प्रदत्त) के 193000 शेयर जब्त किए और इन जब्त शेयरों के संबंध में आवेदन राशि की ओर भुगतान की गई राशि "शेयर जब्त खाता" में स्थानांतरित कर दिया गया है।

## 14. अन्य इक्विटी (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
<b>क) प्रतिभूति प्रीमियम रिसेर्व</b>		
अथ शेयर	4838.57	4838.57
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी) -	0.00	0.00
<b>अंतिम शेयर</b>	<b>4838.57</b>	<b>4838.57</b>

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
<b>ख) प्रतिधारित अर्जन</b>		
<b>अथ शेष</b>		
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ (नोट क्रमांक 37)	(1,01,761.72)	(99,497.02)
अवधि की शुरुआत में शेष राशि बहाल की गई	(294.36)	59.76
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(1,02,056.08)	(99,437.26)
जोड़ें: भूमि की बिक्री पर लाभ	(5,022.41)	(2,618.82)
<b>अंतिम शेष</b>	<b>(107078.48)</b>	<b>(102056.08)</b>
<b>ग) अन्य व्यापक आय</b>		
<b>i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन</b>		
<b>अथ शेष</b>		
जोड़ें: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन (नोट नं.3)	95,008.71	93,606.29
घटाएँ: रिज़र्व को बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरित कर दिया गया	1,035.38	1,978.42
जोड़ें: बिक्री के कारण आस्थगित कर देनदारी का उलटा होना	-	-
जोड़ें/घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर देयता	(302.00)	(576.00)
<b>अंतिम शेष</b>	<b>95,742.09</b>	<b>95,008.71</b>
<b>ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन</b>		
<b>अथ शेष</b>		
जोड़ें/घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन	(32.56)	(192.08)
घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर देयता	(72.99)	224.52
अंतिम शेष	21.00	(65.00)
<b>अंतिम शेष</b>	<b>(84.55)</b>	<b>(32.56)</b>
<b>iii) परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं में परिवर्तन</b>		
<b>अथ शेष</b>		
जोड़ें:	543.47	502.48
जोड़ें/घटाएँ: परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मापन	-	-
अंतिम शेष	101.39	40.99
<b>अंतिम शेष</b>	<b>644.86</b>	<b>543.47</b>
<b>कुल</b>	<b>96,302.40</b>	<b>95,519.62</b>
कुल अन्य इक्विटी	(5,937.51)	(1,697.89)

सिक्वोरिटोस प्रीमियम रिज़र्व-जहां कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है, चाहे वह नकद के लिए हो, या अन्याथा उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशी 9 "सिक्वोरिटोस प्रीमियम रिज़र्व" में स्थानांतरित की जाएगी। कंपनी अपने सदस्यों को प्रतिभूति प्रीमियम रिज़र्व से पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी कर सकती है और कंपनी इस रिज़र्व का उपयोग शेयरों के खरीद-फरोख्त के लिए कर सकती है।

**15. प्रावधान (दीर्घकालिक देयता) (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कर्मचारी के लाभ के लिए - छुट्टी नकदीकरण	1004.84	903.42
कर्मचारी के लाभ के लिए - ग्रैज्युटी	1367.93	1871.04
अन्य प्रावधान	23.13	23.13
<b>कुल</b>	<b>2395.90</b>	<b>2797.59</b>

**16. आस्थगित कर देयताएं (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि का उचित मूल्य	16719.52	16417.52
एचएफएल में निवेश का उचित मूल्य	(36.00)	(15.00)
निवल आस्थगित कर देयता डनोट सं.41	<b>16683.52</b>	<b>16402.52</b>

आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कंपनी की भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभप्रदता के बारे में कोई आभासी निश्चिन्ता नहीं है। नोट क्रमांक 41 भी देखें।

**17. चालू वित्तीय देयताएं- उधार (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सरकारी ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.00	7695.09
भारत सरकार से ऋण (नोट क्रमांक 19ए)	45256.46	37561.37
अतिदेय 8% गैर-संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर-भारत सरकार	27000.00	27000.00
<b>कुल उधार</b>	<b>72256.46</b>	<b>72256.46</b>
समग्र सुरक्षित ऋण	0.00	0.00
समग्र असुरक्षित ऋण	45256.46	45256.46

नोट

- अधिमानी शेयरधारकों के पास कोई मतदान अधिकार नहीं है
- भारत सरकार ने पूर्व वर्ष 2006-07 में 27000 लाख रुपये (वित्तीय पुनर्गठन के लिए 25000 लाख रुपये और कास्टिक सोडा संयंत्र के पुनः कमीशन के लिए 2000 लाख रुपये) 8% असंचयी मोचनीय अधिमानी शेयरों के आबंटन के खिलाफ जारी किया था, जिससे पुनरुद्धार योजना के अनुसार पूंजी आधार को व्यापक बनाया। बोर्ड द्वारा 28 जनवरी, 2008 को 8% अधिमानी शेयर भारत सरकार को आवंटित किए गए, यह 4वें वर्ष से मोचनीय 20% प्रारम्भ होकर 8वें वर्ष (2015-16) में अंतिम विमोचन के साथ है। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक प्रति वर्ष 25% पर मोचन की शुरुआत की थी। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने मोचन के विस्तार के लिए अनुमति दी बशर्ते कि 27000 लाख रुपये की कुल राशि पर प्रतिवर्ष 1.5% ब्याज का भुगतान किया जाना है और वर्ष के दौरान लेखा बही में 405 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। आगे चुकोती में चूक के लिए ब्याज 1% देना है और तदनुसार रु. 270 लाख की ब्याज राशि वर्ष के दौरान प्रदान की गई है।

**18. व्यापार देय (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
<b>चालू - व्यापार देय</b>		
i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया देय	14.85	55.50
ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य बकाया देय	4052.02	4096.34
<b>कुल</b>	<b>4066.87</b>	<b>4151.84</b>

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि: (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क) i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्रधान शेष राशि अवैतनिक है।	14.85	55.50
ii) उस पर ब्याज देय	0.00	0.00
iii) ब्याज देय और भुगतान में देरी की अवधि के लिए	0.00	0.00
iv) ब्याज उपाजित और शेष अवैतनिक है	0.00	0.00
v) ब्याज देय और भुगतान अनुवर्ती वर्षों में	0.00	0.00

ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण इस हद तक किया गया है कि प्रबंधन द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। उन्हें सभी देय राशि का भुगतान नियत तारीख के भीतर किया जाता है और समापन तिथि पर कोई अतिदेय राशि नहीं है।

**व्यापार प्राप्य समयबद्धि अनुसूची (₹ लाख में)**

विवरण	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	देय नहीं (30 दिनों से कम)	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
<b>चालू वर्ष 2022-23</b>						
i) एमएसएमई	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
ii) अन्य	4033.38	9.58	0.29	1.49	2.28	4047.02
iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
<b>कुल</b>	<b>4048.23</b>	<b>9.58</b>	<b>0.29</b>	<b>1.49</b>	<b>7.28</b>	<b>4066.87</b>
<b>पिछले वर्ष 2020-21</b>						
i) एमएसएमई	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50
ii) अन्य	3996.68	4.74	2.40	24.66	62.86	4091.34
iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
<b>कुल</b>	<b>4052.18</b>	<b>4.74</b>	<b>2.40</b>	<b>24.66</b>	<b>67.86</b>	<b>4151.84</b>

**19. अन्य चालू वित्तीय देयताएं (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	39860.59	34860.78
अधिमानी शेयरों पर ब्याज	6210.00	5535.00
<b>कुल</b>	<b>46070.59</b>	<b>40395.78</b>

नोट:

- वर्ष 2009-10 से भारत सरकार के ऋण के पुनर्भुगतान में लगातार चूक हो रही है और मूलधन के लिए अतिदेय राशि 45256.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष 45256.46 लाख रुपये) और अर्जित ब्याज के लिए 39860.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष रुपये) है। 34860.78 लाख), ये राशियाँ 9अन्य चालू देनदारियाँ के अंतर्गत दर्शाई गई हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण की बकाया मूल राशि शून्य रुपये (पिछले वर्ष 1404.00 लाख रुपये) चुका दी है।
- वर्ष के दौरान कंपनी ने क्षति/जुर्माना/दंडात्मक ब्याज के संबंध में प्रावधान किया है और कुल संचयी प्रावधान नीचे दिया गया है।

क. वरीयता शेयर पर ब्याज (1.5%) (270 करोड़ रुपये) 4 साल के लिए मोचन का स्थगन 405.00 लाख रुपये।

ख. वरीयता शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान में चूक पर ब्याज 1% 270.00 लाख प्रति वर्ष।

उपरोक्त के कारण कुल प्रभाव रु. 675.00 लाख प्रति वर्ष है।



## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

## 19a. 31.03.2023 को भारत सरकार से ऋण का विवरण

क्रमांक	सरकारी अनुमोदन संख्या	उद्देश्य	स्वीकृति की तिथि	आहरण की तिथि	चुकोती के लिए देय तिथि	ब्याज की दर	किश्तों की संख्या	ऋण राशि 31.03.2023 तक	देय किश्तें 31.03.2023 तक	कुल ब्याज 31.03.2023 तक	अतिदेय ब्याज 31.03.2023 तक	ऋण की वर्तमान अवधि
घ.	नियंत्रक कंपनी											
1	51/11/2009-केमि.ऋ	कोची यूनिट में विविध परियोजनाओं हेतु	01.12.2009	15.12.2009	15-12-2014	11.50%	5	660.00	660.00	1008.95	1008.95	
2	51/11/2009-केमि.ऋ	-चही-	20.01.2010	22-01-2010	22-01-2015	11.50%	5	843.00	843.00	1278.62	1278.62	
3	पी.51012/01/2012-32	विविध परियोजनाओं हेतु	12.09.2012	18-09-2012	18-09-2017	11.50%	5	1760.00	1760.00	2132.13	2132.13	
4	पी.51012/4/2013-32-केमि.ऋ	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखला पर ब्याज भुगतान के लिए	07.09.2015	10-09-2015	10-09-2020	11.50%	5	1057.00	1057.00	918.49	918.49	
5	पी.51012/4/2013-32-केमि.ऋ	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखला पर ब्याज भुगतान के लिए	22.09.2016	27-09-2016	27-09-2021	11.00%	5	2461.00	2461.00	1762.21	1762.21	
6	पी.51012/4/2013-32-केमि.ऋ	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखला पर ब्याज भुगतान के लिए	02.08.2017	07-08-2017	07-08-2022	11.00%	5	1057.00	1057.00	656.85	656.85	
7	पी.51012/4/2013-32-केमि.ऋ	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखला पर मूल धन की कौती के लिए	11.08.2017	14-08-2017	14-08-2022	11.00%	5	10000.00	10000.00	6193.15	6193.15	
8	पी.51012/4/2013-32-केमि.ऋ	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखला पर मूल धन एवं ब्याज की चुकोती के लिए	12.09.2017	19-09-2017	19-09-2022	11.00%	5	16392.46	16392.46	9974.25	9974.25	
9	पी.51012/4/2013-32-केमि.ऋ	कर्मचारियों और अन्य से संबन्धित वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	28.09.2017	29-09-2017	29-09-2022	11.00%	5	11026.00	11026.00	6675.71	6675.71	
		भारत सरकार से सुरक्षित ऋण पर बकाया ब्याज (स्थिर संपत्तियों द्वारा सुरक्षित) ऋण के मूलधन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।								3329.41	3329.41	
		भारत सरकार से असुरक्षित ऋण पर बकाया ब्याज। ऋण के मूलधन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।								5930.82	5930.82	
		कुल						45256.46	45256.46	39860.59	39860.59	0.00

नोट: ऋण राशि 45256.46 लाख रुपए अर्क्षित ऋण है ( पिछले वर्ष कुल ऋण राशि 45256.46 लाख रुपए है)।

## घ. सहायक कंपनी

- आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय के अनुसार, भारत सरकार ने कर्मचारियों, लेनदारों के बकाया के निपटान और ऋणों को बंद करने के लिए 22-मई-2020 को 7370 लाख रुपये का ऋण वितरित किया है और 15.03.2022 को 217 लाख रुपये वितरित किए हैं।
- सहायक कंपनी के पास एम्पीटीएफई के निर्माण के लिए लिए गए 360 लाख रुपये और संयंत्र के नवीनीकरण के लिए 11.5% प्रति वर्ष की दर से लिए गए 1320 लाख रुपये का सरकार योजना ऋण बकाया है और दोनों ऋण वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले 5 वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य थे। कंपनी ने मार्च, 2017 माह के दौरान रु.24.92 लाख ब्याज सहित रु.1.00 करोड़ का पुनर्भुगतान किया था और तदनुसार मूलधन और ब्याज बकाया को समायोजित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए देय किस्त की राशि 1,580.00 लाख रुपये है, को नोट-16 में दिखाया गया है। कंपनी को सहायक कंपनी के बंद होने संबंधी दिनांक 29.01.2020 का पत्र संख्या पी.51015/06/2019-सीएच ऋ(जि.ऋ) प्राप्त हुआ था जिसमें रु.1580 लाख के लिए ब्याज 31.03.2019 तक प्रीज किए जाँए। इसलिए वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज नहीं लिया गया है।

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ**

**20. लघु अवधि प्रावधान (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
i) कर्मचारी लाभ के लिए (छुट्टी नकद)	175.16	314.45
ii) कर्मचारी लाभ के लिए (पेंशियरी)	218.54	65.83
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक के लिए	543.00	315.81
iv) वैधानिक दायों के लिए	0.00	14.60
v) दंडात्मक भारत सरकार गारंटी शुल्क के लिए	850.00	850.00
<b>कुल</b>	<b>1786.70</b>	<b>1560.69</b>

**21. अन्य चालू देयताएँ (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
i) ग्राहकों से अग्रिम	555.59	412.81
ii) विक्रेताओं / ग्राहकों से जमा	227.47	209.09
iii) सांविधिक देयताएँ	487.50	232.92
iv) कर्मचारी संबंधित देयताएँ	99.80	130.79
v) वेतन पर्ची पुनर्प्राप्ति देय	17.98	20.59
vi) अन्य देयताएँ	2338.34	1824.13
<b>कुल</b>	<b>3726.68</b>	<b>2830.33</b>

**22. प्रचालनों से राजस्व - उत्पादों की बिक्री (विनिर्मित) (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
<b>उत्पादों की श्रेणी द्वारा भिन्न भिन्न राजस्व</b>		
फिनोल	42127.59	29931.04
एसिटोन	15388.85	9341.88
हाइड्रोजन परोक्साइड	2949.27	2542.01
कुमीन के हेवी एन्ड्स	1564.83	867.79
कुमोक्स ऑयल	1068.32	684.67
कुमीन	44.70	0.00
उत्पादों के बिक्री मूल्य: कुल	<b>63143.56</b>	<b>43367.39</b>

**23. अन्य आय (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
<b>सीधा आय:</b>		
स्क्रेप की बिक्री	5.45	2.85
<b>उप कुल</b>	<b>5.45</b>	<b>2.85</b>
<b>व्याज आय</b>		
कॉल और अवधि जमाओं (सकल) पर	795.79	672.82
केएसईबी और अन्य के साथ अग्रिमों और जमाओं पर	16.02	112.51
सहायक कंपनी को उधार पर	63.62	63.62
व्यापार प्राय से भुगतान में देरी और वित्त प्रभार संबंधी	0.93	0.78
<b>उप-कुल</b>	<b>876.36</b>	<b>849.73</b>
<b>अन्य गैर-प्रचालन आय</b>		
संपदा भाड़े	69.70	78.58
परिवहन, पानी, विद्युत आदि की बसूल	13.16	7.46
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	0.00	0.00
विनिमय दर अंतर - लाभ	0.00	0.00
अधिक प्रावधान वापस लिखा	65.12	2143.56
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
विविध आय	124.81	60.55
<b>उप कुल</b>	<b>272.79</b>	<b>2290.15</b>
<b>कुल</b>	<b>1154.60</b>	<b>3142.73</b>
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे के रेवेरसल में निम्न शामिल है:		
1. संदिग्ध ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रावधान का रेवेरसल	17.08	1.43
2. विभिन्न मामलों में अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	20.81	-
3. अतिरिक्त प्रावधान लिखित बैंक-स्टोर और स्पेयर	27.23	19.78
4. अतिरिक्त प्रावधान एचएफएल को वापस लिखा गया	-	2122.35
<b>कुल</b>	<b>65.12</b>	<b>2143.56</b>

वर्ष 2019-20 के दौरान त्रुटि के कारण विविध आय में ₹ 11.25 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी जैसे तो वर्ष 2019-20 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस-8 के अनुसार पुनः कथन किया गया।

(क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय

(ख) सुधार की राशि : ₹ 11.25 लाख रुपए

(ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:23 (विविध आय)

**24. खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची	1699.53	1281.06
जोड़: क्रय	41978.06	28298.17
घटाएँ: वर्ष के अंत में माल सूची	998.33	1699.53
<b>खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत</b>	<b>42679.26</b>	<b>27879.70</b>

**25. तैयार माल की वस्तु सूची और डब्लियुआईपी में परिवर्तन**

वस्तुसूची में (वृद्धि) / कमी (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूचियाँ		
(i) प्रक्रियागत स्टॉक	1133.84	960.65
(ii) कैस्टीव खपत के लिए स्टॉक	571.60	87.91
(iii) मुख्य उत्पादें	1659.54	900.63
(iv) उप उत्पादें	34.20	19.21
<b>उप कुल</b>	<b>3399.18</b>	<b>1968.40</b>
वर्ष के अंत में वस्तुसूची		
(i) प्रक्रियागत स्टॉक	938.00	1133.84
(ii) कैस्टीव खपत के लिए स्टॉक	598.21	571.60
(iii) मुख्य उत्पादें	351.81	1659.54
(iv) उप उत्पादें	28.45	34.20
<b>उप कुल</b>	<b>1916.47</b>	<b>3399.18</b>
<b>तैयार माल की सूची और प्रगति पर कार्य में परिवर्तन</b>	<b>1482.71</b>	<b>(1,430.78)</b>

**26. कर्मचारी हितलाभ व्यय (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	3320.24	3579.33
ख) भविष्यनिधि और अन्य निधियों के लिए कंपनी का योगदान	310.53	326.28
ग) समूह उपदान सह जीवन आश्वासन योजना के लिए प्रीमियम सहित उपदान भुगतान	92.29	167.67
घ) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	276.14	279.77
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय		
चिकित्सा सुविधाएं	95.57	121.03
कैटीन और पोषण सुविधाएं	207.42	262.63
अन्य कल्याण व्यय	53.39	33.13
च) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदा (वीआरएस एवं वीएसएस)	0.00	45.51
<b>कुल</b>	<b>4355.58</b>	<b>4815.35</b>

\*वर्ष 2022-23 और 2021-22 में 25.01.2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रस्तावित वेतन संशोधन के बकाया के प्रावधान के रूप में क्रमशः 248 लाख रुपये और 295 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

**27. वित्त लागत (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
<b>व्याज:</b>		
निश्चित ऋण (भारत सरकार)	4999.81	5097.73
ग्राहकों से अग्रिम पर व्याज*	1001.96	753.18
अधिमार्ग शोधनों पर **	675.00	675.00
व्याज - अन्य	6.14	10.10
	6682.91	6536.01
अन्य उधार लागत-बैंक शुल्क	5.79	15.09
<b>कुल वित्तीय लागत</b>	<b>6688.70</b>	<b>6551.10</b>

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ**

\*इंड एस 115 की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों से शीघ्र भुगतान के लिए ब्याज को अन्य खर्चों (बिक्री और वितरण व्यय) से वित्त लागत तक पुनर्समूहित किया गया है।

\*\*अधिमानी शेयरों पर ब्याज (2.5%) को अन्य खर्चों (प्रावधानों) से वित्त लागत में पुनः समूहीकृत किया गया है।

**28. मूल्यहास और परिशोधन व्यय (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास	110.35	108.34
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	8.40	8.03
<b>कुल</b>	<b>118.75</b>	<b>116.37</b>

**29. अन्य व्यय (₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
<b>भंडार और पुर्जों की खपत</b>		
i) उत्प्रेरक और रसायन	483.28	340.70
ii) उपभोग भंडार	265.07	342.14
iii) पैकिंग सामग्री	576.91	484.16
	<b>1325.26</b>	<b>1167.00</b>
<b>यूटिलिटीस:</b>		
ऊर्जा	2332.70	1671.16
ईंधन	8252.19	5988.21
जल	286.31	219.29
	<b>10871.20</b>	<b>7878.66</b>
<b>मरम्मत एवं अनुरक्षण</b>		
भवन	125.00	140.78
संयंत्र और मशीनरी	248.51	383.89
अन्य परिसंपत्तियाँ	170.47	132.62
	<b>543.98</b>	<b>657.29</b>
<b>प्रशासन व्यय :</b>		
भाड़ा	34.92	72.09
बीमा	213.87	206.44
दर और कर	351.08	474.96
परामर्श प्रभार	183.92	104.06
<b>लेखापरीक्षकों को भुगतान:</b>		
लेखा परीक्षक	4.60	5.10
कराधान के मामले	0.90	0.90
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.70	0.76
अन्य सेवाएं	0.20	0.20
<b>अन्य व्यय:</b>		
टाउनशिप के लिए बिजली	19.48	16.80
टाउनशिप के लिए जल	11.62	21.87
सुरक्षा व्यय	270.01	269.62
विज्ञापन व्यय	6.88	6.38
वाहन व्यय का किराया	30.93	24.48
आस्तियों की बिक्री/निपटान में नुकसान	0.00	0.00
अन्य विविध व्यय	123.88	90.51
	<b>1252.99</b>	<b>1294.17</b>
<b>प्रावधान:</b>		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2.14	16.77
अज्ञात संपत्तियों के लिए प्रावधान	0.00	2.61
संदिग्ध किराये के लिए प्रावधान	0.00	180.70
	<b>2.14</b>	<b>200.08</b>
<b>कुल</b>	<b>13995.57</b>	<b>11197.20</b>

**टिप्पणियाँ:**

अन्य विविध खर्चों में वर्ष 2021-22 से संबंधित 10.61 लाख रुपये शामिल हैं, जुटि के कारण गलत तरीके से हिसाब लगाया गया है, इसलिए तुलनात्मक राशि को इंड एएस 8 के अनुसार बहाल किया गया है।

(क) पिछली अवधि की जुटि की प्रकृति: विविध व्यय

(ख) सुधार की राशि: 10.61 लाख रुपये

(ग) वित्तीय लाइन आइटम प्रभावित: नोट संख्या 29 - अन्य व्यय

**30 कर्मचारी हितलाभ योजना:****क. छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान**

कंपनी ने बीमाकिक मूल्य पर आधारित इंड एएस-19 और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत छुट्टी नकदीकरण दावों की अप्रदत्त राशि के अनुसार 31 मार्च 2023 तक छुट्टी नकदीकरण के लिए 1180.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष के लिए 1217.87 लाख रुपए) का प्रावधान किया है।

**ख. भविष्य निधि**

कर्मचारियों को कंपनी द्वारा 30 जून 2018 तक प्रबंधित भविष्य निधि से लाभ मिलता है 1 जुलाई 2018 से कंपनी ने सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि खतों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में स्थानांतरित कर दिया और ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया गया है। कर्मचारी और नियोजक प्रत्येक कर्मचारी के वेतन / मजदूरी के 12% के बराबर भविष्य निधि / पेंशन राशि योजना में मासिक योगदान करते हैं।

**ग. उपदान**

उपदान योजना उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 द्वारा शासित होती है और जिस कर्मचारी ने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है, वह ग्रेज्युटी का हकदार है और प्रदान किए जाने वाले लाभ का स्तर सदस्य की सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति की आयु में वेतन पर निर्भर करता है। कर्मचारी ग्रेज्युटी फंड योजना, जो एक परिभाषित लाभ योजना है, का प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संचालित वार्षिकी योजना के माध्यम से किया जाता है। एलआईसी के पास उपलब्ध शेष निधि 1729.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1490.18 लाख रुपये) और आईसीआईसीआई बैंक के पास 0.43 लाख रुपये (पिछले वर्ष 0.43 लाख रुपये) है।

31.03.2023 तक सेवा से कार्यमुक्त रसायनी और कोचो इकाई के कर्मचारियों का उपदान संबंधी सभी देय का भुगतान किया गया है और कोई देय शेष नहीं है।

**1. योजना की धनराशि की स्थिति**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
निधिपोषित दायित्व के वर्तमान मूल्य	1586.47	1936.87
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	(1729.47)	(1490.61)
निवल देयताएं(परिसंपत्ति)	<b>(143.00)</b>	<b>446.26</b>

**2क. चालू अवधि के लिए लाभ और हानि खाता**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
चालू सेवा लागत	65.83	77.30
नियंत्रण और समायोजन पर विगत सेवा लागत और नुकसान /हानि	0.00	0.00
निवल ब्याज लागत	26.45	90.36
ठकर्मचारी हितलाभ व्यय (पी एंड एल) में शामिल कुल	<b>92.28</b>	<b>167.66</b>

**2ख. चालू अवधि के लिए अन्य समग्र आय**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
दायित्व पर बीमाकिक वृद्धि/हानि के संघटक:		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	(116.70)	(77.19)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	0.00	0.00
अनुभवी समायोजन के कारण	40.95	53.39
ब्याज आय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	(25.63)	(17.19)
अन्य समग्र आय में स्वीकार राशियाँ	<b>(101.38)</b>	<b>(40.99)</b>

**3. परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
परिभाषित हितलाभ दायित्व का प्रारम्भ	1936.88	2278.24
दायित्व में/(बाहर) अंतरण	102.02	0.00
चालू सेवा लागत	65.83	77.30
ब्याज लागत	105.42	113.68
दायित्व पर बीमाकिक वृद्धि/हानि के संघटक:		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	(116.71)	(77.18)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	0.00	0.00
अनुभवी समायोजन के कारण	40.95	53.39
विगत सेवा लागत	0.00	0.00
नियंत्रण पर हानि(लाभ)	0.00	0.00
समायोजन पर समाप्त देयताएं	0.00	0.00
क्रय के रूप में सामेलन में स्वीकृत देयताएं	0.00	0.00
विदेशी योजनाओं में विनिमय अंतर	0.00	0.00
भुगतान की गयी	(547.91)	(508.55)
परिभाषित हितलाभ देयता का अंतिम	<b>1586.48</b>	<b>1936.88</b>

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

## 4. योजना आस्तियों का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
योजना आस्तियों का प्रारम्भिक मूल्य	1490.61	625.98
योजना आस्तियों में (बाहर) अंतरण	102.02	0.00
निधि से कटौती किया गए व्यय	0.00	0.00
ब्याज आय	78.96	23.32
ब्याज आय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	25.63	17.20
समायोजन पर वितरित परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00
नियोजित द्वारा योगदान	580.17	1280.00
क्रय के रूप में समापन में अर्जित आस्तियाँ		
क्रय	0.00	0.00
विदेशी योजनाओं में विनिमय दर अंतर	0.00	0.00
प्रदत्त हितलाभ	(547.92)	-455.89
योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य	1729.47	1490.61

## 5. निवल परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
लेखा बहियों में निवल अथ प्रावधान	446.27	1652.26
दायित्व (बाहर) अंतरण	102.02	0.00
योजना आस्तियों में (बाहर) अंतरण	(102.02)	0.00
अनुलग्नक 2 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ व्यय	92.28	167.66
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशियाँ	(101.38)	(40.99)
	437.17	1778.93
कंपनी द्वारा प्रदत्त हितलाभ	0.00	(52.66)
समायोजित हितलाभ (रसायनी यूनिट)	0.00	0.00
योजना आस्तियों में योगदान	(580.17)	(1280.00)
लेखा बहियों में अंतिम प्रावधान	(143.00)	446.27

## आस्तियों के उच्चतम का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य	0.00	0.00
आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य पर ब्याज	0.00	0.00
अधिशेष/ घाटा के कारण आस्तियों पर हानि/ वृद्धि	0.00	0.00
योजना आस्तियों का उच्चतम अंतिम मूल्य	0.00	0.00

## 6. योजना आस्तियों की संरचना (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	0%	0%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0%	0%
उच्च गुणवत्ता निर्गमित बॉण्ड	0%	0%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0%	0%
संपत्ति	0%	0%
विशेष जमा योजना	0%	0%
बीमा पॉलिसी	100%	100%
बैंक शेष	0%	0%
अन्य निवेश	0%	0%
कुल	100%	100%

## 7. अनुसूची छे के अनुसार देयता का विभाजन (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
चालू देयताएं	(143.01)	65.83
गैर-चालू देयताएं	0.00	380.42
निवल देयताएं	(143.01)	446.25

## 8. प्रधान वीर्मांकिक अनुमान (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
बढ़ा दर	7.3% प्रति वर्ष	6.4% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	6.00% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष
वापसी दर	छोटी उम्र में 3% वृद्धावस्था में 1% कम करता है।	छोटी उम्र में 3% वृद्धावस्था में 1% कम करता है।
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ का दर	7.3%	6.4%

## 9. परिभाषित हितलाभ दायित्व की परिपक्व प्रोफाइल (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	
	नकद प्रवाह रु. लाख में	वितरण (%)
वर्ष 1 नकद प्रवाह	218.54	9.00%
वर्ष 2 नकद प्रवाह	297.82	12.20%
वर्ष 3 नकद प्रवाह	224.93	9.20%
वर्ष 4 नकद प्रवाह	234.48	9.50%
वर्ष 5 नकद प्रवाह	138.21	5.70%
वर्ष 6 से वर्ष 10 तक	673.63	27.60%

उपर्युक्त नकद प्रवाह पर आने के लिए भविष्य प्रोद्भूत का विचार नहीं किया गया।

अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित योगदान 57.01 लाख रूपए है।

मूल्यन तिथि पर औसत बकाया दायित्व की अवधि (वर्षों) 5.19 वर्ष है।

## 10. मुख्य अनुमानों पर संवेदनशीलता (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
बढ़ा दर संवेदनशीलता		
बढ़ता 0.5 %	1546.07	1891.72
(% परिवर्तन)	-2.55%	-2.33%
0.5% द्वारा घटना	1628.93	1984.37
(% परिवर्तन)	2.68%	2.45%
वेतन वृद्धि दर संवेदनशीलता		
बढ़ता 0.5 %	1606.01	1956.58
(% परिवर्तन)	1.23%	1.02%
0.5% द्वारा घटना	1565.91	1916.53
(% परिवर्तन)	-1.30%	-1.05%
निकासी (डब्ल्यू आर) दर संवेदनशीलता		
डब्ल्यू आर 110%	1590.23	1939.82
(% परिवर्तन)	0.24%	0.15%
डब्ल्यू आर 90%	1582.63	1933.97
(% परिवर्तन)	-0.24%	0.15%

## संवेदनशीलता विश्लेषण और इसकी सीमाओं के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों का विवरण:

अन्य सभी मानकों को अपरिवर्तित रखते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण एक एकल पैरामीटर को बदलकर किया जाता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण अंतर्निहित मानकों के बीच अंतर-संबंध पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है। इसलिए, यदि दो या दो से अधिक परिणाम एक साथ बदल जाते हैं तो परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

इस्तेमाल की गई विधि किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन की संभावना और परिवर्तन की सीमा में यदि कोई हो तो, के बारे में कुछ भी सूचित नहीं करती है।

## परिशिष्ट क: परिभाषित हितलाभ दायित्व का अलग-अलग विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
निहित	1,585.62	1,933.41
गैर-निहित	0.85	3.46
कुल	1,586.47	1,936.87

## परिशिष्ट ख: परिभाषित हितलाभ दायित्व का आयुवार विवरण (₹ लाख में)

आयु (वर्ष में)	डीबीओ	
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
25 से कम तक	-	-
25 से 35 तक	7.99	13.20
35 से 45 तक	180.06	193.73
45 से 55 तक	801.35	807.53
55 और उसके ऊपर	597.07	922.41
निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत उपदान	-	-
कुल	1586.47	1936.87

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ**

परिशिष्ट ग: परिभाषित हितलाभ दायित्व की विगत सेवा वितरण (₹ लाख में)

आयु (वर्ष में)	डीबीओ	
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
0 से 4 तक	0.86	3.46
4 से 10 तक	20.59	65.08
10 से 15 तक	193.27	162.12
15 और उसके ऊपर	1371.75	1706.21
निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत उपदान	-	-
<b>कुल</b>	<b>1586.47</b>	<b>1936.87</b>

योजना के लिए प्रमुख जोखिम

**क. बीमाकिक जोखिम:**

यह जोखिम है कि लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण यह उत्पन्न हो सकता है:

**प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव:**

वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, का परिणाम यह होगा कि प्रत्याशित से अधिक दर में दायित्व में वृद्धि होगी।

**मृत्यु दरों में परिवर्तनशीलता:**

यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर की धारणा से अधिक है तब प्रत्याशा से पहले उपदान लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि मौत के लाभ पर निहित कोई शर्त नहीं है, इसलिए नकद प्रवाह की संवृद्धि अनुमानित वेतन वृद्धि के सापेक्ष मूल्यों और बट्टे दरों के आधार पर एक बीमाकिक हानि या लाभ में अग्रसर होगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर निहित होने की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए नकदी प्रवाह के त्वरण से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर एक असाधारण नुकसान या लाभ होगा।

**निकासी दरों में परिवर्तनशीलता:**

यदि वास्तविक निकासी दर प्रत्यावर्तन दर धारणा से अधिक है, तो उपदान लाभ पूर्व की अपेक्षा भुगतान किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख में क्या लाभ निहित हैं।

**ख. निवेश जोखिम**

निधि योजनाओं जो संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर भरोसा करते हैं, के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रमाणित संपत्तियों का मूल्यदेयता का समर्थन करने वाले लिखत का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, संपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र है। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध देयता या वित्त पोषित में यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की स्थिति पर व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।

**ग. चलनिधि जोखिम**

कर्मचारी जो उच्च वेतन और लंबी सेवा काल या पदानुक्रम में उच्च है, हितलाभों के महत्वपूर्ण स्तर संचित करते हैं। अगर ऐसे कुछ कर्मचारियों ने कंपनियों से इस्तीफा दे दिया / सेवानिवृत्त हुए तो नकद प्रवाह पर तनाव हो सकता है।

**घ. बाजार जोखिम:**

बाजार जोखिम उन जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाजार में परिवर्तन और उतार-चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमाकिक अनुमान को बट्टे दर पर भौतिक प्रभाव है। बट्टे दर पैसे के मूल्य का समय दर्शाती है। बट्टे दर में वृद्धि योजना के लाभ के परिभाषित हितलाभ दायित्वों में कमी की ओर और उसके विलोम ले जाती है। यह अनुमान कॉर्पोरेट / सरकारी बॉन्ड पर प्रतिलाभ पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन मूल्यन तिथि को प्रतिलभों की उपज पर उजागर होता है।

**ङ. विधायी जोखिम:**

विधायी जोखिम यह है कि वैधानिक/ नियामक में परिवर्तन के कारण योजना देयताओं में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार उपदान अधिनियम के भुगतान में संशोधन कर सकती है जिसके फलस्वरूप कंपनियों को कर्मचारियों के लिए उच्च हितलाभ के भुगतान करने की आवश्यकता है। यह सीधे परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा और उक्त को जब किसी ऐसे संशोधन लागू होने पर वर्ष में तत्काल स्वीकार किया जाना होगा।

मूल्यांकन में उपयोग किए गए अनुमानों का सारांश निम्नानुसार है:

**वित्तीय अनुमान (तालिका 9)**

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
बट्टा दर	7.30%	6.40% प्र.व.
वेतन वृद्धि दर	6.00%	7.00% प्र.व.
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	लागू नहीं	लागू नहीं

डेमोग्राफिक अनुमान

**निकासी दर प्र.व (तालिका 10)**

आयु बैंड	31.03.2023 को	31.03.2022 को
25 और कम	3.00%	3.00%
25 से 35	2.50%	2.50%
35 से 45	2.00%	2.00%
45 से 55	1.50%	1.50%
55 और ऊपर	1.00%	1.00%

मृत्यु दर

**भारतीय सुनिश्चित जीवनकाल मृत्यु प्रतिवर्ष का नमूना (2012-14) तालिका 11**

आयु (वर्ष में)	31.03.2023 को	31.03.2022 को
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

मूल्यांकन तरीका

बीमाकिक ने परिभाषित हितलाभ दायित्व के मूल्यांकन के लिए निश्चित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

**31 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

क) मूल रूप से कंपनी की रसायनी इकाई के पास 1012.355 एकड़ (राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार) भूमि थी। उक्त भूमि में से वर्ष 2017-18 के दौरान 251 एकड़ जमीन बीपीसीएल को और 20 एकड़ जमीन इसरो को बेची गई, वर्ष 2018-19 में 38.687 एकड़ जमीन बीपीसीएल को बेची गई। वर्ष 2019-20 में 85.27 एकड़ जमीन बीपीसीएल को और 0.386 एकड़ जमीन आईओसीएल (पेट्रोल पंप क्षेत्र) को बेची गई। 165.840 एकड़ की शेष भूमि में से, 22.717 एकड़ को अतिक्रमण के रूप में पहचाना गया है, एमआईडीसी, एमएसईबी, एचआईएल, एमईएस आदि के कब्जे में 32.547 एकड़, और 10.576 एकड़ सार्वजनिक सड़क, शून्य मूल्य पर मानी गई है। उक्त अतिक्रमण का निर्धारण कंपनी द्वारा मेसर्स द जियो टेक के माध्यम से 24 अप्रैल, 2019 की रिपोर्ट के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। शेष 551.172 एकड़ (पिछले वर्ष 551.172 एकड़) भूमि का पुनर्मूल्यांकन रेडो रेकरन दर या बीपीसीएल को बिक्री की सहमत दर पर 832.95 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 832.95 करोड़ रुपये) पर किया गया है।

ख) नगर आयुक्त पनवेल से प्राप्त संचार के अनुसार, सर्वेक्षण संख्या 738 के भूखंड संख्या 11 और 12 के वास्तविक क्षेत्र के संबंध में, जिस पर एक सार्वजनिक सड़क गुजरती है और इस प्रकार बिक्री के लिए उपलब्ध पनवेल भूमि का कुल क्षेत्रफल कम हो गया है 8 एकड़ से 7.09 एकड़ तक। म्मैरहुत्तदनुसार आरक्षित मूल्य (उचित मूल्य) घटाकर 158 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कलेक्टर रायगढ़ ने एनओसी के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट में अनजित आय के रूप में 40% वसूलने की अनुशांसा की है। महाराष्ट्र सरकार के उक्त प्रस्ताव को एचओसीएल बोर्ड ने 09.11.2022 को होने वाली बैठक में मंजूरी दे दी है। कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

**32 निवेश**

क) कंपनी ने सहायक कंपनी मेसर्स हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) के इक्विटी शेयर में 1106.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1106.00 लाख रुपये) का निवेश किया है, जो 1994 से बीआईएफआर के तहत है। 31 मार्च, 2023 को नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट के आधार पर कंपनी का शुद्ध मूल्य नकारात्मक है। 31.03.2023 को शेयरों का बाजार मूल्य (अंकित मूल्य ₹. 10) ₹. 8.91 (पिछले वर्ष ₹. 9.57) था। इन निवेशों के मूल्य में 120.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 47.56 लाख रुपये) की कमी का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने 29.01.2020 को सीसीईए के निर्णय के अनुसार मेसर्स एचएफएल को बंद करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा वीआरएस खर्चों को पूरा करने और बैंक और आपूर्तिकर्ताओं को बकाया चुकाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75.87 करोड़ रुपये (26.05.2020 को 73.70 करोड़ रुपये और 15.03.2022 को 2.17 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं।

ख) वर्ष 2007-08 के दौरान, सहायक कंपनी - हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) के पुनरुद्धार के लिए संशोधित ड्राफ्ट पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) को कार्यान्वयन के लिए बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किया गया था। एमडीआरएस के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, एचओसीएल ने एचएफएल को दिए गए ऋण पर जमा हुए 2260.26 लाख रुपये के ब्याज को माफ कर दिया था और 2744.07 लाख रुपये की असुरक्षित ऋण राशि को शून्य कूपन ऋण (जेडसीएल) के रूप में एचएफएल द्वारा सुरक्षित ऋण में बदल दिया था। एचओसीएल के पक्ष में अचल संपत्ति (84.31 एकड़ भूमि जिसका मूल्य सरकारी दर के अनुसार 10196.76 लाख रुपये है) पर त्वरित ऋण 2010-11 से शुरू होकर 7 समान वार्षिक किस्तों में देय था, जो कुल मिलाकर 2744.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2744.07 लाख रुपये) था, जो पूर्ण रूप से देय और देय हो गया है। इसके अलावा, कंपनी ने एचएफएल को कुल मिलाकर ₹. का ऋण दिया था। 10.25% से 14.50% की ब्याज दर पर 453.01 लाख (पिछले वर्ष 453.01 लाख रुपये) जो पूर्ण रूप से देय हो गया है। यह ऋण एचएफएल अचल संपत्ति पर प्रथम शुल्क द्वारा भी सुरक्षित है। व्यावसायिक योग्यता रखने वाले एक बाहरी पंजीकृत स्वतंत्र



**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ**

मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 84.31 एकड़ भूमि की सुरक्षित संपत्ति का मूल्य आज की तारीख में 10196.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 10196.76 लाख रुपये) है।

**33 प्रति शेयर अर्जन**

गणना की गयी प्रति शेयर अर्जन निम्नानुसार है:	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (रुपए लाख में)	(5022.41)	(2618.82)
इक्विटी शेयरों का भारत औसत संख्या (रुपए लाख में)	67173100.00	67173100.00
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपए)	10.00	10.00
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन मूल/मिश्रित ( रु.)	(7.48)	(3.90)

**34 सेगमेंट रिपोर्टिंग**

चूंकि कंपनी केवल रसायन का निर्माण कर रही है, इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई अलग प्राथमिक और माध्यमिक खंड नहीं हैं और कंपनी द्वारा उत्पादित सभी रसायनों को एकल रिपोर्ट योग्य सेगमेंट का प्रतिनिधित्व के रूप में विचार किया जाता है। खंडीय परिणामों के प्रकटीकरण के संबंध में भारतीय लेखा मानक 108 की आवश्यकताओं को कंपनी के लिए लागू नहीं माना जाता है।

**35 शेष राशि की पुष्टि**

व्यापार प्राप्य के शेष, व्यापार देय, ऋण, अग्रिमों, अन्य चालू आस्तियां और उधार पुष्टि/ समाधान और अनुवर्ती समायोजनों के अधीन हैं वशतें उन मामलों जहां पुष्टि प्राप्त की गयी है।

**36 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)**

i) आकस्मिक देयताएँ	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क) कंपनी के विरुद्ध दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
i) आयकर दावा	91.99	91.99
ii) उत्पाद शुल्क/सेवाकर	104.63	104.63
iii) स्कूल शिक्षकों के लिए उपदान	75.31	75.31
iv) अन्य दावे (विधि - मामले)	321.23	272.90
v) हरिचंद हाउस का किराया दावे	6219.08	5949.98
vi) जेएनपीटी पट्टा किराया	3318.86	2974.52
vii) सरकार ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज	8258.81	7119.24
viii) सरकार ऋण पर ब्याज के ऊपर ब्याज	52435.82	40113.98
ix) नीलिमा केमिकल कॉर्पोरेशन	16.00	0.00
	<b>70841.73</b>	<b>56702.55</b>
ख) बैंक द्वारा दी गई बैंक गैरंटी	2645.80	102.19
ii) प्रतिबद्धताएँ:		
पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई:	11.77	36.27

**क) कंपनी के विरुद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:**

**i) आयकर दावे: 91.99 लाख रुपए**

आकलन वर्ष के विभिन्न अपील अधिकाधिकारियों के सक्षम लंबित हैं यानि आईटीएटी, उच्च न्यायालय और अन्य फॉरम। कंपनी सुनवाई का इंतजार कर रही है, विवरण इस प्रकार है

आ व 2002-03 रु. 70.49 लाख और आ व 2011-12 21.50 लाख रु.

उपरोक्त निर्धारण विविध अपील प्राधिकरणों के अधीन हैं। कंपनी ने ऋणों और ब्याज/जुर्माना को स्वीकार नहीं किया जिसकी उगाई उन दावे पर होसकता है जो अनिश्चित है।

**ii) उत्पाद शुल्क/सेवा कर**

कंपनी का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकाधिकारियों के साथ 2006-07 की अवधि से संबन्धित विवाद चल रहा है, जिसकी राशि रु. 104.63 लाख कंपनी ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में अपील दायर की है।

उपरोक्त निर्धारण विविध अपील प्राधिकरणों के अधीन हैं। कंपनी ने ऋणों और ब्याज/जुर्माना को स्वीकार नहीं किया जिसकी उगाई उन दावे पर होसकता है जो अनिश्चित है।

**iii) स्कूल अध्यापकों के लिए उपदान**

एचओसी रसायन स्कूल के अध्यापक गण द्वारा मार्च 1997 तक की अवधि के लिए दायर मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट (रु.75.31 लाख) के समक्ष लंबित है

**iv) अन्य दावे (पीएण्डए-कानूनी मामले): 321.33 लाख रुपए**

क) वर्ष 1994 में फिनोल टैंकर दुर्घटना के संबंध में एमएसी टिब्यूनल, त्रिचूर द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ कंपनी द्वारा मुकदमा दायर किया गया (रु.118 लाख)

ख) ईएसआई कॉर्पोरेशन ने 01.04.1992 से 31.10.1992 तक की अवधि के दौरान योगदान की मांग की है, जो कि रु. 2.17 लाख है। मामला ईएसआई कोर्ट, एनॉकुलम के पास लंबित है, ईएसआई कोर्ट द्वारा वांछितानुसार हमने ईएसआई अधिनियम से छूट के लिए भारत सरकार को आवेदन दिया था। इसलिए कोई दायित्व नहीं बनता है और उस सीमा तक एक आकस्मिक देयता प्रदान की जाती है।

ग) एचओसीएल ने सीएटी (कैट) के उस आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें एचओसीएल को पूर्व कर्मचारी श्री पी सी जेम्स के वेतन बकाया और अन्य लाभों का भुगतान करने और उनकी प्रेच्युटी को फिर से करने का निर्देश दिया गया था, अनुमानित राशि 48.33 लाख रुपये है।

घ) कंपनी ने पीयू सिस्टम हाउस प्रोजेक्ट के प्लांट बिल्डिंग, टेक्निकल सर्विस बिल्डिंग, आर एंड डी बिल्डिंग आदि के निर्माण के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल कार्यों के लिए खुली निविदा आमंत्रित की थी। कंपनी ने मेसर्स शेनुशा इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एसईसीपीएल) को वर्क ऑर्डर जारी किया था। पूरा होने में देरी और अन्य कमियों के कारण कंपनी ने लिक्विडेटेड हर्जाना काट लिया था। एसईसीपीएल ने उक्त कटौतियों पर आपत्ति जताई और माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष एक मध्यस्थता आवेदन दायर किया। बाद में मेसर्स एसईसीपीएल ने न्यायालय से उक्त मध्यस्थता आवेदन बिना शर्त वापस ले लिया था इसके अलावा, मेसर्स एसईसीपीएल ने ब्याज सहित 113.35 लाख रुपये के भुगतान के लिए कंपनी के खिलाफ डिक्री पारित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष मुकदमा दायर किया था। मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।

ड) कंपनी ने मेसर्स वखारिया कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुंबई (बीसीसी) द्वारा दी गई प्रदर्शन गारंटी का उपयोग किया, जिसे सिविल अनुबंध आवंटित किए गए थे क्योंकि अनुबंध कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार पूरा नहीं हुआ था। मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया और बाद में उच्च न्यायालय में चला गया। अदालत ने कंपनी को 12 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया और मेसर्स बीसीसी को बैंक गारंटी जमा करने पर राशि निकालने की अनुमति दी गई। हाई कोर्ट के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई। अब मेसर्स बीसीसी ने बैंक को भुगतान किए गए बैंक गारंटी कमीशन और 18% की दर से ब्याज की मांग उठाई क्योंकि कंपनी द्वारा सिविल आवेदन दाखिल करने के कारण बीसीसी के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित धन डिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इस पर अनुमानित देनदारी 39.38 लाख रुपये है और मामला अदालत में लंबित है और तदनुसार आकस्मिक देनदारियों के तहत दिखाया गया है।

**v) हरचंद्राय हाउस से भाड़ा दावे 6219.08 लाख रुपए:**

चूंकि कंपनी ने अपने नोटिस के अनुसार मेसर्स हरचंद्राई एंड संस से लीज पर लिया गया कार्यालय परिसर खाली नहीं किया है, इसलिए उन्होंने कानूनी कार्यवाही शुरू की और लीज किराया स्वीकार करना बंद कर दिया। कंपनी ने वर्ष 2014 के दौरान कार्यालय परिसर खाली कर दिया। मकान मालिकों ने 01/06/2000 से उक्त परिसर के कब्जे तक की अवधि के लिए मेसरे लाभ के लिए लघु कारण न्यायालय, मुंबई के समक्ष मेसरे लाभ आवेदन दायर किया। मेसर्स हरचंद्राई एंड संस द्वारा दायर मासिक लाभ आवेदन को लघु वाद न्यायालय, मुंबई ने 02.05.2022 को अनुमति दे दी है और कंपनी को 01/06/ की अवधि के लिए 138/- रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से मासिक लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। 2000 से 31/12/2006, बाद की अवधि के लिए 274/- प्रति वर्ग फुट की दर से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित। लघु वाद न्यायालय, मुंबई के आदेश के अनुसार 01/06/2000 से 31/03/2014 की अवधि के लिए मेसरे लाभ और 31-03-2023 तक उस पर ब्याज की कुल राशि 6982.86 लाख रुपये (पिछले वर्ष 671.75 लाख रुपये) बनती है। एचओसीएल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और औसत दर 48.91 रुपये प्रति स्ववायर फीट गई है। जिस पर लघु वाद न्यायालय, मुंबई द्वारा विचार नहीं किया गया। कानूनी राय के अनुसार, कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी और कंपनी की राय है कि एचओसीएल मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार गणना की गई राशि के अलावा मांग के क्रिस्टलीकरण में अनिश्चितताएँ हैं, जिसमें औसत लाभ का आकलन 48.91 रुपये प्रति स्ववायर फीट है। एचओसीएल मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर गणना की गई औसत लाभ की राशि रु.48.91 प्रति स्ववायर फीट की दर से रु. 763.78 लाख है जो वर्ष 2021-22 के लिए खाते की पुस्तकों में पहले ही प्रदान की जा चुकी है। अंतर राशि 6219.08 लाख रुपये (6982.86-763.78) को आकस्मिक देनदारी के रूप में दर्शाया गया है।

**vi) जेएनपीटी पट्टे की भाड़ा: 33318.86 लाख रुपए**

कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के साथ लिक्विड टैंक फार्म स्थापित करने के लिए आवंटित जमीन को कंपनी की संपत्तियों के साथ 9जहाँ है जैसा है" के आधार पर लीज पर सौंपने के लिए समझौता %आपन पर हस्ताक्षर किया है। जेएनपीटी ने लीज रेंटल और अन्य शुल्कों के लिए 4124 लाख रुपये की मांग की है। कंपनी ने मध्यस्थ कार्यवाही शुरू की है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। एमओयू के अनुसार कंपनी की संपत्ति का मूल्य 1638.50 लाख रुपये है और मेसर्स जेएनपीटी द्वारा इस पर सहमति और भुगतान किया गया है। कंपनी द्वारा जेएनपीटी को देय लीज किराए की निर्विवाद राशि की गणना मध्यस्थता पुरस्कार के आधार पर पार्टियों के बीच आपसी समझ से 805.13 लाख रुपये की गई थी और कंपनी द्वारा इसका भुगतान किया गया था। विवादित राशि में लीज रेंटल 297.4.51 लाख रुपये, जल शुल्क 0.65 लाख रुपये, वे लीव चार्ज 297.09 लाख रुपये और वे लीव चार्ज का सेवा कर 46.61 लाख रुपये शामिल हैं। कंपनी ने जेएनपीटी की मांग की शेष राशि को आकस्मिक दायित्व के रूप में भुगतान किए गए अविवाहित पट्टा किराये को समायोजित करने के बाद दिखाया है क्योंकि मध्यस्थ पुरस्कारों के खिलाफ दायर अपील उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है और कंपनी की राय है कि किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें अनिश्चितताएँ हैं। मुकदमेबाजी के इस चरण में मांग का क्रिस्टलीकरण है।

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

vii) & viii) सरकार ऋण 8258.81 लाख रुपए पर उच्च दर का ब्याज और सरकारी ऋण 52435.82 लाख रुपए पर चूक ब्याज पर ब्याज

कंपनी को दिये गए ऋण के संबंध में ब्याज की दर बढ़ाने का अधिकार भारत सरकार के पास है, यदि नियत तारीख पर मूलधन की चुकौती के मामले में और देय ब्याज के भुगतान में से किसी प्रकार के चूक होने पर ब्याज दर बसूल की जाती है। चूंकि मूलऋण के भुगतान के साथ-साथ ब्याज के भुगतान में भी चूक हुई है, कंपनी ने अनुमान किया है कि मूलधन पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज उच्च दर की मांग की जा सकती है। अतिरिक्त ब्याज देयता की गणना की और आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। भारत सरकार द्वारा दी गयी शेष राशि की पुष्टि के अनुसार, उच्च दर पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज शामिल नहीं किया गया है।

## ix) नीलिमा केमिकल कॉर्पोरेशन

यह सिविल मुकदमा मेसर्स नीलिमा केमिकल कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 1996 में सहायक जिला न्यायाधीश, 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल, भारत प्रथम न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य:- एचओसीएल एनसीसी द्वारा प्रदान/प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी ("बीजी") के विरुद्ध मेसर्स नीलिमा केमिकल कॉर्पोरेशन ("एनसीसी") को सामग्री की आपूर्ति कर रहा था। व्यवसाय के दौरान, एनसीसी सामग्री की आपूर्ति के लिए अतिदेय राशि का भुगतान करने में विफल रही थी और इसलिए 15 मई 1996 को एचओसीएल ने एचओसीएल के अतिदेय को पूरा करने के लिए बीजी लागू करने के लिए संबंधित बैंक विजया बैंक को एक पत्र एनसीसी द्वारा लिखा था। इसके बाद, विजय बैंक ने एचओसीएल के पक्ष में बीजी से/की ओर से धनराशि जारी की। इस प्रकार, इस कदम/निर्णय से व्यथित होकर एनसीसी ने सहायक जिला न्यायाधीश, 24 परगना (दक्षिण) के प्रथम न्यायालय के समक्ष 3,90,68,190 रुपये की राशि का डिक्री पारित करने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे पर एकपक्षीय फैसला सुनाया गया था और एनसीसी के वकील ने 24 नवंबर 2011 को अपने पत्र के जरिए कंपनी को सूचित किया था कि वे उक्त फैसले को क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके बाद, एचओसीएल ने मिस्ल दायर की थी। उक्त डिक्री और/या मुकदमे को रद्द करने के लिए 2011 के केस नंबर 156 को सुनवाई योग्यता के आधार पर को जाएगी। एचओसीएल ने 25 अगस्त 2011 को उक्त मामले में कैविएट भी दायर की थी। कंपनी ने 2014 के शीर्षक निष्पादन मामले संख्या 11 का विरोध करने के लिए हलफनामा भी दायर किया था। अब उक्त मामला सुनवाई हेतु न्यायालय में विचाराधीन है। यह निष्पादन आवेदन 1996 के 45 (एकपक्षीय) में पारित डिक्री के निष्पादन के लिए एचओसीएल के खिलाफ एनसीसी द्वारा दायर किया गया है। यह मामला 10 नवंबर 2021 को सुनवाई के लिए आया था, इस तारीख को एचओसीएल की वकील श्रीमती सरोज तुलस्यान ने स्थगन की मांग करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने स्थगन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मामले को आंशिक सुनवाई 10 नवंबर 2021 को हुई।

x) नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित श्रम मामलों के लिए कंपनी के खिलाफ दायर कानूनी मामलों और ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने के संबंध में दावों की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

## ख) बैंक गारंटी जारी किया गया 2645.80 लाख रुपए

कंपनी ने केरल राज्य बिजली बोर्ड को 101 लाख रुपये, बीपीसीएल को 5100 लाख रुपये, ओएमपीएल को 1000 लाख रुपये और अन्य को 1.06 लाख रुपये को बैंक गारंटी जमा की है। कंपनी को उपरोक्त के संबंध में किसी भी बहिर्प्रवाह की उम्मीद नहीं है।

बीपीसीएल को रु. 1145.80 लाख और ओएमपीएल को रु. 1000.00 लाख जारी की गई बैंक गारंटी के विरुद्ध आकस्मिक देनदारी और प्रतिबद्धताएं दिखाई गई हैं।

ii) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया: रु. 36.27 लाख।

निम्नलिखित अनुबंधों के लिए कार्य आदेश जारी किया गया।	2022-23	2021-22
ख) फिनोल संयंत्र के लिए 215 केवीए यूपीएस		21.61
घ) संबंधित प्राधिकारियों से सड़क काटने की अनुमति के लिए पुनर्स्थापन शुल्क/लाइसेंस शुल्क/प्रदर्शन गारंटी।		14.66
<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>36.27</b>

37 इंड एस 8 के अनुसार त्रुटि या चूक संबंधी प्रकटन

वर्ष 2022-23 के दौरान त्रुटि के कारण निम्नलिखित व्यय/आय का गलत हिसाब लगाया गया था। तदनुसार, पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण को इंड एस 8 के अनुसार त्रुटियों को ठीक करने के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय विवरण पर पुनर्कथन का प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है।

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
<b>प्रतिधारित अर्जन</b>	<b>-101761.72</b>	<b>-99487.17</b>
अन्य आय में वृद्धि (नोट 23 देखें)	11.25	33.72
अन्य व्ययों में कमी (नोट 29 देखें)		22.64
अन्य व्ययों में वृद्धि (नोट 29 देखें)	(10.61)	(6.45)
अन्य व्ययों में वृद्धि (नोट 26 देखें)	(295.00)	
<b>कुल</b>	<b>(294.36)</b>	<b>49.91</b>
पुनर्निर्धारित प्रतिधारित आय	(1,02,056.08)	(99,437.26)
(वृद्धि)/इक्विटी में कमी	(294.36)	49.91
(वृद्धि)/प्रति शेयर आय में कमी	(0.04)	0.07
(वृद्धि)/प्रति शेयर पतला आय में कमी	(0.04)	0.07

(1) 2021-22 से संबंधित विविध आय 11.25 लाख रुपये को त्रुटि के कारण गलत तरीके से दर्ज किया गया है, इसलिए वर्ष 2021-22 के लिए तुलनात्मक राशि को इंड एस 8 के अनुसार बहाल किया गया है।

(क) पूर्व अवधि त्रुटि की प्रकृति: विविध आय

(ख) सुधार की राशि: 11.25 लाख रुपये

(ग) वित्तीय लाइन आइटम प्रभावित: नोट संख्या 23 (विविध आय)

(2) अन्य विविध व्यय में वर्ष 2021-22 से संबंधित 10.61 लाख रुपये शामिल हैं, त्रुटि के कारण गलत तरीके से हिसाब लगाया गया है, इसलिए तुलनात्मक राशि को इंड एस 8 के अनुसार बहाल किया गया है।

(क) पिछली अवधि की त्रुटि की प्रकृति: विविध व्यय

(ख) सुधार की राशि: 10.61 लाख रुपये

(ग) वित्तीय लाइन आइटम प्रभावित: नोट संख्या 29 - अन्य व्यय

(3) कर्मचारी लाभ व्यय में रु. 31.03.2022 तक वेतन बकाया के 295 लाख रुपये त्रुटि के कारण गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं, इसलिए तुलनात्मक राशि को इंड एस 8 के अनुसार बहाल किया गया है।

(क) पूर्व अवधि त्रुटि की प्रकृति: कर्मचारी लाभ व्यय

(ख) सुधार की राशि: रु. 295 लाख

(ग) वित्तीय लाइन आइटम प्रभावित: नोट संख्या 26 - कर्मचारी लाभ व्यय



**38 इंड-एएस 24 के अनुसार संबंध पार्टी प्रकटीकरण**

चूंकि भारत सरकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में) के 58.78% का मालिक है। इसलिए सरकार और अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेन-देन से संबंधित ख़ुलासे के अनुसार पैरा 2.6 के साथ इंड 24 सूचित किया गया है।

संबंधित पक्षों की सूची जहां नियंत्रण मौजूद है और संबंधित पक्ष जिनके साथ लेन-देन हुआ है और संबंध है।

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	संबंधित पार्टी के संबंध का नाम	संबंध	लेन-देन का विवरण	वर्ष 2022-23 के दौरान लेन-देन की राशि	वर्ष के अंत में बकिया राशि (31.03.2023)	वर्ष 2021-22 के दौरान लेन-देन की राशि	वर्ष के अंत में बकिया राशि (31.03.2022)
1	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल)	सहायक कंपनी के साथ 56.43% शेयर होल्डिंग	एचएफएल को दिए गए ऋण पर ब्याज	63.62	4272.13	63.62	4214.87
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	कच्चे माल की खरीद (एलपीजी, बेंजीन, एफओ, एच2 और एलएनजी)	37659.45	3462.27	22883.56	3051.35
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	तैयार माल की बिक्री (एच2)	43.00	29.08	15.07	22.84
4	इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	कच्चे माल/ईंधन की खरीद	6130.67	-59.52	478.67	0.00
5	मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	ओएनजीसी की सहायक कंपनी	कच्चे माल की खरीद (बेंजीन)	5496.25	0.00	0.00	0.00
6	एचओपीएल ग्रुप प्रैक्टिस ट्रस्ट	-उपरोक्त-	निवेश और निवेश पर ब्याज	682.19	1729.48	610.89	1490.61

**निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक**

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	पोस्ट-टर्म कर्मचारी लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	समाप्ति लाभ	शेयर आधारित भुगतान	कुल
22-23	क. पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:						
	श्री सजीव बी. सोएमडी	36.80	4.56	0.00	0.00	0.00	41.36
	ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक						
i)	सरकारी नामिती निदेशक						
	श्री संजय रस्तोगी (एएस एफए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	स्वतंत्र निदेशक						
	डॉ. भरत जे कनाबार	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
	श्री प्रलूष मंडल	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
ग. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक							
	श्री सुब्रमण्यम एच	13.10	1.76	0.00	0.00	0.00	14.86
	श्री पी ओ लुईस, सीएफओ (04.08.2022 तक)	9.29	1.22	0.00	0.00	0.00	10.51
	कुल	83.07	10.44	0	0	0	93.51

(₹ लाख में)

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	पोस्ट-टर्म कर्मचारी लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	समाप्ति लाभ	शेयर आधारित भुगतान	कुल
2021-22	क. पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:						
	श्री एस बी भिडे, सीएमडी (31.7.21 तक)	29.91	1.48	0.00	0.00	0.00	31.39
	श्री सजीव बी. सोएमडी (6.9.2021 से)	20.74	2.45	0.00	0.00	0.00	23.19
	ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक						
i)	सरकारी नामिती निदेशक						
	श्री संतोष सिंह, एएसएफए (सी.एफ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	श्री समीर कुमार विश्वास, जे.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	स्वतंत्र निदेशक						
	(बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए एनओआईडी को भुगतान किया जाने वाला बैठक शुल्क)						
	डॉ. भरत जे कनाबार	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	श्री प्रलूष मंडल	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
ग. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक							
	श्री पी ओ लुईस, सीएफओ	33.97	3.39	0.00	0.00	0.00	37.36
	श्रीमती एस एस कलकर्णी, सीएस (28.02.22 तक)	36.45	3.53	0.00	0.00	0.00	39.98
	श्री सुब्रमण्यम एच (1.3.2022 से)	1.06	0.14	0.00	0.00	0.00	1.20
	कुल	123.33	10.99	0.00	0.00	0.00	134.32

**टिप्पणी:**

अपने व्यापार के साधारण चलन में, कंपनी अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं (उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है) के साथ लेन-देन करता है। कंपनी को अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ जिनमें निम्नलिखितों सहित लेकिन इनमें सीमित नहीं है के साथ लेन-देन है। माल एवं अनुबंधी सामग्रियों की बिक्री और क्रय; सेवाएं प्रदान और प्राप्त करना और लाभांशों की प्राप्ति; ऋण और अग्रिमों; धन का निवेश और उधार; सार्वजनिक उपयोगिताओं की गारंटी और उपयोग। ये लेन-देन व्यापार के सामान्य-व्यवस्थाओं के दौरान अन्य-संस्थाओं के उन शर्तों की तुलना के साथ किए जाते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित संस्थाएं नहीं हैं।



**39 क. वित्तीय लिखित**  
क उचित मूल्य अनुक्रम :

स्तर 1- उद्धृत कोमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें कोमत दिए गए सूचीबद्ध इक्विटी सामग्री, ट्रेड्ड बॉन्ड और यूचल निधि शामिल है। सभी इक्विटी लिखत (बॉन्ड सहित) जो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है, का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि में समाप्त मूल्य का उपयोग करके मूल्यम किया जाता है। यूचल निधि का मूल्य समाप्त एम्पवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2- वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए व्यापार बॉन्ड, काउंटर डिरिवेटिव के ऊपर) का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो कि अवलोकन योग्य बाजार डेटा का उपयोग अधिकतम करते हैं और यथासंभव संस्था-विशिष्ट अनुमानों पर कम आश्रित करते हैं। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवलोकन योग्य है, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3- यदि महत्वपूर्ण इन्सुइड में से एक या अधिक अवलोकन बाजार के अंकड़े पर आधारित नहीं है, तो इन्सुइड स्तर 3 में शामिल है। यह असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक विचार और क्षतिपूर्ति संपत्ति के मामले में है।

ख वित्तीय मूल्य और देयताएँ उचित मूल्य आवर्ती उचित मूल्य माप पर मापा जाता है:

	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को				
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
<b>वित्तीय परिसंपत्तियाँ:</b>								
ऋण	-	-	3219.43	3219.43	-	-	3218.09	3218.09
व्यापार प्राय	-	-	1,807.71	1,807.71	-	-	735.12	735.12
निवेश	985.45	-	5.00	990.45	1058.44	-	5.00	1063.44
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	4359.01	4359.01	-	-	2014.53	2014.53
नकद को छोड़कर बैंक शेष	-	-	12371.47	12371.47	-	-	11496.20	11496.20
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	1433.34	1433.34	-	-	1334.04	1334.04
<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ</b>	<b>985.45</b>	<b>-</b>	<b>23,195.96</b>	<b>24,181.41</b>	<b>1,058.44</b>	<b>-</b>	<b>18,802.98</b>	<b>19,861.42</b>
<b>वित्तीय देयताएँ</b>								
उधार	-	-	72256.46	72256.46	-	-	72256.46	72256.46
व्यापार प्राय	-	-	4066.87	4066.87	-	-	4151.84	4151.84
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	-	-	46070.59	46070.59	-	-	40395.78	40395.78
<b>कुल वित्तीय देयताएँ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,22,393.92</b>	<b>1,22,393.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,16,804.08</b>	<b>116,804.08</b>

**39ख. वित्तीय लिखतों की श्रेणी**

क उचित मूल्य अनुक्रम :

	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को				
	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधन लागत	कुल	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधन लागत	कुल
<b>वित्तीय परिसंपत्तियाँ:</b>								
ऋण	-	-	3219.43	3219.43	-	-	3218.09	3218.09
व्यापार प्राय	-	-	1,807.71	1,807.71	-	-	735.12	735.12
निवेश	-	-	990.45	990.45	-	-	1063.44	1063.44
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	4359.01	4359.01	-	-	2014.53	2014.53
नकद को छोड़कर बैंक शेष	-	-	12371.47	12371.47	-	-	11496.20	11496.20
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	1433.34	1433.34	-	-	1334.04	1334.04
<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,181.41</b>	<b>24,181.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,861.42</b>	<b>19,861.42</b>
<b>वित्तीय देयताएँ</b>								
गैर संचित अधिमन्य श्रेघर	-	-	27000.00	27000.00	-	-	27000.00	27000.00
ऋण भारत सरकार	-	-	45256.46	45256.46	-	-	45256.46	45256.46
व्यापार प्राय	-	-	4066.87	4066.87	-	-	4151.84	4151.84
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	-	-	46070.59	46070.59	-	-	40395.78	40395.78
<b>कुल वित्तीय देयताएँ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,22,393.92</b>	<b>1,22,393.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,16,804.08</b>	<b>1,16,804.08</b>

(₹ लाख में)

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

## टिप्पणी सं. 40- क वित्तीय जोखिम प्रबंधन

## i. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य या वित्तीय लिखत के भविष्य नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। वित्तीय लिखतों के मूल्यों में इस तरह के परिवर्तन विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, ऋण, तरलता और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। बाजार जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम के कारण है।

## क) विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय और इक्विटी पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, जहाँ किसी भी लेनदेन का संदर्भ एक से अधिक मुद्रा से होता है या जहाँ कंपनी को कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में संपत्ति / देनदारियों का मूल्यवर्ग किया जाता है लेकिन कंपनी का शेष विदेशी मुद्रा में है इसलिए कंपनी विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से प्रभावित नहीं है।

## ख) ब्याज दर जोखिम

कंपनी के निवेश मुख्य रूप से उद्भूत इक्विटी शेयर और अन्य इकाई के अनउद्भूत इक्विटी शेयर के माध्यम से होते हैं, इसलिए गैर-निवेश गतिविधियों के बिना निवेश से ब्याज उत्पन्न होता है। इसलिए, कंपनी ब्याज दर जोखिम पर बहुत अधिक प्रभावित नहीं है।

## ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो चुकौती में प्रतिपक्षी विफलता या संविदागत निबंधन या दायित्व के अनुसार सेवा कर्ज से उत्पन्न वित्तीय हानि है। ऋण जोखिम में दोनों शामिल होते हैं, डिफॉल्ट का सीधा जोखिम और ऋण को गिरावट के जोखिम के साथ-साथ जोखिमोका केन्द्रीकरण। ऋण जोखिम का विश्लेषण ऋण सीमाओं और ग्राहकों की साख पर निरंतर नियंत्रण के आधार पर किया जाता है, जिन्हें ऋण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण दिया गया है।

वित्तीय लिखत जो ऋण जोखिम की केन्द्रीकरण के अधीन है, मुख्य रूप से व्यापार प्राय राशि, बिल न किए गए प्राय, निवेश, नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से मिलकर बनता है। कंपनी नीचे दिए गए ग्राहकों से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए व्यक्तिगत रूप से 10 % से अधिक या कंपनी के राजस्व से अधिक के लिए राजस्व सृजित करते हैं।

ग्राहक का नाम	राजस्व की राशि (₹ लाख में)	कुल राजस्व का %
पूजा पेट्रो केमिकल्स	18738.04	30%
सोनकमल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	16300.52	26%
पोनयोर केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	9759.28	15%

## ऋण जोखिम का भौगोलिक केन्द्रीकरण

व्यापार प्राय, बिल न किए गए प्राय (पिछले वर्ष : बिल न किए गए राजस्व) का भौगोलिक केन्द्रीकरण और संविदा परिसंपत्तियों का आबंटन ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

## iii. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम उस जोखिम को कहता है कि कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा नहीं करता है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त चलनिधि बनाया रखना है और आवश्यकताओं के अनुसार निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कंपनी पर्याप्त रिजर्व का पालन, बैंकिंग सुविधाओं और रिजर्व उधार सुविधाओं, निरंतर पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल से मेल करके चलनिधि का प्रबंधन करती है।

## टिप्पणी सं. 41 आस्थगित कर

## वर्ष 2022-23 के लिए

	अथशेष 01.04.2022	पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है	भविष्य के लाभ की संभाव्यता जांच के कारण वापस	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष 31.03.2023
आस्थगित कर देयता						
अतिरिक्त प्रावधान लिखे/वापस	-	-	-	-	-	-
हानि लिखे/बैंक के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में भूमि का पुनर्मूल्यांकन	20,473.52	-	-	302.00	-	20,775.52
पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर	(4,056.00)	-	-	-	-	(4,056.00)
आस्थगित कर देनदारी का उलटा होना	-	-	-	-	-	-
एचएफएल में उचित मूल्य निवेश	(15.00)	-	-	-	(21.00)	(36.00)
	<b>16,402.52</b>				<b>281.00</b>	<b>16,683.52</b>

	अथशेष 01.04.2022	पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है	भविष्य के लाभ की संभाव्यता जांच के कारण वापस	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष 31.03.2023
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ						
मूल्यहास	-	18.00	18.00	-	-	-
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	80.00	80.00	-	-	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/वीएसएस)	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	1.00	1.00	-	-	-
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालिक करारों का प्रावधान	-	-	-	-	-	-
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
वैधानिक दावों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
आस्थगित कर देयता को सीमा तक आयकर की हानि	-	-	-	-	-	-
	-	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>	-	-	-
निवल आस्थगित कर देयता	<b>16,402.52</b>				<b>281.00</b>	<b>16,683.52</b>

## वर्ष 2021-22 के लिए

	अथशेष 01.04.2021	पीएंडएल में मान्यता प्राप्त	भविष्य के लाभ की संभाव्यता जांच के कारण वापस	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	भविष्य के लाभ की संभाव्यता जांच के कारण वापस	अंतिम शेष 31.03.2021
आस्थगित कर देयता						
उचित मूल्य में भूमि का पुनर्मूल्यांकन	19,897.52	-	-	-	576.00	20,473.52
पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर	(4,056.00)	-	-	-	-	(4,056.00)
आस्थगित कर देनदारी का वापस होना	-	-	-	-	-	-
एचएफएल में निवेश का उचित मूल्य	(80.00)	-	-	-	65.00	(15.00)
	<b>15,761.52</b>				<b>641.00</b>	<b>16,402.52</b>
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ						
मूल्यहास	-	21.00	21.00	-	-	-
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	81.00	81.00	-	-	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/वीएसएस)	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	5.00	5.00	-	-	-
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालिक करारों का प्रावधान	-	-	-	-	-	-
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	1.00	1.00	-	-	-
वैधानिक दावों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
	-	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	-	-	-
निवल आस्थगित कर देयता	<b>15,761.52</b>	<b>(108.00)</b>	<b>(108.00)</b>		<b>641.00</b>	<b>16,402.52</b>

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

## 42. अतिरिक्त खुलासे

## वित्तीय, तरलता और अन्य अनुपात

अनुपात	अंश के घटक	भाजक के घटक	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	% अंतर	प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण
वर्तमान अनुपात	चालू संपत्ति	चालू देनदारियाँ	1.01	1.06	-4.22%	-
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	149.89	22.40	569.13%	वर्ष के दौरान प्रदान किए गए भारत सरकार के ऋण और वरीयता शेयरों पर ब्याज के कारण मुख्य रूप से साल 2022-23 के दौरान घाटा बढ़ा है।
कर्म सेवा कवरज अनुपात	ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	0.01	0.03	-77.55%	वर्ष 2022-23 के दौरान घाटा बढ़ गया है और भारत सरकार के ऋण और वरीयता शेयरों पर ब्याज प्रदान किया गया है।
इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारकों की इक्विटी	-1.73	0.40	-528.28%	वर्ष 2022-23 के दौरान घाटा बढ़ गया है और भारत सरकार के ऋण और वरीयता शेयरों पर ब्याज प्रदान किया गया है।
सूची टर्नओवर अनुपात	विक्री	औसत मालसूची	23.76	16.16	47.02%	विक्री में वृद्धि
व्यापार प्राय टर्नओवर अनुपात	कुल विक्री	औसत व्यापार प्राय	49.66	57.01	-12.89%	-
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण क्रय	औसत व्यापार देय	10.22	7.29	40.15%	वर्ष 2022-23 के दौरान कच्चे माल एवं अन्य वस्तुओं की खरीद में वृद्धि।
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल विक्री	कार्यशील पूंजी	33.59	6.02	-458.00%	सरकारी ऋण पर ब्याज बढ़ने से 2022-23 में मौजूदा देनदारी बढ़ गई है।
शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल विक्री	-0.08	-0.06	31.72%	बाजार की प्रतिकूल स्थिति के कारण कंपनी को शुद्ध घाटा हुआ। इसके अलावा मुख्य कच्चे माल में भारी वृद्धि हुई लेकिन बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण विक्री मूल्य में वृद्धि नहीं हो सकी जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध घाटा हुआ।
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले लाभ (पीबीआईटी)	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	0.85	0.63	34.27%	
निवेश पर प्रतिफल	लाभांश	शेयर की कीमत	-	-	0.00%	

## 43 लाभ और हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण की टिप्पणियाँ

क) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 तक अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए ले जाने वाले मूल्य जिसका मापन भारतीय जीएएपी के तहत किया है, प्रोहोल्ड भूमि जहां उचित मूल्य (सर्कल दर) को डीमिड लागत माना जाता है को छोड़कर को 1 अप्रैल, 2016 (संक्रमण तिथि) जारी रखने के लिए चुना है।

ख) भारतीय जीएएपी के तहत, कंपनी ने वित्तीय संपत्तियों का मापन लागत पर किया है। संक्रमण तिथि को कंपनी ने इंड एएस 101 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि के प्रावधान को मान्यता दी। सभी वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर लिया गया है और ऐसे मतभेदों का उचित रूप से समाधान किया गया है।

ग) कंपनी अपनी रोजगार के बाद की परिभाषित लाभ योजना से संबंधित लागतों को भारतीय जीएएपी और इंड एएस दोनों के तहत बीमाकिक आधार पर स्वीकार किया जाता है। भारतीय जीएएपी के तहत बीमाकिक लाभ और हानि शामिल सम्पूर्ण लागत और नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ को लाभ या हानि में की जाती है। इंड एएस के तहत बीमाकिक लाभ और हानि शामिल सम्पूर्ण लागत और नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ को अन्य व्यापक आय के माध्यम से प्रतिधारित अर्जनों के पूर्व डेबिट या क्रेडिट के साथ तुलनपत्र में तुरंत स्वीकार किया जाता है।

घ) समायोजन का परिणामी योग को अन्य व्यापक आय शुद्ध में कर निहित लिया जाता है।

44 सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर-अनुपालन-विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है, निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर-अनुपालन - सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) के अनुसार, निदेशक मंडल के पास एक कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन और निदेशक मंडल के कम से कम पचास प्रतिशत में गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है।

## 45 वर्तमान चिन्ता

क) कंपनी ने 4239.63 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध हानि की सूचना दी है (पिछले वर्ष का शुद्ध लाभ 1015.89 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय सहित) इसके अलावा कंपनी ने 107078.48 लाख रुपये (पिछले वर्ष 102056.08 लाख रुपये) की हानि दर्ज की है। 95512.95 लाख रुपये का नकारात्मक नेटवर्थ (पिछले वर्ष 90490.55 लाख रुपये)। लेकिन इसकी वर्तमान संपत्ति इसकी वर्तमान देनदारियों से 1879.87 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7204.31 लाख रुपये) अधिक है। वर्ष के अंत में कंपनी के पास नकद और नकद समकक्षों की वर्तमान संपत्ति और अन्य बैंक शेष 16730.48 लाख रुपये (पिछले वर्ष 13510.73 लाख रुपये) हैं। इन स्थितियों पर विचार करने के बाद, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम चालू चिन्ता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ख) कंपनी 22 मई, 2017 के आदेश के तहत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है, संयंत्र और स्क्रैप किए गए उपकरणों का निपटारा कर दिया गया है। रसायनी में भार रहित भूमि को एनबीसीसी के माध्यम से और पनवेल की भूमि की ई-नीलामी के माध्यम से विक्री प्रगति पर है। कोच्चि में फिनोल संयंत्र चालू है और पिछले वर्ष के 62% की तुलना में चालू वर्ष में 93% क्षमता पर काम कर रहा था। चालू वर्ष में एसीटोन और फिनोल का उत्पादन पिछले वर्ष के 40305 मीट्रिक टन से बढ़कर 60656 मीट्रिक टन हो गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, वर्ष 2022-23 के लिए रू. 1666.29 लाख (पिछले वर्ष 2021-22 रू. 3932.38 लाख)।

46 बोर्ड ने 25.01.2021 से कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू करने की सिफारिश की और इसे मंजूरी के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए 295 लाख रुपये और वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन संशोधन के प्रावधान के लिए खातों में 248.00 लाख रुपये प्रदान किए हैं।

47 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई(ओं) का कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है ("या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से")। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, कंपनी की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करना या ("अंतिम लाभार्थी") या प्रदान करेगा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज।

48 कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियाँ") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना।

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

49 हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का प्रभावित कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

31 मार्च 2022 तक बंद कंपनियों के साथ संबंध

हटाई गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	बकाया राशि	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना चाहिए
एक्सेस सर्विसेज़ प्रा लिमिटेड	सुरक्षा सेवा	0.23 लाख रु	ऋणदाता

50 वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

51 वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया जाता है।

52 31.03.2023 तक कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

53 कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है) जिसका शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है।

54 कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

55 कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन किया है और पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकक (श्री ईआर.एस.राजेंद्रप्रसाद, संपत्ति कर संख्या: कैटोगरी नंबर 1/3/Vol.II/2009-10) द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है। संख्या:CC-CHN/TECH/RV/3/2009-10) जैसा कि कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है।

56 विकास के अधीन कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है

57 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

58 कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

59 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

60 कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आय के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान) कर अधिनियम, 1961), जब तक 11 किसी भी योजना के तहत प्रकटीकरण के लिए प्रतिरक्षा नहीं है और यह भी बताया होगा कि क्या पहले से दर्ज न की गई आय और संबंधित संपत्ति वर्ष के दौरान खाते की किताबों में ठीक से दर्ज की गई है।

61 कंपनी को पिछले वर्षों के दौरान हुए घाटे के कारण किसी भी सीएसआर गतिविधियों को करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं है।

62 कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

63 18.05.2023 को निदेशक मंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था

64 चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**कृते बालन & कंपनी**

सनदी लेखाकर  
एफआरएन340एस

**जोयल जॉर्ज, एफसीए**

सहयोगी  
सदस्यता सं.: 228702  
यूडीआईएन: 23228702BGXDRK1444

स्थान: एरणाकुलम  
दिनांक: 18.05.2023

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

**सजीव वी.**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन 09344438

**योगेंद्र प्रसाद शुक्ला**

निदेशक (वित्त)  
डीआईएन 09674122

**सुब्रमण्यन एच**

कंपनी सचिव  
एसीएस:28380

स्थान: एरणाकुलम, केरल  
दिनांक: 18.05.2023



**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए,  
समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

**राय**

1. हम ने हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (सीआईएन: L99999MH1960GOI011895) ("यूट्यूडू") के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें

- (क) 31 मार्च 2023 को समेकित तुलन-पत्र
- (ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित)
- (ग) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण
- (घ) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और
- (ङ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य स्पष्टीकरण जानकारियां

2. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण में अधिनियम में आवश्यक सूचना यथा अपेक्षित रूप में देते हैं और 31 मार्च 2023 को कंपनी के मामले में भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च 2023 को अपने लाभ और कुल समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन और इनके नकदी प्रवाह का सच्चे और सही रूप दिए जाते हैं।

**राय का आधार**

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियाँ को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे कहा गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**वर्तमान चिन्ता**

4. वर्ष के दौरान, समूह ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए रु.4,698.95 लाख (पिछले वर्ष रु. 1,792.47 लाख रुपए) के 'अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध घाटा' की रिपोर्ट दी है और पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए घाटे के कारण पूंजी क्षरण के परिणामस्वरूप नकारात्मक निवल मूल्य रु.1,02,253.63 लाख (पिछले वर्ष रु.96,927.7लाख) सहित प्रतिधारित उपार्जन के तहत संचित हानि रु.1,13,819.16 लाख (पिछले वर्ष रु.1,08,493.23लाख) है जिसमें 'अन्य व्यापक आय' शामिल नहीं है। इसके अलावा, इसकी वर्तमान देनदारियां इसकी वर्तमान संपत्ति रु.6,512.47 लाख (पिछले वर्ष: रु.676.71 लाख) से अधिक हैं।

इसके अलावा, निम्न पर ध्यान आकर्षित किया जाता है –

क) सहायक कंपनी के संबंध में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बंद करने की योजना और उक्त सहायक कंपनी की कार्यशील संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता संबंधी सहायक कंपनी की लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई लेखापरीक्षा राय (उक्त रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न पैराग्राफ देखें) के संबंध में समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 3(डी)(2)।

ख) हमें सूचित किया गया है कि, नियंत्रक कंपनी, भारत सरकार के अनुमोदन के साथ, रसायनी, मुंबई में अपनी घाटे में चल रही इकाई को विनिवेश करने और बेचने की प्रक्रिया में है, जिसमें इकाई के स्वामित्व वाली 551.172 एकड़ भूमि सहित 99,219.74 लाख रुपए की वहन राशि वाली संपत्ति शामिल है। इस प्रक्रिया से कंपनी के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सुजित करने की उम्मीद है। इसके अलावा, जैसा कि कंपनी ने वित्तीय विवरण की नोट सं 46(ख) में बताया है, हम कोची के विनिर्माण इकाई के हुई वृद्धि प्रदर्शन के संबंध में ध्यान आकर्षित करते हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने कार्यशील संस्था (गोइंग कंसर्न) के आधार पर स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार किया है

उपरोक्त के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

**मामले पर जोर**

5. हम चालू वर्ष की तिमाही 2 के लिए समूह द्वारा प्रकाशित अंतरिम वित्तीय परिणामों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें रु 530.58 लाख राशि के पिछले वर्षों में बनाए गए 'वैधानिक दायित्व के लिए प्रावधान' का प्रतिलेखन(राइट-बैक)शामिल है, जिसे 'अन्य आय' के तहत रिपोर्ट किया गया था। हालाँकि, आगे की चर्चाओं के आधार पर, प्रबंधन ने तिमाही 4 में उक्त दायित्व को बहाल कर दिया और तदनुसार, इस तरह के पुनर्कथन के प्रभाव को उक्त तिमाही के लिए 'अन्य आय' के तहत रिपोर्ट किया गया। चूंकि प्रतिलेखन (राइट बैक) के साथ-साथ इसकी बहाली चालू वर्ष में ही हुई, इसलिए चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है।

उपरोक्त के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

**मुख्य लेखापरीक्षा मामले**

6. मुख्य लेखापरीक्षा मामले इस प्रकार के मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का समाधान समग्र रूप में समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में किए गए और उसपर हमारी राय निरूपण तैयार करती है और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रकट नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्रम सं	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.	<b>वस्तुसूची का मूल्यांकन</b> एलपीजी, बेंजीन और रसायन आधारित वस्तुसूची कंपनी की वस्तुसूची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है जिनमें से कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है और दूसरे देशों की कीमतों, निर्णयों और स्थितियों पर निर्भर करता है। वस्तुसूची का मूल्य कच्चे माल, कार्य प्रगति पर एवं भंडार को छोड़कर कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर लगाया जाता है। लेखापरीक्षा मुख्य रूप से लागत के सत्यापन और उपरोक्त के निवल वसूली योग्य मूल्य पर केंद्रित थी।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ निम्नलिखित के लिए: शामिल थीं और सीमित नहीं थीं 1. कंपनी द्वारा उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर से डेटा की समीक्षा करना जैसे संयंत्र संचालन के लिए वितरित नियंत्रण प्रणाली जैसी कंपनी, संयंत्र की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र पीएलसी, कच्चे माल, तैयार उत्पादों का स्टॉक और विभिन्न मध्यवर्ती उत्पादों के बारे में विस्तृत आंकड़ों के लिए साथ ही विविध अलार्म, चेतावनियाँ और टैंक संचालन का इतिहास आदि के लिए टैंक स्तर की निगरानी सिस्टम "एलएमएस"। 2. मुख्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जिसमें वस्तुसूची के मूल्यांकन पर नियंत्रण भी शामिल है, डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना।

क्रम सं	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		3. वास्तविक खरीद लागत का सत्यापन कर वस्तुसूची के लिए लागत की सटीकता नमूने के आधार पर परीक्षण करना। नवीनतम बिक्री मूल्य सहित वास्तविक लागत की तुलना करके निवल वसूली योग्य मूल्य का परीक्षण
2.	<b>मान्यता, मापन और पीपीई का मूल्यहास</b> कंपनी, एक परिसंपत्ति आधारित इकाई होने के नाते पहचान, मापन और पीपीई के मूल्यहास बहुत महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा मुख्य रूप से इंड एस 16 के प्रावधानों के अनुपालन पर केंद्रित था- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा संपत्ति लेखांकन के अन्य पहलू।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ निम्नलिखित के लिए: शामिल थीं और सीमित नहीं थीं: 1. पीपीई की पहचान, पूंजीकरण, वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन पर प्रबंधन की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन और नियंत्रण करना। हमने प्रारंभिक लागत निर्धारित करने, अनुवर्ती मापन और पीपीई का मूल्यहास जिसमें उचित मूल्यहास तरीके के अनुप्रयोग और उपयोगी जीवन शामिल है, के लिए कंपनी की नीतियां का आकलन किया। 2. हमने पीपीई जोड़ के नमूने और निपटान का परीक्षण सटीकता और उनकी पहचान की पूर्णता और मापन सत्यापित करने के लिए किया। 3. हमने मूल्यहास नीतियों की स्थिरता और लागू लेखांकन मानकों के साथ उनका अनुपालन और मूल्यहास की गणना की सटीकता का आकलन किया। 4. हमने पुनर्मूल्यांकन मॉडल अपनाने और परिसंपत्ति प्रकटीकरण पर इसका प्रभाव के लिए इंड एस 16 के प्रावधानों के अनुपालन का सत्यापन किया।

**समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी**

- समूह का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचना की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, निगमित अभिशासन, शेरधारकों की सूचना और अध्यक्ष का कथन में शामिल जानकारी शामिल है। लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों और उसपर हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उसपर किसी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना का पाठ करना है और ऐसा करने से विचार करना है कि समेकित वित्तीय विवरणों के साथ क्या अन्य सूचना या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी क्या मूलतः परस्पर विरोधी है या अन्यथा मूलतः गलत बयान किया गया है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इस अन्य सूचना में गलत बयान किया है, हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है कि हमें अन्य सूचना की प्राप्ति नहीं है, इस संबंध में हमें कुछ रिपोर्ट नहीं करनी है।

**समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ**

- समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए समूह का प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार है। ये विवरण, वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तित की सही और सच्ची स्थिति दर्शाते हैं।
- प्रस्तुत जिम्मेदारी में समूह की परिसंपत्तियों की संरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने और पता करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण शामिल है और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं विवेकी निर्णयों और अनुमानों की तैयारी और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रूपायन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण जो लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है भी शामिल है जिससे सच्ची और सही स्थिति ज्ञात हो और धोखाधड़ी या गलती के कारण वस्तुगत अयथार्थ से मुक्त हो।
- समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कार्यशील संस्था के रूप में चालू रहने की समूह की क्षमता के निर्धारण, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले यथा लागू प्रकट करने और जब तक निदेशक मंडल ने जो समूह का परिसमापन की इरादा रखते हो या प्रचालन बंद करने या कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं लेकिन करने के बाध्य हो तब तक लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करने के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार है।
- निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देख-रेख के लिए भी जिम्मेदार है।

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ**

- हमारा उद्देश्य क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में धोखाधड़ी या गलती से, महत्वपूर्ण गलती से मुक्त है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारी राय से युक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन, आश्वासन का उच्च स्तर है, लेकिन गैरंटी नहीं है कि एस ए के अनुरूप आयोजित की गई लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलती जब विद्यमान होने पर, पाया जाता है। महत्वपूर्ण गलती धोखाधड़ी या गलती से हो सकता है और यदि व्यक्तिगत तौर पर या संकलित रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर जो उचित रूप से प्रभावित करना प्रत्याशित है।
- एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय और संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य में प्रोफेशनल संदेहवाद का प्रयोग करते हैं। हम यह भी करते हैं कि
  - समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानों संबंधी जोखिम की पहचान एवं निर्धारण करना जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रणालियों का रूपायन एवं निष्पादन और लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना है जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी से होनेवाले महत्वपूर्ण गलत बयान की पहचान का जोखिम गलती से होनेवाले से गंभीर/उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर लोप, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन करना भी शामिल है।
  - परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रणालियों का रूपायन करने की दिशा में लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ताल-मेल प्राप्त करना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(g) के अधीन, क्या समूह में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन प्रभाविता पर हमारी राय प्रकट करने के लिए हम भी उत्तरदायी है।
  - उपयोग में लायी गयी लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की उचितता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
  - लेखा के कार्यशील संस्था आधार संबंधी प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और

प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत के आधार पर ऐसी घटनों या स्थितियों जो कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका डाल देती है, से संबंधित क्या महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर या ऐसी प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त पायी जाती है, हमारी राय संशोधित करने की ओर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा सबूतों पर आधारित है। फिर भी, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ समूह को कार्यशील संस्था के रूप में जारी करना रोकने का कारण बन सकती है।

- समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और समेकित वित्तीय विवरणों की विषयवस्तु जिसमें प्रकटीकरण शामिल है, क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को उसी तरीके में जिसमें उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है, का प्रतिनिधित्व करता है, का मूल्यांकन करना है।

16. हम अन्य मामलों के साथ तैयार किए गए विषयक्षेत्र और लेखा परीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष जिसमें हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पायी गयी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल है, के संबंध में शासन का प्रभार दिए गए के साथ संवाद करते हैं।

17. हम शासन के प्रभार दिए गए उन लोगों को यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उनके साथ अनुसूचित की जानी है सभी संपर्क और अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता वहन करने के लिए उपयुक्त विचार हो सकते हैं और जहाँ लागू हो संबंधी संरक्षा प्रदान करें।

#### अन्य मामले

18. हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2023 तक रु.6544.19 लाख की कुल संपत्ति (समेकन समायोजन से पहले) दर्शाते हैं। उसी दिन को समाप्त वर्ष के लिए कुल आय (समेकन समायोजन से पहले) रु. 210.90 लाख जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, इन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की धारा (3) की उपधारा के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, इस मामले के संबंध में किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में संशोधित नहीं है।

#### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

19. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण "अनुलग्नक क" में देते हैं।

20. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित, हम "अनुलग्नक ख" में उन निर्देशों में संदर्भित मामलों पर एक विवरण देते हैं

21. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

क. हमने सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में, समूह की उन बहियों की हमारी जांच से देखता है, जहाँ तक कंपनी

ने विधि के अनुसार आवश्यक उचित लेखा बहियाँ रखी है।

ग. इस रिपोर्ट द्वारा चर्चा किए गए समेकित तुलन-पत्र, अन्य समग्र आय सहित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों का पालन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानदंडों के साथ किया है।

ङ. दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), के अनुसार सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अधीन छूट दी गई है। तदनुसार, हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि कथित धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई निदेशक अयोग्य हैं या नहीं।

च. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (ग) के अनुसार अपेक्षित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट 'अनुबंध ग' के रूप में संलग्न है।

छ. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी अच्छी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:-

(i) समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.36 का संदर्भ लें)

(ii) समूह को व्युत्पन्न अनुबंधों जिसके लिए महत्वपूर्ण संभावित नुकसान नहीं है, सहित दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है।

(iii) समूह द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित कोई राशि नहीं थी।

(iv) (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों में नोट 49 में खुलासा किया गया है, कोई भी धन अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के) समूह द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा समूह द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से ("अंतिम लाभार्थी") की पहचान की गई है

- या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान की गई है।

(ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों में नोट 50 में खुलासा किया गया है, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टियों की ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या

- कोई गारंटी, सुरक्षा या परम लाभार्थियों की ओर से प्रदान करती है,।

(ग) ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास होते हैं कि उपखंड (iv) (क) और (iv) (ख) अंतर्गत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

- (v) वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन आवश्यक था।
- (vi) लेखांकन सॉफ्टवेयर जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, का उपयोग करके लेखा की बही बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, समूह को 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होकर लागू है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

**22. सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर-अनुपालन-**

नियंत्रक कंपनी ने कम से कम एक महिला निदेशक सहित कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों के इष्टतम संयोजन बनाए रखना और निदेशक मंडल के कम से कम आधे में गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल होना और निदेशक मंडल के कम से कम आधे में स्वतंत्र निदेशक (समेकित वित्तीय विवरण की नोट सं 44 का संदर्भ लें) शामिल होने से संबंधित विनियम 17(1)(क) और 17(1)(बी) का पालन नहीं किया है।

**कृते बालन एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार

(फर्म की पंजीकरण संख्या.340एस)

**जोयाल जॉर्ज एफसीए**

**भागीदार (सदस्यता सं 228702)**

दिनांक : 18/05/2023

स्थान:कोची-11

**यूडीआईएन: 23228702BGXDRJ7779**

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'**

(हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अधीन पैरा 17 में संदर्भित) कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा (2) के प्रावधान के अनुसार, उक्त आदेश के खंड (i) से (xx) समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर लागू नहीं होते हैं।

हालाँकि, उक्त आदेश के खंड (xxi) के संबंध में हम रिपोर्ट करते हैं कि -

(xxi) नियंत्रक कंपनी के संबंध में, लेखापरीक्षक ने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक क के रूप में दी गई सीएआरओ रिपोर्ट में योग्यताएं दी हैं या खंड (i)(ग), (ii)(क), (iii), (iv),(vii), (ix) और (xvii) के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियाँ की हैं। इसके अलावा, सहायक कंपनी के संबंध में, लेखापरीक्षक ने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक क के रूप में दी गई सीएआरओ रिपोर्ट में योग्यताएं दी हैं या खंड (ix) (क) x(क), (xvii) और (xix) के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियाँ दी हैं।

**कृते बालन एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार

(फर्म की पंजीकरण संख्या.340एस)

**जोयाल जॉर्ज एफसीए**

**भागीदार (सदस्यता सं 228702)**

दिनांक : 18/05/2023

स्थान:कोची-11

**यूडीआईएन: 23228702BGXDRJ7779**

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'**

(हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित अपनी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अधीन पैरा 18 में संदर्भित) जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों और उप निर्देशों द्वारा अपेक्षित है, हम उसमें संदर्भित मामलों पर अपनी टिप्पणियाँ नीचे दे रहे हैं-

**क. निर्देश**

क्रसं	सी एंड एजी निर्देश	सांविधिक लेखापरीक्षक का विवरण	
1	क्या कंपनी में सभी लेखा लेन-देन आईटी प्रणाली के माध्यम से संचालित करने का तंत्र उपलब्ध है. यदि हाँ, लेखाओं की ईमानदारी पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेन-देन के संसाधन का अनुमान साथ ही वित्तीय अनुमान यदि कोई हो तो दिया जाए।	हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और हमारे सत्यापन के आधार पर, हमने कंपनी के लेखा लेन-देन संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियों की पहचान की है: 1) लेखांकन लेनदेन का रख-रखाव टैली ईआरपी प्राइम, जो एक लेखांकन सॉफ्टवेयर, के माध्यम से किया जाता है। 2) नियत परिसंपत्तियों का रजिस्टर का रख-रखाव एमएस ऑफिस एक्सेल यूटिलिटी में किया जाता है। 3) वेतन पर्ची का प्रबंधन अलग एचआरएम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। 4) यूनिट ट्रायल बैलेंस का समेकन एमएस ऑफिस एक्सेल उपयोगिता के माध्यम से किया जाता है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम उपर्युक्त उल्लेखित प्रणालियों के बाहर संसाधित होने वाले किसी भी लेखांकन लेनदेन में नहीं आए हैं। इसके अलावा, हम प्रमुख लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ ऊपर उल्लेखित प्रणालियों के बीच उचित समन्वयन की सिफारिश करते हैं ताकि सिस्टम के बीच डेटा माइग्रेशन और अंतरण के दौरान सिस्टम डेटा हानि या भ्रष्टाचार के किसी संभावित जोखिम से बचा जा सके।	सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
2	क्या विद्यमान ऋण के कोई पुनर्गठन या ऋण की चुकौती में कंपनी की अक्षमता के कारण उधारदाता द्वारा कंपनी को छूट/कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को बढ़े खाते में डालने के कोई मामले है. यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव दिया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है.	कंपनी ने कर्ज चुकाने में और भारत सरकार से प्राप्त अधिमानी शेरों के भुगतान में चूक की है, जिसका मूलधन कुल मिलाकर रु.72,256.46 लाख है। हालाँकि, हमें दी गई जानकारी के आधार पर, ऐसे किसी भी ऋण का पुनर्गठन या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को अधित्याग/बढ़े खाते में डालने के मामलों का नहीं था। इसलिए, हम वित्तीय प्रभाव और उक्त के लेखांकन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं	सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

3	क्या केंद्र/राज्य सरकारों या इनके अधिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त की जा रही निधियों (अनुदान/सब्सिडीआदि) को इनके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया/उपयोग किया है. विचलन के मामलों की सूची दी जाए.	हमें दी गयी सूचना के अनुसार, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकारों या इनके अधिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी प्रकार की निधि नहीं प्राप्त की है या प्राप्त की जा रही है।	सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लो खाापारी शा रिपोर्ट में कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
---	--	--	--

2.	क्या विशेष रूप से तीन वर्ष से अधिक पुरानी संचित व्यापार प्राप्तियों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कोई प्रभावी प्रणाली है.	कंपनी के पास रु.1,489.24 लाख राशि के व्यापार प्राय है, जो तीन साल से अधिक पुराना है। कंपनी ने मूल्यांकन किया है और खराब और संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान के रूप में रु.1,474.28 लाख रुपये की राशि प्रदान की है। हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन वसूली के लिए उपरोक्त देनदारों से संपर्क कर रहा है और ऐसे कुछ मामलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
3.	क्या कच्चे माल, मध्यवर्तियों और यूटिलिटीस के मामले में मानदंडों के विरुद्ध वास्तविक खपत को देखने के लिए पर्याप्त प्रणाली थी.	हमें सूचित किया गया है कि कंपनी प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट के रूप में स्थापित मानदंडों के विरुद्ध कच्चे माल, मध्यवर्तियों और यूटिलिटीस के वास्तविक उपभोग की तुलना कर मासिक विवरण तैयार कर रही है।

**ख- उप निर्देश**

1.	अतिक्रमण के अधीन भूमि के क्षेत्र का ब्योरा दें और अतिक्रमण हटाने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम का संक्षिप्त विवरण दें.	<p>1) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी के आधार पर, कंपनी की रसायनी इकाई, महाराष्ट्र में 65.840 एकड़ भूमि 'अतिक्रमण के तहत' के रूप में पहचाना गया है अतिक्रमण को दूर करने हेतु प्रबंधन द्वारा उठाये गये कदम के संबंध में हमें सूचित किया जाता है कि -</p> <p>1) कंपनी रसायनी इकाई की भूमि पर किसानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संवाद कर रही है।</p> <p>2) कंपनी उपरोक्त मामले के तुरंत समाधान के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, भारत सरकार के साथ भी समन्वय कर रही है।</p> <p>3) उपरोक्त सिफारिशों में अतिक्रमणकारियों के साथ समझौता व्यवस्था सहित विभिन्न प्रस्ताव शामिल हैं।</p> <p>4) कंपनी ने कुछ मामलों में मुकदमा भी दायर किया है।</p> <p>2) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार रसायनी इकाई में 32.547 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, हिंदुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड और महात्मा एजुकेशन सोसाइटी को दी गई है।</p> <p>अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए कदम के बारे में हमें सूचित किया गया है कि</p> <p>क) कंपनी वसूली या ऐसी इकाइयों द्वारा कब्जे वाली उक्त भूमि के पंजीकरण के लिए लगातार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रही है।</p> <p>ख) एमईएस को पट्टे पर दी गई भूमि के मामले में, कंपनी ने पार्टी को पट्टा समाप्ति की सूचना जारी किया है, हालाँकि, संपत्ति अभी भी पट्टेदार - एमईएस के कब्जे में है। मामला मध्यस्थता प्राधिकरण के समक्ष लंबित है और कार्यवाही प्रगति पर है।</p> <p>रसायनी इकाई, महाराष्ट्र में 10.576 एकड़ भूमि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है सार्वजनिक सड़क का निर्माण किया है। इसलिए, कंपनी के पास कब्जा नहीं है साथ ही उक्त भूमि के संबंध में स्वामित्व भी नहीं है।</p>
----	--	---

चूंकि सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए, निर्देशों और उपनिर्देशों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, हमने सहायक कंपनी के संबंध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं की है।

**कृते बालन एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार

(फर्म की पंजीकरण संख्या 340एस)

**जोयाल जॉर्ज एफसीए**

**भागीदार (सदस्यता सं 228702)**

**यूडीआईएन: 23228702BGXDRJ7779**

दिनांक : 18/05/2023

स्थान:कोची-11

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ग"**

(हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के खंड "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट" के अधीन पैरा 19(एफ) में संदर्भित)

**कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

**राय**

- हम ने हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ("नियंत्रक कंपनी") की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ की गयी है जबकि सहायक कंपनी की लेखापरीक्षा दूसरी सनदी लेखाकारों स्वतंत्र संस्था द्वारा की गयी है।
- हमारी राय में, समूह के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। यह समूह द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर वित्तीय नियंत्रण के आधार पर किया गया है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

- समूह के निदेशक मंडल समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा मानदंड द्वारा तैयार किया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जो अपने व्यापार के नियमित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार संबंधित नीतियाँ, अपनी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों की रोक एवं पहचान, लेखा अभिलेखों की यथार्थता एवं पूर्णता, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं का समय पर तैयारी शामिल है।

**लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**

- हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी तत्वों ("मार्गदर्शी तत्व") और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं तथा योजनाओं का पालन करें और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है इसका उचित आश्वासन प्राप्त करें और ऐसे नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से सभी सामग्री के संबंध में स्थापित किए गए हैं और रखे गए हैं।
- हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उसका प्रभावी ढंग से परिचालन के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए पद्धति का अनुरक्षण करना सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए समझदारी प्राप्त करना, जोखिम की जांच करना कि कमी मौजूद है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन की प्रभावता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई पद्धति लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखा या चूक के

कारण गलत बयान की जोखिम के निर्धारण भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हम ने जो लेखा सबूत प्राप्त किए हैं, वित्तीय रिपोर्टों के ऊपर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा की राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मतलब**

- वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंडिएएस) जिसे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानदंड) नियम 2015 यथा संशोधित और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में नीचे दी गई उन नीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ शामिल हैं कि (1) समूह की परिसंपत्तियों के लेन-देन और स्थिति के उपयुक्त विवरण, यथार्थ और उचित रूप से प्रतिबिंबित अभिलेखों का अनुरक्षण संबंधी है। (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंडिएएस) जिसे संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और समूह की प्राप्तियाँ और व्यय केवल प्रबंधन के प्राधिकरणों और समूह के निदेशक मंडल के अनुसार किए जा रहे हैं (3) इसका उपयुक्त आश्वासन भी प्रदान करते हैं कि समूह की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर कटौती, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिसीमा**

- वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित परिसीमा जिसमें नियंत्रणों को पार करने की अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता शामिल है, के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से गलत बयान घटित हो सकते हैं और पहचान नहीं की जाती है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के शर्त पर है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर बिगड़ हो सकता है।

**कृते बालन एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार

(फर्म की पंजीकरण संख्या. 340एस)

**जोयाल जॉर्ज एफसीए**

**भागीदार (सदस्यता सं 228702)**

**चूडीआईएन: 23228702BGXDRJ7779**

दिनांक : 18/05/2023

स्थान:कोची-11

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) जिसे अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 जिसे 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह कहा गया है कि इसको उनके द्वारा 18 मई 2023 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143(6)(क) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए  
और उनकी ओर से

स्थान: मुंबई

(गुलजारी लाल)

दिनांक: 08 अगस्त 2023

महा निदेशक लेखा परीक्षा (शिपिंग), मुंबई

## 31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
<b>परिसंपत्तियाँ</b>			
<b>1. गैर-चालू परिसंपत्तियाँ</b>			
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3क	16,375.07	15,348.07
ख) निवेश संपत्ति	3ख	86.58	88.74
ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3ग	18.85	27.25
घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
i) निवेश	4	5.00	5.00
ड) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	5	518.05	497.37
<b>कुल (गैर चालू परिसंपत्तियाँ)</b>		<b>17,003.55</b>	<b>15,966.43</b>
<b>चालू परिसंपत्तियाँ</b>			
क) वस्तु सूची	6	4,960.95	7,651.25
ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्त		1,936.87	864.28
(ii) नकद और नकद समतुल्य	7क	4,621.36	2,169.32
(iii) बैंक शेष उपरोक्त (ग) के अलावा	8ख	15,192.40	13,503.05
(iv) ऋण	9	22.35	21.01
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10	369.27	385.17
ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	2,564.85	3,013.86
घ) बिक्री के लिए रखी गयी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3घ	1,02,391.18	1,03,929.34
<b>कुल चालू परिसंपत्तियाँ</b>		<b>1,32,059.23</b>	<b>1,31,537.28</b>
<b>कुल परिसंपत्तियाँ</b>		<b>1,49,062.78</b>	<b>1,47,503.71</b>
<b>इक्विटी और देयताएं</b>			
<b>इक्विटी</b>			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	6,726.96	6,726.96
ख) अन्य इक्विटी			
i) प्रतिभूति प्रीमियम	13क	4,838.57	4,838.57
ii) प्रतिधारित अर्जन	13ख	(1,13,819.16)	(1,08,493.23)
iii) अन्य व्यापक आय	13ग	97,320.98	96,450.23
<b>कुल अन्य इक्विटी</b>		<b>(11,659.61)</b>	<b>(7,204.43)</b>
<b>कुल इक्विटी</b>		<b>(4,932.65)</b>	<b>(477.47)</b>
<b>गैर-नियंत्रित ब्याज देयताएं</b>			
<b>गैर-चालू देयताएं:</b>			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार	14	-	-
गक) पट्टा देयताएं	15	2,395.90	2,797.59
ख) प्रावधान	16	16,683.52	16,402.52
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)			
<b>कुल गैर चालू देयताएं</b>		<b>19,079.42</b>	<b>19,200.11</b>
<b>चालू देयताएं:</b>			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार	17	81,423.46	81,423.46
गक) पट्टा देयताएं			
ii) व्यापार देयताएं:			
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को देयताएं	18	14.85	55.50
अन्य को देयताएं	18	4,067.96	4,144.71
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	19	46,906.38	41,232.37
ख) प्रावधान	20	1,786.70	1,756.14
ग) अन्य चालू देयताएं	21	4,372.35	3,601.81
<b>चालू देयताएं - कुल</b>		<b>1,38,571.70</b>	<b>1,32,213.99</b>
<b>कुल इक्विटी एवं देयताएं</b>		<b>1,49,062.78</b>	<b>1,47,503.71</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ	1&3-65		

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

कृते बालन & कंपनी  
सनदी लेखाकर  
एफआरएन340एस

सजीव बी.  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन 09344438

योगेंद्र प्रसाद शुक्ला  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन 09674122

जोयल जॉर्ज, एफसीए  
सहयोगी  
सदस्यता सं.: 228702  
यूडीआईएन: 23228702BGXDRJ7779

सुब्रमण्यन एच  
कंपनी सचिव  
एसीएस:28380

स्थान: एरणाकुलम  
दिनांक: 18.05.2023

स्थान: एरणाकुलम, केरल  
दिनांक: 18.05.2023



## 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
<b>प्रचालन से राजस्व:</b>			
प्रचालन से राजस्व - उत्पादों की बिक्री	22	63,143.56	43,367.72
अन्य आय	23	1,301.88	3,360.54
<b>कुल आय</b>		<b>64,445.44</b>	<b>46,728.26</b>
<b>व्यय:</b>			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	24	42,679.26	27,888.46
तैयार माल की सूची में परिवर्तन, एवं कार्य प्रगति पर	25	1,482.71	(1,430.78)
कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	4,619.22	5,054.47
वित्तीय लागत	27	6,691.09	6,560.11
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	28	118.75	116.37
अन्य व्यय	29	14,388.13	11,771.32
<b>कुल व्यय</b>		<b>69,979.16</b>	<b>49,959.95</b>
असाधारण मदों और कर के पहले लाभ/(हानि)		<b>(5,533.72)</b>	<b>-3,231.69</b>
घटाएँ: असाधारण मदों		-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)		(5,533.72)	(3,231.69)
(1) चालू कर		-	-
(2) आस्थगित कर		-	-
<b>कर व्यय :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>अवधि के लिए लाभ/(हानि)</b>		<b>(5,533.72)</b>	<b>(3,231.69)</b>
<b>अन्य व्यापक आय</b>			
(i) लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत न करनेवाले मदें			
क) संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरणों का पुनर्मूल्यन	13ग	1,035.38	1,978.42
आस्थगित कर संपत्तियाँ	13ग	(302.00)	(576.00)
ख) निवेश के हास के लिए प्रावधान		-	-
आस्थगित कर व्यय		-	-
ग) परिभाषित हितलाभ योजना में परिवर्तन	13ग	101.39	36.80
घ) परिशोधित लागत में ओसीआई के माध्यम से वित्तीय लिखत		-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का निवल		<b>834.77</b>	<b>1,439.22</b>
<b>वर्ष के लिए कुल व्यापक आय</b>		<b>(4,698.95)</b>	<b>(1,792.47)</b>
को निवल लाभ के कारण			
क) कंपनी के मालिक		(5,310.94)	(2,964.66)
ख) गैर नियंत्रित ब्याज		(222.78)	(267.03)
अन्य व्यापक आय के कारण			
क) कंपनी के मालिक		834.77	1,441.05
ख) गैर नियंत्रित ब्याज		-	(1.83)
अन्य व्यापक आय के कारण			
क) कंपनी के मालिक		(4,476.17)	(1,523.62)
ख) गैर नियंत्रित ब्याज		(222.78)	(268.85)
प्रति इक्विटी शेयर में अर्जन (रुपए में)			
मूल (प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य)		(8.24)	(4.81)
मिश्रित(प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य)		(8.24)	(4.81)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ	1&3-65		

कृते बालन & कंपनी  
सनदी लेखाकर  
एफआरएन340एस

जोयल जॉर्ज, एफसीए  
सहयोगी  
सदस्यता सं.: 228702  
यूडीआईएन: 23228702BGXDRJ7779

स्थान: एरणाकुलम  
दिनांक: 18.05.2023

सजीव बी.  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन 09344438

सुब्रमण्यन एच  
कंपनी सचिव  
एसीएस:28380

स्थान: एरणाकुलम, केरल  
दिनांक: 18.05.2023

योगेंद्र प्रसाद शुक्ला  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन 09674122



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी	विवरण	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष		पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि		चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	
		01.04.2022	6726.96	2022-23	0	01.04.2022	6726.96	2022-23	31.03.2023		
1.	चालू रिपोर्टिंग अवधि (2022-23) प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयर				0	6726.96	0				6726.96
2.	पिछली रिपोर्टिंग अवधि (2021-22) प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयर		6726.96		0	6726.96	0				6726.96

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	मिश्रित वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष		प्रतिधारित अर्जन	अन्य समग्र आय के मदें (ओसीआई)				शेयर वॉर्ट के अन्तर्गत विरुद्ध प्राप्त राशि	कुल		
			पूंजी आरक्षित	प्रतिभूतियों का प्रीमियम		अन्य आरक्षितियाँ (प्रकृति स्पष्ट करें)	अन्य समग्र आय के जरिए ऋण लिखित	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	कैश फ्लो हेजेज का प्रभावी हिस्सा			अधिशेष का पुनर्मूल्यन	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों को परिभाषित करने में विनिमय अन्त
1. चालू रिपोर्टिंग अवधि (2022-23)													
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष राशि (01.04.2022)	0.00	0.00	4838.57	0.00	-108198.87	0.00	0.00	96699.21	0.00	-248.99	0.00	2022-23	-6910.08
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियों (टिप्पणी सं 37)	0.00	0.00	0.00	0.00	-294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-294.36
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	0.00	0.00	4838.57	0.00	-108493.23	0.00	0.00	96699.21	0.00	-248.99	0.00		-7204.44
चालू वर्ष के लिए कुल समग्र आय	0.00	0.00	0.00	0.00	-3325.94	0.00	0.00	1035.38	0.00	0.00	0.00		-4290.56
लाभार्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
प्रतिधारित अर्जनों का अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
अन्य कोई परिवर्तन (निर्धारित की जानी है)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-266.00	0.00	101.39	0.00		-164.61
चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (31.03.2023)	0.00	0.00	4838.57	0.00	-113819.17	0.00	0.00	97468.59	0.00	-147.59	0.00		-11659.62
2. पिछली रिपोर्टिंग अवधि (2021-22)													
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष राशि (01.04.2021)	0.00	0.00	4838.57	0.00	-103480.98	0.00	0.00	95296.79	0.00	-287.63	0.00	2021-22	-3633.25
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियों	0.00	0.00	0.00	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.76
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	0.00	0.00	4838.57	0.00	-103421.22	0.00	0.00	95296.79	0.00	-287.63	0.00		-3573.49
चालू वर्ष के लिए कुल समग्र आय	0.00	0.00	0.00	0.00	-5072.01	0.00	0.00	1978.42	0.00	-2.35	0.00		-3095.94
लाभार्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
प्रतिधारित अर्जनों का अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
अन्य कोई परिवर्तन (निर्धारित की जानी है)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-576.00	0.00	40.99	0.00		-535.01
चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (31.03.2022)	0.00	0.00	4838.57	0.00	-108493.23	0.00	0.00	96699.21	0.00	-248.99	0.00		-7204.44

नोट: होल्डिंग कंपनी, पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण को इंड एएस8 (नोट संख्या 37) के अनुसार त्रुटियों को ठीक करने के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया था।

**कृते बालन & कंपनी**  
संनदी लेखाकर  
एफआरएन340एस

**जोयल जॉर्ज, एफसीए**  
सहयोगी  
सदस्यता सं.: 228702  
यूडीआईएन: 23228702BGXDRJ7779

स्थान: एरणाकुलम  
दिनांक: 18.05.2023

**योगेंद्र प्रसाद शुक्ला**  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन 09674122

**सजीव बी.**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन 09344438

**सुब्रमण्यम एच**  
कंपनी सचिव  
एसीएस:28380  
स्थान: एरणाकुलम, केरल  
दिनांक: 18.05.2023

## 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
कर पूर्व अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(5,533.72)	(3,231.69)
हेतु समायोजन :		
परिसंपत्तियों के क्षत पर मूल्यहास/हानि	118.75	116.37
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभा(-)/हानि		-
ब्याज आय	(883.05)	(789.01)
ब्याज एवं वित्त प्रभार	6,691.09	6,560.11
निवेश संपत्ति से आय	(150.27)	(191.87)
परिभाषित कर्मचारी लाभ योजना में परिवर्तन - अन्य व्यापक आय	101.39	36.80
परिशोधित लागत में वित्तीय लिखत के मापन का प्रभाव	-	-
<b>कार्यगत पूंजी परिवर्तन के पहले प्रचालन नकदी प्रवाह (क)</b>	<b>344.19</b>	<b>2,500.71</b>
हेतु समायोजन		
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	2,690.30	(2,303.67)
व्यापार और अन्य प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	(2,274.24)	(1,473.80)
व्यापार देनदारियों एवं अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	349.07	2,269.93
<b>प्रचालनों (कार्यगत पूंजी परिवर्तन) से सृजित नकद (ख)</b>	<b>765.13</b>	<b>(1,507.54)</b>
<b>प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (1) (क+ख)</b>	<b>1,109.32</b>	<b>993.17</b>
<b>निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
अचल परिसंपत्तियों का क्रय	(99.80)	(44.25)
अचल संपत्तियों की बिक्री - बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां	1,538.16	7.31
ब्याज आय	898.95	906.58
निवेश से आय	86.65	191.87
<b>वित्तीय गतिविधियों से (उपयोग में) निवल नकद प्रवाह (2)</b>	<b>2,423.96</b>	<b>1,061.51</b>
<b>निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी	-	(1,161.82)
गैर-ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी	(1.34)	(1,394.13)
गैर-ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी (चुकोती का निवल )		217.00
परिशोधित लागत में वित्तीय लिखत के मापन का प्रभाव	-	-
प्रदत्त ब्याज	(1,079.90)	(851.00)
<b>वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद (3)</b>	<b>(1,081.24)</b>	<b>(3,189.95)</b>
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी(1+2+3)	2,452.04	(1,135.27)
अवधि के प्रारम्भ में नकद और नकद समतुल्य	2,169.32	3,304.59
<b>अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य</b>	<b>4,621.36</b>	<b>2,169.32</b>
<b>उपरोक्तानुसार नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है।</b>		
क) बैंक में शेष ( नकद और नकदी समतुल्य के स्वरूप के अनुसार):		
चालू खाता	277.21	233.15
बचत खाता	153.43	149.25
तीन माह से कम मूल परिपक्वता में जमा	4,190.25	1,785.44
ख) हाथ में नकद	0.47	1.48
<b>कुल</b>	<b>4,621.36</b>	<b>2,169.32</b>

जहां आवश्यक हो चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः एकत्रित या पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते बालन & कंपनी  
सनदी लेखाकर  
एफआरएन340एस

जोयल जॉर्ज, एफसीए  
सहयोगी  
सदस्यता सं.: 228702  
यूडीआईएन: 23228702BGXDRJ7779

स्थान: एरणाकुलम  
दिनांक: 18.05.2023

सजीव बी.  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन 09344438

सुब्रमण्यन एच  
कंपनी सचिव  
एसीएस:28380

स्थान: एरणाकुलम, केरल  
दिनांक: 18.05.2023

योगेंद्र प्रसाद शुक्ला  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन 09674122

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

### 1. निगमित सूचना

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (कंपनी) भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिनियमित है। कंपनी के शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 401,402 एवं 403, चौथा तल, "वी टाइम्स स्कवेयर", सेक्टर-15, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई- 400614 में स्थित है। कंपनी मुख्य रूप से थोक औद्योगिक रसायनों और रासायनिक मध्यवर्तियों के कारोबार में नियोजित है।

### 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

#### 2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

इन वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रोद्गत आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार की जाती है सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों का कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") (अधिसूचित हद तक) के प्रावधानों में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इंड एएस को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार प्रयुक्त किया गया है, सिवाय जहाँ एक नए जारी लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया जाता है या अब तक उपयोग में रही लेखांकन नीति में बदलाव मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए आवश्यक होती है।

निम्नलिखित संपत्तियों और देयताओं जिनका मापन उचित मूल्य पर किया गया है को छोड़कर अलग वित्तीय विवरणों को प्रोद्गत आधार पर और ऐतिहासिक लागत आधार के तहत तैयार किया गया है, :

#### व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

##### परिभाषित हितलाभ योजनाएँ - योजना परिसंपत्तियाँ

कुछ वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर (वित्तीय लिखत के संबंध में लेखांकन नीति देखें) किया जाता है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपया ('आईएनआर') या (₹.) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है और सभी मूल्यों को दो दशमलव अंक तक निकटस्थ लाखों में समायोजित किया जाता है अन्यथा अलग से दर्शाया गया है। जहाँ भी राशि '0' (शून्य) का प्रतिनिधित्व किया गया है, वहाँ मूल्य एक लाख रुपए से कम माना जाता है।

##### महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, पूर्वधारणाएँ और निर्णय

कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमानों और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्तियाँ और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, साथ ही साथ संलग्न प्रकटीकरण और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन पूर्वधारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता का परिणाम हो सकते हैं जिसके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देयताओं की वहनीय राशि के लिए भौतिक समायोजन की आवश्यकता होती है।

##### अनुमान और पूर्वधारणाएँ

"इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। ये अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाएँ लेखांकन नीतियों के प्रयोग और परिसंपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गयी राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक परिसंपत्ति और देयताओं के प्रकटीकरण और इस अवधि के दौरान आय और व्यय की रिपोर्ट की गयी राशियों को प्रभावित करते हैं। लेखांकन नीतियों के प्रयोग में जटिल और वस्तुनिष्ठ निर्णय शामिल महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता है और इन वित्तीय विवरणों में पूर्वधारणाओं के उपयोग को उपयुक्त स्थानों पर प्रकट किया गया है।

लेखांकन अनुमान समय समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से

भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन अनुमानों से जुड़े परिवेश में परिवर्तन से अवगत हैं, इसीलिए अनुमानों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। अनुमानों में परिवर्तन उस अवधि की वित्तीय विवरणों जहाँ परिवर्तन किए गए हैं, में प्रतिबिंबित हैं, और यदि उनके प्रभाव महत्वपूर्ण है तो वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

#### कर

इंड-एएस 12 के अनुसार कर व्यय (आयकर और आस्थगित कर): आय पर कर के लिए लेखांकन स्वीकार किया गया है। कारोबार की सामान्य गति के दौरान कई लेन-देन और परिकलनों को लिया जाता है जिसके लिए अंतिम कर निर्धारण अनिश्चित है। जहाँ इन मामलों का अंतिम कर परिणाम प्रारंभिक रूप से दर्ज की गई राशि से अलग है, ऐसे अंतर उस अवधि में वर्तमान और आस्थगित कर प्रावधानों को प्रभावित करेंगे, जिसमें कर निर्धारण किया गया है। आस्थगित कर संपत्ति को स्वीकार किया जाता है और केवल इतना हद तक आगे ले जाता है कि एक आभासी निश्चितता है कि संपत्ति की वसूली/उगाही भविष्य में की जाएगी।

#### कर्मचारी हितलाभ

##### i. अल्पकालिक दायित्व

गैर-मौद्रिक हितलाभ सहित मजदूरी और वेतन के लिए देयताएं उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बाद 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित किया जाना प्रत्याशित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक संबंधित कर्मचारियों की सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है और जब देयताएं समायोजित किया जाता है उस समय भुगतान के लिए प्रत्याशित राशियों में मापा जाता है। देयताओं को तुलन पत्र में चालू कर्मचारी हितलाभ दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

##### ii. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देयताओं को उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, के अंत के 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित करने की प्रतीक्षा नहीं है। इसलिए उनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्रत्याशित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में किया जाता है। इसके लिए पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करता है। हितलाभ को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें होती हैं, के अंत में बाजार उपज का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। समायोजन के परिणामस्वरूप पुनः मापन और बीमाकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है। यदि संस्था को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान स्थगित करने शर्त रहित अधिकार नहीं है, दायित्वों को तुलनपत्र में वर्तमान देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस समय वास्तविक समायोजन होने की प्रत्याशा होने की उम्मीद पर ध्यान देते नहीं हैं।

##### iii. रोजगारोत्तर दायित्व

"कंपनी निम्नलिखित रोजगारोत्तर योजनाओं का संचालन करती है:

- (क) उपदान, पेंशन, रोजगारोत्तर चिकित्सा योजना जैसी परिभाषित हितलाभ योजनाएं; तथा
- (ख) भविष्य निधि जैसी परिभाषित योगदान योजनाएं।

##### iv. परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कंपनी की उपदान योजना एक परिभाषित हितलाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजना रोजगार के बाद की लाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्व की गणना वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवाओं के बदले में अर्जित भविष्य के लाभों की राशियों का आकलन करते हुए की जाती है।

##### v. परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी की भविष्य निधि योजना एक परिभाषित योगदान योजना है। परिभाषित योगदान योजना रोजगार के बाद की लाभ योजना है जिसके तहत एक संस्था निश्चित योगदान देता है और आगे किसी राशि के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्व जब वे देय होते हैं, को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

i. उपदान

उपदान रोजगार के बाद की परिभाषित हितलाभ योजना है। उपदान के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकार की गयी देयता तुलन पत्र की तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। कंपनी की देयता प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से निर्धारित होती है। पुनःमापन के माध्यम से बीमाकिक लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है।

पेंशन और उपदान दायित्व

परिभाषित हितलाभ पेंशन और उपदान योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकार की गयी देयता या संपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना संपत्तियों के उचित मूल्य को कम करती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमाकिकों द्वारा की जाती है।

भारतीय रुपए में उल्लिखित परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य को सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है। इस बॉन्ड में संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें हैं। लाभ जो भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्रा में अंकित हैं, नकदी प्रवाह को उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के संदर्भ में निर्धारित बाजार उपज का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो मुद्रा में अंकित होते हैं, जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनके पास संबंधित दायित्व की शर्तों का अनुमानित शर्त है।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल बकाए और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल है।

अनुभवी समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुनः मापन लाभ और हानि और बीमाकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन को उस अवधि जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं, में स्वीकार किया जाता है।

उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित अर्जनों और तुलनपत्र में शामिल किया जाता है। योजना संशोधन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में लाभ या हानि में तत्काल स्वीकार किया जाता है।

क) परिभाषित हितलाभ योजनाओं (उपदान लाभ), परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में देयता तुलना पत्र में स्वीकार किया जाता है और योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को कम करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रत्याशित भविष्य के भुगतानों पर आधारित है जो रिपोर्टिंग तिथि पर निधि से प्राप्त होते हैं, जिसकी गणना सालाना बीमाकिकों द्वारा की जाती है। प्रत्याशित भावी वेतन स्तर और सेवा की अवधि आदि पर विचार किया जाता है।

ख) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान प्रोद्भूत आधार पर लेखांकन किया जाता है।

ग) अस्थायी कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में कटौती न की गयी राशि पर एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

घ) लाभप्रदता के आधार पर बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार बोनस प्रदान किया जाता है।

ड) रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों को उस वर्ष जिसमें कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्यय को बीमाकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित राशि वर्तमान मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक हितलाभों से संबंधित बीमाकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में प्रभाषित की जाती है।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्भूत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल समेत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट को जहां संभव हो, बाजार के अवलोकन से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापना में निर्णयों की कोटि की आवश्यकता होती है। निर्णयों में चलनिधि जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन संघटकों के बारे में पूर्वधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय लिखतों की रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुसूची के खिलाफ प्रावधान

कंपनी अपनी वस्तुसूची की स्थिति की समीक्षा करती है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुसूची के मदों के खिलाफ प्रावधान करती है क्योंकि जिनकी पहचान अब बिक्री या उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर वस्तुसूची समीक्षा करती है और अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुओं के खिलाफ प्रावधान करती है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करती है।

वित्तीय संपत्तियों की क्षति

सरकारी विभागों/कंपनियों से प्रायः राशियों को छोड़कर 3 साल से अधिक के लिए बकाया विविध देनदारों से संबंधित बहियों में संदिग्ध कर्ज/ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है। अन्य देनदारों, ऋण और अग्रिमों के संबंध में, प्रावधान उस हद तक किए जाते हैं जिन्हें प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य नहीं माना जाता है।

गैर-वित्तीय संपत्तियों की क्षति

“कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति खराब हो सकती है। अगर कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होने पर निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य घटाएँ। यह व्यक्तिगत संपत्ति के लिए तब तक निर्धारित किया जाता है, जब तक कि संपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जहाँ एक परिसंपत्ति की ली जाने वाली राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, संपत्ति को क्षति के रूप में माना जाना चाहिए और इसे इसकी वसूली योग्य राशि में कम करके लिखा गया है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने के लिए, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है। उचित मूल्य निर्धारित करने में, निपटाने की लागत कम करने, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापारिक सहायक कंपनियों के लिए उद्भूत शेर मूल्य या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा संपुष्टि की जाती है।”

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

क) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

“कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक संपत्ति को चालू के रूप में तब माना जाता है जब निम्नानुसार होता है:

- उगाही के लिए प्रत्याशित या बेचने के लिए नियत या सामान्य प्रचालन चक्र में खपत करने की गयी है,

- व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से धारित,

- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली के लिए प्रत्याशित है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह महीनों के लिए आदान-प्रदान या प्रतिबंधित होने के लिए उपयोग किए जाने तक नकद या नकद समकक्ष

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियां जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर वसूल किया जाना प्रत्याशित है, को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 12 महीने से अधिक बकाया को केवल तब तक गैर-चालू के रूप में दिखाया जाएगा जब तक इसकी वसूली के प्रयास किए जाते हैं और यह संभावना है कि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में इकाइयों द्वारा एक न्यायिक निर्णय लिया जाएगा।

देयता चालू है जब:

- यह सामान्य परिचालन चक्र में समायोजित करने के लिए प्रत्याशित है,
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए धारित किया जाता है,
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर समायोजित करने के लिए देय है, या
- देय रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व के समायोजन को स्थगित करने का कोई अशर्त अधिकार नहीं है, यदि कारोबार के सामान्य गति में वह खरीदे गए सामानों या प्राप्त सेवाओं के कारण होने वाली राशि के संबंध में है, तो देय को व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

व्यापार देय जो रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर समायोजित करना प्रत्याशित है, चालू के रूप में दिखाया जाएगा।

कंपनी अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर संपत्तियां और देयताओं को गैर-चालू संपत्तियों और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

#### ख) राजस्व मान्यकरण

कंपनी रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण से मुख्यतः राजस्व प्राप्त करती है।

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होकर, कंपनी ने इंडएएस 115 प्रयोग किया है, जो यह निर्धारित करने के लिए कि यदि, कितना और कब राजस्व स्वीकार किया जाना है संबंधी समग्र रूपरेखा स्थापित करते हैं। इंडएएस 18 राजस्व और इंडएएस 11 संविदा निर्माण को इंडएएस 115 को प्रतिस्थापित करता है। कंपनी ने इंडएएस 115 को संचित प्रभावी विधि का उपयोग करते हुए अपनाया है। इस मानक को पहली बार प्रयोग करने का प्रभाव प्रारंभिक प्रयुक्ति तारीख (1 अप्रैल, 2018) को स्वीकार किया जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मानक को अपनाने का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब ग्राहकों को वचन दिए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण उस राशि में स्वीकार किया जाता है जो प्रतिफल प्रतिबिंबित करता है जिसे उन उत्पादों या सेवाओं के लिए लेन-देन में कंपनी प्राप्त करना प्रत्याशित है।

राजस्व का मापन लेन-देन मूल्य के आधार पर किया जाता है, जो प्रतिफल है जिसका समायोजन ग्राहक के साथ किए गए करार में निर्धारितानुसार मात्रा बढ़ा, सेवा स्तरीय ऋण, निष्पादन बोणस, कीमत रियायत और प्रोत्साहन यदि कोई हो तो, पर किया जाता है। राजस्व में ग्राहकों से वसूल कर शामिल नहीं है।

जैसा कि कंपनी केवल रासायनिक विनिर्माण कारोबार करती है और केवल एक स्थान से प्रचालन करती है, इसलिए भौगोलिक स्थान पर राजस्व का स्वरूप अलग-अलग होता है और औद्योगिक वर्टिकल अपेक्षित नहीं है।

नीचे दिए गए विशिष्ट स्वीकार मानदंडों को राजस्व स्वीकार करने से पहले भी पूरा किया जाना चाहिए।

उत्पादों की बिक्री

उत्पाद की बिक्री से राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब माल के महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के प्रतिफल खरीदार को अंतरित किया जाता है। उत्पाद की बिक्री से राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर, प्रतिलाभ और भत्ते के निवल पर, व्यापार बढ़ा, मात्रा घटौती पर किया जाता है।

सेवाएँ प्रदान करना

जब कभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाओं से आय को स्वीकार किया जाता है।

ब्याज आय

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर स्वीकार किया जाता है। ब्याज आय लाभ और हानि विवरण में अन्य आय में शामिल है।

किराया आय

निवेश आस्तियों पर प्रचालन पट्टे से सृजित किराया आय का पट्टे शर्तों पर सीधे रेखा आधार पर हिसाब में लिया जाता है जब तक प्रत्याशित मुद्रास्फीतिकारक लागत संवृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ संवृद्धि बढ़ाने के लिए नहीं है और अपने प्रचालन स्वरूप के कारण लाभ या हानि विवरण में शामिल है।

#### ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मदों जिसमें पूंजीगत कार्य प्रगति पर शामिल है को लागत, संचित मूल्यहास और संचित क्षति हानि के निवल, यदि कोई हो, पर प्रतिपादित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को इनके लक्षित उपयोग के लिए अपनी कामकाजी स्थिति में लाने की कोई स्रोतजन्य लागत शामिल है। इस तरह की लागत में संयंत्रों और उपकरणों के घटक बदलने और यदि स्वीकार मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो लंबी अवधि की निर्माण परियोजनाओं के लिए उधार लागत भी शामिल है।

निश्चित आस्तियों के एक मद से संबंधित अनुवर्ती व्यय को इनकी बही मूल्य में केवल तब जोड़ा जाता है यदि मौजूदा संपत्ति से भविष्य के लाभ उसके पहले मूल्यांकन किए गए कार्य निष्पादन मानक से परे बढ़ जाता है। जब संयंत्र और उपकरणों के महत्वपूर्ण घटकों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची छ में निर्धारितानुसार कंपनी अपने विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उन्हें अलग मूल्यहास प्रदान किया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रख-रखाव लागत को लाभ या हानि के विवरण में जब कभी घटित होती है, स्वीकार किया जाता है। निश्चित आस्तियों में जोड़/से हटाने के संबंध में, परिसंपत्तियों के अतिरिक्त/जोड़/हटाने के संदर्भ में प्रो-रेटा आधार पर मूल्यहास आस्तियों की जोड़/हटाने माह के संदर्भ में प्रदान किया जाता है।

प्रबंधन का मानना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची छ के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन काल यथार्थवादी है और उस अवधि के उचित अनुमान को दर्शाता है जिस पर परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है और इन पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यहास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए मूल्यहास सीधे रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता ताकि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची छ के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर लागत कम अवशेष मूल्य का व्यय किया जा सके जो निम्नानुसार है:

- 1) भवन : 3/5/30/60 वर्ष
- 2) संयंत्र और उपकरण: 10/12/15/20 वर्ष
- 3) फर्नीचर और फिक्स्चर: 10 साल
- 4) वाहन: 8/10 वर्ष
- 5) कार्यालय उपकरण: 3/5/6/8 वर्ष
- 6) अमूर्त संपत्ति: 5 वर्ष

निश्चित परिसंपत्तियों के मदों जिन्हें सक्रिय उपयोग से मुक्त किए गए और निपटान के लिए रखी गयी है, का मूल्यन उनके निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।”

#### निवेश परिसंपत्तियाँ

कंपनी रखाव लागत का उपयोग निवेश परिसंपत्तियों के मानित लागत के रूप में करता है। परिसंपत्ति में निवेश जिसका मूलतः कंपनी द्वारा उपयोग के लिए या प्रचालन में अधिकृत करने के लिए नियत नहीं है, को निवेश परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवेश परिसंपत्तियों का मापन प्रारंभ में लेन-देन लागत और जहाँ लागू हो, उधार लागत सहित इनके लागत पर किया जाता है। प्रारंभिक मान्यकरण के फलस्वरूप, निवेश परिसंपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यहास और संचित क्षति हानि यदि कोई हो तो, में प्रतिपादित है। अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति की वहनीय राशि या अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार जो भी उपयुक्त हो, में तब शामिल किया जाता है जब यह संभाव्य है कि मद के साथ संबद्ध भावी आर्थिक फायदाएँ कंपनी में आ जाएगी और मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें यह उपगत है, के दौरान लाभ या हानि में किया जाता है।

यद्यपि कंपनी निवेश परिसंपत्ति का मापन लागत आधारित मापन का उपयोग कर किया जाता है, निवेश परिसंपत्ति का उचित मूल्य टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण मान्यता प्राप्त बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

कंपनी अपनी निवेश परिसंपत्तियों के मूल्यहास इनके उपयोगी जीवन काल पर किया जाता है जो परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान है।

निवेश परिसंपत्तियों का अमान्यकरण या तो जब उनका निपटान किया गया है या जब उन्हें उपयोग से स्थायी रूप से वापस किया जाता है और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक फायदा प्रत्याशित नहीं है। परिसंपत्तियों के निवल निपटान प्राप्ति और वहनीय राशि के बीच अंतर को अमान्यकरण की अवधि में लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है।

#### घ) बिक्री के लिए रखी गयी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

बिक्री के लिए रखी गयी के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियों या निपटान समूहों का मापन वहनीय राशि से कम और बिक्री के लिए लागत घटा उचित मूल्य पर किया जाता है।

गैर-चालू परिसंपत्तियों या निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहनीय राशियों को मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेन-देन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को केवल तभी पूरा किया माना जाता है जब बिक्री अत्यधिक संभव हो और संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के अधीन कि ऐसी संपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में स्वीकार के लिए अर्हता प्राप्त करने की प्रतीक्षा की जानी चाहिए और बिक्री की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना वापस ले ली जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए रखी गयी रूप में वर्गीकृत करने के बाद मूल्यहास या परिशोधित नहीं किया जाता है।

पट्टे की अवधि में पट्टे में सुधार

पट्टेवाली भूमि:

पट्टेवाली भूमि पर भुगतान किए गए पट्टे प्रीमियम का परिशोधन पट्टे के जीवनकाल में किया जाता है। परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन काल और मूल्यहास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो भविष्यलक्षी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

#### ड) अमूर्त परिसंपत्तियां

i) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एसएपी लाइसेंस लागत शामिल अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की तारीख से सीधी रेखा आधार (एसएलएम) पर 5 साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

ii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक स्वीकार पर मापा जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निश्चित जीवन सहित अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति नुकसान से कम लागत पर ले लिया जाता है। पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रूप से सृजित किए गए अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उस अवधि जिसमें व्यय उपगत किया गया है, की लाभ या हानि में संबंधित व्यय परिलक्षित होता है। एक निश्चित उपयोगी जीवन काल सहित अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल प्राप्त राशि और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और संपत्ति को जब आमान्य किया जाता है तब लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है। अनुसंधान लागत को उपगत किए जाने पर व्यय किया जाता है। व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्यय को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब कंपनी उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन कर सकती है।

एक परिसंपत्ति के रूप में विकास व्यय की प्रारंभिक पहचान के बाद, परिसंपत्ति को लागत घटा किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति नुकसान पर ले लिया जाता है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब शुरू होता है जब विकास पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। यह भविष्य के प्रत्याशित लाभ की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में तब तक पहचाना जाता है जब तक इस तरह के व्यय किसी अन्य परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य का हिस्सा बनता है।”

#### च) उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो, इनके लक्षित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समयावधि अवश्य लेता है और बिक्री परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती है। सभी अन्य उधार लेने की लागत को उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे घटित होते हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागत शामिल होती है जो संस्था निधि के उधार के संबंध में उपगत करती है। उधार लागत में उधार लेने की लागत में समायोजन के रूप में माने जाने वाला हद तक विनिमय का अंतर भी शामिल है।

#### छ) विदेशी मुद्रा लेन-देन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर लागू करते हुए दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियां और लेन-देन को लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर लागू कर दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में समायोजन किए बिना शेष विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अंतिम दर पर परिवर्तित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मदों जिसे विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के अनुसार लिया जाता है, को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। मौद्रिक मदों के समायोजन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों, उस दर से जो वर्ष के दौरान प्रारम्भ में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई थी, को उस वर्ष में जहाँ वे उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। विदेशी मुद्रा उधार पर विदेशी मुद्रा अंतर, दिये गए ऋण, उधार संबंधी व्युत्पन्न अनुबंध पर समायोजन लाभ/हानि और उचित मूल्य लाभ/हानि का लेखा किया जाता है और वित्तीय लागत के अधीन प्रकट किया जाता है। इस तरह

के विनिमय अंतर में विदेशी मुद्रा अंतर शामिल नहीं है जिसका संबंध उधार लागत के समायोजन और परिसंपत्तियों की लागत के साथ पूंजीकृत के रूप में माना जाता है।

**ज) उचित मूल्य मापन**

“कंपनी पोर्टफोलियो आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर डेरिवेटिव जैसे वित्तीय लिखतों का मापन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मापन की तारीख पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति बेचने के लिए लेन-देन या देयता का अंतरण के लिए परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में होता है, या किसी प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक फायदेमंद बाजार में होता है। प्रमुख या सबसे फायदेमंद बाजार पर कंपनी द्वारा पहुँच होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन पूर्वधारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है कि जब परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय बाजार प्रतिभागियों का उपयोग इस धारणा के साथ किया जाएगा कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य का मापन परिसंपत्ति का उपयोग अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग द्वारा आर्थिक लाभ सृजित करने में बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखता है या किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर करता है। वे इस परिसंपत्ति का उपयोग अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में किया जाएगा। कंपनी परिस्थितियों में उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा, प्रासंगिक अवलोकन इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अनावश्यक इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए उपलब्ध हैं। सभी परिसंपत्तियों और देयताओं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन या प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है। निम्नतम स्तर इनपुट जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, के आधार पर निम्नानुसार वर्णित है

स्तर 1 - “समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार की कीमतें”

स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखने योग्य है

स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है देखने योग्य नहीं है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकार की गयी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए कंपनी निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर) का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच घटित हुआ है। उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उपरोक्त वर्णितानुसार उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्ग निर्धारित किए हैं।

यह नोट उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीति का सारांश देता है। अन्य उचित मूल्य से संबंधित प्रकटीकरण प्रासंगिक नोट्स में दिए गए हैं।

**i) पट्टे**

“एक व्यवस्था (या निहित) क्या पट्टा है, का निर्धारण पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के पदार्थ पर आधारित है। एक व्यवस्था पट्टे है या निहित है, अगर व्यवस्था की पूर्ति विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर आश्रित है पट्टे की व्यवस्था पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार बताती है, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

1 अप्रैल 2015 से पहले की व्यवस्था के लिए, कंपनी ने यह निर्धारित किया है कि क्या व्यवस्था में परिवर्तन की तिथि पर विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पट्टा शामिल है।”

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

“एक पट्टे को शुरू होने की तारीख में वित्तीय पट्टे या एक प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टा जो सभी जोखिमों और आकस्मिक प्रतिफल को कंपनी के स्वामित्व के लिए अनुपातिक रूप से अंतरित करता है, को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टे को पट्टे संपत्ति के उचित मूल्य या यदि निम्न है तो न्यूनतम पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर आरंभिक तिथि पट्टे की शुरुआत में पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे भुगतानों को वित्त शुल्कों और पट्टे देयता में कटौती के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष बकाए पर व्याज की निरंतर दर प्राप्त हो सके। वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत में स्वीकार किया जाता है, जब तक कि वे योग्यताप्राप्त परिसंपत्तियों के लिए सीधे लाभ नहीं दे रहे हैं, इस मामले में उन्हें उधार लेने की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराया उन अवधि में, जिनमें वे खर्च किए जाते हैं व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। पट्टे पर परिसंपत्ति का मूल्यहास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में किया जाता है। हालांकि, अगर कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टे अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, परिसंपत्ति का मूल्यहास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन काल पर कम और लीज अवधि पर किया जाता है।

परिचालित पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।”

पट्टेदार के रूप में कंपनी

“पट्टे जिसमें कंपनी परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से किराए आय संगत पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से कंपनी से पट्टेदार को हस्तांतरित करती है। वित्त पट्टे के तहत पट्टेदार से देय राशियों को पट्टे पर कंपनी के निवल निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टे की आय लेखांकन अवधि के लिए आबंटित की जाती है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर निरंतर आवधिक दर को प्रतिबिंबित किया जा सके।”

**e) माल सूची**

(i) भंडार और पुर्जें, पैकिंग सामग्री और कच्चे सामग्रियों का मूल्यन लागत से कम या निवल प्राप्य मूल्य पर किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, लागत का निर्धारण चल भारित औसत के आधार पर किया जाता है। हालांकि, उपर्युक्त वस्तुओं का मूल्यन लागत से कम नहीं किया जाता है यदि तैयार उत्पादों जिसमें उन्हें शामिल किया जाना है, को लागत पर या उससे ऊपर बिक्री करना प्रत्याशित है।

(ii) अर्द्ध तैयार उत्पादों, तैयार उत्पादों और उप-उत्पादों का मूल्यन लागत से कम या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, मानक लागत के आधार पर लागत निर्धारित की जाती है जो वास्तविक लागत का अनुमान लगाती है। तैयार माल की लागत में यथा लागू उत्पाद शुल्क शामिल है। भिन्नता, असामान्य रूप से कम मात्रा और प्रचालन निष्पादन के अनन्य, को माल सूची में समायोजित किया जाता है।

(iii) उपोत्पादों का मूल्य अनुमानित निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

(iv) ट्रेड किए गए सामान का मूल्यन लागत के कम और निवल प्राप्य मूल्य पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत और माल सूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में उपगत अन्य लागत शामिल है। लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

निवल वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण व्यापार की सामान्य गति में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटाकर किया जाता है।”



### ट) गैर-वित्तीय संपत्तियों की क्षति

“प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी किसी परिसंपत्ति खराब होने के संकेत का आकलन करती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीई) निपटान के उचित मूल्य घटा लागत और उपयोग में इसके मूल्य की तुलना में अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो उन अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षत के रूप माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि पर बट्टे खाते डाला जाता है।

उपयोग में मूल्य के निर्धारण के लिए, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार के आकलन को दर्शाती है। निष्पक्ष मूल्य को निपटाने की कम लागत निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार की गई कंपनियों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों के लिए उद्धृत शेयर मूल्यों द्वारा संपुष्टि की जाती है।”

साख को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पहले स्वीकृत क्षति नुकसान मौजूद नहीं है या कम हो गई है संबंधी संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। चूंकि पिछले क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया, परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की गई धारणाओं में कोई बदलाव आया हो तो तब पहले स्वीकृत क्षति नुकसान को उलट देता है। यह उलट सीमित है ताकि परिसंपत्ति की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित होने वाली वहनीय राशि से अधिक हो, मूल्यांकन के निवल, पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया है। इस तरह के उलट को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत है। जब सीजीयू की वसूली योग्य राशि इसकी वहनीय राशि से कम है, तो एक क्षति नुकसान स्वीकार किया जाता है।

### ठ) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

कंपनी को जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, तब प्रावधानों को स्वीकार किया जाता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का प्रवाह दायित्व समायोजित करने के लिए आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की प्रतीक्षा है, उदाहरण के लिए, बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति को अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित होती है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ और हानि विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल में प्रस्तुत किया जाता है। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, तो प्रतिबिम्बित मौजूदा कर-पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों को छूट दी जाती है जो उचित होने पर, उत्तरदायित्व के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

पिछली देयताओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ घटने या न घटने द्वारा की जाएगी। यह पूरी तरह से उद्यम के नियंत्रण में नहीं, या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि या तो यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का प्रवाह दायित्व को समायोजित करने के लिए आवश्यक होगा, या दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है।

### ड) वित्तीय लिखत

“एक वित्तीय लिखत कोई अनुबंध है जो एक संस्था की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य संस्था की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को बढ़त देता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक स्वीकृति और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेन-देन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती है।

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

यदि ‘निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है तो एक’ ऋण लिखत ‘को अपनी परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के भीतर धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्तियों को धरना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों के लिए निर्दिष्ट तिथियों जो बकाया मूल राशि पर केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान पर वृद्धि देती है।

प्रारंभिक मापन के बाद, इस तरह की वित्तीय संपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) तरीके का उपयोग करते हुए लागत में मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल है। क्षति से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।”

एफवीटीओसीआई में कर्ज लिखत

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है तो एक कर्ज लिखत को एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत किया जाता है:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य अनुबंधित नकद प्रवाह एकत्र कर और वित्तीय संपत्तियों को बेचकर दोनों हासिल किया जाता है, और

ख) परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल कर्ज लिखतों का मापन प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है। उचित मूल्य उतार-चढ़ाव का अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। हालांकि, कंपनी लाभ और हानि में ब्याज आय, क्षति नुकसान और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्ति के अमान्यकरण पर, ओसीआई में पहले स्वीकृत संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई कर्ज लिखत धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर तरीके का उपयोग कर ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।”

एफवीटीपीएल पर कर्ज लिखत

एफवीटीपीएल कर्ज लिखतों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी कर्ज लिखत, जो परिशोधित लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी कर्ज लिखत को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के जैसे परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, इस तरह के चुनाव को केवल तभी अनुमति दी जाती है जब ऐसा करने से मापन या स्वीकृत असंगतता (जिसे ‘लेखांकन विसंगति’ कहा जाता है) को कम या समाप्त किया जाता है। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में कुछ कर्ज लिखत को नामित किया है। एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल कर्ज लिखत का मापन लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तन सहित किया जाता है।

**इक्विटी निवेश**

इंड एस 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों का उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार के लिए रखी गयी इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी लिखतों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद के परिवर्तनों में शामिल होने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को लिखत-दर-लिखत आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है। अगर कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी लिखत वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांश को छोड़कर लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। निवेश की बिक्री होने पर भी ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण तक राशियों में पुनःचक्रण नहीं है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संघयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल इक्विटी लिखतों का मापन लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

**अमान्यकरण**

“एक वित्तीय संपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों की एक कंपनी का हिस्सा) मुख्य रूप से अमान्य किया जाता है (यानी कंपनी के तुलन पत्र से हटा जाता है) जब:

परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या

कंपनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या ‘प्रभाव अंतरण (पास-थ्रू)’ व्यवस्था के तहत किसी तीसरी पार्टी को भौतिक देरी के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकद प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व संभाला है; और या तो (क) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर दिया है, या

(ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति के नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या अंतरण प्रभाव व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि उसने कितनी हद तक स्वामित्व के जोखिम और प्रतिफल बनाए रखा है। जब उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का हस्तांतरण नियंत्रण किया है, कंपनी की निरंतर भागीदारी की हद तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को स्वीकार करना कंपनी जारी रहेगी। उस स्थिति में, कंपनी एक संबंधित देयता को स्वीकार करती है। अंतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी के अधिकारों और दायित्वों को प्रतिबिंबित करता है। निरंतर भागीदारी जो अंतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेती है, परिसंपत्ति की मूल वही राशि से कम और विचार की अधिकतम राशि पर मापा जाता है जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।”

**वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति**

“इंड एस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर क्षति के मापन और स्वीकार के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कर्ज लिखत होते हैं, और परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जैसे ऋण, कर्ज प्रतिभूतियां, जमाराशियां, व्यापार प्राप्तियां और बैंक शेष।
- ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कर्ज लिखत हैं और मापन एफवीटीओसीआई के रूप में किया जाता है
- ग) इंड एस 17 के तहत पट्टे प्राप्तियां
- घ) नकद प्राप्त करने के लिए व्यापार प्राप्तियां या किसी अनुबंधिक अधिकार या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां जो लेन-देन से होता है, इंड एस 18 के दायरे के भीतर हैं (जिसे इन वित्तीय विवरणों में ‘अनुबंध राजस्व प्राप्तियां’ कहा जाता है)

ड) वित्तीय गारंटी अनुबंध जो एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है

कंपनी क्षति नुकसान भत्ता को स्वीकार करने के लिए ‘सरलीकृत दृष्टिकोण’ का पालन करती है:

**व्यापार प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां**

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों का पता लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, इनकी प्रारंभिक स्वीकार से, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ता को स्वीकार किया जाता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम एक्सपोजर पर क्षति स्वीकार करने के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 महीने के ईसीएल का उपयोग क्षति नुकस्सन के लिए किया जाता है।

फिर भी, अगर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो जीवनकाल ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, तो संस्था 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि नुकसान भत्ता को स्वीकार के लिए वापस करती है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवन पर सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान है। 12 महीने का ईसीएल आजीवन ईसीएल का हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर संभाव्य चूक घटनाओं से होता है।

ईसीएल वह अंतर है जो संविदा के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाहों और संस्था प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित सभी नकद प्रवाह (यानी, सभी नकद कमी) के बीच अंतर है, जो मूल ईआईआर पर छूट दी जाती है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय, संस्था को विचार करने की आवश्यकता होती है:

वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवनकाल पर वित्तीय लिखत (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प सहित) की सभी संविदात्मक शर्तें। हालांकि, दुर्लभ मामलों में जब एक वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवनकाल को विश्वसनीय रूप से अनुमानित नहीं किया जा सकता है, तो संस्था को वित्तीय लिखत की शेष संविदात्मक अवधि का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

धारित संपार्श्विक की बिक्री या अन्य क्रेडिट वृद्धि की बिक्री से जो नकद प्रवाह होता है वह संविदात्मक शर्तों के अभिन्न हिस्सा है। वित्तीय परिसंपत्तियां का मापन परिशोधित लागत, संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां और पट्टे प्राप्तियां के रूप में किया जाता है। ईसीएल को तुलन पत्र में उन संपत्तियों के मापन के एक अभिन्न हिस्से के रूप में भत्ता में प्रस्तुत किया जाता है। भत्ता निवल वही राशि को कम कर देता है। जब तक परिसंपत्ति बढ़ते खाते मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तब तक कंपनी सकल वही राशि से क्षति भत्ता को कम नहीं करती है।”

**ढ) वित्तीय देयताएं****प्रारंभिक मान्यकरण और मापन**

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक स्वीकृति पर, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर, ऋण और उधार, या देय यथा उपयुक्त हो, वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है और ऋण एवं उधार और देय के मामले में, सीधे स्रोतजन्य लेन-देन लागतों के निवल पर किया जाता है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय राशियां, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें बैंक ओवरड्राफ्ट, वित्तीय गारंटी, संविदा और व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी शामिल हैं।

**अनुवर्ती मापन**

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे वर्णितानुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, :  
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए धारित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए उपगत किए जाते हैं, तो व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी शामिल हैं जिन्हें इंड एस 109 द्वारा परिभाषितानुसार हेडज संबंधों में हेडजिंग लिखत के रूप में नामित नहीं किया जाता है। व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

#### ऋण और उधार

यह ऐसी श्रेणी है जो कंपनी के लिए सबसे प्रासंगिक है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, ब्याज-युक्त ऋण और उधार को बाद में ईआईआर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत में मापा जाता है। लाभ और हानि को तब लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है जब देयताओं का अमान्यकरण ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार पर लागू होती है।

#### वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं उन संविदाओं के लिए हैं जिन्हें धारक को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार जब देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, गारंटी निर्गम के लिए सीधे संबंध लेन-देन लागतों के लिए समायोजित करते हैं। इसके बाद, देयता को इंड एस 109 की क्षति आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ता की राशि से उच्चतम स्तर पर मापा जाता है और राशि का मापन संचयी परिशोधन घटाकर किया जाता है।

#### अमान्यकरण

वित्तीय देयता को अमान्य तब किया जाता है जब देयता के तहत दायित्व को मुक्त या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से दूसरे रूप में अलग-अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के एक विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अमान्यकरण और नयी देयता के मान्यकरण के रूप में माना जाता है। संबंधित वहनीय राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

#### वित्तीय लिखतों की बराबरी (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर (ऑफसेट) किया जाता है और स्टैंडअलोन तुलन पत्र में निवल राशि की रिपोर्ट दी जाती है यदि स्वीकार की गयी राशियों को बराबर (ऑफसेट) करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और एक साथ परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं के समायोजन के लिए निवल आधार पर समायोजित करने का उद्देश्य है।

#### ग) व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों

प्रारंभिक स्वीकृति और अनुवर्ती मापन, कंपनी वायदा मुद्रा संविदा, पूर्ण मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप संविदाओं का क्रमशः अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर के जोखिमों को संभालने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को शुरुआत में उचित मूल्य पर उस तिथि को स्वीकार किया जाता है जिस पर एक व्युत्पन्न संविदा में प्रवेश किया गया है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में ली जाती है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देयताओं के रूप में ली जाती है जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

#### त) नकद और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों और हाथों में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमाराशियां शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकद प्रवाह के विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकदी समतुल्य में ऊपर परिभाषितानुसार नकदी और अल्पकालिक जमाराशियां, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल शामिल हैं क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

#### थ) नकद लाभांश

कंपनी इक्विटी धारकों को नकदी वितरण करने के लिए देयता को तब स्वीकार किया जाता है जब वितरण प्राधिकृत किया जाता है और वितरण अब कंपनी के विवेकाधिकार पर नहीं है। भारत के कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब प्राधिकृत किया जाता है जब शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार राशि सीधे इक्विटी में स्वीकार किया जाता है।

#### द) कर

##### वर्तमान आयकर

“वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कराधान प्राधिकरणों से वसूली के लिए प्रत्याशित राशि या भुगतान की जाने वाली राशि पर किया जाता है। राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित होते हैं या, विशेष्य अधिनियमित हैं।

लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किए गए मदों से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर स्वीकार किया जाता है। वर्तमान कर मदों को या तो ओसीआई या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेन-देन से सहसंबंध में स्वीकार किया जाता है। प्रबंधन परिस्थितियों के संबंध में टैक्स रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है, जिसमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहाँ उचित हो वहाँ प्रावधान स्थापित करते हैं।”

##### आस्थगित कर

परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए ली जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता विधि का उपयोग करते हुए आस्थगित कर प्रदान किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए स्वीकार किया जाता है, सिवाय जब आस्थगित कर देयता गुडविल की प्रारंभिक स्वीकृति या किसी लेन-देन में संपत्ति या देयता से उत्पन्न होती है जो व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय, न तो लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है और न ही कर योग्य लाभ या हानि को।

सहायक कंपनियों, सहयोगियों में निवेश के साथ जुड़ कर योग्य अस्थायी विभिन्नता के संबंध में और अस्थायी विभिन्नता पर ब्याज को निकट भविष्य में वापिस नहीं किया जा सकेगा, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी विभिन्नताएँ, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों आगे ले जाने के लिए स्वीकार किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ कटौती योग्य अस्थायी विभिन्नताओं के विरुद्ध उपलब्ध होगा और आगे ले जाने वाले अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है, सिवाय: जब परिसंपत्तियों की प्रारंभिक स्वीकृति या लेन-देन देयता जो व्यापार संयुक्त नहीं है, से उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य अस्थायी अंतर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति लेन-देन के समय, लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस सीमा तक सीमित की जाती है कि अब यह संभव नहीं है, यह है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग किए जाने हेतु अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर फिर से मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित

कर संपत्ति को वसूल किए जाने हेतु अनुमति देगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है, जिन्हें वर्ष में लागू होना प्रत्याशित है जब परिसंपत्ति को वसूल किया जाता है या देयता का समायोजन किया जाता है। इसका आधार कर दर (और कर कानून) है जिसको रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किए गए मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किया जाता है (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में)। आस्थगित कर मदों को या तो ओसीआई या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेन-देन से सहसंबंध में स्वीकार किया जाता है।

**ध) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)**

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार भुगतान की गयी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) अप्रयुक्त कर क्रेडिट की प्रकृति में है जिसे आगे ले जा सकता है और इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। इस तरह के कर क्रेडिट पर आस्थगित कर संपत्तियों इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग निर्दिष्ट भविष्य अवधि में किया जा सके। वसूल करने योग्य कर निवल राशि या कराधान प्राधिकारी को भुगतान योग्य कर को तुलन पत्र में प्रायः राशि या देय राशि के हिस्से के रूप में शामिल की जाती है।

**न) सरकारी अनुदान**

सरकारी अनुदानों को स्वीकार किया जाता है जहाँ उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त करेगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित लागतों की अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति करने का लक्ष्य है, व्यय किया जाता है। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित है, तो संबंधित परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल पर समान राशियों में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

निर्यात लाभ:

“आयात और निर्यात नीति के अनुसार कथित आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात का मिलान कथित लाइसेंस के खिलाफ किए गए निर्यातों के लिए किया जाता है और निवल लाभ / दायित्व को कच्चे माल की खपत में उपयुक्त समायोजन करते हुए लेखांकन किया गया है।

कथित योजनाओं के अधीन शुल्क वापसी, पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना और किए गए निर्यात के संबंध में आयात और निर्यात नीति के अनुसार अन्य योजनाओं के तहत प्रोद्भूत लाभ को ‘अन्य प्रचालन राजस्व’ के तहत ‘निर्यात प्रोत्साहन’ के रूप में शामिल किया गया है।”

**प) प्रति शेयर अर्जन:**

प्रति शेयर मूल आधारभूत अर्जन की गणना उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोग्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि का भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकरण अर्जनों की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोग्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी तनुकरणीय संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

**फ) आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने द्वारा पुष्टि की जाएगी, यह घटनाएँ पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों के समायोजन के लिए संसाधनों का प्रवाह आवश्यक होगा। एक आकस्मिक देयता भी बहुत ही दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होती है जहाँ एक देयता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। कंपनी आकस्मिक

देयता को स्वीकार नहीं किया जाता है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व प्रकट करती है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक यह वास्तव में निश्चित न हो कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा। जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है, वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है।

**ब) शेयर-आधारित भुगतान:**

कर्मचारी शेयर आधारित भुगतान योजनाओं का मापन और प्रकटीकरण इंड एस 102, शेयर-आधारित भुगतान के अनुसार किया जाता है। कंपनी उचित मूल्य विधि का उपयोग करते हुए कर्मचारी स्टॉक विकल्पों से संबंधित क्षतिपूर्ति की लागत का आकलन करती है। क्षतिपूर्ति व्यय को सीधे रेखा आधार पर विकल्प की निहित अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

**ख) पिछली अवधि की त्रुटियां और चूक:**

पिछली अवधि से संबंधित आय और व्यय की अलग-अलग मदों में त्रुटियां और चूक, यदि संभव हो तो संबंधित अवधि में रु. 1 लाख से अधिक का हिसाब लगाया जाता है, या प्रतिधारित कमाई को खोलने के खिलाफ समायोजित किया जाता है

**खि) 1) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (“मध्यस्थ”), सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) को या किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (यों) में कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा (“अंतिम लाभार्थी”) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें। 2) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (“फंडिंग पार्टियों”) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी सीधे या परोक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी (“अल्टीमेट बेनिफिशरीज”) की ओर से किसी भी तरह से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करना**

**2. कंपनी या उसकी किसी भी सहायक कंपनी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम द्वारा कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया है, जो भारत में किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से विदेशी संस्थाओं (“फंडिंग पार्टियों”) सहित भारत में निगमित कंपनियां हैं। यह समझना, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी या ऐसी कोई भी सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी की ओर से उधार या निवेश करेगा (“अंतिम लाभार्थी”) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।**

**हाल ही का भारतीय लेखांकन मानक**

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2020 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियम के माध्यम से इंड एस में निम्नलिखित नया और संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसे समूह ने प्रयुक्त नहीं किया है क्योंकि वे 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हैं।

**इंड एस 103: कारोबार संयोजन (बिजनेस कॉम्बिनेशन)**

“कारोबार” शब्द की परिभाषा को “गतिविधियों और परिसंपत्तियों का एकीकृत सेट में प्रतिस्थापित किया गया है जो ग्राहकों को सामान या सेवाएं प्रदान करने, निवेश आय (जैसे लाभांश या ब्याज) सृजित करने या अन्य उत्पन्न करने के उद्देश्य से संचालित और प्रबंधित करने में सक्षम है। सामान्य गतिविधियों से आय। तदनुसार, ग्राहकों को सामान या सेवाएं प्रदान करना जोड़ा गया है। यह संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय में ग्राहकों को वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एस लागू नहीं है।

**इंड एस 107 और इंड एस 109: वित्तीय लिखत**

हेज लेखा लेखांकन की एक विधि है जहां प्रतिभूति के उचित मूल्य को समायोजित करने के लिए प्रविष्टियां और इसके प्रतिकूल हेज को एक माना जाता है। हेज लेखांकन एक वित्तीय लिखत के मूल्य में बार-बार समायोजन द्वारा बनाई गई अस्थिरता को कम करने का प्रयास करता है, जिसे उचित मूल्य लेखांकन या मार्केट टू मार्केट के रूप में जाना जाता है। अस्थिरता में यह कमी लिखत और हेज को एक प्रविष्टि के रूप में जोड़कर किया जाता है, जो प्रतिकूल आंदोलनों को ऑफसेट करता है। उन हेजिंग संबंधों के लिए जिन पर एक इकाई लागू होती है, एक इकाई प्रकट करेगी

महत्वपूर्ण ब्याज दर बेंचमार्क जिससे इकाई के हेजिंग संबंधों को उजागर किया जाता है। इकाई द्वारा प्रबंधित जोखिम जोखिम की सीमा जो सीधे ब्याज दर से प्रभावित होती है बेंचमार्क सुधार। इकाई वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में संक्रमण के लिए प्रक्रिया का प्रबंधन कैसे कर रही है। इन पैरामिटर्स को लागू करने में इकाई द्वारा किए गए महत्वपूर्ण धारणाओं या निर्णयों का विवरण (उदाहरण के लिए, ब्याज दर से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता के बारे में धारणाएं या निर्णय बेंचमार्क सुधार अब समय और ब्याज दर बेंचमार्क-आधारित नकदी प्रवाह की राशि के संबंध में मौजूद नहीं है); और उन हेजिंग संबंधों में हेजिंग लिखतों की नाममात्र राशि।

विशिष्ट हेज लेखांकन आवश्यकताओं को लागू करने से निम्नलिखित अस्थायी अपवाद भी प्रदान किए जा रहे हैं

नकदी प्रवाह हेज के लिए अत्यधिक संभावित आवश्यकता का आकलन करने के लिए। नकदी प्रवाह हेज आरक्षित में संचित राशि को पुनर्वर्गीकृत करना। हेज की गई वस्तु और हेजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध का आकलन करना। किसी आइटम के घटक को हेज्ड आइटम के रूप में नामित करना। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एस लागू नहीं है।

**इंड एस 116: पट्टे**

कोविड-19 और उसके बाद भारत में लॉकडाउन के कारण, कई कारोबार बंद या आंशिक रूप से खुल गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तदनुसार, पट्टा भुगतान प्रभावित हुआ है और कारोबार अपने विक्रेताओं से किराए में रियायत की मांग कर रहे हैं। यदि नीचे दी गई शर्तों को पूरा किया जाता है, तो संस्था पट्टा संशोधन के बिना किराए में रियायत माना जाता है। (क) पट्टे के भुगतान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पट्टे के लिए संशोधित विचार होता है जो कि परिवर्तन से तुरंत पहले पट्टे के लिए आनुपातिक रूप से समान या उससे कम है; (ख) पट्टे के भुगतान में कोई कमी केवल 30 जून, 2021 को या उससे पहले मूल रूप से देय भुगतानों को प्रभावित करती है (उदाहरण के लिए, एक किराए की रियायत इस शर्त को पूरा करेगी यदि इसके परिणामस्वरूप 30 जून, 2021 को या उससे पहले पट्टे भुगतान कम हो जाता है और पट्टे भुगतान बढ़ जाती है जो 30 जून, 2021 से आगे बढ़ते हैं); और (ग) पट्टे के अन्य नियमों और शर्तों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं है। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एस लागू नहीं है।

**इंड एस 1 और 8: वित्तीय विवरणों और लेखांकन नीतियों की प्रस्तुति, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन**

इस संशोधन द्वारा सामग्री की एक नई परिभाषा पेश की गई है, यह अधिक परिष्कृत है और उद्योग द्वारा सबसे अधिक अपेक्षित है, परिस्थितियों के कुछ उदाहरण भी अधिक स्पष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं।

सामग्री: जानकारी महत्वपूर्ण है यदि इसे छोड़ना, गलत बताना या अस्पष्ट करना उन निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं, जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं। भौतिकता सूचना की प्रकृति या परिमाण, या दोनों पर निर्भर करती है। एक प्रतिष्ठान यह आकलन करता है कि क्या सूचना, व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के संयोजन में, समग्र रूप से लिए गए उसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में

महत्वपूर्ण है।

जानकारी अस्पष्ट है यदि इसे इस तरह से संप्रेषित किया जाता है जो वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के लिए उस जानकारी को छोड़ने या गलत करने के समान प्रभाव डालती है। निम्नलिखित परिस्थितियों के उदाहरण हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक जानकारी अस्पष्ट हो सकती है: -

- क) वित्तीय विवरणों में किसी भौतिक वस्तु, लेन-देन या अन्य घटना के बारे में जानकारी का खुलासा किया गया है लेकिन इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अस्पष्ट या अस्पष्ट है
- ख) एक भौतिक वस्तु, लेनदेन या अन्य घटना के बारे में जानकारी पूरे वित्तीय विवरणों में बिखरी हुई है
- ग) असमान मद्दों, लेन-देनों या अन्य घटनाओं को अनुपयुक्त रूप से एकत्रित किया जाता है;
- घ) समान आइटम, लेनदेन या अन्य घटनाएं अनुपयुक्त रूप से अलग-अलग हैं; तथा
- ड) वित्तीय विवरणों की समझ कम हो जाती है क्योंकि भौतिक जानकारी को सारहीन जानकारी द्वारा छिपाया जाता है, इस हद तक कि प्राथमिक उपयोगकर्ता यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है।

किसी विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सूचना की अपेक्षा की जा सकती है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए एक इकाई को उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जबकि इकाई की अपनी परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है।

प्राथमिक उपयोगकर्ता जिनके लिए सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरण निर्देशित किए जाते हैं। वित्तीय विवरण उन उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं जिन्हें व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों का उचित ज्ञान होता है और जो जानकारी की समीक्षा और विश्लेषण उपयुक्त रूप से करते हैं। कभी-कभी, अच्छी तरह से सूचित और मेहनती उपयोगकर्ताओं को भी जटिल आर्थिक घटनाओं संबंधी जानकारी को समझने के लिए सलाहकार की सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है।

कंपनी ने वित्तीय विवरणों और लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों की प्रस्तुति के लिए 'भौतिकता' की परिभाषा में परिवर्तन पर विधिवत विचार किया है।

**इंड एस 10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटनाएँ**

भारतीय लेखा मानक 10 के अनुच्छेद 21 को संशोधन में किसी भी गैर-समायोजन घटना से प्रतिस्थापित किया गया है, जो उन निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से अपेक्षित हो सकता है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में जोड़ा गया है के वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं।

तदनुसार, निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रदान किया जाना है:

क) घटना की प्रकृति; तथा

ख) इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान, या एक बयान कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों की तैयारी, प्रकटीकरण और प्रस्तुति के लिए उपरोक्त संशोधन पर विधिवत विचार किया।

**इंड एस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग**

परिणामी संशोधन और पुनर्गठन योजना का लेखांकन

**इंड एस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले लिया गया पुनर्गठन संबंधी प्रबंधन या बोर्ड का निर्णय तब तक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक रचनात्मक दायित्व को सृजित नहीं देता है जब तक कि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले नहीं होता है

- क) पुनर्गठन योजना को लागू करना शुरू किया; या  
 ख) इससे प्रभावित लोगों के लिए पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताओं की घोषणा पर्याप्त रूप से विशिष्ट तरीके से की ताकि उनमें एक वैध उम्मीद पैदा की जा सके कि इकाई पुनर्गठन करेगी।

यह संशोधन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

#### हाल के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है ताकि कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन किया जा सके। इस संशोधन में निम्नलिखित नए और संशोधन लाए गए हैं। भारतीय लेखा मानक, जिसे समूह ने वर्ष के दौरान जहां भी लागू हो, विधिवत रूप से लागू किया है।

#### इंड एएस - 103: बिजनेस कॉम्बिनेशन

पहला संशोधन अधिग्रहीत पहचान योग्य परिसंपत्तियों की मान्यता की स्थिति, ग्रहण की गई देनदारियों और अधिग्रहण में किसी भी गैर-नियंत्रित हित से संबंधित है। अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को अधिग्रहण की तारीख में भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

#### इंड एएस - 105: बिक्री और बंद संचालन के लिए धारित गैर-वर्तमान संपत्तियां

संशोधन में वसूली योग्य राशि की परिभाषा में बदलाव का प्रावधान है  
 - वसूली योग्य राशि का अर्थ है किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक से अधिक निपटान की लागत। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

#### इंड एएस - 107: वित्तीय लिखत - प्रकटीकरण

संशोधन एक इकाई के वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन रणनीति पर ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करता है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

#### इंड एएस - 109: वित्तीय लिखत

यह संशोधन वित्तीय लिखत की प्रारंभिक मान्यता में निर्दिष्ट संविदात्मक शर्तों में संशोधन के माध्यम से ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप संविदात्मक नकदी प्रवाह को निर्धारित करने के आधार में परिवर्तन प्रदान करता है, जिस तरह से विचार नहीं किया गया था या उस पर विचार नहीं किया गया था। अनुबंध की शर्तों में संशोधन किए बिना और/या मौजूदा संविदात्मक अवधि के सक्रिय होने के कारण वित्तीय साधन की प्रारंभिक मान्यता पर संविदात्मक शर्तों। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

#### इंड एएस - 114: नियामक आस्थगित खाता (रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स)

यह संशोधन नियामक आस्थगित खाता शेष के संबंध में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। नियामक आस्थगित खाता शेष को पहचानना शुरू करने के लिए एक इकाई अपनी लेखा नीतियों को नहीं बदलेगी। एक प्रतिष्ठान केवल नियामक आस्थगित खाता शेष की मान्यता, माप, हानि और गैर-मान्यता के लिए अपनी लेखांकन नीतियों को बदल सकता है यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों को उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाता है और कोई कम विश्वसनीय, या अधिक विश्वसनीय नहीं है और नहीं उन जरूरतों के लिए कम प्रासंगिक। एक इकाई भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 10 में दिए गए मानदंडों का उपयोग करके प्रासंगिकता और विश्वसनीयता का न्याय करेगी। कंपनी इस संशोधन से किसी प्रभाव की अपेक्षा नहीं करती है।

#### इंड एएस एएस - 116: पट्टा (लीज)

यह संशोधन ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप भविष्य के लीज भुगतानों के निर्धारण के लिए आधार बदलने का प्रावधान करता है। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के लिए एक पट्टा संशोधन आवश्यक है, यदि और केवल तभी, जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं: (क) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संशोधन आवश्यक है; और (ख) पट्टा भुगतान निर्धारित करने के लिए नया आधार आर्थिक रूप से पिछले आधार के बराबर है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

#### हाल का भारतीय लेखांकन मानदंड (इंडएएस)

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए अधिसूचित किया है। इस संशोधन में, निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक में नए और संशोधन लाए गए हैं जिन्हें समूह ने लागू नहीं किया है क्योंकि वे 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हैं।

#### इंड एएस - 103: व्यापार संयोजन

पहला संशोधन अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्तियों, ग्रहण की गई देनदारियों और अधिग्रहण में किसी भी गैर-नियंत्रित हित की मान्यता की स्थिति से संबंधित है। अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को अधिग्रहण तिथि पर भारत के चार्टर्ड लेखाकार इंस्टीट्यूट द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना होगा। अन्य संशोधन अमूर्त संपत्तियों को पहचानने पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, पहचान योग्य संपत्तियों और देनदारियों के प्रकार को निर्दिष्ट करते हैं जिनमें वे आइटम शामिल होते हैं जिनके लिए यह इंड एएस मान्यता सिद्धांत और शर्तों के लिए सीमित अपवाद प्रदान करता है, इसकी मान्यता और माप सिद्धांतों के लिए सीमित अपवाद प्रदान करता है और निर्दिष्ट करता है दोनों विशेष आइटम जिनके लिए अपवाद प्रदान किए गए हैं और उन अपवादों की प्रकृति। कंपनी को इन संशोधनों से कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

#### इंड एएस - 16: संपत्ति संयंत्र और उपकरण

यह संशोधन परीक्षण की लागत के संबंध में सीधे जिम्मेदार लागत के लिए प्रदान करता है कि क्या परिसंपत्ति ठीक से काम कर रही है, संपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के दौरान उत्पादित किसी भी वस्तु को बेचने से शुद्ध आय में कटौती करने के बाद (जैसे परीक्षण उपकरण के दौरान उत्पादित नमूने)। परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली सीधे जिम्मेदार लागत से कटौती की जाएगी। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

#### इंड एएस - 37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

यह संशोधन भारी अनुबंध के संबंध में प्रावधान करता है, अनुबंध को पूरा करने की लागत में वे लागतें शामिल हैं जो सीधे अनुबंध से संबंधित हैं। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागतों में दोनों शामिल हैं- (क) उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत (ख) अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। यह भी प्रदान करता है, एक कठिन अनुबंध के लिए एक अलग प्रावधान स्थापित होने से पहले, एक इकाई किसी भी हानि हानि को पहचानती है जो अनुबंध को पूरा करने में उपयोग की गई संपत्ति पर हुई है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

.....

## नोट 3 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	सकल खंड					मूल्यहास / परिशोधन / क्षति					निवल खंड	
		1.04.2022	जोड़	लोप	समायो.	31.03.2023	01.04.2022	लोप	वर्ष के दौरान प्रदान किए गए	समायो.	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		को				को	तक			तक	को	को	
क.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण												
1	भूमि एवं भूमि विकास	12984.25	1035.38	0.00	0.00	14019.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14019.63	12984.25	
2	भवन	1282.52	0.00	0.00	0.00	1282.52	899.73	0.00	18.00	0.00	364.79	382.79	
3	संयंत्र और उपकरण	24942.37	90.49	0.00	0.00	25032.86	23044.05	0.00	78.74	0.00	1910.07	1898.32	
4	फर्नीचर, फिक्सचर और उपकरण	115.13	1.99	0.00	0.00	117.12	103.27	0.00	0.89	0.00	12.96	11.86	
5	वाहन	118.63	0.17	0.00	0.00	118.80	108.54	0.00	0.83	0.00	9.43	10.09	
6	कार्यालय उपकरण	683.03	7.15	0.00	0.00	690.18	622.31	0.00	9.72	0.00	58.15	60.72	
7	पुस्तकालय पुस्तकें	13.47	0.00	0.00	0.00	13.47	13.43	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	
	उप-कुल	40139.40	1135.18	0.00	0.00	41274.58	24791.33	0.00	108.18	0.00	16375.07	15348.07	
8	निपटान के लिए रखी गयी परिसंपत्तियाँ	110177.37	0.00	7689.61	0.00	102487.76	6248.03	6151.45	0.00	96.58	102391.18	103929.34	
	कुल	150316.77	1135.18	0.00	0.00	143762.34	31039.36	6151.45	108.18	0.00	118766.25	119277.41	
ख.	निवेश संपत्ति भूमि	16.71	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71	16.71	
ख1.	निवेश संपत्ति भवन	136.89	0.00	0.00	0.00	136.89	64.86	0.00	2.16	0.00	69.87	72.03	
	कुल	153.60	0.00	0.00	0.00	153.60	64.86	0.00	2.16	0.00	86.58	88.74	
ग.	अमूर्त संपत्ति	676.15	0.00	0.00	0.00	676.15	648.89	0.00	8.40	0.00	18.86	27.26	
छ.	कुल (क + ख + ग)	151146.52	1135.18	0.00	0.00	144592.09	31753.11	6151.45	118.74	0.00	118871.69	119393.41	

- वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त संपत्ति के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी जीवन के प्रबंधन अनुमानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- नियंत्रक कंपनी के कोची यूनिट ने मेसर्स स्टारलिंग गैस लिमिटेड को रद्द योग्य पट्टे करार के अधीन प्रचालन पट्टे पर 1.03 एकड़ भूमि दिया है। पट्टे करार के अधीन शामिल क्षेत्र के आधार पर मालिक अधिकृत परिसंपत्ति से निवेश परिसंपत्तियाँ अलग है नियंत्रक कंपनी के कोची यूनिट ने मेसर्स स्टारलिंग गैस लिमिटेड को रद्द योग्य पट्टे करार के अधीन प्रचालन पट्टे पर 1.03 एकड़ भूमि दिया है। पट्टे करार के अधीन शामिल क्षेत्र के आधार पर मालिक अधिकृत परिसंपत्ति से निवेश परिसंपत्तियाँ अलग है और निवेश के मूल्य का मूल्यांकन प्रो-राटा आधार पर किया गया है।
- कंपनी को कोची इकाई के अधीन में 184 फ्लैट्स हैं, जो 155104 वर्ग फुट के हैं। जिसमें से 46594 वर्ग फुट से मिलकर 55 फ्लैटों को निवेश की संपत्ति के रूप में दिया गया है।
- कोच्चि में होल्डिंग कंपनी की भूमि का पुनर्मूल्यांकन पेशेवर रूप से योग्य स्वतंत्र मूल्यांकक ए.एस.राजेंद्रप्रसाद, संपत्ति कर संख्या: संवर्ग संख्या 1/3/Vo.11/2009-10.सं: सीसी-सीएचएन/टेक/आरवी/3/2009-10)द्वारा 14.04.2023 को किया गया है। वहन राशि जिसे लागत मॉडल के तहत 578.25 लाख रुपये और पुनर्मूल्यांकन अधिशेष 1035 लाख रुपये के रूप में मान्यता दी गई होगी और शेरधारकों को शेष राशि के वितरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- सहायक कंपनी की भूमि का इंड एस के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इंड एस पुनर्मूल्यांकन से पहले भूमि का वास्तविक मूल्य 59 लाख रुपये है। 126.13 एकड़ की फैक्ट्री भूमि रुद्राम पी. ओ., कंडी मंडल, संगारेड्डी जिले, तेलंगाना राज्य में स्थित है और भूमि फ्रीहोल्ड है। एचओसीएल के पास 84.31 एकड़ भूमि पर पहला अधिकार है।
- 31.03.2023 को कुल भूमि का उचित मूल्य 14663.57 लाख रुपये हैं। चूँकि खातों की बहियों के अनुसार भूमि का उचित मूल्य वहन मूल्य से अधिक है, बिक्री के लिए रखी गई भूमि का वहन मूल्य इंड एस 105 के पैरा 15 के अनुसार रिपोर्ट किया जाना जारी है।
- कंपनी के संयंत्र, अन्य संपत्ति और वस्तु सूची की ई-नीलामी एमएसटीसी द्वारा की गई और ई-बोली 15.3.2023 को खोली गई। संपत्तियाँ H1 बोलीदाता मेसर्स गौरव वर्ल्डवाइड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को 1437 लाख रुपये के लिए बेची गई और अंतिम भुगतान 29.03.2023 को प्राप्त हुआ।
- सहायक कंपनी की संपत्ति की बिक्री और इमारतों को ध्वस्त करने का काम पार्टों को 30.03.2023 को दिया गया था, निम्नलिखित मदों को नीचे दिए गए मूल्यों के साथ तुलन पत्र में शामिल किया गया था क्योंकि कब्जा और नियंत्रण कंपनी के पास ही है। टाइम ऑफिस भवन (4.33 लाख रुपये), सुरक्षा चौकी (4.55 लाख रुपये) और बाड़ और परिसर की दीवार (145.58 लाख रुपये) की मूल लागत 154.46 रुपए आता है, संचित मूल्यहास: 39.56 लाख रुपये और शुद्ध मूल्य रु.114.90 को भवनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है
- सहायक कंपनी का मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया क्योंकि कंपनी में कोई परिचालन नहीं है।

(₹ लाख में)

निवेश परिसंपत्तियों के लिए लाभ या हानि में स्वीकृत राशि	31.03.2023	31.03.2022
आकस्मिक भाड़े सहित भाड़े आय	26.98	24.07
किराया आय सृजित परिसम्पत्तियों से सीधा प्रचालन व्यय	15.74	7.20
किराया आय नहीं सृजित परिसम्पत्तियों से सीधा प्रचालन व्यय	0.00	0.00
मूल्यहास के पहले निवेश परिसंपत्तियों से आय	11.24	16.87
मूल्यहास	2.16	2.16
निवेश परिसंपत्तियों से आय	9.08	14.71
निवेश संपत्ति के उचित मूल्य (भूमि)		
निवेश परिसंपत्ति - स्टारलिंग गैस लिमिटेड	120.41	111.66
निवेश परिसंपत्ति - टाउनशिप	408.49	371.35
कुल	528.90	483.01

उचित मूल्य का अनुमान : निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का नियतन प्रोफेशनल योग्यता वाले बाहरी स्वतंत्र संपत्ति मूल्यक द्वारा किया गया है।

## नोट 3 - स्थायी परिसंपत्तियाँ

घ) बिक्री के लिए रखी गयी गैर चालू परिसंपत्तियाँ

राशि (₹ लाख में)

गैर चालू परिसंपत्तियों के विवरण	तथ्य और बिक्री की परिस्थिति	निपटान तरीका	निपटान समय	निवल खंड	
				31.03.2023	31.03.2022
				को	को
भूमि	नियंत्रक कंपनी के रसायनी यूनिट और सहायक कंपनी बंद करने और आस्तियों के निपटान.	बीपीसीएल को 152 एकड़ भूमि की सीधी बिक्री और शेष एनबीसीसी के माध्यम से	बारह माह में	102149.66	102149.66
भवन		एमएसटीसी के जरिए ई नीलामी	-वही-	180.05	207.19
संयंत्र एवं उपकरण		-वही-	-वही-	58.81	1565.46
फर्नीचर, फिक्चर और उपकरण		-वही-	-वही-	2.52	6.36
कार्यालय उपकरण -कंप्यूटर		जेएनपीटी को हस्तांतरित	-वही-	0.13	0.67
<b>कुल</b>				<b>102391.18</b>	<b>103929.34</b>

नोट(1) : कंपनी 22 मई 2017 के आदेश के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है, स्क्रेप किए गए संयंत्र और उपकरण का निपटान कर दिया गया है। भार मुक्त रसायनी की भूमि को एनबीसीसी और पनवेल भूमि की ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री का कार्य प्रगति पर है। कोची में फिनोल संयंत्र प्रचालन में है।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, जिसके तहत सहायक कंपनी कार्य करती है, के पत्र दिनांक 29.01.2020 के अनुसार आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने एचएफएल के संयंत्र/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के लिए 22 जनवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में मजूरी दी थी।।



## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

## वित्तीय परिसंपत्तियाँ

## 4. निवेश (₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
उल्लेखित लागत में निवेश :		
केरला एनवोरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अनुद्धत इक्विटी शेयर में निवेश। (प्रत्येक 10/- रूपए के 50000 अनुद्धत इक्विटी शेयर)	5.00	5.00
घटाएँ :- निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	0.00	0.00
	5.00	5.00
<b>कुल गैर-चालू निवेश</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
उद्धृत निवेशों को संकलित राशि (बाज़ार मूल्य)	0.00	0.00
उद्धृत निवेशों को संकलित राशि (लागत)	0.00	0.00
अनुद्धृत निवेशों को संकलित राशि	5.00	5.00
क्षति के लिए प्रावधान को संकलित राशि		
<b>कुल गैर-चालू निवेश</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>

## 5. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
i) सीमा शुल्क, एमएसईवी, केएसईवी, बीएसएनएल के साथ जमा एवं किराया जमा और कुलसचिव एच सी।	518.05	497.37
उप-कुल	518.05	497.37
ii) अन्य निवेश	0	0
<b>कुल</b>	<b>518.05</b>	<b>497.37</b>

## 6. माल सूची (लागत और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यन) (₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
क. कच्ची सामग्रियाँ और संघटक	998.33	1701.86
ख. प्रगत्यधीन कार्य (डबल्यूआईपी)	938.00	1133.84
ग. तैयार वस्तुएं	978.47	2265.34
घ. भंडार और पुर्जे	2401.65	2932.94
घटाएँ: अप्रचलन के लिए भत्ता *	-355.50	-382.73
<b>कुल</b>	<b>4960.95</b>	<b>7651.25</b>
* कंपनी की बही में भंडारों के भत्ते पाँच वर्ष से अधिक की धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं में 50% पर अप्रचलन किया जाता है।		

## 7. व्यापार प्राप्य (₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00
चालू		
रक्षित	0	0.00
अरक्षित, सही माने गए	1936.87	864.28
अनर्जक उधार	1506.17	1489.46
घटाएँ: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	-1506.17	-1489.46
घटाएँ: प्राप्य बिल भुनाये गए	0	0.00
<b>कुल व्यापार प्राप्य</b>	<b>1,936.87</b>	<b>864.28</b>

i) नियंत्रक कंपनी की बहियों में, व्यापार प्राप्तियों के लेखों में भत्ता दिया जाता है, जिसे प्रबंधन की राय में अनर्जक उधार माना जाता है। कंपनी लगातार उन व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ता बनाने की प्रथा का पालन कर रही है जो तीन साल से अधिक समय से बकाया है या वसूली के लिए संदिग्ध हैं। दो से तीन वर्षों के बीच महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम दिखाने वाले व्यापार प्राप्य को भत्ते के लिए प्रदान किया गया है।

ii) सहायक कंपनी की बहियों में पार्टियों के डेबिट/क्रेडिट में जमा शेष उनके द्वारा पुष्टि और कंपनी द्वारा समीक्षा के अधीन है।

iii) सहायक कंपनी की बहियों में, बकाया ऋण में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में दायर मामला शामिल है, जो कि 129.16 लाख रुपये (पिछले वर्ष 129.16 लाख रुपये) के लिए लंबित है।

भारतीय लेखांकन मानक 37 के अधीन अपेक्षितानुसार चलन के लिए प्रकटन।

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता वर्ष के प्रारम्भ में प्रावधान	1489.46	1474.13
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान *	33.79	16.77
वर्ष के दौरान निर्मुक्त	17.08	1.44
वर्ष के अंत में प्रावधान	1506.17	1489.46

\* वर्ष के दौरान कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के लिए 17.08 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1.44 लाख रुपए) को धनराशि का संग्रह/ बट्टे खाते में डाला है, जिसके लिए भत्ता पहले ही बनाया जा चुका है।

## व्यापार प्राप्य समयवृद्धि अनुसूची रूपए लाख में

विवरण	देय नहीं(60 दिनों से कम)	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		छ: माह से कम	छ: माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
<b>चालू वर्ष 2022-23</b>							
(i) अविवादित व्यापार प्राप्त-सही माने गए	1791.84		0.19	0.49			1792.52
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य-जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।					0.48		0.48
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य-ऋण रूग्ण						590.00	590.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- सही माने गए							0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य- जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।						899.22	899.22
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य-ऋण इंपैरेड	1791.84	0.00	0.19	0.49	0.48	1489.22	3282.23
घटाएँ: प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता	0.00	0.00	0.12	0.04	0.08	1474.28	1474.52
निवल राशि	1791.84	0.00	0.07	0.45	0.40	14.94	1807.71

## पिछले वर्ष 2021-22

(i) अविवादित व्यापार प्राप्त-सही माने गए	291.20	431.89	3.11	5.83			732.03
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य-जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।					3.09		3.09
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य-ऋण इंपैरेड						598.64	598.64
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- सही माने गए							0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य- जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।						891.03	891.03
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य-ऋण इंपैरेड							
कुल	291.20	431.89	3.11	5.83	3.09	1489.67	2224.79
घटाएँ: प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1489.67	1489.67
निवल राशि	291.20	431.89	3.11	5.83	0.00	0.00	732.03

## 8क. नकद और नकदी समतुल्य (₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
बैंकों के साथ शेष (नकद और नकदी समतुल्य श्रेणी के):		
चालू खाता	277.21	233.15
बचत खाता *	153.43	149.25
तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित निवेश	4190.25	1785.44
हाथ में नकद	0.47	1.48
<b>कुल</b>	<b>4621.36</b>	<b>2169.32</b>

\* स्माल कोसेस कोर्ट, मुंबई के निर्देशों के अनुसार हरचंद्राई हाउस की किराए देय राशि के लिए बचत खाते में शेष राशि पृथक रक्षित है।

## 8ख. अन्य बैंक शेष (₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
एलसी/बीजी के विरुद्ध मियादी जमा	6202.07	5595.43
तीन माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम परिपक्वता के लिए मियादी जमा	8990.33	7907.62
कुल	15192.4	13503.05

मियादी जमा में न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सहायक कंपनी द्वारा एसबीआई, सैफाबाद शाखा, हैदराबाद में जमा किए गए 1420.93 लाख रुपये (सहायक कंपनी के संयंत्र की बिक्री आय और अन्य संपत्तियों से प्राप्त) शामिल हैं।

## 9. ऋण (चालू परिसंपत्तियाँ) (₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
क) अरक्षित (हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड)	0.00	0.00
घटाएँ: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	0.00	0.00
	0.00	0.00
(क) कर्मचारियों को ऋण		
क. अरक्षित, सही माने गए	22.35	21.01
	22.35	21.01
(ख) आपूर्तिकारों को अग्रिम		
संदिग्ध	65.00	65.00
घटाएँ: संदिग्ध विविध ऋण के लिए भत्ता	65.00	65.00
	0.00	0.00
<b>कुल ऋण</b>	<b>22.35</b>	<b>21.01</b>

ऋण और प्राप्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियाँ हैं जो होल्डिंग कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय व्याज आय उत्पन्न करती हैं।

**समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ**

**10. ब्याज और अन्य प्राय**

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
<b>चालू</b>		
<b>क) ब्याज प्राय</b>		
क. अरक्षित, सही माने गए		
जमा राशियों पर प्रोद्गत ब्याज	369.27	385.17
अग्रिमों पर प्रोद्गत ब्याज	106.08	106.08
घटाएँ: संदिग्ध चुकौती के लिए प्रावधान	106.08	106.08
	0.00	0.00
टाउनशिप से प्रोद्गत आय	5.53	5.53
घटाएँ: भत्ता	5.53	5.53
	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(ख) संबंधित पार्टी से ब्याज प्राय (मेसेर्स हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड) (रक्षित)	0.00	0.00
घटाएँ: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	0.00	0.00
<b>ख) वसूली योग्य विविध अग्रिम</b>		
क. अरक्षित, सही माने गए		
ख. संदिग्ध	0.00	0.00
घटाएँ: संदिग्ध अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की भत्ता	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>369.27</b>	<b>385.17</b>

**11. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ**

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को	पिछले वर्ष 31.03.2022 को
(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के समारहता (कलक्ट्रेट) के पास जमा	7.37	7.37
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्तायें	2.90	2.90
उप-कुल	4.47	4.47
(ii) वैधानिक प्राय:शुल्क और कर, प्रीपैड कर	366.95	877.59
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्तायें	4.29	4.29
उप-कुल	362.66	873.30
(iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
- सही माने गए	210.55	341.71
- संदिग्ध माने गए	0.00	0.00
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्तायें	4.31	4.31
उप-कुल	206.24	337.40
iv) जमाराशि -उपदान, ईएमडी भाड़ा	1781.19	1544.33
v) प्रीपैड व्यय	142.70	171.95
vi) वसूलीयोग्य अन्य अग्रिम	52.66	63.91
vii) कर्मचारियों को अग्रिमों पर उपचित आय	4.69	8.15
viii) कर्मचारियों से वसूलीयोग्य	70.65	70.76
उप कुल	270.70	314.77
घटाएँ: भत्ता	60.41	60.41
	210.29	254.36
<b>कुल</b>	<b>2564.85</b>	<b>3013.86</b>

नियंत्रक कंपनी की बहियों में उपदान देयता के विरुद्ध सृजित कर्मचारी समूह उपदान निधि ट्रस्ट को ओर एलआईसी/आईसीआईसीआई बैंक में 1729.47 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1490.61 लाख रुपए) की उपदान राशि है।

**12. शेयर पूंजी**

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023 को		पिछले वर्ष 31.03.2022 को	
	संख्या	₹. लाख में	संख्या	₹. लाख में
प्राधिकृत शेयर पूंजी				
प्रत्येक 10 रुपये का इक्विटी शेयर				
अथ शेष	100000000	10000.00	100000000	10000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	0	0.00	0	0.00
अंतिम शेष	100000000	10000.00	100000000	10000.00
प्रत्येक 10 रुपये का अधिमाम्य शेयर				
अथ शेष	270000000	27000.00	270000000	27000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	0.00	-	0.00
<b>अंतिम शेष</b>	<b>270000000</b>	<b>27000.00</b>	<b>270000000</b>	<b>27000.00</b>
<b>कुल प्राधिकृत पूंजी</b>	<b>370000000</b>	<b>37000.00</b>	<b>370000000</b>	<b>37000.00</b>
निर्गत इक्विटी पूंजी				
निर्गत, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक 10 के इक्विटी शेयर				
अथ शेष	67173100	6717.31	67173100	6717.31
जोड़ें: जब्त शेयरों के लिए प्रदत्त राशि	0	9.65	0	9.65
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) - -	0	0.00	0	0.00
<b>कुल - इक्विटी शेयर पूंजी</b>	<b>67173100</b>	<b>6726.96</b>	<b>67173100</b>	<b>6726.96</b>

इक्विटी शेयरों से जुड़े शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसमें ₹10 प्रति शेयर का बराबर मूल्य है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे। तरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण और प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण और प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	31.03.2023 को		31.03.2022 को		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	कुल शेयरों की संख्या	% धारिता	कुल शेयरों की संख्या	% धारिता	
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹. (आईएनआर) 10 का इक्विटी शेयर: भारत सरकार (प्रमॉटर)	3,94,81,500	58.78%	3,94,81,500	58.78%	शून्य

वर्ष 2010-11 के दौरान, नियंत्रक कंपनी ने आवंटन और कॉल मनी का भुगतान न करने पर 10 रुपये प्रति शेयर (5 रुपये का भुगतान) के 193000 शेयर जब्त कर लिए और इन जब्त शेयरों के संबंध में आवेदन राशि के लिए भुगतान की गई राशि को "शेयर का जब्त खाता" अंतरित कर दिया गया है।।

वर्ष के अंत में प्रोमोटरों की शेयरधारिता (सहायक कंपनी)

नाम	31.03.2023 को		31.03.2022 को		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	कुल शेयरों की संख्या	% धारिता	कुल शेयरों की संख्या	% धारिता	
हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	1,10,60,000	56.43%	1,10,60,000	56.43%	शून्य
आंध्रप्रदेश औद्योगिक विकास निगम	8,70,000	4.44%	8,70,000	4.44%	शून्य
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹. 10 का इक्विटी शेयर		60.87%		60.87%	

**13. अन्य इक्विटी**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
<b>क) प्रतिभूति प्रीमियम रिसर्व</b>		
अथ शेष	4,838.57	4,838.57
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) -	-	-
<b>अंतिम शेष</b>	<b>4,838.57</b>	<b>4,838.57</b>
<b>ख) प्रतिधारित अर्जन</b>		
अथ शेष	(1,08,493.23)	(1,03,480.98)
लेखांकन नीति या पूर्वाधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	59.76
अवधि के प्रारम्भ में पुनः प्रतिपादित शेष राशि	(1,08,493.23)	(1,03,421.22)
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(5,325.94)	(5,072.01)
जोड़ें: भूमि की बिक्री पर लाभ	-	-
अंतिम शेष	<b>(1,13,819.17)</b>	<b>(1,08,493.23)</b>

## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
ग) अन्य व्यापक आय		
<b>i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन</b>		
अथ शेष	96,699.22	95,296.79
जोड़ें: वर्ष के दौरान मूल्यांकन	1,035.38	1,978.42
घटाएँ: पुनर्मूल्यन परिसंपत्तियों को बिक्री को लागत	-	-
घटाएँ: प्रतिधारित अर्जनों में अंतरित आरक्षित	-	-
जोड़ें: बिक्री के कारण आस्थगित कर देयता का उलटा	-	-
जोड़ें/घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण कर देयता को आस्थगित	(266.00)	(576.00)
<b>अंतिम शेष</b>	<b>97,468.60</b>	<b>96,699.21</b>
<b>ii) कर्मचारी परिभाषित हितलाभ योजनाओं में परिवर्तन</b>		
अथ शेष	(249.00)	(287.63)
जोड़ें: वर्ष के दौरान मूल्यांकन	-	(2.35)
घटाएँ: परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यन	101.39	40.99
घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण आस्थगित कर देयता	-	-
	<b>(147.61)</b>	<b>(248.99)</b>
<b>iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत</b>		
अथ शेष	-	-
जोड़ें/घटाएँ: परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मापन	-	<b>0.01</b>
घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण आस्थगित कर देयता	-	-
अंतिम शेष	-	<b>0.01</b>
कुल योग	<b>97,320.99</b>	<b>96,450.23</b>
<b>कुल अन्य इक्विटी</b>	<b>(11,659.61)</b>	<b>(7,204.43)</b>

सिक्वोरिटीस प्रीमियम रिजर्व-जहां कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है, चाहे वह नकद के लिए हो, या अन्यथा उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशि 9 "सिक्वोरिटीस प्रीमियम रिजर्व" में अंतरित की जाएगी। कंपनी अपने सदस्यों को प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व से पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी कर सकती है और कंपनी इस रिजर्व का उपयोग शेयरों के खरीद-फरोख्त के लिए कर सकती है।

## 14. उधार (गैर-चालू देयता)

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
मियादी ऋण	0.00	0.00
भारत सरकार से ऋण	0.00	0.00
अन्य	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## समेकित वित्तीय परिणामों की टिप्पणियाँ

## 15. प्रावधान (दीर्घकालिक देयता)

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कर्मचारियों के लिए फायदाएं - नकद छुट्टीकरण	1004.84	903.42
कर्मचारियों के लिए फायदाएं - उपदान	1367.93	1871.04
नितय परिसंपत्तियों में अंतर	23.13	23.13
भाड़े के लिए प्रावधान	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>2395.90</b>	<b>2797.59</b>

## 16. आस्थगित कर देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि का उचित मूल्य	16719.52	16417.52
भूमि का उचित निवेश	-36.00	-15.00
निवल आस्थगित कर देयता डनोट सं.41.	<b>16683.52</b>	<b>16402.52</b>

आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कि यहाँ कोई निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, कृपया नोट सं.41 देखें

## 17. चालू वित्तीय देयताएं - उधार

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सरकारी ऋण की चालू परिपक्वताएं	0.00	7695.09
भारत सरकार से ऋण	54423.46	46728.37
अतिदेय 8% गैर संचयी मोचनीय अधिमान्य शेयर - भारत सरकार	<b>27000.00</b>	<b>27000.00</b>
एचओसीएल से ऋण	-	<b>0.00</b>
<b>कुल उधार</b>	<b>81423.46</b>	<b>81423.46</b>
समग्र सुरक्षित ऋण	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
समग्र असुरक्षित ऋण	<b>54423.46</b>	<b>54423.46</b>

क) सहायक कंपनी हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड ने 2744.07 लाख रुपये के शून्य कूपन ऋण, 453.01 लाख रुपये के ब्याज वाले ऋण और उस पर अर्जित ब्याज 1075.05 लाख रुपये बकाया राशि के लिए रुद्राम गांव, मेडक जिला, तेलंगाना राज्य में 84.31 एकड़ भूमि पर नियंत्रक कंपनी के पक्ष में पहला प्रभार बनाया है।

ख) सहायक कंपनी के पास एमपीटीएफई के निर्माण के लिए लिए गए 360 लाख रुपये और संयंत्र के नवीनीकरण के लिए 11.5% प्रति वर्ष की दर से लिए गए 1320 लाख रुपये का सरकार योजना ऋण बकाया है और दोनों ऋण वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले 5 वार्षिक किस्तों में चुकाने योग्य थे। कंपनी ने मार्च, 2017 माह के दौरान रु.24.92 लाख ब्याज सहित रु.1.00 करोड़ का पुनर्भुगतान किया था और तदनुसार मूलधन और ब्याज बकाया को समायोजित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए देय किस्त की राशि 1,580.00 लाख रुपये है, को नोट-16 में दिखाया गया है। कंपनी को सहायक कंपनी के बंद होने संबंधी दिनांक 29.01.2020 का पत्र संख्या पी.51015/06/2019-सीएच छ्द(जिल्द.ii) प्राप्त हुआ था जिसमें रु.1580 लाख के लिए ब्याज 31.03.2019 तक फ्रीज किए जाएंगे। इसलिए वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज नहीं लिया गया है।

ग) नियंत्रक कंपनी से सहायक कंपनी को 2744.06 लाख रुपए मियादी ऋण का बीआईएफआर समझौते की शर्तों के अनुसार शून्य कूपन ऋण है और वित्त वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले ऋण समझौते के अनुसार इसे सात समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। वित्त वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए देय किस्त 2744.06 लाख रुपये कंपनी द्वारा भुगतान नहीं की गई है और नियंत्रक कंपनी को बकाया कुल ऋण राशि 3197.08 लाख रुपए है।

\* भारत सरकार ने 22.05.2020 को 7370 लाख रुपये और 15.03.2022 को 217 लाख रुपये का ऋण वितरित किया है। सीसीईए के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों, लेनदारों को बकाया राशि और ऋण को बंद करने के लिए सहायक कंपनी को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया गया।

1. अधिमान्य शेयरधारकों को वोट करने का अधिकार नहीं है।

2. भारत सरकार ने पूर्व वर्ष 2006-07 में 27000 लाख रुपए (वित्तीय पुनर्गठन के लिए 25000 लाख रुपये और कार्टिक सोडा संयंत्र के पुनः कमीशन के लिए 2000 लाख रुपये) 8% असंचयी मोचनीय अधिमान्य शेयरों के आबंटन के खिलाफ जारी किया था, जिससे पुनरुद्धार योजना के अनुसार पूंजी आधार को व्यापक बनाया। बोर्ड द्वारा 28 जनवरी, 2008 को 8% अधिमान्य शेयर भारत सरकार को आवंटित किए गए, यह 4वें वर्ष से मोचनीय 20% प्रारम्भ होकर 8वें वर्ष (2015-16) में अंतिम विमोचन के साथ है। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक प्रति वर्ष 25% पर मोचन की शुरुआत की थी। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने मोचन के विस्तार के लिए अनुमति दी बशर्ते कि 27000 लाख रुपए की कुल राशि पर प्रतिवर्ष 1.5% ब्याज का भुगतान किया जाना है और वर्ष के दौरान लेखा बही में 405 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। आगे चुकोती में चूक के लिए ब्याज 1% देना है और तदनुसार रु. 270 लाख की ब्याज राशि वर्ष के दौरान प्रदान की गई है।

## 18. व्यापार देय

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
चालू - व्यापार देय		
i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया देय	14.85	55.50
ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य बकाया देय	4067.96	4144.71
कुल	4082.81	4200.21
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि:		
क) i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल शेष राशि अवैतनिक है।	14.85	55.50
ii) उस पर ब्याज देय	-	-
iii) ब्याज देय और भुगतान में देरी की अवधि के लिए	-	-
iv) ब्याज उपाजित और शेष अवैतनिक है	-	-
v) ब्याज देय और अनुवर्ती वर्षों में भुगतान	-	-

ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण इस हद तक किया गया है कि प्रबंधन द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों को पहचान की गई है। उन्हें सभी देय राशि का भुगतान नियत तारीख के भीतर किया जाता है और समापन तिथि पर कोई अतिदेय राशि नहीं है।

## व्यापार प्राप्य समयवृद्धि अनुसूची

रुपए लाख में

विवरण	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	देय नहीं (30 दिनों से कम)	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
<b>चालू वर्ष 2022-23</b>						
i) एमएसएमई	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
ii) अन्य	4033.38	9.58	0.29	1.49	2.28	4047.02
iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
<b>कुल</b>	<b>4048.23</b>	<b>9.58</b>	<b>0.29</b>	<b>1.49</b>	<b>7.28</b>	<b>4066.87</b>

## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

पिछले वर्ष 2020-21						
i) एमएसएमई	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50
ii) अन्य	3996.68	4.74	2.40	24.66	62.86	4091.34
iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
कुल	4052.18	4.74	2.40	24.66	67.86	4151.84

## 19. अन्य चालू वित्तीय देयताएँ (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता:		
भारत सरकार की ऋण पर ब्याज	40648.13	35648.32
अधिमन्य शेरों पर ब्याज	6210.00	5535.00
अन्य भुगतान	48.24	49.05
कर्मचारी वेतन और बकाया देय	0.00	0.00
कुल	46906.37	41232.37

नोट:

## क. नियंत्रक कंपनी

i) वर्ष 2009-10 से भारत सरकार के ऋण की चुकौती में चूक का सिलसिला जारी है और मूलधन राशि पर अतिदेय राशि 45256.46 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹.45256.46 लाख रुपए) और अर्जित ब्याज के लिए 39860.59 लाख रुपए है (पिछले वर्ष 34860.78 लाख रुपए), इन राशियों को 9 अन्य चालू देयताएँ के तहत दिखाया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान अतिदेय ऋण की मूल राशि शून्य का भुगतान किया है (पिछला वर्ष 1404.00 लाख रुपए)।

ii) वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान में चूक के कारण वरीयता शेरों पर ब्याज ₹. 675.00 लाख प्रदान किया गया

## ख. सहायक कंपनी

भारत सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज ₹. 787.54 लाख (पिछले वर्ष ₹. 787.54 लाख)

## 20. लघु अवधि प्रावधान (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
i) कर्मचारियों के लाभ के लिए (छुट्टी नकदीकरण)	175.16	367.90
ii) कर्मचारियों के लाभ के लिए (उपदान)	218.54	206.57
iii) कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए (छुट्टी)	543.00	315.81
iv) वैधानिक दावों के लिए	0.00	15.86
v) दंडस्वरूप ब्याज के लिए	850.00	850.00
कुल	1786.70	1756.14

## 21. अन्य चालू देयताएँ (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
i) ग्राहकों से अग्रिम	555.59	412.81
ii) विक्रेताओं / ग्राहकों से जमा	227.47	209.09
iii) सांविधिक देयताएँ	1026.76	232.92
iv) कर्मचारी संबंधित देयताएँ	161.67	556.77
v) वेतन पर्ची पुनर्प्राप्ति देय	17.98	20.59
vi) अन्य देयताएँ	2382.88	2169.63
कुल	4372.35	3601.81

## 22. प्रचालनों से राजस्व - उत्पादों की बिक्री (विनिर्मित) (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री (विनिर्मित)		
फिनोल	42127.59	29931.04
एसिटोन	15388.85	9341.88
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड	2949.27	2542.01
कुमीन के हेवी एन्ड्स	1564.83	867.79
कुमोक्स ऑयल	1068.32	684.67
कुमीन	44.70	0.00
अन्य	0.00	0.33
कुल	63143.56	43367.72

## 23. अन्य आय (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
सीधा आय		
स्क्रेप को बिक्री	5.45	2.85
उप कुल	5.45	2.85
पर ब्याज आय		
कॉल और अवधि जमाओं (सकल) पर	879.52	789.01
एमआईडीसी, एमएसईबी और अन्य के साथ अग्रिमों और जमाओं पर	19.55	112.51
व्यापार प्राय से भुगतान में देरी और वित्त प्रभार संबंधी	0.93	0.78
उप-कुल	900.00	902.30
अन्य गैर-प्रचालन आय		
संपदा भाड़े	69.70	78.58
परिवहन, पानी, विद्युत आदि की वसूली	13.16	7.46
विविध आय	248.45	225.79
अधिक प्रावधान वापस लिखा	65.12	2143.56
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
उप कुल	396.43	2455.39
कुल	1301.88	3360.54
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे के रेवेरसल में निम्न शामिल है:		
1. सदिग्ध ऋण के लिए अतिरिक्त प्रावधान का रेवेरसल।	17.08	1.43
2. विविध मामलों में प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है।	20.81	-
3. ग्राम पंचायत कर का रिवेर्सल	-	-
4. अधिक प्रावधान वापस लिखा- भंडार पुर्जे	27.23	19.78
5. अधिक प्रावधान वापस लिखा एचएफएल	-	2122.35
कुल	65.12	2143.56

नियंत्रक कंपनी की बही में

1. वर्ष 2020-21 के दौरान जुटि के कारण विविध आय में 11.25 लाख रुपए गलत से लेखांकन किया गया, जैसे तो वर्ष 2020-21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एस-8 के अनुसार पुनः कथन किया गया।

(क) पूर्व की अवधि की जुटि : विविध आय

(ख) सुधार की राशि : 11.25 लाख रुपए

(ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 22 (विविध आय)

## 24. खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची	1699.53	1293.11
जोड़: क्रय	41978.06	28298.17
घटाएँ: वर्ष के अंत में माल सूची	998.33	1702.82
खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत	42,679.26	27,888.46

## 25. तैयार माल की वस्तु सूची और डब्लियुआईपी में परिवर्तन (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
वस्तुसूची में (वृद्धि) / कमी		
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची		
(i) प्रक्रियागत स्टॉक	1133.84	960.65
(ii) कैप्टिव खपत के लिए स्टॉक	571.60	87.91
(iii) मुख्य उत्पादें	1659.54	900.63
(iv) उप उत्पादें	34.20	19.21
	3399.18	1968.40
वर्ष के अंत में वस्तुसूची		
(i) प्रक्रियागत स्टॉक	938.00	1133.84
(ii) कैप्टिव खपत के लिए स्टॉक	598.21	571.60
(iii) मुख्य उत्पादें	351.81	1659.54
(iv) उप उत्पादें	28.45	34.20
	1916.47	3399.18
तैयार माल की सूची में परिवर्तन और प्रगति पर कार्य	1482.71	-1430.78

## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

## 26. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	3511.11	3783.50
ख) भविष्यनिधि के लिए कंपनी का योगदान	318.21	349.29
ग) उपदान	92.29	167.67
घ) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	276.14	279.77
ड) कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00	5.51
चिकित्सा सुविधाएं	95.57	121.03
कैंटीन और पोषण सुविधाएं	207.42	262.63
अन्य कल्याण व्यय	55.21	33.13
च) समापन फायदाएं	63.27	6.43
	4619.22	5008.96
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदाएं (वीआरएस/वीएसएस)	0.00	45.51
<b>कुल</b>	<b>4619.22</b>	<b>5054.47</b>

\*नियंत्रक कंपनी, वर्ष 2022-23 और 2021-22 में प्रस्तावित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान के रूप में 25.01.2021 से क्रमशः ₹. 248 लाख और ₹. 295 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

सहायक कंपनी के भविष्य निधि को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को धारा 17 के तहत छूट दी गई थी। 29.01.2020 को डीसीपीसी से प्राप्त समापन पत्र के निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने मई, 2020 से सितंबर, 2022 तक कर्मचारियों को वीआरएस देना शुरू कर दिया था और अक्टूबर, 2022 के दौरान गैर-नियमित कर्मचारियों को भी वीएसएस पर राहत दी गई थी। शेष पांच (5) एचएफएल के नियमित कर्मचारियों को सितंबर, 2022 से एचओसीएल रोल में स्थानांतरित और तैनात किया गया था। चूंकि एचएफएल में कोई कर्मचारी नहीं है, बोर्ड ने 30.01.2023 को हुई अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट को बंद करने और लेखापरीक्षा के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ शेष राशि ट्रस्ट को सरेंडर करने की मंजूरी दे दी है।

29.01.2020 को डीसीपीसी से प्राप्त समापन पत्र के निर्देशों के अनुसार, सभी कर्मचारियों को सितंबर 2022 तक कार्यमुक्त कर दिया गया। चूंकि एचएफएल में कोई कर्मचारी नहीं है, बोर्ड ने 30.01.2023 को हुई अपनी बैठक में कर्मचारी समूह ग्रेज्युटी ट्रस्ट को बंद करने और उपलब्ध बीमा पॉलिसियों को एलआईसी के पास सरेंडर करना की मंजूरी दे दी है।

## 27. वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
व्याज:		
निश्चित ऋण (भारत सरकार) पर	4999.81	5097.70
अन्य ऋण पर	63.62	9.02
अधिमार्ग शेरों पर	675.00	675.00
ग्राहकों से अग्रिम पर व्याज	1001.96	753.18
व्याज- अन्य	8.51	10.12
	6748.90	6545.02
अन्य उधार लागत - बैंक प्रभार	5.81	15.09
<b>कुल वित्तीय लागत</b>	<b>6754.71</b>	<b>6560.11</b>

## 28. मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास	0.00	108.34
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	0.00	8.03
कुल	110.35	116.37
26. निश्चित आस्तियों पर क्षत के लिए प्रावधान	8.40	0.00
<b>कुल</b>	<b>118.75</b>	<b>116.37</b>

## 29. अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
भंडार और पुर्जों को खपत		
i) उत्प्रेरक और रसायन	483.28	340.70
ii) उपभोग भंडार	265.07	359.66
iii) पैकिंग सामग्री	576.91	484.16
<b>कुल</b>	<b>1325.26</b>	<b>1184.52</b>

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
<b>सूटिलिटीस:</b>		
ऊर्जा	2336.68	1692.82
ईंधन	8252.19	5989.18
जल	286.31	219.29
	<b>10875.18</b>	<b>7901.29</b>
<b>मरम्मत एवं अनुरक्षण</b>		
भवन	125.00	140.78
संयंत्र और मशीनरी	248.51	383.89
अन्य परिसंपत्तियाँ	177.59	134.69
	<b>551.10</b>	<b>659.36</b>
<b>प्रशासन व्यय :</b>		
भाड़ा	54.77	78.14
बीमा	227.77	219.46
दर और कर	355.96	478.24
परामर्श और पेशेवर प्रभार	243.68	190.07
लेखापरीक्षकों को भुगतान: लेखापरीक्षकों के लिए		
सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए	6.20	6.70
अन्य लेखापरीक्षा के लिए	0.90	1.15
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.90	0.96
<b>अन्य व्यय:</b>		
टाउनशिप के लिए बिजली	19.48	16.80
टाउनशिप के लिए जल	11.62	21.87
सुरक्षा व्यय	289.14	289.30
विज्ञापन व्यय	10.96	6.38
वाहन व्यय का किराया	38.14	41.25
आस्तियों की बिक्री/निपटान में नुकसान	240.67	0.00
पूर्वावधि व्यय	0.00	0.00
सनड्री शेष बट्टे खाते डाले गए।	0.00	0.00
विविध व्यय	134.26	206.75
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	0.00	0.00
	<b>1634.45</b>	<b>1557.07</b>
<b>प्रावधान:</b>		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2.14	16.77
वैधानिक दावों के लिए प्रावधान	0.00	0.00
पहचान न की गयी आस्तियों के लिए प्रावधान	0.00	2.61
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान	0.00	180.70
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान	0.00	0.00
कानूनी देयता प्रावधान	0.00	269.00
	<b>2.14</b>	<b>469.08</b>
<b>कुल</b>	<b>14388.13</b>	<b>11771.32</b>

## टिप्पणियाँ:

नियंत्रक कंपनी बहियों में

वर्ष 2020-21 के दौरान त्रुटि के कारण विविध आय में 10.61 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2020-21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस-8 के अनुसार पुनः कथन किया गया।

(क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध व्यय

(ख) सुधार की राशि : 10.61 लाख रुपए

(ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 ( विविध व्यय)

## 30 कर्मचारी हितलाभ योजना:

क छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान

नियंत्रक कंपनी ने बीमाकिक मूल्यन पर आधारित इंड एएस-19 और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत छुट्टी नकदीकरण दावों की अप्रदत्त राशि के अनुसार 31 मार्च 2023 को छुट्टी नकदीकरण के लिए 1180.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष के लिए 1217.87 लाख रुपए) का प्रावधान किया है।

ख. भविष्य निधि

नियंत्रक कंपनी: कर्मचारियों को कंपनी द्वारा 30 जून 2018 तक प्रबंधित भविष्य निधि से लाभ मिलता है 1 जुलाई 2018 से कंपनी ने सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में स्थानांतरित कर दिया और ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया गया है। कर्मचारी और नियोजक

## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

प्रत्येक कर्मचारी के वेतन / मजदूरी के 12% के बराबर भविष्य निधि / पेंशन राशि योजना में मासिक योगदान करते हैं।

सहायक कंपनी: कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत भविष्य निधि को छूट दी गई है। छूट प्रदान करने की शर्तें निर्धारित करती हैं कि नियोजित दस्ता द्वारा घोषित ब्याज दर की तुलना में वैधानिक दर में अच्छी कमी, यदि कोई हो, करेगा।

## ग. उपदान

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के द्वारा उपदान योजना शासित है और जिस कर्मचारी ने पांच साल की सेवा पूरी की है, वह उपदान के हकदार है और दिये गए लाभों का स्तर सदस्यों की सेवाकाल की अवधि और सेवानिवृत्ति की आयु में वेतन पर निर्भर है। कर्मचारी उपदान निधि योजना, जो एक परिभाषित लाभ योजना है, को ट्रस्ट द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनायी गयी वार्षिक योजना के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। एलआईसी के साथ उपलब्ध शेष राशि 1729.04 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1490.18 लाख रुपए हैं) और आईसीआईसीआई बैंक के साथ निवेश 0.43 लाख रुपए हैं (पिछले वर्ष 0.43 लाख रुपए हैं)।

सहायक कंपनी के मामले में उपलब्ध निधि की शेष राशि शून्य (पिछले वर्ष 4.73 लाख) है।

31.03.2023 तक कार्यमुक्त कर्मचारियों के उपदान के सभी देय बकाया का भुगतान कर दिया गया है और आगे कोई बकाया नहीं है।

## उपदान वीमांकिक मूल्यांकन का विवरण:

## 1. योजना की धनराशि की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
निधिपोषण नहीं किए गए दायित्व के वर्तमान मूल्य	0.00	0.00
निधिपोषित दायित्व के वर्तमान मूल्य	1586.47	2079.41
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	-1729.47	-1495.48
निवल देयताएं/परिसंपत्ति	-143	583.93

## 2क. चालू अवधि के लिए लाभ और हानि खाता

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
चालू सेवा लागत	65.83	79.88
नियंत्रण और समायोजन पर विगत सेवा लागत और नुकसान /हानि	0.00	0.00
निवल ब्याज लागत	26.45	98.95
ठकर्मचारी हितलाभ व्यय (पी एंड एल) में शामिल कुल	92.28	178.83

## 2ख. चालू अवधि के लिए अन्य समग्र आय

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
दायित्व पर वीमांकिक वृद्धि/हानि के संघटक:		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-116.7	-77.19
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	0	0.00
अनुभवी समायोजन के कारण	40.95	57.58
ब्याज आय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	-25.63	-17.19
अन्य समग्र आय में स्वीकार राशियाँ	-101.38	-36.8

## 3. परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
परिभाषित हितलाभ दायित्व का प्रारम्भ	1936.88	2423.48
दायित्व में/(बाहर) अंतरण	102.02	0.00
चालू सेवा लागत	65.83	79.88
ब्याज लागत	105.42	122.27
दायित्व पर वीमांकिक वृद्धि/हानि के संघटक:	0	0
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-116.71	-77.18
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	0	0
अनुभवी समायोजन के कारण	40.95	57.67
विगत सेवा लागत	0	0
नियंत्रण पर हानि(लाभ)	0	0
समायोजन पर समाप्त देयताएं	0	0
क्रय के रूप में समामेलन में स्वीकृत देयताएं	0	0
विदेशी योजनाओं में विनिमय अंतर	0	0
भुगतान की गयी	-547.91	-508.55
परिभाषित हितलाभ देयता का अंतिम	1586.48	2097.57

## 4. योजना आस्तियों का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
योजना आस्तियों का प्रारम्भिक मूल्य	1490.61	630.71
योजना आस्तियों में (बाहर) अंतरण	102.02	0
निधि से कटौती किया गए व्यय	0	0
ब्याज आय	78.96	23.32
ब्याज आय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	25.63	17.2
समायोजन पर वितरित परिसंपत्तियाँ	0	0
नियोजित द्वारा योगदान	580.17	1298.15
क्रय के रूप में समामेलन में अर्जित आस्तियाँ	0	0
क्रय	0	0
विदेशी योजनाओं में विनिमय दर अंतर	0	0
प्रदत्त हितलाभ	-547.92	-887.49
योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य	1729.47	1081.89

## 5. निवल परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
लेखा बहियों में निवल अथ प्रावधान	446.27	2263.05
दायित्व में/(बाहर) अंतरण	102.02	0
योजना आस्तियों में (बाहर) अंतरण	-102.02	0
अनुलनक 2 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ व्यय	92.28	167.66
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशियाँ	-101.38	-40.99
उप कुल	437.17	2389.72
कंपनी द्वारा प्रदत्त हितलाभ	0	-52.66
समायोजित हितलाभ (रसायनी यूनिट)	0	0
योजना आस्तियों में योगदान	-580.17	-1280
लेखा बहियों में निवल अंतिम प्रावधान	-143	1057.06

आस्तियों के उच्चतम का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य	0	0
आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य पर ब्याज	0	0
अधिशेष/घाटा के कारण आस्तियों पर हानि/वृद्धि	0	0
योजना आस्तियों का उच्चतम अंतिम मूल्य	0	0

## 6. योजना आस्तियों की संरचना

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
	%	%
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	0	0
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0	0
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड	0	0
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0	0
संपत्ति	0	0
विशेष जमा योजना	0	0
बीमा पॉलिसी	100	100
बैंक शेष	0	0
अन्य निवेश	0	0
कुल	100	100

## 7. अनुसूची III के अनुसार देयता का विभाजन

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
चालू देयताएं	-143.01	65.83
गैर-चालू देयताएं	0	380.42
निवल देयताएं	-143.01	446.25

## 8. प्रधान वीमांकिक अनुमान

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
बट्टा दर	प्रतिवर्ष 7.3%	6.40%
वेतन वृद्धि दर	प्रतिवर्ष 6.00%	7.00%
निकासी दर	छोटी उम्र में 3%	छोटी उम्र में 3%
	वृद्धावस्था में 1%	वृद्धावस्था में 1%
	कम करता है।	कम करता है।
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ का दर	7.30%	5.60%

### समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

#### 9. विगत सेवा देयता पर प्रत्याशित नकद प्रवाह (₹ लाख में)

विवरण	नकद प्रवाह	वितरण (%)
वर्ष 1 नकद प्रवाह	218.54	21.30%
वर्ष 2 नकद प्रवाह	297.82	7.40%
वर्ष 3 नकद प्रवाह	224.93	9.70%
वर्ष 4 नकद प्रवाह	234.48	7.20%
वर्ष 5 नकद प्रवाह	138.21	6.90%
वर्ष 6 से वर्ष 10 तक	673.63	23.30%

उपर्युक्त नकद प्रवाह पर आने के लिए भविष्य प्रोद्गत का विचार नहीं किया गया।

अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित योगदान 57.01 लाख रुपए है।

मूल्यन तिथि पर औसत बकाया दायित्व की अवधि (वर्षों) 5.19 वर्ष है।

#### 10. मुख्य अनुमानों पर संवेदनशीलता (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
<b>बढ़ा दर संवेदनशीलता</b>		
बढ़ता 0.5%	1546.07	1891.72
(% परिवर्तन)	-2.55%	-2.33%
0.5% द्वारा घटना	1628.93	1984.37
(% परिवर्तन)	2.68%	2.45%
<b>वेतन वृद्धि दर संवेदनशीलता</b>		
बढ़ता 0.5%	1606.01	1956.58
(% परिवर्तन)	1.23%	1.02%
0.5% द्वारा घटना	1565.91	1916.53
(% परिवर्तन)	-1.30%	-1.05%
<b>निकासी (डब्ल्यू आर) दर संवेदनशीलता</b>		
डब्ल्यू आर <sup>1</sup> 110%	1590.23	1939.82
(% परिवर्तन)	0.24%	15.00%
डब्ल्यू आर <sup>2</sup> 90%	1582.63	1933.97
(% परिवर्तन)	-0.24%	-15.00%

#### संवेदनशीलता विश्लेषण और इसकी सीमाओं के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों का विवरण:

अन्य सभी मानकों को अपरिवर्तित रखते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण एक एकल पैरामीटर को बदलकर किया जाता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण अंतर्निहित मानकों के बीच अंतर-संबंध पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है। इसलिए, यदि दो या दो से अधिक परिणाम एक साथ बदल जाते हैं तो परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

इस्तेमाल की गई विधि किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन की संभावना और परिवर्तन की सीमा में यदि कोई हो तो, के बारे में कुछ भी सूचित नहीं करती है।

#### परिशिष्ट क: परिभाषित हितलाभ दायित्व का अलग-अलग विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
निहित	1,585.62	2,269.01
गैर-निहित	0.85	9.23
<b>कुल</b>	<b>1,586.47</b>	<b>2,278.24</b>

#### परिशिष्ट ख: परिभाषित हितलाभ दायित्व का आयुवार विवरण

##### आयु(वर्षों में) डीबीओ (₹. लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
25 से कम तक	-	-
26 से 35 तक	7.99	16.61
36 से 45 तक	180.06	208.81
46 से 55 तक	801.35	923.87
56 और उससे ऊपर	597.07	1128.95
निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्गत उपदान	-	-
<b>कुल</b>	<b>1586.47</b>	<b>2278.24</b>

#### परिशिष्ट ग: परिभाषित हितलाभ दायित्व की विगत सेवा वितरण

##### आयु(वर्षों में) डीबीओ (₹. लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
0 से 4 तक	0.86	3.75
4 से 10 तक	20.59	61.17
10 से 15 तक	193.27	165.53
15 और उससे ऊपर	1371.75	2047.79
निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्गत उपदान	-	-
<b>कुल</b>	<b>1586.47</b>	<b>2278.24</b>

#### योजना के लिए प्रमुख जोखिम

##### क. बीमाकिक जोखिम

यह जोखिम है कि लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण यह उत्पन्न हो सकता है:

##### प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव:

वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, का परिणाम यह होगा कि प्रत्याशित से अधिक दर में दायित्व में वृद्धि होगी।

##### मृत्यु दरों में परिवर्तनशीलता:

यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर की धारणा से अधिक है तब प्रत्याशा से पहले उपदान लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि मौत के लाभ पर निहित कोई शर्त नहीं है, इसलिए नकद प्रवाह की संवृद्धि अनुमानित वेतन वृद्धि के सापेक्ष मूल्यों और बट्टे दरों के आधार पर एक बीमाकिक हानि या लाभ में अग्रसर होगा।

##### निकासी दरों में परिवर्तनशीलता:

यदि वास्तविक निकासी दर प्रत्याशित दर धारणा से अधिक है, तो प्रत्याशा से पहले उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफा की तारीख में क्या लाभ निहित है।

##### ख निवेश जोखिम

निधि योजनाओं जो संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर भरोसा करते हैं, के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रमाणित संपत्तियों का मूल्यदेयता का समर्थन करने वाले लिखत का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, संपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र है। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध देयता या वित्त पोषित में यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की स्थिति पर व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।

##### ग. चलनिधि जोखिम:

कर्मचारी जो उच्च वेतन और लंबी सेवा काल या पदानुक्रम में उच्च है, हितलाभों के महत्वपूर्ण स्तर संचित करते हैं। अगर ऐसे कुछ कर्मचारियों ने कंपनियों से इस्तीफा दे दिया / सेवानिवृत्त हुए तो नकद प्रवाह पर तनाव हो सकता है।

##### घ. बाज़ार जोखिम:

बाजार जोखिम उन जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाज़ार में परिवर्तन और उतार-चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमाकिक अनुमान को बट्टे दर पर भौतिक प्रभाव है। बट्टे दर जैसे के मूल्य का समय दर्शाती है। बट्टे दर में वृद्धि योजना के लाभ के परिभाषित हितलाभ दायित्वों में कमी की ओर और उसके विलोम ले जाती है। यह अनुमान कॉर्पोरेट / सरकारी बॉन्ड पर प्रतिलाभ पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन मूल्यन तिथि को प्रतिलभों की उपज पर उजागर होता है।

##### ड. विधायी जोखिम:

विधायी जोखिम यह है कि वैधानिक/ विनियामक में परिवर्तन के कारण योजना देयताओं में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार उपदान अधिनियम के भुगतान में संशोधन कर सकती है जिसके फलस्वरूप कंपनियों को कर्मचारियों के लिए उच्च हितलाभ के भुगतान करने की आवश्यकता है। यह सीधे परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा और उक्त को जब किसी ऐसे संशोधन लागू होने पर वर्ष में तत्काल स्वीकार किया जाना होगा।

मूल्यांकन में उपयोग किए गए अनुमानों का सारांश निम्नानुसार है:

#### वित्तीय अनुमान

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
बढ़ा दर	7.30%	5.60% प्र.व
वेतन वृद्धि दर	6.00%	7.00% प्र.व
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	लागू नहीं	5.60% प्र.व

#### डेमोग्राफिक अनुमान

##### निकासी दर प्र व

आयु बैंड	31.03.2023 को	31.03.2022 को
25 और ऊपर	3.00%	3.00%
25 से 35 तक	2.50%	2.50%
35 से 45 तक	2.00%	2.00%
45 से 55 तक	1.50%	1.50%
55 और ऊपर	1.00%	1.00%

## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

### मृत्यु दर

भारतीय सुनिश्चित जीवनकाल मृत्यु दर प्रतिवर्ष का नमूना (2012-14)

आयु (वर्षों में)	31.03.2023 को	31.03.2022 को
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

मूल्यांकन तरीका

बीमाकिक ने परिभाषित हितलाभ दायित्व के मूल्यांकन के लिए निश्चित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

### 31 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

क) मूलरूप से कंपनी की रसायनी इकाई में 1012.355 एकड़ भूमि थी (राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार)। उक्त भूमि में से 251 एकड़ बीपीसीएल को और 20 एकड़ आईएसआरओ को वर्ष 2017-18 के दौरान बेची गई। वर्ष 2018-19 में बीपीसीएल को 38.687 एकड़ ज़मीन बेची गई। वर्ष 2019-20 में 85.27 एकड़ ज़मीन बीपीसीएल और 0.386 एकड़ भूमि आईओसीएल (पेट्रो ल पम्प का क्षेत्र) को बेच दिया। शेष उक्त भूमि में से 65.840 एकड़ में (पिछले वर्ष 66.024 एकड़) 22.717 एकड़ ज़मीन अतिक्रमण के अधीन पहचान की गई, 32.547 एकड़ ज़मीन एमआईडीसी, एमईएसबी, एचआईएल, एमईएस आदि के अधीन है, 10.576 एकड़ सार्वजनिक सड़क है, इसीलिए शून्य मूल्य माना गया है। उक्त अतिक्रमण का निर्धारण सर्वश्री जियोटेक कंपनी द्वारा किए गए उनकी 24 अप्रैल 2019 को सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। शेष 551.172 एकड़ भूमि का पुनः मूल्यन तैयार किए गए रेकरन रेट या बीपीसीएल को 832.95 (पिछले वर्ष 832.95 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए की सहमत दर पर बेचने पर किया गया है।

ख) नगरपालिका आयुक्त, पनवेल से प्राप्त सूचना के अनुसार, जो सर्वेक्षण सं 738 की प्लॉट संख्या 11 और 12 के वास्तविक क्षेत्रफल संबंधी है, जिसमें एक सार्वजनिक मार्ग इसके अंदर से निकाल रहे है, और इस तरह बिक्री के लिए उपलब्ध पनवेल भूमि का कुल क्षेत्रफल 8 एकड़ से कम हो कर 7.09 एकड़ हो गया है। तदनुसार आरक्षित मूल्य (उचित मूल्य) कम होकर रु.158 करोड़ हो गए। कलेक्टर, रायगढ़ ने एनओसी की मामले संबंधी अपनी रिपोर्ट में अनर्जित आय के रूप में 40% प्रभार लेने की संस्तुति की है। महाराष्ट्र सरकार के उक्त प्रस्ताव को एचओसीएल के निदेशक मंडल 09.11.2022 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया। कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

### 32 निवेश

क) नियंत्रक कंपनी को सहायक कंपनी सर्वश्री हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बनस लिमिटेड के शेयर इक्विटी के रूप में 1106.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष का 1106.00 लाख रुपए) का निवेश है। एचएफएल जो 1994 से वीआईएफआर के अधीन है। कंपनी का 31 मार्च, 2023 के अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर निवल मूल्य नकारात्मक है। 31.03.2023 को शेयरों का बाजार मूल्य (अंकित मूल्य 10 रुपए) 8.91 (पिछले वर्ष 9.57 लाख रुपए) है। 47.56 लाख रुपए (पिछले वर्ष 272.08 लाख रुपए) के इन निवेशों के मूल्य में कमी की दिशा में चालू वर्ष के दौरान बही में प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने 29.01.2020 के सीसीईए के निर्णय के अनुसार सर्वश्री एचएफएल को बंद करने का निर्णय लिया है। वीआरएस व्यय और बैंक और अपूर्णकलाओं को देय राशि देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भारत सरकार द्वारा 75.87 (26.05.2020 को 73.70 करोड़ रुपए और 15.03.2022 को 2.17 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए की राशि निर्गत किया गया है।

ख) वर्ष 2007-08 के दौरान, सहायक कंपनी सर्वश्री हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बनस लिमिटेड (एचएफएल) के पुनरुद्धार के लिए संशोधित प्रारूप पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए वीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किया गया था। एमडीआरएस के कार्यान्वयन के रूप में, एचओसीएल ने एचएफएल को दिए गए ऋण पर जमा हुए 2260.26 लाख रुपये का ब्याज माफ कर दिया था और 2744.07 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण को ज़ीरो कूपन लोन (इसेडसीएल) के रूप में बदलकर सुरक्षित किया जो एचएफएल ने एचओसीएल के पक्ष में अचल संपत्ति (सरकार की दर के अनुसार 2035.26 लाख रुपए मूल्य के 84.31 एकड़ भूमि) का प्रथम चार्ज किया है। यह ऋण 2010-11 से शुरू होने वाली 7 समान वार्षिक किस्तों में देय था, जो रु.2744.07 (पिछले वर्ष 2744.07) के बराबर है, जो पूर्ण रूप से देय और भुगतान योग्य था। इसके अलावा, कंपनी ने एचएफएल को 453.01 लाख रुपए (पिछले वर्ष 453.01 लाख रुपए) 10.25% से 14.50% पर दिया गया था जो पूर्ण में देय हो गया है। यह ऋण एचएफएल की अचल संपत्ति पर सुरक्षित है। 31 मार्च, 2021 तक प्रतिभूति में ब्याज (ऋण 1161.82 लाख रुपए और ब्याज 960.52 लाख रुपए) सहित 2122.34 लाख रुपए तक की कमी का प्रावधान किया गया है। पेशेवर योग्यता वाले बाहरी पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित संपत्ति का मूल्य आज की तारीख में 10196.76 लाख रुपए है (पिछले वर्ष 10196.76 लाख रुपए)।

### 33 प्रति शेयर अर्जन

(₹ लाख में)

प्रति शेयर आय की गणना इस प्रकार की गई है:	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (रुपए लाख में)	-5533.72	-3231.69
इक्विटी शेयरों का भारत औसत संख्या	67173100	67173100
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (₹.)	10	10
प्रति इक्विटी शेयर मूल/मिश्रित अर्जन (₹.)	-8.24	-4.81

### 34 सेगमेंट रिपोर्टिंग

चूंकि कंपनी केवल रसायन का निर्माण कर रही है, इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई अलग प्राथमिक और माध्यमिक खंड नहीं है और कंपनी द्वारा उत्पादित सभी रसायनों को एकल रिपोर्ट योग्य सेगमेंट का प्रतिनिधित्व

के रूप में विचार किया जाता है। खंडीय परिणामों के प्रकटीकरण के संबंध में भारतीय लेखा मानक 108 की आवश्यकताओं को कंपनी के लिए लागू नहीं माना जाता है।

### 35 शेष राशि का पुष्टीकरण

व्यापार राशि, व्यापार देय, ऋण, अग्रिमों, अन्य चालू आस्तियां और उधार के शेष राशि का पुष्टीकरण/समाधान और अनुवर्ती समायोजनों के अधीन है बशर्ते उन मामलों जहां पुष्टि प्राप्त की गयी है।

### 36 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

I) आकस्मिक देयताएं	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क) कंपनी के विरुद्ध दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
i) आयकर दावा	91.99	91.99
ii) उत्पाद शुल्क/सेवाकर	104.63	104.63
iii) स्कूल शिक्षकों के लिए उपदान	75.31	75.31
iv) अन्य दावे (कानूनी मामले)	334.69	286.36
v) हरिचंद हाउस का किराया दावे	6219.08	5949.98
vi) जेएनपीटी पट्टा किराया	3318.86	2974.52
vii) ब्याज सहित भविष्य निधि के भुगतान पर क्षति	94.89	94.89
viii) सरकार ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज	8258.81	7119.24
ix) सरकार ऋण पर ब्याज के ऊपर ब्याज	52435.82	40113.98
x) नीलिमा केमिकल कार्पोरेशन	16.00	-
उप कुल	<b>70950.08</b>	<b>56810.90</b>
क) बैंक द्वारा दी गई बैंक गैरंटी	2645.80	116.69
ii) प्रतिबद्धताएं:		
पूजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:	11.77	36.27

### क) कंपनी के विरुद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

#### i) आयकर दावे: 91.99 लाख रुपए

आकलन वर्ष के विभिन्न अपीलें प्राधिकारियों यानि आईटीएटी, उच्च न्यायालय और अन्य फॉर्म के सक्षम लंबित हैं। कंपनी सुनवाई का इंतजार कर रही है, विवरण इस प्रकार है

आ.व. 2002-03 70.49 लाख रुपए और आ.व.2011-12 रु.21.50 लाख रुपए

आ.व. 2002-03 70.49 लाख रुपए और आ.व.2011-12 रु.21.50 लाख रुपए

उपरोक्त आकलन विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों में विवादों में हैं। कंपनी ने ऋणों को स्वीकार नहीं किया है और दावों पर लगने वाला ब्याज/जुर्माना निश्चित नहीं है।

#### ii) उत्पाद शुल्क/सेवा कर

कंपनी का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ 2006-07 की अवधि से संबन्धित विवाद चल रहा है, जिसकी राशि रु. 104.63 लाख कंपनी ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में अपील दायर की है।

उपरोक्त आकलन विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों में विवादों में हैं। कंपनी ने ऋणों को स्वीकार नहीं किया है और दावों पर लगने वाला ब्याज/जुर्माना निश्चित नहीं है।

#### iii) स्कूल अध्यापकों के लिए उपदान

एचओसी रसायनी स्कूल के अध्यापक गण द्वारा मार्च 1997 तक की अवधि के लिए दायर मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट (रु.75.31 लाख) के समक्ष लंबित है

#### iv) अन्य दावे (कानूनी मामले): 321.23 लाख रुपए

क) मैक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ कंपनी द्वारा मुकदमा दायर किया गया, जो त्रिचूर में 1994 में हुई फिनोले टैंकर दुर्घटना संबंधी है (118 लाख रुपए)।

ख) ईएसआई कॉर्पोरेशन ने 01.04.1992 से 31.10.1992 तक की अवधि के दौरान योगदान के रूप में 2.17 लाख रुपए की मांग की है। मामला ईएसआई कोर्ट, एनाकुलम में लंबित है, ईएसआई कोर्ट द्वारा वांछितानुसार, हमने ईएसआई अधिनियम से छूट के लिए भारत सरकार को आवेदन दिया था। इसलिए कोई देयता सुजित नहीं किया है और उसके लिए एक आकस्मिक देयता प्रदान की जाती है। सहायक कंपनी के ईएसआई मामले 13.46 लाख रुपए के हैं।

ग) एचओसीएल ने कैट के उस आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें एचओसीएल को पूर्व कर्मचारी श्री पी सी जेम्स के वेतन बकाया और अन्य लाभों का भुगतान करने और उसके उपदान पर फिर से काम करने का निर्देश दिया गया था, इसको अनुमानित राशि 48.33 लाख रुपए है।

घ) नियंत्रक कंपनी ने पीयू सिस्टम हाउस प्रोजेक्ट के "प्लॉट बिल्डिंग, टेक्निकल सर्विस बिल्डिंग, आर एंड डी बिल्डिंग आदि के निर्माण के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल कार्यों के निर्माण कार्य के लिए खुली निविदा आमंत्रित की थी। कंपनी ने मेसर्स शेनुषा इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एसईसीपीएल) को कार्य आदेश जारी किया था। देरी और पूर्णता में अन्य कमियों के कारण, कंपनी ने परिणामात् नुकसान की कटौती की थी। एसईसीपीएल ने उक्त कटौतियों पर आपत्ति जताई और माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष एक मध्यस्थता आवेदन दायर किया। बाद में मेसर्स एसईसीपीएल ने अदालत से उक्त मध्यस्थता आवेदन को बिना शर्त वापस ले लिया था। इसके अलावा, मेसर्स एसईसीपीएल ने कंपनी के खिलाफ ब्याज छोड़कर 113.35 लाख रुपये के भुगतान के लिए कंपनी के खिलाफ डिक्री पारित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष मुकदमा दायर किया था।



### समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

इ) कंपनी ने सर्वश्री वखारिया कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुंबई (बीसीसी) जिसे सिविल अनुबंधों के रूप में ठेके कार्य आवंटित किया गया, द्वारा दिए गए निष्पादन गारंटी को हटा दिया है, क्योंकि वे कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार अनुबंध कार्य पूरे नहीं किए गए थे। प्रस्तुत मामला मध्यस्थ के लिए भेजा गया था और बाद में उच्च न्यायालय में गया। अदालत ने कंपनी को 12 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया और सर्वश्री बीसीसी को बैंक गारंटी जमा करने पर राशि निकालने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गयी। अब सर्वश्री बीसीसी ने बैंक के लिए भुगतान किए गए बैंक गारंटी के लिए कमीशन की मांग की और 18% को दर से ब्याज देने की, क्योंकि बीसीसी के पक्ष में ट्राइल कोर्ट द्वारा पारित धन डिफ्रॉ को कंपनी द्वारा सिविल आवेदन दाखिल करने के कारण रोख दिया गया था। इस पर अनुमानित देयता 39.38 लाख रुपये हैं और मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है और तदनुसार आकस्मिक देयताओं के तहत दिखाया गया है।

#### v) हरचंद्राय हाउस से भाड़े दावे 6219.08 लाख रुपये

जैसे कि कंपनी ने सर्वश्री हरचंद्राई एंड संस से लीज पर लिए गए कार्यालय परिसर को खाली नहीं किया है, उनके नोटिस के अनुसार उन्होंने कानूनी कार्यवाही शुरू की और लीज रेंट लेना बंद किया। कंपनी ने वर्ष 2014 के दौरान कार्यालय परिसर को खाली कर दिया। कार्यालय परिसर खाली करने तक मकान मालिक द्वारा अस्वीकृत 580.80 लाख रुपये की राशि बही में प्रदान की गयी। मकान मालिकों ने 1.6.2000 से उक्त परिसर के कब्जे तक की अवधि ले लिए मेसनी लाभ के लिए स्माल कोर्सेस कोर्ट, मुंबई के समक्ष मेसने प्रोफिट अर्जी दायर की। मेसर्स हरचंद्राई एंड संस द्वारा दायर मासिक लाभ (मेसने प्रोफिट) आवेदन को कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, मुंबई द्वारा 02.05.2022 को अनुमति दी गई है, जिसमें कंपनी को 01/06/2000 से 31/12/2006 तक की अवधि के लिए मेसने लाभ 138/- प्रति वर्ग फुट और बाद की अवधि के लिए 274/- प्रति वर्ग फुट को ब्याज 9% प्रति वर्ष के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। स्मॉल कॉज कोर्ट, मुंबई के आदेश के अनुसार 01/06/2000 से 31/03/2014 की अवधि के लिए मेसने लाभ के लिए कुल राशि और उस पर ब्याज 31.03.2023 तक 6982.86 लाख रुपये (पिछले वर्ष 6713.75 लाख रुपये) है। एचओसीएल द्वारा नियुक्त मूल्यांकन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और औसत दर 48.91 रुपये प्रति वर्ग फुट पर आंकी गई है जिसे स्मॉल कॉज कोर्ट, मुंबई द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। कानूनी राय के अनुसार, कंपनी आदेश के खिलाफ अपील दायर की है और कंपनी की राय है कि एचओसीएल मूल्यांकक द्वारा प्रति वर्ग फुट रु.48.91 के मेसने लाभ की रिपोर्ट के अनुसार गणना की गई राशि के अलावा अन्य मांग के क्रिस्टलीकरण में अनिश्चितता है। एचओसीएल मूल्यांकक द्वारा प्रति वर्ग फुट रु.48.91 के मेसने लाभ की रिपोर्ट के आधार पर गणना की गई राशि 763.78 लाख रुपये है, जो वर्ष 2021-22 की लेखा बहियों में पहले ही प्रावधान प्रदान की जा चुकी है। 6219.08 लाख रुपये (6982.86-763.78) की अंतर राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

#### vi) जेएनपीटी पट्टे भाड़े: 3318.86 लाख रुपये

कंपनी ने कंपनी को आवंटित जमीन पर "जहाँ है जैसा है" के आधार पर कंपनी के सम्पत्तियों के साथ लीज आधार पर लिक्विड टैंक फार्म स्थापित करने के लिए सौंपने के लिए जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। सर्वश्री जेएनपीटी ने लीज रेंटल और अन्य शुल्कों के लिए 4124 लाख रुपये की मांग की। कंपनी ने मध्यस्थ कार्य शुरू की और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंपनी के पक्ष में निर्णय लिया है। एमओयू के अनुसार कंपनी की संपत्ति 1638.50 लाख रुपये है और उसी पर सहमति बनी है और सर्वश्री जेएनपीटी द्वारा भुगतान किया गया। कंपनी द्वारा सर्वश्री जेएनपीटी को देय लीज रेंट की निर्विवाद राशि की गणना मध्यस्थों के आधार पर पार्टियों के बीच आपसी समझ के आधार पर की गयी है जो 805.13 लाख रुपये के है और उक्त का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया। विवादित राशि में पट्टे भाड़े 2974.51 लाख रुपये, जल प्रभार 0.65 लाख रुपये, वय लीव प्रभार 297.09 लाख रुपये और व. लीव प्रभार का सेवा प्रभार 46.61 लाख रुपये हैं। कंपनी ने आकस्मिक देयता के रूप में भुगतान की गयी अविवादित लीज रेंटल को समायोजित करने के बाद जेएनपीटी की मांग की शेष राशि को दिखाया है क्योंकि मध्यस्थ निर्णयों के खिलाफ दायर अपील उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है और कंपनी की राय है कि इसमें कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुक्कदमेबाजी के इस स्तर पर मांग के क्रिस्टलीकरण में अनिश्चितता है।

#### vii) ब्याज सहित भविष्य निधि भुगतान पर नुकसान (सहायक कंपनी): 94.89 लाख रुपये

नियंत्रक कंपनी ने 2000-01 से 2010-11 की अवधि के दौरान पीएफ बकाया के विलंबित भुगतान के लिए हर्जाना माफ करने के लिए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पत्र लिखा है क्योंकि कंपनी एक बीआईएफआर संदर्भित कंपनी थी,

#### viii & ix) सरकारी ऋण पर उच्च दर पर ब्याज : 8258.81 लाख रुपये और सरकारी ऋण पर चूक ब्याज पर ब्याज 52435.82 लाख रुपये

कंपनी को दिये गए ऋण के संबंध में ब्याज की दर बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास है, यदि नियत तारीख पर मूलधन की चुकौती के मामले में और देय ब्याज के भुगतान में से किसी प्रकार के चूक होने पर ब्याज दर वसूल की जाती है। चूक मूलधन के भुगतान के साथ-साथ ब्याज के भुगतान में भी चूक हुई है, कंपनी ने अनुमान किया है कि मूलधन पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज उच्च दर की मांग की जा सकती है। अतिरिक्त ब्याज देयता की गणना की और आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार के उच्च दर पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी।

#### x) नीलिमा केमिकल कार्पोरेशन

यह सिविल मुकदमा मेसर्स नीलिमा केमिकल कार्पोरेशन द्वारा वर्ष 1996 में सहायक जिला न्यायाधीश, 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल, भारत के प्रथम न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य:- एचओसीएल एनसीसी द्वारा प्रदान/प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी ("बीजीह) के विरुद्ध मेसर्स नीलिमा केमिकल कार्पोरेशन ("एनसीसीह) को सामग्री की आपूर्ति कर रहा था। व्यवसाय के दौरान, एनसीसी सामग्री की आपूर्ति के लिए अतिदेय राशि का भुगतान करने में विफल रही थी और इसलिए 15 मई 1996 को एचओसीएल ने एनसीसी द्वारा, एचओसीएल के अतिदेय को पूरा करने के लिए बीजी लागू करने के लिए संबंधित बैंक विजया बैंक को एक पत्र लिखा था। इसके बाद, विजय बैंक ने एचओसीएल के पक्ष में बीजी से/की ओर से धनराशि जारी की। इस प्रकार, इस कदम/निर्णय से व्यथित होकर एनसीसी ने सहायक

जिला न्यायाधीश, 24 परगना (दक्षिण) के प्रथम न्यायालय के समक्ष 3,90,68,190 रुपये की राशि का डिफ्रॉ पारित करने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे पर एकपक्षीय फैसला सुनाया गया था और एनसीसी के वकील ने 24 नवंबर 2011 को अपने पत्र के जरिए कंपनी को सूचित किया था कि वे उक्त फैसले को क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके बाद, एचओसीएल ने उक्त डिफ्रॉ और/या मुकदमे को रद्द करने/योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए केस नंबर 156/2011 विविध मुकदमे दायर थी। एचओसीएल ने 25 अगस्त 2011 को उक्त मामले में कैबिनेट भी दायर की थी। अब, उक्त मामला सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष लंबित है। यह निष्पादन आवेदन 1996 के 45 (एकपक्षीय) में पारित डिफ्रॉ के निष्पादन के लिए एचओसीएल के खिलाफ एनसीसी द्वारा दायर किया गया है। यह मामला 10 नवंबर 2021 को सुनवाई के लिए आया था, इस तारीख को एचओसीएल की वकील श्रीमती सरोज तुलस्यान ने स्थान की मांग करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने स्थान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मामले को आंशिक सुनवाई 10 नवंबर 2021 को हुई।

xi) नियमित और सेवा निवृत्त कर्मचारियों से संबंधित श्रम मामलों के लिए कंपनी के खिलाफ दायर कानूनी मामलों के संबंध में दावों की राशि और ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है/निर्धारित नहीं किया जा सकता है

xii) सरकार योजना ऋण पर अंतर ब्याज 2.75% (14.25%-11.50%) ऋण बही में प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि भारत सरकार ने 31.3.2019 तक ब्याज रोक दिया था।

#### ख) बैंक गारंटी जारी किए गए 2645.80 लाख रुपये

कंपनी ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड को 101 लाख रुपये, बीपीसीएल को 5100 लाख रुपये, ओएमपीएल को 1000 लाख रुपये और अन्य को 1.06 लाख रुपये का बैंक गारंटी प्रस्तुत किया है। कंपनी उपरोक्त के संदर्भ में किसी भी रिसोर्स को प्राप्ति की उम्मीद नहीं करती है। बीपीसीएल 1645.80 लाख रुपये और ओएमपीएल 1000.00 लाख रुपये को जारी किए गए बैंक गारंटी के विरुद्ध आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धता दिखाए गए हैं। निम्नलिखित संविदाओं के लिए जारी कार्य आदेश (₹ लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
क)फिनोले संयंत्र के लिए 2X15 केवीए यूपीएस	0	21.61
ख) संबंधित प्राधिकारियों से सड़क काटने की अनुमति के लिए पुनर्स्थापन शुल्क/लाइसेंस शुल्क/प्रदर्शन गारंटी ग.एयर कंडीशनर, इंडक्शन मोटर और हेवी ड्यूटी लेथ के लिए खरीद आदेश जारी किया गया	11.77	14.66
<b>कुल</b>	<b>11.77</b>	<b>36.27</b>

#### 37 इंड एस 8 के अनुसार त्रुटि या चूक संबंधी प्रकटन

वर्ष 2022-23 के दौरान त्रुटि के कारण निम्नलिखित व्यय/आय का गलत हिसाब लगाया गया था। वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण में त्रुटियों को दूर करने हेतु तुलनात्मक व्यय/आय को पुनः दर्शाया गया है। वित्तीय विवरण पर पुनर्कथन का प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है। वित्तीय विवरण का सारांश नीचे दिया गया है।

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
अन्य आय में वृद्धि	11.25	33.72
अन्य व्यय में वृद्धि	(10.61)	(6.44)
अन्य व्यय में कमी		22.64
अन्य व्यय में वृद्धि (संदर्भ नोट 26)	(295.00)	
<b>कुल</b>	<b>(294.36)</b>	<b>49.92</b>
आयकर देयता		
इंक्विटी में (वृद्धि)/कमी	(294.36)	49.92
प्रति शेयर अर्जन में (वृद्धि)/कमी	(0.04)	0.07
मिश्रित प्रति शेयर अर्जन में (वृद्धि)/कमी	(0.04)	0.07

(1) (1) वर्ष 2021-22 से संबंधित विविध आय 11.25 लाख रुपये को त्रुटि के कारण गलत तरीके से दर्ज किया गया है, इसलिए वर्ष 2021-22 के लिए तुलनात्मक राशि को इंड एज 8 के अनुसार पुनः प्रतिपादित किया गया है।

(क) पूर्वावधि की त्रुटि: विविध आय

(ख) संशोधन राशि: 11.25 लाख रुपये

(ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद: नोट सं.23 (विविध आय)

(2) अन्य विविध खर्चों में विलंबित भुगतान शुल्क को रिवर्सल के लिए 2.57 लाख रुपये और 2021-22 से संबंधित विलंब शुल्क के लिए 8.04 लाख रुपये शामिल हैं, त्रुटि के कारण गलत तरीके से हिसाब लगाया गया है, इसलिए तुलनात्मक राशि को इंड एज 8 के अनुसार पुनः प्रतिपादित किया गया है।

(क) पूर्वावधि की त्रुटि: देरी भुगतान प्रभार का रिवर्सल

(ख) संशोधन राशि: 10.61 लाख रुपये

(ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद: नोट सं.29 - अन्य व्यय

(3) कर्मचारी हितलाभ व्यय में 31.03.2022 तक वेतन बकाया के लिए 295 लाख रुपये त्रुटि के कारण गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं, इसलिए तुलनात्मक राशि को इंड एज 8 के अनुसार पुनः प्रतिपादित किया गया है।

(क) पूर्वावधि की त्रुटि: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(ख) संशोधन की राशि: 295 लाख रुपये

(ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद: नोट सं.26 - कर्मचारी हितलाभ व्यय



**38 इंड एएस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटन**

चूंकि भारत सरकार के पास कंपनी की इन्विस्टी शेयर सूची का 58.78% हिस्सा है (एसयन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत), सरकार और अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेनदेन से संबंधित खुलासे इंड एएस 24 के पैरा 26 के अनुसार रिपोर्ट किए गए हैं।

संबन्धित पक्षों की सूची जहाँ नियंत्रण मौजूद है और संबन्धित पक्ष जिनके साथ लेन-देन हुआ है और संबन्ध है।

कर्मिक	संबन्धित पार्टी के संबन्ध का नाम	संबन्ध	लेन-देन का विवरण	वर्ष 2022-23 के दौरान लेन-देन की राशि	वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.2023)	वर्ष 2021-22 के दौरान लेन-देन की राशि	वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.2022)
1	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लि (एचएफएल)	सहायक कंपनी के साथ 56.43% शेयर धारिता	एच एफ एल को दिए गए ऋण पर ब्याज	63.62	4272.13	63.62	4214.87
2क	भारत पेट्रोलेम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	कच्चे सामग्रियों की खरीदी (एलपीजी, बेजोन, एफओ, एच2 एवं एलएनजी)	37659.45	3462.27	22883.56	3051.35
2ख	भारत पेट्रोलेम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	तेल/माल की बिक्री (एच2ओ2)	43.00	29.08	15.07	22.84
4क	इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	कच्चे सामग्रियों/ईंधन की खरीदी	6130.67	-59.52	478.67	0.00
4ख	माल्टर रिफाइनरी इंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	ओएनजीसी की सहायक कंपनी	कच्चे सामग्रियों की खरीदी (बेजोन)	5496.25	0.00	0.00	0.00
6	कंपनी द्वारा गठित न्यास	-वहाँ-	निवेश और निवेश पर ब्याज	682.19	1729.48	610.89	1490.61

**निदेशकों और मुख्य प्रबंधन कर्मिकों के पारिश्रमिक**

2022-23	अल्प-कालीन कर्मचारी हितलाभ	अवधि के बाद कर्मचारी हितलाभ	अन्य दीर्घ-कालीन हितलाभ	कार्यसमापन हितलाभ	शेयर-आधारित भुगतान	कुल
<b>क. पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा/या प्रबंधक:</b>						
श्री सजीव बी. सोपमंडी	36.80	4.56	0.00	0.00	0.00	41.36
श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला (04.07.2022 से)	21.68	2.90	0.00	0.00	0.00	24.58
<b>ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक</b>						
i) सरकारी नामित निदेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्री संजय रस्तोगी (एएस एफएच)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्री कनिष्क काल श्रीवास्तव.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) स्वतंत्र निदेशक	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
डॉ भरत जे कानाबर	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
श्री प्रयुष मंडल	13.10	1.76	0.00	0.00	0.00	14.86
iii) मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक	9.29	1.22	0.00	0.00	0.00	10.51
श्री पी ओ लुईस, सीएफओ (04.08.2022 तक)	83.07	10.44	0.00	0.00	0.00	93.51
<b>कुल</b>						

2021-22	अल्प-कालीन कर्मचारी हितलाभ	अवधि के बाद कर्मचारी हितलाभ	अन्य दीर्घ-कालीन हितलाभ	कार्यसमापन हितलाभ	शेयर-आधारित भुगतान	कुल
<b>क. पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा/या प्रबंधक:</b>						
श्री एस बी शिंदे, सीएमडी (31.7.21 तक)	29.91	1.48	0.00	0.00	0.00	31.39
श्री सजीव बी. सोपमंडी (6.9.2021 से)	20.74	2.45	0.00	0.00	0.00	23.19
<b>ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक</b>						
i) सरकारी नामित निदेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्री सतेन्द्र सिंह, एएसएफए(रसा एवं उर्व)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्री समीर कुमार विश्वास, संयुक्त सचिव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) स्वतंत्र निदेशक	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
(समिति/मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए एनओआईडी को दिए गए बैठक शुल्क)	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
डॉ भरत जे कानाबर	33.97	3.39	0.00	0.00	0.00	37.36
श्री प्रयुष मंडल	36.45	3.53	0.00	0.00	0.00	39.98
<b>ग. मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक</b>						
श्री पी ओ लुईस, सीएफओ	1.06	0.14	0.00	0.00	0.00	1.20
श्रीमती एस एस कुलकर्णी, सीएस(28.02.22 तक)	123.33	10.99	0.00	0.00	0.00	134.32
श्री सुब्रमण्यम (1.3.2022 से)						
<b>कुल</b>						

नोट: अपने व्यापार के साधारण चलन में, कंपनी अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं (उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है) के साथ लेन-देन करता है। कंपनी को अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ जिनमें निम्नलिखितों सहित लेकिन इनमें सीमित नहीं है के साथ लेन-देन है। माल एवं अनुपंगी सामग्रियों की बिक्री और क्रय; सेवाएँ प्रदान और प्राप्त करना और लाभांशों की प्राप्ति, ऋण और अग्रिमों; धन का निवेश और उधार; सार्वजनिक उपयोगिताओं की गारंटी और उपयोग; ये लेन-देन व्यापार के सामान्य गतिविधियों के दौरान अन्य संस्थाओं के उन शर्तों की तुलना के साथ किए जाते हैं, जो सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएँ नहीं हैं।



**टिप्पणा-39 वित्तीय लिखित**

**39क. उचित मूल्य मापन अनुक्रम:**

- A. स्तर 1 - उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें उद्धृत कीमत वाले सूचीबद्ध इक्विटी सामग्री, ट्रेडड बांड और प्युचल निधि शामिल है। सभी इक्विटी लिखतों (बांड सहित) जो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है, का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि में समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यन किया जाता है। प्युचल निधि का मूल्यन समापन एपेक्वी का उपयोग करके किया जाता है। कंपनी का इस प्रकार के किसी निवेश नहीं है।
- स्तर 2 - वित्तीय लिखतों जिनका कारोबार एक सक्रिय बाजार (उदाहरण के लिए, व्यापार बांड, काउंटर डिफिटिव के ऊपर) में नहीं किया जाता है, का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो कि अवलोकन योग्य बाजार डेटा का उपयोग अधिकतम करते हैं और संस्था - विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम आश्रित करते हैं। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवलोकन योग्य है, तो उपकरण के स्तर 2 में शामिल किया जाता है।
- स्तर 3 - यदि महत्वपूर्ण इनपुट्स में से एक या अधिक अवलोकन बाजार के अंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो, इन्स्ट्रुमेंट का स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह अप्रसूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक विचार और क्षतिपूर्ति संपत्ति के मामले में है।
- B. वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य आवर्ती उचित मूल्य मापनों पर किया जाता है:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ:	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को				
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
ऋण	-	-	22.35	22.35	-	-	21.01	21.01
व्यापार प्राय	-	-	1936.87	1936.87	-	129.16	735.12	864.28
निवेश	-	-	5.00	5.00	-	-	5.00	5.00
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	262.35	4359.01	4621.36	-	154.79	2014.53	2169.32
नकद को छोड़कर बैंक शेष	-	2,820.93	12371.47	15192.40	-	79.85	11496.20	11576.05
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	10.98	358.29	369.27	-	68.92	316.25	385.17
<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ</b>	<b>0.00</b>	<b>3094.26</b>	<b>19052.99</b>	<b>22147.25</b>	<b>0.00</b>	<b>432.72</b>	<b>14588.11</b>	<b>15020.83</b>
वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>गैर संचित अधिमन्य शेयर</b>	-	-	27000.00	27000.00	0.00	0.00	27000.00	27000.00
उधार	-	9167.00	45256.46	54423.46	0.00	9167.00	45256.46	54423.46
व्यापार प्राय	-	15.94	4052.02	4067.96	0.00	48.37	4096.34	4144.71
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	-	835.79	46070.59	46906.38	0.00	836.59	40395.78	41232.37
<b>कुल वित्तीय देयताएँ</b>	-	-	<b>122379.07</b>	<b>132397.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10051.96</b>	<b>116748.58</b>	<b>126800.54</b>

**39ख. वित्तीय लिखत की श्रेणियाँ**

क उचित मूल्य अनुक्रम:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ:	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को				
	एफवीपीटीएल	एफवीओसीआई	परिशोधन लागत	कुल	एफवीपीटीएल	एफवीओसीआई	परिशोधन लागत	कुल
ऋण	-	-	22.35	22.35	-	-	21.01	21.01
व्यापार प्राय	-	-	1936.87	1936.87	-	-	864.28	864.28
निवेश	-	-	5.00	5.00	-	-	5.00	5.00
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	4621.36	4621.36	-	-	2169.32	2169.32
नकद को छोड़कर बैंक शेष	-	-	15192.40	15192.40	-	-	11576.05	11576.05
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	369.27	369.27	-	-	385.17	385.17
<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ</b>	-	-	<b>22,147.25</b>	<b>22,147.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15020.83</b>	<b>15020.83</b>
वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>गैर संचित अधिमन्य शेयर</b>	-	-	27000.00	27000.00	-	-	27000.00	27000.00
उधार	-	-	54423.46	54423.46	-	-	54423.46	54423.46
व्यापार प्राय	-	-	4067.96	4067.96	-	-	4144.71	4144.71
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	-	-	46906.38	46906.38	-	-	41232.37	41232.37
<b>कुल वित्तीय देयताएँ</b>	-	-	<b>1,32,397.80</b>	<b>1,32,397.80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126800.54</b>	<b>126800.54</b>

समेकित वित्तीय विवरणों में संस्थाओं से संबन्धित अतिरिक्त विवरण शामिल है

संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ या निवल देयताएँ घटाना		लाभ या हानि का हिस्सा		अन्य समय आय में शेरर	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % का	राशि (₹.लाखों में)	समेकित लाभ या हानि के % का	राशि (₹.लाखों में)	समेकित अन्य समय आय के % का	राशि (₹.लाखों में)
भारतीय	-	(7881.02)	-	-	-0.29%	(4.19)
I.हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन लिमिटेड	217.95%		20.86%	(612.87)		
सहायक कंपनी	-	-	-	-	41.18%	(617.06)

## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

### टिप्पणी सं. 40 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

#### i. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य या वित्तीय लिखत के भविष्य नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। वित्तीय लिखतों के मूल्यों में इस तरह के परिवर्तन विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, ऋण, तरलता और अन्य बाज़ार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। कंपनी का बाज़ार जोखिम मुख्यतः विदेशी मुद्रा विनिमय दर में जोखिम के कारण है।

#### क) विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय और इक्विटी पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, जहाँ किसी भी लेनदेन का संदर्भ एक से अधिक मुद्रा से होता है या जहाँ कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में संपत्ति / देनदारियों का मूल्यवर्ग किया जाता है लेकिन कंपनी का शेष विदेशी मुद्रा में है इसलिए कंपनी विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से प्रभावित नहीं है।

#### ख) ब्याज दर जोखिम

कंपनी के निवेश मुख्य रूप से उद्धृत इक्विटी शेयर और अन्य इकाई के अनउद्धृत इक्विटी शेयर के माध्यम से होते हैं, इसलिए किसी भी निवेश गतिविधियाँ निवेश से ब्याज सृजित किया जाता है। इसलिए, कंपनी ब्याज दर जोखिम पर बहुत अधिक प्रभावित नहीं है।

#### ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो चुकौती में प्रतिपक्षी विफलता या संविदागत निबंधन या दायित्व के अनुसार सेवा कर्ज से उत्पन्न वित्तीय हानि है। ऋण जोखिम में दोनों शामिल होते हैं, डिफॉल्ट का सीधा जोखिम और ऋण की गिरावट के जोखिम के साथ-साथ जोखिमोंका केन्द्रीकरण। ऋण जोखिम का विश्लेषण ऋण सीमाओं और ग्राहकों की साख पर निरंतर नियंत्रण के आधार पर किया जाता है, जिन्हें ऋण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण दिया गया है।

वित्तीय लिखत जो ऋण जोखिम को केन्द्रीकरण के अधीन है, मुख्यरूप से व्यापार प्रायश, बिल न किए गए प्राय, निवेश, नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से मिलकर बनता है। कंपनी नीचे दिए गए ग्राहक से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए व्यक्तिगत रूप से 10 % से अधिक या कंपनी के राजस्व से अधिक के लिए राजस्व सृजित करते हैं।

ग्राहक का नाम	राजस्व की राशि	कुल राजस्व का %
पूजा पेट्रो केमिकल्स	18738.04	30%
सोनकमल एंटरप्राइसेस प्रा लि	16300.52	26%
रमेश कुमार एंड कंपनी	9759.28	15%

#### ऋण जोखिम का भौगोलिक केन्द्रीकरण

व्यापार प्राय, बिल न किए गए प्राय (पिछले वर्ष : बिल न किए गए राजस्व)काभौगोलिक केन्द्रीकरण और संविदा परिसंपत्तियों का आबंटन ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

#### iii. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम उस जोखिम को कहता है कि कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा नहीं कर सकती है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त चलनिधि बनाया रखना है और आवश्यकताओं के अनुसार निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कंपनी पर्याप्त रिज़र्व, बैंकिंग सुविधाओं और रिज़र्व उधार लेने की क्षमताओं को बनाए रखते हुए, पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी को बंद करने के लिए सीसीईए की मंजूरी के अनुसार, एचएफएल को वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन, वैधानिक बकाया, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/उपयोगिताओं को भुगतान और अन्य बकाया के लिए 73.70 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग इसके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। विनिवेश के लिए सीसीईए प्रक्रिया और भारत सरकार से ऋण की मंजूरी के बारे में नोट संख्या 37 में बताया गया है कि कंपनी के पास चलनिधि जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय संपत्तियाँ हैं।

i) नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2023 तक अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

विवरण	रखाव लागत	1 वर्ष के लिए	1 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक के लिए	कुल संविदागत नकदी प्रवाह
लेखा देय और स्वीकृति	15.94	15.94	-	-	-
उधार और उस पर ब्याज	14226.67	14226.67	-	-	-
अन्य	48.24	48.24	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>14290.85</b>	<b>14290.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय संपत्तियों का विवरण प्रदान करती है:

विवरण	रखाव लागत (रु.लाख में)
व्यापार प्राय	129.16
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10.98
<b>कुल</b>	<b>140.14</b>

i) नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2022 तक अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

विवरण	रखाव लागत	1 वर्ष के लिए	1 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक के लिए	कुल संविदा
लेखा देय और स्वीकृति	48.37	48.37	-	-	-
उधार और उस पर ब्याज	14,169.41	14,169.41	-	-	-
अन्य	49.05	49.05	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>14,266.83</b>	<b>14,266.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय संपत्तियों का विवरण प्रदान करती है:

विवरण	वहनीय राशि (रु.लाख में)
व्यापार प्राय	129.16
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	68.92
<b>कुल</b>	<b>198.08</b>

#### ग) उचित मूल्य मापन

सहायक कंपनी की वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित तालिका इस बारे में जानकारी देती है कि इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं (विशेष रूप से, उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक और इनपुट):

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को	उचित मूल्य अनुक्रम	उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक और इनपुट:
उधार	14,226.67	14,169.41	स्तर 2	निम्न नोट का संदर्भ लें
सुरक्षा जमाएँ	82.99	82.99	स्तर 2	निम्न नोट का संदर्भ लें
<b>कुल</b>	<b>14,309.66</b>	<b>14,252.40</b>		

\* सकारात्मक मूल्य वित्तीय परिसंपत्ति (निवल) को दर्शाता है और नकारात्मक मूल्य वित्तीय दायित्व (निवल) को दर्शाता है।

#### टिप्पणियाँ:

- इस अवधि के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।
- स्तर 1 के वित्तीय लिखतों को सक्रिय बाज़ार में उद्धरणों का उपयोग करके मापा जाता है।
- निम्न तालिका स्तर 2 के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक और मुख्य इनपुट को दर्शाती है:

वित्तीय लिखत	मूल्यांकन तकनीक	उपयोग किए गए मुख्य इनपुट
उधार	स्तर 2	पूँजी की प्रभावी लागत के आधार पर रियायती नकदी प्रवाह और वर्तमान मूल्य गणना के अनुसार उचित मूल्य

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य जो उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है)

2744 लाख रुपये के एचओसीएल ब्याज मुक्त ऋण पर नोट

एचओसीएल ऋण पूँजी की प्रभावी लागत के आधार पर रियायती नकदी प्रवाह और वर्तमान मूल्य गणना के अनुसार उचित मूल्य के मुकाबले बही मूल्य पर जारी रहेगा।

#### वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	उचित मूल्य अनुक्रम	रखाव मूल्य	उचित मूल्य	रखाव मूल्य
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ				
- व्यापार प्राय	स्तर 2	129.16	129.16	129.16
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	स्तर 2	10.98	10.98	68.92
- नकद और नकदी समतुल्य	स्तर 2	262.35	262.35	154.79
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	स्तर 2	2820.93	2820.93	2006.85
<b>कुल</b>		<b>3223.42</b>	<b>3223.42</b>	<b>2359.72</b>

## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	उचित मूल्य अनुक्रम	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
		रखाव मूल्य	उचित मूल्य	रखाव मूल्य	उचित मूल्य
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं					
- उधार	स्तर 2	14,226.67	14,226.67	14,169.41	14,169.41
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	स्तर 2	48.24	48.24	49.05	49.05
- व्यापार प्राप्य	स्तर 2	15.94	15.94	48.37	48.37
<b>कुल</b>		<b>14,290.85</b>	<b>14,290.85</b>	<b>14,266.83</b>	<b>14,266.83</b>

टिप्पणी सं. 41 आस्थगित कर

वर्ष 2022-23 के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	अथ शेष 01.04.2022	पी एंड एल में मान्यता देने योग्य	भविष्य के लाभ की संभाव्यता जांच के कारण रिवर्सल	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष 31.03.2023
<b>आस्थगित कर देयता</b>						
पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर आस्थगित कर देयता का रिवर्सल	(4,056.00)			-	-	(4,056.00)
एचएफएल में निवेश के उचित मूल्य	(15.00)				(21.00)	(36.00)
	<b>16,402.52</b>				<b>281.00</b>	<b>16,683.52</b>
<b>आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ</b>						
मूल्यहास	-	18.00	18.00	-	-	-
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	80.00	80.00	-	-	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/वीएसएस)	-			-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	1.00	1.00	-	-	-
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-			-	-	-
दीर्घकालिक करारों का प्रावधान	-			-	-	-
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-			-	-	-
वैधानिक दावों के लिए प्रावधान	-			-	-	-
आस्थगित कर देयता की सीमा तक संचित आयकर की हानि	-			-	-	-
	-	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>	-	-	-
<b>निवल आस्थगित कर देयता</b>	<b>16,402.52</b>			-	<b>281.00</b>	<b>16,683.52</b>

वर्ष 2021-22 के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	अथ शेष 01.04.2021	पी एंड एल में मान्यता देने योग्य	भविष्य के लाभ की संभाव्यता जांच के कारण रिवर्सल	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष 31.03.2022
<b>आस्थगित कर देयता</b>						
अधिक प्रावधान वापस लिखा				-	-	-
पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर आस्थगित कर देयता का रिवर्सल	(4,056.00)			-	-	(4,056.00)
एचएफएल में निवेश के उचित मूल्य	(80.00)				65.00	(15.00)
	<b>15,761.52</b>				<b>641.00</b>	<b>16,402.52</b>
<b>आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ</b>						
मूल्यहास	-	21.00	21.00	-	-	-
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	81.00	81.00	-	-	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/वीएसएस)	-			-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	5.00	5.00	-	-	-
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-			-	-	-
दीर्घकालिक करारों का प्रावधान	-			-	-	-
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	1.00	1.00	-	-	-
वैधानिक दावों के लिए प्रावधान	-			-	-	-
		<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	-	-	-
<b>निवल आस्थगित कर देयता</b>	<b>15,761.52</b>	<b>(108.00)</b>	<b>(108.00)</b>	-	<b>641.00</b>	<b>16,402.52</b>

42. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ पर अतिरिक्त प्रकटन

वित्तीय, चलनिधि और अन्य अनुपात

(₹ लाख में)

अनुपात	अंश-गणक के घटक दे	विभाजक के घटक दे	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	% अंतर	प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देनदारियाँ	0.95	0.99	-4.21%	-
कर्ज इक्विटी अनुपात	कुल कर्ज	शेयरधारकों की इक्विटी	24.10	20.28	18.81%	-
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध अर्जन	ऋण सेवा	0.00	0.02	-90.65%	वर्ष 2022-23 के दौरान घाटा मुख्य रूप से भारत सरकार के ऋण और वर्ष के दौरान प्रदान किए गए वरीयता शेयरों पर ब्याज के कारण बढ़ गया है। सहायक कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपना परिचालन बंद कर दिया है।
इक्विटी अनुपात पर प्रतिलाभ	कर के बाद निवल लाभ	शेयरधारकों की इक्विटी	2.05	-2.42	-184.70%	वर्ष 2022-23 के दौरान घाटा मुख्य रूप से भारत सरकार के ऋण और वर्ष के दौरान प्रदान किए गए वरीयता शेयरों पर ब्याज के कारण बढ़ गया है। सहायक कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपना परिचालन बंद कर दिया है।
वस्तुसूची कुलबिक्री अनुपात	बिक्री	औसत वस्तुसूची	23.76	16.16	47.02%	होल्टिंग कंपनी की बिक्री में बढ़ोतरी।
व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात	निवल बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	45.08	70.18	-35.76%	होल्टिंग कंपनी की बिक्री में बढ़ोतरी।
व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात	निवल साख क्रय	औसत व्यापार देय	10.14	9.58	5.76%	-
निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात	निवल बिक्री	कार्यशील पूंजी	-9.70	-64.09	-115.13%	सरकार ऋण पर ब्याज बढ़ने के कारण 2022-23 में होल्टिंग कंपनी की वर्तमान देनदारी बढ़ गई है।
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ कर के बाद	निवल बिक्री	-0.09	-0.07	17.60%	
कार्यरत पूंजी पर प्रतिलाभ	व्याज और कर के पहले लाभ (पीबीआईटी)	नियोजित पूंजी	-7.49	-93.25	-91.97%	बाजार की प्रतिकूल स्थिति के कारण कंपनी को शुद्ध घाटा हुआ। इसके अलावा मुख्य कच्चे माल में भी भारी वृद्धि हुई लेकिन बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं हो सकी जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध घाटा हुआ। बाजार की प्रतिकूल स्थिति के कारण कंपनी को शुद्ध घाटा हुआ। इसके अलावा मुख्य कच्चे माल में भी भारी वृद्धि हुई लेकिन बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं हो सकी जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध घाटा हुआ।
निवेश पर प्रतिलाभ	लाभांश	शेयर मूल्य	-	-		

## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

43. लाभ और हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण की टिप्पणियाँ
- क) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 को अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए रखाव मूल्य जारी रखने के लिए चुना है, जिसका मापन भारतीय जीएपी के तहत किया है, जिसमें प्रोहोल्ड भूमि जहां उचित मूल्य (सर्कल दर) को डीमिड लागत माना जाता है को छोड़कर को 1 अप्रैल, 2016 (संक्रामण तिथि) को डीमिड लागत माना जाता है
- ख) भारतीय जीएपी के तहत, कंपनी ने वित्तीय संपत्तियों का मापन लागत पर किया है। संक्रमण तिथि को कंपनी ने इंड एस 101 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि के प्रावधान को मान्यता दी। सभी वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर लिया गया है और ऐसे मतभेदों का उचित रूप से समाधान किया गया है।
- ग) इंड एस संक्रमण समायोजन पर आस्थगित कर समायोजन का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि कंपनी के नुकसान को देखते हुए कोई मौजूदा कर प्रभाव नहीं दिया गया था।
- घ) कंपनी अपनी रोजगार के बाद की परिभाषित लाभ योजना से संबंधित लागतों को भारतीय जीएपी और इंड एस दोनों के तहत बीमाकिक आधार पर स्वीकार किया जाता है। भारतीय जीएपी के तहत बीमाकिक लाभ और हानि शामिल सम्पूर्ण लागत और नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ को लाभ या हानि में की जाती है। इंड एस के तहत बीमाकिक लाभ और हानि शामिल सम्पूर्ण लागत और नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ को अन्य व्यापक आय के माध्यम से प्रतिधारित अर्जनों के पूर्व डेबिट या क्रेडिट के साथ तुलनपत्र में तुरंत स्वीकार किया जाता है।
- ङ) अन्य व्यापक आय में किए गए समायोजन का परिणामी योग, उस पर निवल कर निहित है।
- च) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सहायक कंपनी ने अद्यतन विकास के आधार पर परिशोधन लागत पर ओसीआई के माध्यम से वित्तीय लिखतों की रिपोर्टिंग पर अपनी स्थिति पुनरीक्षण किया। तदनुसार, अंतर्निहित लेनदेन के यथार्थवादी मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी का विचार है कि ऐसे कोई वित्तीय लिखत नहीं हैं जो भविष्य में रियायती मूल्यों पर प्राप्य/देय हों और इसलिए इन्हें वास्तविक मूल्यों पर दिखाया गया है। तदनुसार, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के बीच संबंधित प्रभाव ओसीआई के माध्यम से पारित किया जाता है।
44. सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर-अनुपालन - विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक होने के नाते, निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर-अनुपालन - सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) के अनुसार, निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन और निदेशक मंडल के कम से कम पचास प्रतिशत में गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है।
45. नियंत्रक कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन किया है और पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकक (श्री ई.एस.राजेंद्रप्रसाद, संपत्ति कर संख्या: श्रेणी नंबर 1/3/वॉल्यूम.त्/2009-10 सं:सीसी-सीएचएन/टेक/आरबी/3/2009-10) द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है जैसा कि कंपनियों के नियम 2 के तहत परिभाषित है।
- 46
- क) नियंत्रक कंपनी ने 4239.63 लाख रुपए की अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध घाटा (पिछले वर्ष अन्य व्यापक आय सहित निवल घाटा 1015.89 लाख रुपए) दर्ज किया है। इसके साथ कंपनी ने 95512.95 लाख रुपए के नकारात्मक निवल मूल्य (पिछले वर्ष 90490.55 लाख रुपए) सहित 107078.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष 102056.08 लाख रुपए) सहित शुद्ध घाटा दर्ज किया है। लेकिन इसकी वर्तमान संपत्ति इसकी वर्तमान देनदारियों से 1879.87 लाख रुपए (पिछले वर्ष 7204.31 लाख रुपए) से अधिक है। वर्ष के अंत में कंपनी के पास नकद और नकद समकक्षों की वर्तमान संपत्ति और अन्य बैंक शेष राशि 16730.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष 13510.73 लाख रुपए) के तहत शेष है। इन शर्तों पर विचार करने के बाद कंपनी का स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है।
- ख) कंपनी दिनांक 22 मई, 2017 के आदेश द्वारा सरकार अनुमोदित पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है, संयंत्र और स्कैप किए गए उपकरणों का निपटान कर दिया गया है। रसायनी में भार रहित भूमि की एनबीसीसी के माध्यम से और पनवेल की भूमि की ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री प्रगति पर है। कोच्चि में फिनोल संयंत्र चालू है और पिछले वर्ष के 62% की तुलना में चालू वर्ष में 93% क्षमता पर काम कर रहा था। चालू वर्ष में एसीटोन और फिनोल का उत्पादन पिछले वर्ष के 40305 मीट्रिक टन से बढ़कर 60656 मीट्रिक टन हो गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, वर्ष 2022-23 के लिए ईबीआईटी 1666.29 लाख रुपए है (पिछले वर्ष 2021-22 में 3932.38 लाख रुपए)।
47. बोर्ड ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन को 25.01.2021 से लागू करने की सिफारिश की और इसे अनुमोदन के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए 295 लाख रुपए और वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन संशोधन के प्रावधान के लिए लेखा बही में 248.00 लाख रुपए प्रदान किए गए।
48. रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, जिसके तहत सहायक कंपनी कार्य करती है, के पत्र दिनांक 29.01.2020 के अनुसार, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 22 जनवरी, 2020 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित को मंजूरी दी थी :
- क) एचएफएल के संयंत्र/इकाई का संचालन बंद करना और सहायक कंपनी को बंद करना।
- ख) संयंत्र के बंद होने के कारण अधिशेष कर्मचारियों (नियमित और गैर-नियमित / तदर्थ) को वीआरएस / वीएसएस के माध्यम से अलग करना, उनके सभी बकाया वेतन / मजदूरी और वैधानिक बकाया के भुगतान करना, कंपनी का बंद होने के लिए पूर्ण और अंतिम कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नाममात्र कर्मचारियों को छोड़कर। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार वीआरएस/वीएसएस का विकल्प नहीं चुनने वाले कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी।
- ग) भारत सरकार द्वारा 77.20 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया जिसका सहायक कंपनी को विशेष रूप से बंद करने से संबंधित व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा जिसमें (क) सहायक कंपनी के कर्मचारियों के लिए वीआरएस / वीएस का कार्यान्वयन, उनको देय राशि, वैधानिक बकाया, आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / उपयोगिताओं को भुगतान और एसबीआई कार्यशील पूंजी ऋण का भुगतान (ख) सहायक कंपनी के नाममात्र कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और प्रशासनिक व्यय को दो साल के लिए सहायक कंपनी को बंद करने के लिए अस्थायी रूप से बनाए रखा जाएगा।
- घ) 77.20 करोड़ रुपये का उपरोक्त ब्याज मुक्त ऋण सहायक कंपनी द्वारा सहायक कंपनी की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री आय से, जब भी निपटान किया जाए और सहायक कंपनी को बंद करने से संबंधित सभी देनदारियों का निपटान करने के बाद सरकार को चुकाया जाएगा।
- ङ) सहायक कंपनी को बंद करने संबंधी सभी देनदारियों के निपटान और 77.20 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी के बाद, संबंधित भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के निपटान से अधिशेष आय, यदि कोई हो, का उपयोग भारत सरकार (₹.15.80 करोड़) को सहायक कंपनी की बकाया और उस पर ब्याज, के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा। 31.03.2019 तक ब्याज को प्रीजिंग किया गया। मूल ऋण राशि का पूरा या कुछ हिस्सा (15.80 करोड़ रुपये) और उस पर 31.3.2019 तक ब्याज अपर्याप्त बिक्री आय के कारण बकाया राशि को बड़े खतों में डालना/माफ करना है।
- च) सहायक कंपनी की भूमि के निपटान की सुविधा के लिए, मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो एचएफएल की भूमि के क्रय में तेलंगाना सरकार / टीएसआईआईसी के निर्णय के परिणाम के अधीन भूमि निपटान का प्रबंधन और सहायता करने के लिए है।
- छ) अनुबंधी कंपनी द्वारा एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से संयंत्र/मशीनरी और चल संपत्ति का निपटान किया जाएगा।
- उक्त निर्णय के अनुसरण में, एचएफएल को भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 26.05.2020 को 73.70 करोड़ रुपये और 15.03.2022 को 2.17 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। उपरोक्त सीसीईए आदेश के अनुसार और 31.03.2023 तक, पाँच नाममात्र कर्मचारियों जिन्हें सितंबर 2022 को एचओसीएल की रोल में शामिल किए गए, को छोड़कर सभी कर्मचारियों को 31.08.2022 तक कार्यमुक्त किए गए। सरकारी ऋण और एचओसीएल ऋण का निपटान को छोड़कर सभी अविवादित बकाया का समायोजन भारत सरकार द्वारा मंजूर ब्याज मुक्त ऋण का उपयोग करके किया गया था। की। 31.03.2023 तक उपयोग की गई कुल राशि 66.23 करोड़ रुपये थी। शेष राशि का उपयोग कंपनी के समापन को पूरा करने के लिए अन्य बकाया राशि और अन्य परिचालन व्यय के निपटान के लिए किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया अभी भी जारी है।
49. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) को या संस्था(ओं) में कोई धनराशि अग्रिम या ऋण के रूप में या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के निधि से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।
50. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधिपोषित पार्टियाँ") सहित किसी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) में कोई धनराशि प्राप्त नहीं किया गया, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

## समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

51 बंद/प्रभावित कंपनियों के साथ संबंध

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का बंद /प्रभावित कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

31 मार्च 2023 को बंद/प्रभावित कंपनियों के साथ संबंध (₹ लाख में)

बंद/प्रभावित कंपनी का नाम	बंद/प्रभावित कंपनी के साथ लेन-देन का स्वरूप	वकाया शेष	बंद/प्रभावित कंपनी के साथ संबंध यदि कोई हो तो प्रकट किया जाना है।
एकस सर्विसेस लिमिटेड	सुरक्षा सेवा	0.23 लाख रुपए	लेनदार

52 सांविधिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

53 वर्ष के दौरान प्रमोटर्स, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया जाता है।

54 31.03.2022 तक कोई पूंजी-कार्य प्रगति पर नहीं है

55 विकास के तहत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है

56 इंड एएस 7 में संशोधन:

इंड एएस 7 में संशोधन से संस्थाओं को ऐसे प्रकटन प्रदान करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन शामिल हैं, साथ ही प्रकटीकरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए तुलन पत्र में अथ और अंतिम शेष के बीच एक सामंजस्य को शामिल करने का सुझाव देते हैं।

सहायक कंपनी वर्तमान में संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों का समाधान विवरण

(₹ लाख में)

अथ शेष	01.04.2022	14169.41
ब्याज सहित कार्यशील पूंजी सीमाओं में वृद्धि		-
भारत सरकार की ऋण में वृद्धि		-
रिपोर्टिंग अवधि में वृद्धि		57.26
अन्य इंड एएस समायोजन		-
अंतिम शेष	31.03.2023	14226.67

57 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

58 कंपनी के पास चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है

59 कंपनी ने अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों जिसे कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए की संख्या का अनुपालन किया है।

60 कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

61 कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, आयकर अधिनियम 1961 के तहत खोज या सर्वेक्षण या के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है, जब तक कि 11 के तहत किसी भी योजना के प्रकटीकरण के लिए प्रतिरक्षा नहीं है और यह भी बताना होगा कि क्या पहले की अलिखित आय और संबंधित संपत्ति को वर्ष के दौरान खाते की पुस्तकों में ठीक से दर्ज किया गया है।

62 कंपनी को पिछले वर्षों के दौरान हुए नुकसान के कारण किसी भी सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है।

63 कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

64 समेकित वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा 18.05.2023 को पारित एक प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत थे।

65 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बालन &amp; कंपनी

सनदी लेखाकर

एफआरएन340एस

जोयल जॉर्ज, एफसीए

सहयोगी

सदस्यता सं.: 228702

यूडीआईएन: 23228702BGXDRJ7779

स्थान: एरणाकुलम

दिनांक: 18.05.2023

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

सजीव बी.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन 09344438

योगेंद्र प्रसाद शुक्ला

निदेशक (वित्त)

डीआईएन 09674122

सुब्रमण्यन एच

कंपनी सचिव

एसीएस:28380

स्थान: एरणाकुलम, केरल

दिनांक: 18.05.2023

HOCL  
ANNUAL REPORT 2022-23  
ENGLISH VERSION





**HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED [CIN L99999KL1960GOI082753]**

**AUDITORS****STATUTORY AUDITORS****M/S BALAN & CO.**

Chartered Accountants, Kochi

**INTERNAL AUDITORS****M/s Isaac & Suresh**

Chartered Accountants, Kochi

**COST AUDITORS****M/s R.M BANSAL & CO.**

Cost Accountants, Trivandrum

**Bankers**

State Bank of India, Central Bank of India

**REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS**

M/s. BIGSHARE SERVICES PVT.LTD.

Registered Office: Big share Services Pvt Ltd.

Office No.S-6,6<sup>th</sup> Floor, Pinnacle Business Park,

Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,

Andheri (East) Mumbai-400 093

Tel: 022 62638200

Fax: 022 62638299

Email: [investor@bigshareonline.com](mailto:investor@bigshareonline.com) /[vinod.y@bigshareonline.com](mailto:vinod.y@bigshareonline.com)**CONTENTS**

	<b>Page No.</b>
Board of Directors and Board committees	119-120
Chairman's statement	121
Notice of 62nd Annual General Meeting	122-126
Directors' Report & Annexures	127-144
<b>Standalone Accounts</b>	
Independent Auditors Report-Standalone	146-152
C&AG Report - Standalone	152
Balance Sheet- Standalone	153
Statement of Profit & Loss- Standalone	154
Cash flow statement- Standalone	156
Notes to the Financial Statements- Standalone-	157-178
<b>Consolidated Accounts</b>	
Independent Auditors' Report -Consolidated	179-182
C&AG Report - Consolidated	182
Balance Sheet - Consolidated	183
Statement of Profit & Loss - Consolidated	184
Cash flow statement-Consolidated	186
Notes to the Financial Statements - Consolidated	187-210

**HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD. [CIN L99999KL1960GOI082753]**

**REGISTERED & CORPORATE OFFICE AND FACTORY**

Ambalamugal PO, Kunnathunad,

Ernakulam, Kerala- 682302 India

Tel No. 0484 – 2727342/2720911/12

E-mail id: [cs@hoclindia.com](mailto:cs@hoclindia.com), [kochi@hoclindia.com](mailto:kochi@hoclindia.com)Website: [www.hoclindia.com](http://www.hoclindia.com)**MUMBAI**

Hindustan Organic Chemicals Limited

Office No. 1003-1004, 10<sup>th</sup> Floor

NMS Titanium Premises Co-op

Society Ltd, Plot No.74, Sector 15

CBD Belapur, Navi Mumbai-400 614 MH

Tel. No. 022 - 27575268

**OTHER LOCATIONS:****New Delhi**

Core 6, First Floor,

SCOPE Complex

1<sup>st</sup> Floor, Lodi Road

New Delhi – 110 003

Tel. No. 011 – 24361610/24364690

Fax: 011 – 24360698

**SUBSIDIARY COMPANY****HINDUSTAN FLUOROCARBONS LTD.:**303, 3<sup>rd</sup> Floor, Babukhan Estate,

Basheerbagh, Hyderabad - 500 001

Telangana State.

E-mail: [hflshareholders@gmail.com](mailto:hflshareholders@gmail.com)Web site: [www.hfl.co.in](http://www.hfl.co.in)



### BOARD OF DIRECTORS

<b>Shri Sajeev B. (DIN: 09344438)</b>	Chairman & Managing Director (w.e.f 06.09.2021)
<b>Shri Yogendra Prasad Shukla (DIN: 09674122)</b>	Director (Finance) (w.e.f 04.07.2022)
<b>Shri Satendra Singh AS&amp;FA (Chem) [DIN: 05195060]</b>	Govt. Nominee Director (w.e.f 21.12.2021 to 14.10.2022)
<b>Shri Kanishk Kant Srivastava (DIN: 09699641)</b>	Govt. Nominee Director (w.e.f 30.03.2022)
<b>Dr. Bharat J. Kanabar (DIN: 09466694)</b>	Non-official Independent Director (w.e.f 24.12.2021)
<b>Shri Pratyush Mandal (DIN: 09461918)</b>	Non-official Independent Director (w.e.f 24.12.2021)
<b>Shri Sanjay Rastogi (DIN: 07722405)</b>	Govt. Nominee Director (w.e.f 13.12.2022)

### KEY MANAGERIAL PERSONNEL

<b>Shri Sajeev B</b>	Chairman & Managing Director
<b>Shri Yogendra Prasad Shukla</b>	Director (Finance & CFO)
<b>Shri Subramonian H</b>	Company Secretary

### AUDIT COMMITTEE

<b>Dr Bharat J Kanabar</b> Non-Official Independent Director Chairman	<b>Shri Kanishk Kant Srivastava</b> Non-Executive, Govt. Nominee Director Member
<b>Shri Pratyush Mandal</b> Non-Official Independent Director Member	<b>Shri Subramonian H</b> Secretary

### NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

<b>Dr Bharat J Kanabar</b> Non-Official Independent Director Chairman	<b>Shri Kanishk Kant Srivastava</b> Non-Executive, Govt. Nominee Director Member
<b>Shri Pratyush Mandal</b> Non-Official Independent Director Member	<b>Shri Subramonian H</b> Secretary

### STAKEHOLDER RELATIONSHIP COMMITTEE

<b>Shri Pratyush Mandal</b> Non-Official Independent Director Chairman	<b>Dr Bharat J Kanabar</b> Non-Official Independent Director Member
<b>Shri Sajeev B</b> Executive Director Member	<b>Shri Subramonian H</b> Secretary

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE

<b>Shri Pratyush Mandal</b> Non-Official Independent Director Chairman	<b>Dr Bharat J Kanabar</b> Non-Official Independent Director Member
<b>Shri Sajeev B</b> Executive Director Member	<b>Shri Subramonian H</b> Secretary

### SHARE TRANSFER COMMITTEE

<b>Shri Sajeev B</b> Executive Director Member	<b>Shri Subramonian H</b> Member & Secretary to the Committee
--	--

## BOARD OF DIRECTORS



**SHRI SAJEEV B.**  
(DIN: 09344438)  
Chairman & Managing Director  
(w.e.f 06.09.2021)



**SHRI YOGENDRA PRASAD SHUKLA**  
(DIN: 09674122)  
Director (Finance)  
(w.e.f 04.07.2022)



**SHRI SATENDRA SINGH AS&FA (CHEM)**  
[DIN: 05195060]  
Govt. Nominee Director  
(w.e.f 21.12.2021 to 14.10.2022)



**SHRI SANJAY RASTOGI (AS&FA)**  
(DIN: 07722405)  
Govt. Nominee Director  
(w.e.f 13.12.2022)



**SHRI KANISHK KANT SRIVASTAVA**  
(DIN: 09699641)  
Govt. Nominee Director  
(w.e.f 30.03.2022)



**DR. BHARAT J. KANABAR**  
(DIN: 09466694)  
Non-official Independent Director  
(w.e.f 24.12.2021)



**SHRI PRATYUSH MANDAL**  
(DIN: 09461918)  
Non-official Independent Director  
(w.e.f 24.12.2021)

Company Secretary



**SHRI SUBRAMONIAN H**  
Company Secretary  
(From 01.03.2022)

**CHAIRMAN'S STATEMENT**

**Dear Shareholders,**

On behalf of my Colleagues on the Board and myself, it gives me great pleasure to extend a warm welcome and sincere gratitude to all the shareholders of the Company. It is my pleasure to present to you the Annual Report for the FY 2022-23 of your company. This 62<sup>nd</sup> Annual Report of your company, includes the Audited Annual Accounts, Director's Report and Auditor's Report along with the C&AG Non-Review Certificate for the year 2022-23. Further, the 62<sup>nd</sup> AGM Notice includes the Business items to be considered by the shareholders for approval at the 62<sup>nd</sup> AGM scheduled to be held on Tuesday, 26<sup>th</sup> September, 2023.



As part of protecting the environment, awareness sessions, competitions, Swachh Bharat activities, promoting employees for vegetable cultivation under a "Green Mission", Beautification of the plant premises involving the entire employees of the organization were carried out. On-line Effluent Monitoring and stack monitoring system is implemented to comply with the Central Pollution Control Board regulations. Periodic inspections and safety walk were carried out by the Safety Committee members in addition to the daily patrolling of Fire crew as a continual improvement

Your Company bagged "First Prize in Kerala State Industrial Safety Award 2022" from the Department of Factories and Boilers, Government of Kerala and received "Suraksha Puraskar Award 2022" for the 4<sup>th</sup> consecutive year from M/s. National Safety Council, Kochi Chapter.

**PERFORMANCE**

It gives me immense pleasure to place before you the highlights of your Company's performance during the FY 2022-23. Details of the achievements and initiatives taken by your company are provided in Directors Report.

Speaking in terms of financials, during the year 2022-23, your company has achieved a Gross Income of Rs.642.98 crore registering an increase of 38.25% as against the previous year Gross Income of Rs.465.10 crore.

HOCL has only one functioning unit located at Ambalamugal, Dist Ernakulam in the state of Kerala which is commonly known as Kochi Unit. The Kochi unit is engaged in manufacture of Phenol, Acetone and Hydrogen Peroxide. In Kochi Unit Phenol and Hydrogen Peroxide Plants are operational. Capacity utilization of main products (Phenol and Acetone) of Kochi Unit has improved substantially during the year. The Phenol Plant achieved a capacity utilization of 93% and Hydrogen Peroxide plant achieved a capacity utilization of 99% during the year.

**OUTLOOK FOR THE NEXT YEAR**

It is expected that expedition of the land sale process will reduce the financial liabilities and thus bring down the finance costs. Your Company will also explore the diversification into value added products to maximum extent possible so as to gain some level of protection against swings in the market prices.

Your Company will continue to be vigilant and will capitalize on the opportunities that arise as a result of swift transformation in the industry landscape.

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Company since its inception is very much aware about its social responsibilities. For over five decades, as a socially responsible and sensitive corporate, your Company continues to remain committed to social thought and action to serve society through providing basic civic amenities to the neighbouring villages and rendering assistance in different forms.

Your company is not required to carry out any CSR activities on account of losses incurred during the previous years. However, the company has recognized its social obligations and carried out activities benefiting the society during the year under review. The details of the activities undertaken by the company under CSR is given in the Directors Report.

Swachh Bharat Abhiyan is given utmost importance by the company. Your company conducted various activities in connection with Swachhta Pakhwada 2022 and the details are given in the Directors report.

As a part of Azadi ka Amrit Mahotsav, your company conducted various cleaning activities in its premises, stickers were prepared on Azadi ka Amrit Mahotsav and pasted in all official correspondences.

Under the aegis of "Har Ghar Tiranga" distributed Indian National Flag to all employees, local residents, nearby Residents Association etc.

As part of Yoga Day on 21<sup>st</sup> June 2022, Common Yoga Protocols were widely circulated for the information of all employees through our portal and social media. Employees have participated in the live session of Yoga from 7.00 AM to 7.50 AM along with Live streaming of the Yoga by the Hon'ble Prime Minister.

**SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT**

In the areas of Health, Hygiene and Environment, the company has undertaken periodic medical examination, as well as statutory requirements of fitness check-up were carried out during the year 2022 for our employees. Audiometry tests were carried out for those who are exposed with Noise and Autotoxicity tests were carried out for the Benzene handlers apart from other statutory regular check-ups. Periodic awareness session on Hygiene, Healthy living, Covid precautions and guidelines were imparted.

In our commitment to Environment, we have ensured that the level of pollutants from the Factory and nearby surroundings was much below the permissible levels.

**ISO CERTIFICATION**

As part of the safety improvements, many positive measures have been undertaken by the organization to ensure safety of the plant and personnel. HOCL is an IMS (Integrated Management System) certified organisation comprising of Quality Management System (ISO-9001), Environment Management System (ISO-14001) and Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001). Company is also certified for Energy Management System (ISO-50001). This gives more importance to the safety and health aspects.

**INDUSTRIAL RELATIONS**

People have been a great strength in your company. The overall Industrial relationship continued to be peaceful and cordial during the year and no strike or lockout took place during the year.

**CORPORATE GOVERNANCE**

The Company continued to comply with the various requirement of Corporate Governance. The details in this regard form part of the Directors Report.

Company has substantially complied with the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs laid down by Department of Public Enterprises and regularly submits reports to the Government. Company also complies with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

**HINDUSTAN FLUOROCARBONS LIMITED (HFL) – SUBSIDIARY COMPANY**

Your company has one subsidiary company namely; Hindustan Fluorocarbons Limited [HFL]. Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide No. P. 51015/06/2019-Ch. III dated 29-01-2020 informed the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs [CCEA], directing closure of Hindustan Fluorocarbons Limited and the same was approved by the shareholders of HFL.

Consequent to the decision of the Govt. of India for closure of subsidiary company Hindustan Fluorocarbons Ltd., an amount of Rs.75.87 crore has been released to the Subsidiary Company as interest free loan from Govt. of India to meet the expenses related to VRS/VSS to employees and settling dues to bank and other liabilities. During March 2023, Sale of Plant & Machinery and other movable assets was done through MSTC e-Auction, as per decision taken by CCEA and executed as per DPE guidelines. The sale proceeds were received and the same was deposited in a separate bank account with State Bank of India. The sale of land is subject to receipt of NOC from Telangana Govt.

**ACKNOWLEDGEMENT**

I take this opportunity to place on record my sincere appreciation and gratitude to all the employees and other stakeholders who had extended their support and co-operation during the year. I take this opportunity to acknowledge the support of my fellow Board members and the senior management team. In particular, I am grateful to various officials of the Government, especially Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Ministry of Commerce & Industry, Government of Maharashtra, Kerala Government, all Bankers, Board Members, Statutory/Govt. Auditors, Cost Auditors and all the agencies concerned. My gratitude is also to the shareholders, and customers, who have helped us in the present phase of transformation of the company.

Sd/-  
Sajeev B  
Chairman and Managing Director  
DIN: 09344438

**HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED****[CIN: L99999KL1960GOI082753]****Registered office: Post Bag No. 18, Ambalamugal PO, Ernakulam Dist. Kerala – 682302, India Tel. No. 0484 – 2727342****NOTICE**

Notice is hereby given that 62<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) will be held on **Tuesday, 26<sup>th</sup> September, 2023 at 03:30 PM [IST]** through Video Conference ("VC")/Other Audio- Visual Means ("OAVM") to transact the following businesses:

**ORDINARY BUSINESS:**

- To consider and adopt the audited standalone & consolidated financial statements comprising the Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2023, the profit & loss account for the year ended on that date, cash flow statements, schedules, and notes to accounts attached thereto, together with director's report and the auditor's report along with the report of Comptroller and Auditor General of India (CAG).
- To appoint Shri Kanishk Kant Srivastava, Director, Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India who retires at the AGM and being eligible offer himself for re-appointment.
- To appoint Shri Sanjay Rastogi, Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India who retires at the AGM and being eligible offer himself for re-appointment.
- To authorize the Board of Directors to fix remuneration to be paid as Statutory Audit fee to the Statutory Auditors as and when appointed by Comptroller & Auditor General of India for the financial year 2023-24 in terms of provisions of section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013 and, to consider and, thought fit, to pass the following resolution, as an Ordinary Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 142 of the Companies Act, 2013 the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to decide and fix the remuneration to the Statutory Auditors of the Company as appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2023-24."

**SPECIAL BUSINESS:**

- Approval of remuneration of the Cost Auditor for the financial year 2023-24**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended from time to time, the Company hereby ratifies the remuneration payable at Rs.50,000/- plus GST as a total fees for the audit of cost accounts and records of the Company and to issue compliance certificates thereof and to give cost audit report for the year 2023-24 and for assistance in & e-filing of cost audit reports related XBRL e-forms in respect of Kochi unit products of the Company for the financial year ending 31<sup>st</sup> March, 2024 to M/s. R.M. Bansal & Co. (Firm Registration No. 000022), the Cost Auditors of the Company for the FY 2023-24."

**By Order of the Board of Directors**

**Sd/-  
Subramonian H  
Company Secretary  
[ACS 28380]**

**Place: Kochi, Kerala**

**Date: 30.08.2023**

Registered Office:

Post Bag: No. 18, Ambalamugal PO,

Ernakulam Dist. Kerala – 682302, India

Te. No. 0484 – 2727342 E-mail: cs@hoclindia.com

CIN: L99999KL1960GOI082753

**Notes:**

- The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General circular No.10/2022 dated December 28, 2022 read with various other circulars (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/ OAVM, without the physical presence of members at a common venue till 30<sup>th</sup> September, 2023. Hence, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("ACT"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, various MCA Circulars and SEBI Circulars, the 62<sup>nd</sup> AGM is being held through VC/OAVM. For this purpose, necessary

arrangements have been made by the Company in association with NSDL and instructions for the process to be followed for attending, participating and voting in the AGM through VC/OAVM is forming part of this notice. The proceedings of the AGM will be deemed to be conducted at the registered office of the Company.

- Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and proxy need not to be a member of the Company. However, the 62<sup>nd</sup> AGM of the Company is being held pursuant to MCA/SEBI circulars through VC/OAVM, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by the members will not be available for the 62<sup>nd</sup> AGM of the Company and hence proxy form, attendance slips are not annexed to this notice.
- Participations of members through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per Section 103 of Companies Act, 2013.
- Institutional Shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) authorizing its representative to attend the AGM through VC/ OAVM on its behalf and to vote through remote E-voting. The said resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer through e-mail to bhavya@legalcrew.co.in and to the Company at cs@hoclindia.com.
- The explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of special business are appended to this notice.
- Pursuant to section 139 (5) of the Companies Act, 2013, the auditors of the Company are to be appointed or re-appointed by the Comptroller and Auditor General of India (CAG). In pursuance of Section 142 of the Companies Act, 2013 the remuneration to the auditors shall be fixed by the Company in the AGM or in such manner as the Company in general meeting may determine. The statutory auditors of the Company for the year 2023-24 is yet to be appointed by the CAG. Accordingly, the members may authorize the Board to fix an appropriate remuneration to the statutory auditors for the FY 2023-24.
- Shareholders are requested to intimate immediately as and when there is any change in their addresses registered with the Company, their PAN, KYC details to the RTAs. For submitting KYC related information, Members may access relevant KYC forms at <https://www.hoclindia.com/form-download>.
- SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16<sup>th</sup> March, 2023 mandated submission of PAN, KYC and nomination details by the members holding shares in physical form by 1<sup>st</sup> October, 2023. For submitting this information members may access KYC forms at <https://www.hoclindia.com/form-download>.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be remain closed from **Wednesday, 20<sup>th</sup> September, 2023 to Tuesday, 26<sup>th</sup> September, 2023 (both days inclusive)**.
- The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Act, and the Register of contracts or arrangements in which the directors are interested, maintained under Section 189 of the Act will be available electronically for inspection by the members during the AGM. All documents referred to in the notice, if any, will be available electronically for the inspection without any fee by the members from the date of circulation of this notice up to the date of 62<sup>nd</sup> AGM i.e. 26<sup>th</sup> September, 2023. Members desiring inspection of such documents can send their request in writing to the company at cs@hoclindia.com.
- In compliance with Section 108 of the Act, read with the corresponding rules and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODRR") the Company has provided a facility to its members to exercise their votes electronically through the ("e-voting") facility provided by the NSDL. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The manner of voting remotely by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the instructions for e-voting section which forms part of this notice. Board of Directors have appointed ASKBN & Company, Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting in a fair and transparent manner.
- The remote e-voting commences on **Saturday, the 23<sup>rd</sup> September, 2023 from 09:00 AM onwards (IST) and ends on Monday, the 25<sup>th</sup> September, 2023 at 05:00 PM (IST)**. During the period, members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date (record date) i.e. **as on 19<sup>th</sup> September, 2023** may cast their votes electronically. The e-voting module will be disabled by the NSDL for voting thereafter. A member will not be allowed to vote again on any resolution on which vote has already been cast. The voting rights of the members shall be proportionate to their shares of the paid – up equity share capital of the company as on the cut – off date i.e. 19<sup>th</sup> September, 2023.
- The facility for the voting during the AGM will also be made available. Members present in the AGM through VC and who have not cast their vote on resolutions through remote e-voting and are not otherwise barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM.



14. The cut-off date for sending 62<sup>nd</sup> AGM notice & Annual Report is on **25<sup>th</sup> August, 2023**. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain login ID and password by sending a request at [vinod.y@bigshareonline.com](mailto:vinod.y@bigshareonline.com). However, if he/ she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/ she can use his / her existing user ID and password for casting vote.
15. In compliance with MCA/SEBI circulars, the 62<sup>nd</sup> Annual Report FY 2022-23, the notice of 62<sup>nd</sup> AGM and instructions for e-voting are being sent only through electronic vote to those members whose email addresses are registered with the Company/ depository participant(s) as on the cut-off date i.e. 25<sup>th</sup> August, 2023. Physical copy of the AGM notice along with Annual Report FY 2022-23 shall be sent to those members who request for the same.
16. We urge members to support our commitment to environmental protection by choosing to receive the Company's communication through email. Members holding shares in demat mode, who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with their respective depository participants and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company's RTA M/s. Big share Services Pvt. Ltd. at [investor@bigshareonline.com](mailto:investor@bigshareonline.com) or [vinod.y@bigshareonline.com](mailto:vinod.y@bigshareonline.com) to receive the copies of the Annual Report FY 2022-23 and other communications from the Company in electronic mode.
17. Members may also note that the notice of 62<sup>nd</sup> AGM and the Annual Report FY 2022-23 will also be available on the Company's website <https://www.hoclindia.com/agm>, website of stock exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of the NSDL.
18. In compliance with Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from 01<sup>st</sup> April, 2019 except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with the physical shares and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members can contact the Company or Company's RTA viz. M/s. Big share Services Pvt. Ltd. for any assistance in this regard.
19. SEBI has mandated the submission of PAN by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are therefore, requested to submit their Pan to their depository participants. Members holding shares in physical form are required to submit their PAN details to the RTA i.e. M/s. Big share Services Pvt. Ltd.
20. Since the AGM will be held through VC/ OAVM, proxy form, attendance slip and route map are not annexed to this notice.
21. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, e-mail id, mobile number at [cs@hoclindia.com](mailto:cs@hoclindia.com) on or before Monday, 18<sup>th</sup> September, 2023. The same will be replied by the company suitably through e-mail.
22. Shareholders who would like to register themselves as Speaker may do so by sending their request in advance at **least 14 days prior to AGM** mentioning their name, demat account number/folio number, e-mail ID, mobile number at [cs@hoclindia.com](mailto:cs@hoclindia.com).

**THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING AND JOINING GENERAL MEETING ARE AS UNDER:-**

The remote e-voting period begins on **Saturday, 23<sup>rd</sup> September, 2023 at 09:00 AM and ends on Monday, 25<sup>th</sup> September, 2023 at 05:00 PM**. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. **19<sup>th</sup> September, 2023**, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being **19<sup>th</sup> September, 2023**.

**How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?**




The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

**Step 1: Access to NSDL e-Voting system**

**A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode**

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Existing <b>IdEaS</b> user can visit the e-Services website of NSDL Viz. <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "<b>Beneficial Owner</b>" icon under "<b>Login</b>" which is available under '<b>IdEaS</b>' section , this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "<b>Access to e-Voting</b>" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> <li>2. If you are not registered for IdEaS e-Services, option to register is available at <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>. Select "<b>Register Online for IdEaS Portal</b>" or click at <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdEasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdEasDirectReg.jsp</a></li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> <li>4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "<b>NSDL Speede</b>" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</li> </ol> <div style="text-align: center;"> <p><b>NSDL Mobile App is available on</b></p>    </div>
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi / Easiest are requested to visit CDSL website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login icon &amp; New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username &amp; password.</li> <li>2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</li> </ol>





Type of shareholders	Login Method
	<p>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login &amp; New System Myeasi Tab and then click on registration option.</p> <p>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile &amp; Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/ CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

**Important note:** Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

**Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.**

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at toll free no. 1800 22 55 33

**B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

**How to Log-in to NSDL e-Voting website?**

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
  - a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
  - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
  - c) How to retrieve your 'initial password'?
    - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
    - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**
6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:
  - a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
  - b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
  - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
  - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

**Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.**

**How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?**

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

**General Guidelines for shareholders**

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to [bhavya@legalcrew.co.in](mailto:bhavya@legalcrew.co.in) with a copy marked to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Megha Malviya at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)



**Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:**

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@hoclindia.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to cs@hoclindia.com. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**
3. Alternatively, shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

**THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-**

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

**INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:**

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system.** After successful login, you can see link of "VC/OAVM" placed under "**Join meeting**" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at cs@hoclindia.com on or before Monday, 18<sup>th</sup> September, 2023. The same will be replied by the company suitably through e-mail.
6. Shareholders who would like to register themselves as Speaker may do so by sending their request in advance at **least 14 days prior to AGM** mentioning their name, demat account number/folio number, e-mail ID, mobile number at cs@hoclindia.com.

**EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF COMPANIES ACT, 2013**

**Item No 5 – Approval of remuneration of the Cost Auditor for the financial year 2023-24**

In accordance with the provisions of Section 148 of Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 ("the Rules") the Company is required to appoint cost auditors to audit the cost records of the Company for the products and services specified under rules issued in pursuance to the above section.

The Board of Directors, on the recommendation of the Audit committee has approved re-appointment of M/s R.M Bansal & Co., Cost Accountants (Firm Registration No. 000022) as Cost Auditors of the Company to conduct the cost audit of cost records maintained by the company for the FY 2023-24 at a total fees of Rs. 50,000/- plus GST and to issue compliance certificate thereof and to give cost audit report for the FY 2023-24 and for assisting in preparation & e-filing of Cost Audit Reports related XBRL e-forms in respect of Kochi unit products for the FY 2023-24.

M/s R.M. Bansal & Co. have furnished certificates regarding their eligibility for appointment as cost auditors of the Company. In accordance with the provisions of Section 148 of Companies Act, 2013 read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration payable to the cost auditors shall be ratified by the shareholders of the Company by way of Ordinary Resolution. Accordingly, consent of members is sought for the said purpose.

The Board of Directors recommends passing of the ordinary resolution set forth in Item No. 5 of the notice for approval by the members.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company including their relatives are interested or concerned in the resolution except to the extent of shareholding, in the Company, if any.

By Order of the Board of Directors

Sd/-  
Subramonian H  
Company Secretary  
[ACS 28380]

Place: Kochi, Kerala

Date: 30.08.2023

Registered Office:

Post Bag: No: 18, Ambalamugal PO,  
Ernakulam Dist, Kerala – 682302, India.

Te. No. 0484 – 2727342 E-mail: cs@hoclindia.com

CIN: L99999KL1960GOI082753





**ADDITIONAL INFORMATION OF DIRECTORS SEEKING RE-APPOINTMENT AT THE 62<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AS REQUIRED UNDER REGULATION 36(3) OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, AND SECRETARIAL STANDARDS 2 IN THE ORDER OF THE ITEMS MENTIONED IN THE NOTICE**

Brief profile of Shri Kanish Kant Srivastava

DIN	09699641
Date of Birth	14.11.1980
Date of appointment	30.03.2022
Relationship with Directors/KMP	None
Shareholding in the company	None
Remuneration proposed to be paid	None
Expertise in specific functional area	He is holding Master Degree in Statistics. He is a native of New Delhi. He is Possessing experience in Government Services. Presently he is Director (Chemicals), in Dept. of Chemicals & Petrochemicals.
List of directorships in other Listed Companies	Nil
Membership of the committee of other listed companies	Nil
Details of Listed entities from which Director has resigned in the past three years	Nil
Terms of appointment	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India vide Order No. P-51011/6/2011-Chemical-III/CPC dated 30 <sup>th</sup> March, 2022 appointed Shri Kanish Kant Srivastava, Director, Department of Chemicals & Petrochemicals as Government Nominee Director on the Board of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) w.e.f 30.03.2022 for a period of three (3) years or till further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Sanjay Rastogi

DIN	07722405
Date of Birth	24.01.1967
Date of appointment	13.12.2022
Relationship with Directors/KMP	None
Shareholding in the company	None
Remuneration proposed to be paid	None
Expertise in specific functional area	Shri Sanjay Rastogi is an IAS 1991 batch of Odisha cadre. He is B.Tech electrical Engineering and M.Tech in Electronics Communication, IIT - Delhi. He is currently working as Additional Secretary & Financial Adviser in Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India.
List of directorships in other Listed Companies	One (1) [M/s. Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited]
Membership of the committee of other listed companies	Nil
Details of Listed entities from which Director has resigned in the past three years	Nil
Terms of appointment	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India vide Office Memorandum No. P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 13 <sup>th</sup> December, 2022 had conveyed appointment of Shri Sanjay Rastogi Additional Secretary & Financial Advisor (AS&FA), Ministry of Chemicals & Fertilizers as Government Nominee Director in the Board of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL).

**DIRECTORS REPORT**

The Board of Directors presents herewith the 62<sup>nd</sup> Annual Report of your Company along with the Audited Statement of Accounts for the financial year 2022-23.

**1. FINANCIAL RESULTS**

The financial results for the year ended 31.03.2023 with the comparative figures of company's operations for the previous year is as under:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Revenue from operations	63,143.56	43,367.39
Other Income	1,154.60	3,142.73
<b>Total</b>	<b>64,298.16</b>	<b>46,510.12</b>
Expenditure	69,320.57	49,128.94
<b>Profit/(loss) before exceptional item &amp; Tax</b>	<b>(5,022.41)</b>	<b>(2,618.82)</b>
Less: Exceptional items	-	-
<b>Profit/(Loss) before Tax</b>	<b>(5,022.41)</b>	<b>(2,618.82)</b>
Less: Provision of Tax	-	-
<b>Profit/(Loss) after Tax</b>	<b>(5,022.41)</b>	<b>(2,618.82)</b>
<b>Other Comprehensive Income for the year, net of tax</b>	<b>782.78</b>	<b>1,602.93</b>
<b>Total Comprehensive Income for the year</b>	<b>(4,239.63)</b>	<b>(1,015.89)</b>

**2. RESERVES [Section 134(3)(i)]**

Company has not transferred any amount to reserves due to continuous losses.

**3. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH GOVERNMENT OF INDIA**

Company has been entering into a Memorandum of Understanding (MOU) with the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India, setting the performance parameters and targets every year. Company secured "Good" rating for the year 2022-23.

**4. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT**

In accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and IND AS 110 – Consolidated Financial Statement, the audited consolidated financial statement for the period ending 31.03.2023 is provided in the Annual Report.

**5. DIVIDEND**

In view of the loss incurred during the current year, the Board of Directors do not recommend any Dividend for the year under review.

**6. CHANGE IN NATURE OF BUSINESS IF ANY**

Consequent to the decision of the Govt. of India for closure of Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd., an amount of Rs.75.87 crore has been released to the subsidiary company as interest free loan from Govt. of India to meet the expenses related to VRS/VSS to employees and settling dues to Bank and other liabilities.

**7. SHARES**

The Authorized Share Capital of the company is Rs.3700000000 and the paid-up capital of the company is Rs.3371731000. The company's shares are listed in BSE (Scrip ID:500449). During the period under review, the company has not: (i) bought back any of its securities (ii) issued any sweat equity shares (iii) issued any bonus shares (iv) provided any stock option scheme to employees.

**8. FINANCIAL HIGHLIGHTS**

During the year 2022-23, the company has achieved a Gross Income of Rs.642.98 crore registering an increase of 6.42 % as against the Previous Year Gross Income of Rs.465.10 Crore.

**9. NUMBER OF MEETINGS OF BOARD (including the dates of Board and committee meetings indicating the number of meetings attended by each director in every financial year)**

During the year the Board Meetings were held on the following dates:

26<sup>th</sup> May, 2022, 4<sup>th</sup> August, 2022, 9<sup>th</sup> November, 2022 and 31<sup>st</sup> January, 2023.

During the year the Committee Meetings were held on the following dates:

Audit Committee meeting

26<sup>th</sup> May, 2022, 4<sup>th</sup> August, 2022, 9<sup>th</sup> November, 2022 and 31<sup>st</sup> January, 2023.

Stakeholders Relationship Committee Meeting

9<sup>th</sup> November, 2022

Nomination & Remuneration Committee meeting

29<sup>th</sup> March, 2023

Other details are furnished in the Corporate Governance Report provided as **Annexure I** to this Report.

**10. EXTRACT OF ANNUAL RETURN**

Pursuant to sub-section 3(a) of Section 134 of the Companies Act 2013, read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 an extract of the Annual Return as at March 31, 2023 is available at [www.hoclindia.com/annual-return](http://www.hoclindia.com/annual-return)

**11. SUBSIDIARY COMPANY**

Your company has one (1) subsidiary company namely; Hindustan Fluorocarbons Limited [HFL]. Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide No. P. 51015/06/2019-Ch. III dated 29<sup>th</sup> January, 2020 informed the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs, directing closure of HFL, which was approved by the shareholders on 30<sup>th</sup> March, 2020. Pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, a statement containing salient features of the financial statements of subsidiary company in Form AOC-1 is attached as **Annexure II** to the Board's Report.

**12. RELATED PARTY TRANSACTIONS**

All the Related Party Transactions that were entered into during the financial year were on arm's length basis and were in ordinary course of business. There were no materially significant transactions with Related Parties during the financial year 2022-2023 which were in conflict with the interest of the Company. Suitable disclosures as required under IND AS-24 have been made in Note No.38 of the Notes to the Standalone Financial Statements.

Particulars of contract/arrangements/transactions made with related parties, pursuant to Section 188(1) of the Companies Act, 2013 in the prescribed form AOC-2 is appended as **Annexure III** which forms part of this report.

**13. MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT**

The details in this regard forms part of Corporate Governance Report as **Annexure IV** to the Board's Report.

**14. CORPORATE GOVERNANCE**

Due to non-availability of One (1) Independent Women Director for the substantial period of FY 2022-23, there has been non-compliance to that extent with various requirements of Corporate Governance under the provisions of Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and various Rules/ Regulations made there under. The details in this regard forms part of Corporate Governance report to the Annual Report. The requisite certificate from the practicing company secretaries confirming with the conditions of Corporate Governance is attached to the report on Corporate Governance.

**15. COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES ISSUED BY DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES**

Department of Public Enterprises [DPE], Government of India, has laid down certain parameters for the purpose of grading the CPSEs on the basis of their compliance with guidelines on Corporate Governance and this report needs to be submitted to the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India on Quarterly basis. Company has been complying with the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs laid down by DPE and regularly submits reports to the Ministry of Chemicals & fertilizers, Government of India. Applicable grade of 4<sup>th</sup> Quarter/year ended 31.03.2023 is "Excellent". The requisite certificate from the practicing company secretaries confirming with the conditions of DPE Corporate Governance guidelines is attached to the report on Corporate Governance.

**16. MANNER IN WHICH FORMAL ANNUAL EVALUATION OF PERFORMANCE OF BOARD, ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS HAS BEEN CARRIED OUT:**

The provisions of Section 134 (3)(p) of the Act shall not apply to a Government Company in case the Directors are evaluated by the Ministry, which is administratively in charge of the Company as per its own evaluation methodology. HOCL, being a Government Company, the performance evaluation of the Directors is carried out by the Administrative Ministry (MoC&F), Government of India, as per applicable Government guidelines.

**17. KEY MANAGERIAL PERSONNEL:**

The following are Key Managerial Personnel of the Company:

a) Shri Sajeev B - Chairman & Managing Director [DIN: 09344438]

b) Shri Yogendra Prasad Shukla-CFO & Director (Finance) [DIN: 09674122]

c) Shri Subramonian H - Company Secretary & Compliance Officer [ACS: 28380]

**18. DETAILS OF DIRECTORS AND/OR KMP'S WHO HAVE BEEN APPOINTED OR RESIGNED DURING THE YEAR:**

i. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals Order No.P-51011/2/2020-CHEM.III-CPC dated 22-06-2022., Shri Yogendra Prasad Shukla was appointed as Director (Finance) of HOCL for a period of five years w.e.f date of his assumption of charge of the post or till date of his superannuation or until further orders whichever is the earliest. Accordingly, Director (Finance) assumed charge with effect from 4th July, 2022.

ii. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals OM.No.P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 14-10-2022, Shri Sanjay Pandey, Joint Secretary and Financial Advisor, Ministry of Social Justice and



Empowerment, Additional Charge JS&FA, Ministry of Chemicals & Fertilizers was appointed as Government Nominee Director of HOCL in place of Shri Satendra Singh who has been appointed as Additional Secretary, Cabinet Secretariat.

- iii. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals OM No. P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 13-12-2022., Shri Sanjay Rastogi was nominated as Government Nominee of HOCL in place of Shri Sanjay Pandey.

#### 19. PARTICULARS OF EMPLOYEES

Information regarding particulars of employees drawing remuneration in excess of the limit specified under Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is not applicable as none of the employees of the Company has drawn remuneration in excess of the stipulated limit, during the year under review.

#### 20. COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE (AC) AND NON-ACCEPTANCE OF ANY RECOMMENDATIONS OF AC (only for public and listed companies).

During the FY 2022-23, all the recommendations of the Audit Committee were accepted by Board of Directors.

As on 31<sup>st</sup> March, 2023 Audit Committee has 3 members in compliance with Regulation 18 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Details of Composition, meetings of Audit Committee/Sub-Committee are provided in Corporate Governance Report in Annexure IV to this Report.

#### 21. COMMITTEES OF THE BOARD

The Company's Board has the following Committees:

- Audit Committee
- Nomination and Remuneration Committee
- Stakeholder Relationship Committee
- Corporate Social Responsibility Committee (CSR)

#### 22. SECRETARIAL STANDARDS

The Company complies with all applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

#### 23. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT

The financial statements are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS), the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by SEBI. The IND AS are prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendments, rules issued thereafter.

Your Directors make the following statement in terms of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 –

- That in the preparation of the annual accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2023; the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That such accounting policies as mentioned in the Notes on Accounts had been applied consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 and the profit or loss of the Company for that period.
- That proper and sufficient care had been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That the annual accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 had been prepared on a going concern basis.
- Directors have laid down internal financial controls to be followed by the company and such internal financial controls are adequate and are operating effectively and
- That the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

#### 24. INDEPENDENT DIRECTORS DECLARATION –

The Company has received necessary declaration from each of the Independent Directors that he meets the criteria of independence laid down under section 149 (6) of the Companies Act, 2013 and listing regulations.

#### 25. DISCLOSURE ON REAPPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS

No reappointment of Independent Directors was made during the year under review. (FY 2022-2023).

#### 26. COMPANY'S POLICY ON DIRECTOR'S APPOINTMENT AND REMUNERATION INCLUDING CRITERIA FOR DETERMINING QUALIFICATIONS, POSITIVE ATTRIBUTES, INDEPENDENCE OF DIRECTORS ETC.

As per notification dated 5<sup>th</sup> June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provision of section 134(3) (e) of the Companies Act, 2013 regarding disclosure of its policy on Director's appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a Director and other matter provided under sub-section (3) of section 178 of the Companies Act, 2013 are not applicable to a Government company.

Company being a CPSE, appointments of all the Directors on the Board of the Company are made by the Govt. of India/President of India and under the supervision, control and directions of the Department of Chemicals & Petrochemicals and the prescribed DPE Guidelines are being followed. The Terms and Conditions of appointment of Independent Directors and other directors, are as per the Government Orders are disclosed on the Company's website.

#### 27. RATIO OF DIRECTORS REMUNERATION TO MEDIAN EMPLOYEES REMUNERATION AND OTHER PRESCRIBED ELABORATE DISCLOSURES AND DETAILS:

The provisions of Section 134 (3)(e) of the Act are not applicable to a Government Company. Consequently, details on Company's policy on Directors' appointment and other matters are not provided under Section 178 (3) of the Act. Similarly, Section 197 of the Act shall not apply to a Government Company. Consequently, disclosure of the ratio of the remuneration of each Director to the median employee's remuneration and other such details including the statement showing the names and other particulars of every employee of the Company, who if employed throughout / part of the financial year, was in receipt of remuneration in excess of the limits set out in the Rules are not provided in terms of Section 197 (12) of the Act read with Rule 5 (1) / (2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014. The Chairman & Managing Director and the Whole-time Directors of the Company did not receive any remuneration or commission from any of its Subsidiaries. HOCL, being a Government Company, its Directors are appointed / nominated by the Government of India as per the Government / DPE Guidelines which also include fixation of pay criteria for determining qualifications and other matters.

#### 28. AUDITORS

##### a) Statutory Auditors

M/s. Balan & Co, Chartered Accountants, was appointed as Statutory Auditors of your Company for Corporate Office and Kochi Unit for FY 2022-2023 by C&AG.

The auditors have furnished a declaration confirming their independence as well as their arm's length relationship with the Company as well as declaring that they have not taken up any prohibited non-audit assignments for the Company. The Audit Committee reviews the independence and objectivity of the Auditors and the effectiveness of the audit process. The auditors attend the Annual General Meeting of the Company.

The Auditors in their report for the year have not reported any instances of fraud committed by the officers/employees of the company.

##### b) Cost Auditors

The Board of Directors had appointed R.M Bansal & Co., Cost Accountants, Kanpur having branch office at Tc 49/620(2) safnamMrwa 61-A, Malliyidom, Thiruvananthapuram - 695009 as Cost Auditors of your Company for FY 2022-2023. In the 61<sup>st</sup> AGM held on 29<sup>th</sup> September, 2023 the members have ratified the remuneration payable to the Cost Auditors.

##### c) Internal Auditors

M/s. Isaac & Suresh, Chartered Accountants were re-appointed as Internal Auditor of your Company for Corporate office and Kochi unit for FY 2022-2023.

##### d) CAG Auditors

Supplementary Audit is conducted by Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai. CAG vide letter dated 8<sup>th</sup> August, 2023 issued Non-Review Report for Standalone and Consolidated financial statements for the year ended 30<sup>th</sup> March, 2023.

##### e) Secretarial Auditors

The Board of Directors had appointed D. S. Momaya & Co., Practising Company Secretaries to conduct Secretarial Audit for the FY 2022-2023. The Secretarial Audit Report for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 is annexed to this Report as and complied with Section 204 of Companies Act and Regulation 24A of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has also obtained Annual Secretarial Compliance Report from the PCS D. S. Momaya & Co. for the year 2022-23 under Regulation 24A of Listing Regulation. The observations in the Secretarial Audit report and the management response thereof are given below;

Sl No.	Observation	Management Response
1.	The Board of Directors of the Company was not duly constituted for the FY 2022-23, due to vacancy of One (1) Independent Women Director on Company's Board.	HOCL is a CPSE (Central PSU/PSE) under the administrative control of the Ministry of Chemicals & Fertilizers (MoC&F), Dept. of Chemicals and Petrochemicals (DCPC), Government of India. Hence, the MoC&F is the administrative ministry and as per Company's Articles of Association (AOA), the powers to appoint the Board of Directors of HOCL company vest with the GOI/ Administrative Ministry. Presently, there is vacancy of one (1) Independent Women Director in HOCL. In order to fill the vacancy, Company vide letter dated 16 <sup>th</sup> June, 2022 and 13 <sup>th</sup> September, 2022 and e-mail dated 10 <sup>th</sup> January, 2023 and again on 15 <sup>th</sup> June, 2023 requested the Administrative Ministry to appoint one (1) Women Independent Director on HOCL Board. Company is awaiting necessary orders from the ministry in this regard.



Sl No.	Observation	Management Response
2.	The Company, during the period under review, has maintained Structured Digital Database (herein after referred to as "SDD" or the "Database") but as required under Regulation 3(5) & 3(6) of PIT Regulations, 2015 with respect to the time stamping, audit trails and non-tampering of the data could not be established.	In HOCL, financial results are identified as UPSI. Accordingly, the department concerned is informed about the compliance requirement as per SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.  In compliance of Reg 3(5), Company is maintaining SDD and have recorded necessary details stipulated in the Reg 3(5) and the digital signature of Company secretary is affixed to record time stamp and to avoid any non – tampering of data.  Once the UPSI is shared, recorded in the database and finalized, digital signature is affixed by the Company Secretary which contains the system generated date and time. After completion of entry is made in the SDD and DSC is affixed, data cannot be tampered. Digital signature serves the purpose of both Time Stamping and Audit Trail to prevent any unauthorized modifications. Accordingly, a mechanism is in place to ensure records in the database is not editable after affixing the DSC in database. The access to such database is strictly with the Company Secretary and very limited access to such database is permitted.  Further, SEBI PIT Regulations is silent about the procedure on how such database has to be maintained and it is the discretion of the Company for handling and maintenance of such database. Accordingly, no software is maintained by the company for recording SDD.

HOCL is an IMS (Integrated Management System) certified organisation comprising of Quality Management System (ISO-9001), Environment Management System (ISO-14001) and Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001). Company is also certified for Energy Management System (ISO-50001).

The Company has implemented several new measures to improve the safety culture in addition to the normal systems and procedures.

- HSE suggestion scheme**  
A new initiative which aims to encourage the employees to put forward their creative and potential ideas that could lead to considerable improvements in Safety, Reduction in wastages, Health of employees, protecting the flora and fauna or the natural resources through operational controls and Best practices. Also, to acquire inputs on HSE where others wise we wouldn't receive.
- Pre-Start-up Safety Review (PSSR)**  
PSSRs are built to avoid workplace incidents and resultant equipment damage or employee harm. It is a safety checklist covering check points related to electrical, mechanical, instrumentation, fire & safety, production and utility departments. PSSR is carried out for the following types of start-ups
  - New equipment
  - Modified existing equipment
  - Process changes
  - Major turnaround (28 days and above)
- Portable Appliance Testing (PAT)**  
PAT is the process of checking electrical appliances for safety through a series of visual inspections and electronic tests. This is the best way of ensuring that appliances are safe to operate.

Our Quality Control Department introduced PAT system on electrical equipment before taking it in a stream of analysis. Electrical Department or Shift In charge (QC) will carry out Portable Appliance Test and marked "TESTED OK" with date on the equipment

- Behavioural Based Safety (BBS)**  
Psychology is the study of human behaviour, and individual behaviour is a recognised impediment to upholding high standards of health and safety. Many people know what they are doing is incorrect, but they still choose to do it anyway. Other people make mistakes unintentionally, and those people can be instructed in behavioural safety. In order to prevent and control human behaviour and prevent accidents, behaviour-based safety program has gained importance.

The company has its own online work permit system integrating 6 separate work permits viz. Hot work, Cold work, Confined space entry, Work at height, Excavation and Radiography. HOCL has developed benchmark in Accident /Incident investigation through a 29-point accident investigation checklist. The company has implemented Near Miss reporting system whereby employees can report any unsafe acts/conditions and corrective actions shall be taken after a review to prevent accidents.

Refresher training sessions on Fire and safety were imparted to the employees. Additional safety training for truck drivers were given for creating a safety culture in driving.  
Awareness programs related to Fire & Safety were conducted for nearby public in association with the Department of Factories and Boilers, Govt of Kerala. Fire Safety awareness and practical training imparted to nearby school students to inculcate a safety culture in the young minds. Also, provided Fire Extinguishers for the School building.

Various competitions were organized for creating more awareness on safety among employees, observed National Safety day, National fire service week, Road safety week etc.

Awareness sessions on Healthy food habits were conducted and the campus has been declared as "Eat Right Campus" by FSSAI. A Bio gas plant is commissioned in the canteen for treating food waste as part of Cleanliness Mission and Swachhta action by Govt. of India. Many initiatives have been taken in reducing food waste, Cooking Oil, safe disposal of used cooking oil through authorised agencies.

HOCL bagged "First Prize in Kerala State Industrial Safety Award 2022" from the Department of Factories and Boilers, Government of Kerala and received "Suraksha Puraskar Award 2022" for the 4<sup>th</sup> consecutive year from M/s. National Safety Council, Kochi Chapter. Our employees have participated in the State level competitions conducted by M/s. National Safety Council, Kerala Chapter held in connection with National Safety day and won prizes. The company has achieved 797392 safe man hours for the year 2022 with no lost time accidents in the organization.

**32. RESERVATION AND OTHER WELFARE MEASURES FOR SCHEDULED CASTES/ SCHEDULED TRIBES/ OTHER BACKWARD CLASSES AND PERSONS WITH DISABILITIES.**

All guidelines laid down in respect of Reservation and other welfare measures for Scheduled castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes are complied with. The provisions for special arrangement for Persons with Disabilities at work place have been complied with.

**29. Details of vigilance cases for the Financial Year 2022-23**

Opening balance as on 01.04.2022	Vigilance cases received during 01.04.2022 to 31.03.2023	Disposed off	Balance
NIL	0	0	NIL

**30. Status of pending CAG Paras and Management Replies**

Name of the Audit Para	Brief of the para	Reporting status
Para No.2.1 of C&AG Report No.13 of 2014	Irregularities in the transfer of autonomous management of HOCL school to Mahatma Education Society and unauthorized favors to Mahatma Education Society for expanding its activities and also failed to recover lease rent of Rs.6.54 crore.	HOCL has entered into an agreement on 16.10.2006 to lease the infrastructure facilities to Mahatma Education Society(MES) for managing the school for a period of 30 years. The management of MES in order to start professional courses has constructed new buildings and facilities in the premises in contravention of the terms of agreement. The Company has sent a notice for termination as per the terms of the agreement with MES. MES has filed a petition challenging the termination notice in the Dist. Magistrates Court Alibag. MES has filed petition in the Bombay High Court for appointment of Arbitrator in the dispute between HOCL and MES. The District Court has granted stay pending the final disposal of the Arbitration petition of MES. Company has filed a petition to vacate the stay granted by the District Court in the Bombay High Court. At present, the petitions are pending before the Hon'ble Bombay High court to be heard.

**31. SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT**

In the areas of Health, Hygiene and Environment, the company has undertaken periodic medical examination, as well as statutory requirements of fitness check-up were carried out during the year 2022 for our employees. Audiometry tests were carried out for those who are exposed with Noise and Autotoxicity tests were carried out for the Benzene handlers apart from other statutory regular check-ups.

Periodic awareness session on Hygiene, Healthy living, Covid precautions and guidelines were imparted.

In our commitment to Environment, we have ensured that the level of pollutants from the Factory and nearby surroundings was much below the permissible levels.

As part of protecting the environment, awareness sessions, competitions, Swachh Bharat activities, promoting employees for vegetable cultivation under a "Green Mission", Beautification of the plant premises involving the entire employees of the organization were carried out. On-line Effluent Monitoring and stack monitoring system is implemented to comply with the Central Pollution Control Board regulations. Periodic inspections and safety walk were carried out by the Safety Committee members in addition to the daily patrolling of Fire crew as a continual improvement

**Representation of SC, ST and Women in employment position as on 31.03.2023**

Category	Total	SC	ST	WOMEN
A	76	8	5	6
B	22	5	3	-
C	75	13	2	8
D	10	1	-	-
<b>Total</b>	<b>183</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

**33. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY.**

During the year under report, the company continued its efforts to promote Hindi as Official Language in its day to day official activities. 09 Hindi workshops were conducted during the year including a special session on Annual Programme 2022-23 on Official language for HOD's and Senior Officers of Corporate office and Kochi. Hindi week and Hindi Fortnight were organized at Corporate office and Kochi units on 14<sup>th</sup> – 21<sup>st</sup> September and 14<sup>th</sup>, 29<sup>th</sup> September respectively. Our officers attended second All India Rajbhasha Seminar organized by Dept of OL, Ministry of Home Affairs at Surat, Gujrat on 14 & 15 September 2022. During Hindi Week/Fortnight celebrations, various competitions were also organized and large number of employees participated. Our company received Third prize for best implementation of OL Policy from Hon' Minister of Chemicals and Fertilizers. HOCL, Kochi Unit also bagged First prize for the best implementation of OL policy by Town official language Implementation Committee (TOLIC). Our Corporate and Kochi Unit were inspected by the First sub-committee of the Parliamentary Committee on Official Language at Mumbai and Kochi on 11.07.2022 & 15.10.2022 respectively. Our both offices were actively participated in various programmes conducted by TOLIC (PSU). One Day OL seminar for exclusively Hindi Staff of TOLIC's (Central Govt and PSU) of Kochi was conducted on 15 November 2022 in our office premises. Our officers were attended various OL seminars organized by FACT, HPCL, Cochin Shipyard, Kochi TOLIC (PSU) and Kochi TOLIC (Bank) attended Regional Joint Conference on Official Language conducted by Dept of OL at Thiruvananthapuram. Hindi Quiz competition organized in our office during Joint Hindi celebration of Kochi TOLIC(PSU). To make awareness among students the importance of Hindi, celebrated World Hindi Day on 10<sup>th</sup> January 2023 at Govt Girls HSS, Tripunitura, Ernakulam. An e-magazine "Pahachan" was published by the company during the period. All documents under section 3(3) of OL Act 1963 were issued both in Hindi and English. The Website of the company is available both in Hindi and English. Various promotional scheme including incentives for better implementation of Official Language has been adopted by our organization.

**34. CITIZEN'S CHARTER, PUBLIC GRIEVANCE REDRESSAL (PG), CUSTOMER CARE SYSTEM (CCS) & RIGHT TO INFORMATION (RTI)**

In line with the provisions of RTI Act 2005 to promote transparency and accountability, our organisation has taken efforts to handle the Right to Information sought for. Company has laid down procedure to provide information through Public Information Officer/CPIO and Appellate Authority.

RTI applications-Summary

The number of RTI applications received and disposed off during the year 2022-23 is given below:

Total number of RTI applications received during the year 2022-23	48
Applications rejected during the year 2022-23, if any	0
Information submitted during the year 2022-23	45
Pending to reply as on 31.03.2023	3*

\* Reply to RTI application has been submitted subsequently.

**35. MICRO & SMALL ENTERPRISES**

All efforts have been taken to comply with the Government Directive to procure items specified for procurement from MSMEs. Necessary procedures have been made in all tenders re-stating the eligibility of MSMEs so as to participate in tenders. We have removed the restricted clauses in the tender conditions and modified the same which will help in greater participation of MSMEs and especially SC/ST MSMEs in the procurement processes. Company has modified the purchase policy also to comply with the directions.

HOCL always takes efforts to fulfill the requirements. Our 95% of the purchases by value are petroleum products (LPG, Benzene, Furnace Oil, Hydrogen which are our raw materials.) supplied by M/S. BPCL through pipeline transfer. These items are not manufactured by MSME's and not available in GeM portal.

**36. SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC RESPONSIBILITIES AND BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT**

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 with regard to disclosure of Business Responsibility Report is not applicable to your company. However, Hindustan Organic Chemicals Limited has adopted and realizes the benefits of Management Principles into daily activities to achieve the goals of the organization. These Management Principles will provide a foundation to continually improve upon the Organization's performance.

The organization believes the following principles to align with the business processes.

1. Customer focus
2. Leadership
3. Utilization of resources with improved information flow within the organization
4. Process approach; & its Continual improvement,
5. Risk & opportunity and real time decisions
6. Developing internal resources & maintaining better human relations at work.

We have adopted the "Process Approach" into daily operations including the PDCA Cycle. We have considered the utilization of Risk-Based Thinking when developing, implementing, and improving the effectiveness in most of our Management System. This approach enables Hindustan Organic Chemicals Limited to enhance the overall performance of the Organization by effectively controlling the interrelationships and the interdependencies among the processes.

The understanding and consistency with achieving customer specific requirements;

- The consideration of our processes in terms of added value;
- The achievement of effective process performance;
- Improvement of our processes based on real time data and information.

We also effectively plan and implement various actions to address risks and opportunities to maximize the outcomes including, but not limited to achieving improved results and preventing negative effects of our products, Operations, services.

Our businesses provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle and to promote the wellbeing of all employees, respect the interests of the stake holders, responsive towards all stake holders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized. Our businesses respect, protect, and make efforts to restore the environment in a safe and better manner by complying with the relevant Statutory regulations. Our businesses also support and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

**37. DETAILS OF CSR POLICY AND ITS IMPLEMENTATION DURING THE YEAR**

Company since its inception is very much aware about its social responsibility. For over five decades, as a socially responsible and sensitive corporate, your Company continues to remain committed to social thought and action to serve society through providing basic civic amenities to the neighbouring villages, rendering assistance in different forms.

As the average of three immediately preceding financial year is net loss, your Company is not required to carry out any CSR activities during the year under review. However, Company has recognized its social obligations and extended the following during the year 2022-23.

- Continued drinking water supply to nearby local residents.





- Commissioned a Biogas plant in our canteen to treat bio-waste generated in our premises.



- Extended vocational training facilities to the students of Engineering/Science/Management colleges for imparting practical knowledge.
- Advanced training imparted to students who have completed their graduation in various disciplines to equip them to take up jobs in industries.
- Factory visits are permitted for the students undergoing courses relevant to Chemical/petrochemical industry to provide them a First-hand knowledge of the industry
- Engaged professional students of CS/CMA who have completed intermediate level as trainees for imparting practical knowledge.
- Installed 3 Nos. of Napkin Incinerators at Factory and Township

**Other activities.**

**SWACHH BHARAT ABHIYAN**

Conducted various activities in connection with the SwachhtaPakhwada 2022. Cleanliness drives were conducted outside the Company also. A Cleanliness drive was conducted by HOCL employees at a nearby Government School (Govt. UP School, Puttumanoor). "A Safety awareness class for the students and parents" were also conducted and donated DCP Fire Extinguishers to the School.



Circulars issued to avoid single use plastic items and declared as "Plastic free zone".

Swachhta activities were conducted by different departments from 01.09.2022 onwards. Segregation and weeding out of old records, enlisting and keeping the same is still going on.



Awareness session conducted by the Company Medical Officer on Better Hygiene to the House keeping staff, Security personnel etc.

Various Competitions (in English/ Hindi/ Malayalam) were organized for the employees, apprentices/trainees & High School and College going students.

Swachhta cleaning activities done at Township with participation of wards, residents, employees and contract workers.



The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has selected HOCL as EatRight Campus as part of the Eat Right initiative by the Government of India.



**AZADI KA AMRIT MAHOTSAV**

As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav conducted various cleaning activities in our premises, Stickers prepared on Azadi Ka Amrit Mahotsav and pasted in all official correspondences. Celebrations are organized/planned with various activities till August 2023.

Visited the residence and Honoured one the legendary freedom fighters – Padmashree V P AppukkuttaPothuval, Indian Independence Activist and Gandhian Social Activist from Kerala.



Under the aegis of "Har Ghar Tiranga" distributed Indian National Flag to all employees, local residents, nearby Residents Association etc.

Independence Day arranged a plant visit and an interactive session with the CMD for the HOC family members.



**INTERNATIONAL YOGA DAY**

Yoga Day was celebrated on 21<sup>st</sup> June 2022, Common Yoga protocols were widely circulated for the information of all employees through our portal and social media. Employees have participated in the live session of Yoga from 7.00 AM to 7.50 AM along with Live streaming of the Yoga by the Hon'ble Prime Minister.

**38. INDUSTRIAL RELATIONS:**

The overall Industrial Relation situation continues to be peaceful and cordial during the year 2022-23. There was no strike or lockout during the year.

**39. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013**

There are no loans, guarantees, or investments made by the company under Section 186 of the Companies Act 2013 during the year under review and hence said provisions are not applicable.

Consequent to the decision of the Govt. of India for closure of Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd., an amount of Rs.75.87 crore has been released as loan from Govt. of India to meet the expenses related to VRS/VSS to employees and settling dues to Bank and other liabilities.

**40. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND PRACTISING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS**

There are no qualifications, reservations or adverse remarks made by the Statutory Auditors in their audit report for the Financial Year 2022-23.

The Secretarial Auditors of the company have submitted their Secretarial Audit Report for the year 2022-23. Reply to observations of Secretarial auditors is given in the director's report.

**41. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT**

Nil

**42. THE DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS:**

Company ensures existence of adequate internal controls through documented policy and procedures laid down in the manuals to be followed by the executives at various levels. Internal controls are supported by periodical internal audits and management reviews. The management is keen on these issues and initiated various measures such as upgrading the IT infrastructure, evaluating and implementing ERP software, web-based application and establishing connectivity amongst manufacturing units, Corporate office and branch offices for effective and proactive services and businesses.

Board periodically reviews the internal controls, audit programme, financial results and recommendations, the replies of the management to Government Audit and internal audit etc.

The Company has maintained adequate financial control system, commensurate with the size, scale and complexity of its operations and ensures compliance with various policies, practices and statutes in keeping with the organization's pace of growth and increasing complexity of operations.

**43. CONSERVATION ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO**

**A. The steps taken and impact on conservation of energy:**

Major Energy Conservation Activities / Projects Implemented in 2022-23

- Replacement of conventional lights with LED lights: Electrical energy saving Rs.6.78 lakhs/year
- Replacement of Old AC with New 5star rating ACs: Electrical energy saving Rs.0.11 lakhs/year
- Replacement of conventional fan with Energy Efficient BLDC fans: Electrical energy saving Rs.0.33 lakhs/year
- Replacement of conventional motor with energy efficient IE3 motor: Electrical energy savings Rs.0.43 lakhs/year



- Contract demand reduction of Township: annual saving of Rs.1.31Lakhs/year  
Company is availing open access power trading, resulting in a saving of Rs.59 lakhs on power cost for the year 2022-23.

**B. Technology Absorption**

The specific consumption of raw material has been reduced resulting in a saving of Rs 1330 Lakhs on Raw Material cost through an in-house technology for the year 2022 - 2023

- the efforts made towards technology absorption: Nil
- the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution: Nil
- in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year): Nil
  - the details of technology imported;
  - the year of import;
  - whether the technology been fully absorbed;
  - if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and
- the expenditure incurred on Research and Development: Nil

**C. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO: NIL****44. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY**

Key Threats include:

- Competition from domestic / imports and fluctuation in the input prices
- High input costs
- High utility costs
- High overheads
- Continued availability of anti-dumping support for the main products Phenol and Acetone.
- Working Capital availability for continuous operations
- High interest cost and employee remuneration.

Some risks and concerns:

- High manpower cost per ton of finished product.
- Depreciated plants, requiring high maintenance cost.
- Dumping in main products Phenol / Acetone.
- Volatility in main input Benzene.
- COVID-19 impact on downstream industries.

**45. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE.**

Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide No. P. 51015/06/2019-Ch. III dated 29-01-2020 informed the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs, directing closure of Hindustan Fluorocarbons Limited, Subsidiary of HOCL, which was approved by the shareholders on 30-03-2020.

Consequent to the decision of the Govt. of India for closure of Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd., an amount of Rs.75.87 crore has been released as loan from Govt. of India to meet the expenses related to VRS/VSS to employees and settling dues to Bank and other liabilities.

**46. DEPOSITS: NIL**

During the period under review, the Company has not invited or accepted any deposits from the directors, shareholders and public

**47. THE DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE:**

Nil

**48. DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013**

As per the requirement of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 ('Act') and rules made there under, the Company has adopted a Sexual Harassment Policy for women to ensure healthy working environment without fear of prejudice, gender bias and sexual harassment. The policy has been widely disseminated. A Complaint Committee is in existence as per the Act. The Board states that there were no cases or complaints filed pursuant to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

**Annual Report for the year 2022 The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013:-**

No. of complaints received: Nil

No. of complaints disposed of: Nil

No. of cases pending for more than 90 days: Nil

**49. VIGILANCE MECHANISM: (Under Sec.177(9) of Companies Act,2013)**

Hindustan Organic Chemicals Limited, being a Government Company, a Vigilance Department is already existing in pursuance of CVC Guidelines headed by Chief Vigilance Officer (CVO).HOCLThe Vigilance Mechanism is being handled by the Vigilance Department and the Company has already adopted a Vigilance Manual in pursuance of CVC Guidelines. Vigilance Manual(latest) is available on Company's Website.

**50. INTEGRITY PACT**

Adoption of Integrity Pact already implemented in HOCL through two (2) no(s) of Independent External Monitor(s)to maintain, foster most ethical and corruption free business environment.

The Integrity Pact Policy adopted by the Company is applicable in respect of all tenders with estimated value above Rupees Fifty Lakh (excluding export). Your Company has also conducted structured meetings of the Independent External Monitor with Chairman & Managing Director and other Executives. Integrity Pact Policy has been uploaded on the web site of the Company.

**51. WHISTLE BLOWER POLICY**

As per the Regulation 22 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as per section 177(9) of the Companies Act, 2013, every listed companies shall formulate a vigil mechanism/ Whistle Blower Policy for directors and employees to report genuine concerns. Your Company has adopted a Whistle Blower Policy to provide appropriate avenues to all permanent employees to make protected disclosure as per the whistle blower policy. The Policy provides for adequate Safeguards against victimization of employees who avail the mechanism and also provides for direct access to the Chairman of the Audit Committee. It is affirmed that no personnel of the Company have been denied access to the Chairman of the Audit Committee and that no complaints were received during the year in this regard. The Whistle Blower Policy is placed in the website of the company.

**52. GENERAL**

No disclosure or reporting is required in respect of the following matters as there were no transactions on these items during the year under review:

- Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
- Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme.
- The Company does not have any scheme of provision of money for the purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefit of employees.
- Neither the Managing Director nor the Whole-time Directors of the Company receive any remuneration or commission from any of its subsidiaries.
- No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future save and except mentioned above during previous year.
- No fraud has been reported by the Auditors to the Audit Committee or the Board.
- There is no Corporate Insolvency Resolution Process initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

**53. ACKNOWLEDGEMENT**

Board places on record its gratitude to the members of the Company for their continued support and confidence in the management

The Directors thank the Company's employees, customers, vendors, investors and other stake holders for their continuous support. The Directors also thank the Department of Chemicals and Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, Governments of Maharashtra and Government of Kerala, and other Government departments and agencies, Banks, financial institutions for their co-operation. The Directors regret the loss of life due to COVID-19 pandemic and are deeply grateful and have immense respect for every person who risked their life and safety to fight this pandemic. The Directors appreciate and value the contribution made by each member of the Hindustan Organic Chemicals Limited family.

For and on behalf of the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited

Sd/-

Sajeev B.

Chairman and Managing Director

Date: 08.08.2023

Place: Kochi, Kerala





**Annexure I**

**CORPORATE GOVERNANCE REPORT AS PER SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS 2015 FOR THE FY 2022-23.**

**"Vision:** To Produce and market basic chemicals efficiently and economically in an environment friendly manner."

**"Mission:** To maintain optimum level of efficiency and productivity in the use of resources and secure optimum return on investment."

**1. A brief statement on listed entity's philosophy on code of governance:**

As per the Code of Governance propounded by the Government, Corporate Governance involves a set of relationships between a Company's Management, its Board, its shareholders, and other stakeholders. Corporate Governance provides a principled process and structure through which the objectives of the Company, the means of attaining the objectives and systems of monitoring performance are set. Corporate Governance is a set of accepted principles by management of the inalienable rights of the shareholders as a true owner of the corporation and of their own rule as trustees on behalf of the shareholders. It is about commitment to values, ethical business conduct, and transparency and makes a distinction between personal and corporate funds in the management of a Company.

Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) trusts on the conduct of its business activities and enhance the value of all those who are associated with the Company viz. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Public Enterprises, Various State Governments, other Governmental agencies / departments and the society at large. Essentially, it involves practicing good Corporate Governance and HOCL believes in transparency, accountability, and attaining maximum level of enrichment of the enterprise. HOCL also prize the global recognition by ensuring the integrity, value addition to its domestic as also the international customers in its product commitments.

**2. Board of directors:**

**a. Composition and category of directors:**

E.g. promoter, executive, non-executive, independent non-executive, nominee director - institution represented and whether as lender or as equity investor);-

In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company (as amended from time to time), the number of Directors of the Company shall be neither less than three nor more than fifteen. The Directors shall not require to hold any qualification shares.

As on 31-03-2023 the Board of HOCL consisted of Six (6) Directors with two (2) Executive Director (i.e. Chairman & Managing Director & Director (Finance), two (2) Government Nominee Directors & two (2) Non-Official Independent Directors. All the Directors are acknowledged as leading professionals in their respective fields.

HOCL is a Govt. of India Undertaking (a Central Public Sector Undertaking i.e CPSU) under the administrative control of Department of Chemicals & Petrochemicals (DCPC), Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India.

Accordingly, as per Company's Articles of Association, the power to appoint all the Directors on the Board of the Company vests with the Govt. of India. As on 31-03-2023, there are two (2) Independent Directors on the HOCL Board viz. Dr. Bharat J Kanabar & Shri Pratyush Mandal and Govt. Order is awaited for appointment of 1 Women Independent Director on HOCL Board.

**Composition of the Board:-**

As on 31-03-2023 the Board of Directors of the company consists of Six (6) Directors viz. Shri Sajeev B, Chairman & Managing Director, Shri Yogendra Prasad Shukla, Director (Finance), Shri Sanjay Rastogi, AS&FA, Govt. Nominee Director, Shri Kanishk Kant Srivastava, Govt. Nominee Director, Dr. Bharat J Kanabar, Non-official Independent Director & Shri Pratyush Mandal, Non-official Independent Director.

Presently, there are two (2) Independent Directors on the Board of the Company as against the minimum requirement of three (3) nos. of Independent Directors on the Company's Board. Accordingly, there is a vacancy of One Women Independent Director on the Board of HOCL

The matter regarding vacancy of One Women Independent Director on the HOCL Board was discussed in the Board Meeting and Company had requested the DCPC/ Administrative to appoint of One woman Independent Director on HOCL Board. The appointment of one (1) Women Independent Director on our Company's Board is awaited.

**Changes in the Board of Directors/KMP during the year 2022-23 :**

In compliance with Regulation 36(3) of the LODRRs, following information is furnished:

- i. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals Order No.P-51011/2020-CHEM.III-CPC dated 22-06-2022., Shri Yogendra Prasad Shukla was appointed as Director (Finance) of HOCL for a period of five years w.e.f date of his assumption of charge of the post or till date of his superannuation or until further orders whichever is the earliest.

- ii. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals OM.No.P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 14-10-2022, Shri Sanjay Pandey, Joint Secretary and Financial Advisor, Ministry of Social Justice and Empowerment, Additional Charge JS&FA, Ministry of Chemicals & Fertilizers was appointed as Government Nominee Director of HOCL in place of Shri Satendra Singh.
- iii. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals OM No..P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 13-12-2022., Shri Sanjay Rastogi was nominated as Government Nominee of HOCL in place of Shri Sanjay Pandey.

- b. Attendance of each director at the meeting of the board of directors and the last Annual General Meeting;

Directors	No. of Board meetings attended	Attendance at the last AGM
Mr. Sajeev B.	4	YES
Mr. Satendra Singh (Till 14-10-2022)	1	NO
Mr. Kanishk Kant Srivastava	4	YES
Dr. Bharat J. Kanabar	4	NO
Mr. Pratyush Mandal	4	YES
Mr. Yogendra Prasad Shukla (w.e.f 04-07-2022)	3	YES
Mr. Sanjay Rastogi (w.e.f 13-12-2022)	1	NA

- c. Number of other Board of Directors or Committees in which a Director is a Member or Chairperson as on 31-03-2023:

Title (Mr./ Mrs)	Name of the Director Category (Chairperson/ Executive/Non Executive/ independent/ Nominee)	No of Directorship in listed entities including this listed entity	Number of memberships in Audit/Stakeholder Committee(s) including this listed entity (Refer Regulation 26(1)(B) of SEBI LODRR
Mr.	Sajeev B. Chairman & Managing Director	2	1
Mr.	Yogendra Prasad Shukla Director (Finance)	2	0
Mr.	Sanjay Rastogi Govt. Nominee Director	2	0
Mr.	Kanishk Kant Srivastava Govt. Nominee Director	1	0
Dr.	Bharat J. Kanabar Non-official Independent Director	2	4
Mr.	Pratyush Mandal Non-official Independent Director	1	2

Name of the Director (As on 31-03-2023)	Names of the Listed Entities where the person is a Director and the category of Directorship other than this listed entity
Mr. Sajeev B.	Hindustan Fluorocarbons Limited- Managing Director (Additional Charge)
Mr. Yogendra Prasad Shukla	Hindustan Fluorocarbons Limited- Nominee Director
Mr. Sanjay Rastogi	Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited
Mr. Kanishk Kant Srivastava	None
Dr. Bharat J. Kanabar	Hindustan Fluorocarbons Limited- Independent Director
Mr. Pratyush Mandal	None

- d. Number of meetings of the board of directors held during the Year 2022-23 and the dates on which Board Meetings were held: -

The Board of the Company met 4 times during the financial year 2022-23 on the following dates:

26<sup>th</sup> May, 2022, 04<sup>th</sup> August, 2022, 09<sup>th</sup> November, 2022 and 31<sup>st</sup> January, 2023.

- e. Disclosure of relationships between directors inter-se: Not Applicable
- f. Number of shares and convertible instruments held by non-executive directors; - Nil
- g. Web link where details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed. -<https://www.hoclindia.com/corporate-governance>

h. Chart or matrix setting out skills/expertise/competence of the Board of Directors:

- i. The list of core skills/expertise/competencies identified by the board of directors as required in the context of its business(es) and sector(s) for it to function effectively and those actually available with the board;- details are given below
- ii. The names of directors who have such skills / expertise / competence:-

Director Name & Designation	Educational Qualification & Experience
Shri Sajeev B – Chairman & Managing Director	B.E Chemical. Shri Sajeev B., have a vast experience in managing purchasing & stores. He was also in charge of Purchase of all major Raw Materials and fuels besides procurement of Equipment and spares related to Mechanical, Electrical, Fire & Safety and Instrumentation Engineering Sections. Worked as General Manager & above positions in the following functional areas. Marketing, Finished Products, Corporate Long Range Planning, Technical Services, Production & Materials
Shri Sanjay Rastogi – Government Nominee Director	Shri Sanjay Rastogi is an IAS 1991 batch of Odisha cadre. He is B.Tech electrical Engineering and M.Tech in Electronics Communication, IIT - Delhi. He is currently working as Additional Secretary Financial Adviser in Ministry of Chemicals Fertilizers, Govt. of India.
Shri Kanish Kant Srivastava – Government Nominee Director	Shri Kanishk Kant Srivastava was born on 14.11.1980. He is holding Master Degree in Statistics. He is a native of New Delhi. He is Possessing experience in Government Services. Presently he is Director (Chemicals), in Dept. of Chemicals & Petrochemicals.
Shri Yogendra Prasad Shukla – Director (Finance)	Shri Yogendra Prasad Shukla is a science graduate and professionally a Cost Accountant. Previously, he was heading the Finance Department of the 1,760 MW Tanda Thermal Power Project of NTPC Limited Located in Faizabad, Uttar Pradesh. He has undergone several pieces of training with reputed institutions. He carries with him a rich professional experience of over 22 years having served organisations like BEML and NTPC having exposure to the entire gamut of Finance and Accounts functions.
Dr Bharat J Kanabar – Independent Director	Dr Bharat J Kanabar is a native of Gujarat. He was born in 06.07.1955. Dr Bharat J Kanabar is Consulting surgeon, practicing since 37 years in Amreli, Gujarat. He is the Chairman of Amreli Red-cross blood bank since 2006. He is active in many NGOS. He has worked extensively during both waves of covid to help the needy families.
Shri Pratyush Mandal – Independent Director	Shri Pratyush Mandal is a native of Howrah, West Bengal. He was born in 05.07.1979. Shri Pratyush Mandal has completed B.SC degree from University of Calcutta. After completing education he has started career with a job in stock market sector. After five years of working in stock market, he has moved to social works. He has established NGO named Fuleswar Annapurna Gramin Vikas Kendra (Govt. registered) and doing various social works through this and other organizations. Shri Pratyush Mandal is more than ten years intensively dedicated towards social service for betterment and development of weaker, youth, women and backward section of the society.

i. **Board of Directors confirm that the Independent Director fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.**

j. **Detailed reasons for the resignation of an Independent Director who resigns before the expiry of his/her tenure along with confirmation by such director that there are no other material reasons other than those provided.**

Not Applicable

**3. Audit committee:**

(a) Composition, Name of Members and Chairperson;

The Audit Committee comprises three (3) Members viz. Dr. Bharat J. Kanabar as Chairperson, Shri Pratyush Mandal and Shri Kanish Kant Srivastava as Members of the Audit Committee.

(b) Brief description of terms of reference:-

The main purpose of the Audit Committee is to provide oversight of the Financial Reporting Process, the Audit Process, to review the Internal Control System and such other functions

as specified under Section 177 of the Companies Act, 2013 and Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

Apart from all the matters provided in Regulations on Corporate Governance of the Listing Regulations and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Board /Committee (when met) reviewed reports of the Internal Auditors, met Statutory Auditors periodically and discussed their findings, suggestions, internal control systems, compliance with the Accounting Standards, scope of audit, Modified Opinion, Impact of audit qualifications in audit reports, Management Replies to auditors qualifications, observations of the Auditors etc. and other related matters.

The Board /Committee (when met) also reviewed the major accounting policies followed by the Company. The Board/Committee during the meetings also invited CMD, other Directors, CFO & other senior executives of the Company as it considers appropriate at its meetings. CMD, Head of Internal Audit attend the meetings of the Board/Audit Committee as special invitees. The representatives of the Statutory Auditors/branch auditors are also invited to attend the meetings. The Company Secretary is Secretary to the Committee.

(c) Meetings and attendance :- During the year 2022-23 the Audit Committee of the Company met 4 times on the following dates:

26<sup>th</sup> May, 2022, 04<sup>th</sup> August, 2022, 9<sup>th</sup> November, 2022 and 31<sup>st</sup> January, 2023

Members	No. of Audit Committee Meetings attended
Dr. Bharat J. Kanabar	4
Shri Pratyush Mandal	4
Shri Kanishk Kant Srivastava	4

**4. Nomination and Remuneration Committee:**

(a) Brief description of terms of reference;

In pursuance of the Provisions of Section 178 of Companies Act, 2013 and Regulation 19 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Role, the Terms of references and duties of the Nomination and Remuneration Committee (Committee), shall, inter-alia include the following:

Under Sec.178 of the Companies Act, 2013:

- a. To identify persons who are qualified to become directors or who may be appointed in senior management, recommend to the Board their appointment and removal and shall carry out evaluation of every director's performance;
- b. To formulate the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director;
- c. To recommend to the board of directors a policy relating to the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;

**As per Regulation 19 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:**

1. Formulation of criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the board of directors a policy relating to, the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;
2. Formulation of criteria for evaluation of performance of independent directors and the board of directors;
3. Devising a policy on diversity of board of directors;
4. Identifying persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, and recommend to the board of directors their appointment and removal;
5. Whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors;"

Further the Chairman of the Committee may be present at the AGM to answer the shareholders' queries. However, it shall be up to the chairman to decide who shall answer the queries. Further the quorum for the meetings of the Committee would be 1/3 of total strength or 2 directors whichever is more and committee to meet at least once a year or at such intervals as the Committee members may mutually decide.

However, HOCL being a CPSE, DPE guidelines are also being followed in respect of all the issues relating to Nomination & Remuneration matters.

(b) Composition, name of members and chairperson;

Sl No.	Name	Designation
1.	Dr Bharat J Kanabar	Chairperson
2.	Shri Pratyush Mandal	Member
3.	Shri Kanishk Kant Srivastava	Member



- (c) Meeting and attendance during the year;  
During the year 2022-23 the Committee met on 29<sup>th</sup> March, 2023

Members	No. of Nomination & Remuneration Committee Meetings attended
Dr. Bharat J. Kanabar	1
Shri Pratyush Mandal	1
Shri Kanishk Kant Srivastava	1

- (d) Performance evaluation criteria for independent directors – Details are as given in the Terms of Reference of the Committee.

Not Applicable. HOCL being a Govt. PSU, all the Board of Directors are appointed by the Government. The performance evaluation of all the Directors including Independent Directors is done by the Department of the Central Government or Ministry, which is administratively in charge of the company.

**5. Stakeholders Relationship Committee:**

- (a) Name of non-executive director heading the committee – Shri Pratyush Mandal
- (b) Name and designation of the compliance officer – Shri Subramonian H, Company Secretary
- (c) Number of shareholders complaints received during the financial year – Three (3)
- (d) Number of complaints not solved to the satisfaction of shareholders – Nil
- (e) Number of pending complaints – Nil

**5 A. Risk Management Committee: Not Applicable**

**5 B. Senior Management:**

Particulars of Senior Management including changes therein since the closure of the previous financial year is given below

Sl No.	Name	Designation	Changes if any, since closure of last FY
1.	Shri L. Shanil Lal	ED & Unit-in-charge	NA
2.	Shri Ravidev N V	Chief General Manager (HR)	Superannuated on 30.05.2023
3.	Shri T P Sachidanandan	Chief General Manager	Superannuated on 30.05.2023
4.	Shri P Ravikumar	Chief General Manager (Production/TSS/Projects)	NA
5.	Shri M J Jagadeesh	Chief General Manager (Engg/HR) & FM	NA
6.	Smt D Sindhu	General Manager (F&S/QC/MSS)	NA
7.	Shri Moinaddin Shaik	General Manager (Corporate)	NA
8.	Shri T K Raju	General Manager (Instrumentation)	NA
9.	Shri B Balachandran	General Manager (Materials)	NA
10.	Shri P H Zubair	General Manager (Marketing/FPS)	NA
11.	Shri R Rajesh	General Manager (TSS/ Production/Civil)	NA
12.	Shri Prakash B Singadi	General Manager (Electricals)	NA
13.	Shri Mahesh Shahasane	General Manager (Mechanical/Utilities)	NA
14.	Shri Surendra K Mitharwal	Deputy General Manager (Finance)	NA
15.	Shri Subramonian H	Company Secretary	NA

**6. Remuneration of Directors:**

- (a) All pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à-vis the listed entity; -- Only sitting fee is paid to non-executive directors. Necessary Disclosure relating to payment of Sitting Fees is made in the Annual Report.
- (b) Criteria of making payments to non-executive directors. Alternatively, this may be disseminated on the listed entity's website and reference drawn thereto in the Annual Report; -- Only sitting fees for attending the meetings of the Board and Committee are being paid to the non-executive directors.
- (c) Disclosures with respect to remuneration: in addition to disclosures required under the Companies Act, 2013, the following disclosures shall be made: -- Yes
  - i. All elements of remuneration package of individual directors summarized under major groups, such as salary, benefits, bonuses, stock options, pension etc.;

Details of remuneration paid to the Directors for the year ended 31-03-2023 are as follows:

SR No.	Name of the Directors	Salary including other benefits Rs. (In Lakhs)	Sitting Fees Paid to NOIDs in Rs. (In Lakhs)	Total Amount in Rs. (In Lakhs)
1.	Shri Sajeev B., CMD	41.36		41.36
2.	Shri Yogendra Prasad Shukla, Director (Finance) (w.e.f 04-07-2022)			24.58
3.	Shri Satendra Singh, AS&FA – Govt. Nominee Director (Till 14-10-2022)	N.A	—	Nil
4.	Shri Sanjay Rastogi, AS&FA – Govt. Nominee Director (w.e.f 13-12-2022)	N.A	—	Nil
5.	Shri Kanishk Kant Srivastava – Govt. Nominee Director	N.A	—	Nil
6.	Dr. Bharat J. Kanabar – Independent Director	N.A	1.10	1.10
7.	Shri Pratyush Mandal – Independent Director	N.A	1.10	1.10

- ii. Details of fixed component and performance linked incentives, along with the performance criteria; -- None / Nil

\* The Company has not given any stock options.

\* Non-executive Directors: The Company does not pay any remuneration to its non-executive Directors except sitting fees for attending the Board/committee meetings.

- iii. Service contracts, notice period, severance fees: -

The Executive Directors have been appointed by the President of India for a period of five years or till attaining the age of superannuation, whichever is earlier. The appointment may be terminated even during this period by either side on three months' notice or on payment of three months' salary in lieu thereof.

- iv. Stock option details, if any and whether issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable.- Nil

**7. General Body Meetings:**

- a) Location and time, where last three Annual General Meetings held;

Particulars	FY 2019-2020	FY 2020-2021	FY 2021-2022
Date and Time	28-09-2020 2.00 p.m	29-09-2021 3.00 p.m	29-09-2022 2.00 p.m
Venue	Through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM")	Through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM")	Through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM")

- b) Whether any special resolutions passed in the previous three Annual General Meetings; Yes
- c) Whether any special resolution passed last year /during the year through postal ballot – No
- d) Person who conducted the Postal Ballot Exercise – NA
- e) Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot – None during FY 2022-23
- f) Procedure for postal ballot – NA for the FY 2022-23

**8. Means of communication:**

- (a) Quarterly results;

Quarterly, Half-Yearly and Annual Audited Financial Results of the Company are reviewed by Audit Committee and based on the recommendations of Audit committee, Board of directors approves the financial results. Thereafter, the same is also submitted to the Stock Exchanges through BSE Portal within prescribed time.

- (b) Newspapers wherein Results are normally published;

The results are published in a Regional Language News Papers (Navshakti/ Mumbai Lakshadweep) and English National Daily (The Financial Express) as per the requirements under the Listing Regulations with the Stock Exchanges.



- (c) Any website, where displayed;

The Quarterly, Half-Yearly and Annual Audited Financial Results are regularly posted by the Company on its website at www.hoclindia.com

- (d) Whether it also displays official news releases: -- No

- (e) Presentations made to institutional investors or to the analysts. – NA

**9. General shareholder information:**

- (a) 62
- <sup>nd</sup>
- Annual General Meeting (AGM) of the Company – date, time and venue;

Date & Time: 26.09.2023 (Tuesday) at 03:30 PM.

Venue : Through Video Conference – Virtual AGM –Chairman, Company Secretary, Moderator for web link etc- at : HOCL Kochi Factory Conference Room, Ambalamugal PO, Ernakulam District, Kerala – 682 302

- (b) Financial year

The Company follows April - March as its Financial Year.

- (c) Dividend payment date- Not applicable, in view of the continuous losses during the previous years as well as carry forward of the accumulated losses of the previous years, the Board of Directors do not recommend any Dividend for the year under review.

- (d) the name and address of each stock exchange(s) at which the listed entity's securities are listed and a confirmation about payment of annual listing fee to stock exchange;:

Company's shares are listed in Bombay Stock Exchange Ltd.[BSE]. Payment towards Annual Listing fees for the year 2022-23 amounting to Rs. 3,44,500/- was paid in May 2023 through RTGS to Stock Exchange (BSE) and duly complied with the same.

- (e) Stock /script code; Scrip Code at BSE : 500449

ISIN of HOCL Equity Shares at NSDL & CDSL: INE048A01011

- (f) Market price data- high, low (at BSE) during each month in last financial year; (2022-23)

Month	Monthly Highest	Monthly Lowest
April, 2022	33.75	27.95
May, 2022	32.45	26.40
June, 2022	33.30	25.00
July, 2022	31.30	27.10
August, 2022	32.50	29.05
September, 2022	33.10	27.10
October, 2022	29.80	27.05
November, 2022	32.00	27.00
December, 2022	34.80	28.40
January, 2023	33.85	27.85
February, 2023	30.90	25.75
March, 2023	27.90	20.65

- (g) Performance in comparison to broad-based indices such as BSE sensex,

CRISIL Index etc;- --Nil

- (h) In case the securities are suspended from trading, the directors report shall explain the reason thereof; N.A

- (i) Registrar to an issue and Share Transfer Agent;

M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd.

Office No.S-6, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093

- (j) Share transfer system;

The Company's Share Transfer Committee is authorized to approve the transfer securities as and when they are received from the company's Registrar and Transfer Agents [viz. RTAs] (the valid transfer etc. documents). The dematerialized shares are directly transferred to the beneficiaries by the depositories.

All the correspondence with the shareholders and investors are duly carried out on behalf of the company by the company's RTAs.

The Company seeks to ensure that all transfers are approved for registration within the stipulated period. And for this mechanism the Company Secretary (the compliance officer) and company's RTAs have been entrusted with all the requisite powers and authorities, to carry out all the activities with regard to the shares related functions. With a view to expediting the approval process, the Committee meets regularly and approves all matters related to shares vis-à-vis transfers, deletion, transmission, dematerialization and rematerialization of shares based on the requisitions from the RTAs.

There was no pending complaints and requests for demat during the year under review.

This Committee is vested with the requisite powers and authorities to specifically look into the redressal of shareholders and investors grievances, which are being handled and

dealt with suitably by the company's RTAs.

The letters received from the investors were attended/resolved to the satisfaction of the investors. The transfer of shares was effected within the stipulated time.

- (k) Distribution of shareholding as on Date: 31-03-2023

Shareholding of Nominal		No. of Shareholders	Percentage of Total	Share Amount	Percentage of Total
Rs.	Rs.			Rs.	
1	5000	42904	88.50	59137660	8.80
5001	10000	2731	5.63	23332120	3.47
10001	20000	1393	2.87	21820490	3.24
20001	30000	476	0.98	12353120	1.83
30001	40000	219	0.45	8082720	1.20
40001	50000	225	0.46	10842710	1.61
50001	100000	301	0.62	22717460	3.38
100001	999999999999999	230	0.47	513444720	76.43
TOTAL		48479	100.00	671731000	100

- (l) Dematerialization of shares and liquidity:- HOCL Equity Shares ISIN: INE048A01011

The shares of the Company are compulsorily traded in dematerialized mode. To facilitate the shareholders to dematerialize the shares, the Company has signed agreements with both the depositories i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depositories Services (India) Ltd (CDSL). In total 97.09% of the share capital of the Company (NSDL – 16.81% and CDSL – 80.27%) has been dematerialized as on 31<sup>st</sup> March 2023 - total accounts dematerialized is 33,198 involving 6,52,16,166 shares.

- (m) Outstanding global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:- Nil/None.

- (n) Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:- Nil/None

- (o) Plant locations: -

Sr. No.	Location	Main Product
1.	Ambalamugal, Kochi, Kerala	Phenol Complex

- (p) Address for correspondence: -

- i.
- \*Registered & Corporate Office at:**
- Ambalamugal PO, Ernakulam District, Kerala - 682 302.

\* HOCL has received Order No.RD/Section13/SRN AA1573411/705 dated 12<sup>th</sup> May, 2023 from Hon'ble Regional Director, Ministry of Corporate Affairs approving shifting of registered office from the State of Maharashtra to the State of Kerala. Accordingly, w.e.f 12<sup>th</sup> May, 2023 the Registered Office of the Company is situated in Ambalamugal PO, Kochi, Kerala.

- ii.
- R&T Agents address :**

M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd.

Office No. S6 – 2 6<sup>th</sup> Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093, Maharashtra.

- (q) List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad- N.A.

**10. Other Disclosures:**

- a) Disclosures on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of listed entity at large;- None

- b) Details of non-compliance by the listed entity, penalties, and strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years; - None, as suitable explanations were submitted from time to time to the Stock Exchange (BSE).

- c) Vigil Mechanism - Whistle blower policy:

The Company has instituted procedures for the receipt, retention and dealing with complaints.

Your Company has put in place a fraud prevention policy. As a part of compliance with the policy, Company has appointed nodal officers. The fraud prevention policy has been framed to provide a system for detection and prevention of fraud, reporting of any fraud that is detected or suspected and for dealing in matters pertaining to fraud. During the year under review, no such case was reported.

In addition, your Company has Vigilance Department (as per CVC guidelines) to bring greater transparency, integrity and efficiency. The focus of Vigilance department is on Preventive and Participative Vigilance.



Details of establishment of vigil mechanism whistle blower policy, and affirmation that no personnel have been denied access to the audit committee; Yes – details are also placed on the Company's website <https://www.hoclindia.com/corporate-governance> as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. No person has been denied access to the Audit Committee.

- d) Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non- mandatory requirements:- Company has complied with all the mandatory requirements except requirement of one (1) Women Independent Director on the Board as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- e) Web link where policy for determining 'material' subsidiaries is disclosed: <https://www.hoclindia.com/corporate-governance>
- f) Web link where policy on dealing with related party transaction: <https://www.hoclindia.com/corporate-governance>
- g) disclosure of commodity price risks and commodity hedging activities: NA
- h) Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – Not Applicable
- i) A Certificate from a Company Secretary in Practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority – Certificate forms part of Annual report
- j) where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the relevant financial year, the same to be disclosed along with reasons thereof: -None  
The Board of Directors has accepted all the recommendation made by the Audit Committee in their meeting.
- k) Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part. – Total fees paid to the auditors during FY 2022-23 shall be disclosed financial statements which forms part of Annual Report
- l) Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:
  - a. No. of complaints filed during FY: Nil
  - b. No. of complaints disposed of during FY: Nil
  - c. No. of complaints pending as on end of the FY: Nil
- m) Disclosure by listed entity and its subsidiaries of 'Loans and advances' in the nature of loans to firms/companies in which directors are interested by name and amount:

Name of Subsidiary company	Amount of Loan Rs. In lakhs (As on 31.03.2023)
Hindustan Fluorocarbons Limited	4214.87

- n) Details of material subsidiaries of the listed entity; including the date and place of incorporation and the name and date of appointment of the statutory auditors of such subsidiaries

Company has one (1) subsidiary namely; Hindustan Fluorocarbons Limited [HFL]. HFL was incorporated on 14<sup>th</sup> July, 1983. The registered office of HFL is situated in Hyderabad, Telangana state. Comptroller and Auditor General of India vide letter dated 26-08-2022 had appointed M/s. Niranjan & Narayan as the statutory auditors of HFL for the financial year 2022-23

**11. Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub- paras (2) to (10) above, with reasons thereof shall be disclosed. -**

As on 31-03-2023 all applicable compliances in connection with the Board's composition, other relevant and applicable compliances etc. were complied with, except to the extent of Independent Director on the Board and the Company. There is a vacancy of one (1) women Independent Director in HOCL. Being PSU, appointment of adequate number of Directors including Independent Directors on the Board of the Company is to be done by the Ministry. Accordingly, company has requested the administrative ministry to appoint one (1) women Independent Director and Company is awaiting necessary Govt. Orders in this regard. appointing One (1) Independent Director on the Board of HOCL.

**12. The Corporate Governance Report shall also disclose the extent to which the discretionary requirements as specified in Part E of Schedule II have been adopted.**

Following are the requirements as specified in Part E of Schedule II:

**A. The Board**

A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties. – In the case of HOCL, Government has appointed executive director as Chairperson/Chairman of the Company.

**B. Shareholder Rights.**

A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders. The half yearly financial performance is placed on the website of HOCL and the same is also submitted to BSE.

**C. Modified opinion(s) in audit report**

The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion. –  
Statutory Auditors have given Unmodified Opinion for FY 2022-23

**D. Separate posts of chairperson and Managing Director or the Chief Executive Officer**

In view of the fact that, the power to appoint all the Director on the Board of the company vests with the GOI/President of India as per Company's Articles of Association, in the case of HOCL Govt. has appointed executive person as Chairman & Managing Director.

**E. Reporting of Internal Auditor**

The internal auditor may report directly to the audit committee. - Yes.

**13. Disclosures of the compliance with corporate governance requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 of the Listing Regulations.**

It is hereby confirmed and declared that, Company has made adequate disclosures required under Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub- regulation (2) of regulation 46 of the Listing Regulations.

**A. Declaration signed by the chief executive officer stating that the members of Board of Directors and Senior Management personnel have affirmed compliance with the code of conduct of Board of Directors and Senior management.**

The Company has adopted (since 2007) a code of conduct and ethics applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel (one level below the Board of Directors) of the company. The Code requires Directors and employees to act honestly, fairly, ethically, and with transparency and integrity. The Board of Directors and Senior Management Personnel are required to affirm compliance with the code of conduct on an annual basis. The Code is displayed on the Company's website – <https://www.hoclindia.com/corporate-governance> Directors and Senior Management Personnel have complied with the Code of Conduct and the compliance of the same has been affirmed by them to that effect. A declaration signed by Chairman and Managing Director is given below:

This is to certify that:

In line with the requirement of Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, all the Directors of the Board and Senior Management Personnel have affirmed that to the best of their knowledge and belief, they have complied with the provisions of the 'Code of Conduct for the Directors and Senior Management' during the financial year 2022-23.

Place: Kochi, Kerala  
Date: 01.04.2023

Sd/-  
Sajeev B.  
Chairman and Managing Director

**B. Compliance certificate from either the auditors or practicing company secretaries regarding compliance of conditions of corporate governance shall be annexed with the Directors report**

Compliance certificate provided by practicing company secretary forms part of Directors report.

**C. Disclosure with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account**

Not Applicable for the FY 2022-23

**D. Disclosure of certain types of agreements binding listed entities**

Not Applicable for the FY 2022-23

**14. Details of unclaimed Shares: Nil**

**15. Secretarial Audit Report:**

The Board has appointed M/s D. S. Momaya & Co, Practising Company Secretary to conduct Secretarial Audit for the FY 2022-2023. The Secretarial Audit Report for the Financial Year ended March 31, 2023 is annexed to Director Report and complied with Section 204 of Companies Act and Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The replies to observations from Auditor forms part of the Directors Report. The Company also obtained Annual Secretarial Compliance Report from M/s D. S. Momaya & Co. for the year 2022-23.

**16. Training of Board Members:**

During the year under review, necessary training facility has been provided to the Board Members including overview of Company's operations and Financial Position.

**17. Book Closure Date:**

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20.09.2023 to 26.09.2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AGM) of the company to be held on 26.09.2023.

**18. Policy for Determining Materiality of Events or Information**

Company has adopted a policy or Determination of Materiality of Events or Information in terms of Regulation 30 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Policy is disclosed on the website of the Company - <https://www.hoclindia.com/corporate-governance>

**19. Compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance for the CPSEs Company (HOCL) being a CPSU is required to comply the Department of Public Enterprise (DPE) set out guidelines on Corporate Governance.**

The quarterly and annual self-evaluation reports are being submitted to the Ministry of Chemicals & fertilizers, Govt. of India for onward submission to Department of Public Enterprises [DPE]. Total Score of HOCL on Corporate Governance Compliance for the FY 2022-23 is 89/100 and the applicable grade of the FY 2022-23 is "Excellent".

**20. Performance in comparison to broad based indices:**

Period	Sensex	BSE-CPSE Index	HOCL Price Rs. (BSE)
March 2022	59,099.75	1,641.40	35.25
March 2023	59,973.00	1,600.00	29.14

**21. Separate Meeting of Independent Directors:**

During the FY 2022-23 separate meeting of Independent Directors was held on 29<sup>th</sup> March, 2023 without presence of Executive Directors. Independent Directors expressed overall satisfaction regarding quality, quantity and timeliness of flow of information between management and Board of Directors.

**22. Share Transfer committee (constituted under Regulation 40 of the Listing Regulations):**

To approve physical transfer of shares and other transactions as mentioned under Regulation 40 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(a) Name of the Director heading the Committee. :- Shri. Sajeev B., CMD as Chairman [in view of easy availability of the directors at the work place, to convene the required STC meetings once in every fortnightly/monthly or so, to manage effectively all the Bonds/ shareholders/ investors, transfers/grievances related matters in compliances with corporate governance norms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and with suitable explanations to the Exchanges].

(b) Name and designation of compliance officer :-

Mr. Subramonian H, Company Secretary is designated as the Compliance Officer and acts as Member & Secretary to the Committee.

Share/Bonds Transfer System:

The Company's Share Transfer Committee is authorized to transfer securities as and when they are received from the company's registrar and transfer agents [viz. RTAs] (the valid transfer etc. documents). The dematerialized shares are directly transferred to the beneficiaries by the depositories.

All the correspondence with the shareholders and investors are duly carried out on behalf of the company by the company's RTAs.

As per Regulation 40 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company seeks to ensure that all transfers are approved for registration within the stipulated period. For this mechanism, the Company Secretary (the compliance officer) and company's RTAs have been entrusted with all the requisite powers and authorities, to carry out all the activities with regard to the shares related functions. With a view to expediting the approval process, the Committee meets regularly and approves all matters related to shares vis-à-vis transfers, deletion, transmission, and re-materialization of shares based on the requisitions from the RTAs.

The letters received from the investors were attended/resolved to the satisfaction of the investors. The transfer of shares was affected within the stipulated time.

As on 31st March, 2023 there is no Share transfer case pending (as confirmed by RTA).

**23. CSR & Sustainability Development Committee :Not Applicable**

CSR & Sustainability Development Committee is not applicable for the HOCL for the FY 2022-23. However, Board has constituted CSR committee comprising three (3) Directors as members namely; Shri Pratyush Mandal, Independent Director as Chairman, Dr. Bharat J. Kanabar, Independent Director as Member, and Shri Sajeev B., CMD as another member along with the Company Secretary acting as the Secretary of the Committee. The terms of reference of the said CSR Committee included among others, is as per Section 135 of the Companies Act, 2013 and Rules 2014 thereunder, along with Schedule VII, etc.

**24. CEO/CFO certification for Financial Year ending on 31<sup>st</sup> March, 2023.**

This is to certify that:

A. Financial statements and the cash flow statement for the year have been reviewed to the best of their knowledge and belief:

- 1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- 2) these statements together present a true and fair view of the listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. To the best of their knowledge and belief, no transactions are entered into by the listed entity during the year in which are fraudulent, illegal or violative of the listed entity's code of conduct.

C. They accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that they have evaluated the effectiveness of internal control systems of the listed entity pertaining to financial reporting and they have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which they are aware and the steps they have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. They have indicated to the auditors and the Audit committee: -

- 1) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- 2) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- 3) instances of significant fraud of which they have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the listed entity's internal control system over financial reporting.

Place: Kochi, Kerala

Sd/-

Sd/-

Date: 31.03.2023

Yogendra Prasad Shukla  
Director (Finance) &  
Chief Financial Officer

Sajeev B.  
Chairman and Managing  
Director

**25. Prevention of Insider Trading:**

The Company has adopted a Code of Conduct for prevention of Insider Trading with a view to regulate trading in securities by the Directors and designated employees of the Company. The Code requires pre-clearance for dealing in the Company's shares and prohibits the purchase or sale of Company shares by the Directors and designated employees while in possession of unpublished price sensitive information in relation to the Company and during the period when the Trading Window is closed. The Company Secretary of the company is responsible for implementation of the Code. All Board Directors and the designated employees have confirmed compliance with the Code.

**26. Disclosure of Accounting Treatment:**

Financial statements have been prepared in accordance with prescribed Accounting Standards. No alternative treatment has been carried out in preparing the financial statements.

**27. Management Discussion & Analysis Report:**

Management discussion & Analysis Report is annexed to the Directors' Report which forms part of this Annual Report.

For Hindustan Organic Chemicals Limited

Date : 08.08.2023

Subramonian H

Place: Kochi, Kerala

Company Secretary & Compliance Officer



**Annexure II**

**Form AOC-I**

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5of Companies (Accounts) Rules,2014)

**Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/ associate companies/joint ventures**

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs. In Lakhs)

Rs. In Lakhs

1. Sl.No.:	1
2. Name of Subsidiary	Hindustan Fluorocarbons Ltd.
3. Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period:	No
4. Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries:	NA
5. Share Capital:	1,961.46
6. Reserves & Surplus (Other Equity)	(10,353.79)
7. Total Assets:	6,544.19
8. Total Liabilities:	14,936.52
9. Investment:	NIL
10. Turnover (excluding GST)	0
11. Profit before taxation:	(511.31)
12. Provision for taxation:	NIL
13. Profit after taxation:	(511.31)
14. Total Comprehensive Income	(511.31)
14. Proposed Dividend:	NIL
15. % of shareholdings:	56.43

For and on behalf of the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited

Date: 08.08.2023  
Place: Kochi, Kerala

Sd/-  
Sajeev B.  
Chairman and Managing Director

**Annexure III**

**Form No. AOC-2**

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014]

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto:

**1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:**

There were no contracts or arrangements or transactions entered into during the year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 which were not on arm's length basis.

**2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:**

The details of material contracts or arrangements or transactions on arm's length basis for the year.

Name (s) of the related Party & Nature of relationship	Nature of contract/ arrangements/ transactions	Duration of contract/ arrangements/ transactions	Salient terms including the value, if any (Rs. in lakhs)	Date of Board approval, if any	Amount paid as advance, if any
Hindustan Fluorocarbons Limited – Subsidiary Company	Interest on Loan	-	63.62	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited – Company controlled by Govt. of India	Purchase of raw materials	-	37,659.45	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited - Company controlled by Govt. of India	Sale of finished goods	-	43.00	-	-
Indian Oil Corporation Limited - Company controlled by Govt. of India	Purchase of raw materials	-	6,130.67	-	-
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.	Purchase of raw materials	-	5,496.25	-	-

For and on behalf of the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited

Date: 08.08.2023  
Place: Kochi, Kerala

Sd/-  
Sajeev B.  
Chairman and Managing Director



**Annexure –IV**

**MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT**

The Management of Hindustan Organic Chemicals Ltd (HOCL) presents its Analysis Report covering the Performance and Outlook of the Company. The Report contains business prospects and perspectives based on the current environment and strategic options to steer the Company through unforeseen and uncontrollable external factors.

HOCL Kochi Unit is having Integrated Management System Certification comprising ISO 9001-2015 (Quality Management system), ISO 14001-2018 (Environment Management System), ISO 45001-2018 (Occupational Health and Safety Management system). The certification is valid upto 19/11/2023. HOCL is in the process of implementing ISO 50001. All the products of HOCL are certified by BIS.

**1. INDUSTRY STRUCTURE AND DEVELOPMENTS**

The Government of India is focused on improving Chemical's Industry competitiveness and manufacturing share in the overall economy. Its FY 2033-34 vision for chemicals and petrochemicals sector emphasises on ways to enhance domestic output, reduce import dependency and promote investment.

Going forward, the potential for strong growth in Indian economy with GDP likely to double to US\$ 5 trillion over next decade, creates a large opportunity for Indian chemical companies. End – use sectors such as agriculture, consumer and retail, infrastructure, auto and electronics and healthcare sectors could drive ~ 50% of incremental demand in chemicals.

Overall the future outlook for the industry looks optimistic and your company commits to create value for the members overtime with greater efficiency in Company's operations.

**2. KEY OPPORTUNITIES**

Capacity utilization of main products (Phenol and Acetone) of Kochi Unit has improved substantially after restructuring. This was mainly due to improved working capital position. The operating loss has been reduced due to improved working capital position and reduced interest expenditure, after the initiation of the restructuring process.

**3. KEY THREATS INCLUDE**

HOCL has only one unit at Ambalamugal, in the District Ernakulam in the state of Kerala, which is functioning at present. Kochi unit is engaged in manufacturing of Phenol, Acetone, and Hydrogen Peroxide. The market for main products at Kochi had high degree of volatility and was largely determined by international prices. Due to severe working capital deficiency, the Unit often worked below its capacity. There is severe competition in the horizon with private sector players set to establish capacities up to 2 lakh MT of Phenol against 40000 MT that the Unit had. Without anti-dumping duties, HOL Kochi unit will be unable to compete against imports. Kochi unit has its own inherent deficiencies such as outdated technology leading to productivity loss, high levels of fixed cost which is not being absorbed due to lower scale of operations, constraints in capacity expansion, absence of product diversification, lack of market competitiveness, etc.

Company's products such as Phenol, Acetone and Hydrogen Peroxide which satisfies the requirements of key customers who procure multiple products. Your Company's products cater to wide range of end- use sectors such as dyes & pigments, agrochemicals, pharmaceuticals companies. This assists the organization in obtaining new clients and addressing huge spectrum of their demands.

**3. SEGMENTWISE PERFORMANCE**

The Company is primarily in the business of manufacture and sale of chemicals.

Product Segment	Year ended 31/03/2023			Year ended 31/03/2022		
	Target MT	Actual MT	Percentage Achieved	Target MT	Actual MT	Percentage Achieved
Chemicals	69308	70979	102.41	60070	48866	81.35%

**4. PRODUCT WISE PERFORMANCE (Production of Main Products)**

Sr. No.	Name of Product	F.Y. 2022-23		F.Y. 2021-22	
		Installed Capacity	Actual	Actual	Actual
1	Phenol	40000	37350	24745	
2	Acetone	24640	23306	15560	
3	H2O2	10450	10323	8561	
	<b>TOTAL</b>	<b>75090</b>	<b>70979</b>	<b>48866</b>	

**5. OUTLOOK FOR THE NEXT YEAR**

- Expedition of the land sale process so as to reduce the financial liabilities and thus bring down the finance costs.
- Your Company has received necessary approvals from regulatory authorities for shifting its registered office from state of Maharashtra to the state of Kerala where its only unit is located. It is anticipated to reduce operational cost of your Company and increase its performance due to direct supervision of Top Management over your Company's affairs and business operations.

- Upgrade to the latest technology so as to improve productivity;
- Explore the diversification into value added products to maximum extent possible so as to gain some level of protection against swings in the market prices.
- Your Company will continue to be vigilant and will capitalize on the opportunities that arise as a result of swift transformation in the industry landscape.

**6. SOME RISKS & CONCERNS.**

- Lack of product diversification or downstream value addition
- Competition from cheaper Imports of main product Phenol and Acetone.
- Volatility in raw material feed stock prices based on fluctuations in crude prices.
- Inability to pass on the increase in raw material cost to the consumers due to availability of imported finished product at cheaper prices.
- Huge investments required for revamp/replacement/modernization of the old plants.
- Sale of balance unencumbered land at Rasayani / Panvel after receipt of NOC from Government of Maharashtra.
- Availability of working capital from Banks for continuous operation of the Plants at Kochi.

**7. INTERNAL CONTROL SYSTEMS & THE ADEQUACY**

Internal controls are supported by Internal Audit and Management Reviews. Company ensures existence of adequate internal control through documented policy and procedures to be followed by the executives at various levels. The Management is keen on these issues and initiated various measures such as upgrading IT infrastructure, evaluating & implementing Tally ERP software, web-based application and establishing connectivity amongst manufacturing units and branch offices for effective & proactive services and business benefits.

With the objective of improving the systems and removing bottlenecks, systems review is carried out and policies and procedure manuals are amended. HOCL Kochi unit is having ISO 9001:2015 (Quality Management System) and ISO 14001:2015 (Environmental Management System) certification. The existing certificate for ISO 9001 has been extended up to 1st September 2020 and ISO 14001:2015 is valid up to 07th March 2022 audit for further extension is in progress.

Your Company has Corporate Governance structure that govern its operations and the management team follows sound financial policies as well as processes and systems.

**8. REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE:**

As per accounts of FY 2022-23, your Company has incurred a net loss of Rs.2.32 Crore during the 4<sup>th</sup> quarter and incurred net loss of Rs.50.22 Crore (before tax) for the year 2022-23 as against net loss incurred during the previous year FY 2021-22 was Rs. 26.19 Crore. EBIT (Earnings before Interest and Tax) for the current year FY 2022-23 stands at Rs.16.67 Crore.

Capacity utilization of Phenol plant during the year 2022-23 is 93% as against 62% during the previous 2021-22. Hydrogen Peroxide plant operated at 99% capacity during the year 2022-23 as against 82% during the previous year 2021-22.

**9. INFORMATION TECHNOLOGY**

Company has effective information systems for core business areas. However, company has envisaged a plan to meet changing demands keeping in view the technological changes and the way information & communication technology offering innovative services suiting to every business need. The core business functions are performed using Tally Prime ERP system. The integration of different modules of the ERP system resulted in better functioning, timely and smooth completion of our business process and transactions.

Management ensures continual effort in the ever-changing technological environment, for improving and meeting with requirement like data security, information availability, transparency and accuracy. The IT infrastructure of the company is audited by CERT-In empanelled audit authority to ensure the compliance with IT policies & standards. Company is using open tendering / e-Tendering solution being provided by National Informatics Centre (NIC). Company has also registered with GEM Government platforms for procurement and TREDs for payment to MSMEs. Company is also following various guidelines of procurement through MSME's.

**10. CAUTIONARY STATEMENT**

Statement in this Management Discussion and Analysis describing the Company's objectives, projections, estimates and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. Actual results might differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the Company's operations include a downturn in the chemical industry - global or domestic or both, significant changes in political and economic environment in India or key markets abroad, tax laws, litigation, manpower cost, exchange rate fluctuations, interest and other costs.

**For and on behalf of the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited**

Date: 08.08.2023  
Place: Kochi, Kerala

Sd/-  
Sajeev B.  
Chairman and Managing Director



**COMPLIANCE CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE**

To,  
The Members  
Hindustan Organic Chemicals Limited  
401, 402, 403, 4th Floor,  
V-Times Square, Plot No. 3,  
Sector 15, CBD Belapur,  
Navi Mumbai, MH 400614 IN

1. We **D.S. MOMAYA & CO. LLP**, Practising Company Secretaries, have examined all the relevant records of **Hindustan Organic Chemicals Limited (CIN:L99999MH1960GOI011895)** for the purpose of certifying compliance of the conditions of Corporate Governance under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (the "**Listing Regulations**") for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2023. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of certification.
2. The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedure and implementation process adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance.
3. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we have followed, provide a reasonable basis for our opinion.
4. Our examination was limited to examining the procedures and implementation process adopted by the Company for ensuring compliance of the conditions of the corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

**Opinion:**

5. Based on our examination of the relevant records made available to us and according to the information and explanations provided to us and the representations provided by the management we certify that the Company has complied with all the requirements of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2023 save and except the following:
  - i. Board of Directors of the Company is not duly constituted as per requirements of regulation 17(1)(a) and regulation 17(1)(b) of the Listing Regulations. The company does not have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director. The Company needs to appoint One (1) Woman Independent Director.
  - ii. The Company is not in proper compliance with Regulation 18(1)(c) of the Listing Regulations, 2015, as not all members of the Audit Committee are financially literate with at least one member having accounting or related financial management expertise.
6. The Company, being a Public Sector Undertaking, the authority of appointment of Women Independent Director on the Board is with the concerned Ministry of the Government of India and directions about such appointment are awaited. The Company has sent several letters to the concerned Ministry requesting appointment of such Woman Independent Director on its Board.
7. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **D.S. MOMAYA & CO. LLP**,  
Company Secretaries  
FRN No. L2022MH012300

**CS Divya Momaya**  
Designated Partner  
DPIN: 00365757

Place: Navi Mumbai  
Date: 24/07/2023  
UDIN: F007195E00069835

ACS No.7195, CP No.7885

**COMPLIANCE CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES ISSUED BY DEPARTMENT OF PUBLIC SECTOR ENTERPRISES**

To,  
**The Members of Hindustan Organic Chemicals Limited**

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Hindustan Organic Chemicals Limited (CIN: L99999MH1960GOI011895) for the financial year ended March 31, 2023, as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010, issued by the Department of Public Enterprises, Government of India.

The Compliance of conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guidelines is the responsibility of Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by the Department of Public Sector Enterprises except –

1. Clause 1.1.1 – The Board of Directors of the Company was not comprised with optimum combination of functional, nominee and independent directors as the position of 1 (One) Independent Woman Director on the Board of the company was vacant during the period under review;
2. Clause 1.2.2– The Board of Directors of the Company did not comprise of optimum number of independent directors as the position of 1 (One) Independent Woman Director on the Board of the company was vacant during the period under review;
3. Clause 1.7.1 –The Company did not have any risk management plan approved by its Board of Directors since Regulation 21 as per SEBI LODR Regulations, 2015 is not applicable to the Company;
4. Clause 1.7.2 –The Board of Directors of the Company did not periodically review any risk management plan as there was no approved risk management plan in the place during the period under review and neither Regulation 21 as per SEBI LODR Regulations, 2015 is not applicable to the Company;
5. Clause 2.1.4 –Audit Committee of the Company did not comprise of financially literate members. Also, none of the members of the committee has an expertise in accounting and financial management;

As informed by the Management, the Company being a Central Public Sector Undertaking (Government Company), all the powers regarding appointment and terms of the Directors are exercised by the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India. The Company had taken up this matter with the concerned Ministry for appointment of One (1) Independent Woman Director on its Board. However, such appointment is still awaited.

We further state that such compliances are neither an assurance as to the future viability of the Company nor its efficiency and effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **D.S. MOMAYA & CO. LLP**,  
FRN No. L2022MH012300

**CS Divya Momaya**  
Designated Partner  
DPIN: 00365757  
ACS No.7195, CP No.7885

Date: 07/07/2023  
Place: Navi Mumbai  
UDIN: F007195E000567315

**Certificate of Non-Disqualification of Directors**

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,  
The Board of Directors

**Hindustan Organic Chemicals Limited**

401, 402, 403, 4th Floor, V-TIMES SQUARE Plot No. 3,  
Sector 15, CBD Belapur Navi Mumbai Thane MH 400614 IN

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from **Hindustan Organic Chemicals Limited (CIN: L99999MH1960GOI011895)** having Registered Office at 401, 402, 403, 4th Floor, V-TIMES SQUARE, Plot No. 3, Sector 15, CBD Belapur Navi Mumbai Thane MH 400614 IN (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10 (i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company, as stated below for the Financial Year ending on **31<sup>st</sup> March 2023**, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	DIN	Name of Director	Date of appointment in Company
1	09344438	Sajeev Bhaskaran	06/09/2021
2	09461918	Pratyush Mandal	24/12/2021
3	09466694	Bharatkumar Jashvantrai Kanabar	24/12/2021
4	09699641	Kanishk Kant Srivastava	30/03/2022
5	09674122	Yogendra Prasad Shukla	04/07/2022
6	07722405	Sanjay Rastogi	13/12/2022

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

**For D.S. MOMAYA & CO. LLP,**  
**Company Secretaries**  
**FRN No. L2022MH012300**

**Place: Navi Mumbai**  
**Date: 30/05/2023**  
**UDIN: F007195E000427285**

**CS Divya Momaya**  
**Designated Partner**  
**FCS No. 7195/ CP No. 7885**

FORM NO. MR-3

**SECRETARIAL AUDIT REPORT**FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2023

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014 and Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,  
The Members,

**HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED**

(CIN: L99999MH1960GOI011895)  
401, 402, 403, 4th Floor, V-Times Square,  
Plot No. 3, Sector 15, CBD Belapur,  
Navi Mumbai, Thane - 400614.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED (CIN: L99999MH1960GOI011895)** (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

We note that Department of Chemicals & Petrochemicals vide File No. P. 51015/06/2019-Ch. III dated 29<sup>th</sup> January, 2020 has directed the Company for closure of Hindustan Fluorocarbons Limited, which is the Subsidiary of the Company.

Based on our verification of books, papers, minute books, forms and returns filed and scanned copies of the documents, evidences of submission provided and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has during the audit period covering the Financial Year ended on **31<sup>st</sup> March, 2023** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED** for the Financial Year ended on **31<sup>st</sup> March, 2023** according to the provisions of:

- The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowing - **Not applicable to the Company during the financial year under review;**
- The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -
  - The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
  - The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
  - The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (upto 10<sup>th</sup> November, 2018) and Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (with effect from 11<sup>th</sup> November, 2018) - **Not applicable as there was no reportable event during the financial year under review;**
  - The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Regulations, 1999 - **Not Applicable as the Company has not issued any shares/options during the period under review;**
  - The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 - **Not Applicable as the Company has not issued and listed any debt securities during the period under review;**
  - The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
  - The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 - **Not Applicable as the Company has not delisted its equity shares from stock exchange during the period under review;** and
  - The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (upto 10<sup>th</sup> of September 2018) and The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 (from 11<sup>th</sup> September 2018) - **Not Applicable as the Company has not bought back any of its securities during the period under review.**
- The Management has informed that the following laws are specifically applicable to the



## Company:

- Petroleum Act, 1934 and Rules, 2002;
- Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (Amendment) Rules, 2000;
- The Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008;
- Inflammable Substance Act, 1952;
- Dangerous Machines (Regulation) Act 1983;
- Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010;
- The Factories Act, 1948;
- The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

We have also examined compliances with the applicable clauses of the following:

- Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation 2015 and Listing Agreements entered into by the Company with BSE Limited.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above.

**We further report that**, the company has filed the forms and returns with Ministry of Corporate Affairs / Registrar of Companies under Companies Act 2013 or other authorities under other applicable laws within the prescribed time.

**We further report that**, the Board of Directors of the Company was not duly constituted as the Company did not have requisite number of Independent Directors on its Board due to vacancy arisen out of end of the term of existing Independent Directors from February 21, 2020 onwards. It was observed that during the period under review from 01-04-2022 to 31-03-2023, Company has a vacancy of One (1) Independent Woman Director on its Board. The Company, being a Public Sector Undertaking, such appointment of adequate number of Directors/Independent Directors on the Board of the Company is to be done by the Administrative Ministry. Requests have also been made by the Company to the Administrative Ministry during the period under review; however, the Ministry is yet to appoint the requisite Independent Woman Director. Other changes in the composition of the Board of Directors with respect to the appointment of directors, which took place during the period under review for complying with the requirement of having six (6) directors, as the Company is within the 2000 Companies, were carried out in compliance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

**We further report that** the Company, during the period under review, has maintained Structured Digital Database (hereinafter referred to as "SDD" or the "Database") but as required under Regulation 3(5) & 3(6) of PIT Regulations, 2015 with respect to the time stamping, audit trails and non-tampering of the data could not be established.

**We further report that** during the year under review, the Company has applied to shift its registered office from the state of Maharashtra to the state of Kerala, which was approved by a special resolution at the 61<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Company. The proposal to shift registered office from the state of Maharashtra to the state of Kerala is also approved by the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India; the administrative Ministry of the Company. This application has been made to the concerned authorities and it is still under process. All the compliances, as applicable under the Companies Act, 2013 and the relevant Rules and Regulations thereunder, have been duly complied with.

Further, adequate notice, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance to all directors to schedule the Board Meetings, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

**We further report that**, the compliance by the Company of applicable financial laws such as Direct and Indirect Tax Laws and maintenance of financial records and books of accounts have not been reviewed in this audit since the same have been subject to review by Statutory Financial Auditors, CAG Auditors, Tax Auditors, Internal Auditors, Cost Auditors, and other designated professionals.

**We further report that**, the company has complied with all the committee meeting compliances and all the committee meetings were duly held during the year as required under the law.

**We further report that**, the company has filed various disclosures as applicable with Bombay Stock Exchange (BSE).

**We further report that** based on the review of compliance mechanism established by the Company and on the basis of the Compliance Certificates issued by the Company Secretary/the Chairman and Managing Director and taken on record by the Board of Directors at their meetings, we are of the opinion that there are adequate systems and processes in the Company to commensurate with the size and operations of the Company and to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period;

- No event has occurred which has a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.
- During the year, there were no other instances of
  - Public / Right / Preferential issue of shares / debentures/sweat equity, etc.
  - Redemption / buy-back of securities
  - Merger / amalgamation / reconstruction, etc.
  - Foreign technical collaborations.

This report is to be read with our letter of event date which is annexed as Annexure hereto and forms part to this report.

**For D.S. MOMAYA & CO. LLP,  
Company Secretaries  
FRN No. L2022MH012300**

**Place: Navi Mumbai  
Date: 30/05/2023  
UDIN: F007195E000426812**

**CS Divya Momaya  
Designated Partner  
FCS No. 7195/ CP No. 7885**

**ANNEXURE TO THE SECRETARIAL AUDIT REPORT**

To

The Members,

Hindustan Organic Chemicals Limited

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 is to be read along with this letter.

**Management's Responsibility**

- It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

**Auditor's Responsibility**

- Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.
- We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
- Wherever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

**Disclaimer**

- The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

**For D.S. MOMAYA & CO. LLP,  
Company Secretaries  
FRN No. L2022MH012300**

**Place: Navi Mumbai  
Date: 30/05/2023  
UDIN: F007195E000426812**

**CS Divya Momaya  
Designated Partner  
FCS No. 7195/ CP No. 7885**



# Financial Statements and Auditors Report 2022-23



**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

To the Members of M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited, Kochi

Report on the Audit of the Standalone financial statements

**Opinion**

- We have audited the accompanying standalone financial statements of M/s. **HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED** (CIN: L99999MH1960GOI11895) ("the company") which comprises of: -
  - The Standalone Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2023
  - The Standalone Statement of Profit and Loss for the year (including other comprehensive income) ended 31<sup>st</sup> March, 2023
  - Standalone Statement of Change in Equity for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2023
  - Standalone Cash Flow Statement for the year ended 31<sup>st</sup> March 2023, and
  - A Summary of significant accounting policies and other explanatory information
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023; and its loss, total comprehensive income, the changes in equity and its cash flows for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2023.

**Basis for opinion**

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013 ('the Act'). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Going Concern**

- During the year, the company has reported a 'net loss including other comprehensive income' of Rs.4,239.63 Lakhs (PY Rs. 1,015.89 lakhs) and an accumulated loss amounting to Rs.1,07,078.48 lakhs (previous year Rs.1,02,056.08 lakhs). Further, the net worth of the company is negative amounting to Rs. 95,512.95 lakhs (previous year Rs. 90,490.55 lakhs), excluding 'Other Comprehensive Income', as a result of the capital erosion due to losses reported by the company over the previous years.

However, we are informed that, the company, with the approval of the Government of India, is in the process of divesting and selling off its loss making unit at Rasayani, Mumbai, which includes assets with carrying amount amounting to Rs. 99,219.74 lakhs, including 551.172 acres of land owned by the unit. This process is expected to generate sufficient cash flow for the company. Further, as reported by the company in Note No. 45 of the Financial Statements, we draw the attention regarding the increased performance of the Manufacturing unit at Kochi.

Considering the above, the management has prepared the standalone Ind AS financial statements on going concern basis.

Our opinion is not modified in respect of the above.

**Emphasis of Matter**

- We draw attention to the interim financial results published by the company for the Quarter 2 of the current year included a write back of 'provision for statutory liability' created in the previous years amounting to Rs. 530.58 lakhs, which was reported under 'Other income'. However, based on further discussions, the management reinstated the said liability in the Quarter 4 and accordingly, the effect of such restatement was reported under 'other income' for the said quarter. As the write back as well as its reinstatement occurred in the current year itself, there is no net impact on the financial statements for the current year.

Our opinion is not modified in respect of the above.

**Key Audit Matters**

- Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

S. No	The Key Audit Matters	How our audit addressed the key audit matter
1.	<p><b>Investment in Subsidiary</b></p> <p>Hindustan Fluorocarbons Limited ("HFL") is a subsidiary of the Company, wherein the company holds 56.43% equity shares by way of an investment of Rs. 1,106 lakh, which is classified as a Financial Asset.</p> <p>Subsequent to initial recognition, the investment made at HFL is measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).As per the provisions of the Ind AS 107/9, the fair value of the financial asset is to be determined every year and accordingly, the carrying amount should be restated. Accordingly, the same has been considered as a key audit matter.</p>	<p>Our audit procedures included and were not limited to the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Carried out market research with respect to the volume of quoted shares of HFL being traded on the BSE.</li> <li>Evaluated the future prospects of HFL's operations in light of CCEA decision dated 29.01.2020 to close down HFL.</li> <li>Assessed the financial statements of HFL to verify whether the assets held for sale as shown in the financial statements exceeds its liability to the extent of the company's investment therein.</li> </ol>
2.	<p><b>Valuation of Inventory</b></p> <p>LPG, Benzene and chemical based inventory forms a significant part of the Company's inventory of which prices are fluctuating in nature and also depends on prices, decisions and conditions of other countries Inventories are valued at lower of cost and net realisable value except raw materials, work-in progress &amp; stores.</p> <p>The audit mainly focused on verification of the cost and net realizable value of the above.</p>	<p>Our audit procedures included and were not limited to the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reviewing data from software used by the company such as Distributed Control System for plant operations, independent PLC for the safety of the Plant, Tank Level Monitoring System "LMS" for the detailed statistics about stock of raw materials, finished products, and intermediate products along with various alarms, warnings and history of the tank operations etc.</li> <li>Testing the design, implementation and operating effectiveness of key internal financial controls, including controls over valuation of inventory.</li> <li>Testing on a sample basis the accuracy of cost for inventory by verifying the actual purchase cost. Testing the net realizable value by comparing actual cost with most recent selling price.</li> </ol>

S. No	The Key Audit Matters	How our audit addressed the key audit matter
3.	<p><b>Recognition, Measurement, and Depreciation of PPE</b></p> <p>The company, being an asset based entity, the recognition, measurement and depreciation of the PPE is very significant.</p> <p>The audit was mainly focused on the compliance of the provisions of the Ind AS 16 – Property, Plant and Equipments and the other aspects of asset accounting.</p>	<p>Our audit procedures included and were not limited to the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluating management's processes and controls over the identification, capitalization, classification, and subsequent measurement of PPE. We assessed the company's policies for determining the initial cost, subsequent measurement, and depreciation of PPE, including the application of appropriate depreciation methods and useful lives.</li> <li>2. We also tested a sample of PPE additions and disposals to verify the accuracy and completeness of their recognition and measurement.</li> <li>3. We assessed the consistency of depreciation policies and their compliance with applicable accounting standards and the accuracy of the calculation of depreciation.</li> <li>4. We verified the compliance with the provisions of Ind AS 16 for adopting the Revaluation model and its impact on the asset disclosures.</li> </ol>

#### Information Other than the Standalone financial statements and Auditor's Report thereon

7. The Company's management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's annual report, but does not include the standalone financial statements and our auditors' report thereon.
8. Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
9. In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We are not in receipt of other information and therefore we do not comment on the same.

#### Management's responsibility for the standalone financial statements

10. The Company's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act.
11. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
12. In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
13. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

#### Auditor's Responsibility for the Audit of Standalone Financial Statements

14. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes

our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

15. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
  - Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
  - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
  - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management and the Board of Directors
  - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
  - Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
16. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
17. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
18. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

#### Report on other legal and regulatory requirements

19. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 issued by the Central Government of India in terms of sub-section 11 of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
20. As required by the directions and sub directions issued by the office of the Comptroller & Auditor General of India under section 143 (5) of the Act, we give in the "Annexure B" a statement on the matters referred in those directions.
21. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
  - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
  - c) The Standalone Balance Sheet, Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, Statement of changes in Equity, and Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
  - d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of Companies (Accounts), Rules 2014;

- e) As per Notification No. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015, the Government Companies are exempted from provisions of section 164(2) of the Act. Accordingly, we are not required to report whether any directors are disqualified in terms of provisions contained in the said section.
- f) The report on internal financial control as required under clause (i) of sub section 3 of section 143 of the Companies Act 2013 is attached as "Annexure C".
- g) With respect to other matters to be included in the Auditors Report in accordance with Rule 11 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- (i) The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statement. - Refer note 36 to the standalone financial statements.
- (ii) The company do not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
- (iii) There were no amounts which were required to be transferred to Investor Education and Protection Fund by the company.
- (iv) a. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in note 47 no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall
- directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or
  - provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- b. The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in note 48 no funds have been received by the company from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall
- directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or
  - provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- c. Based on such audit procedures considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (iv) (a) and (iv) (b) contain any material mis-statement.
- (v) No dividend was declared or paid during the year which required compliance with section 123 of the Companies Act, 2013.
- (vi) Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of Account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Company with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023.
22. *Non-Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015:*  
*The Company has not complied with the Regulations 17(1)(a) and 17(1)(b) in respect of maintenance of an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one-woman director and not less than fifty percent of the Board of Directors as non-executive directors and maintenance of at least half of the board of Directors comprised of Independent Directors. (Refer Note 44 to the Standalone Financial Statements).*

Date: 18-05-2023

Place: Kochi-11

**For Balan & Co.**  
**Chartered Accountants**  
 Firm Regn. No.340S

**Joyal George, FCA**  
**Partner (Memb. No: 228702)**  
 UDIN: 23228702BGXDRK1444



**ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in Paragraph 17 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

- (i) In respect of the Company's Property Plant and Equipment and Intangible Assets:
  - (A) The Company is maintaining proper records showing the particulars including quantitative details and situation of property, plant and equipment.
  - (B) The Company is maintaining proper records showing full particulars of the intangible assets.
    - (a) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records, the Company follows a phased program for verification of all items of property, plant and equipment and the interval followed by the company, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the company and the nature of its assets. As per the said policy, the company has not conducted any physical verification during the current financial year.
    - (b) According to the information and explanations given to us and based on the examination of the relevant records provided to us, the title deeds of all the immovable properties disclosed in the financial statements, are held in the name of the Company. However, the original title deeds of the immovable properties in Kochi are not produced to us for our verification, and we are informed that the same is kept under the custody of the bank.  
  
Further, we are informed that, 22.717 acres of land owned by the company at Rasayani, Maharashtra, has been encroached and we are informed that the company is taking steps to recover the said land. Further, 10.576 acres of land at Rasayani, Maharashtra and 0.91 acres of land at Panvel, Maharashtra, has been acquired for public road and hence could not be considered as the assets owned by the company. Further, 32.547 acres of land at Rasayani, Maharashtra, is under the disputed possession of various other entities. The company has not considered the above extent of lands while considering the carrying value of land disclosed in the financial statements.
    - (c) The Company has revalued one of its land during the current year. The re-valuation was done based on the valuation done by the registered valuer. The change in the carrying amount of the said asset re-valued amounts to Rs.1305.38 Lakhs.
    - (d) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, no proceeding has been initiated or pending against the company for holding any Benami Property under the Benami Transactions Act.
- (ii) (a) The inventory has been physically verified by the management at reasonable intervals. However, we are informed that the company does not follow the practice of physically verifying the items classified under 'stores and spares'. The inventory of 'stores and spares' accounts for 48.41% (P.Y 37.21%) of the total carrying value of the inventories at the year end, and hence in our opinion, the coverage of the physical verification of the inventories are not adequate and appropriate. With respect to the remaining classes of inventories subject to the physical verification during the year, we are informed that, no discrepancies of 10% or more in the aggregate for the said class of inventory were noticed.
- (b) The company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions and hence the clause (ii) (b) of Para 3 of the Order is not applicable to the Company.
- (iii) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any investments in or provided security to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties during the year. Hence, the sub-clause (a) to clause (iii) of Para 3 of the said order is not applicable to the company.
- (b) According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted by us,
  1. The company has given a loan to its subsidiary company, secured against the immovable properties of the said subsidiary, during the earlier years, which has been 'overdue' for more than 3 years and has a carrying amount of Rs. 2744.06 lakhs at the end of the year, out of which Rs. 453.01 lakhs is 'non-interest bearing';
  2. The company has given an unsecured advance to M/s. Smith Stanitstreet Pharmaceuticals Ltd amounting to Rs. 65 lakhs during the earlier years which has been outstanding for more than 3 years.
  3. The company has invested a sum of Rs. 1106 lakhs in the subsidiary company in the earlier years and the business of the subsidiary has been shut down completely.

According to the information and explanations given to us, in our opinion, the repayments or returns from the above loans, advances and investments were not proper and hence the recoverability or realisability of the same depends on the realisability of the assets secured, if any.

The company has not given any loans, advances or made any investments during the current year.
- (c) In respect of the loans and advances as specified in (iii)(b)(1) above, the company has schedule of repayment of principal and interest has been stipulated, whereas, in the case of advance specified in (iii)(b)(2) above, no schedule of repayment of principal and interest has been specified. The repayment of the above are not regular.
- (d) In respect of the loans and advances as specified in (iii)(b)(1) above, the total amount overdue for more than 90 days amounts to Rs. 3,197.08 lakh and the company has informed us that the same will be realized as and when the assets of the recipient company secured against the said loan are fully realized. However, the

company is yet to take the possession of the said property secured against the loan. In respect of the advances specified in (iii)(b)(2) above, the total amount overdue for more than 90 days amounts to Rs. 65 lakh and the company has not taken any steps for the recovery of the principal and interest.

- (e) During the year, the company has not renewed or extended or granted fresh loans to settle the overdues of the existing loans given to any of the parties and therefore, the provisions of the clause 3(iii)(e) of the order is not applicable to the company.
- (f) In respect of the advance specified in (iii)(b)(2) above amounting to Rs. 65 lakhs, the company has not specified any terms or period of repayment.

Aggregate amount outstanding (₹)	Rs. 65 lakhs
Percentage to the total loans (₹)	1.97%
Of the above, aggregate amount of loans granted to Promoters and related parties	Nil

- (iv) In our opinion and according to the explanations given to us, the company has complied with the provisions of Sec 185 and 186 of the companies Act 2013 in respect of loans, investments, guarantees and securities made by it, during the year. However, the company has given interest free loans to its subsidiary company amounting to Rs. 2744.06 lakhs and advances to another company amounting to Rs.65 lakhs, for which no interest has been charged. We are informed that, these loans are given before the commencement of the provisions of Section 186(7) and hence does not constitute violation to the provisions of the said section.
- (v) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits during the year and does not have any unclaimed deposits as at March 31, 2022 and therefore, the provisions of the clause 3(v) of the Order are not applicable to the Company.
- (vi) According to the information given to us, the company is required to maintain the cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the act, and based on the test checks conducted by us, we are of the opinion that, prima facie, the prescribed accounts and records have been made and maintained. However, we have not made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.
- (vii) (a) According to the information given to us and on the basis of the checks conducted by us we report that the company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues such as Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues with appropriate authorities during the year. According to the information and explanations given to us and the records of the company examined by us, no undisputed amount payable in respect of Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues were in arrears for a period of more than six months from the date they became payable, as at 31st March, 2023.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, there are no statutory dues relating to Goods and Services Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Services Tax, Value Added Tax, Customs Duty, Cess and other statutory dues which have not been deposited as at March 31, 2023 on account of dispute, other than mentioned below:

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of Dues	Period to which the amount related	Amount of dispute (Rs.in Lakhs)	Forum where the dispute is pending
1	Central Excise Act, 1944	Exemption not allowed	2006-07	104.63	Customs, Excise & Services Tax Appellate Tribunal
2	Income Tax Act, 1961	Penalty Dues	2001-02	70.49	High Court
3	Income Tax Act, 1961	Disallowance of Expenses	2010-11	21.50	Income Tax Appellate Tribunal

- (viii) According to the information and explanations given to us, the company does not have any transactions not recorded in the books of account and has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).
- (ix) (a) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has made default on repayment of loans obtained from the Government of India, the details of which are as under –

Nature of Borrowing including debt securities	Name of the lender	Amount not paid on due date (Rs. In lakhs)	Whether Principal or interest	No. of years of delay or unpaid	Remarks if any
Plan loan	Government of India	537.79	Interest	21	
Non-Plan loan	Government of India	250.83	Interest	20	
Plan loan	Government of India	540.67	Interest	20	
Plan loan	Government of India	326.31	Interest	20	
Secured plan loan	Government of India	652.62	Interest	20	
Plan loan	Government of India	652.62	Interest	20	





Nature of Borrowing including debt securities	Name of the lender	Amount not paid on due date (Rs. In lakhs)	Whether Principal or interest	No. of years of delay or unpaid	Remarks if any
Plan loan	Government of India	328.61	Interest	19	
Plan loan	Government of India	462.20	Interest	19	
Plan loan	Government of India	770.34	Interest	18	
Plan loan	Government of India	566.68	Interest	18	
Plan loan	Government of India	423.24	Interest	17	
Plan loan	Government of India	654.81	Interest	17	
Plan loan	Government of India	452.14	Interest	16	
Plan loan	Government of India	147.36	Interest	15	
Plan loan	Government of India	727.81	Interest	14	
Non-Plan loan	Government of India	554.48	Interest	14	
Non-Plan loan	Government of India	68.77	Interest	13	
Non-Plan loan	Government of India	1,142.95	Interest	7	
Plan loan	Government of India	660.00	Principal	13	
		933.05	Interest		
Plan loan	Government of India	843.00	Principal	12	
		1181.67	Interest		
Plan loan	Government of India	1760.00	Principal	10	
		1929.73	Interest		
Plan loan	Government of India	1057.00	Principal	7	
		796.93	Interest		
Non-Plan loan	Government of India	2461.00	Principal	6	
		1491.5	Interest		
Non-Plan loan	Government of India	1057.00	Principal	5	
		540.58	Interest		
Non-Plan loan	Government of India	10,000.00	Principal	5	
		5093.15	Interest		
Non-Plan loan	Government of India	16392.46	Principal	5	
		8171.08	Interest		
Non-Plan loan	Government of India	11,026.00	Principal	5	
		5462.85	Interest		

- (xii) In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Hence, the clause (xii) (a) to (c) of Para 3 of the Companies (Auditors Report) Order, 2020 is not applicable.
- (xiii) In our opinion, all transactions with the related parties are in compliance with Section 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in Note 38 to the standalone financial statements as required by the applicable accounting standards.
- (xiv) (a) In our opinion, based on our examination, the Company has an internal audit system which commensurate with the size and nature of its business.  
(b) We have considered the internal audit reports of the company issued for the period under audit.
- (xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him for which provisions of section 192 are applicable.
- (xvi) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934, provisions of clause (xvi) (a) to (c) Para 3 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020, are not applicable to the Company.
- (xvii) The Company has incurred cash losses of Rs.4,903.41 Lakh in the current year and Rs.2,502.45 Lakh in the immediately preceding financial year.
- (xviii) The statutory auditor of the company has not resigned during the year. Therefore, the provisions of clause (xiii) Para 3 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020, are not applicable to the company.
- (xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the standalone financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that the Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- (xx) The company does not fall under the criteria of CSR Responsibilities as per section 135 of Indian Companies Act, 2013. Therefore, the provisions of clause (xx) of Para 3 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020, are not applicable to the Company.

**For Balan & Co.**  
**Chartered Accountants**  
 Firm Regn. No.340S

**Joyal George, FCA**  
**Partner (Mem. No: 228702)**  
 UDIN: 23228702BGXDRK1444

Date: 18-05-2023  
 Place: Kochi-11

- (b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not been declared as a wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender.
- (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, the Company has not obtained term loan during the year and accordingly clause 3 (ix) (c) of the Order is not applicable to the company.
- (d) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the funds raised by the company on short term basis have not been utilized for long term purposes.
- (e) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures of the company.
- (f) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not raised any loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.
- (x) (a) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer during the year. Hence, the clause (x) (a) Para 3 of the Companies (Auditors Report) Order, 2020 is not applicable.  
(b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures during the year and therefore, the clause 3(x)(b) does not apply to the company.
- (xi) (a) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, no frauds by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year, and hence the clause (xi) (a) Para 3 of the Companies (Auditors Report) Order, 2020 is not applicable.  
(b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.  
(c) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, no whistle-blower complaints have been received during the year by the company.



**ANNEXURE B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in Paragraph 18 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

As required by the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under 143 (5) of the Act, we give below our comments on the matters referred therein.

**A. Directions**

Sl. No.	C&G Direction	Statement of Statutory Auditor
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with financial implications if any may be stated	Based on the explanations given to us and based on our verification, we have identified the following systems for processing the accounting transactions of the company, viz., a) Accounting transactions are maintained through Tally ERP Prime, an accounting ERP software; b) Fixed assets register is maintained in MS Office Excel utility. c) Payroll management is done through a separate HRM software system. d) Consolidation of unit trial balances are done through MS Office Excel utility.  Based on the explanations given to us, we have not come across any accounting transactions being processed outside the above-mentioned systems.  Further, we recommend having a proper integration between the above-mentioned systems with the major accounting software, so as to avoid any potential risks of data loss or corruption during the data migration and transfer between the systems.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write-off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for?	The company has made default in repayment of the loans and preference shares availed from the Government of India, the principal of which aggregates to Rs. 72,256.46 Lakhs. However, based on the information given to us, there was no restructuring of any of such loans or cases waiver/ write-off of debts/ loans/ interest etc.  Hence, we are not commenting on the financial impact and accounting of the same.
3	Whether funds (grants/subsidy etc.) received or receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the case of deviations.	Based on the information given to us, during the year under report, there were no funds received or receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies.

**B. Sub-direction**

Sl. No.	C&G Direction	Statement of Statutory Auditor
1	State the area of land under encroachment and briefly explain the steps taken by the company to remove encroachment.	1) Based on the information given to us by the management, 65.840 acres of land at the Rasayani Unit, Maharashtra, of the company has been identified as 'under encroachment'  With respect to the steps taken by the management to remove the encroachment, we are informed that – a) The company is constantly communicating with the Senior Government officials of Govt. of Maharashtra for taking prompt steps for removing encroachment by the farmers at the land at Rasayani Unit. b) The company is also co-ordinating with the Ministry of Chemicals and Petrochemicals, Government of India, for the speedy resolution in the above case. c) The above recommendations include various proposals including settlement arrangements with the encroachers. d) The company has also filed suits in some instances. 2) Based on the explanations given to us, 32.547 acres of land at Rasayani Unit, Maharashtra, are under the possession of various entities such as MIDC, MSEB, HIL, MES etc.  With respect to the steps taken by the management to remove the encroachment, we are informed that – a) the company is constantly following up with the concerned officials for the recovery or registration of the said land possessed by such entities. b) In case of the land leased out to MES, the company has issued the notice of termination of lease to the party. However, the property is still under the possession of the lessee – MES. The matter is pending before Arbitration authority and the proceedings are under progress. 3) 10.576 acres of land at the Rasayani Unit, Maharashtra has been acquired by Governmental authorities and public road has been constructed. Hence, the company does not have possession as well as ownership with respect to the said land.
2	Whether there is any effective system for follow up of accumulated trade receivables especially which are more than three years old?	The company has a trade receivable amounting to Rs. 1,489.24 lakhs, which is more than three years old. The company has assessed and provided a sum of Rs. 1,474.28 lakhs as provision for bad and doubtful assets.  We are informed that the management is following up with the above debtors for the recovery and has initiated legal proceedings against some of such cases.
3	Whether there was an adequate system for watching actual consumption against norms in case of raw materials, intermediaries and utilities?	We are informed that the company prepares monthly statements comparing the actual consumption of raw material, intermediaries and utilities against the established norms as MIS Report.

**For Balan & Co.**  
 Chartered Accountants  
 Firm Regn. No.340S

Joyal George, FCA  
 Partner (Memb. No: 228702)  
 UDIN: 23228702BGXDRK1444

Date: 18-05-2023  
 Place: Kochi-11

**ANNEXURE C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in Paragraph 19(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

**Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (the Act)****Opinion**

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Hindustan Organic Chemicals Limited** (the company) as of 31<sup>st</sup> March, 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the company for the year ended on that date.
2. In our opinion, the company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over the financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**Management's responsibility for Internal Financial Controls**

3. The company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of accounting records and the timely preparation of reliable financial information as required under the Companies Act, 2013.

**Auditor's Responsibility**

4. Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting (the Guidance Note) and the standards on auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013 to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the Guidance Notes require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.
5. Our audit involves performing procedures to obtain Audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment including the assessment of risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error,

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the company's internal financial control systems over financial reporting.

**Meaning of internal financial controls over financial reporting**

6. A company's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of the standalone financial statements for external purposes in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 as amended, and other accounting principles generally accepted in India. A company's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of the records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflects the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that the transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 as amended, and other accounting principles generally accepted in India and that the receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding the prevention or timely deduction of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

**Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over the financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate. According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness has been identified as at March 31, 2023:

*The internal control system established by the company for conducting the physical verification of the inventory is not operating effectively as the same does not cover the physical verification of the stores and spares, which constitutes more than 48% (PY 37%) of the total carrying amount of the inventories, which could potentially result in the loss of inventory and obsolescence.*

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2023, based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2023 standalone financial statements of the Company, and the material weakness does not affect our opinion on the standalone financial statements of the Company

**For Balan & Co.**  
**Chartered Accountants**  
Firm Regn. No.340S

**Joyal George, FCA**  
**Partner (Memb. No: 228702)**  
UDIN: 23228702BGXDRK1444

Date: 18-05-2023

Place: Kochi-11

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023**

The preparation of the financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 18 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the  
**Comptroller and Auditor General of India**

(Guljari Lal)  
Director General of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai

Date: 08 August 2023

## Standalone Balance Sheet as at 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Notes	Current Year	Previous Year
		As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>Assets</b>			
<b>Non Current assets</b>			
a) Property, Plant and equipment	3a	16,375.07	15,348.07
b) Investment Property	3b	86.58	88.74
c) Other Intangible assets	3c	18.85	27.25
d) Financial Assets			
i) Investments	4	990.45	1,063.44
e) Other Non-current assets	5	518.05	497.37
Total (Non current assets)		<b>17,989.00</b>	<b>17,024.87</b>
<b>Current assets</b>			
a) Inventories	6	4,960.95	7,511.19
b) Financial assets:			
(i) Trade Receivables	7	1,807.71	735.12
(ii) Cash and cash equivalents	8	4,359.01	2,014.53
(iii) Bank balances other than (ii) above	9	12,371.47	11,496.20
(iv) Loans	10	3,219.43	3,218.09
(v) Other Financial Assets	11	1,433.34	1,334.04
c) Other current assets	12	2,415.52	2,870.50
d) Property, plant and equipments held for sale	3d	99,219.74	99,219.74
Total (Current Assets)		<b>1,29,787.17</b>	<b>1,28,399.41</b>
<b>Total Assets</b>		<b>1,47,776.17</b>	<b>1,45,424.28</b>
<b>Equity and Liabilities</b>			
<b>a) Equity</b>			
Equity Share capital	13	<b>6,726.96</b>	<b>6,726.96</b>
<b>b) Other equity</b>			
i) Securities Premium	14a	4,838.57	4,838.57
ii) Retained Earnings	14b	(1,07,078.48)	(1,02,056.08)
iii) Other comprehensive Income	14c	96,302.40	95,519.62
Total Other Equity		<b>(5,937.51)</b>	<b>(1,697.89)</b>
<b>Total Equity</b>		<b>789.45</b>	<b>5,029.07</b>
<b>Liabilities</b>			
<b>Non-current liabilities:</b>			
<b>Financial liabilities:</b>			
i) Borrowings		-	-
ia) Lease liabilities		-	-
ii) Provisions	15	2,395.90	2,797.59
iii) Deferred Tax liabilities (Net)	16	16,683.52	16,402.52
Total (Non-current liabilities)		<b>19,079.42</b>	<b>19,200.11</b>
<b>Current liabilities:</b>			
<b>a) Financial liabilities</b>			
i) Borrowings	17	72,256.46	72,256.46
ia) Lease liabilities		-	-
ii) Trade payables:			
Dues to micro and small enterprises	18	14.85	55.50
Dues to Others	18	4,052.02	4,096.34
iii) Other financial liabilities	19	46,070.59	40,395.78
<b>b) Provisions</b>	20	1,786.70	1,560.69
<b>c) Other current liabilities</b>	21	3,726.68	2,830.33
Total (Current liabilities)		<b>1,27,907.30</b>	<b>1,21,195.10</b>
Total Liabilities		<b>1,46,986.72</b>	<b>1,40,395.21</b>
<b>Total equity and liabilities</b>		<b>1,47,776.17</b>	<b>1,45,424.28</b>
Significant Accounting Policies	2		
Notes to the Standalone Financial Statements	1&3-64		

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board of Directors

**For Balan & Co.**

Chartered Accountants

FRN 340S

Sd/-

**Joyal George, FCA**

Partner

Membership No.: 228702

UDIN: 23228702BGXDRK1444

Place: Ernakulam

Date: 18.05.2023

Sd/-

**Sajeev B.**

Chairman and Managing Director

DIN 09344438

Sd/-

**Yogendra Prasad Shukla**

Director (Finance)

DIN 09674122

Sd/-

**Subramonian H.**

Company Secretary

ACS: 28380

Place: Ernakulam, Kerala

Date: 18.05.2023

### Standalone Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
<b>INCOME:</b>			
Revenue from operations-Sale of products	22	63,143.56	43,367.39
Other Income	23	1,154.60	3,142.73
<b>Total Income</b>		<b>64,298.16</b>	<b>46,510.12</b>
<b>EXPENSES:</b>			
Cost of materials consumed	24	42,679.26	27,879.70
Changes in Inventories of Finished Goods and work-in- progress	25	1,482.71	(1,430.78)
Employee benefits expenses	26	4,355.58	4,815.35
Finance costs	27	6,688.70	6,551.10
Depreciation and amortization expenses	28	118.75	116.37
Other expenses	29	13,995.57	11,197.20
<b>Total expenses</b>		<b>69,320.57</b>	<b>49,128.94</b>
Profit / (Loss) before exceptional items and tax		<b>(5,022.41)</b>	<b>(2,618.82)</b>
Less: Exceptional items		-	-
Profit / (Loss) before tax		(5,022.41)	(2,618.82)
(1) Current tax		-	-
(2) Deferred tax		-	-
<b>Less: Tax expenses</b>		-	-
<b>Profit / (Loss) for the period after tax</b>		<b>(5,022.41)</b>	<b>(2,618.82)</b>
<b>Other Comprehensive Income</b>			
(i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
a) Revaluation of Plant, property & equip.	14c	1,035.38	1,978.42
Deferred Tax expenses		(302.00)	(576.00)
b) Provision for diminution of investment	14c	(72.99)	(224.52)
Deferred Tax expenses		21.00	(65.00)
c) Changes in defined benefit plan (Gratuity)	14c	101.39	40.99
<b>Other Comprehensive Income for the year, net of tax</b>		<b>782.78</b>	<b>1,602.93</b>
<b>Total Comprehensive Income for the year</b>		<b>(4,239.63)</b>	<b>(1,015.89)</b>
Earnings per equity share (in Rupees)			
Basic (Face value of Rs. 10 each )		(7.48)	(3.90)
Diluted (Face value of Rs. 10 each)		(7.48)	(3.90)
Significant Accounting Policies	2		
Notes to the Standalone Financial Statements	1&3-64		

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board of Directors

**For Balan & Co.**

Chartered Accountants

FRN 340S

Sd/-

**Sajeev B.**

Chairman and Managing Director

DIN 09344438

Sd/-

**Joyal George, FCA**

Partner

Membership No.: 228702

UDIN: 23228702BGXDRK1444

Sd/-

**Yogendra Prasad Shukla**

Director (Finance)

DIN 09674122

Sd/-

**Subramonian H.**

Company Secretary

ACS: 28380

Place: Ernakulam

Date: 18.05.2023

Place: Ernakulam, Kerala

Date: 18.05.2023



### Statement of Changes in Equity for the year ended 31st March, 2023

**A. EQUITY SHARE CAPITAL**
**Rs. in lakhs**
**1. Current reporting period (2022-23)**

Particulars	Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of the current reporting period
	01.04.22	2022-23	01.04.22	2022-23	31.03.2023
Equity shares of Rs.10 each	<b>6726.96</b>	<b>0</b>	<b>6726.96</b>	<b>0</b>	<b>6726.96</b>

**2. Previous reporting period (2021-22)**
**Rs. in lakhs**

Particulars	Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of the current reporting period
	01.04.2021	2021-22	01.04.2021	2021-22	31.03.2022
Equity shares of Rs.10 each	<b>6726.96</b>	<b>0</b>	<b>6726.96</b>	<b>0</b>	<b>6726.96</b>

**B. OTHER EQUITY**
**Rs. in lakhs**

Particulars	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instrument	Reserves and surplus				Items of Other Comprehensive Income (OCI)						Money received against share warrants	Total	
			Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)	Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange diff. on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of OCI (Changes in Employees defined benefits plan)			
<b>1. Current reporting period (2022-23)</b>															2022-23
Balance at the beginning of the current reporting period (01.04.2022)	0.00	0.00	0.00	4838.57	0.00	(101761.72)	0.00	(32.56)	0.00	95008.71	0.00	543.47	0.00	0.00	<b>(1403.53)</b>
Changes in accounting policy or prior period errors (Note No.7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(294.36)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>(294.36)</b>
Restated balance at the beginning of the current reporting period	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4838.57</b>	<b>0.00</b>	<b>(102056.08)</b>	<b>0.00</b>	<b>(32.56)</b>	<b>0.00</b>	<b>95008.71</b>	<b>0.00</b>	<b>543.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(1697.89)</b>
Total Comprehensive Income for the current year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5022.41)	0.00	(72.99)	0.00	1035.38	0.00	101.39	0.00	0.00	<b>(3958.63)</b>
Dividends	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Transfer to retained earnings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Any other change (to be specified)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	(302.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>(281.00)</b>
Balance at the end of the current reporting period (31.03.2023)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4838.57</b>	<b>0.00</b>	<b>(107078.49)</b>	<b>0.00</b>	<b>(84.55)</b>	<b>0.00</b>	<b>95742.09</b>	<b>0.00</b>	<b>644.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(5937.52)</b>
<b>2. Previous reporting period (2021-22)</b>															2021-22
Balance at the beginning of the current reporting period (01.04.2021)	0.00	0.00	0.00	4838.57	0.00	(99497.02)	0.00	(192.08)	0.00	93606.29	0.00	502.48	0.00	0.00	<b>(741.76)</b>
Changes in accounting policy or prior period errors	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>59.76</b>
Restated balance at the beginning of the current reporting period	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4838.57</b>	<b>0.00</b>	<b>(99437.26)</b>	<b>0.00</b>	<b>(192.08)</b>	<b>0.00</b>	<b>93606.29</b>	<b>0.00</b>	<b>502.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(682.00)</b>
Total Comprehensive Income for the current year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2618.82)	0.00	224.52	0.00	1978.42	0.00	40.99	0.00	0.00	<b>(374.89)</b>
Dividends	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Transfer to retained earnings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Any other change (Deferred Tax liability)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(65.00)	0.00	(576.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>(641.00)</b>
Balance at the end of the current reporting period (31.03.2022)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4838.57</b>	<b>0.00</b>	<b>(102056.08)</b>	<b>0.00</b>	<b>(32.56)</b>	<b>0.00</b>	<b>95008.71</b>	<b>0.00</b>	<b>543.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(1697.89)</b>

Note: Previous year financial statement were restated to correct the errors as per Ind As8. (Note No.37)

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board of Directors

**For Balan & Co.**

 Chartered Accountants  
FRN 340S

Sd/-

**Sajeev B.**

 Chairman and Managing Director  
DIN 09344438

Sd/-

**Joyal George, FCA**

Partner

Membership No.: 228702

UDIN: 23228702BGXDRK1444

Sd/-

**Yogendra Prasad Shukla**

Director (Finance)

DIN 09674122

Sd/-

**Subramonian H.**

Company Secretary

ACS: 28380

Place: Ernakulam

Date: 18.05.2023

Place: Ernakulam, Kerala

Date: 18.05.2023

## Standalone Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Description	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:</b>		
<b>Profit / (Loss) for the period before tax</b>	(5,022.41)	(2,618.82)
Adjustments for :		
Depreciation/Loss on impairment of Assets	118.75	116.37
Profit(-) / Loss on sale of Assets	-	-
Interest Income	(795.79)	(672.82)
Interest & Finance Charges	6,688.70	6,551.10
Income from investments	(150.27)	(255.49)
Changes in defined Employee benefit plan-other comprehensive income	101.39	40.99
<b>Operating Cash Flows before Working Capital changes (A)</b>	<b>940.37</b>	<b>3,161.33</b>
Adjustments for		
(Increase)/Decrease in Inventories	2,550.24	(2,430.47)
(Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables	(1,507.20)	(1,684.69)
Increase/(Decrease) in Trade Payables & Other Liabilities	635.70	2,118.09
<b>Cash Generated from Operations (Working Capital Changes) (B)</b>	<b>1,678.74</b>	<b>(1,997.07)</b>
<b>Net Cash flow from Operating activities (1) (A+B)</b>	<b>2,619.11</b>	<b>1,164.26</b>
<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :</b>		
Purchase of Fixed Assets	(99.80)	(44.25)
Sale of fixed assets – Assets held for sale	-	-
Interest Income	753.75	750.00
Income from investments	86.65	191.87
<b>Net Cash flow from / (used in) Investing activities</b>	<b>740.60</b>	<b>897.62</b>
<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:</b>		
Increase/Decrease in Secured Loans	-	(1,161.82)
Increase/Decrease in Unsecured Loans	(1.34)	(1,394.13)
Interest Paid	(1,013.89)	(778.37)
<b>Net cash used in financing activities</b>	<b>(1,015.23)</b>	<b>(3,334.32)</b>
Net Increase Decrease in Cash and Cash Equivalents	2,344.48	(1,272.44)
Cash & Cash equivalents at the beginning of the period	2,014.53	3,286.97
<b>Cash &amp; cash equivalents at the end of the period</b>	<b>4,359.01</b>	<b>2,014.53</b>
<b>Cash &amp; Cash equivalents as per above comprise of following</b>		
a) Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents):		
Current accounts	277.00	239.30
Saving Account (Refer Note i)	153.43	149.25
Deposits with original maturity of less than three months	3,928.11	1,624.50
b) Cash on Hand	0.47	1.48
<b>Total</b>	<b>4,359.01</b>	<b>2,014.53</b>

Previous year figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to confirm to current year's classification.

As per our report of even date attached

For and on behalf of the Board of Directors

**For Balan & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 340S

Sd/-  
**Sajeev B.**  
Chairman and Managing Director  
DIN 09344438

Sd/-  
**Joyal George, FCA**  
Partner  
Membership No.: 228702  
UDIN: 23228702BGXDRK1444

Sd/-  
**Yogendra Prasad Shukla**  
Director (Finance)  
DIN 09674122

Sd/-  
**Subramonian H.**  
Company Secretary  
ACS: 28380

Place: Ernakulam  
Date: 18.05.2023

Place: Ernakulam, Kerala  
Date: 18.05.2023

**Notes to the Standalone Financial statements for the period ended 31st March, 2023****1. Corporate Information**

Hindustan Organic Chemicals Limited (the company) is a public limited company domiciled in India and is incorporated under the provisions of the Companies Act applicable in India. Its shares are listed on Bombay Stock Exchange (BSE) in India. The registered office of the company is located at 401, 402 and 403, 4<sup>th</sup> Floor, V Times Square, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai 400614. The Company is principally engaged in the business of bulk industrial chemicals and chemical intermediates.

**2. Significant Accounting Policies****2.1 Basis of Preparation of Financial Statement**

"These financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') (to the extent notified). The IND AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The separate financial statements have been prepared on accrual basis and under historical cost basis, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value:

Derivative financial Instrument

Defined Benefit Plans – Plan Assets

Certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments), The financial statements are presented in Indian Rupee ('INR') or ('Rs.') which is also the Company's functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals, except when otherwise indicated. Wherever the amount represented Rs. '0' (zero) connotes value less than Rupees a lakh.

**Significant accounting estimates, assumptions and judgements**

The preparation of the Company's separate financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

**Estimates and assumptions**

"The preparation of the financial statements in conformity with IND AS requires management to make estimates, judgements and assumptions. These estimates, judgments and assumptions affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the period. Application of accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgments and the use of assumptions in these financial statements have been disclosed at appropriate places.

Accounting estimates could change from period to period. Actual results could differ from those estimates. Appropriate changes in estimates are made as management becomes aware of changes in circumstances surrounding the estimates. Changes in estimates are reflected in the financial statements in the period in which changes are made and, if material, their effects are disclosed in the notes to the financial statements.

**Taxes**

Tax expense (Income Tax and Deferred Tax) in accordance with Ind-AS 12: Accounting for Taxes on Income has been recognised. There are many transactions and calculations undertaken during the ordinary course of business for which the ultimate tax determination is uncertain. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will impact the current and deferred tax provisions in the period in which the tax determination is made. The deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the assets will be realized in future.

**Employee benefits****i. Short-term obligations**

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the balance sheet.

**ii. Other long-term employee benefit obligations**

The liabilities for earned leave and sick leave are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting

period using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period that have terms approximating to the terms of the related obligation. Re measurements as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in profit or loss. The obligations are presented as current liabilities in the balance sheet if the entity does not have an unconditional right to defer settlement for at least twelve months after the reporting period, regardless of when the actual settlement is expected to occur.

**iii. Post-employment obligations**

"The Company operates the following post-employment schemes:

(a) Defined benefit plans such as gratuity, pension, post-employment medical plans; and

(b) Defined contribution plans such as provident fund.

**iv. Defined benefit plans**

The Company's gratuity scheme is a defined benefit plan. A defined benefit plan is a post employment benefit plan. The Company's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the amount of future benefits that employee have earned in return for their services in the current and prior periods.

**v. Defined contribution plans**

The company's provident fund scheme is a defined contribution plan. A defined contribution plan is a post employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions and will have no obligation to pay further amounts. Obligation for contributions to defined contribution plans are recognised as employees benefit expenses in the statement of Profit and Loss when they are due.

**i. Gratuity**

Gratuity is a post employment defined benefit plan. The liability recognised in the Balance Sheet in respect of gratuity is the present value of the defined benefit obligation at the Balance Sheet date. The Company's liability is actuarially determined at the end of each year. Actuarial gains/losses through re-measurement are recognised in other comprehensive income.

**Pension and gratuity obligations**

The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of defined benefit pension and gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation. The benefits which are denominated in currency other than INR, the cash flows are discounted using market yields determined by reference to high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit and loss.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income.

They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the balance sheet. Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in profit or loss as past service cost.

a) Defined benefit plans (gratuity benefits), liability in respect of defined benefit plans is recognised in the balance sheet, and is measured as the present value of the defined benefit obligation at the reporting date less the fair value of the planned assets. The present value of the defined benefit obligation is based on expected future payments which arise from the fund at the reporting date, calculated annually by independent actuaries. Consideration is given to expected future salary levels and period of service etc.

b) Company's contribution to provident fund is accounted for on accrual basis.

c) Temporary employee benefits are recognized as an expense at the undiscounted amount in the statement of profit and loss of the year in which the related service is rendered.

d) Bonus is provided in accordance with provisions of Payment of bonus act, 1965 on the basis of profitability.

e) Post employment and other long term employee benefits are recognised as an expense in the statement of profit and loss for the year in which the employee has rendered services. The expense is recognized at the present value of the amount payable determined using actuarial valuation technique. Actuarial gain and loss in respect of post employment and other long term benefits are charged to statement of profit and loss.



**Fair value measurement of financial instruments**

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured on the basis of quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model. The inputs to these models are taken from observation of the market where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

**Provision against obsolete and slow-moving inventories**

The Company reviews the condition of its inventories and makes provision against obsolete and slow-moving inventory items which are identified as no longer suitable for sale or use, on the basis of technical assessment. The Company carries out an inventory review at each balance sheet date and makes provision against obsolete and slow-moving items. The Company reassesses the estimation on each balance sheet date providing provision for slow moving inventory at 50% and in the case of obsolete items at 100%.

**Impairment of financial assets**

Provision for doubtful debts / Loans / Advances is made in the Books in respect of Sundry Debtors outstanding for more than 3 years. In respect of other Debtors, Loans and Advances, provisions are made to the extent considered as not recoverable by the management.

**Impairment of non-financial assets**

"The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset should be considered as impaired and it is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the asset. In determining fair value less cost of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share price for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators."

**2.2 Summary of significant accounting policies****a) Current versus Non-Current classification**

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle,
- Held primarily for the purpose of trading,
- Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

Trade receivables which are expected to be realised within 12 months from the reporting date shall be classified as current. Outstanding more than 12 months shall be shown as noncurrent only unless efforts for its recovery have been made and it is likely that payment shall be received within 12 months from the reporting date. A Judicious decision shall be taken by units in this regard.

liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle,
- It is held primarily for the purpose of trading,
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period payable shall be classified as Trade Payable if it is in respect of the amount due on account of goods purchased or services received in the normal course of business.

Trade payables which are expected to be settled within 12 months from the reporting date shall be shown as current.

The Company classifies all other liabilities as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**b) Revenue recognition**

The Company earns revenue primarily from manufacturing chemical product.

Effective April 1, 2018, the Company has applied Ind AS 115 which establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is to be recognised. Ind AS 115 replaces Ind AS 18 Revenue and Ind AS 11 Construction Contracts. The Company has adopted Ind AS 115 using the cumulative effect method. The effect of initially applying this standard is recognised at the date of initial application (i.e. April 1, 2018). The impact of the adoption of the standard on the financial statements of the Company is insignificant.

Revenue is recognised upon transfer of control of promised products or services to customers in an amount that reflects the consideration which the Company expects to receive in exchange for those products or services.

Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for volume discounts, performance bonuses, price concessions and incentives, if any, as specified in the contract with the customer. Revenue also excludes taxes collected from customers.

As the Company is engaged only in chemical manufacturing business and operating from single location only therefore disaggregates revenue based on geography location and industrial vertical are not require.

The specific recognition criteria described below must also be met before revenue is recognised.

**Sale of product**

Revenue from the sale of product is recognised when the significant risks and rewards of ownership of the product have passed to the buyer. Revenue from the sale of product is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns and allowances, trade discounts, and volume rebates.

**Rendering of services**

Income from services are recognized as and when the services are rendered.

**Interest income**

Interest income from a financial asset is recognised using effective interest rate method. Interest income is included in other income in the statement of profit and loss.

**Rental Income**

Rental income arising from operating lease on investment properties is accounted for on a straight line basis over lease terms unless the receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increases and is included in the Statement of profit or loss due to its operating nature.

**c) Property, Plant and Equipment**

Items of Property, plant and equipment including Capital-work in-progress are stated at cost (except land valued at fair value), net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Such cost includes the cost of replacing part of the plant and equipment and borrowing costs for long-term construction projects if the recognition criteria are met.

Subsequent expenditure related to an item of fixed asset is added to its book value only if it increases the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. When significant parts of plant and equipment are required to be replaced at intervals, the Company depreciates them separately based on their specific useful lives as prescribed in schedule II of Companies Act, 2013. All other repair and maintenance costs are recognised in statement of profit or loss as an when incurred. In respect of additions to /deletions from the Fixed Assets, depreciation is provided on pro-rata basis with reference to the month of addition/deletion of the Assets.

The management's considered view is that estimated useful lives as per the Schedule II of the Companies Act, 2013 are realistic and reflect fair approximation of the period over which the assets are likely to be used. The company reviews the useful life of the Property, plant & equipment and Intangible asset as at the end of each reporting period and these reassessment may result in change in depreciation expenditure in future period.

Depreciation is provided for property, plant and equipment on a straight line basis so as to expense the cost less residual value over their estimated useful lives of Property, plant and equipment as per Schedule II of the Companies Act 2013 as under:

- 1) Buildings : 3/5/30/60 years
- 2) Plant & equipments: 10/12/15/20 years
- 3) Furniture & fixtures: 10 years
- 4) Vehicles: 8/10 years
- 5) Office equipments: 3/5/6/8 years
- 6) Intangible assets: 5 years

Items of fixed assets that have been retired from active use and are held for disposal are valued at lower of their net book value or net realisable value."

**Investment Properties**

The company uses the carrying value as the deemed cost of investment properties. Investments in property that are not intended to be occupied substantially for use by, or in the operations of the company, have been classified as investment property. Investment properties are measured initially at its cost including transaction cost and where applicable borrowing costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any. Subsequent cost are included in the assets carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the reporting period in which they are incurred.

Though the company measures investment property using cost based measurement, the fair value of investment property is disclosed in the notes. Fair values are determined based on an annual evaluation performed by an accredited external independent valuer.

The company depreciates its investment properties over the useful life which is similar to that of Property, Plant and Equipment.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of derecognition.

**d) Property, plant and equipment held for sale**

Non-current assets or disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through sale transactions rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the sale is highly probable and the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification as held for sale, and actions required to complete the plan of sale should indicate that it is unlikely that significant changes to the plan will be made or that the plan will be withdrawn.

Property, Plant and Equipment and intangible assets are not depreciated or amortised once classified as held for sale.

Leasehold improvements over the period of lease

Leasehold Land:

Lease premium paid on leasehold land is amortised over the life of the lease. The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

**e) Intangible assets**

i) Intangible assets consisting of computer software, SAP licence cost and Tally ERP cost are amortised over a period of 5 years on straight line basis (SLM) from the date of acquisition.

ii) Other intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets with definite life are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalised development costs, are not capitalised and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a definite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the statement of profit or loss when the asset is derecognised. Research costs are expensed as an when incurred. Development expenditures on an individual project are recognised as an intangible asset when the Company can demonstrate technical and commercial feasibility of making the asset available for use or sale.

Following initial recognition of the development expenditure as an asset, the asset is carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Amortisation of the asset begins when development is complete and the asset is available for use. It is amortised over the period of expected future benefit. Amortisation expense is recognised in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

**f) Borrowing costs**

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period in which they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

**g) Foreign Currency Transactions and balances**

Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency remaining unsettled at the end of the year, are translated at the closing rate prevailing on the Balance Sheet date. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in foreign currency are reported using the exchange rate at the date of transaction. Exchange differences arising as a result of the above are recognized as income or expenses in the statement of profit and loss. Exchange difference arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognised as income or expenses in the year in which they arise. Foreign exchange difference on foreign currency borrowings, loans given, settlement gain/loss and fair value gain/loss on derivative contract relating to borrowings are accounted and disclosed under finance cost. Such exchange difference does not include foreign exchange difference regarded as an adjustment to the borrowings cost and capitalised with cost of assets

**h) Fair value measurement**

"The Company measures financial instruments, such as, derivatives at fair value at each balance sheet date on a portfolio basis. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability, or in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability. The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs. All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole

Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities"

Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable

Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognised in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period. For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

This note summarises accounting policy for fair value. Other fair value related disclosures are given in the relevant notes.

**i) Leases**

"The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

For arrangements entered into prior to 1 April 2015, the company has determined whether the arrangement contain lease on the basis of facts and circumstances existing on the date of transition."

Company as a lessee

"A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the Company is classified as a finance lease. Finance leases are capitalised at the commencement of the lease at the inception date fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the Company's general policy on the borrowing costs. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred. A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the



Company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term."

Company as a lessor

"Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease."

#### j) Inventories

(i) Stores and spares, packing materials and raw materials are valued at lower of cost or net realisable value and for this purpose, cost is determined on moving weighted average basis. However, the aforesaid items are not valued below cost if the finished products in which they are to be incorporated are expected to be sold at or above cost.

(ii) Semi-finished products and finished products are valued at lower of cost or net realisable value and for this purpose, cost is determined on standard cost basis which approximates the actual cost. Variances, exclusive of abnormally low volume and operating performance, are adjusted to inventory.

(iii) By-products are valued at estimated net realizable value.

(iv) Trading goods are valued at lower of cost and net realizable value. Cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on a weighted average basis.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

#### k) Impairment of non-financial assets

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognised.

#### l) Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the statement of profit and loss net of any reimbursement. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost. Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have risen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-

occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

#### m) Financial instruments

"A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset.

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at its amortised cost if both the following conditions are met:

- The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and
- Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in other income in the statement of profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the statement of profit or loss."

Debt instrument at FVTOCI

A 'debt instrument' is classified at FVTOCI if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

"b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Profit and Loss. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to Profit and Loss. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method."

Debt instrument at FVTPL

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as FVTPL. In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The company has designated certain debt instrument as at FVTPL. Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the company may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The company makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable. If the company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to statement of profit and loss, even on sale of investment. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity. Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

De-recognition

"A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is primarily derecognised (i.e. removed from the Company's balance sheet) when:

the rights to receive Cash flows from the asset have expired, or

the company has transferred its rights to receive Cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or



- (b) the company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the company continues to recognise the transferred asset to the extent of the Company's continuing involvement. In that case, the company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay."

#### Impairment of financial assets

"In accordance with Ind AS 109, the company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

- Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balance
- Financial assets that are debt instruments and are measured as at FVTOCI
- Lease receivables under Ind AS 17
- Trade receivables or any contractual right to receive cash or another financial asset that result from transactions that are within the scope of Ind AS 18 (referred to as 'contractual revenue receivables' in these financial statements)
- Financial guarantee contracts which are not measured as at FVTPL

The company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on:

#### Trade receivables and Other receivables

The application of simplified approach does not require the company to track changes in credit risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition. For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the company determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-month ECL is used to provide for impairment loss.

However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognising impairment loss allowance based on 12-month ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL is the difference between all contractual cash flows that are due to the company in accordance with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (i.e., all cash shortfalls), discounted at the original EIR. When estimating the cash flows, an entity is required to consider:

All contractual terms of the financial Instrument (including prepayment, extension, call and similar options) over the expected life of the financial instrument. However, in rare cases when the expected life of the financial instrument cannot be estimated reliably, then the entity is required to use the remaining contractual term of the financial instrument.

Cash flows from the sale of collateral Held or Other credit enhancements that are integral to the contractual terms. financial assets measured as at amortised cost, contractual revenue receivables and lease receivables: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the balance sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount."

#### n) Financial liabilities

##### Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or payables, as appropriate. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs. The Company's financial liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including bank overdrafts, financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

##### Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value

through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109. Gains or losses on liabilities held for trading are recognised in the statement of profit and loss.

##### Loans and borrowings

This is the category most relevant to the company. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit and loss. This category generally applies to borrowings.

##### Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts issued by the company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognised initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognised less cumulative amortisation.

##### De-recognition

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit and loss.

##### Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the standalone balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

#### o) Derivative financial instruments

Initial recognition and subsequent measurement. The Company uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, full currency swaps and interest rate swaps contracts to hedge its foreign currency risks and interest rate risks respectively. Such derivative financial instruments are initially recognised at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

#### p) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalent in the balance sheet comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and short-term deposits, as defined above, net of outstanding bank overdrafts as they are considered an integral part of the Company's cash management.

#### q) Cash dividend

The Company recognises a liability to make cash distributions to equity holders when the distribution is authorised and the distribution is no longer at the discretion of the Company. As per the corporate laws in India, a distribution is authorised when it is approved by the shareholders. A corresponding amount is recognised directly in equity.

#### r) Taxes

##### Current income tax

"Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Current tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate."

##### Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences, except: When the deferred tax liability arises from the initial recognition of Goodwill or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit



nor taxable profit or loss in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interests in the temporary differences will not reverse in the foreseeable future. Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised, except: When the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

**s) Minimum Alternate Tax (MAT)**

Minimum Alternate Tax (MAT) paid as per Indian Income Tax Act, 1961 is in the nature of unused tax credit which can be carried forward and utilised when the Company will pay normal income tax during the specified period. Deferred tax assets on such tax credit is recognised to the extent that it is probable that the unused tax credit can be utilised in the specified future period. The net amount of tax recoverable from, or payable to, the taxation authority is included as part of receivables or payables in the balance sheet.

**t) Government grants**

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with. When the grant relates to an expense item, it is recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed. When the grant relates to an asset, it is recognised as income in equal amounts over the expected useful life of the related assets.

Export Benefits:

"Duty free imports of raw materials under Advance License for imports as per the Import and Export Policy are matched with the exports made against the said licenses and the net benefit/obligation has been accounted by making suitable adjustments in raw material consumption.

The benefit accrued under the Duty Drawback, Merchandise Export Incentive Scheme and other schemes as per the Import and Export Policy in respect of exports made under the said schemes is included as 'Export Incentives' under the head 'Other operating revenue'."

**u) Earnings Per Share:**

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

**v) Contingent Liability and Contingent assets**

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. A contingent liability also arises in extremely rare cases where there is a liability that cannot be recognized because it cannot be measured reliably. The Company does not recognize a contingent liability but discloses its existence in the financial statements. A contingent assets is not recognised unless it becomes virtually certain that an inflow of economic benefits will arise. When an inflow of economic benefits is probable, contingent assets are disclosed in the financial statements. Contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each balance sheet date.

**w) Share-Based Payments:**

Measurement and disclosure of the employee share based payment plans is done in accordance with Ind AS 102, Share-Based Payment. The Company measures compensation cost relating to employee stock options using the fair value method. Compensation expense is amortised over the vesting period of the option on a straight line basis.

**x) Errors and Omissions of earlier period:**

Errors and omissions in individual items of Income and Expenditure relating to earlier periods, exceeding ₹1 Lakh is accounted in the respective period, if possible, or adjusted against opening retained earnings.

- 1) No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- 2) No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

**Recent Accounting Pronouncements**

The Ministry of Corporate Affairs through Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2020 has notified the following new and amendments to Ind AS which the company has applied as they are effective for annual period that begins on or after April 1, 2020.

**Ind AS 103: Business Combination**

Definition of term "business" has been substituted with "an integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to customers, generating investment income (such as dividends or interest) or generating other income from ordinary activities. Accordingly, providing goods or services to customers has been added. This amendment is necessary because every business involves providing goods or services to the customers. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS is not applicable.

**Ind AS 107 and Ind AS 109: Financial Instrument**

Hedge accounting is a method of accounting where entries to adjust the fair value of a security and its opposing hedge are treated as one. Hedge accounting attempts to reduce the volatility created by the repeated adjustment to a financial instrument's value, known as fair value accounting or mark to market. This reduction in volatility is done by combining the instrument and the hedge as one entry, which offsets the opposing movements. For hedging relationships to which an entity applies an entity shall disclose (a) the significant interest rate benchmarks to which the entity's hedging relationships are exposed (b) the extent of the risk exposure the entity manages that is directly affected by the interest rate benchmark reform (c) how the entity is managing the process to transition to alternative benchmark rates (d) a description of significant assumptions or judgements the entity made in applying these paragraphs (for example, assumptions or judgements about when the uncertainty arising from interest rate benchmark reform is no longer present with respect to the timing and the amount of the interest rate benchmark-based cash flows); and (e) the nominal amount of the hedging instruments in those hedging relationships.

Following temporary exceptions have also been provided from applying specific hedge accounting requirements a) For assessing highly probable requirement for cash flow hedges b) Reclassifying the amount accumulated in the cash flow hedge reserve c) Assessing the economic relationship between the hedged item and the hedging instrument d) Designating a component of an item as a hedged item. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS is not applicable.

**Ind AS 116: Leases**

Due to the COVID- 19, and thereafter the lockdown in India, many businesses have been shut or partially opened resulting into adverse impact on Revenue & Cash flow. Accordingly, the lease payment has been affected and the businesses are demanding the rent concession from their vendors. If the below mentioned conditions are fulfilled, then entity treat the Rent concession without lease modification. (a) the change in lease payments results in revised consideration for the lease that is substantially the same as, or less than, the consideration for the lease immediately preceding the change; (b) any reduction in lease payments affects only payments originally due on or before the 30th June, 2021 (for example, a rent concession would meet this condition if it results in reduced lease payments on or before the 30th June, 2021 and increased lease payments that extend beyond the 30th June, 2021); and (c) there is no substantive change to other terms and conditions of the lease. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS is not applicable.

**Ind AS 1 and 8: Presentation of Financial Statements and Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors**

A new definition of material has been introduced by this amendment, this is more refined and also most expected by the industry, some of the examples of circumstances have also been provided for more clarity.

Material: Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity. Materiality depends on the nature or magnitude of information, or both. An entity assesses whether information, either individually or in combination with other information, is material in the context of its financial statements taken as a whole.

Information is obscured if it is communicated in a way that would have a similar effect for primary users of financial statements to omitting or misstating that information. The following are examples of circumstances that may result in material information being obscured: –

- information regarding a material item, transaction or other event is disclosed in the financial statements but the language used is vague or unclear
- information regarding a material item, transaction or other event is scattered throughout the financial statements
- dissimilar items, transactions or other events are inappropriately aggregated;
- similar items, transactions or other events are inappropriately disaggregated; and
- the understandability of the financial statements is reduced as a result of material information being hidden by immaterial information to the extent that a primary user is unable to determine what information is material.

Assessing whether information could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users of a specific reporting entity's general purpose financial statements requires an entity to consider the characteristics of those users while also considering the entity's own circumstances.

The primary users to whom general purpose financial statements are directed. Financial statements are prepared for users who have a reasonable knowledge of business and economic activities and who review and analyses the information diligently. At times, even well-informed and diligent users may need to seek the aid of an adviser to understand information about complex economic phenomena.

The Company has duly considered the changes in definition of 'materiality' for presentation of Financial Statements and Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

#### Ind AS 10 Events after the Reporting Period

A paragraph 21 of the Ind AS 10 have been substituted, in the amendment any non-adjusting events that could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general-purpose financial statements make on the basis of those financial statements which provide financial information about a specific reporting entity have been added.

Accordingly, the following disclosure to be provided

- the nature of the event; and
- an estimate of its financial effect, or a statement that such an estimate cannot be made.

The company duly considered the aforesaid amendment for the preparation, disclosure and presentation of financial statements.

#### Ind AS 34 Interim Financial Reporting

Consequential amendment and accounting of restructuring plan.

#### Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

A management or board decision to restructure taken before the end of the reporting period does not give rise to a constructive obligation at the end of the reporting period unless the entity has, before the end of the reporting period

- started to implement the restructuring plan; or
- announced the main features of the restructuring plan to those affected by it in a sufficiently specific manner to raise a valid expectation in them that the entity will carry out the restructuring.

This amendment is not applicable to the company.

#### Recent Indian Accounting Standards (Ind AS)

The Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 to further amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. In this amendment, the following new and amendments brought into Indian Accounting Standards, which the Group has duly applied, wherever applicable during the year:

#### Ind AS – 103: Business Combination

The first amendment relates to recognition condition of the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquire. To qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. The Company does not expect any impact from this amendment.

#### Ind AS – 105: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

The amendment provides for the change in the definition of recoverable amount – recoverable amount means the higher of an asset's fair value less costs of disposal. The Company does not expect any impact from this amendment.

#### Ind AS – 107: Financial Instruments – Disclosures

The amendment provides for additional disclosures related to interest rate benchmark reform on an entity's financial instruments and risk management strategy. The Company does not expect any impact from this amendment.

#### Ind AS – 109: Financial Instruments

The amendment provides for changes in the basis for determining the contractual cash flows as a result of interest rate benchmark reform by way of amending the contractual terms specified at the initial recognition of the financial instrument, in a way that was not considered by or contemplated in the contractual terms at the initial recognition of the financial instrument, without amending the contractual terms and/or because of the activation of an existing contractual term. The Company does not expect any impact from this amendment.

#### Ind AS – 114: Regulatory Deferral Accounts

This amendment provide for the change in accounting policies in respect of regulatory deferral account balances. An entity shall not change its accounting policies in order to start to recognise regulatory deferral account balances. An entity may only change its accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances if the change makes the financial statements more relevant to the economic decision-making needs of users and no less reliable, or more reliable and no less relevant to those needs. An entity shall judge relevance and reliability using the criteria in paragraph 10 of Ind AS 8. The Company does not expect any impact from this amendment.

#### Ind AS – 116: Leases

The amendment provides for the change the basis for determining future lease payments as a result of interest rate benchmark reform. A lease modification is required by interest rate benchmark reform if, and only if, both of these conditions are met: (a) the modification is necessary as a direct consequence of interest rate benchmark reform; and (b) the new basis for determining the lease payments is economically equivalent to the previous basis. The Company does not expect any impact from this amendment.

The Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022 to further amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The company has applied Indian Accounting Standards Amendment Rules 2022, with effect from 1 April 2022.

#### Ind AS – 103: Business Combination

The first amendment relates to recognition condition of the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquire. To qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. The other amendments provide for the guidance on recognizing the intangible assets, specify the type of identifiable assets and liabilities that include items for which this Ind AS provides limited exceptions to the recognition principle and conditions, provides limited exceptions to its recognition and measurement principles and specify both the particular items for which exceptions are provided and the nature of those exceptions. The Company does not expect any impact from these amendments.

#### Ind AS – 16: Property Plant and Equipment

The amendment provides for directly attributable cost in respect of costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment). Excess of net sale proceeds of items produced over the cost of testing, if any, shall not be recognised in the profit or loss but deducted from the directly attributable costs considered as part of cost of an item of property, plant, and equipment. The Company does not expect any impact from this amendment.

#### Ind AS – 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

This amendment provides for, in respect of onerous contract, the cost of fulfilling a contract comprises the costs that relate directly to the contract. Costs that relate directly to a contract consist of both- (a) the incremental costs of fulfilling that contract (b) an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts. It also provides for, before a separate provision for an onerous contract is established, an entity recognises any impairment loss that has occurred on assets used in fulfilling the contract. The Company does not expect any impact from this amendment.



## NOTE 3 - Property, Plant and equipment

(Rs. In Lakh)

Sl. No.	Description	GROSS BLOCK			DEPRECIATION / AMORTISATION / IMPAIRMENT			NET BLOCK			
		As at 01.04.2022	Additions	Deletions	As at 31.03.2023	Up to 01.04.2022	Deletions	Provided during the year	Up to 31.03.2023	As on 31.03.2022	As on 31.03.2023
a)	Property, Plant and equipment										
1a	Land and Land Development	578.25	0.00	0.00	578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	578.25	578.25
1b.	-do- Revaluation	12406.00	1035.38	0.00	13441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13441.38	12406.00
2.	Buildings	1282.52	0.00	0.00	1282.52	899.73	18.00	917.73	364.79	382.79	382.79
3.	Plant and Equipment	24942.37	90.49	0.00	25032.86	23044.05	78.74	23122.79	1910.07	1898.32	1898.32
4	Furniture, Fixtures and Equipments	115.13	1.99	0.00	117.12	103.27	0.89	104.16	12.96	11.86	11.86
5.	Vehicles	118.63	0.17	0.00	118.80	108.54	0.83	109.37	9.43	10.09	10.09
6.	Office Equipment	683.03	7.15	0.00	690.18	622.31	9.72	632.03	58.15	60.72	60.72
7.	Library Books	13.47	0.00	0.00	13.47	13.43	0.00	13.43	0.04	0.04	0.04
	<b>Sub Total</b>	<b>40139.40</b>	<b>1135.18</b>	<b>0.00</b>	<b>41274.58</b>	<b>24791.33</b>	<b>108.18</b>	<b>24899.51</b>	<b>16375.07</b>	<b>15348.07</b>	<b>15348.07</b>
b)	Investment Property										
b.	Investment property Land	16.71	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71	16.71
b1.	Investment property Building	136.89	0.00	0.00	136.89	64.86	2.16	67.02	69.87	72.03	72.03
	<b>Sub Total</b>	<b>153.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.60</b>	<b>64.86</b>	<b>2.16</b>	<b>67.02</b>	<b>86.58</b>	<b>88.74</b>	<b>88.74</b>
c)	Intangible assets - Computer software	442.30	0.00	0.00	442.30	415.04	8.40	423.44	18.85	27.25	27.25
	<b>G. Total</b>	<b>40735.30</b>	<b>1135.18</b>	<b>0.00</b>	<b>41870.48</b>	<b>25271.23</b>	<b>118.74</b>	<b>25389.97</b>	<b>16480.50</b>	<b>15464.06</b>	<b>15464.06</b>

- During the year there is no change in the management estimates of the useful life for various class of Property, plant and equipments and Intangible assets.
- Company had given 1.03 acre of land at Ambalamugal in Kochi to M/s. Sterling Gas Limited as operating lease under cancellable lease agreement. Investment properties are distinguished from owner occupied property based on area covered under lease agreement and the value of investment has been determined using pro-rata basis.
- Company own 184 residential flats at Kochi comprising of 155104 Sq. Ft. out of which 46594 Sq. Ft. consisting of 55 flats has been earmarked as investment property for letting out.
- Land at Kochi have been revalued by professionally qualified independent valuer Er.S.Rajendraprasad, Wealth Tax No: Category No.1/3/Vol.II/2009-10.No:CC-CHN/TECH/RV/3/2009-10) on 14.04.2023. The carrying amount that would have been recognised Rs.578.25 Lakhs under cost model and the revaluation surplus Rs.1035 Lakhs and no restrictions on the distribution of the balance to shareholders.
- The company has not revalued its intangible assets during the Financial year

<b>Amounts recognised in profit or loss for investment properties</b>		<b>31.03.2023</b>	<b>31.03.2022</b>
Rental income including contingent rent		26.98	24.07
Direct operating expenses from property that generated Rental Income		15.74	7.20
Direct operating expenses from property that did not generate rental income		0.00	0.00
Income from investment properties before depreciation		<b>11.24</b>	<b>16.87</b>
Depreciation		2.16	2.16
Income from investment properties		<b>9.08</b>	<b>14.71</b>
<u>Fair value of investment property (Land)</u>			
Investment property-Sterling Gas Ltd		120.41	111.66
Investment property-Township		408.49	371.35
<b>Total</b>		<b>528.90</b>	<b>483.01</b>

Estimation of fair value:

The fair value of investment property has been determined by an external registered independent property valuer having professional qualification.



**NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

**3d) Property, plant and equipments held for sale** Amount (Rs in Lakh)

Description of the Non-Current Assets	Facts and Circumstances of the sale	Manner of disposal	Timing of disposal	NET BLOCK	
				As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
Land	Closure of Rasayani unit and disposal of assets.	Direct sale of 152 acres of land to BPCL and balance through NBCC.	Within 12 months	99094.84	99094.84
Buildings		E-auction through MSTC	-do-	65.15	65.15
Plant and Equipment		-do-	-do-	58.81	58.81
Furniture, Fixtures and Equipments		-do-	-do-	0.94	0.94
<b>Total</b>				<b>99219.74</b>	<b>99219.74</b>

Note: The company is in the process of implementation of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbered land in Rasayani through NBCC and Panvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant at Kochi is in operation.

Description	As at 31.03.2023	Rs. in Lakh As at 31.03.2022
<b>Financial Assets</b>		
<b>4. Investments</b>		
<b>Non current</b>		
Investment stated at Cost		
<b>(A) Investments in Equity Instruments</b>		
a. Investment in Subsidiary (Quoted)		
11060000 (previous year 11060000) Equity Shares of Rs. 10 each fully paid in Hindustan Fluorocarbons Ltd. (Holding 56.43% of shares)	1,106.00	1,106.00
<b>Less:</b> Provision for impairment in value of investment (Market value as on 31.03.2023 Rs.8.91, Previous Year Rs. 9.57 per share) *	120.55	47.56
<b>Sub-total</b>	<b>985.45</b>	<b>1,058.44</b>
Investment in Unquoted Equity Shares of Kerala Enviro Infrastructure Ltd (50000 Unquoted Equity Shares @ Rs.10/-)	5.00	5.00
<b>Less :-</b> Provision for impairment in value of investment	-	-
<b>Total Non-Current Investments</b>	<b>990.45</b>	<b>1,063.44</b>
Aggregate amount of quoted investments (Market Value)	985.45	1,058.44
Aggregate amount of quoted investments (Cost)	1,106.00	1,106.00
Aggregate amount of unquoted investments	5.00	5.00
Aggregate amount of provision for impairment	120.55	47.56
<b>Total Non-Current Investments</b>	<b>990.45</b>	<b>1,063.44</b>
* Gain/loss in value of investment is recognised in Other comprehensive income since the market value was Rs.8.91 per share as on 31.03.2023 and Rs.9.57 per share as on 31.03.2022 (Face value Rs.10 per share).		
<b>5. Other Non-Current Assets</b>		
i) Other Deposits with authorities and high court	518.05	497.37
<b>Total</b>	<b>518.05</b>	<b>497.37</b>

Description	As at 31.03.2023	Rs. in Lakh As at 31.03.2022
<b>6. Inventories</b> (Valued at lower of cost and net realisable value)		
a. Raw materials and components	998.33	1,699.53
b. Work in progress	938.00	1,133.84
c. Finished goods	978.47	2,265.34
d. Store and spares	2,401.65	2,795.21
Less: Allowances for obsolescence of stores and spares.	(355.50)	(382.73)
<b>Total</b>	<b>4,960.95</b>	<b>7,511.19</b>

\* Allowances for stores obsolescence are made at 50% of the Slow moving items above five years and at 100% for obsolete items.

<b>7. Trade Receivables</b>		
Considered good - Secured	-	-
Considered good - Unsecured	1,807.23	732.03
Which have significant increase in credit risk	0.48	3.09
Credit impaired	1,474.52	1,489.46
Less: Allowance for doubtful trade receivable	(1,474.52)	(1,489.46)
Less: Bills Receivables discounted	-	-
<b>Total trade receivables</b>	<b>1,807.71</b>	<b>735.12</b>

Allowance is made in the accounts for trade receivables which in the opinion of the management are considered credit impaired. The Company is consistently following the practice of creating allowance for those trade receivables which remain outstanding for more than three years or doubtful of recovery. Trade receivable between two to three years showing significant credit risk have been provided for allowance.

**The disclosure of movement as required under Indian Accounting Standard 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

Allowance for doubtful Trade receivables		
Provision at the beginning of the year	1,489.46	1,474.13
Provisions made during the year **	2.14	16.77
Released during the year *	17.08	1.44
Provision at the end of the year	<b>1,474.52</b>	<b>1,489.46</b>

\*During the year the Company has collected/written off Trade Receivables to the tune of Rs. 17.08 Lakh(previous year Rs.1.44 lakhs) for which allowance has already been created.

\*\*Trade receivables provision is done as per ECL matrix.

Debtors ageing	Debtors	%	Provision
Not overdue	3,790.94	0.00	0
90-180 Days	0.90	32.29	0.11
180-360 Days	0.18	3.85	0.01
360-730 Days	0.49	8.45	0.04
731-1095 Days	0.48	15.59	0.08
Above 1095 Days	3,489.26	99.00	3,474.28
<b>Total</b>	<b>3,982.25</b>		<b>3,474.52</b>

<b>Trade Receivables ageing schedule</b>							
Particulars	Not due less than 90 days	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 3 months	3 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
<b>Current Year 2022-23</b>							
(i) Indisputed Trade receivables - considered good	1791.84	0.19	0.49				1792.52
(ii) Indisputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk				6.40			6.40
(iii) Unsecured Trade Receivables - credit impaired					593.00		593.00
(iv) Disputed Trade Receivables - considered good					899.22		899.22
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk						899.22	899.22
(vi) Disputed trade receivables - credit impaired						899.22	899.22
<b>Total</b>	<b>1791.84</b>	<b>0.19</b>	<b>0.49</b>	<b>6.40</b>	<b>1492.22</b>	<b>3292.23</b>	<b>3292.23</b>
Less: Allowances for expected credit loss	0.00	0.00	0.13	0.34	8.08	1474.28	1474.52
<b>Net Amount</b>	<b>1791.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>	<b>6.40</b>	<b>6.40</b>	<b>1484</b>	<b>1817.71</b>
<b>Previous Year 2021-22</b>							
(i) Indisputed Trade receivables - considered good	291.00	431.89	3.11	5.80			730.80
(ii) Indisputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk				3.08			3.08
(iii) Unsecured Trade Receivables - credit impaired					593.64		593.64
(iv) Disputed Trade Receivables - considered good					891.63		891.63
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk						891.63	891.63
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired						891.63	891.63
<b>Total</b>	<b>291.00</b>	<b>431.89</b>	<b>3.11</b>	<b>5.80</b>	<b>3.08</b>	<b>1487.87</b>	<b>2224.79</b>
Less: Allowances for expected credit loss	0.00	0.00	0.80	0.20	8.00	1480.87	1489.87
<b>Net Amount</b>	<b>291.00</b>	<b>431.89</b>	<b>3.11</b>	<b>5.80</b>	<b>3.08</b>	<b>898</b>	<b>735.12</b>





**NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>8. Cash and cash equivalents</b>		
Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents):		
Current accounts	277.00	239.30
Saving Account *	153.43	149.25
Deposits with original maturity of less than three months	3928.11	1624.50
Cash on Hand	0.47	1.48
	<u>4359.01</u>	<u>2014.53</u>
* Balance in Saving account is earmarked for the rental dues of Harchandrai House as per the direction of Small Causes Court, Mumbai.		
<b>9. Other Bank Balance</b>		
Fixed Deposit against BG/LC	6202.07	5592.19
Fixed deposit for maturity of more than three months but less than 12 months	6169.40	5904.01
Total	<u>12371.47</u>	<u>11496.20</u>
<b>10. Loans (Current asset)</b>		
<b>A) Current Loans and Advances to related parties</b>		
Unsecured, considered good (M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd.)	3197.08	3197.08
Net amount	<u>3197.08</u>	<u>3197.08</u>
<b>(B) Loans to employees</b>		
a. Unsecured, Considered good	22.35	21.01
<b>(C) Advance to suppliers</b>		
Doubtful	65.00	65.00
Less: Allowance for doubtful advance to suppliers	65.00	65.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Total loans - Current</b>	<u>3219.43</u>	<u>3218.09</u>
Loans and receivables are non-derivative financial assets which generate a fixed or variable interest income for the Company		
Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd has created first charge in ROC, Hyderabad in favour of the company on 84.31 acres of land at Rudraram Village, Medak Dist., Telengana state towards zero coupon loan of Rs.2744.07 Lakh outstanding, the interest bearing loan of Rs.453.01 Lakh and interest accruing thereon till 31st March 2023 Rs.1075.05 (previous year Rs.1017.79 lakhs) is Rs.4272.13 lakhs (previous year Rs.4214.87 lakhs). As per the valuation report by an external registered independent valuer having professional qualification the value of the property comes to Rs.10196.76 Lakhs.		
<b>11. Other Financial Assets</b>		
<b>Current</b>		
<b>A) Interest receivable</b>		
Unsecured, Considered good		
<b>Accrued Interest on Deposits</b>	358.29	316.25
Accrued Interest on Advance	106.08	106.08
Less: Provision for Doubtful repayment	106.08	106.08
Net amount	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Accrued Income from Township	0.00	5.53
Less : Allowances	0.00	5.53
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>B) Interest Receivables from related parties</b>		
(M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd.)	1,075.05	1,017.79
<b>Net amount</b>	<u>1075.05</u>	<u>1017.79</u>
Total Other Financial Assets	<u>1433.34</u>	<u>1334.04</u>

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>12. Other current assets</b>		
i) Deposits with the Collectorate of Central Excise and Customs	7.37	7.37
Less : Allowances for doubtful advance	2.90	2.90
Sub-total	<u>4.47</u>	<u>4.47</u>
ii) Statutory receivables - Duties & Taxes, Prepaid Taxes	317.07	842.07
Less : Allowances for doubtful advance	4.29	4.29
Sub-total	<u>312.78</u>	<u>837.78</u>
iii) Advances to suppliers	146.10	277.26
Less : Allowances for doubtful advance	4.31	4.31
	141.79	272.95
	<u>1781.19</u>	<u>1544.33</u>
iv) Deposits - Gratuity, EMD & Rent		
v) Prepaid Expense	142.04	163.01
vi) Other Advances Recoverable	28.56	39.81
vii) Accrued income on Employee Advances	4.69	8.15
viii) Recoverable from employees	60.41	60.41
Sub-total	<u>235.70</u>	<u>271.38</u>
Less : Allowances for doubtful advance	60.41	60.41
Sub-total	<u>175.29</u>	<u>210.97</u>
<b>Total</b>	<u>2415.52</u>	<u>2870.50</u>

Gratuity deposit of Rs.1729.47 Lakh (previous year Rs.1490.61 lakh) in LIC and ICICI Bank towards Employees Group Gratuity Fund Trust created against Gratuity liability.

Description	Rs. in Lakh			
	As at 31.03.2023		As at 31.03.2022	
	Nos.	Rs.	Nos.	Rs.
<b>13. Share Capital</b>				
<b>Authorised Share Capital</b>				
Equity Shares of Rs. 10 each				
Opening Balance	100000000	10000.00	100000000	10000.00
Increase/(decrease) during the year	-	0.00	-	0.00
<b>Closing balance</b>	<u>100000000</u>	<u>10000.00</u>	<u>100000000</u>	<u>10000.00</u>
Preference Shares of Rs. 10 each				
Opening Balance	270000000	27000.00	270000000	27000.00
Increase/(decrease) during the year	-	0.00	-	0.00
<b>Closing balance</b>	<u>270000000</u>	<u>27000.00</u>	<u>270000000</u>	<u>27000.00</u>
<b>Total authorised capital</b>	<u>370000000</u>	<u>37000.00</u>	<u>370000000</u>	<u>37000.00</u>
<b>Issued equity capital</b>				
Equity shares of Rs. 10 each issued, subscribed and fully paid				
<b>Opening balance</b>	67173100	6717.31	67173100	6717.31
Add: Paid-up amount on shares forfeited	-	9.65	-	9.65
Increase/(decrease) during the year	-	0.00	-	0.00
<b>Total - Equity share capital</b>	<u>67173100</u>	<u>6726.96</u>	<u>67173100</u>	<u>6726.96</u>

**Terms/ rights attached to equity shares**  
The Company has only one class of equity shares having at par value of Rs.10 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.



**NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

Details of shareholders holding more than 5% shares in the company and Shareholding of Promoters					
Name of the shareholder	As at 31.03.2023		As at 31.03.2022		% change during the year
	No. of shares	% Holding	No. of shares	% Holding	
Equity shares of INR 10 each fully paid: The Government of India (Promoter)	3,94,81,500	58.78%	3,94,81,500	58.78%	Nil

During the year 2010-11, the Company forfeited 193000 shares of Rs.10 each (Rs.5 paid up) for non payment of allotment and call monies and the amount paid towards application money in respect of these forfeited shares has been transferred to "Share's Forfeiture Account".

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>14. Other equity</b>		
<b>a) Securities Premium Reserve</b>		
Opening balance	4838.57	4838.57
Increase/(decrease) during the year	0.00	0.00
<b>Closing balance</b>	<b>4838.57</b>	<b>4838.57</b>
<b>b) Retained Earnings</b>		
Opening balance	(1,01,761.72)	(99,497.02)
Changes in accounting policy or prior period errors (Note No.37)	(294.36)	59.76
Restated balance at the beginning of the period	(1,02,056.08)	(99,437.26)
Add: Profit / (Loss) for the year	(5,022.41)	(2,618.82)
Add: Profit on sale of Land	-	-
<b>Closing balance</b>	<b>(107078.48)</b>	<b>(102056.08)</b>
<b>c) Other comprehensive income</b>		
<b>i) Revaluation of Property, plant &amp; Equipments</b>		
Opening balance	95,008.71	93,606.29
Add: Revaluation during the year (Note No.3)	1,035.38	1,978.42
Less: Reserve transferred to Retained Earning	-	-
Add : Reversal of Deferred Tax liability on account of sale	-	-
Add/(Less): Deferred Tax liability on account of revaluation during the year	(302.00)	(576.00)
Closing balance	<b>95,742.09</b>	<b>95,008.71</b>
<b>ii) Equity Instrument through Other Comprehensive Income</b>		
Opening balance	(32.56)	(192.08)
Add/Less: Revaluation during the year	(72.99)	224.52
Less: Deferred Tax liability on account of revaluation during the year	21.00	(65.00)
Closing balance	<b>(84.55)</b>	<b>(32.56)</b>
<b>iii) Changes in Employees defined benefits plan</b>		
Opening	543.47	502.48
Add:	-	-
Add/Less: Remeasurement of defined benefit plan	101.39	40.99
Closing balance	<b>644.86</b>	<b>543.47</b>
<b>Total</b>	<b>96,302.40</b>	<b>95,519.62</b>
Total Other Equity	<b>(5,937.51)</b>	<b>(1,697.89)</b>

Securities Premium Reserve - Where the Company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to "Securities Premium Reserve". The Company may issue fully paid-up bonus shares to its members out of the securities premium reserve and the Company can use this reserve for buy-back of shares.

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>15. Provisions (Long term liability)</b>		
For Employee's Benefits - Leave encashment	1004.84	903.42
For Employee's Benefits -Gratuity	1367.93	1871.04
Other provision	23.13	23.13
<b>Total</b>	<b>2395.90</b>	<b>2797.59</b>

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>16. Deferred Tax liabilities</b>		
Fair Value of Land	16719.52	16417.52
Fair Value of Investment in HFL	(36.00)	(15.00)
Net Deferred tax liability [Note No.41]	<b>16683.52</b>	<b>16402.52</b>

The deferred tax asset has not been recognised as there is no virtual certainty about the future adequate taxable profitability of the company. Also refer Note No.41.

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>17. Current Financial Liabilities-Borrowings</b>		
Current maturities of Govt. loan	0.00	7695.09
Loan from GOI (Note No.19a)	45256.46	37561.37
Overdue 8% Non-cumulative Redeemable Preference Shares-GOI	27000.00	27000.00
<b>Total Borrowings</b>	<b>72256.46</b>	<b>72256.46</b>
Aggregate Secured loans	0.00	0.00
Aggregate Unsecured loans	45256.46	45256.46

Note

- The preference shareholders have no voting rights.
- The Government of India had released earlier in the year 2006-07 Rs.27000 Lakh (for financial restructuring Rs. 25000 Lakh and Caustic Soda Plant recommissioning Rs. 2000 Lakh) against allotment of 8% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares, thereby broadening the capital base as per the revival scheme. The 8% Preference Shares were allotted to Government of India by the Board on 28th January, 2008, redeemable @ 20% commencing from 4th year with last redemption in the 8th year (ie.2015-16). At the request of the Company, Government of India had extended the commencement of redemption from financial year 2011-12 to financial year 2015-16 @ 25% each year. Government of India, had granted extension of redemption, subject to payment of interest @ 1.5 % pa, on the total amount of Rs.27000 Lakh and an amount of Rs.405 Lakh has been provided in the books of accounts during the year. Further interest @1 % is payable for default in repayment and accordingly interest amount of Rs.270 Lakh has been provided during the year.

<b>18. Trade payables</b>		
<b>Current - Trade Payables</b>		
i) Outstanding dues of micro and small enterprises	14.85	55.50
ii) Outstanding dues of other than micro and small enterprises	4052.02	4096.34
	<b>4066.87</b>	<b>4151.84</b>

<b>Amount due to Micro, Small and Medium enterprises:</b>		
a) i) Principal amount remaining unpaid as at the end of each accounting year	14.85	55.50
ii) Interest due thereon	0.00	0.00
iii) Interest due and payable for the period of delay in payment	0.00	0.00
iv) Interest accrued and remaining unpaid	0.00	0.00
v) Interest due and payable even in succeeding years	0.00	0.00
b) Dues to Micro, Small and medium enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. All the dues to them are paid within due date and there is no overdue amount as on the closing date.		



**NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

Trade payable aging schedule						Rs. in Lakhs
Particulars	Not due (Less than 30 days)	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
<b>Current Year 2022-23</b>						
i)MSME	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
ii) Others	4033.38	9.58	0.29	1.49	2.28	4047.02
iii) Disputed dues-MSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) Disputed dues Others	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
<b>TOTAL</b>	<b>4048.23</b>	<b>9.58</b>	<b>0.29</b>	<b>1.49</b>	<b>7.28</b>	<b>4066.87</b>
<b>Previous Year 2021-22</b>						
i)MSME	55.5	0	0	0	0	55.5
ii) Others	3996.68	4.74	2.4	24.66	62.86	4091.34
iii) Disputed dues-MSME	0	0	0	0	0	0
iv) Disputed dues Others	0	0	0	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>4052.18</b>	<b>4.74</b>	<b>2.4</b>	<b>24.66</b>	<b>67.86</b>	<b>4151.84</b>

Sl. No.	Govt. Sanction No.	Purpose	Date of Sanction Date	Date of drawal	Due Date of Repayment	Rate of Interest	No. of instalments	Loan Amt. as on 31.03.2023	Instalments due upto 31.03.2023	Total Interest upto 31.03.2023	Interest overdue upto 31.03.2023	Current maturity of loan
9	P51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of statutory dues related to employees and other.	28.09.2017	29-09-2017	29-09-2022	11.00%	5	11026.00	11026.00	6675.71	6675.71	
		Interest outstanding on secured loan from Govt. of India (Secured by Fixed assets). The principal of loan have been fully paid.								3329.41	3329.41	
		Interest outstanding on unsecured loan from Govt. of India. The principal of loan have been fully paid.								6990.82	6990.82	
		<b>Total</b>						<b>45256.46</b>	<b>45256.46</b>	<b>39860.59</b>	<b>39860.59</b>	<b>0.00</b>

Note: The loan amount of Rs.45256.46 lakhs are unsecured loans (Previous year unsecured loan Rs.45256.46 Lakhs).

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>19. Other Current financial liabilities</b>		
Interest on GOI loan	39860.59	34860.78
Interest on preference shares	6210.00	5535.00
<b>Total</b>	<b>46070.59</b>	<b>40395.78</b>

**Note:**

i) There is a continuing default in repayment of loan from Government of India since the year 2009-10 and the overdue amount towards principal is Rs.45256.46 Lakh (previous year Rs.45256.46 Lakh) and for interest accrued is Rs.39860.59 Lakh (previous year Rs.34860.78 Lakh), these amounts are shown under 'Other Current Liabilities'. Company has during the year repaid loan overdue Principal amounts of Rs.NIL (previous year Rs.1404.00 Lakh).

ii) During the year the Company has made provision in respect of Damages/Penalty/Penal interest and the total cumulative provision is given below.

a. Interest (1.5 %) on Preference Share (Rs.270 Crore) postponement of redemption for 4 year Rs.405.00 lakhs.

b. Interest on default in repayment of Preference Share Capital @ 1 % Rs.270.00 lakhs per year.

Total impact on account of the above is Rs.675.00 Lakhs per year.

**19a. Details of Loan from Govt. of India as on 31.03.2023 (Rs.in Lakh)**

Sl. No.	Govt. Sanction No.	Purpose	Date of Sanction Date	Date of drawal	Due Date of Repayment	Rate of Interest	No. of instalments	Loan Amt. as on 31.03.2023	Instalments due upto 31.03.2023	Total Interest upto 31.03.2023	Interest overdue upto 31.03.2023	Current maturity of loan
1	51/11/2009-Ch.III	For various projects in Kochi unit.	01.12.2009	15.12.2009	15-12-2014	11.50%	5	660.00	660.00	1008.95	1008.95	
2	51/11/2009-Ch.III	-do-	20.01.2010	22-01-2010	22-01-2015	11.50%	5	843.00	843.00	1278.62	1278.62	
3	P51012/01/2012-32	For various projects	12.09.2012	18-09-2012	18-09-2017	11.50%	5	1760.00	1760.00	2132.13	2132.13	
4	P51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of interest on HOCL Bonds series XX with Govt guarantee.	07.09.2015	10-09-2015	10-09-2020	11.50%	5	1057.00	1057.00	918.49	918.49	
5	P51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of interest on HOCL Bonds series XX & XXI with Govt guarantee.	22.09.2016	27-09-2016	27-09-2021	11.00%	5	2461.00	2461.00	1762.21	1762.21	
6	P51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of interest on HOCL Bonds series XX with Govt guarantee.	02.08.2017	07-08-2017	07-08-2022	11.00%	5	1057.00	1057.00	656.85	656.85	
7	P51012/4/2013-32-Ch.III	For repayment of principal HOCL Bonds series XX with Govt guarantee.	11.08.2017	14-08-2017	14-08-2022	11.00%	5	10000.00	10000.00	6193.15	6193.15	
8	P51012/4/2013-32-Ch.III	For repayment of principal and interest on HOCL Bonds series XXI with Govt guarantee.	12.09.2017	19-09-2017	19-09-2022	11.00%	5	16392.46	16392.46	9974.25	9974.25	

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>20. Short Term Provisions</b>		
i) for Employee Benefits (Leave encash.)	175.16	314.45
ii) for Employee Benefits (Gratuity)	218.54	65.83
iii) for Employee remuneration	543.00	315.81
iv) for Statutory Claims	0.00	14.60
v) for Penal GOI guarantee fee	850.00	850.00
<b>Total</b>	<b>1786.70</b>	<b>1560.69</b>

**21. Other current liabilities**

i) Advances from customers	555.59	412.81
ii) Deposits from Vendors / Customers	227.47	209.09
iii) Statutory Liabilities	487.50	232.92
iv) Employee related liabilities	99.80	130.79
v) Payroll Recoveries Payable	17.98	20.59
vi) Other Liabilities	2338.34	1824.13
<b>Total</b>	<b>3726.68</b>	<b>2830.33</b>

Description	Rs. in lakh	
	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022

**22. Revenue from operations - Sale of products**

(Manufactured)		
Revenue disaggregation by class of products		
Phenol	42127.59	29931.04
Acetone	15388.85	9341.88
Hydrogen Peroxide	2949.27	2542.01
H. E. of Cumene	1564.83	867.79
Cumox Oil	1068.32	684.67
Cumene	44.70	0.00
<b>Sale value of Products : Total</b>	<b>63143.56</b>	<b>43367.39</b>

**23. Other income**

<b>Direct income:</b>		
Sale of Scrap	5.45	2.85
<b>Sub-total</b>	<b>5.45</b>	<b>2.85</b>
<b>Interest income on</b>		
On Call and Term Deposits (Gross)	795.79	672.82
On Advances and Deposits with KSEB and others	16.02	112.51
On loan to Subsidiary Company	63.62	63.62
Delayed payment & Finance charges from trade receivable	0.93	0.78
<b>Sub-total</b>	<b>876.36</b>	<b>849.73</b>
<b>Other non-operating income</b>		
Estate Rent	69.70	78.58
Transport, Water, Electricity, etc. recoveries	13.16	7.46
Sale of Tender Forms	0.00	0.00
Exchange rate Diff - Gain	0.00	0.00
Excess provision written back	65.12	2143.56
Profit on Sale of Assets	0.00	0.00
Miscellaneous Income	124.81	60.55
<b>Sub-total</b>	<b>272.79</b>	<b>2290.15</b>
<b>Total</b>	<b>1154.60</b>	<b>3142.73</b>

## NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Description	Rs. in lakh	
	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
<b>Reversal of Excess Provision written back include the following:</b>		
1. Reversal of excess provision for doubtful debts	17.08	1.43
2. Provision no longer required in various cases	20.81	-
3. Excess Provision written back-Stores & Spares	27.23	19.78
4. Excess Provision written back HFL	-	2122.35
<b>Total</b>	<b>65.12</b>	<b>2143.56</b>
Miscellaneous income relating to 2021-22 Rs.11.25 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount for the year 2021-22 is restated as per Ind As 8 .		
(a) Nature of the prior period error : Miscellaneous Income		
(b) Amount of correction : Rs.11.25 lakhs		
(c) Financial line item affected: Note No.23 (Miscellaneous Income)		
<b>24. Cost of raw material and components consumed</b>		
Inventory at the beginning of the year	1699.53	1281.06
Add: Purchases	41978.06	28298.17
Less: inventory at the end of the year	<u>998.33</u>	<u>1699.53</u>
Cost of raw material and components consumed	<b>42679.26</b>	<b>27879.70</b>
<b>25. Changes in Inventories of Finished Goods and WIP</b>		
(Increase) / Decrease in inventory		
Inventories at the beginning of the year		
(i) Stock-in-Process	1133.84	960.65
(ii) Stock for Captive consumption	571.60	87.91
(iii) Finished Goods	1659.54	900.63
(iv) By Products	<u>34.20</u>	<u>19.21</u>
<b>Sub-total</b>	<b>3399.18</b>	<b>1968.40</b>
Inventories at the end of the year		
(i) Stock-in-Process	938.00	1133.84
(ii) Stock for Captive consumption	598.21	571.60
(iii) Finished Goods	351.81	1659.54
(iv) By Products	<u>28.45</u>	<u>34.20</u>
<b>Sub-total</b>	<b>1916.47</b>	<b>3399.18</b>
Changes in Inventories of finished goods and work in progress	<b>1482.71</b>	<b>(1,430.78)</b>
<b>26. Employee benefits expense</b>		
a) Salary, Wages and allowances *	3320.24	3579.33
b) Company's contribution to Provident Fund and Other funds	310.53	326.28
c) Gratuity payment including premium for Group Gratuity- cum- Life assurance scheme	92.29	167.67
d) Provision for Leave Encashment	276.14	279.77
e) Staff welfare expenses		
Medical amenities	95.57	121.03
Canteen and Nutrition amenities	207.42	262.63
Other welfare expenses	53.39	33.13
f) Voluntary Retirement benefits (VRS &VSS)	<u>0.00</u>	<u>45.51</u>
	<b>4355.58</b>	<b>4815.35</b>
*Rs. 248 lakhs and Rs. 295 lakhs have been provided as provision for arrear of proposed wage revision retrospectively w.e.f 25.01.2021 in the year 2022-23 and 2021-22 respectively.		
<b>27. Finance costs</b>		
<b>Interest:</b>		
On Fixed Loans (Govt. Loan)	4999.81	5097.73
Interest on advance from customers*	1001.96	753.18
On Preference shares **	675.00	675.00
Interest - Others	6.14	10.10
	6682.91	6536.01
Other Borrowing Cost-Bank charges	<u>5.79</u>	<u>15.09</u>
<b>Total finance costs</b>	<b>6688.70</b>	<b>6551.10</b>
*Interest for early payment from customers has been regrouped from other expenses (selling and distribution expenses) to finance cost as per requirement of Inda As 115.		
**Interest on Preference shares (2.5%) has been re-grouped from Other expenses (Provisions) to Finance cost.		
<b>28. Depreciation and amortization expense</b>		
Depreciation of tangible assets	110.35	108.34
Amortization of intangible assets	<u>8.40</u>	<u>8.03</u>
<b>Total</b>	<b>118.75</b>	<b>116.37</b>

Description	Rs. in lakh	
	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
<b>29. Other expenses</b>		
<b>Consumption of Stores and Spares</b>		
i) Catalyst and Chemicals	483.28	340.70
ii) Consumable stores	265.07	342.14
iii) Packing materials	576.91	484.16
	<b>1325.26</b>	<b>1167.00</b>
<b>Utilities</b>		
Power	2332.70	1671.16
Fuel	8252.19	5988.21
Water	286.31	219.29
	<b>10871.20</b>	<b>7878.66</b>
<b>Repairs &amp; Maintenance:</b>		
Building	125.00	140.78
Plant and Machinery	248.51	383.89
Other Assets	170.47	132.62
	<b>543.98</b>	<b>657.29</b>
<b>Administration Expenses:</b>		
Rent	34.92	72.09
Insurance	213.87	206.44
Rates and taxes	351.08	474.96
Consultancy charges	183.92	104.06
<b>Payment to Auditors:</b>		
Auditor	4.60	5.10
Taxation matters	0.90	0.90
Reimb. of Expenses	0.70	0.76
Other services	0.20	0.20
<b>Other expenses:</b>		
Power for Township	19.48	16.80
Water for Township	11.62	21.87
Security Expenses	270.01	269.62
Advertisement Expenses	6.88	6.38
Hire of Vehicles Expenses	30.93	24.48
Loss on Sale / Disposal of Assets	0.00	0.00
Other Misc. Exp.	123.88	90.51
	<b>1252.99</b>	<b>1294.17</b>
<b>Provisions:</b>		
Provision for Doubtful Debts	2.14	16.77
Provision for Unidentified assets	0.00	2.61
Provision for doubtful rent	0.00	180.70
	<b>2.14</b>	<b>200.08</b>
<b>Total</b>	<b>13995.57</b>	<b>11197.20</b>

## Notes:

Other miscellaneous expense includes Rs.10.61 lakhs pertaining to the year 2021-22 has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated as per Ind As8.

(a) Nature of the prior period error : Miscellaneous Expense

(b) Amount of correction : Rs.10.61 lakhs

(c) Financial line item affected: Note No.29 -Other Expense

**30 EMPLOYEES BENEFIT PLAN:****A. Provision for leave encashment**

The Company has made a provision and levied Rs.1180.00 Lakh (previous year Rs.1217.87 lakh) for leave encashment as on 31st March, 2023, as per the Ind AS-19 based on Actuarial Valuation and the unpaid amount of leave encashment claims submitted by the employees.

**B. Provident fund**

Employees receive benefits from the provident fund managed by the Company upto 30th June 2018. From 1st July 2018 onwards the Company has transferred the Provident fund accounts of all employees to Employees Provident Fund Organisation (EPFO) and managed by EPFO. The employee and employer each make monthly contributions to the Provident Fund/Pension Fund plan equal to 12% of the employees' salary/wages.

**C. Gratuity**

Gratuity plan is governed by the Payment of Gratuity Act, 1972 and employee who has completed five years of service is entitled to gratuity and the level of benefits provided depended on the member's length of service and salary at retirement age. The Employees' Gratuity Fund Scheme, which is a defined benefit plan, is managed by the Trust through an Annuity Scheme maintained with Life Insurance Corporation of India (LIC). The balance fund available with LIC is Rs.1729.04 lakh (Previous year Rs.1490.18 lakh) and deposited with ICICI Bank Rs.0.43 lakh (Previous year Rs. 0.43 lakh)



**NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

All dues on account of gratuity of Rasayani unit and Kochi unit employees relieved upto 31.03.2023 have been paid and there are no further dues.

Particulars	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>1. Funded Status of the plan</b>		
Present value of funded obligations	1586.47	1936.87
Fair value of plan assets	(1729.47)	(1490.61)
Net Liability (Asset)	<b>(143.00)</b>	<b>446.26</b>
<b>2a. Profit and loss account for current period</b>		
Current Service Cost	65.83	77.30
Past Service cost and loss/gain on curtailments and settlement	0.00	0.00
Net Interest cost	26.45	90.36
Total included in 'Employee Benefit Expense' (P&L)	<b>92.28</b>	<b>167.66</b>
<b>2b. Other Comprehensive Income for the current period</b>		
Components of actuarial gain/losses on obligations:		
Due to Change in financial assumptions	(116.70)	(77.19)
Due to change in demographic assumption	0.00	0.00
Due to experience adjustments	40.95	53.39
Return on plan assets excluding amounts included in interest income	(25.63)	(17.19)
Amounts recognized in Other Comprehensive Income	<b>(101.38)</b>	<b>(40.99)</b>
<b>3. Reconciliation of defined benefit obligation</b>		
Opening Defined Benefit Obligation	1936.88	2278.24
Transfer in/(out) obligation	102.02	0.00
Current service cost	65.83	77.30
Interest Cost	105.42	113.68
Components of actuarial gain/losses on obligations:		
Due to Change in financial assumptions	(116.71)	(77.18)
Due to change in demographic assumption	0.00	0.00
Due to experience adjustments	40.95	53.39
Past Service Cost	0.00	0.00
Loss(gain) on curtailments	0.00	0.00
Liabilities Extinguished on settlement	0.00	0.00
Liabilities assumed in an amalgamation in the nature of purchase	0.00	0.00
Exchange differences on foreign plans	0.00	0.00
Benefits paid	(547.91)	(508.55)
Closing defined benefit Obligation	1586.48	1936.88
<b>4. Reconciliation of plan Assets</b>		
Opening value of plan assets	1490.61	625.98
Transfer in (out) plan assets	102.02	0.00
Expenses deducted from the fund	0.00	0.00
Interest Income	78.96	23.32
Return on plan assets excluding amounts included in interest income	25.63	17.20
Assets distributed on settlements	0.00	0.00
Contributions by employer	580.17	1280.00
Assets acquired in an amalgamation in the nature of purchase	0.00	0.00
Exchange rate differences on foreign plans	0.00	0.00
Benefits paid	(547.92)	-455.89
Closing value of plan assets	<b>1729.47</b>	<b>1490.61</b>

Particulars	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>5. Reconciliation of net defined benefit liability</b>		
Net opening provision in books of accounts	446.27	1652.26
Transfer in (out) obligation	102.02	0.00
Transfer (in) out plan assets	(102.02)	0.00
Employee benefits Expense as per Annexure 2	92.28	167.66
Amounts recognized in other comprehensive income	(101.38)	(40.99)
	437.17	1778.93
Benefits paid by the company	0.00	(52.66)
Benefits settled (Rasayani Unit)	0.00	0.00
Contributions to plan assets	(580.17)	(1280.00)
Closing provision in the books of accounts	(143.00)	446.27
<b>Reconciliation of Assets Ceiling</b>		
Opening Value of Assets Ceiling	0.00	0.00
Interest on Opening Value of Assets Ceiling	0.00	0.00
Loss/Gain on Assets due to surplus/Deficit	0.00	0.00
Closing Value of Plan Assets Ceiling	0.00	0.00
<b>6. Composition of the Plan assets</b>		
Government of India Securities	0%	0%
State government securities	0%	0%
High Quality Corporate Bonds	0%	0%
Equity shares of listed companies	0%	0%
Property	0%	0%
Special Deposit Scheme	0%	0%
Policy of Insurance	100%	100%
Bank Balance	0%	0%
Other Investments	0%	0%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>7. Bifurcation of liability as per schedule III</b>		
Current liability	(143.01)	65.83
Non - Current liability	0.00	380.42
Net Liability	<b>(143.01)</b>	<b>446.25</b>
<b>8. Principle actuarial assumptions</b>		
Discount Rate	7.3% pa	6.4% pa
Salary Growth rate	6.00% pa	7.00% pa
Withdrawal rates	3% at Younger ages	3% at Younger ages
	reducing to 1% at older ages	reducing to 1% at older ages
Rate of Return on Plan Assets	7.3% pa	6.4 % pa
<b>9. Maturity Profile of Defined Benefit Obligation</b>		
	Cash Flows Rs. In lakh	Distribution (%)
Year 1 Cash Flow	218.54	9.00%
Year 2 Cash Flow	297.82	12.20%
Year 3 Cash Flow	224.93	9.20%
Year 4 Cash Flow	234.48	9.50%
Year 5 Cash Flow	138.21	5.70%
Year 6 to Year 10	673.63	27.60%
The future accrual is not considered in arriving at the above cash flows		
The expected contribution for the next year is Rs 57.01 Lakh.		
The Average outstanding term of obligations (years) as at valuation date is 5.19 years		

## NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Particulars	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>10.Sensitivity to key assumptions</b>		
<u>Discount Rate Sensitivity</u>		
Increase by 0.5 %	1546.07	1891.72
(% change)	-2.55%	-2.33%
Decrease by 0.5%	1628.93	1984.37
(% change)	2.68%	2.45%
<u>Salary Growth rate Sensitivity</u>		
Increase by 0.5 %	1606.01	1956.58
(% change)	1.23%	1.02%
Decrease by 0.5%	1565.91	1916.53
(% change)	-1.30%	-1.05%
<u>Withdrawal rate(W R) Sensitivity</u>		
W. R x 110%	1590.23	1939.82
(% change)	0.24%	0.15%
W. R x 90%	1582.63	1933.97
(% change)	-0.24%	0.15%

**A description of methods used for sensitivity analysis and its Limitations:**

Sensitivity analysis is performed by varying a single parameter while keeping all the other parameters unchanged.

Sensitivity analysis fails to focus on the interrelationship between underlying parameters. Hence, the results may vary if the two or more variables are changed simultaneously.

The method used does not indicate anything about the likelihood of change in any parameter and the extent of the change if any

Appendix A: Break-up of defined benefit obligation		
Vested	1,585.62	1,933.41
Non-vested	0.85	3.46
<b>Total</b>	<b>1,586.47</b>	<b>1,936.87</b>

Appendix B: Age wise distribution of defined benefit obligation		
Age (In years)	DBO	
Less than 25	-	-
25 to 35	7.99	13.20
35 to 45	180.06	193.73
45 to 55	801.35	807.53
55 and above	597.07	922.41
Accrued gratuity for Left Employees	-	-
<b>Total</b>	<b>1586.47</b>	<b>1936.87</b>

Appendix C: Past service wise distribution of defined benefit obligation		
Age (In years)	DBO	
0 to 4	0.86	3.46
4 to 10	20.59	65.08
10 to 15	193.27	162.12
15 and above	1371.75	1706.21
Accrued gratuity for Left Employees	-	-
<b>Total</b>	<b>1586.47</b>	<b>1936.87</b>

Particulars	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022

**MAJOR RISK TO THE PLAN****A. Actuarial Risk:**

It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons:

**Adverse salary growth experience:**

Salary hikes that are higher than the assumed salary escalations will result into an increase in obligation at a rate that is higher than expected.

**Variability in mortality rates:**

If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. Since there is no condition of vesting on the death benefit, the acceleration of cashflow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.

**Variability in withdrawal rates:**

If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on whether the benefits are vested as at the resignation date.

**B. Investment Risk**

For funded plans that rely on insurers for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.

**C. Liquidity Risk :**

Employees with high salaries and long durations or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign/retire from the company there can be strain on the cashflows.

**D. Market Risk:**

Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate/government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.

**E. Legislative Risk:**

Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation/regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective.

The Summary of the assumptions used in the valuations is given below:

**Financial Assumptions (Table 9)**

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Discount rate	7.30%	6.40% p.a
Salary Growth rate	6.00%	7.00% p.a
Rate of Return on Plan Assets	Not applicable	Not applicable
Demographic Assumptions		
<b>Withdrawal rates p.a (Table 10)</b>		
Age Band		
25 and below	3.00%	3.00%
25 to 35	2.50%	2.50%
35 to 45	2.00%	2.00%
45 to 55	1.50%	1.50%
55 and above	1.00%	1.00%



**NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

Particulars	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Mortality rates		
Sample rates p.a of Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table 11		
Age (In years)		
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

**Method of Valuation**

Actuaries has used projected unit credit (PUC) Method to value the Defined benefit obligation.

**31 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

a) Originally the Rasayani unit of the Company was in possession of land admeasuring 1012.355 acres (as per revenue records). Out of the said land, 251 acres were sold to BPCL and 20 acres were sold to ISRO during the year 2017-18, 38.687 acres were sold to BPCL in the year 2018-19. In the year 2019-20, 85.27 acres of land sold to BPCL and 0.386 acre was sold to IOCL (Petrol pump area). Out of the balance land of 65.840 acres, 22.717 acres has been identified as encroached, 32.547 acres in possession of MIDC, MSEB, HIL, MES etc, and 10.576 acres of public road, considered at Nil value. The said encroachment has been determined on the basis of the survey carried out by the company through M/s. The Geo Tek vide their report dated April 24, 2019. The balance 551.172 acres (Previous year 551.172 acres) of land has been revalued at the ready reckon rate or the agreed rate of sale to BPCL valuing to Rs.832.95 Crore (Previous year Rs. 832.95 Crore).

b) As per the communication received from Municipal commissioner Panvel, regarding the actual area of plot No.11 & 12 of survey No.738 on which there is a public road passing through and thereby the total area of Panvel land available for sale has reduced from 8 acre to 7.09 acre. Accordingly the reserve price (fair value) has been reduced to Rs.158 crore. The said proposal of Govt of Maharashtra has been approved by HOCL Board in its meeting to be held on 09.11.2022. The company is in the process of obtaining necessary approval from Administrative Ministry.

**32 INVESTMENT**

a) The Company has an investment of Rs.1106.00 lakh (previous year Rs.1106.00 lakh) in the equity share of subsidiary company M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd. (HFL) which is under BIFR since 1994. The net worth of the Company based on its latest audited balance sheet as at 31st March, 2023 is negative. Market value of the shares (face value Rs.10) as on 31.03.2023 was Rs.8.91 (Previous year Rs.9.57). Provision has been made in the books towards diminution in the value of these investments amounting to Rs.120.55 lakh (Previous year Rs.47.56 lakh). Government of India has decided to close down M/s.HFL as per CCEA decision on 29.01.2020. An amount of Rs.75.87 crore (Rs.73.70 crore on 26.05.2020 and Rs.2.17 crore on 15.03.2022) has been released by Government of India as interest free loan to meet the VRS expenses and for clearing dues to Bank and suppliers.

b) During the year 2007-08, the Modified Draft Rehabilitation Scheme (MDRS) for revival of subsidiary - Hindustan Fluorocarbon Ltd. (HFL) was approved by BIFR for implementation. As part of implementation of MDRS, HOCL had waived interest of Rs.2260.26 lakh accumulated on loan given to HFL and converted the unsecured loan amounting to Rs.2744.07 lakh as Zero Coupon Loan (ZCL), into secured loan by on HFL creating first charge on immovable property (land 84.31 acre valued to the extent of Rs.10196.76 lakh as per Govt. rate) in favour of HOCL. This loan was payable in 7 equal annual instalments commencing from 2010-11, aggregating to Rs.2744.07 lakh (Previous year Rs.2744.07 lakh) which has become due and payable in full. Further, the Company had given loans to HFL aggregating to Rs. 453.01 lakh (Previous Year Rs. 453.01 lakh) at the interest rate of 10.25% to 14.50% which has become payable in full. This loan is also secured by first charge on the HFL immovable property. As per the valuation report by an external registered independent valuer having professional qualification the value of the secured property of 84.31 acre of land is Rs.10196.76 lakh as on date (previous year Rs.10196.76 lakhs).

Particulars	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>33 EARNING PER SHARE</b>		
<b>Earnings per share has been calculated as follows:</b>		
Net Profit/(Loss) after Tax ( Rs. in lakh )	(5022.41)	(2618.82)
Weighted average number of equity shares	67173100.00	67173100.00
Nominal Value per equity share ( Rs. )	10.00	10.00
Basic / Diluted Earning per equity share ( Rs. )	(7.48)	(3.90)

**34 SEGMENT REPORTING.**

Since the company is manufacturing only Chemicals, there are no separate reportable primary and secondary segments and all the chemicals manufactured by the company are considered to have been representing as single reportable segment. The requirements of Indian Accounting Standard 108 with regard to disclosure of segmental results are therefore considered not applicable to the company.

**35 BALANCE CONFIRMATION**

Balances of trade receivables, trade payables, loans, advances, other current assets and borrowings are subject to confirmation / reconciliation and subsequent adjustments except in cases where confirmation has been received.

**36 Contingent Liabilities & Commitments(to the extent not provided for)**

**a) Claims against the Company not Acknowledged as debts:**

**ij) Contingent Liabilities**

i) Income Tax Claims	91.99	91.99
ii) Excise duty / Service tax	104.63	104.63
iii) Gratuity for School teachers	75.31	75.31
iv) Other claims (Legal cases)	321.23	272.90
v) Rental claim Harchandrai House	6219.08	5949.98
vi) JNPT lease rent	3318.86	2974.52
vii) Penal interest on Govt. Loans	8258.81	7119.24
viii) Interest on interest on Govt. Loan	52435.82	40113.98
ix) Nilima Chemical Corporation	16.00	0.00
	<b>70841.73</b>	<b>56702.55</b>
<b>b) Bank Guarantees issued from Banks</b>	2645.80	102.19
<b><u>ij) Commitments:</u></b>		
Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	11.77	36.27

**a) Claims against the Company not Acknowledged as debts:**

**i) Income Tax Claims: Rs.91.99 Lakh.**

There are various appeals for Assessment years are pending before authorities i.e. ITAT, High Court and other forums. The Company is awaiting for hearing, the details are as follows AY 2002-03 Rs. 70.49 Lakh and AY 2011-12 Rs.21.50 Lakh.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

**ii) Excise duty / Service tax**

The Company has ongoing disputes with Central excise authorities relating to the period 2006-07, amounting to Rs.104.63 Lakh. Company has filed Appeals at various Tribunals.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

**iii) Gratuity for School teachers**

Case filed by the teaching staff of HOC Rasayani School for the period upto March 1997, pending before Bombay High Court (Rs.75.31 Lakh).

**iv) Other claims (Legal cases): Rs.321.23 Lakh.**

a) Case filed by the Company against the award passed by MAC Tribunal, Trichur in relation to Phenol Tanker accident in 1994 (Rs.118 Lakh)

**NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

b) ESI corporation has raised a demand for contribution during the period from 01.04.1992 to 31.10.1992 amounting to Rs.2.17 lakh. The matter is pending with ESI Court, Ernakulam, as desired by the ESI Court we had applied for exemption from ESI Act to the Govt. of India, hence no liability is created and a contingent liability to that extent is provided.

c. HOCL filed appeal in High Court of Kerala against the order of the CAT giving direction to HOCL to pay the Salary arrears and other benefits of Sri P C James former employee and rework his gratuity, the estimated amount is Rs.48.33 lakhs.

d) The Company had invited open tender for work of construction of "Civil and Structural works for Construction of Plant Building, Technical Service Building, R&D Building, etc of PU System House Project. Company had issued the Work Order to M/s Shetusha Engineers & Constructions Pvt. Ltd. (SECPL). On account of delay and other shortcomings in the completion, company had deducted Liquidated damages. SECPL objected for the said deductions and filed an Arbitration Application before the Hon'ble High Court, Mumbai. Later the M/s SECPL had unconditionally withdrawn the said Arbitration Application from the Court. Further, M/s SECPL had filed Suit before the Hon'ble High Court, Mumbai against the Company for passing the Decree against the Company towards payment of Rs.113.35 Lakh including interest. The case is pending for final hearing.

e) The Company invoked the performance guarantee given by M/s Vakharia Construction Company, Mumbai (VCC) to whom civil contracts had been allotted as the contract works were not completed as per the terms of the work order. The matter was referred to arbitration and later went to the High Court. The court ordered the company to deposit Rs.12 lakhs and M/s VCC is allowed to withdraw the amount on submission of bank guarantee. The appeals filed before the High Court were dismissed. Now M/s VCC raised demand for bank guarantee commission paid to the bank and interest at the rate of 18% as the money decree passed by the Trial Court in favour of VCC was stayed due to filing civil application by the company. The liability estimated on this is Rs.39.38 lakhs and the matter is pending before court of law and accordingly shown under contingent liabilities.

**v) Rental claim Harchandrai House Rs.6219.08 Lakh**

As the company has not vacated the office premises taken on lease from M/s Harchandrai & Sons as per their notice they initiated legal proceedings and stopped to accept the lease rent. The company vacated the office premises during the year 2014. Landlords filed the Mesne Profit Application before Small Causes Court, Mumbai for Mesne profit for the period from 01/06/2000 to till the possession of the said premises. The Mesne profit application filed by M/s.Harchandrai & Sons is allowed by the Court of Small Causes, Mumbai on 02.05.2022 directing the Company to pay the mesne profit @Rs.138/- per sq.ft. for the period from 01/06/2000 to 31/12/2006, for subsequent period @Rs.274/-per sq.ft. together with an interest@9% p.a. The total amount as per Order of Small Causes court, Mumbai for mesne profit for the period from 01/06/2000 to 31/03/2014 and interest thereon upto 31-03-2023 works out to Rs.6982.86 lakh(previous year Rs.6713.75 lakhs). The valuer appointed by HOCL has submitted his report and the average rate is assessed @Rs.48.91 per sq.ft. which is not considered by the Small Causes Court, Mumbai. As per the legal opinion, the company had filed appeal against the Order and the Company is of the opinion that there is uncertainties in crystallisation of demand other than the amount calculated as per the report of the HOCL valuer assessing mesne profit @Rs.48.91 per sq.ft. The amount of mesne profit calculated based on the report of HOCL valuer @Rs.48.91 per sq.ft is Rs.763.78 lakh has already been provided in the books of account for the year 2021-22. The difference amount of Rs.6219.08 lakh (6982.86-763.78) is shown as contingent liability.

**vi) JNPT lease rent: Rs.3318.86 Lakh**

The Company has entered into MoU with Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to hand over the land allotted to the company for setting up Liquid Tank Farm on lease basis along with assets of the company 'as is where is basis'. The JNPT raised a demand of Rs.4124 lakhs towards lease rentals and other charges. The company has instituted arbitral proceedings and Arbitral Tribunal issued the award in favour of the company. The assets of the company valued as per the MoU at Rs.1638.50 lakhs and same is agreed and paid by M/s.JNPT. The undisputed amount of lease rent payable by the Company to JNPT was computed on a mutual understanding between the Parties on the basis of arbitral award is Rs. 805.13 lakhs and the same is paid by the Company. The disputed amount includes lease rentals Rs.2974.51 lakhs, water charges 0.65 Lakh, way leave charges Rs.297.09 Lakhs and Service tax of way leave charges Rs.46.61 lakhs. The company has shown balance amount of demand of JNPT after adjusting undisputed lease rental paid as contingent liability since the appeal filed against the arbitral awards pending for hearing before High Court and the company is of the opinion that no provision is required as there is uncertainties in crystallisation of demand at this stage of litigation.

**vii& viii) Interest at higher rate on Govt. Loans: Rs.8258.81 Lakh and Interest on defaulted interest on Govt. Loan 52435.82 lakhs**

The Government of India reserves the right to raise the rate of interest in respect of loans granted to the company, in case of default of repayment of principal on the due date and also charge interest at rate on default in any of the payment of interest due. As there is default in payment of principal loan as well as interest due thereon, the company, in anticipation that the Government of India may demand higher rate on principal and interest on interest outstanding, arrived the additional interest liability and shown as contingent liability. As per the balance confirmation given by the Government of India, the interest at the higher rate and interest on defaulted interest have not been included.

**ix) Nilima Chemical Corporation**

This Civil Suit is filed by M/s Nilima Chemical Corporation in the year 1996 before the First Court of the Asstt. District Judge, 24 Parganas (South), West Bengal, India.

Brief Facts of the Matter:- HOCL was supplying the material to M/s Nilima Chemical Corporation ("NCC") against the bank guarantee ("BG") provided/submitted by NCC. During the course of business, NCC had failed to pay the overdue amount towards the supply of the material and hence on 15th May 1996 HOCL had written a letter to the concerned bank namely Vijaya Bank to enforce the BG to square up the overdue of the HOCL by NCC. Subsequently, Vijay Bank released the funds of/from the BG in favour of HOCL. Thus, being aggrieved with this step/decision NCC filed the Civil Suit for passing the decree of an amount of Rs.3,90,681=90 before the First Court of the Asstt. District Judge, 24 Parganas (South). This Suit was decreed ex-parte and the Advocate of NCC informed Company vide his letter dated 24th November 2011 that they are executing the said Decree. Subsequently, HOCL had filed Misil. Case No.156 of 2011 for setting aside the said Decree and/or Suit be heard on merits. HOCL also filed the Caveat in the said matter on 25th August 2011. Company had also filed affidavit for opposing the Title Execution Case No. 11 of 2014. Now, the said case is pending before the Court for hearing. This Execution Application is filed by NCC against HOCL for execution of the Decree passed in 45 of 1996 (Ex-parte). This matter was came up for hearing on 10th November 2021 on this date the Advocate for HOCL Mrs. Saroj Tulsian tried to seek adjournment but Court declined the request for adjournment and matter was partly heard on 10th November 2021.

x) The amount of claims in respect of legal cases filed against the Company for labour matters relating to regular and retired employees and not acknowledged as debts is not ascertainable.

**b) Bank Guarantees issued Rs.2645.80 Lakh**

The Company has submitted bank guarantees to Kerala State Electricity Board amounting to Rs.101 lakh, BPCL Rs.5100 lakh, OMPL Rs.1000 lakh and Rs.1.06 Lakh to others. The company does not expect any outflow in respect of the above.

Contingent liability and commitments has been shown against bank guarantees issued to BPCL Rs.1145.80 lakh and OMPL Rs.1000.00 lakh only.

**II) Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for: Rs.36.27 Lakh**

	Rs. In lakh	
	2022-23	2021-22
Work order issued for the following contracts.		
b) 2x15 KVA UPS for Phenol plant		21.61
d) Restoration charge/Licence fee/performance guarantee for road cutting permission from concerned authorities		14.66
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>36.27</b>

**37 Disclosure relating to error or omission as per Ind AS 8**

The following expenditure/income had been incorrectly accounted during the year 2022-23 due to error. Accordingly, previous year financial statement were restated to correct the errors as per Ind AS8. The effect of the restatement on the financial statement is summarised below.





**NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

	(Rs. In lakh)	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
<b>Retained earnings</b>	<b>-101761.72</b>	<b>-99487.17</b>
Increase in Other Income (Refer Note 23)	11.25	33.72
Decrease in Other Expenses (Refer Note 29)		22.64
Increase in Other Expenses (Refer Note 29)	(10.61)	(6.45)
Increase in Other Expenses (Refer Note 26)	(295.00)	
<b>Total</b>	<b>(294.36)</b>	<b>49.91</b>
Restated Retained Earnings	(1,02,056.08)	(99,437.26)
(Increase)/decrease in Equity	(294.36)	49.91
(Increase)/decrease in Earning Per Share	(0.04)	0.07
(Increase)/decrease in Diluted Earning Per Share	(0.04)	0.07

(1) Miscellaneous income relating to 2021-22 Rs.11.25 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount for the year 2021-22 is restated as per Ind As 8 .

(a) Nature of the prior period error : Miscellaneous Income

(b) Amount of correction : Rs.11.25 lakhs

(c) Financial line item affected: Note No.23 (Miscellaneous Income)

(2) Other miscellaneous expense includes Rs.10.61 lakhs pertaining to the year 2021-22 has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated as per Ind As8.

(a) Nature of the prior period error : Miscellaneous Expense

(b) Amount of correction : Rs.10.61 lakhs

(c) Financial line item affected: Note No.29 -Other Expense

(3) Employee benefits expense includes Rs. 295 lakhs towards salary arrears up to 31.03.2022 has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated as per Ind As8.

(a) Nature of the prior period error : Employee benefits expense

(b) Amount of correction : Rs.295 lakhs

(c) Financial line item affected: Note No.26 - Employee Benefits Expense

**38 RELATED PARTY DISCLOSURE AS PER Ind- AS 24**

Since Government of India owns 58.78% of the Company's equity share capital (under the administrative control of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals), the disclosures relating to transactions with the Government and other Government controlled entities have been reported in accordance with para 26 of Ind AS 24. List of related parties where control exists and also related parties with whom transactions have taken place and relationships:

Sr. No.	Name of the Related Party Relationship	Relationship	Details of Transaction	Rs. In lakh			
				Amt. of Transaction during 2022-23	Outstanding at the end of the year (31.03.2023)	Amt. of Transaction during 2021-22	Outstanding at the end of the year (31.03.2022)
1	Hindustan Fluorocarbon Ltd. (HFL)	Subsidiary company with 56.43% share holding.	Interest on loan given to HFL	63.62	4272.13	63.62	4214.87
2	Bharat Petroleum Corporation Ltd	Controlled by Government of India.	Purchase of Raw materials (LPG, Benzene, FO, H2 & LNG)	37659.45	3462.27	22883.56	3051.35
3	Bharat Petroleum Corporation Ltd	Controlled by Government of India.	Sale of Finished Goods (H2O2)	43.00	29.08	15.07	22.84

Sr. No.	Name of the Related Party Relationship	Relationship	Details of Transaction	Amt. of Transaction during 2022-23	Outstanding at the end of the year (31.03.2023)	Amt. of Transaction during 2021-22	Outstanding at the end of the year (31.03.2022)
4	Indian Oil Corporation Limited	Controlled by Government of India.	Purchase of Raw materials/ Fuel	6130.67	-59.52	478.67	0.00
5	Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited	Subsidiary of ONGC	Purchase of Raw materials (Benzene)	5496.25	0.00	0.00	0.00
<b>Trust constituted by the Company</b>							
6	HOCL Group Gratuity Trust	-do-	Investment and interest on investment	682.19	1729.48	610.89	1490.61

**REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL** Rs. in Lakh

	Short-term employee benefits	Post-term employee benefits	Other long-term benefits	Termination benefits	Share-based payments	Total
<b>22-23</b>						
<b>A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:</b>						
Shri. Sajeev B, CMD	36.80	4.56	0.00	0.00	0.00	41.36
Shri. Yogendra Prasad Shukla (From 04.07.2022)	21.68	2.90	0.00	0.00	0.00	24.58
<b>B. Remuneration to Other Directors</b>						
<b>i) Govt. Nominee Directors</b>						
Shri Sanjay Rastogi (AS&FA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Shri Kanishk Kant Srivastava.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ii) Independent Directors</b>						
Dr. Bharat J. Kanabar	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
Shri Pratyush Mandal	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
<b>C. Key Managerial Personnel</b>						
Shri. Subramonian H	13.10	1.76	0.00	0.00	0.00	14.86
Shri. P.O. Luise, CFO (up to 04.08.2022)	9.29	1.22	0.00	0.00	0.00	10.51
<b>Total</b>	<b>83.07</b>	<b>10.44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.51</b>
<b>2021-22</b>						
<b>A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:</b>						
Shri. S.B. Bhide, CMD (upto 31.7.21)	29.91	1.48	0.00	0.00	0.00	31.39
Shri. Sajeev B, CMD (from 6.9.2021)	20.74	2.45	0.00	0.00	0.00	23.19
<b>B. Remuneration to Other Directors</b>						
<b>i) Govt. Nominee Directors</b>						



**NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

	Short-term employee benefits	Post-term employee benefits	Other long-term benefits	Termination benefits	Share-based payments	Total
Shri. Satendra Singh, ASFA (C&F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Shri. Samir Kumar Biswas, JS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ii) Independent Directors</b>						
(Sitting fee paid to NOIDs for attending the Meetings of the Board/Committees)						
Dr. Bharat J. Kanabar	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
Shri Pratyush Mandal	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
<b>C. Key Managerial Personnel</b>						
Shri. P.O. Luise, CFO	33.97	3.39	0.00	0.00	0.00	37.36
Mrs.S.S. Kulkarni,CS (upto 28.02.22)	36.45	3.53	0.00	0.00	0.00	39.98
Shri. Subramonian H (from 1.3.2022)	1.06	0.14	0.00	0.00	0.00	1.20
<b>Total</b>	<b>123.33</b>	<b>10.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134.32</b>

**Note:**

In the ordinary course of its business, the Company enters into transactions with other Government controlled entities (not included in the list above). The Company has transactions with other Government-controlled entities, including but not limited to the followings:

Sales and purchases of goods and ancillary materials; Rendering and receiving of services; Receipt of dividends; Loans and advances; Depositing and borrowing money; Guarantees and Uses of public utilities.

These transactions are conducted in the ordinary course of business on terms comparable to those with other entities that are not Government controlled entities.

**Note-39 Financial Instruments :**

**39 a. Financial Instrument**

A Fair Values hierarchy :

**Level 1** — Includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity instruments, traded bonds and mutual funds that have quoted price. The fair value of all equity instruments (including bonds) which are traded in the stock exchanges is valued using the closing price as at the reporting period. The mutual funds are valued using the closing NAV.

**Level 2** — The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds, over-the-counter derivatives) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

**Level 3** — If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3. This is the case for unlisted equity securities, contingent consideration and indemnification asset

B Financial assets and liabilities measured at fair value-recurring fair value measurements :  
Rs. In Lakh

	As at 31st March, 2023				As at 31st March, 2022			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
<b>Financial assets :</b>								
Loans	-	-	3219.43	3219.43	-	-	3218.09	3218.09
Trade Receivables	-	-	1,807.71	1,807.71	-	-	735.12	735.12
Investments	985.45	-	5.00	990.45	1058.44	-	5.00	1063.44
Cash and cash equivalents	-	-	4359.01	4359.01	-	-	2014.53	2014.53
Bank balances other than Cash	-	-	12371.47	12371.47	-	-	11496.20	11496.20
Other Financial Assets	-	-	1433.34	1433.34	-	-	1334.04	1334.04
<b>Total Financial assets</b>	<b>985.45</b>	<b>-</b>	<b>23,195.96</b>	<b>24,181.41</b>	<b>1,058.44</b>	<b>-</b>	<b>18,802.98</b>	<b>19861.42</b>
<b>Financial liabilities</b>								
Borrowings	-	-	72256.46	72256.46	-	-	72256.46	72256.46
Trade payables	-	-	4066.87	4066.87	-	-	4151.84	4151.84
Other current financial liabilities	-	-	46070.59	46070.59	-	-	40395.78	40395.78
<b>Total Financial liabilities</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,22,393.92</b>	<b>1,22,393.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,16,804.08</b>	<b>116804.08</b>

**39b. Categories of Financial Instruments**

A Fair Values hierarchy : Rs. In Lakh

	As at 31st March, 2023				As at 31st March, 2022			
	FVTPL	FVOCI	Amortised Cost	Total	FVTPL	FVOCI	Amortised Cost	Total
<b>Financial assets :</b>								
Loans	-	-	3219.43	3219.43	-	-	3218.09	3218.09
Trade Receivables	-	-	1807.71	1807.71	-	-	735.12	735.12
Investments	-	-	990.45	990.45	-	-	1063.44	1063.44
Cash and cash equivalents	-	-	4359.01	4359.01	-	-	2014.53	2014.53
Bank balances other than Cash	-	-	12371.47	12371.47	-	-	11496.20	11496.20
Other Financial Assets	-	-	1433.34	1433.34	-	-	1334.04	1334.04
<b>Total Financial assets</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,181.41</b>	<b>24,181.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,861.42</b>	<b>19,861.42</b>
<b>Financial liabilities</b>								
Non Cumulative Preference share	-	-	27000.00	27000.00	-	-	27000.00	27000.00
GOI Loan	-	-	45256.46	45256.46	-	-	45256.46	45256.46
Trade payables	-	-	4066.87	4066.87	-	-	4151.84	4151.84
Other current financial liabilities	-	-	46070.59	46070.59	-	-	40395.78	40395.78
<b>Total Financial liabilities</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,22,393.92</b>	<b>1,22,393.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,16,804.08</b>	<b>1,16,804.08</b>



**NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

**Note No. 40 Financial risk management**

**i. Market risk**

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Such changes in the values of financial instruments may result from changes in the foreign currency exchange rates, interest rates, credit, liquidity and other market changes. The Company's exposure to market risk is primarily on account of foreign currency exchange rate risk.

**a) Foreign currency exchange rate risk**

The fluctuation in foreign currency exchange rates may have potential impact on the statement of profit and loss and other comprehensive income and equity, where any transaction references more than one currency or where assets / liabilities are denominated in a currency other than the functional currency of the Company but as company balance in foreign currency hence company is not exposed to foreign currency exchange rate risk

**b) Interest rate risk**

The Company's investments are primarily in subsidiary through quoted equity share and unquoted equity share of other entity therefore none of the investment activity is generating interest out of the investment. Hence, the Company is not significantly exposed to interest rate risk.

**ii. Credit risk**

Credit risk is the risk of financial loss arising from counterparty failure to repay or service debt according to the contractual terms or obligations. Credit risk encompasses of both, the direct risk of default and the risk of deterioration of creditworthiness as well as concentration of risks. Credit risk is controlled by analysing credit limits and creditworthiness of customers on a continuous basis to whom the credit has been granted after obtaining necessary approvals for credit.

Financial instruments that are subject to concentrations of credit risk principally consist of trade receivables, unbilled receivables, investments, cash and cash equivalents, bank deposits and other financial assets, company generating revenue for individually in excess of 10% or more of the Company's revenue for the year ended March 31, 2023 from the below mention customer.

Name of customer	Amt of revenue (Rs.lakhs)	% of total revenue
Pooja Petro Chemicals	18738.04	30%
Sonkamal Enterprises P Ltd	16300.52	26%
Ponpure Chemical India P Ltd	9759.28	15%

**Geographic concentration of credit risk**

Geographical concentration of trade receivables, unbilled receivables (previous year: unbilled revenue) and contract assets is allocated based on the location of the customers.

**iii. Liquidity risk**

Liquidity risk refers to the risk that the Company cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements.

The company manages liquidity risk by maintaining adequate reserve, banking facilities and reserve borrowing facilities, continuously monitoring forecast and actual cash flow and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

**Note No.41 Deferred Tax**

Rs. in Lakh

For the Year 2022-23	Opening Balance 01.04.2022	Recognisable in P & L	Reversal on account of Probability chcking of Future Profit	Recognised in P & L	Recognised in OCI	Closing Balance 31.03.2023
<b>Deferred Tax Liability</b>						
Excess Provision W/back	-			-	-	-
Provision for impairment W/Back	-			-	-	-
Revaluation of land in Fair Value	20,473.52			-	302.00	20,775.52
Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE	(4,056.00)			-	-	(4,056.00)
Fair Value of Investment in HFL	(15.00)				(21.00)	(36.00)
	<b>16,402.52</b>				<b>281.00</b>	<b>16,683.52</b>
<b>Deferred Tax Asset</b>						
Depreciation	-	18.00	18.00	-	-	-
Provision for Leave Encashment	-	80.00	80.00	-	-	-
Voluntary Retirement Benefits (VRS/VSS)	-			-	-	-
Provision for Doubtful Debts	-	1.00	1.00	-	-	-
Provision for Doubtful Advances	-			-	-	-
Provision for Long Term Agreements	-			-	-	-
Provision for Obsolescence	-	-	-	-	-	-
Provision for Statutory claims	-			-	-	-
Accumulated Income tax loss to the extent of deferred tax liability	-			-	-	-
	-	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>	-	-	-
<b>Net Deferred tax liability</b>	<b>16,402.52</b>			-	<b>281.00</b>	<b>16,683.52</b>



Rs. in Lakhs

For the Year 2021-22						
	Opening Balance 01.04.2021	Recognisable in P & L	Reversal on account of Probability chcking of Future Profit	Recognisable in P & L	Reversal on account of Probability chcking of Future Profit	Closing Balance 31.03.2022
<b>Deferred Tax Liability</b>						
Revaluation of land in Fair Value	19,897.52			-	576.00	20,473.52
Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE	(4,056.00)			-	-	(4,056.00)
Fair Value of Investment in HFL	(80.00)				65.00	(15.00)
	<b>15,761.52</b>			<b>-</b>	<b>641.00</b>	<b>16,402.52</b>
<b>Deferred Tax Asset</b>						
Depreciation	-	21.00	21.00	-	-	-
Provision for Leave Encashment	-	81.00	81.00	-	-	-
Voluntary Retirement Benefits (VRS/VSS)	-			-	-	-
Provision for Doubtful Debts	-	5.00	5.00	-	-	-
Provision for Doubtful Advances	-			-	-	-
Provision for Long Term Agreements	-			-	-	-
Provision for Stock Obsolescence	-	1.00	1.00	-	-	-
Provision for Statutory claims	-			-	-	-
		<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Net Deferred tax liability</b>	<b>15,761.52</b>	<b>(108.00)</b>	<b>(108.00)</b>	<b>-</b>	<b>641.00</b>	<b>16,402.52</b>

42. Additional disclosures

Financial, Liquidity and Other Ratios

Ratios	Components of Numerator	Components of Denominator	For the Year ended 31.03.2023	For the Year ended 31.03.2022	% Variance	Explanation by Management
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	1.01	1.06	-4.22%	-
Debt Equity Ratio	Total debt	Shareholders' Equity	149.89	22.40	569.13%	Loss has increased during the year 2022-23 mainly due to interest on GOI loan and preference shares provided during the year.
Debt Service Coverage Ratio	Earnings available for debt service	Debt service	0.01	0.03	-77.55%	Loss has increased during the year 2022-23 and interest on GOI loan and preference shares provided

Ratios	Components of Numerator	Components of Denominator	For the Year ended 31.03.2023	For the Year ended 31.03.2022	% Variance	Explanation by Management
Return on Equity Ratio	Net profit after tax	Shareholders' Equity	-1.73	0.40	-528.28%	Loss has increased during the year 2022-23 and interest on GOI loan and preference shares provided
Inventory Turnover Ratio	Sales	Average Inventory	23.76	16.16	47.02%	Increase in sales
Trade Receivables Turnover Ratio	Net Sales	Average Trade Receivables	49.66	57.01	-12.89%	-
Trade Payables Turnover Ratio	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	10.22	7.29	40.15%	Increase in purchase of raw materials and other items during the year 2022-23
Net Capital Turnover Ratio	Net Sales	Working Capital	33.59	6.02	-458.00%	Current liability has increased in 2022-23 due to the increase of interest due on govt. loan.
Net Profit Ratio	Net profit after tax	Net Sales	-0.08	-0.06	31.72%	Due to unfavourable market condition, which contributed to net loss of the company. Also there was a huge increase in the main raw material but the selling price could not have increased due to the unfavourable market conditions which resulted in net loss.
Return on Capital Employed	Profit Before Interest and Taxes (PBIT)	Capital Employed	0.85	0.63	34.27%	
Return on Investment	Dividend	Share Price	-	-	0.00%	

43 Notes to Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

a) The Company has elected to continue with the carrying value for all its Property, Plant and Equipment as of April 1, 2016 measured under Indian GAAP as deemed cost as of April 1, 2016 (transition date) except Freehold Land where fair value (circle rate) has been considered as deemed cost.

b) Under Indian GAAP, the Company measured financial assets at cost. As at the transition date, the company recognised the provision for expected credit loss for certain financial assets as per the criteria set out in Ind AS 101. All the financial liabilities have been carried at amortized cost and such differences have been appropriately addressed.



c) The Company recognises costs related to its post-employment defined benefit plan on an actuarial basis both under Indian GAAP and Ind AS. Under Indian GAAP, the entire cost including actuarial gains and losses and return on planned assets are charged to profit or loss. Under Ind AS, actuarial gains and losses and return on planned assets recognised immediately in the Balance Sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through Other Comprehensive Income.

d) Consequential sum of the adjustments carried out in the other comprehensive income net of tax implications thereon.

44. Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015- as per Regulation 17(1)(b), the chairman being an executive director, at least half of the board of Directors should be comprised of Independent Directors. Currently, the Company does not have required number of Independent Directors on its board. Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 - as per the Regulation 17 (1) (a) of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015, Board of Directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director and not less than fifty percent of the Board of Directors shall comprise of non-executive directors. Currently, the Company does not have woman director on its Board.

**45. Going concern**

a) The company has reported net loss including other comprehensive income of Rs.4239.63 lakhs (Previous year net profit including other comprehensive income of Rs.1015.89 lakhs) Also the company has accumulated loss amounting to Rs 107078.48 lakhs (Previous year Rs.102056.08 lakhs) with a negative networth of Rs.95512.95 lakhs (Previous year Rs.90490.55 lakhs). But its current assets exceeds its current liabilities by Rs 1879.87 lakhs (Previous year Rs.7204.31 lakhs). The company has a balance under current assets of cash and cash equivalents and other bank balances of Rs 16730.48 lakhs (Previous year Rs.13510.73 lakhs) as at the year end. After considering these conditions, the standalone financial result of the company have been prepared on going concern basis.

b) The company is in the process of implementation of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbered land in Rasayani through NBCC and Panvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant at Kochi is operational and was operating at 93% capacity in the current year as against 62% in the previous year. The production of acetone and phenol increased to 60656 MT in the current year from 40305 MT in the previous year. At the end of the financial year 2022-23, the EBIT for the year 2022-23 is Rs. 1666.29 lakhs (Previous Year 2021-22 Rs. 3932.38 lakhs)

46. Board recommended to implement salary revision of employees w.e.f. 25.01.2021 and the same was submitted to the Ministry of Chemicals and Fertilizers for approval. Company has provided Rs. 295 lakhs for the year 2021-22 and Rs.248.00 lakhs in the books of accounts towards provision for wage revision during the year 2022-23.

47. No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

48. No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

As per our report of even date attached

**For Balan & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 340S

Sd/-  
**Joyal George, FCA**  
Partner  
Membership No.: 228702  
UDIN: 23228702BGXDR1444

Place: Ernakulam  
Date: 18.05.2023

**49. Relationship with Struck off Companies**

During the financial year ended 31st March 2023 the company does not have any relationship with struck off companies.

Relationship with Struck off Companies as on 31st March 2022

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Balance outstanding	Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed
Access Services P Ltd	Security service	Rs.0.23 lakh	Creditor

50. No charge or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.

51. No Loans or Advances in the nature of loan is granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013,) either severally or jointly with any other person during the year.

52. There is no capital-work- in progress as on 31.03.2023

53. The company does not hold any immovable property (other than properties where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) whose title deeds are not in the name of the company.

54. The company has complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.

55. The Company has revalued its Property, Plant and Equipment and the revaluation is based on the valuation by a registered valuer (Mr. Er.S.Rajendraprasad, Wealth Tax No: Catogory No.1/3/Vol.II/2009-10.No:CC-CHN/TECH/RV/3/2009-10) as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.

56. There is no intangible assets under development

57. No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made there under.

58. Company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets.

59. Company is not declared as a wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

60. Company has no transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961), unless there is immunity for disclosure under 11 any scheme and also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year.

61. The Company is not required mandatorily to carry out any CSR activities on account of losses incurred during the previous years.

62. The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

63. The standalone financial statements were authorized for issue in accordance with a resolution passed by the Board of Directors on 18.05.2023

64. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-  
**Sajeev B.**  
Chairman and Managing Director  
DIN 09344438

Sd/-  
**Yogendra Prasad Shukla**  
Director (Finance)  
DIN 09674122

Sd/-  
**Subramonian H.**  
Company Secretary  
ACS: 28380

Place: Ernakulam, Kerala  
Date: 18.05.2023



**CONSOLIDATED ACCOUNTS**  
**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

To the Members of M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited, Kochi  
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

**Opinion**

- We have audited the accompanying consolidated financial statements of M/s. **HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED** (CIN: L99999MH1960GOI011895) ("the company") and its subsidiary, (the Holding and its Subsidiary together referred to as "the Group" which comprises of: -
  - The Consolidated Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2023
  - The Consolidated Statement of Profit and Loss for the year (including other comprehensive income) ended 31<sup>st</sup> March, 2023
  - Consolidated Statement of Change in Equity for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2023
  - Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31<sup>st</sup> March 2023, and
  - A Summary of significant accounting policies and other explanatory information.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Consolidated financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Group as at March 31, 2023; and its loss, total comprehensive income, the changes in equity and its cash flows for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2023.

**Basis for opinion**

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated financial statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Going Concern**

- During the year, the Group has reported 'net loss including other comprehensive income' of Rs. 4,698.95 lakhs for the year ending 31.03.2023 (Previous year Rs 1,792.47 lakhs) and has accumulated loss under 'retained earnings' amounting to Rs. 1,13,819.16 lakhs (Previous Year Rs. 1,08,493.23 lakhs) with a negative net worth of Rs. 1,02,253.63 lakhs (Previous Year Rs. 96,927.7 lakhs), excluding 'other comprehensive income', as a result of the capital erosion due to losses reported by the company over the previous years. Further, its current liabilities exceed its current assets by Rs. 6,512.47 Lakhs (Previous year: Rs. 676.71 lakhs).

Further, attention is drawn to –

- Note No. 3(d)(2) of the consolidated financial statements of the group regarding the closure plan approved by the Government of India in respect of the subsidiary company and the audit opinion (Refer Going Concern Paragraph in the said report) given by the auditors of the subsidiary company regarding the material uncertainty related to the going concern of the said subsidiary company.
- We are informed that, the holding company, with the approval of the Government of India, is in the process of divesting and selling off its loss making unit at Rasayani, Mumbai, which includes assets with carrying amount amounting to Rs. 99,219.74 lakhs, including 551.172 acres of land owned by the unit. This process is expected to generate sufficient cash flow for the company. Further, as reported by the company in Note No. 46(b) of the Financial Statements, we draw the attention regarding the increased performance of the Manufacturing unit at Kochi.

Considering the above, the management has prepared the standalone Ind AS financial statements on going concern basis.

Our opinion is not modified in respect of the above.

**Emphasis of Matter**

- We draw attention to the interim financial results published by the group for the Quarter 2 of the current year included a write back of 'provision for statutory liability' created in the previous years amounting to Rs. 530.58 lakhs, which was reported under 'Other income'. However, based on further discussions, the management reinstated the said liability in the Quarter 4 and accordingly, the effect of such restatement was reported under 'other income' for the said quarter. As the write back as well as its reinstatement occurred in the current year itself, there is no net impact on the financial statements for the current year.
- Our opinion is not modified in respect of the above.

**Key Audit Matters**

- Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sl. No	The Key Audit Matters	How our audit addressed the key audit matter
1.	<b>Valuation of Inventory</b> LPG, Benzene and chemical based inventory forms a significant part of the Company's inventory of which prices are fluctuating in nature and also depends on prices, decisions and conditions of other countries Inventories are valued at lower of cost and net realisable value except raw materials, work-in progress & stores. The audit mainly focused on verification of the cost and net realizable value of the above.	Our audit procedures included and were not limited to the following: 1. Reviewing data from software used by the company such as Distributed Control System for plant operations, independent PLC for the safety of the Plant, Tank Level Monitoring System "LMS" for the detailed statistics about stock of raw materials, finished products, and intermediate products along with various alarms, warnings and history of the tank operations etc. 2. Testing the design, implementation and operating effectiveness of key internal financial controls, including controls over valuation of inventory. 3. Testing on a sample basis the accuracy of cost for inventory by verifying the actual purchase cost. Testing the net realizable value by comparing actual cost with most recent selling price.
2.	<b>Recognition, Measurement and Depreciation of PPE</b> The company, being a asset based entity, the recognition, measurement and depreciation of the PPE is very significant. The audit was mainly focused on the compliance of the provisions of the Ind AS 16 – Property, Plant and Equipments and the other aspects of asset accounting.	Our audit procedures included and were not limited to the following: 1. Evaluating management's processes and controls over the identification, capitalization, classification, and subsequent measurement of PPE. We assessed the company's policies for determining the initial cost, subsequent measurement, and depreciation of PPE, including the application of appropriate depreciation methods and useful lives. 2. We also tested a sample of PPE additions and disposals to verify the accuracy and completeness of their recognition and measurement. 3. We assessed the consistency of depreciation policies and their compliance with applicable accounting standards and the accuracy of the calculation of depreciation. 4. We verified the compliance with the provisions of Ind AS 16 for adopting the Revaluation model and its impact on the asset disclosures.

**Information Other than the consolidated financial statements and Auditor's Report Thereon**

- The group's management and Board of Directors are responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Corporate Governance, Shareholders Information and Chairman's statement, but does not include the Consolidated financial statements and our auditors' report thereon.
- Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
- In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

**Management's responsibility for the consolidated financial statements**

- The Group's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Consolidated financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and change in equity of the Group in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 as amended, and other accounting principles generally accepted in India.
- This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
- In preparing the Consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related



to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

13. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

#### Auditor's Responsibility for the Audit of Consolidated financial statements

14. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated financial statements.

15. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the group has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

16. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

17. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

#### Other Matters

18. *We did not audit the financial statements of one subsidiary, whose financial statements reflect total assets (before consolidation adjustments) of Rs.6544.19 Lakhs as at 31 March 2023, total income (before consolidation adjustments) of Rs. 210.90 Lakhs for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditors whose report have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, and our report in terms of sub-section (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary is based solely on the report of the other auditors.*

*Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of this matter with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditors.*

#### Report on other legal and regulatory requirements

19. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 issued by the Central Government of India in terms of sub-section 11 of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

20. As required by the directions and sub directions issued by the office of the Comptroller & Auditor General of India under section 143(5) of the Act, we give in the "Annexure B" a statement on the matters referred in those directions.

21. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Group so far as appears from our examination of those books.
- c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss including other comprehensive loss, Statement of change in Equity, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- d) In our opinion, the aforesaid Consolidated financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of Companies (Accounts), Rules 2014;
- e) As per Notification No. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015, the Government Companies are exempted from provisions of section 164 (2) of the Act. Accordingly, we are not required to report whether any directors are disqualified in terms of provisions contained in the said section.
- f) The report on internal financial control as required under clause (i) of sub section 3 of section 143 of the Companies Act 2013 is attached as "Annexure C".
- g) With respect to other matters to be included in the Auditors Report in accordance with Rule 11 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
  - (i) The group has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statement. - Refer note 36 to the consolidated financial statements.
  - (ii) The group do not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
  - (iii) There were no amounts which were required to be transferred to Investor Education and Protection Fund by the group.
  - (iv) a. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in note 49 no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the group to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall
    - directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the group ("Ultimate Beneficiaries") or
    - provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
  - b. The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in note 50 no funds have been received by the group from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the group shall
    - directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or
    - provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
  - c. Based on such audit procedures considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (iv) (a) and (iv) (b) contain any material mis-statement.
- (v) No dividend was declared or paid during the year which required compliance with section 123 of the Companies Act, 2013.
- (vi) Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of Account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Group with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023

22. *Non-Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015:*

*The Holding Company has not complied with the Regulations 17(1)(a) and 17(1)(b) in respect of maintenance of an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one-woman director and not less than fifty percent of the Board of Directors as non-executive directors and maintenance of at least half of the board of Directors comprised of Independent Directors (Refer Note 44 to the Consolidated Financial Statements).*

**For Balan & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Regn. No.340S

**Joyal George, FCA**  
Partner (Mem. No: 228702)  
UDIN: 23228702BGXDRJ7779

Date: 18-05-2023

Place: Kochi-11



**ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in Paragraph 17 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

As per proviso to Para (2) to the Companies (Auditor's Report) Order, 2020, the clauses (i) to (xx) of the said order are not applicable to the auditor's report on consolidated financial statements of the Group.

However, with respect to clause (xxi) of the said order we report that –

(xxi) With respect to the holding company, the auditor, in the CARO report given as Annexure A to the Independent Auditor's Report on the Standalone Financial Statements, has given qualifications or adverse remarks in respect of the clauses (i)(c), (ii)(a), (iii), (iv), (vii), (ix) and (xvii). Further, in respect to the subsidiary company, the auditor, in the CARO report given as Annexure A to the Independent Auditor's Report on the Standalone Financial Statements, has given qualifications or adverse remarks in respect of the clauses (ix)(a), (x)(a), (xvii) and (xix).

**For Balan & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Regn. No.340S

**Joyal George, FCA**  
Partner (Memb. No: 228702)  
UDIN:

Date: 18-05-2023  
Place: Kochi-11

**ANNEXURE B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in Paragraph 18 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

As required by the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under 143 (5) of the Act, we give below our comments on the matters referred therein.

**A. Directions**

SI No	C&AG Direction	Statement of Statutory Auditor	
		Holding Company	Subsidiary Company
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with financial implications if any may be stated	Based on the explanations given to us and based on our verification, we have identified the following systems for processing the accounting transactions of the company, viz., a) Accounting transactions are maintained through Tally ERP Prime, an accounting ERP software; b) Fixed assets register is maintained in MS Office Excel utility. c) Payroll management is done through a separate HRM software system. d) Consolidation of unit trial balances are done through MS Office Excel utility.  Based on the explanations given to us, we have not come across any accounting transactions being processed outside the above-mentioned systems.  Further, we recommend having a proper integration between the above-mentioned systems with the major accounting software, so as to avoid any potential risks of data loss or corruption during the data migration and transfer between the systems.	No statements have been issued by the statutory auditor in the audit report
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write-off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for?	The company has made default in repayment of the loans and preference shares availed from the Government of India, the principal of which aggregates to Rs. 72,256.46 Lakhs. However, based on the information given to us, there was no restructuring of any of such loans or cases waiver/ write-off of debts/ loans/ interest etc.  Hence, we are not commenting on the financial impact and accounting of the same.	No statements have been issued by the statutory auditor in the audit report

SI No	C&AG Direction	Statement of Statutory Auditor	
		Holding Company	Subsidiary Company
3	Whether funds (grants / subsidy etc.) received or receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the case of deviations	Based on the information given to us, during the year under report, there were no funds received or receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies.	No statements have been issued by the statutory auditor in the audit report

**B. Sub-direction**

SI No.	C&AG Direction	Statement of Statutory Auditor
1	State the area of land under encroachment and briefly explain the steps taken by the company to remove encroachment.	1) Based on the information given to us by the management, 65.p840 acres of land at the Rasayani Unit, Maharashtra, of the company has been identified as 'under encroachment' With respect to the steps taken by the management to remove the encroachment, we are informed that – a) The company is constantly communicating with the Senior Government officials of Govt. of Maharashtra for taking prompt steps for removing encroachment by the farmers at the land at Rasayani Unit. b) The company is also co-ordinating with the Ministry of Chemicals and Petrochemicals, Government of India, for the speedy resolution in the above case. c) The above recommendations include various proposals including settlement arrangements with the encroachers. d) The company has also filed suits in some instances. 2) Based on the explanations given to us, 32,547 acres of land at Rasayani Unit, Maharashtra, are under the possession of various entities such as MIDC, MSEB, HIL, MES etc. With respect to the steps taken by the management to remove the encroachment, we are informed that – a) the company is constantly following up with the concerned officials for the recovery or registration of the said land possessed by such entities. b) In case of the land leased out to MES, the company has issued the notice of termination of lease to the party. However, the property is still under the possession of the lessee – MES. The matter is pending before Arbitration authority and the proceedings are under progress. 10.576 acres of land at the Rasayani Unit, Maharashtra has been acquired by Governmental authorities and public road has been constructed. Hence, the company does not have possession as well as ownership with respect to the said land.
2	Whether there is any effective system for follow up of accumulated trade receivables especially which are more than three years old?	The company has a trade receivable amounting to Rs. 1,489.24 lakhs, which is more than three years old. The company has assessed and provided a sum of Rs. 1,474.28 lakhs as provision for bad and doubtful assets. We are informed that the management is following up with the above debtors for the recovery and has initiated legal proceedings against some of such cases.
3	Whether there was an adequate system for watching actual consumption against norms in case of raw materials, intermediaries and utilities?	We are informed that the company prepares monthly statements comparing the actual consumption of raw material, intermediaries and utilities against the established norms as MIS Report.

As the Independent Auditor's report to the Standalone financial statements of the subsidiary company does not contain the report of the independent auditor on the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Act, we have not reported anything in respect of the subsidiary company.

**For Balan & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Regn. No.340S

**Joyal George, FCA**  
Partner (Memb. No: 228702)  
UDIN: 23228702BGXDRJ7779

Date: 18-05-2023  
Place: Kochi-11



**ANNEXURE C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in Paragraph 19(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

**Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act')****Opinion**

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Hindustan Organic Chemicals Limited** (the holding company) as of 31<sup>st</sup> March, 2023, in conjunction with our audit of the Consolidated financial statements of the company for the year ended on that date whereas that of the subsidiary company has been audited by another independent firm of Chartered Accountants.
2. In our opinion, the Group has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over the financial reporting criteria established by the Group considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of internal Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**Management's responsibility for Internal Financial Controls**

3. The Group's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Group considering the essential components of internal control stated in the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Group's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of accounting records and the timely preparation of reliable financial information as required under the Companies Act, 2013.

**Auditor's Responsibility**

4. Our responsibility is to express an opinion on the Group's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting (the Guidance Note) and the standards on auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013 to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the Guidance Notes require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

5. Our audit involves performing procedures to obtain Audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment including the assessment of risks of material misstatement of the Consolidated financial statements, whether due to fraud or error,

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Group's internal financial control systems over financial reporting.

**Meaning of internal financial controls over financial reporting**

6. The Group's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of the Consolidated financial statements for external purposes in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 as amended, and other accounting principles generally accepted in India. The group's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of the records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflects the transactions and dispositions of the assets of the Group; (2) provide reasonable assurance that the transactions are recorded as necessary to permit preparation of Consolidated financial statements in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 as amended, and other accounting principles generally accepted in India and that the receipts and expenditures of the Group are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Group; and (3) provide reasonable assurance regarding the prevention or timely deduction of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Group's assets that could have a material effect on the Consolidated financial statements.

**Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion of improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over the financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**For Balan & Co.**  
**Chartered Accountants**  
Firm Regn. No.340S

**Joyal George, FCA**  
**Partner (Memb. No: 228702)**  
UDIN: 23228702BGXDRJ7779

Date: 18-05-2023

Place: Kochi-11

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT,2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023**

The preparation of consolidated financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 18 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Audit General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the consolidated financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act.

For and on behalf of the  
**Comptroller and Auditor General of India**

Place: Mumbai  
Date: 08 August 2023

**(Guljari Lal)**  
Director General of Audit (Shipping), Mumbai



## Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>ASSETS</b>			
<b>Non Current assets</b>			
a) Property, Plant and equipment	3a	16,375.07	15,348.07
b) Investment Property	3b	86.58	88.74
c) Other Intangible assets	3c	18.85	27.25
d) Financial Assets			
(i) Investments	4	5.00	5.00
e) Other Non-current Assets	5	518.05	497.37
Total Non current Assets		<b>17,003.55</b>	<b>15,966.43</b>
<b>Current assets</b>			
a) Inventories	6	4,960.95	7,651.25
b) Financial assets			
(i) Trade Receivables	7	1,936.87	864.28
(ii) Cash and cash equivalents	8a	4,621.36	2,169.32
(iii) Bank balances other than (ii) above	8b	15,192.40	13,503.05
(iv) Loans	9	22.35	21.01
(v) Other Financial Assets	10	369.27	385.17
c) Other current assets	11	2,564.85	3,013.86
d) Property, Plant and Equipments held for sale	3d	1,02,391.18	1,03,929.34
Total Current Assets		<b>1,32,059.23</b>	<b>1,31,537.28</b>
Total Assets		<b>1,49,062.78</b>	<b>1,47,503.71</b>
<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>Equity</b>			
a) Equity Share capital	12	6,726.96	6,726.96
b) Other equity			
(i) Securities Premium	13a	4,838.57	4,838.57
(ii) Retained Earnings	13b	(1,13,819.16)	(1,08,493.23)
(iii) Other comprehensive Income	13c	97,320.98	96,450.23
Total Other Equity		<b>(11,659.61)</b>	<b>(7,204.43)</b>
Total Equity		<b>(4,932.65)</b>	<b>(477.47)</b>
Non Controlling interest		<b>(3,655.69)</b>	<b>(3,432.92)</b>
<b>Liabilities</b>			
<b>Non-current liabilities:</b>			
a) Financial liabilities			
i) Borrowings	14	-	-
ia) Lease liabilities			
b) Provisions	15	2,395.90	2,797.59
c) Deferred Tax liabilities (Net)	16	16,683.52	16,402.52
Total Non-current liabilities		<b>19,079.42</b>	<b>19,200.11</b>
<b>Current liabilities:</b>			
a) Financial liabilities			
i) Borrowings	17	81,423.46	81,423.46
ia) Lease liabilities			
ii) Trade payables:			
Dues to micro and small enterprises	18	14.85	55.50
Dues to Others	18	4,067.96	4,144.71
iii) Other financial liabilities	19	46,906.38	41,232.37
b) Provisions	20	1,786.70	1,756.14
c) Other current liabilities	21	4,372.35	3,601.81
Current Liabilities - Total		<b>1,38,571.70</b>	<b>1,32,213.99</b>
Total equity and liabilities		<b>1,49,062.78</b>	<b>1,47,503.71</b>
Significant Accounting Policies	2		
Notes to the Financial Statements	1&3-65		

As per our report of even date attached

**For Balan & Co.**

Chartered Accountants

FRN 340S

Sd/-

**Joyal George, FCA**

Partner

Membership No.: 228702

UDIN: 23228702BGXDRJ7779

Place: Ernakulam

Date: 18.05.2023

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

**Sajeev B.**

Chairman and Managing Director

DIN 09344438

Sd/-

**Yogendra Prasad Shukla**

Director (Finance)

DIN 09674122

Sd/-

**Subramonian H.**

Company Secretary

ACS: 28380

Place: Ernakulam, Kerala

Date: 18.05.2023

## Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
<b>Revenue from operations:</b>			
Revenue from operations-Sale of products	22	63,143.56	43,367.72
Other Income	23	1,301.88	3,360.54
<b>Total Income</b>		<b>64,445.44</b>	<b>46,728.26</b>
<b>Expenses:</b>			
Cost of Materials Consumed	24	42,679.26	27,888.46
Changes in Inventories of Finished Goods and WIP	25	1,482.71	(1,430.78)
Employee Benefits Expenses	26	4,619.22	5,054.47
Finance Costs	27	6,691.09	6,560.11
Depreciation and amortization expenses	28	118.75	116.37
Other Expenses	29	14,388.13	11,771.32
<b>Total expenses</b>		<b>69,979.16</b>	<b>49,959.95</b>
Profit / (Loss) before exceptional items and tax		<b>(5,533.72)</b>	<b>(3,231.69)</b>
Less: Exceptional items		-	-
Profit / (Loss) before tax		(5,533.72)	(3,231.69)
(1) Current tax		-	-
(2) Deferred tax		-	-
<b>Tax expenses:</b>		0.00	0.00
<b>Profit / (Loss) for the period</b>		<b>(5,533.72)</b>	<b>(3,231.69)</b>
<b>Other Comprehensive Income:</b>			
(i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
a) Revaluation of Plant, property & equipments	13c	1,035.38	1,978.42
Deferred Tax expenses	13c	(302.00)	(576.00)
b) Provision for diminution of investment		-	-
Deferred Tax expenses		-	-
c) Changes in defined benefit plan	13c	101.39	36.80
d) Financial Instruments through OCI at amortised cost		-	-
Other Comprehensive Income for the year, net of tax		<b>834.77</b>	<b>1,439.22</b>
<b>Total Comprehensive Income for the year</b>		<b>(4,698.95)</b>	<b>(1,792.47)</b>
Net profit attributable to			
<b>a) Owners of the Company</b>		(5,310.94)	(2,964.66)
b) Non controlling interest		(222.78)	(267.03)
Other Comprehensive income attributable to			
<b>a) Owners of the Company</b>		834.77	1,441.05
b) Non controlling interest		-	(1.83)
Total Comprehensive income attributable to			
a) Owners of the Company		(4,476.17)	(1,523.62)
b) Non controlling interest		(222.78)	(268.85)
Earnings per equity share (in Rupees)			
Basic (Face value of Rs. 10 each )		(8.24)	(4.81)
Diluted (Face value of Rs. 10 each)		(8.24)	(4.81)
Significant Accounting Policies	2		
Notes to the Financial Statements	1&3-65		

As per our report of even date attached

**For Balan & Co.**

Chartered Accountants

FRN 340S

Sd/-

**Joyal George, FCA**

Partner

Membership No.: 228702

UDIN: 23228702BGXDRJ7779

Place: Ernakulam

Date: 18.05.2023

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

**Sajeev B.**

Chairman and Managing Director

DIN 09344438

Sd/-

**Yogendra Prasad Shukla**

Director (Finance)

DIN 09674122

Sd/-

**Subramonian H.**

Company Secretary

ACS: 28380

Place: Ernakulam, Kerala

Date: 18.05.2023

### Statement of Changes in Equity for the year ended 31st March, 2023

**A. EQUITY SHARE CAPITAL**
**Rs. in lakhs**

Particulars	Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of the current reporting period
	01.04.2022	2022-23	01.04.2022	2022-23	31.03.2023
<b>1. Current reporting period (2022-23)</b>					
Equity shares of Rs.10 each	<b>6726.96</b>	<b>0</b>	<b>6726.96</b>	<b>0</b>	<b>6726.96</b>
<b>2. Previous reporting period (2021-22)</b>					
Equity shares of Rs.10 each	<b>6726.96</b>	<b>0</b>	<b>6726.96</b>	<b>0</b>	<b>6726.96</b>

**B. OTHER EQUITY**
**Rs. in lakhs**

Particulars	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instrument	Reserves and surplus				Items of Other Comprehensive Income (OCI)						Money received against share warrants	Total	
			Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)	Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange diff. on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of OCI (Changes in Employees defined benefits plan)			
<b>1. Current reporting period (2022-23)</b>															<u>2022-23</u>
Balance at the beginning of the current reporting period (01.04.2022)	0.00	0.00	0.00	4838.57	0.00	(108198.87)	0.00	0.00	0.00	96699.21	0.00	(248.99)	0.00	0.00	<b>(6910.08)</b>
Changes in accounting policy or prior period errors (Note No. 37)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(294.36)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>(294.36)</b>
Restated balance at the beginning of the current reporting period	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4838.57</b>	<b>0.00</b>	<b>(108493.23)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96699.21</b>	<b>0.00</b>	<b>(248.99)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(7204.44)</b>
Total Comprehensive Income for the current year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5325.94)	0.00	0.00	0.00	1035.38	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>(4290.56)</b>
Dividends	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Transfer to retained earnings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Any other change (to be specified)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(266.00)	0.00	101.39	0.00	0.00	<b>(164.61)</b>
Balance at the end of the current reporting period (31.03.2023)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4838.57</b>	<b>0.00</b>	<b>(113819.17)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97468.59</b>	<b>0.00</b>	<b>(147.59)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(11659.62)</b>
<b>2. Previous reporting period (2021-22)</b>															<u>2021-22</u>
Balance at the beginning of the current reporting period (01.04.2021)	0.00	0.00	0.00	4838.57	0.00	(103480.98)	0.00	0.00	0.00	95296.79	0.00	(287.63)	0.00	0.00	<b>(3633.25)</b>
Changes in accounting policy or prior period errors	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>59.76</b>
Restated balance at the beginning of the current reporting period	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4838.57</b>	<b>0.00</b>	<b>(103421.22)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95296.79</b>	<b>0.00</b>	<b>(287.63)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(3573.49)</b>
Total Comprehensive Income for the current year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5072.01)	0.00	0.00	0.00	1978.42	0.00	(2.35)	0.00	0.00	<b>(3095.94)</b>
Dividends	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Transfer to retained earnings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Any other change (Deferred Tax liability)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(576.00)	0.00	40.99	0.00	0.00	<b>(535.01)</b>
Balance at the end of the current reporting period (31.03.2022)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4838.57</b>	<b>0.00</b>	<b>(108493.23)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96699.21</b>	<b>0.00</b>	<b>(248.99)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(7204.44)</b>

Note: The holding company, previous year financial statement were restated to correct the errors as per Ind As8 (Note No. 37)

As per our report of even date attached

**For Balan & Co.**

Chartered Accountants

FRN 340S

Sd/-

**Joyal George, FCA**

Partner

Membership No.: 228702

UDIN: 23228702BGXDRJ7779

Place: Ernakulam

Date: 18.05.2023

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

**Sajeev B.**

Chairman and Managing Director

DIN 09344438

Sd/-

**Yogendra Prasad Shukla**

Director (Finance)

DIN 09674122

Sd/-

**Subramonian H.**

Company Secretary

ACS: 28380

Place: Ernakulam, Kerala

Date: 18.05.2023

## Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2023	For the year ended March 31, 2022
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:</b>		
<b>Profit / (Loss) for the period</b>	(5,533.72)	(3,231.69)
Adjustments for :		
Depreciation/Loss on impairment of Assets	118.75	116.37
Profit(-) / Loss on sale of Assets		-
Interest Income	(883.05)	(789.01)
Interest & Finance Charges	6,691.09	6,560.11
Income from investment	(150.27)	(191.87)
Changes in defined Employee benefit plan-other comprehensive income	101.39	36.80
Effect of measurement of financial instrument at amortised cost	-	-
<b>Operating Cash Flows before Working Capital changes (A)</b>	<b>344.19</b>	<b>2,500.71</b>
Adjustments for		
(Increase)/Decrease in Inventories	2,690.30	(2,303.67)
(Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables	(2,274.24)	(1,473.80)
Increase/(Decrease) in Trade Payables & Other Liabilities	349.07	2,269.93
<b>Cash Generated from Operations (Working Capital Changes) (B)</b>	<b>765.13</b>	<b>(1,507.54)</b>
<b>Net Cash flow from Operating activities (1) (A+B)</b>	<b>1,109.32</b>	<b>993.17</b>
<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :</b>		
Purchase of Fixed Assets	(99.80)	(44.25)
Sale of fixed assets - Assets held for sale	1,538.16	7.31
Interest Income	898.95	906.58
Income from investments	86.65	191.87
<b>Net Cash flow from / (used in) Investing activities (2)</b>	<b>2,423.96</b>	<b>1,061.51</b>
<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:</b>		
Increase/Decrease in Secured Loans	-	(1,161.82)
Increase/Decrease in Unsecured Loans	(1.34)	(1,394.13)
Increase/Decrease in Unsecured Loans (Net of Repayments)		217.00
Effect of measurement of financial instrument at amortised cost	-	-
Interest Paid	(1,079.90)	(851.00)
<b>Net cash used in financing activities (3)</b>	<b>(1,081.24)</b>	<b>(3,189.95)</b>
Net Increase Decrease in Cash and Cash Equivalents (1+2+3)	2,452.04	(1,135.27)
Cash & cash equivalents at the beginning of the period	2,169.32	3,304.59
<b>Cash &amp; cash equivalents at the end of the period</b>	<b>4,621.36</b>	<b>2,169.32</b>
<b>Cash &amp; cash equivalents as per above comprise of following</b>		
a) Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents):		
Current accounts	277.21	233.15
Saving Account	153.43	149.25
Deposits with original maturity of less than three months	4,190.25	1,785.44
b) Cash on Hand	0.47	1.48
<b>Total</b>	<b>4,621.36</b>	<b>2,169.32</b>

Previous year figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to confirm to current year's classification.

As per our report of even date attached

**For Balan & Co.**

Chartered Accountants

FRN 340S

Sd/-

**Joyal George, FCA**

Partner

Membership No.: 228702

UDIN: 23228702BGXDRJ7779

Place: Ernakulam

Date: 18.05.2023

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

**Sajeev B.**

Chairman and Managing Director

DIN 09344438

Sd/-

**Yogendra Prasad Shukla**

Director (Finance)

DIN 09674122

Place: Ernakulam, Kerala

Date: 18.05.2023

Sd/-

**Subramonian H.**

Company Secretary

ACS: 28380

**Notes to the Consolidated Financial statements for the period ended 31st March, 2023****1. Corporate Information**

Hindustan Organic Chemicals Limited (the company) is a public limited company domiciled in India and is incorporated under the provisions of the Companies Act applicable in India. Its shares are listed on Bombay Stock Exchange (BSE) in India. The registered office of the company is located at is located at 401, 402 and 403, 4<sup>th</sup> Floor, V Times Square, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai 400614. The Company is principally engaged in the business of bulk industrial chemicals and chemical intermediates.

**2. Significant Accounting Policies****2.1 Basis of Preparation of Financial Statement**

"These financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') (to the extent notified). The IND AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The separate financial statements have been prepared on accrual basis and under historical cost basis, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value:

Derivative financial Instrument

Defined Benefit Plans – Plan Assets

Certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments). The financial statements are presented in Indian Rupee ('INR') or ('Rs.') which is also the Company's functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals, except when otherwise indicated. Wherever the amount represented Rs. '0' (zero) construes value less than Rupees a lakh.

**Significant accounting estimates, assumptions and judgements**

The preparation of the Company's separate financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

**Estimates and assumptions**

"The preparation of the financial statements in conformity with IND AS requires management to make estimates, judgments and assumptions. These estimates, judgments and assumptions affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the period. Application of accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in these financial statements have been disclosed at appropriate places.

Accounting estimates could change from period to period. Actual results could differ from those estimates. Appropriate changes in estimates are made as management becomes aware of changes in circumstances surrounding the estimates. Changes in estimates are reflected in the financial statements in the period in which changes are made and, if material, their effects are disclosed in the notes to the financial statements.

**Taxes**

Tax expense (Income Tax and Deferred Tax) in accordance with Ind-AS 12: Accounting for Taxes on Income has been recognised. There are many transactions and calculations undertaken during the ordinary course of business for which the ultimate tax determination is uncertain. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will impact the current and deferred tax provisions in the period in which the tax determination is made. The deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the assets will be realized in future.

**Employee benefits****i. Short-term obligations**

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the balance sheet.

**ii. Other long-term employee benefit obligations**

The liabilities for earned leave and sick leave are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the

end of the reporting period using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period that have terms approximating to the terms of the related obligation. Re measurements as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in profit or loss. The obligations are presented as current liabilities in the balance sheet if the entity does not have an unconditional right to defer settlement for at least twelve months after the reporting period, regardless of when the actual settlement is expected to occur.

**iii. Post-employment obligations**

"The Company operates the following post-employment schemes:

(a) Defined benefit plans such as gratuity, pension, post-employment medical plans; and

(b) Defined contribution plans such as provident fund.

**iv. Defined benefit plans**

The Company's gratuity scheme is a defined benefit plan. A defined benefit plan is a post employment benefit plan. The Company's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the amount of future benefits that employee have earned in return for their services in the current and prior periods.

**v. Defined contribution plans**

The company's provident fund scheme is a defined contribution plan. A defined contribution plan is a post employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions and will have no obligation to pay further amounts. Obligation for contributions to defined contribution plans are recognised as employees benefit expenses in the statement of Profit and Loss when they are due.

**i. Gratuity**

Gratuity is a post employment defined benefit plan. The liability recognised in the Balance Sheet in respect of gratuity is the present value of the defined benefit obligation at the Balance Sheet date. The Company's liability is actuarially determined at the end of each year. Actuarial gains/ losses through re-measurement are recognised in other comprehensive income.

**Pension and gratuity obligations**

The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of defined benefit pension and gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation. The benefits which are denominated in currency other than INR, the cash flows are discounted using market yields determined by reference to high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit and loss.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income.

They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the balance sheet. Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in profit or loss as past service cost.

a) Defined benefit plans (gratuity benefits), liability in respect of defined benefit plans is recognised in the balance sheet, and is measured as the present value of the defined benefit obligation at the reporting date less the fair value of the planned assets. The present value of the defined benefit obligation is based on expected future payments which arise from the fund at the reporting date, calculated annually by independent actuaries. Consideration is given to expected future salary levels and period of service etc.

b) Company's contribution to provident fund is accounted for on accrual basis.

c) Temporary employee benefits are recognized as an expense at the undiscounted amount in the statement of profit and loss of the year in which the related service is rendered.

d) Bonus is provided in accordance with provisions of Payment of bonus act, 1965 on the basis of profitability.

e) Post employment and other long term employee benefits are recognised as an expense in the statement of profit and loss for the year in which the employee has rendered services. The expense is recognized at the present value of the amount payable determined using actuarial valuation technique. Actuarial gain and loss in respect of post employment and other long term benefits are charged to statement of profit and loss.

**Fair value measurement of financial instruments**

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured on the basis of quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model. The inputs to these models are taken from observation of the market where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

**Provision against obsolete and slow-moving inventories**

The Company reviews the condition of its inventories and makes provision against obsolete and slow-moving inventory items which are identified as no longer suitable for sale or use, on the basis of technical assessment. The Company carries out an inventory review at each balance sheet date and makes provision against obsolete and slow-moving items. The Company reassesses the estimation on each balance sheet date providing provision for slow moving inventory at 50% and in the case of obsolete items at 100%.

**Impairment of financial assets**

Provision for doubtful debts / Loans / Advances is made in the Books in respect of Sundry Debtors outstanding for more than 3 years. In respect of other Debtors, Loans and Advances, provisions are made to the extent considered as not recoverable by the management.

**Impairment of non-financial assets**

"The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset should be considered as impaired and it is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the asset. In determining fair value less cost of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share price for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators."

**2.2 Summary of significant accounting policies****a) Current versus Non-Current classification**

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle,
- Held primarily for the purpose of trading,
- Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

Trade receivables which are expected to be realised within 12 months from the reporting date shall be classified as current. Outstanding more than 12 months shall be shown as noncurrent only unless efforts for its recovery have been made and it is likely that payment shall be received within 12 months from the reporting date. A Judicious decision shall be taken by units in this regard.

liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle,
- It is held primarily for the purpose of trading,
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period payable shall be classified as Trade Payable if it is in respect of the amount due on account of goods purchased or services received in the normal course of business.

Trade payables which are expected to be settled within 12 months from the reporting date shall be shown as current.

The Company classifies all other liabilities as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**b) Revenue recognition**

The Company earns revenue primarily from manufacturing chemical product.

Effective April 1, 2018, the Company has applied Ind AS 115 which establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is to be recognised. Ind AS 115 replaces Ind AS 18 Revenue and Ind AS 11 Construction Contracts. The Company has adopted Ind AS 115 using the cumulative effect method. The effect of initially applying this standard is recognised at the date of initial application (i.e. April 1, 2018). The impact of the adoption of the standard on the financial statements of the Company is insignificant.

Revenue is recognised upon transfer of control of promised products or services to customers in an amount that reflects the consideration which the Company expects to receive in exchange for those products or services.

Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for volume discounts, performance bonuses, price concessions and incentives, if any, as specified in the contract with the customer. Revenue also excludes taxes collected from customers.

As the Company is engaged only in chemical manufacturing business and operating from single location only therefore disaggregates revenue based on geography location and industrial vertical are not require.

The specific recognition criteria described below must also be met before revenue is recognised.

**Sale of product**

Revenue from the sale of product is recognised when the significant risks and rewards of ownership of the product have passed to the buyer. Revenue from the sale of product is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns and allowances, trade discounts, and volume rebates..

**Rendering of services**

Income from services are recognized as and when the services are rendered.

**Interest income**

Interest income from a financial asset is recognised using effective interest rate method. Interest income is included in other income in the statement of profit and loss.

**Rental Income**

Rental income arising from operating lease on investment properties is accounted for on a straight line basis over lease terms unless the receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increases and is included in the Statement of profit or loss due to its operating nature.

**c) Property, Plant and Equipment**

Items of Property, plant and equipment including Capital-work in-progress are stated at cost (except land valued at fair value), net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Such cost includes the cost of replacing part of the plant and equipment and borrowing costs for long-term construction projects if the recognition criteria are met.

Subsequent expenditure related to an item of fixed asset is added to its book value only if it increases the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. When significant parts of plant and equipment are required to be replaced at intervals, the Company depreciates them separately based on their specific useful lives as prescribed in schedule II of Companies Act, 2013. All other repair and maintenance costs are recognised in statement of profit or loss as an when incurred. In respect of additions to/deletions from the Fixed Assets, depreciation is provided on pro-rata basis with reference to the month of addition/deletion of the Assets.

The management's considered view is that estimated useful lives as per the Schedule II of the Companies Act, 2013 are realistic and reflect fair approximation of the period over which the assets are likely to be used. The company reviews the useful life of the Property, plant & equipment and Intangible asset as at the end of each reporting period and these reassessment may result in change in depreciation expenditure in future period.

Depreciation is provided for property, plant and equipment on a straight line basis so as to expense the cost less residual value over their estimated useful lives of Property, plant and equipment as per Schedule II of the Companies Act 2013 as under:

- 1) Buildings : 3/5/30/60 years
- 2) Plant & equipments: 10/12/15/20 years
- 3) Furniture & fixtures: 10 years
- 4) Vehicles: 8/10 years
- 5) Office equipments: 3/5/6/8 years
- 6) Intangible assets: 5 years

Items of fixed assets that have been retired from active use and are held for disposal are valued at lower of their net book value or net realisable value."

### Investment Properties

The company uses the carrying value as the deemed cost of investment properties. Investments in property that are not intended to be occupied substantially for use by, or in the operations of the company, have been classified as investment property. Investment properties are measured initially at its cost including transaction cost and where applicable borrowing costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any. Subsequent cost are included in the assets carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the reporting period in which they are incurred.

Though the company measures investment property using cost based measurement, the fair value of investment property is disclosed in the notes. Fair values are determined based on an annual evaluation performed by an accredited external independent valuer.

The company depreciates its investment properties over the useful life which is similar to that of Property, Plant and Equipment.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of derecognition.

### d) Property, plant and equipment held for sale

Non-current assets or disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through sale transactions rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the sale is highly probable and the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification as held for sale, and actions required to complete the plan of sale should indicate that it is unlikely that significant changes to the plan will be made or that the plan will be withdrawn.

Property, Plant and Equipment and intangible assets are not depreciated or amortised once classified as held for sale.

Leasehold improvements over the period of lease

Leasehold Land:

Lease premium paid on leasehold land is amortised over the life of the lease. The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

### e) Intangible assets

i) Intangible assets consisting of computer software, SAP licence cost and Tally ERP cost are amortised over a period of 5 years on straight line basis (SLM) from the date of acquisition.

ii) Other intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets with definite life are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalised development costs, are not capitalised and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a definite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the statement of profit or loss when the asset is derecognised. Research costs are expensed as an when incurred. -Development expenditures on an individual project are recognised as an intangible asset when the Company can demonstrate technical and commercial feasibility of making the asset available for use or sale.

Following initial recognition of the development expenditure as an asset, the asset is carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Amortisation of the asset begins when development is complete and the asset is available for use. It is amortised over the period of expected future benefit. Amortisation expense is recognised in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

### f) Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period in which they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

### g) Foreign Currency Transactions and balances

Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency remaining unsettled at the end of the year, are translated at the closing rate prevailing on the Balance Sheet date. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in foreign currency are reported using the exchange rate at the date of transaction. Exchange differences arising as a result of the above are recognized as income or expenses in the statement of profit and loss. Exchange difference arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognised as income or expenses in the year in which they arise. Foreign exchange difference on foreign currency borrowings, loans given, settlement gain/loss and fair value gain/loss on derivative contract relating to borrowings are accounted and disclosed under finance cost. Such exchange difference does not include foreign exchange difference regarded as an adjustment to the borrowings cost and capitalised with cost of assets

### h) Fair value measurement

"The Company measures financial instruments, such as, derivatives at fair value at each balance sheet date on a portfolio basis. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability, or in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability. The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs. All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole

Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities"

Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable

Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognised in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period. For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

This note summarises accounting policy for fair value. Other fair value related disclosures are given in the relevant notes.

### i) Leases

"The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

For arrangements entered into prior to 1 April 2015, the company has determined whether the arrangement contain lease on the basis of facts and circumstances existing on the date of transition."

Company as a lessee

"A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to





ownership to the Company is classified as a finance lease. Finance leases are capitalised at the commencement of the lease at the inception date fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the Company's general policy on the borrowing costs. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred. A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term."

Company as a lessor

"Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease."

#### j) Inventories

- (i) Stores and spares, packing materials and raw materials are valued at lower of cost or net realisable value and for this purpose, cost is determined on moving weighted average basis. However, the aforesaid items are not valued below cost if the finished products in which they are to be incorporated are expected to be sold at or above cost.
- (ii) Semi-finished products and finished products are valued at lower of cost or net realisable value and for this purpose, cost is determined on standard cost basis which approximates the actual cost. Variances, exclusive of abnormally low volume and operating performance, are adjusted to inventory.
- (iii) By-products are valued at estimated net realizable value.
- (iv) Trading goods are valued at lower of cost and net realizable value. Cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on a weighted average basis. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

#### k) Impairment of non-financial assets

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognised.

#### l) Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the statement of profit and loss net of any reimbursement. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost. Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have risen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

#### m) Financial instruments

"A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset.

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at its amortised cost if both the following conditions are met:

- a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and
- b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in other income in the statement of profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the statement of profit or loss."

Debt instrument at FVTOCI

A 'debt instrument' is classified at FVTOCI if both of the following criteria are met:

- a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- "b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Profit and Loss. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to Profit and Loss. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method."

Debt instrument at FVTPL

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as FVTPL. In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The company has designated certain debt instrument as at FVTPL. Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the company may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The company makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable. If the company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding

dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to statement of profit and loss, even on sale of investment. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity. Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

#### De-recognition

"A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is primarily derecognised (i.e. removed from the Company's balance sheet) when:

the rights to receive Cash flows from the asset have expired, or

the company has transferred its rights to receive Cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or

- (b) the company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the company continues to recognise the transferred asset to the extent of the Company's continuing involvement. In that case, the company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay."

#### Impairment of financial assets

"In accordance with Ind AS 109, the company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

- Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balance
- Financial assets that are debt instruments and are measured as at FVTOCI
- Lease receivables under Ind AS 17
- Trade receivables or any contractual right to receive cash or another financial asset that result from transactions that are within the scope of Ind AS 18 (referred to as 'contractual revenue receivables' in these financial statements)
- Financial guarantee contracts which are not measured as at FVTPL

The company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on:

#### Trade receivables and Other receivables

The application of simplified approach does not require the company to track changes in credit risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition. For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the company determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-month ECL is used to provide for impairment loss.

However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognising impairment loss allowance based on 12-month ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL is the difference between all contractual cash flows that are due to the company in accordance with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (i.e., all cash shortfalls), discounted at the original EIR. When estimating the cash flows, an entity is required to consider:

All contractual terms of the financial Instrument (including prepayment, extension, call and similar options) over the expected life of the financial instrument. However, in rare cases when the expected life of the financial instrument cannot be estimated reliably, then the entity is required to use the remaining contractual term of the financial instrument.

Cash flows from the sale of collateral Held or Other credit enhancements that are integral to the contractual terms. financial assets measured as at amortised cost, contractual revenue receivables and lease receivables: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the balance sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount."

## n) Financial liabilities

### Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or payables, as appropriate. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs. The Company's financial liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including bank overdrafts, financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

### Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

#### Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109. Gains or losses on liabilities held for trading are recognised in the statement of profit and loss.

#### Loans and borrowings

This is the category most relevant to the company. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit and loss. This category generally applies to borrowings.

#### Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts issued by the company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognised initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognised less cumulative amortisation.

#### De-recognition

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit and loss.

#### Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the standalone balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

## o) Derivative financial instruments

Initial recognition and subsequent measurement, The Company uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, full currency swaps and interest rate swaps contracts to hedge its foreign currency risks and interest rate risks respectively. Such derivative financial instruments are initially recognised at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

## p) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalent in the balance sheet comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and short-term deposits, as defined above, net of outstanding bank overdrafts as they are considered an integral part of the Company's cash management.

## q) Cash dividend

The Company recognises a liability to make cash distributions to equity holders when the distribution is authorised and the distribution is no longer at the discretion of the Company. As per the corporate laws in India, a distribution is authorised when it is approved by the shareholders. A corresponding amount is recognised directly in equity.

**r) Taxes****Current income tax**

"Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Current tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate."

**Deferred tax**

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences, except: When the deferred tax liability arises from the initial recognition of Goodwill or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss

In respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interests in the temporary differences will not reverse in the foreseeable future. Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised, except: When the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

**s) Minimum Alternate Tax (MAT)**

Minimum Alternate Tax (MAT) paid as per Indian Income Tax Act, 1961 is in the nature of unused tax credit which can be carried forward and utilised when the Company will pay normal income tax during the specified period. Deferred tax assets on such tax credit is recognised to the extent that it is probable that the unused tax credit can be utilised in the specified future period. The net amount of tax recoverable from, or payable to, the taxation authority is included as part of receivables or payables in the balance sheet.

**t) Government grants**

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with. When the grant relates to an expense item, it is recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed. When the grant relates to an asset, it is recognised as income in equal amounts over the expected useful life of the related assets.

**Export Benefits:**

"Duty free imports of raw materials under Advance License for imports as per the Import and Export Policy are matched with the exports made against the said licenses and the net benefit/obligation has been accounted by making suitable adjustments in raw material consumption.

The benefit accrued under the Duty Drawback, Merchandise Export Incentive Scheme and other schemes as per the Import and Export Policy in respect of exports made under the said schemes is included as 'Export Incentives' under the head 'Other operating revenue.'"

**u) Earnings Per Share:**

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

**v) Contingent Liability and Contingent assets**

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. A contingent liability also arises in extremely rare cases where there is a liability that cannot be recognized because it cannot be measured reliably. The Company does not recognize a contingent liability but discloses its existence in the financial statements. A contingent asset is not recognised unless it becomes virtually certain that an inflow of economic benefits will arise. When an inflow of economic benefits is probable, contingent assets are disclosed in the financial statements. Contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each balance sheet date.

**w) Share-Based Payments:**

Measurement and disclosure of the employee share based payment plans is done in accordance with Ind AS 102, Share-Based Payment. The Company measures compensation cost relating to employee stock options using the fair value method. Compensation expense is amortised over the vesting period of the option on a straight line basis.

**x) Errors and Omissions of earlier period:**

Errors and omissions in individual items of Income and Expenditure relating to earlier periods, exceeding ₹ 1 Lakh is accounted in the respective period, if possible, or adjusted against opening retained earnings.

- xi). 1. No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company or any of its subsidiaries, associates and joint ventures which are companies incorporated in India to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company or any of such subsidiaries, associates and joint ventures ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
2. No funds have been received by the Company or any of its subsidiaries, associates and joint ventures which are companies incorporated in India from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company or any of such subsidiaries, associates and joint ventures shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

**Recent Accounting Pronouncements**

The Ministry of Corporate Affairs through Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2020 has notified the following new and amendments to Ind AS which the company has applied as they are effective for annual period that begins on or after April 1, 2020

**Ind AS 103: Business Combination**

Definition of term "business" has been substituted with "an integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to customers, generating investment income (such as dividends or interest) or generating other income from ordinary activities. Accordingly, providing goods or services to customers has been added. This amendment is necessary because every business involves providing goods or services to the customers. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS is not applicable.

**Ind AS 107 and Ind AS 109: Financial Instrument**

Hedge accounting is a method of accounting where entries to adjust the fair value of a security and its opposing hedge are treated as one. Hedge accounting attempts to reduce the volatility created by the repeated adjustment to a financial instrument's value, known as fair value accounting or mark to market. This reduction in volatility is done by combining the instrument and the hedge as one entry, which offsets the opposing movements. For hedging relationships to which an entity applies an entity shall disclose (a) the significant interest rate benchmarks to which the entity's hedging relationships are exposed (b) the extent of the risk exposure the entity manages that is directly affected by the interest rate benchmark reform (c) how the entity is managing the process to transition to alternative benchmark rates (d) a description of significant assumptions or judgements the entity made in applying these paragraphs (for example, assumptions or judgements about when the uncertainty arising from interest rate benchmark reform is no longer present with respect to the timing and the amount of the interest rate benchmark-based cash flows); and (e) the nominal amount of the hedging instruments in those hedging relationships.

Following temporary exceptions have also being provided from applying specific hedge accounting requirements a) For assessing highly probable requirement for cash flow hedges b) Reclassifying the amount accumulated in the cash flow hedge reserve c) Assessing the economic relationship between the hedged item and the hedging instrument d) Designating a component of an item as a hedged item. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS is not applicable.

**Ind AS 116: Leases**

Due to the COVID- 19, and thereafter the lockdown in India, many businesses have been shut or partially opened resulting into adverse impact on Revenue & Cash flow. Accordingly, the lease payment has been affected and the businesses are demanding the rent concession from their vendors. If the below mentioned conditions are fulfilled, then entity treat the Rent concession without lease modification. (a) the change in lease payments results in revised consideration for the lease that is substantially the same as, or less than, the consideration for the lease immediately preceding the change; (b) any reduction in lease payments affects only payments originally due on or before the 30th June, 2021 (for example, a rent concession would meet this condition if it results in reduced lease payments on or before the 30th June, 2021 and increased lease payments that extend beyond the 30th June, 2021); and (c) there is no substantive change to other terms and conditions of the lease. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS is not applicable.

**Ind AS 1 and 8: Presentation of Financial Statements and Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors**

A new definition of material has been introduced by this amendment, this is more refined and also most expected by the industry, some of the examples of circumstances have also been provided for more clarity.

Material: Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity. Materiality depends on the nature or magnitude of information, or both. An entity assesses whether information, either individually or in combination with other information, is material in the context of its financial statements taken as a whole.

Information is obscured if it is communicated in a way that would have a similar effect for primary users of financial statements to omitting or misstating that information. The following are examples of circumstances that may result in material information being obscured: –

- information regarding a material item, transaction or other event is disclosed in the financial statements but the language used is vague or unclear
- information regarding a material item, transaction or other event is scattered throughout the financial statements
- dissimilar items, transactions or other events are inappropriately aggregated;
- similar items, transactions or other events are inappropriately disaggregated; and
- the understandability of the financial statements is reduced as a result of material information being hidden by immaterial information to the extent that a primary user is unable to determine what information is material.

Assessing whether information could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users of a specific reporting entity's general purpose financial statements requires an entity to consider the characteristics of those users while also considering the entity's own circumstances.

The primary users to whom general purpose financial statements are directed. Financial statements are prepared for users who have a reasonable knowledge of business and economic activities and who review and analyses the information diligently. At times, even well-informed and diligent users may need to seek the aid of an adviser to understand information about complex economic phenomena.

The Company has duly considered the changes in definition of 'materiality' for presentation of Financial Statements and Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

**Ind AS 10 Events after the Reporting Period**

A paragraph 21 of the Ind AS 10 have been substituted, in the amendment any non-adjusting events that could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general-purpose financial statements make on the basis of those financial statements which provide financial information about a specific reporting entity have been added.

Accordingly, the following disclosure to be provided

- the nature of the event; and
- an estimate of its financial effect, or a statement that such an estimate cannot be made.

The company duly considered the aforesaid amendment for the preparation, disclosure and presentation of financial statements.

**Ind AS 34 Interim Financial Reporting**

Consequential amendment and accounting of restructuring plan.

**Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

A management or board decision to restructure taken before the end of the reporting period does not give rise to a constructive obligation at the end of the reporting period unless the entity has, before the end of the reporting period

- started to implement the restructuring plan; or
- announced the main features of the restructuring plan to those affected by it in a sufficiently specific manner to raise a valid expectation in them that the entity will carry out the restructuring.

This amendment is not applicable to the company.

**New Standards or Other Amendments Issued but not yet Effective:****Recent Indian Accounting Standards (Ind AS)**

The Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 to further amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. In this amendment, the

following new and amendments brought into Indian Accounting Standards, which the Group has duly applied, wherever applicable during the year:

**Ind AS – 103: Business Combination**

The first amendment relates to recognition condition of the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquire. To qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 105: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations**

The amendment provides for the change in the definition of recoverable amount – recoverable amount means the higher of an asset's fair value less costs of disposal. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 107: Financial Instruments – Disclosures**

The amendment provides for additional disclosures related to interest rate benchmark reform on an entity's financial instruments and risk management strategy. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 109: Financial Instruments**

The amendment provides for changes in the basis for determining the contractual cash flows as a result of interest rate benchmark reform by way of amending the contractual terms specified at the initial recognition of the financial instrument, in a way that was not considered by—or contemplated in—the contractual terms at the initial recognition of the financial instrument, without amending the contractual terms and/or because of the activation of an existing contractual term. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 114: Regulatory Deferral Accounts**

This amendment provide for the change in accounting policies in respect of regulatory deferral account balances. An entity shall not change its accounting policies in order to start to recognise regulatory deferral account balances. An entity may only change its accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances if the change makes the financial statements more relevant to the economic decision-making needs of users and no less reliable, or more reliable and no less relevant to those needs. An entity shall judge relevance and reliability using the criteria in paragraph 10 of Ind AS 8. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 116: Leases**

The amendment provides for the change the basis for determining future lease payments as a result of interest rate benchmark reform. A lease modification is required by interest rate benchmark reform if, and only if, both of these conditions are met:(a) the modification is necessary as a direct consequence of interest rate benchmark reform; and(b) the new basis for determining the lease payments is economically equivalent to the previous basis. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Recent Indian Accounting Standards (Ind AS)**

The Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022 to further amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The company has applied Indian Accounting Standards Amendment Rules 2022, with effect from 1 April 2022.

**Ind AS – 103: Business Combination**

The first amendment relates to recognition condition of the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquire. To qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. The other amendments provide for the guidance on recognizing the intangible assets, specify the type of identifiable assets and liabilities that include items for which this Ind AS provides limited exceptions to the recognition principle and conditions, provides limited exceptions to its recognition and measurement principles and specify both the particular items for which exceptions are provided and the nature of those exceptions. The Company does not expect any impact from these amendments.

**Ind AS – 16: Property Plant and Equipment**

The amendment provides for directly attributable cost in respect of costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment). Excess of net sale proceeds of items produced over the cost of testing, if any, shall not be recognised in the profit or loss but deducted from the directly attributable costs considered as part of cost of an item of property, plant, and equipment. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

This amendment provides for, in respect of onerous contract, the cost of fulfilling a contract comprises the costs that relate directly to the contract. Costs that relate directly to a contract consist of both-(a) the incremental costs of fulfilling that contract(b) an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts. It also provides for, before a separate provision for an onerous contract is established, an entity recognises any impairment loss that has occurred on assets used in fulfilling the contract. The Company does not expect any impact from this amendment.



SI. No. / Item		Description	GROSS BLOCK				DEPRECIATION / AMORTISATION / IMPAIRMENT				(Rs. In Lakh)		
			As at 01.04.2022	Additions	Deletions	Adj.	As at 31.03.2023	Up to 01.04.2022	Deletions during the year	Provided during the year	Adj.	Up to 31.03.2022	As on 31.03.2022
<b>a.</b>		<b>Property, Plant and equipment</b>											
1		Land and Land Development	12984.25	1035.38	0.00	0.00	14019.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14019.63	12984.25
2		Buildings	1282.52	0.00	0.00	0.00	1282.52	899.73	18.00	0.00	917.73	364.79	382.79
3		Plant and Equipment	24942.37	90.49	0.00	0.00	25032.86	23044.05	78.74	0.00	23122.79	1910.07	1898.32
4		Furniture, Fixtures and Equipments	115.13	1.99	0.00	0.00	117.12	103.27	0.89	0.00	104.16	12.96	11.86
5		Vehicles	118.63	0.17	0.00	0.00	118.80	108.54	0.83	0.00	109.37	9.43	10.09
6		Office Equipment	683.03	7.15	0.00	0.00	690.18	622.31	9.72	0.00	632.03	58.15	60.72
7		Library Books	13.47	0.00	0.00	0.00	13.47	13.43	0.00	0.00	13.43	0.04	0.04
		Sub-total	40139.40	1135.18	0.00	0.00	41274.58	24791.33	108.18	0.00	24899.51	16375.07	15348.07
8		Assets held for disposal	110177.37	0.00	7689.61	0.00	102487.76	6248.03	6151.45	0.00	96.58	102391.18	103929.34
		<b>Total</b>	<b>150316.77</b>	<b>1135.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143762.34</b>	<b>31039.36</b>	<b>6151.45</b>	<b>108.18</b>	<b>24996.09</b>	<b>118766.25</b>	<b>119277.41</b>
<b>b.</b>		<b>Investment property</b>											
		Land	16.71	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71	16.71
b1.		Investment property Building	136.89	0.00	0.00	0.00	136.89	64.86	2.16	0.00	67.02	69.87	72.03
		<b>Total</b>	<b>153.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.60</b>	<b>64.86</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>67.02</b>	<b>86.58</b>	<b>88.74</b>
<b>c.</b>		<b>Intangible assets</b>											
		<b>G. Total (a + b + c)</b>	<b>151146.52</b>	<b>1135.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144592.09</b>	<b>31753.11</b>	<b>6151.45</b>	<b>118.74</b>	<b>25720.40</b>	<b>118871.69</b>	<b>119393.41</b>
1.		During the year there is no change in the management estimates of the useful life for various class of Property, plant and equipments and intangible assets.											
2.		Kochi unit of the Holding Company had given 1.03 acre of land to M/s. Sterling Gas Limited as operating lease under cancellable lease agreement. Investment properties are distinguished from owner occupied property based on area covered under lease agreement and the value of investment has been determined using pro-rata basis.											
3.		The holding Company own 184 residential flats at Kochi comprising of 155104 Sq. Ft. out of which 46594 Sq. ft. consisting of 55 flats has been earmarked as investment property for letting out.											
4.		The holding Company's Land at Kochi have been revalued by professionally qualified independent valuer Er.S.Rajendra prasad, Wealth Tax No: Category No.1/3/ Vol.11/2009-10.No.CC-CHN/TECH/RV/3/2009-10) on 14.04.2023. The carrying amount that would have been recognised Rs.578.25 Lakhs under cost model and the revaluation surplus Rs.1035 Lakhs and no restrictions on the distribution of the balance to shareholders.											
5.		The land of the subsidiary company is revalued as per Ind AS and the original land value before Ind AS revaluation is Rs.59 Lakhs. Factory land of 126.13 acres is located at Rudratram P.O., Kandi Mandal, Sangareddy Dist. Telangana State and land is freehold. HOCL has first charge over land to the extent of 84.31 acres.											
6.		Fair value of total land as on 31.03.2023 is Rs.14663.57 Lakhs. Since the fair value of the land is higher than the carrying value as per books of accounts, carrying value of the land held for sale continues to be reported in accordance with para 15 of Ind AS 105.											
7.		Plant, other assets and inventory of the subsidiary company were e-auctioned by MSTC and e-bid opened on 15.3.2023. The assets were sold to the H1 bidder M/s Gaurav Worldwide Trading Pvt.Ltd. for Rs.1437 Lakhs and final payment received on 29.03.2023.											
8.		The subsidiary company's sale of assets and demolishing of buildings was awarded to the party on 30.03.2023, the following items were included in the balance Sheet with the following values as possession and control is with the Company itself. Original cost of Time Office building (Rs.4.33 Lakhs), Security Post (Rs. 4.55 Lakhs) and Fencing & Compound Wall (Rs.145.58 Lakhs) comes to Rs.154.46, accumulated depreciation: Rs.39.56 Lakhs and Net value Rs.114.90 categorised as Buildings.											
9.		The company has not revalued its intangible assets during the financial year											
10.		The subsidiary company depreciation not provided since there are no operations in the company.											
<b>Amounts recognised in profit or loss for investment properties</b>										<b>31.03.2023</b>		<b>31.03.2022</b>	
		Rental income including contingent rent								26.98		24.07	
		Direct operating expenses from property that generated Rental Income								15.74		7.20	
		Direct operating expenses from property that did not generate rental income								0.00		0.00	
		Income from investment properties before depreciation								<b>11.24</b>		<b>16.87</b>	
		Depreciation								2.16		2.16	
		Income from investment properties								<b>9.08</b>		<b>14.71</b>	
		Fair value of investment property (Land)								120.41		111.66	
		Investment property-Sterling Gas Ltd								408.49		371.35	
		Investment property- Township								<b>528.90</b>		<b>483.01</b>	
		<b>Total</b>											

Estimation of fair value: The fair value of investment property has been determined by an external independent property valuer having professional qualification.



**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**NOTE 3 - FIXED ASSETS**

**d) Non current assets held for sale**

Amount (Rs in Lakhs)

Description of the Non-Current Assets	Facts and Circumstances of the sale	Manner of disposal	Timing of disposal	NET BLOCK	
				As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
Land	Closure of Rasayani unit of Holding company & subsidiary company and disposal of assets.	Direct sale of 152 acres of land to BPCL and balance through NBCC.	Within 12 months	102149.66	102149.66
Buildings		E-auction through MSTC	-do-	180.05	207.19
Plant and Equipment		-do-	-do-	58.81	1565.46
Furniture, Fixtures and Equipments		-do-	-do-	2.52	6.36
Office Equipments-Computers		Handing over to JNPT	-do-	0.13	0.67
<b>Total</b>				<b>102391.18</b>	<b>103929.34</b>

Note: (1) The holding company is in the process of implementation of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbered land in Rasayani through NBCC and Parvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant at Kochi is in operation.

(2) The subsidiary company as per the letter dated 29.01.2020 from the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, under which the Company functions, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting held on 22nd Jan, 2020 had approved for shutting down the operations of the plant/unit of HFL & closure of the Company.

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>Financial Assets</b>		
<b>4. Investments</b>		
Investment stated at Cost:		
Investment in Unquoted Equity Shares of Kerala Enviro Infrastructure Ltd.		
(50000 Unquoted Equity Shares @ Rs.10/-)	5.00	5.00
Less :- Provision for impairment in value of investment	0.00	0.00
	5.00	5.00
<b>Total Non-Current Investments</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
Aggregate amount of quoted investments (Market Value)	0.00	0.00
Aggregate amount of quoted investments (Cost)	0.00	0.00
Aggregate amount of unquoted investments	5.00	5.00
Aggregate amount of provision for impairment		
<b>Total Non-Current Investments</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
<b>5. Other Non-Current Assets</b>		
i) Deposits with customs, MSEB, KSEB, BSNL, Rent deposit & Registrar HC.	518.05	497.37
Sub-total	518.05	497.37
ii) Other Deposits	0	0
<b>Total</b>	<b>518.05</b>	<b>497.37</b>
<b>6. Inventories</b> (Valued at lower of cost and net realisable value)		
a. Raw materials and components	998.33	1701.86
b. Work in progress	938.00	1133.84
c. Finished goods	978.47	2265.34
d. Store and spares	2401.65	2932.94
Less: Allowances for obsolescence *	-355.50	-382.73
<b>Total</b>	<b>4960.95</b>	<b>7651.25</b>
* In the books of holding company, Allowances for stores obsolescence are made at 50% of the Slow moving items above five years and at 100% for obsolete items.		
<b>7. Trade Receivables</b>		
Financial Assets	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Current		
Secured	0	0.00
Considered good - Unsecured	1936.87	864.28
Credit impaired	1506.17	1489.46
Less: Allowance for doubtful trade receivable	-1506.17	-1489.46
Less: Bills Receivables discounted	0	0.00
<b>Total trade receivables</b>	<b>1,936.87</b>	<b>864.28</b>
i) In the books of holding company, Allowance is made in the accounts for trade receivables which in the opinion of the management are considered credit impaired. The Company is consistently following the practice of creating allowance for those trade receivables which remain outstanding for more than three years or doubtful of recovery. Trade receivable between two to three years showing significant credit risk have been provided for allowance.		
ii) In the books of subsidiary company balance standing to the debit/credit of parties is subject to confirmation by them and review by the Company.		
iii) In the books of Subsidiary company, Debts over due includes towards case filed in High Court of Andhra Pradesh, which is pending amounting to Rs.129.16 Lakhs (Previous year Rs 129.16 lakhs)		
<b>The disclosure of movement as required under Indian Accounting Standard 37</b>		
Allowance for doubtful Trade receivables		
Provision at the beginning of the year	1489.46	1474.13
Provisions made during the year	33.79	16.77
Released during the year *	17.08	1.44
Provision at the end of the year	<b>1506.17</b>	<b>1489.46</b>



**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
-------------	---------------------	---------------------

\*During the year the Company has collected/written off Trade Receivables to the tune of Rs.17.08 Lakh(previous year Rs.1.44 lakhs) for which allowance has already been created.

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment						Total
	Not due (less than 60 days)	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Rs. in Lakhs							
<b>Current Year 2022-23</b>							
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	1791.84	0.00	0.19	0.49	0.00	0.00	1792.52
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) Disputed Trade Receivables – considered good	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.16	129.16
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.22	899.22
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.65	31.65
<b>Total</b>	<b>1791.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.19</b>	<b>0.49</b>	<b>0.48</b>	<b>1650.03</b>	<b>3443.04</b>
Less: Allowances for expected credit loss	0.00	0.00	0.12	0.04	0.00	1505.90	1596.17
<b>Net Amount</b>	<b>1791.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>	<b>0.45</b>	<b>0.48</b>	<b>144.13</b>	<b>1846.87</b>
<b>Previous Year 2021-22</b>							
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	291.20	431.89	3.11	5.83	0.00	0.00	732.03
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	3.09
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.64	598.64
(iv) Disputed Trade Receivables – considered good	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.16	129.16
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.03	891.03
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64	31.64
<b>Total</b>	<b>291.20</b>	<b>431.89</b>	<b>3.11</b>	<b>5.83</b>	<b>3.09</b>	<b>1650.47</b>	<b>2385.59</b>
Less: Allowances for expected credit loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1521.31	1521.31
<b>Net Amount</b>	<b>291.20</b>	<b>431.89</b>	<b>3.11</b>	<b>5.83</b>	<b>3.09</b>	<b>129.16</b>	<b>864.28</b>

**8a. Cash and cash equivalents**

Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents):

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Current accounts	277.21	233.15
Saving Account *	153.43	149.25
Deposits with original maturity of less than three months	4190.25	1785.44
Cash on Hand	0.47	1.48
<b>Total</b>	<b>4621.36</b>	<b>2169.32</b>

\* Balance in Saving account of the Holding company is earmarked for the rental dues of Harchandrai House as per the direction of Small Causes Court, Mumbai.

**8b. Other Bank Balance**

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Fixed Deposit against LC/BG	6202.07	5595.43
Fixed deposit for maturity of more than three months but less than 12 month	8990.33	7907.62
<b>Total</b>	<b>15192.4</b>	<b>13503.05</b>

Fixed deposit includes Rs.1420.93 Lakhs (received from the Sales proceeds of Plant and other assets of subsidiary company) deposited by subsidiary company in SBI, Saifabad Branch, Hyderabad on 31.3.2023 as per the directions of Court.

**9. Loans (Current asset)**

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
A) Unsecured (M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd.)	0.00	0.00
Less: Provision for Doubtful recovery	0.00	0.00
<b>(A) Loans to employees</b>		
a. Unsecured, Considered good	22.35	21.01
<b>(B) Advance to Suppliers</b>		
Doubtful	65.00	65.00
Less: Allowance for doubtful doubtful advance	65.00	65.00
<b>Total loans</b>	<b>22.35</b>	<b>21.01</b>

Loans and receivables are non-derivative financial assets which generate a fixed or variable interest income for the Holding Company.

**10. Other Financial Assets**

**Current**

(A) Interest receivable

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a. Unsecured, Considered good		
Accrued Interest on Deposits	369.27	385.17
Accrued interest on Advance	106.08	106.08
Less: Provision for Doubtful Receipt	106.08	106.08
<b>Accrued Income from Township</b>	<b>5.53</b>	<b>5.53</b>
Less : Allowances	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(B) Interest Receivables from related party (M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd.)		
(Secured)	0.00	0.00
Less: Provision for Doubtful recovery	0.00	0.00
B) Miscellaneous advance recoverable		
a. Unsecured, Considered good	0.00	0.00
b. Doubtful	0.00	0.00
Less: Allowance for doubtful other financial assets	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>369.27</b>	<b>385.17</b>

**11. Other current assets Rs. in Lakh**

(i) Deposits with the Collectorate of Central Excise and Customs	7.37	7.37
Less : Allowances for doubtful advance	2.90	2.90
<b>Sub-total</b>	<b>4.47</b>	<b>4.47</b>
(ii) Statutory receivables - Duties & Taxes	366.95	877.59
Less : Allowances for doubtful advance	4.29	4.29
<b>Sub-total</b>	<b>362.66</b>	<b>873.30</b>
(iii) Advances to suppliers		
- Considered good	210.55	341.71
- Considered doubtful	0.00	0.00
Less : Allowances for doubtful advance	4.31	4.31
<b>Sub-total</b>	<b>206.24</b>	<b>337.40</b>
(iv) Deposits - Gratuity, EMD , Rent etc.	1781.19	1544.33
(v) Prepaid Expenses	142.70	171.95
(vi) Other Advances Recoverable	52.66	63.91
(vii) Accrued income on Employee Advances	4.69	8.15
(viii) Recoverable form Employees	70.65	70.76
<b>Sub-total</b>	<b>270.70</b>	<b>314.77</b>
Less : Allowances for doubtful advance	60.41	60.41
<b>Total</b>	<b>2564.85</b>	<b>3013.86</b>

In the books of holding company gratuity deposit of Rs.1729.47 (previous year Rs.1490.61 lakh) Lakh in LIC and ICICI Bank towards Employees Group Gratuity Fund Trust created against Gratuity liability.

## NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Description	As at 31.03.2023		As at 31.03.2022	
	Nos.	Rs. In lakh	Nos.	Rs. In lakh
<b>12. Share Capital</b>				
Authorised Share Capital				
Equity Shares of Rs. 10 each				
Opening Balance	100000000	10000.00	100000000	10000.00
Increase/(decrease) during the year	0	0.00	0	0.00
Closing balance	100000000	10000.00	100000000	10000.00
Preference Shares of Rs. 10 each				
Opening Balance	270000000	27000.00	270000000	27000.00
Increase/(decrease) during the year	-	0.00	-	0.00
<b>Closing balance</b>	<b>270000000</b>	<b>27000.00</b>	<b>270000000</b>	<b>27000.00</b>
<b>Total authorised capital</b>	<b>370000000</b>	<b>37000.00</b>	<b>370000000</b>	<b>37000.00</b>
Issued equity capital				
Equity shares of Rs. 10 each issued, subscribed and fully paid				
Opening balance	67173100	6717.31	67173100	6717.31
Add: Paid-up amount on shares forfeited	0	9.65	0	9.65
Increase/(decrease) during the year	0	0.00	0	0.00
<b>Total - Equity share capital</b>	<b>67173100</b>	<b>6726.96</b>	<b>67173100</b>	<b>6726.96</b>

Terms/ rights attached to equity shares

The Company has only one class of equity shares having a par value of Rs.10 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

**Details of shareholders holding more than 5% shares in the company and Shareholding of Promoters**

Name of the shareholder	As at 31.03.2023		As at 31.03.2022		% change during the year
	No. of shares	% Holding	No. of shares	% Holding	
Equity shares of INR 10 each fully paid: The Government of India (Promoter)	3,94,81,500	58.78%	3,94,81,500	58.78%	Nil

During the year 2010-11, the holding Company forfeited 193000 shares of Rs.10 each (Rs.5 paid up) for non payment of allotment and call monies and the amount paid towards application money in respect of these forfeited shares has been transferred to "Share's Forfeiture Account".

**Promoters Shareholding at the end of the Year (Subsidiary Company)**

Name	As at 31.03.2023		As at 31.03.2022		% Change during the Year
	No. of shares	% Holding	No. of shares	% Holding	
Hindustan Organic Chemicals Ltd	1,10,60,000	56.43%	1,10,60,000	56.43%	Nil
Andhra Pradesh Industrial Development Corporation	8,70,000	4.44%	8,70,000	4.44%	Nil
Equity shares of INR 10 each fully paid		<b>60.87%</b>		<b>60.87%</b>	

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>13. Other equity</b>		
<b>a) Securities Premium Reserve</b>		
Opening balance	4,838.57	4,838.57
Increase/(decrease) during the year	-	-
<b>Closing balance</b>	<b>4,838.57</b>	<b>4,838.57</b>
<b>b) Retained Earnings</b>		
Opening balance	(1,08,493.23)	(1,03,480.98)
Changes in accounting policy or prior period errors	-	59.76
Restated balance at the beginning of the period	(1,08,493.23)	(1,03,421.22)
Add: Profit for the year	(5,325.94)	(5,072.01)
Add: Fair value of land sold	-	-
Closing balance	(1,13,819.17)	(1,08,493.23)
<b>c) Other comprehensive income</b>		
<b>i) Revaluation of Property, plant &amp; Equipments</b>		
Opening balance	96,699.22	95,296.79
Add: Revaluation during the year (Note No.3)	1,035.38	1,978.42
Less: Cost of sale of revalued assets	-	-
Less: Reserve transferred to Retained Earning	-	-
Add: Reversal of Deferred Tax liability on account of sale	-	-
Add/Less: Deferred Tax liability on account of revaluation during the year	(266.00)	(576.00)
Closing balance	<b>97,468.60</b>	<b>96,699.21</b>
<b>ii) Changes in Employees defined benefits plan</b>		
Opening balance	(249.00)	(287.63)
Add/Less: Revaluation during the year	-	(2.35)
Less: Re-measurement of defined benefit plan	101.39	40.99
Less: Deferred Tax liability on account of revaluation during the year	-	-
	<b>(147.61)</b>	<b>(248.99)</b>
<b>iii) Equity Instrument through Other Comprehensive Income</b>		
Opening balance	-	-
Ad/Less: Remeasurement of defined benefit plan	-	0.01
Less: Deferred Tax liability on account of revaluation during the year	-	-
Closing balance	-	0.01
Grand Total	<b>97,320.99</b>	<b>96,450.23</b>
<b>Total Other Equity</b>	<b>(11,659.61)</b>	<b>(7,204.43)</b>

Securities Premium Reserve - Where the Holding Company issued shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to "Securities Premium Reserve". The Company may issue fully paid-up bonus shares to its members out of the securities premium reserve and the Company can use this reserve for buy-back of shares.

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>14. Borrowings (Non-Current Liability)</b>		
Term Loan	0.00	0.00
Loans from Government of India	0.00	0.00
Other Loan	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Description	Rs. in Lakh	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>15. Provisions (Long term liability)</b>		
For Employee's Benefits - Leave encashment	1004.84	903.42
For Employee's Benefits -Gratuity	1367.93	1871.04
Impairment of Fixed Assets	23.13	23.13
Provision for rent	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>2395.90</b>	<b>2797.59</b>





**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Description	As at 31.03.2023	Rs. in Lakh As at 31.03.2022
<b>16. Deferred Tax liabilities</b>		
Fair Value of Land	16719.52	16417.52
Fair Value of Investment	-36.00	-15.00
Net Deferred tax liability [Note No.41]	<b>16683.52</b>	<b>16402.52</b>

The deferred tax asset has not been recognised as there is no virtual certainty about the future adequate taxable profitability of the company. Also refer Note No.41.

Description	As at 31.03.2023	Rs. in Lakh As at 31.03.2022
<b>17. Current Financial Liabilities-Borrowings</b>		
Current maturities of Govt. loan	0.00	7695.09
Loan from GOI	54423.46	46728.37
Overdue 8% Non-cumulative Redeemable Preference Shares-GOI	<b>27000.00</b>	<b>27000.00</b>
Loan from HOCL		<b>0.00</b>
<b>Total Borrowings</b>	<b>81423.46</b>	<b>81423.46</b>
Aggregate Secured loans	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aggregate Unsecured loans	<b>54423.46</b>	<b>54423.46</b>

a) Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd has created first charge in favour of the Holding Company on 84.31 acre of land at Rudram Vill, Medak Dist., Telengana state towards zero coupon loan of Rs.2744.07 lakhs, interest bearing loan of Rs.453.01 lakhs and interest accrued thereon amounting to Rs.1075.05 lakhs are outstanding.

b) The Subsidiary company had outstanding plan loan of Rs.360 Lakhs availed from Government of India for manufacture of MPTFE and Rs. 1320 Lakhs availed for refurbishment of the Plant @11.5% p.a. and both the loans repayable in 5 annual installments commencing from F.Y. 2015-16. The Company had repaid Rs.1.00 Crore with interest of Rs.24.92 lac during the month of March, 2017 and accordingly principal and interest outstanding were adjusted. The instalment due for F.Y. 2015-16,2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 amounting to Rs. 1,580.00 lakhs shown in Note-14. Company had received letter no.P.51015/06/2019-Ch.III(Vol.II) dated 29.01.2020 on closure of HFL in which interest on Rs.15.80 crore will be freed upto 31.03.2019. Hence interest has not been charged from the year 2019-20 onwards.

(c) The Term loan from holding company to subsidiary company of Rs. 2744.06 lakhs is Zero coupon loan as per terms of the BIFR agreement and is repayable in seven equal annual instalments as per the loan agreement commencing from FY 2010-11. The instalment due for FY 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 & 2016-17 amounting to Rs.2744.06 lakhs is not paid by the company and the total loan amount due to holding company is Rs.3197.08 lakhs.

\* GOI has disbursed to subsidiary company a loan of Rs. 7370 lakh on 22.05.2020 and Rs.217 lakh on 15.03.2022 as interest free loan to the subsidiary company for settling the dues of employees, creditors and closure of loans as per decision of CCEA

- The preference shareholders have no voting rights.
- The Government of India had released earlier in the year 2006-07 Rs.27000 lakhs (for financial restructuring Rs. 25000 lakhs and Caustic Soda Plant recommissioning Rs. 2000 lakhs) against allotment of 8% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares, thereby broadening the capital base as per the revival scheme of the holding company. The 8% Preference Shares were allotted to Government of India by the Board on 28th January, 2008, redeemable @ 20% commencing from 4th year with last redemption in the 8th year (ie.2015-16). At the request of the Company, Government of India had extended the commencement of redemption from financial year 2011-12 to financial year 2015-16 @ 25% each year, subject to payment of interest @ 1.5 % pa, on the total amount of Rs.27000 lakhs and an amount of Rs.405 lakhs has been provided in the books of accounts during the year. Further interest @1% is payable for default in repayment and accordingly interest amount of Rs.270 lakhs has been provided during the year.

**18. Trade payables**

Current - Trade Payable	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
i) Outstanding dues of micro and small enterprises	14.85	55.50
ii) Outstanding dues of other than micro and small enterprises	4067.96	4144.71
<b>Total</b>	<b>4082.81</b>	<b>4200.21</b>

Amount due to Micro, Small and Medium enterprises:

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a) i) Principal amount remaining unpaid as at the end of each accounting year	14.85	55.50
ii) Interest due thereon	-	-
iii) Interest due and payable for the period of delay in payment	-	-
iv) Interest accrued and remaining unpaid	-	-
v) Interest due and payable even in succeeding years	-	-

b) Dues to Micro, Small and medium enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. All the dues to them are paid within due date and there is no overdue amount as on the closing date.

Description	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
-------------	------------------	------------------

Trade payable aging schedule						Rs.in Lakhs
Particulars	Not due (Less than 30 days)	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
<b>Current Year 2022-23</b>						
JMSME	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
(a) Others	4033.38	9.58	0.29	1.49	18.22	4062.96
(ii) Disputed dues-MSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) Disputed dues Others	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
<b>TOTAL</b>	<b>4048.23</b>	<b>9.58</b>	<b>0.29</b>	<b>1.49</b>	<b>23.22</b>	<b>4062.81</b>
<b>Previous Year 2021-22</b>						
JMSME	55.5	0	0	0	0	55.5
(a) Others	3996.68	4.74	2.4	26.55	109.34	4139.71
(ii) Disputed dues-MSME	0	0	0	0	0	0
(iv) Disputed dues Others	0	0	0	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>4052.18</b>	<b>4.74</b>	<b>2.4</b>	<b>26.55</b>	<b>114.34</b>	<b>4200.21</b>

**19. Other Current financial liabilities**

Description	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>Current maturities of Long term debt:</b>		
Interest on GOI loan	40648.13	35648.32
Interest on preference shares	6210.00	5535.00
Other payables	48.24	49.05
Employee Salaries and Arrears Payables	0.00	0.00
	<b>46906.37</b>	<b>41232.37</b>

**Note:**

**A. Holding Company**

i) There is a continuing default in repayment of loan from Government of India since the year 2009-10 and the overdue amount towards principal is Rs.45256.46 Lakh (previous year Rs.45256.46 Lakh) and for interest accrued is Rs.39860.59 Lakh (previous year Rs.34860.78 Lakh), these amounts are shown under 'Other Current Liabilities'. Company has during the year repaid loan overdue Principal amounts of Rs.NIL (previous year Rs.1404.00 Lakh).

ii) Interest on preference shares due to default in repayment Rs.675.00 lakhs provided during the year

**B. Subsidiary Company**

Interest outstanding on GOI loan Rs.787.54 lakhs (previous year Rs.787.54 lakhs)

H/o. Details of Loans from Govt. of India as on 31.03.2023											
Sl. No.	Govt. Sanction No.	Purpose	Date of Sanction	Date of Disbursal	Due Date of Repayment	Rate of Interest	No. of months/ yrs.	Loan Amt. as on 31.03.2023	Installments due upto 31.03.2023	Interest accrued upto 31.03.2023	Current liability of Govt.
<b>A. Holding Company</b>											
1	P/11/2009-Ch-I	For various projects @ 10% w.e.t. Govt. guarantee	01.12.2009	15.12.2009	05.12.2014	11.50%	5	468.00	680.00	1050.49	1060.19
2	P/11/2009-Ch-I	idm	20.01.2010	20.01.2010	22.01.2013	11.50%	3	843.00	843.00	1279.62	1279.62
3	P/51/2010-Ch-I/2	For various projects	12.08.2010	08.08.2010	18.08.2017	11.50%	7	1788.00	1788.00	2121.12	2121.12
4	P/51/2010-Ch-I/2	For payment of interest on HCL Bonds series A1 with Govt. guarantee	07.08.2010	16.08.2010	16.08.2010	11.50%	0	1037.00	1037.00	916.48	916.48
5	P/51/2010-Ch-I/2	For payment of interest on HCL Bonds series A1 with Govt. guarantee	22.08.2010	17.08.2010	17.08.2010	11.50%	0	2461.00	2461.00	1762.21	1762.21
6	P/51/2010-Ch-I/2	For payment of interest on HCL Bonds series A1 with Govt. guarantee	02.08.2010	17.08.2010	17.08.2010	11.50%	0	1037.00	1037.00	694.88	694.88
7	P/51/2010-Ch-I/2	For payment of principal HCL Bonds series A1 with Govt. guarantee	11.08.2010	14.08.2010	14.08.2010	11.50%	0	1008.00	1008.00	619.15	619.15
8	P/51/2010-Ch-I/2	For payment of principal interest on HCL Bonds series C1 with Govt. guarantee	12.08.2010	16.08.2010	16.08.2010	11.50%	0	1032.40	1032.40	967.25	967.25
9	P/51/2010-Ch-I/2	For payment of principal HCL Bonds series A1 with Govt. guarantee	20.08.2010	20.08.2010	20.08.2010	11.50%	0	1108.00	1108.00	867.71	867.71
Interest outstanding on secured loan from Govt. of India (Secured by Fixed Assets): The principal of loan has been fully paid											
Interest outstanding on unsecured loan from Govt. of India: The principal of loan has been fully paid											
<b>Total</b>								<b>10236.40</b>	<b>41294.40</b>	<b>28810.89</b>	<b>28810.89</b>

Note: The loan amount of Rs.4228.40 lakhs are unsecured loans (Previous year loan amount was Rs.4228.40 Lakhs)

**B. Subsidiary Company**

- GOI has disbursed loan of Rs.7370 Lakhs on 22-May-2020 for settling the dues of Employees, Creditors and closure of Loans and disbursed Rs.217 lakhs on 15.03.2022 as per decision of CCEA.
- The company had outstanding loan of Rs.360 Lakhs availed for manufacture of MPTFE and Rs. 1320 Lakhs availed for refurbishment of the Plant @11.5% p.a. and both the loans repayable in 5 annual installments commencing from F.Y. 2015-16. The Company had repaid Rs.1.00 Crore with interest of Rs.24.92 lac during the month of March, 2017 and accordingly principal and interest outstanding were adjusted. The instalment due for F.Y. 2015-16,2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 amounting to Rs. 1,580.00 lakhs shown in Note-14. Company had received letter no.P.51015/06/2019-Ch.III(Vol.II) dated 29.01.2020 on closure of HFL in which interest on Rs.15.80 crore will be freed upto 31.03.2019. Hence interest has not been charged for the year 2022-23.

## NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

## 20. Short Term Provisions

Rs. in Lakh

Description	As at	As at
	31.03.2023	31.03.2022
i) for Employee Benefits (Leave encash.)	175.16	367.90
ii) for Employee Benefits (Gratuity)	218.54	206.57
iii) for Employee remuneration	543.00	315.81
iv) for Statutory Claims	0.00	15.86
v) for Penal Interest	850.00	850.00
<b>Total</b>	<b>1786.70</b>	<b>1756.14</b>

## 21. Other current liabilities

i) Advances from customers	555.59	412.81
ii) Deposits from Vendors / Customers	227.47	209.09
iii) Statutory Liabilities	1026.76	232.92
iv) Employee related liabilities	161.67	556.77
v) Payroll Recoveries Payable	17.98	20.59
vi) Other Liabilities	2382.88	2169.63
<b>Total</b>	<b>4372.35</b>	<b>3601.81</b>

Description	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
<b>22. Revenue from operations - Sale of products (Manufactured)</b>		
Sale of products (Manufactured )		
Phenol	42127.59	29931.04
Acetone	15388.85	9341.88
H2O2	2949.27	2542.01
H. E. of Cumene	1564.83	867.79
Cumox Oil	1068.32	684.67
Cumene	44.70	0.00
Others	0.00	0.33
<b>Total</b>	<b>63143.56</b>	<b>43367.72</b>
<b>23. Other income</b>		
<b>Direct income</b>		
Sale of Scrap	5.45	2.85
<b>Sub-total</b>	<b>5.45</b>	<b>2.85</b>
Interest income on		
On Call and Term Deposits (Gross)	879.52	789.01
On Advances and Deposits with MIDC, MSEB and others	19.55	112.51
Delayed payment & Finance charges from Trade Receivables	0.93	0.78
<b>Sub-total</b>	<b>900.00</b>	<b>902.30</b>
Other non-operating income		
Estate Rent	69.70	78.58
Transport, Water, Electricity, etc. recoveries	13.16	7.46
Miscellaneous Income	248.45	225.79
Excess provision written back	65.12	2143.56
Profit on Sale of Assets	0.00	0.00
<b>Sub-total</b>	<b>396.43</b>	<b>2455.39</b>
<b>Total</b>	<b>1301.88</b>	<b>3360.54</b>
Reversal of Excess Provision w/ back include the following:		
1. Reversal of excess provision for doubtful debts	17.08	1.43
2. Provision no longer required in various cases	20.81	-
3. Reversal of Gram Panchayat tax		
4. Excess Provision written back-Stores & Spares	27.23	19.78
5. Excess Provision written back HFL	-	2122.35
<b>Total</b>	<b>65.12</b>	<b>2143.56</b>

Description	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
In the books of holding company		
Miscellaneous income relating to 2021-22 Rs.11.25 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount for the year 2021-22 is restated as per Ind As 8 .		
(a) Nature of the prior period error : Miscellaneous Income		
(b) Amount of correction : Rs.11.25 lakhs		
(c) Financial line item affected: Note No.22 (Miscellaneous Income)		
<b>24. Cost of raw material and components consumed</b>		
Description	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
Inventory at the beginning of the year	1699.53	1293.11
Add: Purchases	41978.06	28298.17
Less: inventory at the end of the year	998.33	1702.82
<b>Cost of raw material and components consumed</b>	<b>42,679.26</b>	<b>27,888.46</b>
<b>25. Changes in Inventories of Finished Goods and WIP</b>		
(Increase)/decrease in inventory		
Inventories at the beginning of the year		
(i) Stock-in-Process	1133.84	960.65
(ii) Stock for Captive consumption	571.60	87.91
(iii) Main Products	1659.54	900.63
(iv) By Products	34.20	19.21
	<b>3399.18</b>	<b>1968.40</b>
Inventories at the end of the year		
(i) Stock-in-Process	938.00	1133.84
(ii) Stock for Captive consumption	598.21	571.60
(iii) Main Products	351.81	1659.54
(iv) By Products	28.45	34.20
	<b>1916.47</b>	<b>3399.18</b>
Changes in Inventories of finished goods and work in progress	<b>1482.71</b>	<b>-1430.78</b>
<b>26. Employee benefits expense</b>		
a) Salaries and wages *	3511.11	3783.50
b) Company's Contribution to Provident Fund	318.21	349.29
c) Gratuity	92.29	167.67
e) Provision for Leave Encashment	276.14	279.77
f) Staff welfare expenses	0.00	5.51
Medical amenities	95.57	121.03
Canteen and Nutrition amenities	207.42	262.63
Other welfare expenses	55.21	33.13
g) Termination benefits	63.27	6.43
	4619.22	5008.96
Voluntary retirement benefits (VRS & VSS)	0.00	45.51
<b>Total</b>	<b>4619.22</b>	<b>5054.47</b>



**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Description	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
* The holding company, Rs. 248 lakhs and Rs. 295 lakhs have been provided as provision for Arrear of proposed wage revision retrospectively w.e.f 25.01.2021 in the year 2022-23 and 2021-22 respectively.		
The subsidiary Company's Provident Fund was exempted under section 17 of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act,1952. As per the directives of Closure letter received from DCPC on 29.01.2020, company had started giving VRS to employees from May, 2020 onwards to Sept, 2022 and even non-regular employees were relieved on VSS during Oct, 2022. Remaining five (5) regular employees of HFL were transferred and posted to HOCL rolls w.e.f Sept, 2022. Since there is no employee in HFL, the Board in its meeting held on 30.01.2023 has approved to close the Employees Provident Fund Trust and surrender the balance amount with the Trust with Employees Provident fund Organisation after audit.		
As per the directives of Closure letter received from DCPC on 29.01.2020, all the employees were relieved by Sept, 2022. Since there are no employees in HFL, the Board in its meeting held on 30.01.2023 has approved the closure of Employees Group Gratuity Trust and to surrender the Insurance Policies available with LIC.		
<b>27. Finance costs</b>		
Interest:		
On Fixed Loans (Govt. Loan)	4999.81	5097.70
On Other Loans	63.62	9.02
On Preference shares	675.00	675.00
Interest on advance from customers	1001.96	753.18
Interest - Others	8.51	10.12
	6748.90	6545.02
Other Borrowing Cost-Bank charges	5.81	15.09
<b>Total finance costs</b>	<b>6754.71</b>	<b>6560.11</b>
<b>28. Depreciation and amortization expense</b>		
Depreciation of tangible assets	0.00	108.34
Amortization of intangible assets	0.00	8.03
Total	110.35	116.37
28b. Provision for impairment loss on fixed assets	8.40	0.00
<b>Total</b>	<b>118.75</b>	<b>116.37</b>
<b>29. Other expenses</b>		
<b>Consumption of Stores and Spares</b>		
i) Catalyst and Chemicals	483.28	340.70
ii) Consumable stores	265.07	359.66
iii) Packing materials	576.91	484.16
	<b>1325.26</b>	<b>1184.52</b>
<b>Utilities</b>		
Power	2336.68	1692.82
Fuel	8252.19	5989.18
Water	286.31	219.29
	<b>10875.18</b>	<b>7901.29</b>
<b>Repairs &amp; Maintenance:</b>		
Building	125.00	140.78
Plant and Machinery	248.51	383.89
Other Assets	177.59	134.69
	<b>551.10</b>	<b>659.36</b>
<b>Administration Expenses:</b>		
Rent	54.77	78.14
Insurance	227.77	219.46
Rates and taxes	355.96	478.24
Consultancy / Professional charges	243.68	190.07
Payment to Auditors: As Auditors		

Description	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
For Statutory audit	6.20	6.70
For Other audits	0.90	1.15
For Reimb. of Expenses	0.90	0.96
<b>Other expenses:</b>		
Power for Township	19.48	16.80
Water for Township	11.62	21.87
Security Expenses	289.14	289.30
Advertisement Expenses	10.96	6.38
Hire of Vehicles Expenses	38.14	41.25
Loss on Sale of Assets/Disposal	240.67	0.00
Prior Period Expenses	0.00	0.00
Sundry Balances Written-off	0.00	0.00
Miscellaneous Expenses	134.26	206.75
Corporate Social Responsibility	0.00	0.00
	<b>1634.45</b>	<b>1557.07</b>
<b>Provisions:</b>		
Provision for Doubtful Debts	2.14	16.77
Provision for statutory claims	0.00	0.00
Provision for Unidentified assets	0.00	2.61
Provision for Doubtful receipts	0.00	180.70
Provision for Doubtful receipts	0.00	0.00
Legal liability provision	0.00	269.00
	<b>2.14</b>	<b>469.08</b>
Total	<b>14388.13</b>	<b>11771.32</b>

Notes:

In the books of holding company

Other miscellaneous expense includes Rs.10.61 lakhs pertaining to the year 2021-22 has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated as per Ind As8.

(a) Nature of the prior period error : Miscellaneous Expense

(b) Amount of correction : Rs.10.61 lakhs

(c) Financial line item affected: Note No.29 -Other Expense

**30 EMPLOYEES BENEFIT PLAN:**

**A Provision for leave encashment**

The Holding Company has made a provision of Rs.1180.00 Lakh (previous year Rs.1217.87 lakh) for leave encashment as on 31st March, 2023, as per the Ind AS-19 based on Actuarial Valuation and the unpaid amount of leave encashment claims submitted by the employees.

**B. Provident fund**

Holding Company: Employees receive benefits from the provident fund managed by the Company upto 30th June 2018. From 1st July 2018 onwards the Company has transferred the Provident fund accounts of all employees to Employees Provident Fund Organisation (EPFO) and managed by EPFO. The employee and employer each make monthly contributions to the Provident Fund/Pension Fund plan equal to 12% of the employees' salary/wages.

Subsidiary Company: Provident Fund is exempted under section 17 of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act,1952. Conditions for grant of exemption stipulate that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust vis-à-vis statutory rate.

**C. Gratuity**

Gratuity plan is governed by the Payment of Gratuity Act, 1972 and employee who has completed five years of service is entitled to gratuity and the level of benefits provided depended on the member's length of service and salary at retirement age. The Employees' Gratuity Fund Scheme, which is a defined benefit plan, is managed by the Trust through an Annuity Scheme maintained with Life Insurance Corporation of India (LIC). The balance fund available with LIC is Rs.1729.04 lakh (Previous year Rs.1490.18 lakh) and deposit with ICICI Bank Rs.0.43 lakh (Previous year Rs. 0.43 lakh).

In the case of subsidiary company the balance of fund available is Rs.NIL (previous year 4.73 lakh)



**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

All dues on account of gratuity of employees relieved upto 31.03.2023 have been paid and there are no further dues.

**Details of Actuarial Valuation of Gratuity Details:**

**1. Funded Status of the plan**

Rs. In Lakh

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Present value of unfunded obligations	0.00	0.00
Present value of funded obligations	1586.47	2079.41
Fair value of plan assets	-1729.47	-1495.48
Net Liability (Asset)	-143	583.93

**2a. Profit and loss account for current period**

Current Service Cost	65.83	79.88
Past Service cost and loss/gain on curtailments and settlement	0.00	0.00
Net Interest cost	26.45	98.95
Total included in 'Employee Benefit Expense' (P&L)	92.28	178.83

**2b. Other Comprehensive Income for the current period**

Components of actuarial gain/losses on obligations:		
Due to Change in financial assumptions	-116.7	-77.19
Due to change in demographic assumption	0	0.00
Due to experience adjustments	40.95	57.58
Return on plan assets excluding amounts included in interest income	-25.63	-17.19
Amounts recognized in Other Comprehensive Income	-101.38	-36.8

**3. Reconciliation of defined benefit obligation**

Opening Defined Benefit Obligation	1936.88	2423.48
Transfer in/(out) obligation	102.02	0.00
Current service cost	65.83	79.88
Interest Cost	105.42	122.27
Components of actuarial gain/losses on obligations:	0	0
Due to Change in financial assumptions	-116.71	-77.18
Due to change in demographic assumption	0	0
Due to experience adjustments	40.95	57.67
Past Service Cost	0	0
Loss(gain) on curtailments	0	0
Liabilities Extinguished on settlement	0	0
Liabilities assumed in an amalgamation in the nature of purchase	0	0
Exchange differences on foreign plans	0	0
Benefits paid	-547.91	-508.55
Closing defined benefit Obligation	1586.48	2097.57

**4. Reconciliation of plan Assets**

Opening value of plan assets	1490.61	630.71
Transfer in (out) plan assets	102.02	0
Expenses deducted from the fund	0	0
Interest Income	78.96	23.32
Return on plan assets excluding amounts included in interest income	25.63	17.2
Assets distributed on settlements	0	0
Contributions by employer	580.17	1298.15
Assets acquired in an amalgamation in the nature of purchase	0	0

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Exchange rate differences on foreign plans	0	0
Benefits paid	-547.92	-887.49
Closing value of plan assets	1729.47	1081.89

**5. Reconciliation of net defined benefit liability**

Net opening provision in books of accounts	446.27	2263.05
Transfer in (out) obligation	102.02	0
Transfer (in) out plan assets	-102.02	0
Employee benefits Expense as per Annexure 2	92.28	167.66
Amounts recognized in other comprehensive income	-101.38	-40.99
Sub-total	437.17	2389.72
Benefits paid by the company	0	-52.66
Benefits settled (Rasayani Unit)	0	0
Contributions to plan assets	-580.17	-1280
Closing provision in the books of accounts	-143	1057.06

**Reconciliation of Assets Ceiling**

Opening Value of Assets Ceiling	0	0
Interest on Opening Value of Assets Ceiling	0	0
Loss/Gain on Assets due to surplus/Deficit	0	0
Closing Value of Plan Assets Ceiling	0	0

**6. Composition of the Plan assets**

	%	%
Government of India Securities	0	0
State government securities	0	0
High Quality Corporate Bonds	0	0
Equity shares of listed companies	0	0
Property	0	0
Special Deposit Scheme	0	0
Policy of Insurance	100	100
Bank Balance	0	0
Other Investments	0	0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7. Bifurcation of liability as per schedule III**

Current liability	-143.01	65.83
Non - Current liability	0	380.42
Net Liability	-143.01	446.25

**8.Principle actuarial assumptions**

Discount Rate	7.3% pa	6.40%
Salary Growth rate	6.00% pa	7.00%
Withdrawal rates	3% at Younger ages	3% at Younger ages
	reducing to 1% at older ages	reducing to 1% at older ages
Rate of Return on Plan assets	7.30%	5.60%

**9.Expected Cash Flows based on past service liability**

	Rs. In Lakh	
	Cash Flows	Distribution(%)
Year 1 Cash Flow	218.54	21.30%
Year 2 Cash Flow	297.82	7.40%
Year 3 Cash Flow	224.93	9.70%
Year 4 Cash Flow	234.48	7.20%
Year 5 Cash Flow	138.21	6.90%
Year 6 to Year 10	673.63	23.30%

The future accrual is not considered in arriving at the above cash flows



**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
The expected contribution for the next year is Rs 57.01 Lakh.		
The Average outstanding term of obligations (years) as at valuation date is 5.19 years		
<b>10.Sensitivity to key assumptions</b>		
<u>Discount Rate Sensitivity</u>		
Increase by 0.5 %	1546.07	1891.72
(% change)	-2.55%	-2.33%
Decrease by 0.5%	1628.93	1984.37
(% change)	2.68%	2.45%
<u>Salary Growth rate Sensitivity</u>		
Increase by 0.5 %	1606.01	1956.58
(% change)	1.23%	1.02%
Decrease by 0.5%	1565.91	1916.53
(% change)	-1.30%	-1.05%
<u>Withdrawal rate( W.R )Sensitivity</u>		
W. R x 110%	1590.23	1939.82
(% change)	0.24%	15.00%
W. R x 90%	1582.63	1933.97
(% change)	-0.24%	-15.00%

**A description of methods used for sensitivity analysis and its Limitations:**  
 Sensitivity analysis is performed by varying a single parameter while keeping all the other parameters unchanged.  
 Sensitivity analysis fails to focus on the interrelationship between underlying parameters. Hence, the results may vary if the two or more variables are changed simultaneously.  
 The method used does not indicate anything about the likelihood of change in any parameter and the extent of the change if any.

Appendix A: Break-up of defined benefit obligation		Rs. In Lakh	
Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022	
Vested	1,585.62	2,269.01	
Non-vested	0.85	9.23	
<b>Total</b>	<b>1,586.47</b>	<b>2,278.24</b>	

Appendix B: Age wise distribution of defined benefit obligation		
Age (In years)	DBO (in Rs. in lakh)	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Less than 25	-	-
26 to 35	7.99	16.61
36 to 45	180.06	208.81
46 to 55	801.35	923.87
56 and above	597.07	1128.95
Accrued gratuity for Left Employees	-	-
<b>Total</b>	<b>1586.47</b>	<b>2278.24</b>

Appendix C: Past service wise distribution of defined benefit obligation		
Age (In years)	DBO (in Rs. in lakh)	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
0 to 4	0.86	3.75
4 to 10	20.59	61.17
10 to 15	193.27	165.53
15 and above	1371.75	2047.79
Accrued gratuity for Left Employees	-	-
<b>Total</b>	<b>1586.47</b>	<b>2278.24</b>

**MAJOR RISK TO THE PLAN**

**A. Actuarial Risk:**

It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons:

**Adverse salary growth experience:**

Salary hikes that are higher than the assumed salary escalations will result into an increase in obligation at a rate that is higher than expected.

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
-------------	------------------	------------------

**Variability in mortality rates:**

If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. Since there is no condition of vesting on the death benefit, the acceleration of cashflow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.

**Variability in withdrawal rates:**

If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on whether the benefits are vested as at the resignation date.

**B. Investment Risk**

For funded plans that rely on insurers for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.

**C. Liquidity Risk :**

Employees with high salaries and long durations or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign/retire from the company there can be strain on the cashflows.

**D. Market Risk:**

Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate/government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.

**E. Legislative Risk:**

Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation/regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective.

The Summary of the assumptions used in the valuations is given below:

**Financial Assumptions**

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Discount rate	7.30%	5.60% p.a
Salary Growth rate	6.00%	7.00% p.a
Rate of Return on plan assets	Not applicable	5.60% p.a

**Demographic Assumptions**

Withdrawal rates p.a		
Age Band	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
25 and below	3.00%	3.00%
25 to 35	2.50%	2.50%
35 to 45	2.00%	2.00%
45 to 55	1.50%	1.50%
55 and above	1.00%	1.00%

**Mortality rates**

Sample rates p.a of Indian Assured Lives Mortality (2012-14)		
Age (In years)	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

**Method of Valuation**

Actuaries has used projected unit credit (PUC) Method to value the Defined benefit obligation.



**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
-------------	------------------	------------------

**31 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

a) Originally the Holding Company at Rasayani was in possession of land (as per revenue records) admeasuring 1012.355 acres. Out of the said land 251 acres were sold to BPCL and 20 acres were sold to ISRO during the year 2017-18, 38,687 acres were sold to BPCL in the year 2018-19. In the year 2019-20, 85.27 acres of land sold to BPCL and in 2020-21, 0.386 acre was sold to IOCL (Petrol pump area). Out of the said land, 65.840 acres (previous year 66.024 acres) includes 22.717 acres which has been identified as encroached, 32.547 acres has been given to MIDC, MSED, HIL, MES etc, 10.576 acres of public road and hence considered at Nil value. The said encroachment has been determined on the basis of the survey carried out by the company through M/s. The Geo Tek vide their report dated April 24, 2019. The balance 551.172 acres of land has been revalued at the ready reckon rate or the agreed rate of sale to BPCL amounting to Rs. 832.95 crore.

b) As per the communication received from Municipal commissioner Panvel, regarding the actual area of plot No.11 & 12 of survey No.738 on which there is a public road passing through and thereby the total area of Panvel land available for sale has reduced from 8 acre to 7.09 acre. Accordingly the reserve price (fair value) has been reduced to Rs.158 crore. The said proposal of Govt of Maharashtra has been approved by HOCL Board in its meeting to be held on 09.11.2022. The company is in the process of obtaining necessary approval from Administrative Ministry.

**32 INVESTMENT**

a) The Holding Company has an investment of Rs.1106.00 lakh (previous year Rs.1106.00 lakh) in the equity share of subsidiary company M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd. (HFL) which is under BIFR since 1994. The net worth of the Company based on its latest audited balance sheet as at 31st March, 2023 is negative. Market value of the shares (face value Rs.10) as on 31.03.2023 was Rs.8.91 lakh (Previous year Rs.9.57 lakh). Provision has been made in the books towards diminution in the value of these investments amounting to Rs.47.56 (Previous year Rs.272.08 lakh). Government of India has decided to close down M/s.HFL as per CCEA decision on 29.01.2020. An amount of Rs.75.87 crore (Rs.73.70 crore on 26.05.2020 and Rs.2.17 crore on 15.03.2022) has been released by Government of India as interest free loan to meet the VRS expenses and for clearing dues to Bank and suppliers.

b) During the year 2007-08, the Modified Draft Rehabilitation Scheme (MDRS) for revival of subsidiary - Hindustan Fluorocarbon Ltd. (HFL) was approved by BIFR for implementation. As part of implementation of MDRS, HOCL had waived interest of Rs.2260.26 lakh accumulated on loan given to HFL and converted the unsecured loan amounting to Rs.2744.07 lakh as Zero Coupon Loan (ZCL), into secured loan by on HFL creating first charge on immovable property (land 84.31 acre valued to the extent of Rs. 2035.25 lakh as per Govt. rate) in favour of HOCL. This loan was payable in 7 equal annual instalments commencing from 2010-11, aggregating to Rs.2744.07 lakh (Previous year Rs.2744.07 lakh) which has become due and payable in full. Further, the Company had given loans to HFL aggregating to Rs. 453.01 lakh (Previous Year Rs. 453.01 lakh) 10.25% to 14.50% which has become payable in full. This loan is also secured by first charge on the HFL immovable property. A provision was made for the shortfall in the security to the extent of Rs.2122.34 lakh including interest (loan Rs.1161.82 lakh and interest Rs.960.52 lakh) as on 31st March, 2021. As per the valuation report by an external registered independent valuer having professional qualification the value of the secured property is Rs.10196.76 lakh as on date (previous year Rs.10196.76 lakhs)

**33 EARNING PER SHARE**

Rs. In Lakh

Earnings per share has been calculated as follows:	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Net Profit/(Loss) after Tax (Rs. in Lakh)	-5533.72	-3231.69
Weighted average number of equity shares	67173100	67173100
Nominal Value per equity share (Rs.)	10	10
Basic / Diluted Earning per equity share (Rs.)	-8.24	-4.81

**34 SEGMENT REPORTING.**

Since the company is manufacturing only Chemicals, there are no separate reportable primary and secondary segments and all the chemicals manufactured by the company are considered to have been representing as single reportable segment. The requirements of Accounting Standard 17 with regard to disclosure of segmental results are therefore considered not applicable to the company.

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
-------------	------------------	------------------

**35 BALANCE CONFIRMATION**

Balances of trade receivables, trade payables, loans, advances, other current assets and borrowings are subject to confirmation / reconciliation and subsequent adjustments except in cases where confirmation has been received.

**36 Contingent Liabilities & Commitments(to the extent not provided for)**

I) Contingent Liabilities	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
<b>a) Claims against the Company not Acknowledged as debts:</b>		
i) Income Tax Claims	91.99	91.99
ii) Excise duty / Service tax	104.63	104.63
iii) Gratuity for School teachers	75.31	75.31
iv) Other claims (Legal cases)	334.69	286.36
v) Rental claim Harchandrai House	6219.08	5949.98
vi) JNPT lease rent	3318.86	2974.52
vii) Damages on Delayed payment of PF with interest	94.89	94.89
viii) Penal interest on Govt. Loans	8258.81	7119.24
ix) Interest on interest on Govt. Loan	52435.82	40113.98
x) Nilima Chemical Corporation	16.00	-
Sub-total	<b>70950.08</b>	<b>56810.90</b>
b) Bank Guarantees issued from Banks	2645.80	116.69
<b>II) Commitments:</b>		
Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	11.77	36.27

**a) Claims against the Company not Acknowledged as debts:**

**i) Income Tax Claims: Rs.91.99 Lakh**

There are various appeals for Assessment years are pending before authorities i.e. ITAT, High Court and other forums. The Company is awaiting for hearing, the details are as follows A Y 2002-03 Rs. 70.49 Lakh and AY 2011-12 Rs.21.50 Lakh.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

**ii) Excise duty / Service tax**

The Holding Company has ongoing disputes with Central excise authorities relating to the period 2006-07, amounting to Rs.104.63 Lakh. Company has filed Appeals at various Tribunals.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

**iii) Gratuity for School teachers**

Case filed by the teaching staff of HOC Rasayani School for the period upto March 1997, pending before Bombay High Court (Rs.75.31 Lakh).

**iv) Other claims (Legal cases): Rs.321.23 Lakh.**

a) Case filed by the Holding Company against the award passed by MAC Tribunal, Trichur in relation to Phenol Tanker accident in 1994 (Rs.118 Lakh)

b) ESI corporation has raised a demand for contribution during the period from 01.04.1992 to 31.10.1992 amounting to Rs.2.17 lakh (Holding Company). The matter is pending with ESI Court, Ernakulam, as desired by the ESI Court we had applied for exemption from ESI Act to the Govt. of India, hence no liability is created and a contingent liability to that extend is provided. ESI case of subsidiary company amounting to Rs.13.46 Lakh.

c.) HOCL filed appeal in High Court of Kerala against the order of the CAT giving direction to HOCL to pay the Salary arrears and other benefits of Sri P C James former employee and rework his gratuity, the estimated amount is Rs.48.33 lakhs.

d) The Holding Company had invited open tender for work of construction of "Civil and Structural works for Construction of Plant Building, Technical Service Building, R&D Building, etc of PU System House Project. Company had issued the Work Order to M/s Shetusha Engineers & Constructions Pvt. Ltd. (SECPL). On account of delay and other shortcomings in the completion, company had deducted Liquidated damages. SECPL objected for the

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

said deductions and filed an Arbitration Application before the Hon'ble High Court, Mumbai. Later the M/s SECPL had unconditionally withdrawn the said Arbitration Application from the Court. Further, M/s SECPL had filed Suit before the Hon'ble High Court, Mumbai against the Company for passing the Decree against the Company towards payment of Rs.113.35 Lakh excluding interest.

e) The Holding Company invoked the performance guarantee given by M/s Vakharia Construction Company, Mumbai (VCC) to whom civil contracts had been allotted as the contract works were not completed as per the terms of the work order. The matter was referred to arbitration and later went to the High Court. The court ordered the company to deposit Rs.12 lakhs and M/s VCC is allowed to withdraw the amount on submission of bank guarantee. The appeals filed before the High Court were dismissed. Now M/s VCC raised demand for bank guarantee commission paid to the bank and interest at the rate of 18% as the money decree passed by the Trial Court in favour of VCC was stayed due to filing civil application by the company. The liability estimated on this is Rs.39.38 lakhs and the matter is pending before court of law and accordingly shown under contingent liabilities.

**v) Rental claim Harchandrai House Rs.6219.08 Lakh**

As the company has not vacated the office premises taken on lease from M/s Harchandrai & Sons as per their notice they initiated legal proceedings and stopped to accept the lease rent. The company vacated the office premises during the year 2014. The rent not accepted by the landlord till the vacation of the office premises amounting to Rs.580.80 lakhs has been provided in the accounts. Landlords filed the Mesne Profit Application before Small Causes Court, Mumbai for Mesne profit for the period from 01/06/2000 to till the possession of the said premises. The Mesne profit application filed by M/s.Harchandrai & Sons is allowed by the Court of Small Causes, Mumbai on 02.05.2022 directing the Company to pay the mesne profit @Rs.138/- per sq.ft. for the period from 01/06/2000 to 31/12/2006, for subsequent period @Rs.274/-per sq.ft. together with an interest@9% p.a. The total amount as per Order of Small Causes court, Mumbai for mesne profit for the period from 01/06/2000 to 31/03/2014 and interest thereon upto 31-03-2023 works out to Rs.6982.86 lakh(previous year Rs.6713.75 lakhs). The valuer appointed by HOCL has submitted his report and the average rate is assessed @Rs.48.91 per sq.ft. which is not considered by the Small Causes Court, Mumbai. As per the legal opinion, the company had filed appeal against the Order and the Company is of the opinion that there is uncertainties in crystallisation of demand other than the amount calculated as per the report of the HOCL valuer assessing mesne profit @Rs.48.91 per sq.ft. The amount of mesne profit calculated based on the report of HOCL valuer @ Rs.48.91 per sq.ft is Rs.763.78 lakh has already been provided in the books of account for the year 2021-22. The difference amount of Rs.6219.08 lakh (6982.86-763.78) is shown as contingent liability.

**vi) JNPT lease rent: Rs.3318.86 Lakh**

The Company has entered into MoU with Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to hand over the land allotted to the company for setting up Liquid Tank Farm on lease basis along with assets of the company 'as is where is basis'. The JNPT raised a demand of Rs.4124 lakhs towards lease rentals and other charges. The company has instituted arbitral proceedings and Arbitral Tribunal issued the award in favour of the company. The assets of the company valued as per the MoU at Rs.1638.50 lakhs and same is agreed and paid by M/s.JNPT. The undisputed amount of lease rent payable by the Company to JNPT was computed on a mutual understanding between the Parties on the basis of arbitral award is Rs. 805.13 lakhs and the same is paid by the Company. The disputed amount includes lease rentals Rs.2974.51 lakhs, water charges 0.65 Lakh, way leave charges Rs.297.09 Lakhs and Service tax of way leave charges Rs.46.61 lakhs. The company has shown balance amount of demand of JNPT after adjusting undisputed lease rental paid as contingent liability since the appeal filed against the arbitral awards pending for hearing before High Court and the company is of the opinion that no provision is required as there is uncertainties in crystallisation of demand at this stage of litigation.

**vii) Damages on Delayed payment of PF with interest (Subsidiary company): Rs.94.89 Lakh**

The holding Company has written to Central Provident Fund Commissioner for waiver of damages for delayed payment of PF dues during the period 2000-01 to 2010-11 considering the fact that the company was a BIFR referred Company.

**viii & ix) Interest at higher rate on Govt. Loans: Rs.8258.81 Lakh and Interest on defaulted interest Govt. Loan 52435.82 lakhs**

The Government of India reserves the right to raise the rate of interest in respect of loans granted to the company, in case of default of repayment of principal on the due date and also

charge interest at rate on default in any of the payment of interest due. As there is default in payment of principal loan as well as interest due thereon, the company, in anticipation that the Government of India may demand higher rate on principal and interest on interest outstanding, arrived the additional interest liability and shown as contingent liability. As on March 31st 2023 no demand was received from GOI towards the interest at the higher rate and interest on defaulted interest.

**x) Nilima Chemical Corporation**

This Civil Suit is filed by M/s Nilima Chemical Corporation in the year 1996 before the First Court of the Asstt. District Judge, 24 Parganas (South), West Bengal, India.

Brief Facts of the Matter:- HOCL was supplying the material to M/s Nilima Chemical Corporation ("NCC") against the bank guarantee ("BG") provided/submitted by NCC. During the course of business, NCC had failed to pay the overdue amount towards the supply of the material and hence on 15th May 1996 HOCL had written a letter to the concerned bank namely Vijaya Bank to enforce the BG to square up the overdue of the HOCL by NCC. Subsequently, Vijay Bank released the funds off from the BG in favour of HOCL. Thus, being aggrieved with this step/decision NCC filed the Civil Suit for passing the decree of an amount of Rs.3,90,681.90 before the First Court of the Asstt. District Judge, 24 Parganas (South). This Suit was decreed ex-parte and the Advocate of NCC informed Company vide his letter dated 24th Novmeber 2011 that they are executing the said Decree. Subsequently, HOCL had filed Misc. Case No.156 of 2011 for setting aside the said Decree and/or Suit be heard on merits. HOCL also filed the Caveat in the said matter on 25th August 2011. Company had also filed affidavit for opposing the Title Execution Case No. 11 of 2014. Now, the said case is pending before the Court for hearing. This Execution Application is filed by NCC against HOCL for execution of the Decree passed in 45 of 1996 (Ex-parte). This matter was came up for hearing on 10th November 2021 on this date the Advocate for HOCL Mrs. Saroj Tulsian tried to seek adjournment but Court declined the request for adjournment and matter was partly heard on 10th November 2021.

xi) The amount of claims in respect of legal cases filed against the Company for labour matters relating to regular and retired employees and not acknowledged as debts is not ascertainable.

xii) The differential interest @ 2.75% (14.25%-11.50%) on Govt. Plan loan is not provided in the books as Govt had freezed interest up to 31.3.2019.

**b) Bank Guarantees issued Rs.2645.80 Lakh**

The Company has submitted bank guarantees to Kerala State Electricity Board amounting to Rs.101 lakh, BPCL Rs.5100 lakh, OMPL Rs.1000 lakh and Rs.1.06 Lakh to others. The company does not expect any outflow in respect of the above.

Contingent liability and commitments has been shown against bank guarantees issued to BPCL Rs.1645.80 lakh and OMNPL Rs.1000.00 lakh only.

Work order issued for the following contracts.

	Rs. in lakh	
	2022-23	2021-22
a) 2x15 KVA UPS for Phenol plant	0	21.61
b) Restoration charge/Licence fee/performance guarantee for road cutting permission from concerned authorities	0	14.66
c. Purchase order issued for Air conditioner, Induction Motor and Heavy Duty Lathe	11.77	
Total	11.77	36.27

**37 Disclosure relating to error or omission as per Ind AS 8**

The following expenditure/income had been incorrectly accounted during the year 2022-23 due to error. The comparative expenditure/income in the financial statement of the year 2021-22 have been restated to correct the errors. The effect of the restatement on the financial statement is summarised below. the financial statement is summarised below.

	(Rs. In lakh)	
Description	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Increase in Other Income	11.25	33.72
Increase in Other Expenses	(10.61)	(6.44)
Decrease in Other Expenses		22.64
Increase in Other Expenses (Refer Note 26)	(295.00)	
<b>Total</b>	<b>(294.36)</b>	<b>49.92</b>

## NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

	2022-23	2021-22
Income tax liability		
(Increase)/decrease in Equity	(294.36)	49.92
(Increase)/decrease in Earning Per Share	(0.04)	0.07
(Increase)/decrease in Diluted Earning Per Share	(0.04)	0.07

(1) Miscellaneous income relating to 2021-22 Rs.11.25 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount for the year 2021-22 is restated as per Ind As 8 .

(a) Nature of the prior period error : Miscellaneous Income

(b) Amount of correction : Rs.11.25 lakhs

(c) Financial line item affected: Note No.23 (Miscellaneous Income)

(2) Other miscellaneous expense includes Rs.2.57 lakhs towards reversal of delayed payment charges and Rs.8.04 lakhs towards late fee pertaining to 2021-22 has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated as per Ind As8.

(a) Nature of the prior period error : Reversal of delayed payment charges

(b) Amount of correction : Rs.10.61 lakhs

(c) Financial line item affected: Note No.29 -Other Expense

(3) Employee benefits expense includes Rs. 295 lakhs towards salary arrears up to 31.03.2022 has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated as per Ind As8.

(a) Nature of the prior period error : Employee benefits expense

(b) Amount of correction : Rs.295 lakhs

(c) Financial line item affected: Note No.26 - Employee Benefits Expense

## 38 RELATED PARTY DISCLOSURE AS PER Ind-AS 24

Since Government of India owns 58.78% of the Company's equity share capital (under the administrative control of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals), the disclosures relating to transactions with the Government and other Government controlled entities have been reported in accordance with para 26 of Ind AS 24. List of related parties where control exists and also related parties with whom transactions have taken place and relationships:

Rs. In lakh

Sr. No.	Name of the Related Party Relationship	Relationship	Details of Transaction	Amt. of Transaction during 2022-23	Outstanding at the end of the year (31.03.2023)	Amt. of Transaction during 2021-22	Outstanding at the end of the year (31.03.2022)
1	Hindustan Fluorocarbon Ltd. (HFL)	Subsidiary company with 56.43% share holding.	Interest on loan given to HFL	63.62	4272.13	63.62	4214.87
2a	Bharat Petroleum Corporation Ltd	Controlled by Government of India.	Purchase of Raw materials (LPG, Benzene, FO, H2 & LNG)	37659.45	3462.27	22883.56	3051.35
2b	Bharat Petroleum Corporation Ltd	Controlled by Government of India.	Sale of Finished Goods (H2O2)	43.00	29.08	15.07	22.84
4a	Indian Oil Corporation Limited	Controlled by Government of India.	Purchase of Raw materials/ Fuel	6130.67	-59.52	478.67	0.00
4b	Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited	Subsidiary of ONGC	Purchase of Raw materials (Benzene)	5496.25	0.00	0.00	0.00
<b>Trust constituted by the Company</b>							
6	HOCL Group Gratuity Trust	-do-	Investment and interest on investment	682.19	1729.48	610.89	1490.61

## REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Rs. in Lakh

	Short-term employee benefits	Post-term employee benefits	Other long-term benefits	Termination benefits	Share-based payments	Total
<b>2022-23</b>						
<b>A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:</b>						
Shri. Sajeev B, CMD	36.80	4.56	0.00	0.00	0.00	41.36
Shri. Yogendra Prasad Shukla (From 04.07.2022)	21.68	2.90	0.00	0.00	0.00	24.58
<b>B. Remuneration to Other Directors</b>						
<b>i) Govt. Nominee Directors</b>						
Shri Sanjay Rastogi (AS&FA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Shri Kanishk Kant Srivastava.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ii) Independent Directors</b>						
Dr. Bharat J. Kanabar	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
Shri Pratyush Mandal	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
<b>C. Key Managerial Personnel</b>						
Shri. Subramonian H	13.10	1.76	0.00	0.00	0.00	14.86
Shri. P.O. Luise, CFO (up to 04.08.2022)	9.29	1.22	0.00	0.00	0.00	10.51
<b>Total</b>	<b>83.07</b>	<b>10.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.51</b>
<b>2021-22</b>						
<b>A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:</b>						
Shri. S.B. Bhide, CMD (upto 31.7.21)						
Shri. Sajeev B, CMD (from 6.9.2021)	29.91	1.48	0.00	0.00	0.00	31.39
<b>B. Remuneration to Other Directors</b>						
<b>i) Govt. Nominee Directors</b>						
Shri. Satendra Singh, ASFA (C&F)						
Shri. Samir Kumar Biswas, JS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ii) Independent Directors</b>						
(Sitting fee paid to NOIDs for attending the Meetings of the Board/ Committees)						
Dr. Bharat J. Kanabar	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
Shri Pratyush Mandal	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60





**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

	Short-term employee benefits	Post-term employee benefits	Other long-term benefits	Termination benefits	Share-based payments	Total
<b>C. Key Managerial Personnel</b>						
Shri. P.O. Luise, CFO	33.97	3.39	0.00	0.00	0.00	37.36
Mrs.S.S. Kulkarni,CS (upto 28.02.22)	36.45	3.53	0.00	0.00	0.00	39.98
Shri. Subramonian H (from 1.3.2022)	1.06	0.14	0.00	0.00	0.00	1.20
<b>Total</b>	<b>123.33</b>	<b>10.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134.32</b>

**Note:**

In the ordinary course of its business, the Company enters into transactions with other Government controlled entities (not included in the list above). The Company has transactions with other Government-controlled entities, including but not limited to the followings: followings:

Sales and purchases of goods and ancillary materials; Rendering and receiving of services; Receipt of dividends; Loans and advances; Depositing and borrowing money; Guarantees and Uses of public utilities.

These transactions are conducted in the ordinary course of business on terms comparable to those with other entities that are not Government controlled entities.

**Note-39 Financial Instruments**

**39a. Fair Value measurement hierarchy**

**A Level 1 —** Includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity instruments, traded bonds and mutual funds that have quoted price. The fair value of all equity instruments (including bonds) which are traded in the stock exchanges is valued using the closing price as at the reporting period. The mutual funds are valued using the closing NAV. Company do not have any such investment

**Level 2 —** The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds, over-the-counter derivatives) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

**Level 3 —** If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3. This is the case for unlisted

equity securities, contingent consideration and indemnification asset

B Financial assets and liabilities measured at fair value-recurring fair value measurements :

Rs. In Lakh

	As at 31st March, 2023				As at 31st March, 2022			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets :								
Loans	-	-	22.35	22.35	-	-	21.01	21.01
Trade Receivables	-	-	1936.87	1936.87	-	129.16	735.12	864.28
Investments	-	-	5.00	5.00	-	-	5.00	5.00
Cash and cash equivalents	-	262.35	4359.01	4621.36	-	154.79	2014.53	2169.32
Bank balance other than cash	-	2,820.93	12371.47	15192.40	-	79.85	11496.20	11576.05
Other Financial Assets	-	10.98	358.29	369.27	-	68.92	316.25	385.17
<b>Total Financial assets</b>	<b>0.00</b>	<b>3094.26</b>	<b>19052.99</b>	<b>22147.25</b>	<b>0.00</b>	<b>432.72</b>	<b>14588.11</b>	<b>15020.83</b>
Financial liabilities								
Non Cumulative Preference share	-	-	27000.00	27000.00	0.00	-	27000.00	27000.00
Borrowings	-	9167.00	45256.46	54423.46	0.00	9167.00	45256.46	54423.46
Trade payables	-	15.94	4052.02	4067.96	0.00	48.37	4096.34	4144.71
Other current financial liabilities	-	835.79	46070.59	46906.38	0.00	836.59	40395.78	41232.37
<b>Total Financial liabilities</b>	<b>-</b>	<b>9198.73</b>	<b>122379.07</b>	<b>132397.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10051.96</b>	<b>116748.58</b>	<b>126800.54</b>

**39b. Categories of Financial Instrument**

A Fair Values hierarchy :

	As at 31st March, 2023			As at 31st March, 2022				
	FVTPL	FVOCI	Amortised Cost	Total	FVTPL	FVOCI	Amortised Cost	Total
Financial assets :								
Loans	-	-	22.35	22.35	-	-	21.01	21.01
Trade Receivables	-	-	1936.87	1936.87	-	-	864.28	864.28
Investments	-	-	5.00	5.00	-	-	5.00	5.00
Cash and cash equivalents	-	-	4621.36	4621.36	-	-	2169.32	2169.32
Bank balance other than cash	-	-	15192.40	15192.40	-	-	11576.05	11576.05
Other Financial Assets	-	-	369.27	369.27	-	-	385.17	385.17
<b>Total Financial assets</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,147.25</b>	<b>22,147.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15020.83</b>	<b>15020.83</b>
Financial liabilities								
Non Cumulative Preference share	-	-	27000.00	27000.00	-	-	27000.00	27000.00
Borrowings	-	-	54423.46	54423.46	-	-	54423.46	54423.46
Trade payables	-	-	4067.96	4067.96	-	-	4144.71	4144.71
Other current financial liabilities	-	-	46906.38	46906.38	-	-	41232.37	41232.37
<b>Total Financial liabilities</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,32,397.80</b>	<b>1,32,397.80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126800.54</b>	<b>126800.54</b>

Additional information on entities included in consolidated Financial statements

Name of the entity	Net asset i.e total assets minus total liabilities		Share in profit or (loss)		Share in other comprehensive income		Share in total comprehensive income	
	As % of consolidated net assets	Amount (Rs.lakhs)	As % of consolidated profit or loss	Amount (Rs. lakhs)	As % of consolidated other comprehensive income	Amount (Rs. lakhs)	As % of consolidated total comprehensive income	Amount (Rs. lakhs)
Indian								
1.Hindustan Fluorocarbons Ltd	217.95%	(7881.02)	20.86%	(612.87)	-0.29%	(4.19)	41.18%	(617.06)
Subsidiary								

**Note No. 40 Financial risk management**

**i. Market risk**

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Such changes in the values of financial instruments may result from changes in the foreign currency exchange rates, interest rates, credit, liquidity and other market changes. The Company's exposure to market risk is primarily on account of foreign currency exchange rate risk.

**a) Foreign currency exchange rate risk**

The fluctuation in foreign currency exchange rates may have potential impact on the statement of profit and loss and other comprehensive income and equity, where any transaction references more than one currency or where assets / liabilities are denominated in a currency other than the functional currency of the Company but as company balance in foreign currency hence company is not exposed to foreign currency exchange rate risk

**b) Interest rate risk**

The Company's investments are primarily in subsidiary through quoted equity share and unquoted equity share of other entity therefore none of the investment activity is generating interest out of the investment. Hence, the Company is not significantly exposed to interest rate risk.

**ii. Credit risk**

Credit risk is the risk of financial loss arising from counterparty failure to repay or service debt according to the contractual terms or obligations. Credit risk encompasses of both, the direct risk of default and the risk of deterioration of creditworthiness as well as concentration of risks. Credit risk is controlled by analysing credit limits and creditworthiness of customers on a continuous basis to whom the credit has been granted after obtaining necessary approvals for credit.



**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Financial instruments that are subject to concentrations of credit risk principally consist of trade receivables, unbilled receivables, investments, cash and cash equivalents, bank deposits and other financial assets, company generating revenue for individually in excess of 10% or more of the Company's revenue for the year ended March 31, 2023 from the below mention customer.

Name of customer	Amt of revenue	% of total revenue
Pooja Petro Chemicals	18738.04	30%
Sonkamal Enterprises P Ltd	16300.52	26%
Ramesh Kumar & Company	9759.28	15%

**Geographic concentration of credit risk**

Geographical concentration of trade receivables, unbilled receivables (previous year: unbilled revenue) and contract assets is allocated based on the location of the customers.

**iii. Liquidity risk**

Liquidity risk refers to the risk that the Company cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements.

The company manages liquidity risk by maintaining adequate reserve, banking facilities and reserve borrowing facilities, continuously monitoring forecast and actual cash flow and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. As per CCEA approval for Shut-down of the company, HFL has received an amount of Rs.73.70 Crores for implementation of VRS/ VSS, Statutory dues, payment to suppliers/contractors/utilities and other dues. The proceeds from sale of Land, Building, Plant & Machinery and other assets shall be utilised for meeting its contractual obligations. Note no.37 about CCEA procedure for disinvestment and sanction of loan from GOI details that the Company has financial assets at its disposal to reduce liquidity risk.

i) The table below provides details regarding the contractual maturities of financial liabilities including estimated interest payments as at March 31, 2023:

Particulars	Carrying Amount	Upto 1 Year	1 – 3 Years	More than 3 years	Total Contracted Cash Flows
Accounts Payable and Acceptances	15.94	15.94	-	-	-
Borrowings and interest thereon	14226.67	14226.67	-	-	-
Others	48.24	48.24	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14290.85</b>	<b>14290.85</b>	-	-	-

The table below provides details of financial assets as at March 31, 2023:

Carrying Amount	(Rs. Lakhs)
Trade Receivable	129.16
Other financial assets	10.98
<b>Total</b>	<b>140.14</b>

i) The table below provides details regarding the contractual maturities of financial liabilities including estimated interest payments as at March 31, 2022:

Particulars	Carrying Amount	Upto 1 Year	1 – 3 Years	More than 3 years	Total Contracted Cash Flows
Accounts Payable and Acceptances	48.37	48.37	-	-	-
Borrowings and interest thereon	14,169.41	14,169.41	-	-	-
Others	49.05	49.05	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14,266.83</b>	<b>14,266.83</b>	-	-	-

The table below provides details of financial assets as at March 31, 2022:

Carrying Amount	(Rs. Lakhs)
Trade Receivable	129.16
Other financial assets	68.92
<b>Total</b>	<b>198.08</b>

**c) Fair value measurements**

The subsidiary Company's financial assets and financial liabilities are measured at fair value at the end of the reporting period. The following table gives information about how the fair values of these financial assets and financial liabilities are determined (in particular, the valuation techniques and inputs used):

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022	Fair Value Hierarchy	Valuation techniques & keyinputs used
Borrowings	14,226.67	14,169.41	Level 2	Refer Note Below
Security Deposits	82.99	82.99	Level 2	Refer Note Below
<b>Total</b>	<b>14,309.66</b>	<b>14,252.40</b>		

\* Positive value denotes financial asset (net) and negative value denotes financial liability (net)

**Notes:**

- (1) There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.
- (2) The Level 1 financial instruments are measured using quotes in active market
- (3) The following table shows the valuation technique and key input used for Level 2:

Financial Instruments	Valuation Technique	Key Inputs Used
Borrowings	Level 2	Fair Value as per discounted cash flows and present value computation based on the effective cost of capital

Fair value of financial assets and financial liabilities that are not measured at fair value (but fair value disclosures are required)

Note on HOCL Interest Free Loan of Rs.2744 Lakhs

HOCL Loan will continue in the books at book value as against fair value as per discounted cash flows and present value computation based on the effective cost of capital.

**Financial Assets**

	Fair Value Hierarchy	As at 31.03.2023		As at 31.03.2022	
		Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Assets at Amortized cost					
Trade Receivables	Level 2	129.16	129.16	129.16	129.16
Other Financial Assets	Level 2	10.98	10.98	68.92	68.92
Cash and cash equivalents	Level 2	262.35	262.35	154.79	154.79
Bank balances other than above	Level 2	2820.93	2820.93	2006.85	2006.85
<b>Total</b>		<b>3223.42</b>	<b>3223.42</b>	<b>2359.72</b>	<b>2359.72</b>

**Financial Liabilities**

	Fair Value Hierarchy	As at 31.03.2023		As at 31.03.2022	
		Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Liabilities at Amortized cost					
• Borrowings	Level 2	14,226.67	14,226.67	14,169.41	14,169.41
• Other financial liabilities	Level 2	48.24	48.24	49.05	49.05
• Trade Payables	Level 2	15.94	15.94	48.37	48.37
<b>Total</b>		<b>14,290.85</b>	<b>14,290.85</b>	<b>14,266.83</b>	<b>14,266.83</b>



**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**Note No.41 Deferred Tax**  
For the Year 2022-23

Rs. in Lakh

	Opening Balance 01.04.2022	Recognisable in P & L	Reversal on account of Probability chcking of Future Profit	Recognised in P & L	Recognised in OCI	Closing Balance 31.03.2023
<b>Deferred Tax Liability</b>						
Excess Provision W/ back	-			-	-	-
Provision for impairment W/ Back	-			-	-	-
Revaluation of land in Fair Value	20,473.52			-	302.00	20,775.52
Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE	(4,056.00)			-	-	(4,056.00)
Fair Value of Investment in HFL	(15.00)				(21.00)	(36.00)
	<b>16,402.52</b>				<b>281.00</b>	<b>16,683.52</b>
<b>Deferred Tax Asset</b>						
Depreciation	-	18.00	18.00	-	-	-
Provision for Leave Encashment	-	80.00	80.00	-	-	-
Voluntary Retirement Benefits (VRS/ VSS)	-			-	-	-
Provision for Doubtful Debts	-	1.00	1.00	-	-	-
Provision for Doubtful Advances	-			-	-	-
Provision for Long Term Agreements	-			-	-	-
Provision for Obsolescence	-			-	-	-
Provision for Statutory claims	-			-	-	-
Accumulated Income tax loss to the extent of deferred tax liability	-			-	-	-
	-	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>	-	-	-
<b>Net Deferred tax liability</b>	<b>16,402.52</b>			-	<b>281.00</b>	<b>16,683.52</b>

For the Year 2021-22

Rs. in Lakhs

	Opening Balance 01.04.2021	Recognisable in P & L	Reversal on account of Probability chcking of Future Profit	Recognisable in P & L	Reversal on account of Probability chcking of Future Profit	Closing Balance 31.03.2022
<b>Deferred Tax Liability</b>						
Revaluation of land in Fair Value	19,897.52			-	576.00	20,473.52
Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE	(4,056.00)			-	-	(4,056.00)
Fair Value of Investment in HFL	(80.00)				65.00	(15.00)
	<b>15,761.52</b>			-	<b>641.00</b>	<b>16,402.52</b>
<b>Deferred Tax Asset</b>						
Depreciation	-	21.00	21.00	-	-	-
Provision for Leave Encashment	-	81.00	81.00	-	-	-
Voluntary Retirement Benefits (VRS/ VSS)	-			-	-	-
Provision for Doubtful Debts	-	5.00	5.00	-	-	-
Provision for Doubtful Advances	-			-	-	-
Provision for Long Term Agreements	-			-	-	-
Provision for Stock Obsolescence	-	1.00	1.00	-	-	-
Provision for Statutory claims	-			-	-	-
		<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	-	-	-
<b>Net Deferred tax liability</b>	<b>15,761.52</b>	<b>(108.00)</b>	<b>(108.00)</b>	-	<b>641.00</b>	<b>16,402.52</b>

## NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

## 42. Additional disclosures to Consolidated Financial Statements

## Financial, Liquidity and Other Ratios

Ratios	Components of Numerator	Components of Denominator	For the Year ended 31.03.2023	For the Year ended 31.03.2022	% Variance	Explanation by Management
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	0.95	0.99	-4.21%	-
Debt Equity Ratio	Total debt	Shareholders' Equity	24.10	20.28	18.81%	-
Debt Service Coverage Ratio	Earnings available for debt service	Debt service	0.00	0.02	-90.65%	Loss has increased during the year 2022-23 mainly due to interest on GOI loan and preference shares provided during the year. The subsidiary company has closed their operations during the year 2022-23.
Return on Equity Ratio	Net profit after tax	Shareholders' Equity	2.05	-2.42	-184.70%	Loss has increased during the year 2022-23 and interest on GOI loan and preference shares provided. The subsidiary company has closed their operations during the year 2022-23
Inventory Turnover Ratio	Sales	Average Inventory	23.76	16.16	47.02%	Increase in sales of holding company.
Trade Receivables Turnover Ratio	Net Sales	Average Trade Receivables	45.08	70.18	-35.76%	Increase in sales of holding company.
Trade Payables Turnover Ratio	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	10.14	9.58	5.76%	-
Net Capital Turnover Ratio	Net Sales	Working Capital	-9.70	-64.09	-115.13%	The holding company's Current liability has increased in 2022-23 due to the increase of interest due on govt. loan.
Net Profit Ratio	Net profit after tax	Net Sales	-0.09	-0.07	17.60%	
Return on Capital Employed	Profit Before Interest and Taxes (PBIT)	Capital Employed	-7.49	-93.25	-91.97%	Due to unfavourable market condition, which contributed to net loss of the company. Also there was a huge increase in the main raw material but the selling price could not have increase due to the unfavourable market conditions which resulted in net loss.
Return on Investment	Dividend	Share Price	-	-		

## 43. Notes to Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

a) The Company has elected to continue with the carrying value for all its Property, Plant and Equipment as of April 1, 2016 measured under Indian GAAP as deemed cost as of April 1, 2016 (transition date) except Freehold Land where fair value (circle rate) has been considered as deemed cost.

b) Under Indian GAAP, the Company measured financial assets at cost. As at the transition date, the company recognised the provision for expected credit loss for certain financial assets as per the criteria set out in Ind AS 101. All the financial liabilities have been carried at amortized cost and such differences have been appropriately addressed.

c) Represents Deferred Tax adjustments on the Ind AS transition adjustments. However considering the losses of the company no current tax impact was given.

d) The Company recognises costs related to its post-employment defined benefit plan on an actuarial basis both under Indian GAAP and Ind AS. Under Indian GAAP, the entire cost including actuarial gains and losses and return on planned assets are charged to profit or loss. Under Ind AS, actuarial gains and losses and return on planned assets recognised immediately in the Balance Sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through Other Comprehensive Income.

e) Consequential sum of the adjustments carried out in the other comprehensive income net of tax implications thereon.

f) The subsidiary company during the year under review, revisited its status on the reporting of Financial Instruments through OCI at amortized cost based on updated developments. Accordingly, based on realistic assessment of the underlying transactions, the Company is of view that there are no Financial Instruments which are receivable/payable in future at discounted values and hence these are shown at actual values. Accordingly, the corresponding effect between previous year and current year is passed through OCI.

44. Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015- as per Regulation 17(1)(b), the chairman being an executive director, at least half of the board of Directors should be comprised of Independent Directors. Currently, the Company does not have required number of Independent Directors on its board. Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 - as per the Regulation 17 (1) (a) of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015, Board of Directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director and not less than fifty percent of the Board of Directors shall comprise of non-executive directors. Currently, the Company does not have woman director on its Board.

45. The holding Company has revalued its Property, Plant and Equipment and the revaluation is based on the valuation by a registered valuer (Mr. Er.S.Rajendraprasad, Wealth Tax No: Catogory No.1/3/Vol.II/2009-10.No:CC-CHN/TECH/RV/3/2009-10) as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.

46. a) The Holding Company has reported net loss including other comprehensive income of Rs 4239.63 lakhs (Previous year net loss including other comprehensive income of Rs. 1015.89 lakhs) Also the company has accumulated loss amounting to Rs 107078.48 lakhs (Previous year Rs. 102056.08 lakhs) with a negative networth of Rs. 95512.95 lakhs (Previous year Rs.90490.55 lakhs). But its current assets exceeds its current liabilities by Rs.1879.87 lakhs (Previous year Rs.7204.31 lakhs). The company has a balance under current assets of cash and cash equivalents and other bank balances of Rs.16730.48 lakhs (Previous year Rs.13510.73 lakhs) as at the year end. After considering these conditions, the standalone financial result of the company have been prepared on going concern basis.

b) The company is in the process of implementation of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbered land in Rasayani through NBCC and Panvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant at Kochi is operational and was operating at 93% capacity in the current year as against 62% in the previous year. The production of acetone and phenol increased to 60656 MT in the current year from 40305 MT in the previous year. At the end of the financial year 2022-23, the EBIT for the year 2022-23 is Rs. 1666.29 lakhs (Previous Year 2021-22 Rs. 3932.38 lakhs)

47. Board recommended to implement salary revision of employees w.e.f. 25.01.2021 and the same was submitted to the Ministry of Chemicals and Fertilizers for approval. Company has provided Rs. 295 lakhs for the year 2021-22 and Rs.248.00 lakhs in the books of accounts towards provision for wage revision during the year 2022-23.

48. As per the letter dated 29.01.2020 from the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, under which the Subsidiary Company functions, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting held on 22nd Jan, 2020 had approved the following:

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

a) Shutting down the operations of the plant/unit of HFL & closure of the Subsidiary Company.

b) Separating the employees (regular and non-regular/adhoc) rendered surplus due to closure of plant through VRS/VSSs, after payment of all their outstanding salary/wages and statutory dues, except for skeletal staff required to implement the full and final closure of the company. Employees not opting for VRS/VSS will be retrenched as per the provisions of Industrial Disputes Act, 1947.

c) Grant of interest free loan of Rs.77.20 crore by Govt. of India to Subsidiary Company to be utilized exclusively for closure related expenditure including (a) implementation of VRS/VSSs for Subsidiary Company employees, their dues, statutory dues, payment to suppliers / contractors /utilities dues and repayment of SBI working capital loan (b) salary/wages and administrative expenses of Subsidiary Company's skeletal staff to be temporarily retained for completing the closure of Subsidiary Company for two years.

d) Above interest free loan of Rs.77.20 crore will be repaid by Subsidiary Company to Govt. of India from the sale proceeds of land and other assets of the Subsidiary Company, as and when disposed off and after settling all the liabilities related to closure of the Subsidiary Company.

e) After settlement of all liabilities related to closure of Subsidiary Company and repayment of interest free loan of Rs.77.20 crores, surplus proceeds from disposal of land and other assets, if any, will be used for repayment of Subsidiary Company's outstanding Govt of India (Rs.15.80 crore) and interest thereon, with freezing of interest upto 31.3.2019. Full or part of the principal loan amount (Rs.15.80 crore) and interest thereon upto 31.3.2019 remaining unpaid due to insufficient sale proceeds is to be written off/waived.

f) for facilitating disposal of Subsidiary Company's land, M/s NBCC (India) Ltd may be appointed as Land Management Agency (LMA) to manage and assist in the land disposal subject to outcome of the decision of Telangana Govt/TSIIC on purchasing land of HFL.

g) Disposal of plant/machinery and movable assets will be done by Subsidiary Company through e-auction by MSTC Ltd.

In pursuance of the said decision, HFL had received an amount of Rs.73.70 Crores on 26.05.2020 and Rs.2.17 crores on 15.03.2022 as interest free loan from Govt. As per the above CCEA Order and as at 31.03.2023, all the employees were relieved before 31.08.2022 except five skeleton staff who were transferred to the roll of HOCL in Sept 2022. All the undisputed dues except Govt. loans and HOCL loans were settled by utilising the interest free loan sanctioned by the Govt. of India. The total amount utilized upto 31.03.2023 was Rs.66.23 Crores. The balance amount will be utilized for settling the other dues and other operating expenditure for completing the closure of the Company. The said process is still going on.

49. No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

50. No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

51. Relationship with Struck off Companies

During the financial year ended 31st March 2023 the company does not have any relationship with struck off companies.

For and On Behalf of Board of Directors

**For Balan & Co.**

Chartered Accountants

FRN 340S

Sd/-

**Joyal George, FCA**

Partner

Membership No.: 228702

UDIN: 23228702BGXDRJ7779

Place: Ernakulam

Date: 18.05.2023

Relationship with Struck off Companies as on 31st March 2022

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Balance outstanding	Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed
Access Services P Ltd	Security service	Rs.0.23 lakh	Creditor

52. No charge or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.

53. No Loans or Advances in the nature of loan is granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013,) either severally or jointly with any other person during the year.

54. There is no capital- work- in progress as on 31.03.2023

55. There is no intangible assets under development

56. Amendment to Ind AS 7:

The amendment to Ind AS 7 requires the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the balance sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement.

The subsidiary Company is currently evaluating the requirements of the amendment and has not yet determined the impact on the financial statements.

Reconciliation Statement of Liabilities arising from financing activities (Rs in Lacs)

Opening Balance as on	01.04.2022	14169.41
Increase in Working capital limits including interest		-
Increase in the loans from GOI		-
Interest for the reporting period		57.26
Other Ind AS adjustments		-
<b>Closing Balance as on</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>14226.67</b>

57. No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made there under.

58. Company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets.

59. The company has complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.

60. Company is not declared as a wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

61. Company has no transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961), unless there is immunity for disclosure under 11 any scheme and also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year.

62. The Company is not required mandatorily to carry out any CSR activities on account of losses incurred during the previous years.

63. The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

64. The Consolidated financial statements were authorized for issue in accordance with a resolution passed by the Board of Directors on 18.05.2023

65. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For and On Behalf of Board of Directors

Sd/-

**Sajeev B.**

Chairman and Managing Director

DIN 09344438

Sd/-

**Yogendra Prasad Shukla**

Director (Finance)

DIN 09674122

Sd/-

**Subramonian H.**

Company Secretary

ACS: 28380

Place: Ernakulam, Kerala

Date: 18.05.2023









# हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

## HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : पोस्ट बैग नंबर 18, अंबलमुगल पीओ, एरणकुलम जिला, केरल - 682 302,  
संपर्क नंबर : 0484-2727342 ईमेल आईडी : [cs@hoclindia.com](mailto:cs@hoclindia.com), [corporate.cs@hoclindia.com](mailto:corporate.cs@hoclindia.com), वेबसाइट : [www.hoclindia.com](http://www.hoclindia.com)

**Registered & Corporate Office:** Post Bag No.18, Ambalamugal PO, Ernakulam District, Kerala - 682 302.  
Contact No.: 0484 - 2727342, E-mail id: [cs@hoclindia.com](mailto:cs@hoclindia.com), [corporate.cs@hoclindia.com](mailto:corporate.cs@hoclindia.com), Website: [www.hoclindia.com](http://www.hoclindia.com)